दसवां माला,

25 November, 1991
1913 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र
(दसवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

श्री ६

दशम माला, खंड 6, दूसरा सत्र, 1991/1913 (शक)

श्री अजय

प्रो० प्रेम धू[1], सोमवार, 25 नवम्बर, 1991/4 अग्रहायण, 1913 (शक)

ंपाल।

विषय	पृष्ठ
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	1
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	2—24
*तारांकित प्रश्न संख्या : 41 से 45	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	24—314
तारांकित प्रश्न संख्या : 46 से 60	24—39
अतारांकित प्रश्न संख्या : 432 से 502, 504 से 596 और 598 से 660	39—307
सभा पटल पर रखे गए पत्र	314
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	315—334
सर्विस डाक्टरों की हड़ताल	
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री	315
श्री एम० एल० फोतेदार	315
श्री भुवन चन्द्र खंडूरी	324
श्री दिलीप सिंह भूरिया	325
श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी	326
श्री मदन लाल खुराना	327
मंत्री द्वारा वक्तव्य	334—339
कावेरी जल विवाद	
श्री विद्याचरण शुक्ल	334

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय | पृष्ठ

नियम 377 के अधीन मामले — 339—342

(एक) देश में तेल के उत्पादन में आई गिरावट के कारणों का पता लगाने और उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए उपचारी उपाय करने की आवश्यकता

श्री गोपीनाथ गजपति — 339

(दो) 2500 रुपये और उससे अधिक राशि के ब्याज से स्रोत पर ही आय कर काटने के सरकार के निर्णय की समीक्षा करने की आवश्यकता

श्री ए० चार्ल्स — 339

(तीन) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में खाना पकाने की गैस की समुचित मात्रा में और समय पर पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता

श्री बलराज पासी — 340

(चार) गुजरात के कैरा जिले में वतरक और शेढी नदियों के कारण आने वाली बाढ़ से बचने के लिए इन नदियों के तलकर्षण की आवश्यकता

डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी — 340

(पांच) इलाहाबाद में यमुना नदी पर प्रस्तावित पुल का शीघ्र निर्माण करने की आवश्यकता

श्रीमती सरोज दुबे — 341

(छः) कोआपरेटिव कन्ज्यूमर्स सोसायटी लिमिटेड, जलपाईगुड़ी को खाना पकाने की गैस की डीलरशिप देने की आवश्यकता

श्री जितेन्द्र नाथ दास — 341

(सात) मुम्बई में ऊंचे भवनों में केवल भूमि तल पर स्थित डाक-पेटियों में ही पत्र डालने संबंधी प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता

श्री शरद दिघे — 342

(आठ) तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत देने की आवश्यकता

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव — 342

अनुदानों की मांगें (पंजाब), 1991-92—जारी — 342—380

श्री हरि किशोर सिंह — 342

विषय	पृष्ठ
श्री शरद दिघे	347
श्री इन्द्रजीत गुप्त	349
श्री अजय मुखोपाध्याय	353
प्रो० प्रेम धूमल	356
श्री धर्मपाल सिंह मलिक	361
श्री चित्त बसु	365
श्री राम नाईक	368
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	370
श्री सूर्य नारायण यादव	374
श्री बसुदेव आचार्य	376
श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक	378

लोक सभा

सोमवार, 25 नवम्बर, 1991/4 अग्रहायण, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

11.00 म० पू०

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री वाई० एम० राजशेखर रेड्डी (कुडप्पा) ।

11.01 म० पू०

[अनुवाद]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को अपने भूतपूर्व सहयोगी श्री परमाई लाल के दुखद निधन की सूचना देनी है ।

श्री परमाई लाल 1977-79 के दौरान उत्तर प्रदेश के हरदोई निर्वाचन क्षेत्र से छठी लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वर्ष 1989 में आम चुनाव में वह एक साथ नौवीं लोक सभा तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए हरदोई जिला से निर्वाचित हुए थे । तथापि उन्होंने विधान सभा की सदस्यता स्वीकार करने का निर्णय किया और लोक सभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया । इससे पहले वे 1962-67 तथा 1969-74 के दौरान उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे ।

श्री परमाई लाल ने बहुत योग्यता से राज्य मन्त्रिपरिषद में सेवा की ।

सक्रिय समाज सेवक और राजनैतिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने दो दशकों से भी अधिक समय तक समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण और उत्थान के लिए बड़े जोर-शोर से काम किया ।

श्री परमाई लाल का निधन 12 नवम्बर, 1991 को नई दिल्ली में हुआ ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक तथा सन्तप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं ।

सभा अब दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी रहेगी ।

तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

11.03 म० पू०

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में विद्युत परियोजनाएं

***41. श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री* *यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई;

(ख) क्या इन्हें स्वीकृति देते समय मध्य प्रदेश की परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

[हिन्दी]

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान सरकार द्वारा कुल मिलाकर 36 विद्युत परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी विशेष राज्य द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान नहीं की जाती। केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों द्वारा प्रस्तुत स्कीमों की जांच और उन्हें अनुमोदित करने सम्बन्धी कार्यवाही, परियोजनाओं के तकनीकी आर्थिक गुणावगुणों के आधार पर की जाती है।

पिछले तीन वर्षों और वर्ष 1991-92 के दौरान मध्य प्रदेश के लिए स्वीकृत विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

क्रम सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)
1.	संजय गांधी विस्तार यूनिट 3 एवं 4	2×210
2.	पेंच यूनिट 1 एवं 2	2×210
3.	कोरबा पश्चिम यूनिट 5 एवं 6	2×210

अध्यक्ष महोदय, जैसा कहा गया है, तीन वर्षों में 1988-89, 1989-90 और 1990-91 में कुल 36 पावर प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति प्रदान की गई है। ये स्वीकृति योजना आयोग द्वारा सेंट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथारिटी से टैक्नो इकोनोमिक क्लीयरेंस के बाद की जाती है। किसी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। पावर प्रोजेक्ट्स वहीं पर लगाए जा सकते हैं, जहां

पानी, कोयला और इन्पुट्स उपलब्ध हों। 25 करोड़ रुपए की लागत की छोटी योजना राज्य सरकार ही स्वीकृत करते हैं और 25 करोड़ रुपए से ऊपर की योजनाओं को केन्द्र स्वीकृति प्रदान करता है।

श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार प्रदेश में करीब 14 परियोजनायें अभी तक लंबित पड़ी हुई हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की आबादी और क्षेत्रफल के अनुसार ये क्या पर्याप्त हैं और जिले में कोई योजना लंबित है एवं 1992 में कौन-सी योजनाओं का पालन किया जा रहा है और उसकी क्या लागत होगी और लंबित पड़ी हुई योजनाओं के लिए क्या करने जा रहे हैं ?

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष जी, जैसा कि अभी मैंने बताया है। इन्होंने जो प्रश्न पूछा है उसी के संदर्भ में ही मैंने बताया है। मैंने इसका उत्तर दिया है जैसा कि आपने कहा है तो 1988-89 में 4,289 मेगावाट, 89-90 में 2,327 मेगावाट, 90-91 में 14,789 मेगावाट और 1240 मेगावाट की हाईडल योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। पिछले तीन वर्षों में जो 36 योजनाएं स्वीकृत हुईं एवं मध्य प्रदेश में 1260 मेगावाट की तीन योजनाएं थीं, परन्तु वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण वहां इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। संजय गांधी विस्तार योजना 2 × 210 मेगावाट, पेंच यूनिट 2 × 210 मेगावाट और कोरबा पश्चिम यूनिट 2 × 210 मेगावाट की, ये योजनाएं मध्य प्रदेश में विचाराधीन हैं परन्तु पैसे की कमी के कारण उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है।

श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर : महोदय, शेष बची 14 परियोजनाओं के बारे में मंत्री महोदय बताएं कि वे कब पूरी होंगी।

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, कुछ राज्य सरकारें योजनाओं को कार्यान्वित करती हैं और कुछ को केन्द्र सरकार सेंट्रल सैक्टर में करती है। तो यह राज्य सरकार का काम है कि जो योजनाएं स्वीकृत होती हैं उसे राज्य सरकार पूरा करे।

श्री लक्ष्मी नारायण पांडेय : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की जिन तीन परियोजनाओं के बारे में आपने अभी बताया कि वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण उनका शीघ्र आरंभ होना संभव नहीं हो पा रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार द्वारा क्या वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, यदि हां, तो कितनी राशि और कब तक और क्या यह सही है कि भांडेर में गैस पर आधारित (मध्य प्रदेश) में विद्युत परियोजना को भी आपने स्वीकृति प्रदान की है और उसकी क्या स्थिति है ?

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कुछ योजनाएं सेंट्रल सैक्टर में बनाई जाती हैं और कुछ योजनाएं स्टेट सैक्टर में बनाई जाती हैं। संसाधनों की कमी के कारण ही सरकार ने प्राइवेट सैक्टर पार्टीसिपेशन को लागू किया है और उसी के अंतर्गत जो पेंच योजना है, सेंचुरी टैक्सटाइल्स मध्य प्रदेश की पटवा सरकार ने बिलड़ा से समझौता किया है कि वे विद्युत का उत्पादन करेंगे। दूसरी बात भांडेर की है, तो भांडेर की गैस योजना सरकार के विचाराधीन है लेकिन फ्यूल लिंकेज अब तक नहीं हो पाया है, इसके कारण टैक्नोइकोनोमिक क्लियरेंस एवं प्लानिंग कमीशन की स्वीकृति नहीं हो पाई है।

श्री अरविन्द नेताम : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि

मध्य प्रदेश में बिजली की कितनी कमी है और जिन तीन योजनाओं का उल्लेख किया है, एक तो बता दिया है कि प्राइवेट सैक्टर को दे रहे हैं पर बाकी दो योजनाओं के बारे में वित्तीय व्यवस्था कब तक हो जाएगी। ये दोनों राज्य सरकार, केन्द्र सरकार करती हैं या सिर्फ केन्द्र सरकार कर रही है और इन दोनों योजनाओं के बारे में कब तक वित्तीय सुविधा उपलब्ध होगी, क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, यह दो योजनाएं राज्य सरकार के विचाराधीन हैं। राज्य सरकार को उसकी पूरी फंडिंग करनी है और राज्य सरकार को इसे करना है इसलिए वह ही इस बारे में बतला पाएंगे।

[अनुवाद]

इलेक्ट्रानिक प्रचार माध्यमों संबंधी वर्धन समिति

*42. **श्री लाल कृष्ण आडवाणी**† :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिक प्रचार माध्यमों संबंधी वर्धन समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति की मुख्य सिफारिशें क्या-क्या हैं और इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां।

(ख) समिति की मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं। सरकार द्वारा रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

विवरण

1. समिति इलैक्ट्रानिक माध्यमों में स्पर्धा शुरू करने की आवश्यकता स्वीकार करती है।

2. समिति में स्पर्धा शुरू करने के लिए सरकार के पास उपलब्ध विभिन्न विकल्पों का उल्लेख किया है जो अग्रता क्रम में इस प्रकार हैं :—

(क) परिचालनों की अर्थक्षमता और अन्तरक्षेत्रीय नेटवर्क को उपयुक्त रूप से जोड़ने की व्यवस्था के अनुरूप देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय प्रसारण के लिए नये टी० वी०/रेडियो चैनलों की स्थापना करने की अनुमति दी जाय।

(ख) चार महानगरों में दूरदर्शन का दूसरा चैनल और एफ० एम० केन्द्रों सहित अतिरिक्त रेडियो चैनल, जब भी उपलब्ध हों, उपयुक्त कानून पारित करने के बाद उपयुक्त लाइसेंसधारियों को एक साथ पट्टे पर दे दिए जाएं।

(ग) निजी एजेंसी या कंसर्शियम को देश में ट्रांसमीटर श्रृंखला स्थापित करने की अनुमति दी जाए। इस विकल्प का क्रम ऊपर (क) पर दिए गए विकल्प के बाद होगा।

(घ) मौजूदा टी० वी०/रेडियो चैनलों पर समय विशेष को पट्टे पर दिए जाने की सिफारिश नहीं की जाती।

(ङ) विकासात्मक या शैक्षिक प्रसारण के लिए लाइसेंसधारी को उपग्रह ट्रांसमीटर पट्टे पर देने का विकल्प उपयुक्त है और उपग्रह पर अतिरिक्त खंड उपलब्ध होने पर सरकार द्वारा इस पर विचार किया जाए।

3. लाइसेंस मंजूर करने के लिए एजेंसियों का चयन एक स्वतंत्र निकाय द्वारा किया जाना चाहिए जिसे प्रसारण परिषद कहा जा सकता है और इसमें सार्वजनिक जीवन के प्रतिष्ठित व्यक्ति होने चाहिए जिनकी ईमानदारी पर कोई संदेह न हो।

4. लाइसेंस प्राप्त करने के पात्र संगठन सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियां होनी चाहिए जिनके प्रबंध में प्रसारण में रुचि रखने वाले मुख्य गुणों का प्रतिनिधित्व हो और जिनके शेयर जनता द्वारा खरीदे जा सकते हों।

5. सूचना स्रोतों पर एकाधिकार से बचने के लिए अन्य मीडिया पर प्रतिबंध (क्रास मीडिया रिस्ट्रिक्शन्स) लगाने का सुझाव दिया गया है।

6. विश्वविद्यालयों, सहकारी संस्थानों, इत्यादि जैसे सार्वजनिक निकायों को लाइसेंस प्रदान करने के मामले में उनके परिचालन क्षेत्र में तरजीह दी जा सकती है।

7. कार्यक्रमों के लिए मार्गनिर्देश बताये गये जैसे विज्ञापन, आकाशवाणी/दूरदर्शन की विज्ञापन संहिता के अनुरूप हों, कोई कार्यक्रम किसी समूह की धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचाने वाला न हो, किसी कार्यक्रम से भारत की प्रभुसत्ता और एकता आदि को ठेस न पहुंचती हो अथवा न ही किसी कार्यक्रम से कापीराइट अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होता हो।

8. गुणवत्ता निर्धारण और शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया का सुझाव दिया गया है।

9. भारतीय प्रसारण परिषद को उपयुक्त कानून के माध्यम से लाइसेंस जारी करने, कार्यक्रमों का मानिटरिंग करने, उनकी गुणवत्ता का निर्धारण करने और शिकायतों का समाधान करने का दायित्व सौंपा जाए।

10. अतिरिक्त प्रसारण चैनलों की स्थापना करने और उन्हें चलाने के लिए नया कानून बनाया जाए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, मुझे मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर के अंतिम वाक्य से निराशा हुई है कि सरकार द्वारा रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है। सभा ने इस संबंध में आज का सुनियोजित कार्य योजना की आशा की थी न कि इस बात कि रिपोर्ट पर गौर किया जा रहा है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस मामले में समय की महत्वपूर्ण भूमिका है। पहले ही इस प्रचार माध्यम को सी० एन० एन०, स्टार टी० वी० और बी० बी० सी० के द्वारा स्टार टी० वी० के जरिये काफी नुकसान पहुंचाया जा चुका है। जब तक हम इस संबंध में तत्काल कदम नहीं उठायेंगे तब तक हमें बहुत नुकसान रहेगा और दूरदर्शन बिल्कुल ही अप्रसांगिक बन कर रह जायेगा।

मेरा पहला प्रश्न है कि क्या सरकार इस संबंध में इसी सत्र में आवश्यक कानून लायेगी या हमने जो कुछ चोरी किये वीडियो कैसेट के मामले में तीन वर्ष पहले कानून बना कर किया था

उसे ही फिर दोहरायेंगे क्योंकि उसके परिणामस्वरूप पूरे देश में लाखों चोरी किये गए कैसेट उपलब्ध होने लगे थे। मेरा पहला प्रश्न सरकारी कार्य योजना के समय के बारे में है।

कुमारी गिरिजा व्यास : महोदय, मैं यह स्वीकार करती हूं कि कानून जल्दबाजी में नहीं लाना चाहिए क्योंकि यह साधारण मुद्दा नहीं है। जहां तक हमारे प्रश्न की बात है क्या इस सत्र में विधि-निर्माण करना हमारे लिए संभव है। मेरा कहना है कि अब स्थिति बदल चुकी है। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से सी० एल० एन० आ चुका है। हम प्रसार भारती के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि सभी चीजें उचित ढंग से होंगी।

महोदय, मैं स्वीकार करती हूं कि इस मुद्दे से देश का प्रत्येक व्यक्ति जुड़ा है। इसलिए मैं सभा को आश्वस्त करती हूं कि हम इस संबंध में विधि निर्माण करने से पहले सभी दलों के नेताओं से बात करेंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, मामले की महत्वता के कारण इस समिति का गठन किया गया था। इसका गठन विशेष रूप से यह देखने के लिए किया गया था कि सरकार कहीं इस कार्यवाही को बन्द तो नहीं कर रही है। लेकिन वास्तव में यह वही बात करने जा रही है। माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिये गये जवाब में हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि सरकार इस संबंध में बिल्कुल ही किंकर्तव्यविमूढ़ है कि इस स्थिति का मुकाबला किस प्रकार से किया जाये। मेरी यह धारणा है कि एक ओर प्रतिस्पर्धा की भावना की अनुमति दे दी जानी चाहिए और दूसरी ओर इसे नियंत्रित करने के भी उपाय करने चाहिए। इस प्रकार की पूरी स्वतन्त्रता जो कि इस संचार माध्यम को दी गयी है, इमसे हमारी सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक नियम और विचार बरबाद हो जायेंगे। इसलिए जोशी समिति की सिफारिशों, जो कि दूरदर्शन के लिए 'सोफ्ट वेयर' के संबंध में की गयी थीं, को भी असंगत नहीं समझना चाहिए।

इससे संबंधित मेरा प्रश्न यह है कि सरकार का विचार प्रसार भारती अधिनियम, जो कि करीब एक वर्ष से लंबित हैं, के संबंध में क्या करने का है। यहां हमने इसे सर्वसम्मति से पारित किया था जिसमें कांग्रेस पार्टी भी सम्मिलित थी। इसलिए मैं यह जानना चाहूंगा कि इस संबंध में और प्रसारण परिषद के संबंध में भी सरकार का विचार क्या करने का है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : महोदय, सरकार द्वारा बहुत अधिक देर नहीं की गयी है। सरकार ने 24 जून को सत्ता सम्भाली है। फिर तुरन्त ही प्रसार भारती अधिनियम में क्या हुआ है, इस मामले को देखा गया। मैंने यह पाया कि यद्यपि विधेयक इस माननीय सभा द्वारा पारित कर दिया गया था लेकिन पूर्व की सरकार द्वारा अधिसूचना जारी नहीं की गयी थी। इस संबंध में कोई राजनीतिक निर्देश भी नहीं दिया गया था लेकिन विभागीय अधिकारीगण इस दिशा में कार्य करते रहे। इसी बीच कुछ कुछ अन्य चीजें, जैसे कि केबल टी० वी०, सरकारी निगम, विदेशी दूरदर्शन द्वारा 'ट्रांसपोंडर' का उपयोग प्रकाश में आया। इस संबंध में एक वरिष्ठ सदस्य ने भी ठीक ही कहा है।

इसलिए 3 सितम्बर को वर्धन समिति का गठन किया गया था। आठ सदस्यों की इस अन्तर मंत्रालयीय समिति ने 24 अक्तूबर, 1991 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सूचना और प्रसारण विभाग ने इस समिति की रिपोर्ट की जांच कर इसे 4 नवम्बर, 1991 को प्रधानमंत्री कार्यालय में भेजा गया था। प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह परामर्श दिया है कि हमें प्रसार भारती सी० सी० पी०

ए० पर भी लागू करना चाहिए। इस चार मुद्दों---प्रसार भारती, केबल टी० वी०, सरकारी निगम और विदेशी कार्यक्रमों के लिए 'ट्रांसपौंडर' का उपयोग--जो बातें सामने आयी थीं, हमने इस संबंध में एक संक्षिप्त नोट बनाया है जिसमें सारी बातें दी गयी हैं। इस संबंध में एक क्षण की भी देर नहीं हुई है। इस संबंध में वर्धन समिति द्वारा पूरे भारत का भ्रमण किया गया। इसने उन व्यक्तियों से बात की जोकि सरकारी निगमों में भाग लेने के इच्छुक थे। वे विशेषज्ञ जिन्होंने अपने विचारों को या अपने लेखों को प्रस्तुत किया, उनकी बातों पर भी पूरी तरह से ध्यान दिया गया। हमने समझा कि इस सत्र में हम कुछ करने में सक्षम होंगे। वास्तव में भारत सरकार के आठ विभाग इसे सुसम्बद्ध बनाने में शामिल हैं। मैं इस सभा को यह आश्वासन दूंगा कि हम इस मामले में छान-बीन कर रहे हैं। ईमानदारीपूर्वक मैं यह कहूंगा कि इस दौरान हमने बहुत कार्य किया है। हम विपक्ष के नेता और अन्य दलों के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं और तत्पश्चात् इस संबंध में हम एक विधान लायेंगे।

प्रो० के० वी० थामस : महोदय, बाल फिल्म महोत्सव के संदर्भ में माननीय मंत्री महोदय केरल में त्रिवेन्द्रम में थे। केरल सरकार और केरल में अन्य संगठनों ने माननीय मंत्री महोदय से जब केरल में दूरदर्शन प्रसारण के लिए द्वितीय चैनल की सुविधा शुरू हो जाये तो वहां इसे उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह इस प्रश्न से संबंधित है।

प्रो० के० वी० थामस : जी, नहीं महोदय। वर्धन समिति ने यह सिफारिश की थी कि जब क्षेत्रीय प्रसारण के लिए द्वितीय चैनल शुरू हो जाये तो दूरवर्ती राज्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

श्री अजित कुमार पांजा : महोदय, द्वितीय चैनल के सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन किया गया था। लेकिन जैसाकि माननीय सदस्यगण जानते हैं कि द्वितीय चैनल को सिर्फ महानगरों के लिए शुरू किया गया था।

इसलिए जहां तक त्रिवेन्द्रम का संबंध है स्थानीय चैनल पर विचार किया जा सकता है और क्षेत्रीय चैनल द्वारा केरल के 70 प्रतिशत भाग में सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है। ऐसा उपग्रह द्वारा नहीं बल्कि 'माइक्रोवेव' प्रणाली द्वारा किया गया है।

इसलिए केरल के लिए द्वितीय चैनल अर्थात महानगरीय चैनल का प्रश्न भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अन्तर्गत नहीं है। यदि स्थानीय क्षेत्रीय चैनल उपलब्ध है तो निश्चित रूप से हम इसके कार्यक्षेत्र को, जो कि अभी 70 प्रतिशत आबादी तक उपलब्ध है, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

दिल्ली में सुरा पीने से हुई मौतें

*43. **श्री ताराचन्द खंडेलवाल**† :

श्री के० एच० मुनियप्पा :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्पूर आसव फार्मेसी, करनाल द्वारा बोतलों में भरी गई "सुरा" को पीने के

बाद दिल्ली में हाल ही में बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो गयी थी तथा बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार हो गये थे;

(ख) यदि हां, तो मरने वालों की संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार मृतकों के निकट संबंधियों को मुआवजा देने का है तथा क्या "सुरा" के निर्माताओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है;

(ङ) क्या इस दुखद घटना की न्यायिक जांच की कोई मांग की गयी है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) ऐसी दुःखद घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (च) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

यह समाचार प्राप्त हुए कि दिल्ली के एक अस्पताल में अज्ञात जहर के इलाज के लिए बहुत लोग दाखिल किए गए हैं। पूछताछ से पता चला कि उन सभी लोगों ने एक "करपूर आसव" नामक आयुर्वेदिक औषधि का सेवन किया था। दिल्ली पुलिस द्वारा की गई पूछताछ से पता चला कि इस दवाई का उत्पादन "(करनाल) फार्मेसी" नामक एक फर्म ने किया था, जिसकी एक इकाई गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में थी। दिल्ली पुलिस द्वारा 7-11-91 को स्थानीय पुलिस की सहायता से फैक्ट्री को सील कर दिया गया तथा इसका सारा माल जब्त कर लिया गया। दिल्ली पुलिस ने मार्किट से "सुरा" की सभी बोतलें तत्काल जब्त कर लीं।

2. जहरीली दवा के नमूनों का विश्लेषण किया गया और पता चला कि उसमें मिथाइल अलकोहल है। मुख्य वितरक सहित, फर्म के तीन मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा एक मालिक लापता है। इसके निर्माताओं के खिलाफ भा० दं० सं० की धारा 284/304 के अंतर्गत एक मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली में मारे गए गहन छापों के दौरान अब तक 93 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। 337 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। आयुर्वेदिक दवा की 13 दुकानें सील कर दी गई हैं।

3. अभी तक 199 व्यक्ति मर चुके हैं तथा 63 व्यक्ति इस समय अस्पतालों में भर्ती हैं। 77 व्यक्तियों को इलाज के उपरांत छुट्टी दे दी गई है तथा 6 व्यक्ति, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, डाक्टर की सलाह के बिना अस्पताल छोड़कर चले गए।

4. जांच-पड़ताल से पता चला है कि दोषी इकाई, मैसर्स करनाल फार्मेसी, को उत्तर प्रदेश के आयुर्वेदिक और यूनानी दवा निदेशालय द्वारा पहले उत्पादन लाइसेंस दिया गया था। आगे की गई जांच-पड़ताल से पता चला है कि 31-12-1988 के बाद इस इकाई के लाइसेंस का नवीकरण नहीं किया गया।

5. दिल्ली प्रशासन द्वारा इस जहरीली दवा के सेवन करने से मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के

निकटतम संबंधी को 10,000 रु० तथा अंधे हुए प्रत्येक व्यक्ति को 5,000 रु० की अनुग्रहपूर्वक सहायता स्वीकृत की गई है।

6. इस घटना के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन एक, एक-सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया है।

7. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्य औषध नियंत्रकों को 14-11-91 को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं कि आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी दवाइयों का उत्पादन निर्धारित मानदंडों के अनुसार ही किया जाए और औषधि निरीक्षकों द्वारा उत्पादन करने वाली सभी फर्मों की विस्तृत रूप से जांच की जाए। दिल्ली प्रशासन तथा उत्तर प्रदेश सरकार को इस आशय के अनुदेश भी जारी किए गए हैं कि आयुर्वेदिक दवाओं के नाम से उत्पादित तथा बेची जाने वाली जहरीली दवाओं के उत्पादकों/भंडारकों और विक्रेताओं पर सख्ती से मुकदमा चलाए जाए, सभी राज्य सरकारों को यह भी अनुदेश जारी किए गए है कि "प्रसन्ना", जो कि "करपूर आसव" का एक संघटक हैं, के स्थान पर संसाधित स्प्रिट का प्रयोग करने की अनुमति न दी जाए।

8. सरकार जहरीली दवा के निर्माताओं और विक्रेताओं के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच का कार्य तेजी से करने के लिए सभी प्रयास कर रही है। दिल्ली प्रशासन को सचेत कर दिया गया है कि वे स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का कड़ाई से पालन करें। दिल्ली पुलिस तथा दिल्ली आबकारी विभाग और दिल्ली के औषध नियंत्रक द्वारा मारे गए छापों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए दिल्ली प्रशासन ने एक समिति का गठन भी किया है।

[हिन्दी]

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है वह संतोषजनक नहीं है और उसमें पूरे तथ्य भी नहीं हैं। उन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि 199 व्यक्ति सुरा कांड में मरे हैं। जबकि हमारे पास पूरी अधिकृत जानकारी है जिसके अनुसार 243 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और सुरा पीने से 56 व्यक्ति अंधे हो गये हैं। जो बीमार व्यक्ति भाग गये वहां से उनकी संख्या 30 है, जबकि आपने सात बताई है। इस बात का मैं स्वागत करता हूं जो मंत्री महोदय ने कहा है कि इस पर एक सदस्यीय न्यायिक जांच बिठाई गई है। परन्तु मुझे खेद है कि उन्होंने यह नहीं बताया कि इसकी अवधि कितनी होगी। समाचार-पत्रों में आया था कि उसकी अवधि दो महीने की है। लेकिन मंत्री महोदय ने नहीं बताया है। दो महीने तक कार्यवाही करेगी और एक महीना प्रकाशन में निकल जायेगा, यह इतना भयंकर कांड है इस तरह से सारा मामला ठंडा पड़ जायेगा। मैं यह कहना चाहता हूं···

अध्यक्ष महोदय : जो सूचना दी है आप उससे संबंधित प्रश्न पूछें।

श्री ताराचन्द खंडेलवाल : जो लोग मरे हैं उनके परिवारों को दस हजार रुपये की राशि देने के लिए कहा है। क्या सरकार समझती है कि एक इनसान की कीमत केवल 10 हजार रुपए है, क्या यह पर्याप्त है ? जो सारे जीवन के लिए अंधे हो गये उनको आपने पांच हजार रुपये देने की बात कही है। यह जो राशि दी गई है यह बिलकुल अपर्याप्त है, क्या मंत्री महोदय या सरकार यह राशि बढ़ाने के लिए तैयार है ?

[अनुवाद]

श्री एम० एम० जैकब : महोदय, माननीय सदस्य ने दो या तीन मुद्दे उठाये हैं। हमारे पास उपलब्ध समाचारों के अनुसार 199 लोगों की मृत्यु हुई है। वास्तविकता यह भी है कि अभी भी कुछ लोग अस्पताल में हैं। इसका मेरे द्वारा दिये गये वक्तव्य में भी उल्लेख है। कुछ लोग अस्पताल के अधिकारियों को बिना बताए अस्पताल से चले गये हैं।

उनमें से कुछ लोग अपनी पहचान इसलिए नहीं बताना चाहते कि उन्होंने अवैध जहरीली शराब पी है। अतः मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य द्वारा दी गई संख्या सही है। फिर भी मैं यह पता लगाने की कोशिश करूंगा कि मेरे वक्तव्य में दिये गये लोगों के अलावा भी क्या कुछ लोग हैं जो इस दुर्घटना मे प्रभावित हुए हैं।

दूसरी बात्त जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है वह मुआवजे की है। मारे गये व्यक्ति के आश्रितों को 10,000 रुपये और जिन व्यक्तियों की शराब पीने से आंखें चली गई हैं उनको 5,000 रुपये दिए जाएंगे और कुछ धन घायल लोगों को भी दिया जाएगा। कुछ अन्य सुविधाएं भी दी जा रही हैं।

माननीय सदस्य ने सही ही कहा है कि जांच आयोग को दो माह का समय दिया गया है। यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक फैक्ट्री में हुई है। शायद इस बारे में शीघ्र ही प्रयास किए जा सकते हैं। हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि आयोग अपना कार्य जल्द ही पूरा करे। लेकिन इस समय मैं इसका आश्वासन नहीं दे सकता।

[हिन्दी]

श्री ताराचन्द खंडेलवाल : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि यू० पी० में आप जो इन्क्वायरी कर रहे हैं, क्या आपके पास जानकारी है कि इस सुरा से यू० पी० में कितनी मौतें हुई हैं, वैसे यह मामला यू० पी० का इनना नहीं है जितना दिल्ली का है क्योंकि यह दुर्घटना विशेष तौर पर दिल्ली में हुई है।

[अनुवाद]

श्री एम० एम० जैकब : हमने उत्तर प्रदेश सरकार को इस घटना और इससे संबंधित अनेकों मुद्दों पर विस्तृत विवरण देने का कहा है और हमें इस बारे में विशिष्ट/स्पष्ट उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। आज सुबह भी हमारे कार्यालय ने विशेष गृह सचिव से संपर्क किया था लेकिन वह वहां नहीं थे। हमने उनकी सूचना का इंतजार कर रहे हैं।

श्री के० एच० मुनियप्पा : क्या सरकार ने इस बारे में गंभीर कदम उठाये हैं? सुरा के निर्माताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; यदि नहीं तो क्या सरकार का उनके विरुद्ध कठोर कदम उठाने का प्रस्ताव है; यदि नहीं, तो सरकार को सदन को यह आश्वासन देना होगा कि वह उनके विरुद्ध कठोर कदम उठाएंगे?

श्री एम० एम० जैकब : सरकार ने 13 आयुर्वेदिक दुकानों को सील कर दिया है और 93 लोगों को जो इससे संबंधित थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और चार लोग ऐसे भी हैं जो सुरा के निर्माण से संबंधित हैं, इनमें से तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक लापता है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मैं इसमें यह जानना चाहता हूं कि जो वर्तमान ऐक्ट है और जिसके अधीन ये गिरफ्तारियां हुई हैं, उनकी सजा अधिकतम 6 महीने की है। क्या सरकार किसी आर्डिनेंस के द्वारा या कोई ऐसा बिल तुरन्त इस ऐक्ट में संशोधन करने के लिए इस सदन में लाएगी कि इन मौत के सौदागरों को केवल 6 महीने की सजा के बजाय कोई बड़ी सजा, जिसमें मौत की सजा भी शामिल हो, दी जाएगी ? क्या सरकार ऐसा कोई विचार करती है इस ऐक्ट में संशोधन करने के लिए ? उसके साथ मेरा दूसरा सवाल है कि अनेक लोगों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। जिन्होंने जान-बूझकर इसलिए नहीं कराया ताकि बड़ी समस्या की गंभीरता लोगों के सामने न आए। लेकिन सरकार के रिकार्ड में है कि इनकी मौतें सुरा कांड में हुई हैं फिर भी जो मुआवजा दिया जा रहा है, जिनका पोस्टमार्टम हुआ हैं उन्हीं को दिया जा रहा है। जब सभी को पता है कि इनकी मौत भी सुरा कांड से हुई है तो क्या सभी लोगों को मुआवजा दिया जाएगा ?

[अनुवाद]

श्री एम० एम० जैकब : वास्तव में धारा 284, 304 और 308 के अन्तर्गत मामले दर्ज किए गए हैं, इसमें दो महीने की कैद नहीं होती है बल्कि सात वर्ष की कैद या जुर्माना या दोनों होते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह मंत्री को इसकी सूचना देना चाहते हैं, वह मंत्री महोदय को बताना चाहते हैं ?

श्री एम० एम० जैकब : वास्तव में यह पूर्णतः स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित मामला है और इसके निर्देश स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिये जा रहे हैं। क्योंकि यह दिल्ली में हुआ और क्योंकि यह कई लोगों की मृत्यु से संबंधित मामला है, गृह मंत्रालय ने इसका उत्तरदायित्व लिया है। जांच आयोग को उन लोगों की संख्या बतानी होगी जो विकलांग हुए हैं या जिनकी मृत्यु हुई है। सभी विवरण दे दिये गये हैं। मुझे बताया गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी संबंधित लोगों को 14-11-91 को एक परिपत्र भेजा है जिससे ऐसी सभी बिक्रियों पर रोक लगा दी गई है।

एक बात माननीय सदस्यों को समझ लेनी चाहिए। यह सब घटना तब हुई जब उत्तर प्रदेश राज्य में गाजियाबाद स्थित इकाई ने यह शराब बनायी और हमारे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार इकाई के लाइसेन्स का 31-12-88 के बाद नवीनीकरण नहीं किया गया था। तब भी उन्हें 4000 लिटर का पेय अल्कोहल का लाइसेन्स दिया गया था। इसे उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा दिया गया था। दुर्भाग्यवश उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित फैक्ट्री का मैं नियंत्रण नहीं कर सकता। यह राज्य सरकार का मामला है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : यह सिर्फ यू० पी० का ही मामला नहीं है, दिल्ली में 200 से ज्यादा लोग मरे हैं।

श्री शंकरजी लक्ष्मणजी बघेला : इससे पहले 4 साल तक तो आपकी गवर्नमेंट थी वहां पर और जो सुरा बनती है, उसको भी गवर्नमेंट मशीनरी पास करती है। (व्यवधान)

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जिस

उद्देश्य से सुरा बनाई जाती है, क्या उसकी वैकिल्पक व्यवस्था भी है। यदि हां तो जिस सुरा से इतने लोगों की मृत्यु होती है, सख्त कानून बनाकर इस देश में सुरा और अल्कोहल की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का, ऐसा कानून बनाने का या इनके लाइसेंस रद्द करने का क्या सरकार का विचार है।

अध्यक्ष महोदय : यह तो खुराना जी पूछ चुके हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम० एम० जैकब : गृह मंत्रालय से जांच रिपोर्ट मिल जाने के बाद ही गृह मंत्रालय द्वारा पहले से ही घोषित कदमों के अलावा अन्य कदमों को उठाया जायेगा।

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं इसे स्पष्ट करना चाहूंगा ? वास्तव में सुरा निर्माण के लिए लाइसेंस नहीं दिया गया था। इसमें मिथाईल अल्कोहाल जो मिलाई गई थी उसके लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया गया था। यह सब गैर-कानूनी है। लाइसेंस जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मेरा कहना यह था कि जो लोग मिलावट करते हैं, उनके लिए सिर्फ 6 माह की सजा का प्रावधान है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है, इसमें आई० पी० सी० भी अप्लाई होता है, मैं आपको बता दूंगा, आप बैठिए।

(व्यवधान)

श्री बी० एल० शर्मा प्रेम : अध्यक्ष महोदय, मेरी कांस्टाट्वेंसी के अन्दर ही 233 लोग मरे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या किसी पुलिस आफिसर के खिलाफ आज तक कोई एक्शन लिया गया है ? क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है।

[अनुवाद]

श्री एम० एम० जैकब : मेरे विचार में इसमें पुलिस अधिकारियों की कोई भूमिका नहीं थी।

[हिन्दी]

श्री बी० एल० शर्मा प्रेम : वहां पर एक बीट कांस्टेबल होता है, उसको सारे इलाके की सारी जानकारी रहती है। तो क्या किसी पुलिस आफीसर या उस एरिया के किसी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की गई है या नहीं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमें वास्तविक अभियुक्तों को जिम्मेवारी से मुक्त नहीं करना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। दो सौ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। हमें इसके लिए वास्तविक अभियुक्तों को ही जिम्मेवार ठहराना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें ऐसा नहीं करना चाहिये। दो सौ व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। हमें उचित व्यक्ति को ही इसके लिए जिम्मेवार ठहराना चाहिए।

श्री एम० एम० जैकब : केवल उस क्षेत्र के थाना अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है।

श्री चन्द्रजीत यादव : आपने ठीक ही कहा है कि यह एक अत्यधिक गम्भीर मामला है जिसमें दो सौ से भी अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। उनके उत्तर से यह स्पष्ट है कि इस फर्म ने वर्ष 1988 के बाद से अपने निर्माण लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया था। उत्तर प्रदेश के औषधि-नियंत्रण तथा औषधि निरीक्षक की ही यह मुख्य जिम्मेवारी है कि वे यह देखें कि जिस वस्तु के लिए लाइसेंस दिया गया है, वही बनायी जाये। वे पूरी तरह से अपने कर्तव्य पालन में असफल रहे हैं। क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस मामले पर विचार-विमर्श किया है कि इस संबंध में दोषी औषधि निरीक्षक तथा औषधि निदेशालय के अधिकारियों को भी दंडित किया जाये क्योंकि इन व्यक्तियों की मृत्यु के लिए वे भी समान रूप से दोषी हैं? क्या इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाया गया है?

श्री एस० बी० चव्हाण : यह प्रश्न काफी उचित है। यह ठीक है कि उत्तर प्रदेश के औषधि नियन्त्रक तथा औषधि निरीक्षक ही मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेवार हैं जिन्हें वहां पर जाकर यह देखना चाहिए था कि लाइसेंस की शर्तों के अनुसार ही वहां पर वस्तु बनाई जा रही है। हम अपने स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना प्राप्त करने के लिए सारे प्रयास कर रहे हैं। परन्तु किसी न किसी कारणवश हमें अभी तक इसमें सफलता नहीं मिली है···(व्यवधान)·· वर्ष 1988 के बाद लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया गया था। उसके बावजूद इस कम्पनी को शुद्ध अल्कोहल दिया जा रहा था। आयोग इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। आयोग के निर्णय के पश्चात् ही आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

श्री शरद दिघे : एक जांच आयोग नियुक्त किया गया है। कई वर्षों से उत्तर भारत में कई प्रतिष्ठान इस प्रकार की औषधि बना रहे थे तथा व्यक्तियों की मृत्यु हो रही थी। अत: केवल एक यही घटना नहीं घटी है।

पिछले वर्ष सितम्बर में भी ऋषिकेश में 11 व्यक्तियों की संजीवनी सुरा नामक जहर पीने से मृत्यु हो गई थी। दिल्ली पुलिस को दिल्ली में भी ऐसी औषधियों के वितरण की जानकारी थी। अतएव मेरा प्रश्न यह है कि क्या इस सम्बन्ध में कोई विभागीय जांच की जायेगी कि आयुर्वेदिक दवाओं के वितरण के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा इसके वितरण को रोकने के प्रयास क्यों नहीं किए गए।

श्री एम० एम० जैकब : यह मूलत: औषधि निरीक्षकों तथा औषधि नियंत्रकों का ही कर्तव्य है कि वे इन शर्तों को लागू करें। इसके क्रियान्वयन को देखना इन्हीं का कार्य है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार

44. श्री श्रवण कुमार पटेल† :
श्री बी० एस० विजयराघवन :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों को रोकने के लिए नई दिल्ली में गत महीने हुए मुख्य मंत्रियों के दो दिवसीय सम्मेलन में क्या उपाय करने पर विचार-विमर्श किया गया है;

(ख) क्या किसी राज्य सरकार ने सम्मेलन के प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) 4-5 अक्तूबर, 1991 को नई दिल्ली में हुई मुख्यमन्त्रियों की बैठक में लिए गए निर्णय संलग्न विवरण के रूप में सभा पटल पर रख दिए गए हैं। ये निर्णय सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को कारंवाई के लिए सूचित कर दिए गए हैं।

विवरण

सामान्य निर्णय

1. सम्मेलन इससे सहमत था कि यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है तथा राजनीतिक विचारधारा से परे है। इसलिए इसमें राष्ट्रीय मतैक्य की दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता है।

2. यह सुझाव दिया गया था कि कारगर तथा समय पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से राज्य के मुख्यमन्त्रियों को इस मामले में स्वयं निकट से सीधा तथा सतत सम्पर्क बनाए रखना चाहिए।

3. महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारियों की तैनाती करते समय, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों पर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

4. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित जिन पदों पर निर्धारित कोटा के अनुसार नियुक्ति नहीं की गयी है उन्हें यथाशीघ्र, अधिक से अधिक 31 मार्च, 1992 तक, भर लिया जाना चाहिए।

5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए बनाए जा रहे मकान अपर्याप्त हैं। उन पर अधिक खर्च करके उनका विस्तार किया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आवास की स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता है।

6. राज्य सरकारें उन क्षेत्रों की पहचान करेंगी जहां अत्याचारों की घटनाएं अधिक पायी गई हैं और जो अधिक तनाव वाले हैं। इनमें अत्याचारों से निपटने के लिए निम्नानुसार विशेष व्यवस्थाएं तथा प्रशासनिक उपाय करने होंगे।

7. चूंकि तनाव के कारणों में से भूमि एक कारण है, अतः भूमि सीमा कानूनों के अंतर्गत फालतू भूमि के वितरण का कार्य 31 मार्च, 1992 तक पूरा कर लिया जाना चाहिए।

8. समिति ने नोट किया कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट/स्थापित कर लिए गए हैं। भारत सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विशेष न्यायालय स्थापित करने/विनिर्दिष्ट करने के बारे में इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन हो।

9. सम्मेलन द्वारा नियुक्त उप-समिति द्वारा की गई निम्नलिखित सिफारिशों को उपयुक्त कार्रवाई के लिए स्वीकार किया गया है :—

(एक) प्रथमदृष्टया में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के उपबंध पर्याप्त थे क्योंकि धारा 4 में यह व्यवस्था है कि किसी लोक सेवक द्वारा अपने कर्त्तव्यों की जानबूझकर अवहेलना करने के लिए कारावास का प्रावधान है जिसकी अवधि छः महीने से कम न होगी। यह अधिनियम 1990 में लागू किया गया था तथा इसके कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखकर कुछ समय के बाद उसमें संशोधन करने के बारे में विचार किया जा सकता है।

(दो) जहां कहीं आवश्यक समझा जाए, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कार्य को एक अलग प्रशासकीय ढांचे को सौंपा जाए।

(तीन) संवेदनशील जिलों में जहां पर अनुसूचित जातियों/जनजातियों के विरुद्ध बड़े पैमाने पर अत्याचारों का पूर्व इतिहास हो, अपर जिला मजिस्ट्रेट के विद्यमान पद को अनुसूचित जतियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मामलों का अनन्य रूप से प्रभारी पद नामित किया जाए। समुचित मामलों में अपर जिला मजिस्ट्रेट के एक पूर्णकालिक पद का भी सृजन किया जाए। वह अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी योजनाओं तथा कार्यक्रमों का निरीक्षण तथा समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा हेतु कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी होगा। अनुसूचित जाति/अनुसचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों तथा अत्याचारों की जांच जैसे अनुवर्ती कार्रवाई के कार्य में अतिरिक्त पुलिस उप-अधीक्षक के नेतृत्व में उचित स्तर के अधिकारियों द्वारा उसकी सहायता की जाए।

(चार) जब भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध अत्याचारों की कोई घटना हो, स्थानीय अधिकारियों को घटना स्थल की शीघ्र दौरा करने और शीघ्र कानूनी प्रक्रिया शुरू करने के लिए जिम्मेदार बनाया जाए। गंभीर अत्याचारों के मामलों में पुलिस उपाधीक्षक जैसे को भी घटना के 24 घन्टे से लेकर 48 घन्टे के भीतर स्वयं दौरा करना चाहिए।

(पांच) मामलों की जांच में अत्याधिक निष्पक्षता तथा उन पर अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए, जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक, जिला कल्याण अधिकारी और अन्य संबंधित जिला अधिकारियों तथा जनता के पांच व्यक्तियों को सदस्य के रूप में लेते हुए एक सतर्कता तथा मानीटरिंग समिति नियुक्ति की जानी चाहिए। इनमें अधिकांश लोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के होने चाहिए। अपर जिला मजिस्ट्रेट (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) जहां कहीं निर्दिष्ट अथवा नियुक्त है, को समिति का सदस्य-सचिव बनाया जाना चाहिए, इस

समिति की यह देखने की जिम्मेदारी होगी कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचारों के मामलों की जोरदार ढंग से पैरवी हो तथा उन्हें न्यायालय के समक्ष लाया जाए।

(छः) अनुसूचित जातियों/जनजातियों के विरुद्ध अत्याचारों से संबंधित मामलों की शीघ्र जांच सुनिश्चित करने हेतु, विशेषकर संवेदनशील जिलों में, मंडल/जिला स्तर पर विशेष जांच प्रकोष्ठ खोले जाएं।

(सात) सरकार को न्यायालयों में मुकदमों की पैरवी कर्मठता से करनी चाहिए तथा सत्रीय परीक्षणों के रूप में इनके शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने हेतु दैनंदिन आधार पर इनकी सुनवाई के भरसक प्रयास किए जाएं।

(आठ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों पर बहुत से अत्याचार तो भूमि-विवादों से पैदा होते हैं। अतः भूमि के मामलों के शीघ्र निपटान के तरीकों का अवश्य पता लगाया जाना चाहिए। इसी प्रकार विभिन्न न्यायालयों में लंबित भूमि विवादों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जानी चाहिए।

(नौ) अत्याचार के मामलों की जांच का उत्तरदायित्व सामान्यतः पुलिस-तंत्र में निहित होना चाहिए तथा उसका निकट पर्यवेक्षण जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में निगरानी तथा मानिटरिंग समिति द्वारा किया जाना चाहिए।

(दस) समुचित मामलों में, अपने कर्त्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करने के लिए किसी लोक सेवक के विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश का प्राधिकार उक्त समिति के पास होना चाहिए जैसा कि अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में निर्धारित किया गया है। ऐसे मामलों में, खास तौर से मामले की जांच का कार्य जिला पुलिस से भिन्न किसी अन्य जांच एजेंसी जैसे सतर्कता ब्यूरो, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, राज्य अपराध जांच विभाग आदि को सौंपा जाए ताकि यह विश्वास पैदा हो सके कि अपराधी को बचाया नहीं जाएगा।

(ग्यारह) ऐसे मामलों के अभियोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा अभियोजकों का एक पृथक पैनल नियुक्त किया जाए।

श्री श्रवण कुमार पटेल : अधिकतर यह देखा गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार मुख्यतः सेक्स अपराधों के रूप में महिलाओं पर किये जाते हैं, उदाहरण के लिए, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के होशिंगाबाद जिले में महिलाओं पर अत्याचार किए गए थे। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार दण्ड-विधि को और अधिक सख्त तथा निवारक बनाने के लिए क्या कदम उठा रही है विशेष रूप से जबकि इन अपराधों की शिकार निर्दोष महिलाएं भी हों और जबकि अपराधी सरकारी कर्मचारी हों, विशेष रूप से पुलिस विभाग तथा वन विभाग के अधिकारी हों।

[हिन्दी]

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, जहां तक अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर अत्याचारों का प्रश्न है, इस सिलसिले में प्रधानमंत्री जी ने सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों का एक

सम्मेलन बुलाया था। उस सम्मेलन में इन लोगों पर अत्याचार की घटनाएं कम करने के लिए, अत्याचार उन्मूलन के लिए, यह निर्णय लिया गया था कि 31 मार्च, 1992 तक सभी मुख्यमंत्री अपने-अपने प्रदेशों में, इसे विशेष दृष्टि से या विशेष अपने अधिकार के अंतर्गत समझकर, हरिजनों, आदिवासियों और बहनों पर होने वाले अत्याचारों की रोकथाम के लिए आवश्यक व्यवस्था करें।

[अनुवाद]

श्री श्रवण कुमार पटेल : महोदय, मैं और अधिक कड़े दण्ड प्रावधानों के बारे में जानना चाहता था।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक विधि का संबंध है, हमारे यहां इसकी एक अलग प्रक्रिया है। हम प्रश्न काल में इस पर विचार नहीं करते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी ने सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों का जो सम्मेलन बुलाया था, यहां आपने जो 16 घटे का डिस्कशन एलाव किया था, उसमें प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने एश्योरेंस दिया था कि हम शीघ्र ही मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलायेंगे, और अत्याचारों को रोकने के लिए कार्यवाही करेंगे, उसी के परिणामस्वरूप वह मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया गया था। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जो 16 घण्टे की डिस्कशन एलाव की थी, वह त्सुंदूर की घटना को लेकर डिस्कशन एलाव की थी। उसमें सरकार की ओर से कैटेगरीकली कहा गया था कि हमने वहां पर स्पेशल कोर्ट्स निर्माण करने के आदेश कर दिये हैं और वहां पर स्पेशल कोर्ट चल रहा है। आपने भी अपने जवाब में, मंत्री जी, कहा था कि प्रिवेन्शन आफ एट्रोसिटीज ऐक्ट, 1989 के मुताबिक स्पेशल कोर्ट्स के निर्माण का प्रावधान है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब वहां स्पेशल कोर्ट्स का निर्माण हो चुका है तो क्या वह काम कर रहा है। यदि काम कर रहा है, तो उसकी प्रगति क्या है?

श्री सीताराम केसरी : उसमें सिर्फ त्सुंदूर की घटना ही शामिल नहीं है, उसके साथ-साथ अन्य अत्याचारों की घटनाएं भी शामिल हैं, जिन्हें रोकने के लिए सम्मेलन बुलाया गया था। आपका प्रश्न ठीक है लेकिन और जगहों पर भी जो घटनाएं हुई, हमने 1989 के प्रिवेंशन ऐक्ट के अंतर्गत, जहां भी इस तरह की घटनाएं घटीं या नृशंस हत्याएं हुई, आदिवासियों, अनुसूचित जाति/जनजाति या निर्बल वर्ग के लोगों पर अत्याचार की घटनाएं हुई, उन सभी के लिए, इसमें केवल प्रावधान ही नहीं है, बल्कि उसे इंटेन्सिफाई करने के लिए, उस कान्फरेंस में तय करके हमने सभी मुख्यमंत्रियों को यह हिदायत दी कि वे अपने राज्यों में विशेष न्यायालय बिठायें। जहां तक मुझे खबर है, उसके आधार पर, आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने यहां विशेष न्यायालय बिठाया है। उसकी प्रगति क्या है, वह हम प्रदेश सरकार से मंगवा कर, आपके सामने उपस्थित कर देंगे।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, आप हमें संरक्षण दीजिये। मेरा छोटा-सा सवाल है कि 6 अगस्त को वहां घटना हुई और 7 अक्तूबर को हम लोग वहां गये थे। वी० पी० सिंह जी भी गये थे। वहां 7 तारीख तक कोई स्पेशल कोर्ट नहीं बना था। अब स्पेशल कोर्ट का मतलब क्या है, आप क्या लेते हैं, यदि जनरल कोर्ट और स्पेशल कोर्ट में कोई अंतर ही न हो तो स्पेशल कोर्ट के गठन का कोई मतलब ही नहीं रहता है, हमारा परपज ही सोल्व नहीं होता है।

इसके अतिरिक्त ऐक्ट और फैक्ट्स में जमीन आसमान का अन्तर होता है। शैड्यूल्ड कास्टस और दूसरे निर्बल वर्ग के लोगों की रक्षा के लिए अनेक कानून बने हैं मगर उनको इम्पलीमैंट करने के लिए, उनकी रक्षा के लिए वास्तव में कितना काम हुआ है, वह देखने की बात है। यह मंत्री जी यहां बैठे हैं, यदि उनके पास फीगर्स या जानकारी नहीं है तो वे अपने अधिकारियों से मालूम करके बतायें कि क्या वहां स्पेशल कोर्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं सदन में आपके द्वारा दिए गए जवाब को गलत कहता हूं और बताता हूं कि वहां कोई स्पेशल कोर्ट काम नहीं कर रहा है। यदि कोई स्पेशल कार्ट कहीं काम कर रहा होगा तो आपके आफिस में बैठ कर काम करता होगा। इसलिए आपको पहले वास्तविकता का पता करना चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं, उन्होंने जवाब दिया है। इसमें रिपीट करने की क्या बात है।

(व्यवधान)

श्री सीताराम केसरी : हम यहां उन लोगों की सेवा के लिए ही बैठे हुए हैं और इस दिशा में अगर हम आपको प्रोपर उत्तर न दें तो यह ठीक नहीं लगता और यहां से संदेश भी ठीक नहीं जायेगा। आप जैसा कह रहे हैं कि वहां अभी तक स्पेशल कोर्ट नहीं बैठाया गया है, मैं इसकी छानबीन करूंगा। दूसरी बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर वहां कोई स्पेशल कोर्ट नहीं है, अगर काम नहीं कर रहा है तो चूंकि हमने 5 अक्तूबर को जो मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ था, उसमें यह निर्णय हो चुका है, इसलिए उस निर्णय को क्रियात्मक रूप देने में हम सक्षम हैं और हम प्रदेश सरकार को कहेंगे कि इमीडिएटली यह बताएं कि यदि न्यायालय कुछ नहीं कर रहा है, बैठा हुआ है, तो हम उसको क्रियात्मक रूप देना चाहेंगे कि वह एक्शन ले। अगर नहीं लेता, तो फिर उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है।

[अनुवाद]

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : महोदय, माननीय मंत्री द्वारा दिए गए गए उत्तर में यह स्पष्ट कहा गया है कि राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की सेवाओं में रिक्त आरक्षित पदों को 31 मार्च, 1992 तक भर दिया जाएगा।

क्या मैं, माननीय मंत्री से पूछ सकता हूं कि केन्द्रीय और राज्य सरकार सेवाओं में जो आरक्षित पद 31 मार्च, 1992 तक भरे जाने थे, उनके नवीनतम आंकड़े क्या हैं ? दूसरे सरकार ने यह भी कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त है जिन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को संरक्षण देने के अपने कर्त्तव्य की जानबूझकर उपेक्षा की है। यह अधिनियम, 1990 से लागू है। मैं जानना चाहूंगा कि इन दो वर्षों में इस अधिनियम के तहत कितने अधिकारियों को दंड दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : इसमें आंकड़ों में सूचना देनी है। अगर मंत्री के पास जानकारी है; तो वे उत्तर दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, जहां तक बैकलॉग का सवाल है, उस सम्मेलन में यह

निर्णय हो चुका है कि 31 मार्च, 1992 तक उसको पूर कर देंगे । इसलिए मैं अपने माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि जब सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ और उसमें एक सब कमेटी बनी, उस सब-कमेटी में बिहार के मध्य प्रदेश के और महाराष्ट्र के अनेक मुख्यमंत्री थे और उसके बाद निर्णय लिया गया, तो उनके निर्णय पर हमें भरोसा करना होगा ।

श्री राम विलास पासवान : आप अपना निर्णय बताइए, केन्द्रीय सरकार का निर्णय बताइए ?

श्री सीताराम केसरी : सेंट्रल गवर्नमेंट का भी वही निर्णय है, जो उनका है । जब 31 मार्च, 1992 तक सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में निर्णय होता है, तो वह सभी पर एप्लाई करता है । इसीलिए 31 मार्च, 1992 तक यह पूरा किया जाएगा ।

श्री राम विलास पासवान : मंत्री जी आपको मालूम ही नहीं है कि बैकलॉग कितना है, तो आप पूरा कैसे करेंगे ?

श्री सीताराम केसरी : हमको मालूम है, हम अभी बता सकते हैं कि बैकलॉग कितना है । (व्यवधान)

श्री सीताराम केसरी : इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर आप बीच-बीच में बोलकर कन्फ्यूजन क्रिएट मत करिए । मैं माननीय अध्यक्ष के द्वारा आपको बोल रहा हूं । मेरा कहना यह है कि जहां तक बैकलॉग का प्रश्न है, 31 मार्च, 1992 तक उसको पूरा किया जाना है ।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, आप तो जज रहे हैं, आप ही बताइए यह 31 मार्च, 1991 तक कैसे पूरा होगा जबकि एक लाख से अधिक पोस्टें वैकेंट हों, तो उनको ये कैसे भरेंगे । पहले एडवटाईजेमेंट निकलेगा, तभी तो बहाली होगी । कोई जादू-मंतर थोड़े ही है कि छू-मंतर किया और पोस्टें भर गई ?

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, यह जादू-मंतर है । आपको 31 मार्च, 1992 तक तो देखना ही पड़ेगा । 31 मार्च, 1992 के बाद आप पूछ सकते हैं कि सरकार ने वायदा किया था और मुख्यमंत्रियों ने यह पूरा नहीं किया, आप यही कहेंगे । मैं आपके माध्यम से मान्यवर इनको यह संदेश भी देना चाहता हूं । जहां तक 1989 के अन्तर्गत प्रावधान है कि कानून के अन्तर्गत किन-किन को दंड देना चाहिए, माननीय सदस्य ने पूछा कि क्या आज तक किसी अफसर को कोई दंड दिया गया है, यह जानकारी मैं आपको दूंगा मगर एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आवश्यकता पड़ी तो इसमें संशोधन लाकर ऐट्रोसिटीज पर रोक लगा सकेंगे ।

श्री राम विलास पासवान : रिजर्वड लोगों के लिए लैजिसलेशन के बारे मे क्या हुआ ? आपने पिछले सेशन में कहा था कि हम कानून बनाएंगे ।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, 1988 में त्रिपुरा में हुई उजान मैदान घटना पर विशेष आयोग की रिपोर्ट अभी आई है । कुछ महिला संगठनों द्वारा लगाया गया आरोप कि असम राइफल्स के जवानों ने उजान मैदान की आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार किया था । सत्य सिद्ध हुआ है । मैं सरकार से जानना चाहती हूं कि क्या मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में इस विषय

पर चर्चा हुई थी और क्या यह निर्णय लिया गया कि दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगी ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : अगर इस पर चर्चा नहीं हुई, तो उसके क्या कारण थे ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सीताराम केसरी : चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में सम्पूर्ण रूप से यह प्रश्न आया था, कोई इनडिवीजुअल केस नहीं आया था। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि पर्टीकुलर केस नहीं आया था मगर आप सूचित करेंगे तो हम इस पर एक्शन की बात करेंगे।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मैं मंत्री से तथा सरकार से इस संबंध में कार्यवाही करने का अनुरोध करूंगी।

[हिन्दी]

श्री नन्दी येलैया : अनुसूचित जाति और जनजाति के अत्याचार को रोकने के लिए अभी हमारे मंत्री जी बता रहे थे कि हाल ही में मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आज तक जितनी ऐट्रोसिटीज हर स्टेट में हो रही हैं, उसे रोकने के लिए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में कौन से सुझाव हैं ?

श्री सीताराम केसरी : इस सिलसिले में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में जो भी निर्णय हुआ है वह आपके सामने है।

[अनुवाद]

श्री बूटा सिंह : महोदय, सर्वप्रथम मैं राष्ट्रपति जी के माध्यम से सरकार को भेजे गए ज्ञापन का पालन करने के लिए सरकार की और विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहता हूं। लगभग 106 संसद सदस्यों ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे और सरकार ने इस पर गंभीरता से विचार किया। मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। माननीय प्रधानमंत्री ने सभा को भी आश्वासन दिया था कि राष्ट्रीय एकता परिषद् भी इस मुद्दे पर विचार करेगी। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय एकता परिषद में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं की गई। जब भी अगली बैठक होगी ···(व्यवधान)··· मैं उस विषय पर आ रहा हूं। मुझे विश्वास है कि जब भी अगली बैठक होगी, हरिजनों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों से संबंधित इस मुद्दे पर पर भी चर्चा होगी। इस संबंध में, मैं एक विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री ने अभी सभा को यह सूचना दी है कि मार्च, 1992, तक सभी रिक्त आरक्षित पद भर दिए जाएंगे और अत्याचार अधिनियम, 1989 को सख्ती से लागू किया जाएगा। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे सभा से सूचित करें कि सरकार द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई गई है और सरकार अब तक क्या कार्यवाही कर चुकी है ? क्या वह सभा को सूचित करेंगे कि इस संबंध में कौन से कदम उठाए गए हैं ?

[हिन्दी]

श्री सीताराम केसरी : जिन-जिन जगहों पर इस तरह की नृशंस हत्या की घटनाएं घटी हैं,

जहां तक स्थानीय सरकार से मुझे सूचना मिली है उन्होंने बहुत सतर्कता से इस पर एक्शन लिया है। उसके लिए जो नई योजनाएं बनी हैं उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि जो सैनसिटिव ऐरियाज हैं जिन जगहों पर इस तरह की घटनाओं की संभावना है उसके लिए उन्होंने एक कमेटी भी बनाने का प्रावधान किया है। डिस्ट्रीक्ट मजिस्ट्रेट, एस० पी० या वहां के वेलफेयर के जो इंचार्ज हैं, इन सभी लोगों की एक कमेटी होगी। जब कभी इस तरह की घटना की संभावना हो तो वहां पर इपीजियेटली प्रिकाशन लिया जा सकता है। ऐसी जगहों पर जो कलैक्टर, एस० पी० या सभी सरकारी कर्मचारियों के संबंध में मैं नहीं कह सकता कि वह सैक्युलर नहीं है। किसी-किसी तरह की विशेषता होती है, तो ऐसी विशेषता वाले अफसरों को वहां पर नियुक्त किया जाए जो किसी भी धार्मिक या सामाजिक विषमता से प्रभावित न होकर के वहां पर उचित कार्यवाही करें, यह स्पष्ट प्रावधान है। जहां भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो स्थानीय सरकार उस पर एक्शन लेती है।···(व्यवधान)

श्री बूटा सिंह : भारत सरकार ने बैकलाग के बारे में क्या किया।

श्री सीताराम केसरी :···(व्यवधान) मैं आपको बताना चाहता हूं कि बैकलाग नहीं रहेगा, अगर आवश्यकता रहेगी तो कानून लाया जायेगा···(व्यवधान) इस समय हमारे पास फीगर्स नहीं हैं, हम आपको भेज देंगे।

[अनुवाद]

श्री बूटा सिंह : महोदय, हम इस मुद्दे पर बहस नहीं करना चाहते हैं। हमें पक्का विश्वास है और हमें पूरी आशा है कि माननीय मन्त्री जी सफल होंगे। किंतु मैं माननीय मन्त्री जी से 1992 तक बकाया रिक्त पदों पर नियुक्ति करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाए गए ठोस कदमों के बारे में जानना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री सीताराम केसरी : प्रधान मंत्री जी ने मुख्य मंत्रियों का जो सम्मेलन बुलाया था, वह इस बात का प्रमाण है कि केन्द्र सरकार कितनी सीरियस है बैकलाग को खत्म करने के लिए, यह साक्षात प्रमाण हैं।·· (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बूटा सिंह : महोदय, मैं हाथ जोड़ कर आपको संरक्षण देने का निवेदन करता हूं। ···(व्यवधान) मेरा प्रश्न बहुत भिन्न है। मेरा प्रश्न है कि भारत सरकार जो सबसे बड़ी नियोक्ता है; उसने स्वयं क्या कदम उठाए हैं -- राज्य सरकारों की बात मत करिए, हम जानते हैं कि आप उनकी खिचाई करेंगे, किंतु महोदय केन्द्रीय सरकार ने बकाया रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बूटा सिंह जी, उन्होंने बताया है कि प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर लेकर के उसको कार्यान्वित करेंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव : अध्यक्ष जी, मैं मन्त्री महोदय की भावनाओं और इरादों का आदर करता हूं। प्रश्न यह है कि अच्छी भावना और अच्छे इरादे होते हुए वास्तविकता यह है कि इन

स्थानों की पूर्ति नहीं हो रही है। स्व० प्रधान मंत्री श्री राजीव जी ने 89 के पहले पता लगाया था कि बिहार प्रदेश में 76 हजार एस० सी० एस० टी० के स्थान पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा था कि हम पूरा करना चाहते हैं, लेकिन नेक इरादे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार इन स्थानों की पूर्ति के लिए स्वयं और राज्य सरकारों से भी कहेगी कि स्पेशल रिक्रूटमेंट किया जाए। स्पेशल प्रोसीजर बनाकर तीन चार महीनों तक सामान्य प्रक्रिया से पूरा नहीं हो सकता। क्या स्पेशल रिक्रूटमेंट करके इन जगहों की पूर्ति भारत सरकार स्वयं करेगी और राज्य सरकारों को हिदायत देगी।

श्री सीताराम केसरी : 31 मार्च तक की जो टाइम लिमिट दी गई है, यदि उस समय तक यह पूरा नहीं किया गया तो मैंने हाऊस के सामने यह स्पष्ट किया है कि स्पेशल रिक्रूटमेंट किया जायेगा यदि इस समय तक बकाया रिक्तियों को नहीं भरा गया तो कानून भी लाने का विचार कर रहे हैं।

[अनुवाद]

बाबरी मस्जिद तथा राम जन्म भूमि का मुद्दा

*45. **श्री पी० सी० थामस**† :

श्री रवि राय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद ढांचे को 30 अक्तूबर, 1991 को कुछ व्यक्तियों द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) मस्जिद के ढांचे की सुरक्षा तथा बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि मुद्दे को सदभावना-पूर्वक हल करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) गृह मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 31-10-91 को कुछ लोगों ने अपने देवताओं के "दर्शन" करने के लिए जाते समय राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद के बाहरी ढांचे की दीवार को बाहरी तरफ से कुछ क्षतिग्रस्त कर दिया था। बताया गया है कि इन लोगों ने अपने हाथ में लिए हुए त्रिशूलों द्वारा ढांचे को क्षति पहुंचाई। घटना के बाद सरकार ने सुरक्षा नियंत्रण संबंधी उपाय कड़े कर दिये हैं। विवादित ढांचे की सुरक्षा के बारे में केन्द्र सरकार चिन्तित है और उन्होंने अपनी चिन्ता के बारे में राज्य सरकार को सूचित कर दिया है तथा उनसे अनुरोध किया है कि वे इसकी सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करें। इस मामले पर राष्ट्रीय एकता परिषद की 2-11-91 को हुई बैठक में भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री ने परिषद को स्पष्ट आश्वासन दिया कि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के ढांचे की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार पूरी तरह जिम्मेदार होगी।

श्री पी० सी० थामस : महोदय, उप-चुनावों के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री की पार्टी के मुख्य मन्त्री के आश्वासन के बाद भी खुले तौर पर यह घोषणा की थी कि वे मस्जिद के स्थान पर मन्दिर का निर्माण करेंगे। मन्दिर बनने के पश्चात् पहले से स्थित इमारत की देख-रेख नहीं

की जा सकती। मैं माननीय गृह मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यदि इस आश्वासन का पालन न किया गया तो सरकार क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव रखती है।

श्री एस० बी० चव्हाण : महोदय, चुनाव भाषणों के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने जो कहा था उसकी सरकार को कोई जानकारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने यह आश्वासन केवल राष्ट्रीय एकता परिषद को ही दिया था अपितु उच्चतम न्यायालय में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो शपथ-पत्र भरा था वह भी इस स्थिति की पुष्टि करता है। इसीलिए मेरे विचार में यह प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री पी० सी० थामस : महोदय, भारत में धर्म निरपेक्षता के पालन के कई बड़े उदाहरण हैं। उदाहरणार्थ, केरल में इरियेली में यही समय है जब लाखों लोग साबरीमाला जाते हैं। ये तीर्थ यात्री साबरीमाला जाने से पहले मस्जिद में जाकर शीश नवाते हैं। (व्यवधान) अतः, जब हमारे लोग राम जन्म भूमि के लिए झगड़ रहे हैं तो क्या सरकार धर्मनिरपेक्षता के इस सुस्पष्ट उदाहरण का पर्याप्त प्रचार करेगी?

अध्यक्ष महोदय : सरकार ऐसा अवश्य करेगी।

श्री एस० बी० चव्हाण : महोदय, मेरे साथी, माननीय सूचना और प्रसारण मन्त्री जी यहां पर बैठे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि वे इस बात पर गौर करेंगे।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार का यह संवैधानिक कर्त्तव्य है कि वह मस्जिद की रक्षा करे। मन्त्री महोदय को यह तो मालूम ही है कि पिछले साल मस्जिद की रेलिंग को तोड़ दिया गया था। कोर्ट की हिदायत थी कि इस रेलिंग की मरम्मत की जाये लेकिन सरकार अभी तक उसकी मरम्मत कराने में असफल रही है। अभी मन्त्री महोदय ने आउटर मास्क के बारे में कहा है लेकिन हमारी जानकारी के अनुसार इन्नर एरिया में भी नुकसान पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के कानून मन्त्री जी बाकायदा वहां गये हैं और उनका कहना है कि···

[अनुवाद]

यदि आवश्यक हुआ, तो इस संदर्भ में सरकार कानून लागू करेगी।

[हिन्दी]

उन्होंने डिस्प्यूटिड एरिया में मन्दिर बनाने की भी बात कही है। क्या मन्त्री महोदय हमें इस बात का आश्वासन देंगे बावजूद उत्तर प्रदेश के मन्त्री के इस कथन के, कि वहां मस्जिद को कतई नुकसान नहीं पहुंचेगा।

[अनुवाद]

श्री० एस० बी० चव्हाण : महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उच्चतम न्यायालय में भरे गए शपथ-पत्र के अनुसार स्थिति यह है।

श्री ई० अहमद : हमें इस पर विश्वास नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना की है।

श्री एस० बी० चव्हाण : इसमें आपके या मेरे विश्वास की बात नहीं है। उच्चतम न्यायालय

में शपथ-पत्र भरने के पश्चात् वे इसके प्रति वचनबद्ध हैं। मेरे विचार से हम किसी पूर्वानुमान के आधार पर, कि ऐसा नहीं होने जा रहा, कोई कदम नहीं उठा सकते···(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्पष्ट सवाल पूछा था कि उत्तर प्रदेश के कानून मन्त्री का बयान सामने है तो मैं मन्त्री महोदय से······

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे उसी पर भरोसा कर रहे हैं जो राष्ट्रीय एकता परिषद में कही गई थी।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : इस बारे में उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। यह अभी का हवाला दे रहे हैं···(**व्यवधान**)···लेकिन मैं मन्त्री के बयान की तरफ इनका ध्यान खींचना चाहता हूं। मैं उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री श्री ओम प्रकाश के बयान की तरफ उनका ध्यान खींचना चाहता हूं।

(**व्यवधान**)

श्री एस० बी० चव्हाण : उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ने यह बयान देते हुए भी जो एफीडेविट उनका कोर्ट के अन्दर है, उसके खिलाफ अगर कोई भी बयान देंगे, हो सकता है कि कोई पब्लिसिटी वैल्यू उसकी हो या न हो लेकिन कोर्ट का एफीडेविट जो है, वह हमारे लिए बंधनकारक है और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश शासन इसके बारे में, जो एफीडेविट उन्होंने दिया है, उस पर बराबर अमल करेगा, ऐसा गवर्नमेंट आफ इंडिया को विश्वास है। (**व्यवधान**)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में आतंकवादियों का खतरा

*46. **श्री शंकर सिंह वघेला** :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में बढ़ते हुए आतंकवादी खतरे का कोई आकलन कराया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस स्थिति से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श से कोई कार्य योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) आतंकवाद के खतरे का मुकाबला करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस और आसूचना तंत्र तथा गश्त को सुदृढ़ करने जैसी कार्रवाई कर रही है।

भारत सरकार राज्य सरकार के साथ निकट सम्पर्क बनाए हुए है और सभी संभव सहायता दी जा रही है।

[हिन्दी]

कुटीर ज्योति योजना

*47. श्री अर्जुन सिंह यादव :
श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में जिलेवार कितने गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है और अभी कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जाना शेष है;

(ख) इन जिलों में किन-किन स्थानों पर "कुटीर ज्योति योजना" क्रियान्वित की गई है; और

(ग) भविष्य में उपरोक्त जिलों में किन-किन गांवों में यह योजना क्रियान्वित की जानी है ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 31-3-1991 की स्थिति के अनुसार जिलेवार विद्युतीकृत गांवों तथा जिन गांवों का अभी तक विद्युतीकरण नहीं किया गया है, इनकी संख्या को दर्शाने वाला ब्योरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) "कुटीर ज्योति योजना" जिसका 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान केन्द्रीय अनुदान से वित्तपोषण किया गया था, के अधीन लाभ प्राप्त करने वाले गांवों का पता लगाने का कार्य संबंधित राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया था, जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है, समग्र राज्य में फैले हुए गांवों के लिए इस स्कीम के अन्तर्गत 2.17 लाख सिंगल प्वाइंट कनैक्शन मुहैया कराए जाने के लिए राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है। 31-3-1991 के बाद से उक्त स्कीम को जारी नहीं रखा गया है।

विवरण

क्र० सं०	जिला	गांव की कुल संख्या (जनगणना, 1981)	3/91 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गांव	1-4-91 की स्थिति के अनुसार जिन गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है
1	2	3	4	5
1.	सहारनपुर }	1700	1627	73
2.	हरिद्वार }			
3.	मुजफ्फरनगर	927	929	
4.	मेरठ	920	1039	

1	2	3	4	5
5.	गाजियाबाद	704	754	
6.	बुलन्दशहर	1365	1404	
7.	अलीगढ़	1704	1701	3
8.	मथुरा	867	867	0
9.	आगरा }			
10.	फिरोजाबाद }	1174	1121	53
11.	मैनपुरी	1371	1136	235
12.	एटा	1510	1088	422
13.	बिजनौर	2154	1659	495
14.	मुरादाबाद	2473	2223	250
15.	रामपुर	1092	807	285
16.	नैनीताल	1806	1784	22
17.	अल्मोड़ा	3019	2320	699
18.	पिथौरागढ़	2174	1316	858
19.	देहरादून	743	707	36
20.	उत्तरकाशी	669	596	73
21.	चमोली	1516	1075	441
22.	पौढ़ी गढ़वाल	3237	1846	1390
23.	टिहरी गढ़वाल	1953	1276	677
24.	बरेली	1901	1373	528
25.	बदायूं	1785	1362	423
26.	शाहजहांपुर	2124	1113	1011
27.	पीलीभीत	1198	757	441
28.	फर्रूखाबाद	1577	1386	191
29.	इटावा	1462	940	522
30.	कानपुर नगर }	1885	1204	681
31.	कानपुर देहात }			
32.	झांसी	759	513	246
33.	ललितपुर	683	320	363

1 2	3	4	5
34. जालौन	939	628	311
35. हमीरपुर	917	532	385
36. बान्दा	1207	741	466
37. इलाहाबाद	3514	3040	474
38. फतेहपुर	1349	1095	254
39. प्रतापगढ़	2185	1533	652
40. लखनऊ	899	916	
41. रायबरेली	1731	1749	
42. उन्नाव	1687	918	769
43. सीतापुर	2330	998	1332
44. हरदोई	1881	913	968
45. खेड़ी	1699	1275	424
46. फैजाबाद	2645	2165	480
47. गोण्डा	2809	1559	1250
48. बहराईच	1884	1335	549
49. सुल्तानपुर	2492	2396	96
50. बाराबंकी	2043	944	1099
51. वाराणसी	3662	2597	1065
52. मिर्जापुर 53. सोनभद्र	3024	1244	1780
54. जौनपुर	3245	2954	291
55. गाजीपुर	2540	2543	
56. बलिया	1920	1722	198
57. गोरखपुर 58. महाराजगंज	4110	2630	1480
59. देवरिया	3538	2265	1273
60. बस्ती 61. सिद्धार्थनगर	6929	3101	3828

1	2	3	4	5
62. आजमगढ़ 63. मऊ		4935	4528	407
	जोड़	112566	82565*	**30249

*इनमें गैर-वर्गीकृत गांव भी शामिल हैं।

**ये आंकड़े अनन्तिम हैं क्योंकि कालम 4 में कुछ गैर-वर्गीकृत गांवों को भी शामिल किया गया है।

[अनुवाद]

टिहरी बांध परियोजना

*48. डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :
श्री पीयूष तीरकी :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में आए हाल के विनाशकारी भूकम्प को ध्यान में रखते हुए टिहरी बांध परियोजना के सुरक्षा पहलुओं की पुन: जांच की है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) उक्त निष्कर्षों के संदर्भ में और क्या कदम उठाने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) टिहरी क्षेत्र में भूकम्पीयता संबंधी स्थिति के संदर्भ में टिहरी बांध की सुरक्षा के बारे में व्यक्त किए गए विचारों को ध्यान में रखते हुए, मार्च, 1990 मे सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समितियों द्वारा विभिन्न अध्ययन किए गए थे और टिहरी बांध की सुरक्षा की जांच की गई थी। उपर्युक्त समिति जिसमें संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ वैज्ञानिक एवं इंजीनियर शामिल थे, ने मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार करने और बांध स्थल के नीचे 15 कि० मी० की गहराई तक रिचटर स्केल पर 8+की अधिकतम तीव्रता के भूकम्प संबंधी परिदृश्य की परिकल्पना करने के बाद यह निष्कर्ष व्यक्त किया था कि यथा प्रस्तावित टिहरी बांध परियोजना सुरक्षित है। उन्होंने यह भी निष्कर्ष व्यक्त किया था कि टिहरी बांध परियोजना की आयोजना एवं डिजाइनिंग के दौरान कार्यस्थल में विद्यमान भूकम्पीयता संबंधी शक्यता के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले खतरों को ध्यान में रखा गया है और आवश्यक उपाय किये गये हैं। तथापि, मामला पुन: अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति-प्राप्त एक स्वतन्त्र भूकम्प विशेषज्ञ को जांच हेतु भेजा गया था। विशेषज्ञों की उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट और भूकम्प इंजीनियरिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई जानकारी सहित उपलब्ध साहित्य एवं संदर्भों की जांच करने के बाद उन्होंने सिफारिश की थी कि :

"चूंकि निर्णय किए जाने संबंधी प्रक्रिया में कदम-कदम पर रूढ़िवादिता विद्यमान है,

अत: कुल मिलाकर, भावी भूकम्पों से बांध को किसी प्रकार के खतरे की आशंका बेबुनियाद है।"

"मुझे यह सिफारिश करने में कोई संकोच नहीं है कि टिहरी परियोजना के लिए प्रस्तावित बांध स्थल, इस क्षेत्र की भूकंपीयता के संदर्भ में बिल्कुल सुरक्षित है।"

इस विषय में और आगे विचार करने और व्यक्त की गई विभिन्न निराधार आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा संबंधी पहलुओं की बारीकी से थांच करने के लिए खान विभाग द्वारा महानिदेशक, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया था। उक्त दल द्वारा बांध के डिजाइन को क्षेत्र की भूकम्पीय शक्यता की दृष्टि से सुरक्षित पाया गया था। उक्त दल के निष्कर्षों को खान विभाग ने स्वीकार कर लिया था।

गढ़वाल की पहाड़ियों में 20-10-91 को आए भूकम्प को रिचतर स्केल पर 6.1 के बराबर आंका गया था जबकि प्रस्तावित टिहरी बांध का डिजाइन इस प्रकार बनाया गया है कि यह रिचतर स्केल पर 8+ तीव्रता तक के भूकम्प को सह सके। हाल के भूकम्प से टिहरी बांध की निर्मित संरचनाओं अर्थात् हैड रेस सुरंग, व्यपवर्तन (डाइवरशन) सुरंग और बांध की नीव को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

चूंकि बांध के डिजाइन को इस क्षेत्र में सम्भावित अधिकतम तीव्रता के भूकम्प से सुरक्षित पाया गया है, अतः इसके सुरक्षा संबंध पहलुओं की पुन: जाच करने का प्रश्न नहीं उठता।

राजीव गांधी की हत्या की जांच

*49. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री राजीव गांधी की हत्या के बारे में की जा रही जांच में कुछ प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस हत्या के लिए जिम्मेदार अपराधियों और इसके पीछे यदि षडयंत्र हो तो, उसका पता लगाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) तारीख 27 मई, 1991 के कानूनी आदेश सं० 356 (ई) के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय के पदासीन न्यायाधीश, न्यायमूर्ति जे० एस० वर्मा की अध्यक्षता में तारीख 27 मई, 1991 को एक जांच आयोग गठित किया गया। आयोग के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :—

(क) क्या राजीव गांधी की हत्या को रोका जा सकता था; क्या इस संबंध में उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार किसी व्यक्ति ने लापरवाही बरती थी अथवा कर्तव्य की अवहेलना की थी;

(ख) यथा निर्धारित अथवा परिचालित सुरक्षा प्रणाली और व्यवस्था मे रही कमियां, जिनके कारण हत्या हुई।

उक्त पैरा के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में आगे की जाने वाली कारंवाई के लिए आयोग सुधारात्मक उपायों की सिफारिश भी कर सकता है। आयोग का वर्तमान कार्यकाल 31 दिसम्बर, 1991 तक है।

2. आयोग द्वारा 24 जून, 1991 की जांच आयोग (केन्द्रीय) नियम, 1972 के नियम 5 के उप-नियम (2) के उप खंड (ख) के अधीन एक अधिसूचना जारी की गई थी। इसके साथ-साथ कुछ व्यक्तियों को तत्रैव नियम 5 के उप-नियम (2) के उप खंड (क) के तहत नोटिस जारी किए गए। 12 अगस्त, 1991 को आयोग ने वर्मा जांच आयोग (प्रक्रिया विनियम) आदेश, 1991 नामक अपने प्रक्रिया विनियम को अधिसूचित किया। उसके बाद आयोग को प्राप्त शपथ-पत्रों की संवीक्षा की गई, उन पर कार्रवाई की गई।

3. आयोग द्वारा पहली सुनवाई 7 अक्तूबर, 1991 को की गई। उसके बाद 28 अक्तूबर, 1991, 11 नवंबर, 1991 तथा 16 नवंबर, 1991 को आयोग द्वारा तीन और सुनवाइयां आयोजित की गई। गवाहों के साक्ष्य रिकार्ड करने के लिए आयोग ने 2 दिसंबर, 1991 से आगे का समय निश्चित किया है।

4. तारीख 23 अगस्त, 1991 की अधिसूचना का० आ० सं० 545 (ई) के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम० सी० जैन के नेतृत्व में एक और जांच आयोग का गठन किया गया। इस जांच आयोग के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:—

(क) श्री पेरुम्बुदूर में श्री राजीव गांधी की हत्या संबंधी घटनाक्रम के और इस हत्या संबंधी सभी परिस्थितियां (न्यायमूर्ति श्री जे० एस० वर्मा के नेतृत्व में गठित जांच आयोग के विचारार्थ विषयों के अन्तर्गत आने वाले मामलों के अलावा)।

(ख) क्या हत्या करने के बारे में विचार करने, उसकी तैयारी करने तथा उसके लिए योजना बनाने के लिए कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों अथवा एजेन्सी जिम्मेदार थी, और क्या इस बारे में कोई षड्यंत्र था तथा यदि हां तो इसके बारे में पूर्ण विवरण।

5. आयोग अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को यथा-शीघ्र प्रस्तुत करेगा, परन्तु यह अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी।

6. आयोग ने तारीख 12 नवम्बर, 1991 को जांच आयोग (केन्द्रीय) नियम, 1972 के नियम 5 (2) के अधीन एक अधिसूचना प्रकाशित की है, जिसके अन्तर्गत व्यक्तियों, संस्थाओं, संगठनों, संस्थानों, प्राधिकारियों तथा जांच के मामलों से संबंधित सभी अन्य व्यक्तियों को कहा गया है कि वे आयोग को अधिसूचना में विनिर्दिष्ट मामलों से संबंधित तथ्यों/शपथ-पत्रों का एक विवरण 12 दिसम्बर, 1991 को अथवा उससे पूर्व प्रस्तुत करें। प्रख्यात व्यक्तियों, अधिकारियों, सरकारी एजेंसियों आदि को नियम के नियम 5 (2) (क) के अधीन अलग-अलग नोटिस शीघ्र ही जारी किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

असम के उग्रवादियों को विस्फोटक पदार्थों की सप्लाई

*50. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम के उग्रवादियों को बिहार के कोयला क्षेत्रों से विस्फोटक पदार्थों की सप्लाई की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) बोरी के दो पार्सल जिनमें डिटोनेटर्स थे, रेलवे सुरक्षा बल, गुवाहाटी द्वारा बरामद किए गए। अपराध की जांच-पड़ताल की जा रही है। राज्य सरकार, सेना तथा केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों के संगठनों के सहयोग से ऐसी गतिविधियों को नियंत्रित करने में लगी हुई है।

[अनुवाद]

दिल्ली में अपहरण की घटनाएं

*51. डा० ए० के० पटेल :
श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छह महीनों के दौरान दिल्ली में अपहरण के कितने मामले हुए हैं;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से कितने मामलों को सुलझा दिया गया है;

(घ) कितने अपहरणकर्ताओं को गिफ्तार किया गया है तथा कितने अपहृत व्यक्तियों को बचा लिया गया है;

(ङ) कितने मामलों में अपहृत व्यक्तियों के संबंधियों को फिरौती देनी पड़ी है और प्रत्येक मामले में कितनी-कितनी फिरौती देनी पड़ी;

(च) कितने मामलों में अपहरणकर्ताओं को पकड़ा नहीं गया है;

(छ) इसके क्या कारण हैं; और

(ज) भविष्य में ऐसे मामले न होने देने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (घ) पिछले 6 महीनों के दौरान (1 मई, 1991 से 31 अक्तूबर, 1991 तक) दिल्ली में अपहरण के 327 मामले हुए। इनमें से 88 मामलों को रद्द कर दिया गया है तथा 10 को लापता मामलों के रूप में फाइल किया गया है और शेष 229 मामलों में जांच-पड़ताल की गयी। इनमें से 38 मामलों में जांच-पड़ताल पूरी हो चुकी है, जिन्हें न्यायालयों में प्रस्तुत कर दिया गया। पुलिस अब तक 126 मामलों को हल कर चुकी है तथा 161 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर चुकी है।

(ङ) दिल्ली पुलिस ने बताया है कि केवल एक मामले में 2 लाख रुपए की फिरौती की राशि का भुगतान किया गया है।

(च) और (छ) सभी प्रयासों के बावजूद 131 मामलों में अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार नहीं किया जा सका।

(ज) किए गए उपायों में गहन गश्त लगाना, अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखना, दर्ज कराये गए मामलों की उचित ढंग से जांच करना तथा विशेष मामलों में पुरस्कार देना शामिल है।

नई दूरसंचार नीति

*52. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आत्रेय समिति की रिपोर्ट पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ख) नई दूरसंचार नीति तैयार करने के प्रश्न की जांच करने हेतु नियुक्त छः पैनलों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) महोदय, आत्रेय समिति की रिपोर्ट पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

(ख) नई दूरसंचार नीति अलग से तैयार की जा रही है। इसके लिए कोई औपचारिक पैनल नहीं बनाए गए हैं।

[हिन्दी]

रेडियो दूरदर्शन के माध्यम से विज्ञापन प्रसारण/प्रदर्शन संबंधी नियम और विनियम

*53. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन/रेडियो के माध्यम से विभिन्न कंपनियों के विज्ञापनों का प्रसारण प्रदर्शन करने संबंधी कोई नियम और विनियम हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का ऐसे विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का विचार है जिनका बच्चों पर बुरा असर पड़ता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) जी हां। वाणिज्यिक संहिताएं बनी हैं। बच्चों से संबंधित अंश जिनमें ऐसे विज्ञापनों के विषय में कार्रवाई करने के लिए सुरक्षात्मक उपाय निहित हैं, संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

विवरण

आकाशवाणी संहिता

विज्ञापन और बच्चे

18. किसी उत्पाद या सेवा के लिए ऐसा कोई विज्ञापन स्वीकार नहीं किया जाएगा जिसमें किसी भी रूप में यह जताया गया हो कि यदि बच्चे उस उत्पाद या सेवाओं को स्वयं नहीं खरीदेंगे या दूसरे व्यक्तियों को उसे खरीदने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो वे अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे होंगे या किसी विशेष व्यक्ति या संगठन के प्रति निष्ठावान नहीं होंगे।

19. ऐसा कोई विज्ञापन स्वीकार नहीं किया जाएगा जिससे बच्चों के मन में यह विश्वास पैदा हो कि यदि वे विज्ञापन किए गए उत्पाद को खरीदेंगे नहीं या इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वे किसी भी रूप में अन्य बच्चों के मुकाबले निकृष्ट हो जाएंगे या उत्पाद के उनके पास न होने से या उनके द्वारा इस्तेमाल न किए जाने से उनकी निन्दा की जा सकती है या उनकी हंसी उड़ायी जा सकती है।

दूरदर्शन संहिता

विज्ञापन और बच्चे

22. किसी उत्पाद या सेवा के लिए ऐसा कोई विज्ञापन स्वीकार नहीं किया जाएगा जिसमें किसी भी रूप में यह जताया गया हो कि यदि बच्चे उस उत्पाद या सेवाओं को स्वयं नही खरीदेंगे या दूसरे व्यक्तियों को उसे खरीदने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो वे अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे होंगे या किसी व्यक्ति या संगठन के प्रति निष्ठावान नहीं होंगे।

23. ऐसा कोई विज्ञापन स्वीकार नहीं किया जाएगा जिससे बच्चों के मन में यह विश्वास पैदा हो कि यदि वे विज्ञापन किए गए उत्पाद को खरीदेंगे नहीं या इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वे किसी भी रूप में अन्य बच्चों के मुकाबले निकृष्ट हो जाएंगे या उत्पाद के उनके पास न होने से या उनके द्वारा इस्तेमाल न किए जाने से उनकी निन्दा की जा सकती है या उनकी हंसी उड़ायी जा सकती है।

24. ऐसा कोई विज्ञापन स्वीकार नहीं किया जाएगा जो बच्चों की सुरक्षा को खतरे में डालता हो या उनमें अस्वस्थ आदतों में कोई रुचि जगाता हो जैसे सड़क के बीच में खेलना, खिड़की के बाहर खतरनाक तरीके से झुकना, माचिस और अन्य ऐसे पदार्थों से खेलना जिनसे दुर्घटना हो सकती हो।

25. बच्चों को भीख मांगते हुए या अशोभनीय मुद्रा में नहीं दिखाया जाएगा।

[अनुवाद]

संसद सदस्यों को मोटर कार के लिए मिलने वाले ऋण की राशि सीमा में वृद्धि

*54. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संसद सदस्यों को मोटर कार के लिए मंजूर किए जाने वाले ऋण की राशि सीमा में वृद्धि करने के प्रश्न पर कोई निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) इस प्रस्ताव पर सरकार द्वारा विचार किया गया और यह पाया गया कि इसे स्वीकार करना व्यवहार्य नहीं है।

बिजली का उत्पादन

*55. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय सभी स्रोतों से, राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार कुल कितनी बिजली पैदा की जा रही है;

(ख) क्या सरकार का आठवीं योजना के दौरान बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए नए बिजली संयंत्र स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो ये बिजली संयंत्र किन-किन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) अप्रैल, 1991-अक्तूबर, 1991 के दौरान राज्यवार/संघ शासित क्षेत्रवार/प्रणालीवार ऊर्जा उत्पादन कार्यक्रम एवं वास्तविक उत्पादन दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) और (ग) योजना आयोग द्वारा अभी आठवीं योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है । तथापि, "विद्युत संबंधी कार्यदल" की रिपोर्ट के अनुसार, आठवीं योजनावधि अर्थात् 1992-97 के दौरान 36645.7 मेगावाट क्षमता जोड़े जाने का प्रस्ताव है ।

विवरण

(आंकड़े मि० यू० में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र/ प्रणाली का नाम	अवधि	
	अप्रैल, 1991 लक्ष्य	अक्तूबर 1991 वास्तविक उत्पादन
1	2	3
भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड	7132	8530
दिल्ली	3749	3631
जम्मू एवं कश्मीर	2182	2152
हिमाचल प्रदेश	1568	1427
हरियाणा	1823	1881
राजस्थान	3509	4445
पंजाब	6249	5564
उत्तर प्रदेश	23574	25076
गुजरात	11110	11399
महाराष्ट्र	23479	23092
मध्य प्रदेश	18477	17896
आन्ध्र प्रदेश	16597	16590
कर्नाटक	7214	6929
केरल	3000	3135
तमिलनाडु	13478	13761
बिहार	2192	1478

1	2	3
उड़ीसा	3459	3703
पश्चिम बंगाल	7657	7933
दामोदर घाटी निगम	3808	2828
सिक्किम	32	21
असम	795	631
मेघालय	723	798
त्रिपुरा	103	72
मणिपुर	249	261

जम्मू व कश्मीर, पंजाब और असम में आतंकवादियों द्वारा अपहरण

*56. श्री मोरेश्वर सावे :
श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, अक्तूबर, 1991 तक क्रमशः जम्मू व कश्मीर, पंजाब और असम में आतंकवादियों द्वारा अपहृत किए गए लोगों की राज्यवार तथा वर्षवार संख्या क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उनके द्वारा छोड़ दिए गए/मारे गए बन्धकों की वर्षवार और राज्यवार संख्या क्या है;

(ग) प्रत्येक बन्धक को किन-किन शर्तों पर रिहा किया गया;

(घ) ऐसे बन्धकों की संख्या और नाम क्या हैं जो अभी भी उनके कब्जे में हैं; और

(ङ) सरकार ने शेष बन्धकों को आतंकवादियों से छुड़ाने और संवेदनशील क्षेत्रों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, अपहृत व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार से है :—

	असम	जम्मू और कश्मीर	पंजाब
1989	13	2	59
1990	105	169	411
1991 (अक्तूबर, 1991 तक)	95	256	304

अपहृत व्यक्तियों में से आतंकवादियों द्वारा असम में 33 व्यक्ति, जम्मू और कश्मीर में 112 व्यक्ति और पंजाब में 107 व्यक्ति मारे गए ।

(ग) से (ङ) आतंकवादी गिरोहों द्वारा अपहरण आमतौर पर विशिष्ट ग्रुपों जैसे आसूचना कार्मिकों, जम्मू और कश्मीर पुलिस कार्मिकों सहित अर्ध सैनिक बलों, राजनैतिक कार्यकर्ताओं और नेताओं, सूचना देने वाले संदिग्ध व्यक्तियों, आतंकवादियों के आदेशों को न मानने वाले कुछ लोगों को सताने और धन की लूट खसोट के लिए किया जाता है। ऐसा, जनता में डर पैदा करने या सीमा पार से उनके परामर्शदाताओं के कहने पर भी किया जाता है।

सरकार की नीति आतंकवादियों से निपटने और दबाव के आगे न झुकने की रही है, लेकिन अब तक लचीला दृष्टिकोण अपनाया गया। सरकार ने आतंकवादियों पर दबाव डाला है। हाल ही के अभियान में सेना, श्रीमती खेमलता वाखलु और उनके पति को आतंकवादियों के गिरोहों के चंगुल से छुड़ाने में सफल रही है। इसके अलावा यह सूचित किया गया कि सुरक्षा बलों द्वारा डाले गए दबाव और कुछ मामलों में स्थानीय जनता के दबाव से आतंकवादी गिरोहों द्वारा अपनी मांगों को मनवाने पर जोर दिए बिना ही, अपहरण किए गए कुछ व्यक्तियों को रिहा किया है।

सरकारी कर्मचारियों और भवनों की सुरक्षा के लिए वर्दी में और बिना वर्दी में पुलिस बलों को तैनात करके पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं और सशस्त्र गार्डों को भी निगरानी और सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है ताकि राज्य में तैनात कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

जम्मू और कश्मीर तथा असम मे बंधकों के बदले में रिहा किए गए 22 व्यक्तियों की सूची और आतंकवादियों के कैद में बंदी प्रमुख बंधकों की सूची विवरण-1 और विवरण-2 के रूप में भी संलग्न है।

विवरण-1

अपहरण के बदले में रिहा किए गए उग्रवादियों की सूची

जम्मू और कश्मीर

(i) सर्वश्री अब्दुल हमीद शेख
(ii) शेर खान
(iii) जावेद अहमद सरगर
(iv) नूर मो० कसवाल
(v) मो० अल्ताफ बट
(vi) अनन्तनाग का मुश्ताक अहमद खान
(vii) श्रीनगर का मो० अयूब खान
(viii) श्रीनगर का जावेद अहमद बेग
(ix) श्रीनगर का खुर्शीद अहमद बेग
(x) जोवेद अहमद शाला, आई० यू० एम० का उप-अध्यक्ष
(xi) अल्ताफ खान, प्रचार मुखिया, "इखवान-उल-मुसलीमीन (आई० यू० एम०)
(xii) गुलाम मो० मीर, एरिया कमाण्डर, बारामुल्ला

(xiii) मो० अल्तफ भट्ट, ग्राऊन्ड कमांडर, गजोगुड

(xiv) मो० असरफ हावा

(xv) पीर जफर अहमद, निवासी नोगांव

(xvi) निशार अहमद जोगी

असम

(i) सर्वश्री बोली मोत

(ii) गोबिन हजारिका

(iii) माधव दत्ता

(iv) हेमन्ता गोगोई

(v) शैलेन्द्र कुमार दत्ता

(vi) एम० एम० रहमान

विवरण-2

आतंकवादियों की कैद में बंदी प्रमुख बंधकों की सूची

जम्मू और कश्मीर

(1) श्री सिल्वा अन्तोनी, फ्रांसिसी राष्ट्रिक

(2) श्री के० सी० गुप्ता

(3) श्री तसद हुसैन देव

(4) श्री पूरन आनन्द शर्मा

(5) श्री साजिद साफी

(6) मीर नसरुल्लाह लसजन

असम

(1) श्री एस० के० तिवाड़ी

(2) श्री लोहित दास

(3) श्री रंजनी जस

(4) श्री सी० आर० मोहन्ती

(5) श्री कृष्णन लाल

(6) श्री सनक गुप्ता

[हिन्दी]

पिछड़े एवं अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर अत्याचार

*57. श्री फूल चन्द्र वर्मा : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले पांच महीनों के दौरान देश में पिछड़े एवं अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। कानून के अंतर्गत अपराधों की जांच की जाती है, परीक्षण किए जाते हैं तथा दंड दिए जाते हैं। कल्याण मंत्रालय में ऐसे अपराधों के समुदाय-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

क्षेत्रीय असन्तुलन को समाप्त करने के लिए विकास बोर्ड की स्थापना

*58. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में क्षेत्रीय असन्तुलन को समाप्त करने के लिए एक विकास बोर्ड स्थापित करने का विचार हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार का क्या अन्य उपाय करने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) संविधान के अनुच्छेद 371 (2) में विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र और सौराष्ट्र, कच्छ और शेष गुजरात के लिए पृथक विकास बोर्ड स्थापित करने के लिए राज्यपाल को विशेष जिम्मेवारी दी गई है। अभी तक कोई विकास बोर्ड स्थापित नहीं किया गया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा भेजा गया प्रस्ताव विचाराधीन है।

[अनुवाद]

बिजली संकट

*59. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश बिजली के भारी संकट से गुजर रहा है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों की मांग को पूरा करने के लिए बिजली का उत्पादन बढ़ाने हेतु राज्यवार क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) आठवीं योजना-अवधि के लिए कौन-सी योजना तैयार की गई है;

(घ) क्या देश में बिजली की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए कोई दीर्घकालिक नीतियां तैयार करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) अप्रैल, 1991—अक्तूबर, 1991 के दौरान देश में ऊर्जा की कमी लगभग 8.0 प्रतिशत थी।

(ख) देश में विद्युत उत्पादन की स्थिति में सुधार किए जाने हेतु किए जा रहे विभिन्न

उपायों में ये शामिल हैं :– पुराने यूनिटों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण करना, संयंत्र सुधार कार्यक्रमों को कार्यान्वित किए जाने के संबंध में बिजली बोर्डों को सहायता प्रदान करना, अपेक्षित गुणवत्ता वाला कोयला अपेक्षित मात्रा में सप्लाई करना, आपरेशन एवं मैंटेनेंस कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना और ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स को सुदृढ़ करना।

(ग) योजना आयोग द्वारा आठवीं योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) और (ङ) विद्युत के विकास हेतु दीर्घकालिक नीतियों में ये शामिल है :—(1) जल-विद्युत शक्यता के विकास में तेजी लाना, (2) ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स को सुदृढ़ करना, (3) कोयले की गुणवत्ता में सुधार किए जाने संबंधी प्रौद्योगिकी अपनाना, (4) कोयले की ढुलाई संबंधी साधनों में विविधता लाना, (5) विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना आदि।

रुद्रपुर में बम-विस्फोट

*60. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में रुद्रपुर में हुए बम विस्फोट में कितने व्यक्ति मारे गये थे और कितने घायल हुए थे;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई गिरफ्तारी की है; और

(ग) सरकार ने इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार रुद्रपुर में बम विस्फोट में 45 व्यक्ति मारे गए और 183 व्यक्ति जख्मी हुए।

(ख) जी नहीं श्रीमान्।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार स्थिति से निपटने के लिए अनेक उपाय किए हैं जैसे आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करना, प्रभावित क्षेत्रों में केन्द्रीय बल/पी० ए० सी० तैनात करना, संचार प्रणाली में सुधार करना, अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराना, बम निष्पादन दस्ता, इत्यादि का गठन करना। केन्द्र सरकार राज्य सरकार से सतत सम्पर्क बनाए हुए है और जब कभी आवश्यकता होती है राज्य सरकार को सभी संभव सहायता उपलब्ध करा रही है।

[हिन्दी]

सीमा सुरक्षा बल केन्द्र, हजारीबाग में भर्ती

432. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के हजारीबाग जिले के मेरू गांव में सीमा सुरक्षा बल का कोई केन्द्र है;

(ख) क्या इस केन्द्र में सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए हर महीने भर्ती की जाती है और प्रत्येक राज्य के लिए भर्ती का एक कोटा निश्चित है;

(ग) क्या स्थानीय निवासियों तथा विस्थापितों को चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती किया जाता है; और

(घ) क्या बल में जवानों और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती के समय उनके भर्ती संबंधी नियमों का पालन किया जाता है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग) सीमा सुरक्षा बल के लिए जवानों की भर्ती, प्रशिक्षण केन्द्र और स्कूल हजारीबाग द्वारा की जाती है, जब कभी भी भर्ती के लिए इस केन्द्र को रिक्तियां सूचित की जाती हैं ।

प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र के लिए रिक्तियों का कोई निश्चित कोटा नहीं है । लेकिन राज्य/संघ शासित क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र को रिक्तियां आवंटित की जाती हैं । इस प्रक्रिया से सीमा सुरक्षा बल में प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है और स्थानीय और विस्थापित व्यक्तियों के हितों की पूर्ति होती है ।

(घ) इन भर्तियों को शासित करने वाले नियमों और अनुदेशों का पालन किया जाता है ?

[अनुवाद]

दण्ड प्रक्रिया अधिनियम का उल्लंघन

433. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में दंड प्रक्रिया अधिनियम की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन किए जाने के पुलिस में कितने मामले दर्ज किए गए; और

(ख) राज्यवार कितने मामलों में मुकदमा चलाया गया और कितनों में अपराधियों को दंडित किया गया, कितने मामलों में अपराधियों को बिना दंड के रिहा कर दिया गया तथा कितने मामले अभी तक विचाराधीन हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 एक व्यवहारिक नियम है जिसमें प्रशासन की प्रक्रिया निहित है तथा वास्तविक दंड प्रक्रिया को मजबूत करता है ।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, "लोक आदेश" और "पुलिस" राज्य की सूची में शामिल हैं । अपराध को दर्ज करना, पता लगाना तथा उसकी जांच करना और अपराध की रोकथाम करना राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों की जिम्मेदारी है । मामलों को दर्ज करना, जांच पड़ताल करना, अभियुक्तों को गिरफ्तार करना तथा दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुरूप न्यायालयों में मामले दायर करना राज्य सरकारों का कार्य है । दंड प्रक्रिया संहिता की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन करने के मामलों के बारे में केन्द्रीय एजेन्सियों द्वारा सूचना एकत्र नहीं की जाती है ।

रांची में लंबित टेलीफोन कनेक्शन

434. **श्री गोबिन्द चन्द्र मुंडा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रांची, बिहार में टेलीफोन कनेक्शन के लिए कितने आवेदन लंबित हैं;

(ख) टेलीफोन कनेक्शनों के आवंटन में तेजी लाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान रांची में बारी से पहले आवंटित किए गये टेलीफोन कनेक्शनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान मंजूर किए गये अस्थायी टेलीफोन कनेक्शनों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) रांची, बिहार में टेलीफोन कनेक्शन के लिए 3862 आवेदन पत्र लंबित पड़े हैं।

(ख) आठवीं योजना के मसौदे के अनुसार आठवीं योजना के अंत तक शहरी क्षेत्रों की बड़ी प्रणालियों में प्रतीक्षा सूची को अधिकतम 2 वर्ष की अवधि तक सीमित रखने के उद्देश्य से और ग्रामीण क्षेत्रों में मांग होने पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(ग) 1-4-88 से रांची में बिना बारी के आधार पर 54 टेलीफोन कनेक्शन आवंटित किये गये हैं।

(घ) 1-4-88 से 182 अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किये गये हैं।

नगर निगम कोष से की जाने वाली जमाराशियों से संबंधित अनियमिततायें

435. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम के प्रधान लेखाकार ने नगर निगम के कोषों से 24 करोड़ रुपये की धनराशि भारतीय स्टेट बैंक के एक सहयोगी बैंक में जमा करने के संबंध में अनियमितताओं की जानकारी दी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह 1970 के दिल्ली नगर निगम के इस संकल्प का उल्लंघन करके किया गया था कि "नगर निगम के कोषों आदि के किसी खाते में पड़ा हुआ अधिशेष धन केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों में बराबर-बराबर हिस्सों में जमा किया जाये; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि चांदनी चौक की भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में आयुक्त के अनुमोदन से सामान्य भविष्य निधि से 20.26 करोड़ रुपया एक वर्ष की अवधि के लिए नगर निगम द्वारा 4-4-1990 को जमा कराया गया था। समयावधि पूरी होने

पर उसी बैंक में 23 करोड़ रुपया प्रधान लेखाकार के आदेशों पर दिनांक 4-4-91 को तीन महीने की अवधि के लिए पुनः जमा कराया गया था। दिनांक 4-7-91 को आयुक्त के आदेशों पर तीन महीने की अवधि के लिए जमा राशि का नवीकरण किया गया था। दिनांक 4-10-91 को आयुक्त के आदेशों पर उसी बैंक में जमा राशि की अगले तीन महीने के लिए फिर नवीकरण किया गया था। तत्कालीन प्रधान लेखाकार ने दावा किया है कि यह राशि स्टेट बैंक द्वारा एक सहायक कंपनी में रखी जा रही थी। इस दावे का बैंक द्वारा खंडन किया गया है जिसकी इसने लिखित रूप में पुष्टि की है कि जमा राशि को भारतीय स्टेट बैंक की चांदनी चौक की शाखा में रखा गया था। भारतीय स्टेट बैंक में पैसा जमा कराने में कोई अनियमितता नहीं बरती गई।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

अल्पसंख्यक आयोग के स्थान पर मानवाधिकार आयोग बनाना

436. **श्री राम नाईक** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अल्पसंख्यक आयोग के स्थान पर मानवाधिकार आयोग बनाने की मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह मांग केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है और इस पर निर्णय लेने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। अल्पसंख्यक आयोग को सांविधिक दर्जा देने का प्रस्ताव है।

"बैंकों में हेराफेरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, एक पकड़ा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

437. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 अक्तूबर, 1991 के जनसत्ता में "बैंकों में हेराफेरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, एक पकड़ा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि कीर्ति नगर, नई दिल्ली पुलिस ने बैंकों और डाकघरों में धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह को अपने जाल में ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस गिरोह द्वारा की गई धोखाधड़ी का ब्यौरा है क्या और इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) इस प्रकार के तत्वों को अपने जाल में लेने वाले अन्य पुलिस स्टेशनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पुलिस के इस जाल को और अधिक सशक्त बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि जनता के साथ किसी न किसी प्रकार की धोखाधड़ी करने वाले ऐसे अधिक से अधिक व्यक्तियों को इस जाल के अन्तर्गत लाया जा सके?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों में जातियों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता दिया जाना

438. **श्री धर्मभिक्षम** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य विशेष में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की मान्यता प्राप्त जातियों को समस्त भारत में मान्यता दिये जाने के लिए सरकार का संविधान संशोधन का विचार है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा विधेयक कब तक पेश किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एक समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न है। किसी जाति या समुदाय को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में अखिल भारतीय आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

पोर्ट ब्लेयर में स्टूडियो का निर्माण कार्य

439. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोर्ट ब्लेयर में दूरदर्शन कार्यक्रम तैयार करने वाले स्टूडियो का निर्माण कार्य आरंभ किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह काम कब आरंभ किया गया और इसको पूरा करने के लिए कौन-सी तिथि निर्धारित की गई है और उस पर कितना व्यय होगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां।

(ख) पोर्ट ब्लेयर में कार्यक्रम निर्माण सुविधा केन्द्र में संबंधित सिविल कार्य 1988 के शुरू में प्रारम्भ किया गया था तथा अब यह पूरे होने के अंतिम चरणों में है। इस परियोजना को मार्च, 1992 तक पूरा किये जाने का कार्यक्रम है। इस परियोजना में अब तक 196.95 लाख रुपये की धनराशि खर्च की जा चुकी है।

वर्ष 1991-92 के दौरान कर्नाटक में विद्युतीकृत किए गए गांव

440. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में विद्युतीकृत और गैर-विद्युतीकृत गांवों की जिलेवार संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान कर्नाटक में कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया;

(ग) क्या सरकार ने कर्नाटक के बीदर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए कोई सर्वेक्षण किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) कर्नाटक के कुल मिलाकर 27,024 गांवों में से सभी आबाद गांव, जिनकी संख्या 26,483 है और जिनका विद्युतीकरण किया जाना व्यावहारिक है, इनका मार्च, 1989 के अंत तक विद्युतीकरण कर दिया गया है। इस प्रकार कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड ने इस राज्य को शत-प्रतिशत विद्युतीकृत राज्य के रूप में घोषित कर दिया है। राज्य में जिलेवार विद्युतीकृत तथा गैर-विद्युतीकृत गांवों से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) उपरोक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए 1990-91 के दौरान कर्नाटक में किसी भी अन्य गांव का विद्युतीकरण नहीं किया गया।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार बीदर और गुलबर्ग जिले (बीदर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाले) के 1903 गांवों में से मार्च, 1989 के अंत तक 1891 गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया था। शेष 12 गांवों का विद्युतीकरण किया जाना व्यावहारिक नहीं पाया गया।

विवरण

क्र० सं०	जिला	1991 की जनगणना के अनुसार गांवों की संख्या	विद्युतीकृत गांवों की संख्या	गैर विद्युतीकृत गांवों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	बंगलोर	2425	2384	41
2.	बेलगांव	1142	1139	3
3.	बेलरी	589	580	9
4.	बिदर	598	593	5
5.	बीजापुर	1244	1227	17
6.	चिकमगलूर	1013	1978	35
7.	चित्रादुर्गा	1256	1250	16
8.	कूर्ग	288	284	4
9.	धारवाड़	1322	1320	2
10.	गुलबर्ग	1305	1298	7
11.	हसन	2371	2273	98
12.	कोलार	2848	2811	37
13.	मांड्या	1354	1339	15

1	2	3	4	5
14.	मैसूर	1641	1562	79
15.	उत्तरी कैनरा	1283	1244	39
16.	रायचुर	1401	1382	19
17.	शिमोगा	1793	1746	47
18.	दक्षिण कैनरा	635	635	—
19.	टमकूर	2506	2438	68
	जोड़	27024	26483*	541

*टिप्पणी : राज्य के शत-प्रतिशत विद्युतीकरण के लिए कुल 27,024 गांवों में से 26,483 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। बोर्ड ने घोषणा की है कि शेष 541 गांवों का विद्युतीकरण किया जाना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

[हिन्दी]

राजस्थान में टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलना

441. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राजस्थान में कितने टेलीफोन एक्सचेंज हैं तथा ये कहां-कहां स्थित हैं, ये एक्सचेंज कब-कब से चल रहे हैं और उनमें से इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज कितने हैं,

(ख) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान शेष टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) दिनांक 30-9-1991 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में टेलीफोन एक्सचेंजो की संख्या 889 है।

30-9-1991 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजो की संख्या 262 है।

एक्सचेंजों की सूची विवरण में संलग्न है।

एक्सचेंज 10 टेलीफोन कनेक्शनों की न्यूनतम मांग पर खोले गए थे और मांग बढ़ने पर इनका विस्तार किया गया था। बाद में विभिन्न स्थानों पर मांग बढ़ने पर मुख्य आकार के एक्सचेंजों के साथ छोटे और मध्यम आधार के एक्सचेंज चालू किए गए।

(ख) और (ग) जी नहीं। इलेक्ट्रोमिकेनिकल एक्सचेंजों को मियाद समाप्त होने पर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदला जाता है। देश के सभी मैनुअल एक्सचेंजों को मार्च, 1994 तक आटोमेटिक एक्सचेंजों में बदलने का प्रस्ताव है।

विवरण

टेलीफोन एक्सचेंजों की सूची

क्र० स०	एक्सचेंज का नाम	जिला	तहसील
1	2	3	4
1.	अऊ	जोधपुर	फलोदी
2.	आबू माऊंट	सिरोही	आबू रोड
3.	आबू रोड	सिरोही	आबू रोड
4.	अछरोल	जयपुर	जमुवारामगढ़
5.	अदसर	चुरू	तारानगर
6.	अहरारे	जयपुर	अहरोर
7.	अजारका	अलवर	मंडावर
8.	अजीत	बाडमेर	शिवाना
9.	अजीतगढ़	सिकार	श्रीमाधोपुर
10.	अजमेर	अजमेर	अजमेर
11.	अकबरपुर	अलवर	अलवर
12.	अकलेरा	झालावाड	अकलेरा
13.	अकोला	चित्तौडगढ़	कपासन
14.	अलावादा	अलवर	राजगढ़
15.	अल्फानगर	बून्दी	बून्दी
16.	अलीगढ़	टोंक	उदयपुर
17.	अलोदा	दोसा	दोसा
18.	अलसोसर	झुंझूनू	झुंझूनू
19.	अलवर	अलवर	अलवर
20.	अनादरा	सिरोही	रोदर
21.	आनन्दपुरी	बनसारा	बागीदोरा
22.	आनन्दपुरकालो	पाली	जैतरन
23.	अन्थोह	बारन	मंगरोल
24.	अन्नटरी	डूंगरपुर	डूंगरपुर
25.	अनूपगढ़	श्रीगंगानगर	अनूपगढ़
26.	अरैन	अजमेर	किशनगढ़

1	2	3	4
27.	अर्जुनसार	श्रीगंगानगर	सूरतगढ़
28.	अरनोद	चित्तौड़गढ़	प्रतापगढ़
29.	अरथौंना	बंसवारा	ग्राही
30.	असारा	बाड़मेर	पच्छपावरा
31.	अशिन्द्र	भीलवाड़ा	आशिंद
32.	असनवार	झालावाड़	झालावाड़
33.	अशीप	जोधपुर	बिलारा
34.	असपुर	डूंगरपुर	असपुर
35.	अतपारा	पाली	सोजत
36.	अटरू	बारन	अटरू
37	अठबा	पाली	मारेवार जंक्शन
38.	अबिकानगर	टोंक	मालपुरा
39.	वबाई	झुंझुनु	खेतरी
40.	बाबचया	अजमेर	अजमेर
41.	बाबलवारा	उदयपुर	खेरवारा
42.	बांरा	पाली	रायपुर
43.	बादल	जयपुर	फुलेरा
44.	बांदीकुंई	नागौर	जायल
45.	बादीकयल	दौसा	बस्वा
46.	बादू	नागौर	पर्वतसर
47.	बागर	झुंझनू	झुंझनू
48.	बागेरिया	अजमेर	केकरी
49.	बागीदौरा	बांसवारा	बागीदौरा
50.	बागौल	पाली	बेसूरी
51.	बागौरा	जालौर	बीनमाल
52.	बागरा	जलौर	जालौर
53.	बागरीनगर	पाली	रायपुर
54.	बिगरू	जयपुर	सांगानेर
55.	बहादुरपुर	अलवर	अलबर

1	2	3	4
56.	बर्वादखुर्द	सवाईमाधोपुर	खंडार
57.	बंइन	चुरू	तारानगर
58.	बंटू	बाड़मेर	बाड़मेर
59.	बकनी	झालावाड़	झालावाड़
60.	बाकरारोड़	जालौर	जालौर
61.	बालाहेरी	सवाईमाधोपुर	महुवा
62.	बालनगिरी	सिरोही	सिरोही
63.	बलारन	सिकार	लक्ष्मनगढ़
64.	बलेरवा	जोधपुर	ओसिन
65.	बलेश्र	जोधपुर	शेरगढ़
66.	बाली	पाली	बाली
67.	बलोटरा	बाड़मेर	पच्छपादरा
68.	बालराय	पाली	पाली
69.	बालवारा	जालौर	जालौर
70.	वामनवास	सवाईमाधोपुर	वामनवास
71.	बामबोरा	उदयपुर	गिरवा
72.	वानर	जोधपुर	जोधपुर
73.	वनस्थली	टोंक	निवाई
74.	वंदनवारा	अजमेर	खेतरी
75.	वांदीकुई	दौसा	बस्वा
76.	वनेरा	भीलवारा	वानेरा
77.	बनैटी	जयपुर	कोटपुतली
78.	बंगथौरी	झुंझूनु	झुंझूनु
79.	बंनकी	पाली	बाली
80.	बंकोरा	डूंगरपुर	असपुर
81.	बंशीवोहेरा	चित्तौड़गढ़	बल्लभनगर
82.	बंनखो	जयपुर	वासी
83.	बनसुर	अलवर	बनसुर
84.	बंशवारा	बंशवारा	बंशवारा

1	2	3	4
85.	बंटा	पाली	मारवाड़ जंक्शन
86.	बनवाली	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
87.	बओरी	जोधपुर	ओसिन
88.	बाप	जोधपुर	फलौदी
89.	बार	पाली	रायपुर
90.	बांरागांव	झुंझूनू	उदयपुरवाटी
91.	बारन	बारन	बारन
92.	बारावंदा	चित्तौड़गढ़	प्रतापगढ़
93.	बरदोद	अलवर	बेहरोर
94.	बारगांव	जयपुर	भीनमाल
95.	बारी	धौलपुर	बारी
96.	बारीसादरी	चित्तौड़गढ़	बारीसादरी
97.	बाड़मेर	बाड़मेर	बाड़मेर
98.	बारना	अजमेर	किशनगढ़
99.	बरोदखान	अलवर	लक्ष्मणगढ़
100.	बड़ौदमैन	अलवर	लक्ष्मणगढ़
101.	बड़ौदिया	बंसवारा	बागीदौरा
102.	बासीमेवाव	धौलपुर	धौलपुर
103.	बासवा	झुंझूनू	नेवालगढ़
104.	बसेरी	धौलपुर	बसेरी
105.	बसनी	नागपुर	नागपुर
106.	बंशीवावबरिया	पाली	रायपुर
107.	बासी	चित्तौड़गढ़	गंगरार
108.	बास्सी	जयपुर	बास्सी
109.	बस्वा	दौसा	बस्वा
110.	बयाना	भरतपुर	बयाना
111.	बेवाड़	अजमेर	बेवाड़
112.	बिलावास	पाली	सोजत

1	2	3	4
113.	वीरानी	पाली	बाली
114.	बीलासपुर	पाली	बाली
115.	बेगास	जयपुर	जयपुर
116.	बेगुन	चित्तौड़गढ़	बेगुन
117.	बेहरोर	अलवर	बेहरोर
118.	बेलवा	जोधपुर	शेरगढ़
119.	बेरा	पाली	बाली
120.	बेरी	सिकार	सिकार
121.	बेरकोलन	पाली	जैतारन
122.	बेरखेड़ा	भरतपुर	बयाना
123.	बेसरोली	नागपुर	पर्वतश्वर
124.	भदेश्वर	चित्तौड़गढ़	भदेश्वर
125.	भदून	अजमेर	किशनगढ़
126.	भद्रा	श्रीगंगानगर	भद्रा
127.	भदवा	जयपुर	फुलैरा
128.	भदवासी	नागौर	नागौर
129.	भगश्री	अजमेर	अजमेर
130.	भगवतगढ़	सवाईमाधोपुर	सवाईमाधोपुर
131.	भगसावा	चित्तौड़गढ़	भदेश्वर
132.	भनगपुरा	सवाईमाधोपुर	टोडाभीम
133.	भंदरेज	दौसा	दौसा
134.	भदरसिंदरी	अजमेर	किशनगढ़
135.	भनोकर	अलवर	लक्ष्मणगढ़
136.	भानपुरा	उदयपुर	गोगुडा
137.	भानवारगढ़	बरन	किशनगंज
138.	भनवाला	अजमेर	अजमेर
139.	भरतपुर	भरतपुर	भरतपुर
140.	भरजा	सिरोही	पिडवारा

1 2	3	4
141. भरूडा	पाली	बाली
142. भरौती	सवाईमाधोपुर	गोंदजी
143. भटियानी	अजमेर	अजमेर
144. भलूंज	पाली	बाली
145. भवानीमंडी	झालावाड़	पचपहाड़
146. भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
147. भीम	राजसमंडी	मंडी
148. भीम	बांसवाड़ा	गढी
149. भीमश्वर	झुंझनू	झुंझनू
150. भिनय	अजमेर	केकडी
151. भिंडर	उदयपुर	बल्लभनगर
152. भिंबूसी	अलवर	तिजारन
153. भीममल	जालौर	भीममल
154. भिवाडी	अलवर	तिजारा
155. गोमतावाड़ा	उदयपुर	खेलवाड़ा
156. भूपलसागर	चित्तौड़गढ़	कपासन
157. भोपालगढ़	जोधपुर	बिराडा
158. भूसावल	भरतपुर	बैर
159. भूतेकवाड़ा	जालौर	अहोर
169. बीबीरानी	अलवर	किशनगढ़बांस
161. बिचगांव	अलवर	लक्ष्मणगढ़
162. बिछवाडा	डूंगरपुर	डूंगरपुर
163. बिछून	जयपुर	दूदू
164. बिदासर	चूरू	सुजानगढ़
165. बिडयान	नागौर	पर्वतसर
166. बिदसू	नागौर	पर्वतसर
167. बिगोड	भीलवाड़ा	मंडलगढ़
168. बिजोलियांकला	भीलवाड़ा	मंडलगढ़
169. बीकानेर	बीकानेर	बीकानेर

1	2	3	4
170.	विलाडा	जोधपुर	विलाडा
171.	बिछवेला	श्रीगंगानगर	पदमपुत
172.	विधूंसा	झूंझनू	झूंझनू
173.	विनोल	राजसमन	राजसमन
174.	विसलपुर	जोधपुर	जोधपुर
175.	विशनगढ़	जालौर	जालौर
176.	विसऊ	झूंझनू	झूंझनू
177.	बोनली	सवाईमाधोपुर	गोदली
178.	बोरज	जयपुर	दूदू
179.	गोंरडा	जोधपुर	जोधपुर
180.	गोरूंदा	जोधपुर	विलाणा
181.	बूंदी	बूंदी	बूंदी
182.	बुर्जा	अलवर	अलवर
183.	सीसीहेड	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
184.	चचोरी	पाली	पाली
185.	चकव 12 जी	श्रीगंगानगर	नोहर
186.	चक 3 ओ	श्रीगंगानगर	सिकरनपुर
187.	चकमेहराजका	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
188.	चकसू	जयपुर	चकसू
189.	चंदन	जसलमेर	जलसमेर
190.	चदावल	पाली	सोजतसिटी
191.	चदेसरा	उदयपुर	मामली
192.	चंदोली	अलवर	अलवर
193.	चद्राराल	जालौर	जालौर
194.	चनोज	पाली	वाली
195.	चलभुजाआरडी	राजसमन	अमेठ
196.	चरभुजाजी	राजसमन	कूंभलगढ़
197.	चौमहगा	झालवाड़	गंधधर
198.	चौथकाबरवाडा	सवाईमाधोपुर	सवाईमाधोपुर

1	2	3	4
199.	चामदुं	उदयपुर	शावला
200.	चेचड़	कोटा	कोटा
201.	छाबडा	बरन	छाबडा
202.	छान	टोंक	टोंक
203.	छापर	चूरू	सुजानगढ़
204.	छागवा	दौसा	दौसा
205.	छत्रगढ़	बीकानेर	बीकानेर
206.	छिपाबरोड	बरण	छिपाबरोड
207.	छोकरवाड़ा	भरतपुर	बेर
208.	छोटाडूंगरा	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा
209.	छोटी खटोड	नागौर	डीडवाना
210.	छोटीसादडी	चित्तौड़गढ़	छोटीसादडी
211.	चिकली	डूंगरपुर	सगवाड़ा
212.	चिराना	झुंझुनु	उदीयापुरवती
213.	चिरावा	झुंझुनु	चिरागा
214.	चित्तौडरेनवाल	जयपुर	फागी
215.	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़
216.	चोहाटा	बाडमेर	चोहाटन
217.	चोमू	जयपुर	अम्बर
218.	चाखा	जोधपुर	जोधपुर
219.	चूनावडकोटी	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
220.	चूरू	चूरू	चूरू
221.	डाबी	बूंदी	बूंदी
222.	ढबला	सीकर	नीमकाथाना
223.	ढबली	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़
224.	ढबोकपुर	उदयपुर	मावडी
225.	डाग	झालवाड	गंगधर
226.	डांग	नागौर	नागौर
227.	दलत्ररा	बीकानेर	श्रीकुलायतजी

1	2	3	4
228.	दांतारामगढ़	सीकर	दांतारामगढ़
229.	दांतराई	सिरोही	रेवधर
230.	दराह	कोटा	अन्तू
231.	दासपान	जालौर	भीनमाल
232.	दौलतपुरा	दौसा	दौसा
233.	दौलतपुरा	सीकर	सीकर
234.	दौलतपुरा	श्रीगंगानगर	टीबी
235.	दौसा	दौसा	दौसा
236.	डाबर	राजसमन	भीम
237.	दयालपुरा	नागौर	डीडवाना
238.	डीडवाना	नागौर	डीडवाना
239.	डीग	भरतपुर	डीग
240.	डीडवाडा	अजमेर	किशनगढ़
241.	डिगना	नागौर	डागना
242.	देई	बूंदी	नैनवा
243.	दीलवाडा	राजसमन	नाथद्वारा
244.	देवगढ़	राजसमन	देवगढ़
245.	देवली	टोंक	देवली
246.	देवलीओवा	पाली	रायपुर
247.	देवलीकलां	पाली	रायपुर
248.	देवलीकबूजी	पाली	देसडी
249.	देसनोक	बीकानेर	बीकानेर
250.	देसरी	पाली	देसरी
251.	भामली	पाली	मारवाडजंक्शन
252.	धनौरा	जोधपुर	जोधपुर
253.	धनकिया	जयपुर	जमावारामगढ़
254.	धंडा	पाली	मारवाडजंक्शन
255.	धनूरी	झूंझुनु	झूंझुनु
256.	धरियावाड़	उदयपुर	धरियावाड़

1	2	3	4
257.	धोद	सीकर	सीकर
258.	धोलीपाल	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
259.	धौलपुर	धौलपुर	धौलपुर
260.	धोलीमाना	बाडमेर	बाडमेर
261.	दीगवाडा	अलवर	अलवर
262.	ढोग्गी	टोंक	मालपुरा
263.	डिढोली	चित्तौड़गढ़	रशमी
264.	दूधवाखाडा	चूरू	चूरू
265.	दूनी	टोंक	देवली
266.	दूदू	जयपुर	दूदू
267.	दूजाना	पाली	पाली
268.	डूंगरपुर	डूंगरपुर	डूंगरपुर
269.	डुगला	चित्तौड़गढ़	डूगला
270.	दसताऊ	नागौर	नागौर
271.	फतेहनगर	उदयपुर	मावली
272.	फतेहपुर	सीकर	फतेहपुर
273.	फतोही	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
274.	गच्छीपुरा	नागौर	पर्बतसार
275.	गढीयाली	बीकानेर	बीकानेर
276.	गदरारोड	बाडमेर	शिवगंज
277.	गजनेर	बीकानेर	श्रीकोलायतजी
278.	गजसिंहपुर	श्रीगंगानगर	पदमपुर
279.	गर्वसिंहपुरा	जोधपुर	ओसीयस
280.	गलियाकोट	डूंगरपुर	सागवाड़ा
281.	गलवा	राजसमंद	आमेठ
282.	गंडाला	अलवर	बहरोड
283.	गंधेली	श्रीगंगानगर	नोहर
284.	गणेशगढ़	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
285.	गंगापुर	भीलवाडा	शाहपुर

1	2	3	4
286.	गंगापुरसिटी	सवाईमाधोपुर	गंगापुरसिटी
287.	गंगरोड	चित्तौड़गढ़	गंगरोड
288.	गंगूवाला	श्रीगंगानगर	पदमपुर
289.	गोगूडा	राजसामंद	नाथद्वारा
290.	गीजगढ़	दौसा	सीकंदरा
291.	घनेराव	पाली	देशपुरी
292.	पंगू	चूरू	चूरू
293.	गढ़ीसिवायराम	अलवर	राजगढ़
294.	घरसाना	श्रीगंगानगर	अनूपगढ़
295.	घासा	उदयपुर	मावली
296.	घाटा	रातसांमद	कुंभलगढ़
297.	घटोल	बांसवाड़ा	घटोल
298.	घेनरी	पाली	देशपुरी
299.	घेवरा	जोधपुर	ओसीयन
300.	घुघरा	अजमेर	अजमेर
301.	घोसूंडा	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़
302.	गोगलाव	नागौर	नागौर
303.	गोगुंडा	उदयपुर	गोगुंडा
304.	गोलूवाला	श्रीगंगानगर	सूरतगढ़
305.	गोनेरा	जयपुर	कोठपुतली
306.	गोथन	नागौर	मेडतासिटी
307.	गोथरा	अलवर	तिजारा
308.	गोविन्दगढ़	अजमेर	अजमेर
309.	गोविन्दगढ़	अलवर	लक्ष्मणगढ़
310.	गोविन्दगढ़	जयपुर	अम्बेड
311.	गुडामलानी	बाड़मेर	बाड़मेर
312.	गूढागोरजीका	झूंझनू	उदयपुरवती
313.	गुढीया	दौसा	बसवा

1	2	3	4
314.	गुढनासाल	नागौर	नावा
315.	गुढ़ाला	सीकर	नीमकाथाना
316.	गुलाबेवाला	श्रीगंगानगर	श्रीकरणपुर
317.	गुलाबपुरा	भीलवाड़ा	आसिंद
318.	गुडोज	पाली	पाली
319.	गुरहाबिसनोयान	जोधपुर	जोधपुर
320.	गुडाबलोरतन	जालौर	अहोरे
321.	गुरहेंडला	पाली	पाली
322.	हुदेचा	जालौर	सनचोर
323.	हलेना	भरतपुर	बाड़
324.	हमीरगढ़	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
325.	हमीरपुर	अलवर	बनसुर
326.	हनुमानगढ़ जं०	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़
327.	हनुमानगढ़ टा०	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़
328.	खडमारा	अजमेर	किशनगढ़
329.	हरनवाडा	झालवाड़	अतलेडा
330.	हरसोली	अलवर	किशनगढ़बास
331.	हरसोड	नागौर	डेगना
332.	हरसोडा	अलवर	बंबसूर
333.	हिमतसेर	बीकानेर	नोखा
334.	हिंडनसिटी	सवाईमाधोपुर	हिंडन
335.	हिंडाली	बूंदी	हिंडोली
336.	हिन्दूमालकोट	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
337.	हिंगोनिया	जयपुर	फुलहेरा
338.	ईदवा	नागौर	देगना
339.	ईस्मालपुर	झुंझुनु	झुंझुनु
340.	ईस्मालपुर	अलवर	किशनगढ़बास
341.	ईटावा	कोटा	पीपडसिटी

1	2	3	4
342.	जेकेपुरम	सिरोही	पिंडवारा
343.	जादन	पाली	मारवाड़ जं०
344.	जहाटा	जयपुर	संगनेर
345.	जहाजपुर	भीलवाड़ा	जहाजपुर
346.	जयपुर" 6 यू०	जयपुर	जयपुर
347.	जयपुर" 7 यू०	जयपुर	जयपुर
248.	जयपुर अम्बेर	जयपुर	अम्बेर
349.	जयपुर बी न० (आरएलयू)	जयपुर	संगनेर
350.	जयपुर दुर्गापुरा	जयपुर	जयपुर
351	जयपुर जोटवाडा	जयपुर	जयपुर
352.	जयतुर एम आई रोड (आरएलयू)	जयपुर	संगनेर
353.	जयपुर मानसरोवर	जयपुर	संगनेर
254.	जयपुर एसजी-I	जयपुर	जयपुर
355.	जयपुर एसजी-II	जयपुर	जयपुर
356.	जयपुर विश्वकर्मा	जयपुर	जयपुर
357.	जैसलमेर	जैसलमेर	जैसलमेर
358.	जैतराम	पाली	जैतारन
359.	जैतपुरा	जयपुर	अम्बेर
360.	जाटल	झुंझुनु	नवलगढ़
361.	जालोर	जालोर	जालोर
362.	जानवयेर	भरतपुर	भरतपुर
363.	जसनागर	नागौर	मेडता सिटी
364	जसरासर	बीकानेर	नोखा
365.	जतबेहरोर	अलवर	मंडवारा
366.	जतवाड़ा	दौसा	दौसा
367.	जसवन्तपुरा	जालोर	भीनमाल
368.	जवाचा	अजमेर	ब्यावर

1	2	3	4
369.	जवाल	सिरोही	सिरोही
370.	जवाला	नागौर	डिगा
371.	जवाली	पाली	देसूरी
372.	जावर माइंस	उदयपुर	गिर्वा
373.	जयाल	नागौर	जयाल
374.	जिन्दोली	अलवर	मंदवार
375.	जिराहेरा	भरतपुर	कमा
376.	जिवाना	जालौर	जालौर
377.	जेसुसार	झूंझुनु	झूंझुनु
378.	जेलूगागरी	जोधपुर	जोधपुर
379.	जेतसर	श्रीगंगानगर	अनूपगढ़
380.	जेतसर फर्म	श्रीगंगानगर	अनूपगढ़
381.	झोब	जालोर	सांचोर
382.	जाडोल पी	उदयपुर	सराड़ा
383.	जाडोल एस	उदयपुर	जाडोल
384.	जोग	जयपुर	डूडू
385.	जाजहू	बीकानेर	श्रीकोलायतजी
386.	झालवाड	झालवाड	झालवाड
387.	झालरापाटन	झालवाड	झालवाड
388.	झानवर	जोधपुर	जोधपुर
389.	झारली	सिकर	श्रीमाधोपुर
390.	जिराना	टोंक	टोंक
391.	झूंझनू	झूंझनू	झूंझनू
392.	जोबनेर	जयपुर	फुलेरा
393.	जोधीयासी	नागौर	नागौर
394.	जोधपुर	जोधपुर	जोधपुर
395.	जोधपुर	जोधपुर	जोधपुर
396.	जोधपुर बसनी	जोधपुर	जोधपुर

1	2	3	4
397.	जोधपुरमाजिका हाट्टा	जोधपुर	जोधपुर
398.	जोजावर	पाली	मारवाड़ जं०
399.	जोलाना	बांसवाड़ा	गिरही
400.	जुनिया	अजमेर	अजमेर
401.	कचोला	भीलवाड़ा	मंडलगढ़
402.	कचवा	सिकर	लक्ष्मणगढ़
403.	कुडेल	अजमेर	अजमेर
404.	कडेरा	अजमेर	केकरी
405.	कैलाशनगर	सिरोही	शोयगंज
406.	कैथून	कोटा	लडपुरा
407.	ककोर	टोंक	उनियारा
408.	कालाडेरा	जयपुर	अम्बेर
409.	कालन्दरी	सिरोही	सिरोही
410.	कलिनजारा	बांसवाड़ा	बागीडोरा
411.	कलू	बीकानेर	लुंकरसर
412.	कलवाड़	जयपुर	जमवारमगढ़
413.	कल्याणपुरा	बाडमेर	पचपद्रा
414.	कमान	भरतपुर	कमाम
415.	कमाना	बीडमेर	पचपाडा
416.	कनेरा	चित्तोड़गढ़	निम्बाहेड़ा
417.	काकरोली	राजसमन्द	राजसमन्द
418.	कानोड	उदयपुर	वल्लभगढ़
419.	कनोटा	जयपुर	बस्सी
420.	कनवास	कोटा	सनगोड
421.	कनवाट	सिकर	श्रीमाधोपुर
422.	कपासन	चित्तोड़गढ़	कपासन
423.	कप्रेन	बुंदी	केशोरीयपटन
424.	करांसर	जयपुर	फुलेरा

1	2	3	4
425.	करौली	स० माधोपुर	करौली
426.	किरीरी गाजीपुर	स० माधो०	टोडा भीम
427.	करकेडी	अजमेर	किशनगढ़
428.	कयूमर	अलवर	लक्ष्मणगढ़
429.	कबास	बाडमेर	पचपदा
430.	केकरी	अजमेर	केकरी
431.	केला देवी	स० माधोपुर	करौली
432.	केलवा	राजसमन्द	राजसमन्द
433.	केलवाड़ा	बारां	शाहबाद
434.	केलवाड़ा	राजसमन्द	कुंबलगढ़
435.	केरू	जोधपुर	जोधपुर
436.	केशोरपाटन	बुंदी	केशोरपाटन
437.	केशरीसिंहपुर	श्रीगंगानगर	श्रीकरनपुर
438.	खुडाखुर्द	जोधपुर	अंसन
439.	खचरियावास	सिकर	सन्तारामगढ़
440.	खेरथल	अलवर	किशनगढ़बास
441.	खुजवाला	बीकानेर	बीकानेर
442.	खमनोर	राजसमन्द	नाथद्वारा
443.	खंडप	बाडमेर	सिवाना
444.	खंडर	स० माधोपुर	खंडर
445.	खंडेला	सिकर	श्रीमाधोपुर
446.	खानपुर	झालवाड़	खानपुर
447.	खानपुर अहोरे	अलवर	अलवर
448.	खानपुर मेवान	अलवर	मंडवार
449.	खेरा बिसाल	जयपुर	जामवरगढ़
450.	खडगदा	डूंगरपुर	सागवाड़ा
451.	खरिया खंगर	जोधपुर	बिलारा
452.	खरिया मीथपुर	जोधपुर	बिलारा

1	2	3	4
453.	खारवा	अजमेर	ब्यावर
454.	खातू श्यामजी	सिकर	दन्ता रामगढ़
455.	खीनव्सार	नागौर	नागौर
456.	खेजरोली	जयपुर	अम्बेर
457.	खेराला	स० माधोपुर	महुआ
458.	खेरली	अलवर	लक्ष्मणगढ़
459.	खेरोडा	उदयपुर	बल्लभगढ़
460.	खेरवा	पाली	पाली
461.	खेरवाड़ा	उदयपुर	खेरवाड़ा
462.	खेतरी नगर	झुनझुन	खेतरी
463.	खेतरी टाउन	झुनझुन	खेतरी
464.	खिवारा	पाली	देसूरी
465.	खोड	पाली	पाली
466.	खोह	अलवर	लक्ष्मणगढ़
467.	खुनखुना	नागौर	डीडवाना
468.	किशनगढ़	बारां	किशनगंज
469.	किशनगढ़बास	अलवर	किशनगढ़
470.	कोलिया	नागौर	डीडवाना
471.	कूदान	सिकर	सिकर
472.	कोसेलो	पाली	बाली
473.	कोशियाल	भीलवाड़ा	शाहपुर
474.	कोटा	कोटा	लवपुरा
475.	कोकसीम	अलवर	किशनगढ़
476	कटपुतली	जयपुर	कटपुतली
477.	कोटड़ा	उदयपुर	कोटड़ा
478.	कोटरी	भीलवाड़ा	कोटरी
479.	कृषि उपज मंडी उदयपुर	उदयपुर	गिर्वा
480.	कैथल	राजसमन्द	देवगढ़

1	2	3	4
481.	कुचमान सिटी	नागौर	पर्वतसर
482.	कुचमान रोड	नागौर	पर्वतसर
483.	कुचेरा	नागौर	नागौर
484.	कुकास	जयपुर	सांगनेर
485.	कुलचन्द्रा	श्रीगंगानगर	तिबी
486.	कुम्हेर	भरतपुर	भरतपुर
487.	कुन	उदयपुर	धरियाबाद
488.	कुन्देरा	स० माधोपुर	स० माधोपुर
489.	कुरगांव	स० माधोपुर	सपोतरा
490.	कुशलगढ़	बासवाड़ा	कुशलगढ़
491.	कुशलपुरा	पाली	रायपुर
492.	कुतलवास	दौसा	दौसा
493.	लक्मनगढ़	सिकर	लक्मणगढ़
494.	लदरिया	नागौर	डीडवाना
495.	लाडून	नागौर	लाडून
496.	लखनपुरी	भरतपुर	नादबाई
497.	लखेरी	बुंदी	केशोरियपटन
498.	लालगढ़	चुरू	सुजानगढ़
499.	लालगढ़ जथान	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
500.	लालसोट	दौसा	लालसोट
501.	लाम्बाहरिसिंह	टोंक	मालपुरा
502.	लाम्बोरी	राजसमन्द	कुम्बलगढ़
503.	लाडोल	पाली	बाली
504.	लायजा	पाली	बाली
505.	लाट	जैसलमेर	पोकरण
506.	लाबर	टोंक	मालपुरा
507.	लावसरदारगढ़	राजसमन्द	अमेट
508.	लावन	दौसा	दौसा

1	2	3	4
509.	लक्ष्मणगढ़	अलवर	लक्ष्मणगढ़
510.	लोहारिया	बांसवाड़ा	गढ़ी
511.	लोहावट	जोधपुर	फलोदी
512.	लूनवा	नागौर	पर्वतसर
513.	लोसल	सिकर	दन्तारामगढ़
514.	लुनावा	पाली	बाली
515.	लूनी	जोधपुर	जोधपुर
516.	लुनकरणसर	बीकानेर	लुनकरणसर
517.	मैंअलवर	अलवर	अलवर
518.	मचोरी	अलवर	राजगढ़
519.	मचिन्द	राजसमन्द	नाथद्वारा
520.	मदनगंज	अजमेर	किशनगढ़
521.	माधोराजपुरा	जयपुर	फागी
522.	महाजन	बीकानेर	लुनकरणसर
523.	महापुरा	जयपुर	शाहपुरा
524.	महेन्द्रगढ़	भीलवाड़ा	शाहपुर
525.	महियनवाली	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
526.	माहुलन	जयपुर	दूदू
527.	महुआ	भीलवाड़ा	मंडलगढ़
528.	महुआ	स० माधोपुर	महुआ
529.	महुआ रोड	स० माधोपुर	महुआ
530.	मजाल	बाड़मेर	सिवाना
531.	मकराना	नागौर	पर्वतसर
532.	मालाखेड़ा	अलवर	अलवर
533.	मालरनाडूनगर	स० माधोपुर	बोन्ली
534.	मालपुरा	टोंक	मालपुरा
535.	मालसिसार	झुंझुनू	झुंझुनू
536.	मालवाड़ा	जालोर	भीमनाल

1 2	3	4
537. मनाय	जोधपुर	ओसियन
538. मंडल	भीलवाड़ा	मंडलगढ़
539. मंडलगढ़	भीलवाड़ा	मंडलगढ़
540. मंडलवाला	जालोर	जालोर
541. मंदार	सिराही	रोयदर
542. मंडवा	झूंझनु	झूंझनू
543. मंडवार	अलवर	मंडवार
544. मंडवारी	दौसा	लालसोट
545. मंधा	सिकर	दंतारामगढ़
546. मंदाभीमसिंह	जयपुर	फुलेरा
547. मथान	अलवर	बेहरोर
548. मंदपिया	चित्तौड़गढ़	भदिनर
549. मंदरेल्ला	झूंझनू	चिरवास
550. मंडवा	उदयपुर	कोटड़ा
551. मंगलवाड़	चित्तौड़गढ़	डूंगला
552. मंगलवास	अजमेर	अजमेर
553. मंगरोल	बारां	मंगरोल
554. मंगरूप	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
555. मनियाम	धोलपुर	धोलपुर
556. मनोहरपुरा	जयपुर	विराटनगर
557. मनोहरथाना	झालवाड़	अकलेरा
558. मरोथ	नागौर	पर्बतसर
559. मारवाड़ जं०	पाली	मारवाड़ जं०
560. मारवार मथानिया	जोधपुर	ओसियन
561. मसूदा	अजमेर	ब्यावर
562. मौजामाबाद	जयपुर	डूडू
563. मावली जंक्शन	उदयपुर	मावली
564. मिथरी	नागौर	पर्बतसर

1	2	3	4
565.	मेड़तासिटी	नागौर	मेड़ता सिटी
566.	मेड़ता रोड	नागौर	मेड़ता सिटी
567.	मिर्जावाला	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
568.	मिथारी	नागौर	नागौर
569.	मोहनगढ़	जैसलमेर	जैसलमेर
570.	मोही	राजसमन्द	राजसमन्द
571.	मोहराय	पाली	जयतरन
572.	मोकालसर	बाड़मेर	सिवाना
573.	मोलासर	नागौर	डीडवाना
574.	मोलेहा	राजसमन्द	नाथद्वारा
575.	मोमासर	चूरू	श्रीडूंगरगा
576.	मोराक	कोटा	रामगंजमार्ग
577.	मौंडवास	सिकर	दन्ता रामगंज
578.	मुकन्दगढ़	झूंझूनू	उदयपुरवाटी
579.	मुन्दरा	पाली	रायपुर
580.	मुंडवा मारवाड़	नागौर	नागौर
581.	नाचना	जैसलमेर	पोकरण
582.	नाडौती	स० माधोपुर	नाडौती
583.	नदबाई	भरतपुर	नदबाई
584.	नाडोल	पाली	देसुरी
585.	नागर	भरतपुर	नागर
586.	नागर पोर्ट	टोंक	देवली
587.	नागौर	नागौर	नागौर
588.	नागलोध	अजमेर	अजमेर
589.	नेई	उदयपुर	गिर्वा
590.	नैनवा	बुंदी	नैनवा
591.	नाना	पाली	बाली
592.	नन्देसमा	उदयपुर	गोगुन्दा
593	नन्दकबास	झूंझूनू	झूंझूनू

1 2	3	4
594. नागलबेरी	चूरू	राजगढ़
595. नापासर	बीकानेर	बीकानेर
596. नारायणा	जयपुर	फुलेरा
597. नारायणपुर	अलवर	थानागंज
598. नारायणपुरा	नागौर	पर्बतसर
599. नरेडा	जयपुर	कटपुतली
600. नारहेर	झुनझुनू	चिरवाड़ा
601. नरोलीदाग	सवाईमाधोपुर	सपीतरा
602. नसीराबाद	अजमेर	अजमेर
603. नाथद्वारा	राजसमन्द	नाथद्वारा
604. नवांगांव	उदयपुर	खेरवाड़ा
605. नवलगढ़	झुंझुनू	उदयपुरवाटी
606. नायला	जयपुर	जमवारगढ
607. नेचवा	सीकर	लक्ष्मणगढ़
608. नीबाज	सिरोही	रेवदर
609. निमकाथाना	सीकर	निमकाथाना
610. नेतवाला	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
611. नेवाई	टोंक	नेवाई
612. निक्क	चित्तौड़गढ़	बड़ी सादडी
613. निमल	पाली	जैताराम
614. निम्बाहेडा	चित्तौड़गढ़	निम्बाहेडा
615. निम्बोड	नागौर	डीडवाना
616. नोगांव	अलवर	रामगढ़
617. नोहर	श्रीगंगानगर	नोहर
618. नोखा	बीकानेर	नोखा
619. नोखा चंदवातान	नागौर	मेड़ता सिटी
620. नोवी	पाली	पाली
621. नुआ	झूंझूनू	झुंझुनू

1	2	3	4
622.	ओसिया	जोधपुर	ओसिया
623.	पक्का सहराना	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़
624.	पाछेवाड़	टोंक	मालपुरा
625.	पछपदरा	बाड़मेर	पाछपदरा
626.	पदमपुर	श्रीगंगानगर	पदमपुर
627.	पदीव	सिरोही	सिरोही
628.	पाडली (गंत्री)	डूंगरपुर	डूंगरपुर
629.	पादरू	बाडमेर	सिवाना
630.	पहाड़ी	भरतपुर	कमा
631.	पालदेवल	डूंगरपुर	डूंगरपुर
632.	पालोदरा	उदयपुर	सराड़ा
633.	पाली	पाली	पाली
634.	पालरी	सिरोही	शोयगंज
635.	पलसाना	सिकर	दन्तारामगढ़
636.	पंचवा	नागौर	नवाम
637.	पोटा	जयपुर	कटपुतली
638.	पोटा	सवाईमाधोपुर	महुआ
639.	पापरडा	दसा	दौसा
640.	परासली	राजसमन्द	राजसमन्द
641.	परसोली	भीलवाड़ा	असिन्द
642.	परसरामपुरा	झूंझनू	उदयपुरवाटी
643.	पर्वतसर	नागौर	पर्वतसर
644.	परीहारा	चूरू	रतनगढ़
645.	परसाद	उदयपुर	परसाद
646.	परसोला	उदयपुर	धरियावद
647.	प्रतापगढ़	अलवर	थानागाजी
648.	परतापुर	बांसवाड़ा	गढ़ी
649.	पाटन	सिकर	निमकाथाना
650.	पटोदी	बाडमेर	पचपदा

1	2	3	4
651.	पीह	नागौर	पर्वतसर
652.	पिपलवा	सवाईमाधोपुर	बोंली
653.	पिपलिया कलान	पाली	रायपुर
654.	पिपलू	टोंक	टोंक
655.	पिर कमरिया	श्रीगंगानगर	तिबी
656.	पिरावा	झालवाड़	पिरवा
657.	फागी	जयपुर	फागी
658.	फलासिया	उदयपुर	झाडोल
659.	फालना	पाली	पाली
660.	फलोदी	जोधपुर	फलोदी
661.	फलोज	डूंगरपुर	डूंगरपुर
662.	फालसूंद	जैसलमेर	पोकरण
663.	फेफना	श्रीगंगानगर	नोहर
664.	फुलेरा	जयपुर	फुलेरा
665.	पिलानी	झुंझुनू	झुंझुनू
666.	पिलीबंगा	श्रीगंगानगर	सूरतगढ़
667.	पिनान	अलवर	राजगढ़
668.	पिंडवाड़ा	सिरोही	पिंडवाड़ा
669.	पिपर सिटी	जोधपुर	बिलारा
670.	पिपराली	सिकर	सिकर
671.	पिसागांव	अजमेर	अजमेर
672.	पोकरण	जैसलमेर	पोकरण
673.	पोकली	झुंझुनू	उदयपुरवाटी
674.	पोसालियान	सिरोही	शोयगंज
675.	पोसन्द	जालोर	जालोर
676.	पोटलान	भीलवाड़ा	बाहपुर
677.	प्रतापगढ़	चित्तौड़गढ़	प्रतापगढ़
678.	पुलासर	चूरू	सरदारशाह
679.	पुष्कर	अजमेर	अजमेर

1	2	3	4
680.	रेलमार्ग	राजसमन्द	रेलमार्ग
681.	रायपुर	भीलवाड़ा	रायपुर
682.	रायपुर	झालवाड़	पीरवा
683.	रायपुर	पाली	रायपुर
684.	रायसिहनगर	श्रीगंगानगर	रायसिंहनगर
685.	राजाखेड़ा	धोलपुर	राजाखेड़ा
686.	राजाजीकाकरेरा	भीलवाड़ा	मंडलगढ़
687.	राजलदेसर	चुरू	रतनगढ़
688.	राजगढ़	अजमेर	अजमेर
689.	राजगढ़	अलवर	राजगढ़
690.	राजयसर	श्रीगंगानगर	सूरतगढ़
691.	राजियावास	अजमेर	ब्यावर
692.	राजनोता	जयपुर	कटपुतर्ला
693.	राजपुर	अलवर	राजगढ़
694.	राजपुरादरिबा	राजसमन्द	रेलमार्ग
695.	राजवाड़ा	अलवर	मंडावर
696.	राखी	बारमेर	सिवाना
697.	रामा	जालोर	अहीरा
698.	रामा	उदयपुर	गिर्वा
699.	रामदेवरा	जैसलमेर	पोकरण
700.	रामगंजमंडी	कोटा	रामगंजमंडी
701.	रामगढ़	अलवर	रामगढ़
702.	रामगढ़	सिकर	फतेहपुर
703.	रामगढ़ पचवारा	दौसा	लालसोट
704.	रामगढ़ अजलवास	श्रीगंगानगर	नोहर
705.	रामपुर (कस्बा)	अलवर	बन्सूर
706.	रामपुरा	जयपुर	सांगानेर
707.	रामसर	अजमेर	अजमेर
708.	रामसेन	जालोर	भिनमाल

1	2	3	4
709.	रामसिंहपुर	श्रीगंगानगर	अनूपगढ़
710	रानी खुर्द	पाली	मारवाड़ जं०
711.	रानीवाड़ा	जालौर	भिन्नमाल
712.	रासीगांव	जोधपुर	बिलारा
713.	रशिदपुर	सिकर	सिकर
714.	रशमी	चित्तौड़गढ़	बासमनी
715.	रसिया	भतरपुर	नागौर
716.	रतन नगर	चुरू	चुरू
717.	रतनगढ़	चुरू	रतनगढ़
718	रावतभाटा	चितौड़गढ़	बेगुन
719	रावतसर	श्रीगंगानगर	नोहर
720.	रावला मंडी	श्रीगंगानगर	अनूपगढ़
721.	रायलारोड	भीलवाड़ा	बनेरा
722.	रीचरीर	राजसामन्द	कुम्बलगढ़
723.	रोनगम	सीकर	श्रीमाधोपुर
724.	रेन नागौर	मरटासिटी	
725.	रेनी	अलवर	राजगढ़
726.	रेनवाल	जयपुर	फुलेरा
727.	रेवदार	सिरोही	रेवदार
728.	रिद्मालसार	श्रीगंगानगर	पदमपुर
729.	रिखाबदेव	उदयपुर	खेरवाड़ा
730.	रियानबारी	नागौर	मरयसिटी
731.	रोहिरा	सिरोही	पिंडवारा
732.	रोही	पाली	पाली
733.	रोल	नागौर	जायल
734.	रोनीजा थान	अलवर	किशनगढ़
735.	रूपाहेली	भीलवाड़ा	हुरदा
736.	रूपनगढ़	अजमेर	किशनगढ़

1	2	3	4
737.	रूपावास	पाली	पाली
738.	रूदावाल	भरतपुर	रूपवास
739.	रून्देरा	उदयपुर	वल्लभनगर
740.	रूंगटापुरम	जयपुर	कोटपुतली
741.	रूपवास	भरतपुर	रूपवास
742.	सबला	डूंगरपुर	असपुर
743.	सडोली	अलवर	रामगढ़
744.	सदरी	पाली	देसूरी
745.	सदुलपुर	चूरू	राजगढ़
746.	सादुलशहर	श्रीगंगानगर	सादुलशहर
747.	सागवारा	डूंगरपुर	सागवारा
748.	सहवा	चूरू	तारानगर
749.	साइनथाल	दौसा	दौसा
750.	सज्जनगढ़	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा
751.	सालासार	चूरू	सुजानगढ़
752.	सालावास	जोधपुर	जोधपुर
753.	सलेमबाद	अजमेर	निशानगढ़
754.	सालोर	राजसामंद	नाथद्वारा
755.	सालपुरा	बारन	आटरू
756.	सालुम्बार	उदयपुर	सालुम्बार
757.	समद	उदयपुर	गिरवा
758.	सांभरलेक	जयपुर	फुलेरा
759.	सामधारी	बाड़मेर	सिवाना
760.	समोद	जयपुर	अम्बर
761.	सानचोरे	जालौर	सनचोरे
762.	संदेराव	पाली	बाली
763.	सांगरिया	श्रीगंगानगर	रायसिंहनगर
764.	सांगोड़	कोटा	सांगोद

1	2	3	4
765.	सांगराना	श्रीगंगानगर	रायसिंहनगर
766.	सपोतरा	सवाईमाधोपुर	सपोतरा
767.	सरधाना	अजमेर	अजमेर
768.	सरदारशहर	चुरू	सरदारशहर
769.	सरिस्का	अलवर	अलवर
770.	सारमथुरा	धौलपुर	बसेरी
771.	सरोला कालन	झालावाड़	झालावाड़
772.	सारवार	अजमेर	सारवार
773.	सावा	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़
774.	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर
775.	सवाई माधोपुर सिटी	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर
776.	सायला	जालोड़	जालोड़
777.	सीगोली	भीलवाड़ा	मंडलगढ़
778.	सीकरी	भरतपुर	नागर
779.	सीमलवारा	डूंगरपुर	डूंगरपुर
780.	सीसवाली	बारन	मंगरोल
781.	सेमा	राजासामन्द	नाथद्वारा
782.	सेमल	राजसामन्द	नाथद्वारा
783.	सेंद्रा	पाली	रायपुर
784.	सेनवासा	बांसवाड़ा	घटोल
785.	सतरवा	जोधपुर	शेरगढ़
786.	सेवारी	पाली	बाली
787.	शाहबाद	बारन	बारन
788.	शाहजहांपुर	अलवर	बहरोर
789.	शाहपुरा	भीलवाड़ा	शाहपुरा
790.	शाहपुरा	जयपुर	विराटनगर
791.	शंभूपुरा	चित्तौड़गढ़	गंगरार
792.	शम्भूगढ़	भीलवाड़ा	असिन्द
793.	सेवगंगा	बाड़मेर	सेवगंज

1	2	3	4
794.	शेरगढ़	जोधपुर	शेरगढ़
795.	शिशदा	राजसामन्द	नाथद्वारा
796.	शिशु (रानोली)	सीकर	डांटारंगा
797.	शिवदासपुरा	जयपुर	चाकस
798.	शिवार	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर
799.	शिरबालाजी	नागौर	नागौर
800.	सिधमुख	चूरू	चूरू
801.	सिहाटछोटी	सीकर	सीकर
802.	सिकन्दरा	दौसा	सिकन्दरा
803.	सीकर	सीकर	सीकर
804.	सिकराज	दौसा	सिकन्दरा
805.	सिलदार	सिरोही	सिरोही
806.	सिन्धारी	बाड़मेर	बाड़मेर
807.	सिंहपुर	चित्तौड़गढ़	बेगुन
808.	सिरियासरकालन	झूंझूनू	झूंझूनू
809.	सिरोही	सिरोही	रेवदार
810.	सिरोही	सिरोही	सिरोही
811.	सिवाना	बाड़मेर	सिवाना
812.	सियाना	जालौर	जालौर
813.	सोडावास	अलवर	मांडावार
814.	सोजात सिटी	पाली	सोजात सिटी
815.	सोजात रोड	पाली	सोजात सिटी
816.	सोमेसर	पाली	सोजात सिटी
817.	सुरूथ	सवाई माधोपुर	हिंडौन
818.	सखाल	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर
819.	श्रीमाधोपुर	सीकर	श्रीमाधोपुर
820.	श्रीमहाबीरजी	सवाई माधोपुर	हिंडौन
821.	श्रीडूंगरगढ़	चूरू	श्रीडूंगरपुर
822.	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर

1	2	3	4
823.	श्रीकारनपुर	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
824.	श्रीकोलयाटजी	बीकानेर	कोलयाटजी
825.	श्रीनगर	अजमेर	अजमेर
826.	श्रीवल्जयनगर	श्रीगंगानगर	अनूपगढ़
827.	सुदसार	चुरू	श्रीडूंगर
828.	सुजानगढ़	चुरू	सुजानगढ़
829.	सुकेतकी	कोटा	डिगोड
830.	सुल्ताना	झुंझुनू	चिरवा
831.	सुल्तानपुर	कोटा	डिगोड
832.	सुमेरगंज मंडी	कोटा	डिगोड
833.	सुमेरपुर	पाली	बाली
834.	सुदरका दाडा	जयपुर	कोटपुतली
835.	सुनेल	झालवाड़	पीरोबा
836.	सूरजगढ़	झुंझुनु	चिरवा
837.	सूरतगढ़	श्रीगंगानगर	सूरतगढ़
838.	सुरसुरा	अजमेर	किशानगढ़
839.	स्वरूपगंज	सिरोही	आबूरोड
840.	टहला	अलवर	राजगढ़
841.	टखाटगढ़	पाली	बाली
842.	टलेरा	बूंदी	बूंदी
843.	तालवाई	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा
844	तालवारा झोल	श्रीगंगानगर	टीबी
845.	तामकोर	झुंझुनू	झुंझुनू
846.	तंतोटी	अजमेर	सारवार
847.	टापुकारा	अलवर	तिजारा
848.	तारानगर	चुरू	तारानगर
849.	तसीमी	धौलपुर	धौलपुर
850.	तातारपुर	अलवर	मांडावार
851.	तवाब	जालौर	भीनमाल

1	2	3	4
852.	थालकारा	श्रीगंगानगर	नाहर
853.	थामला	राजसामन्द	राजसामन्द
854.	थांगजी	अलवर	थांगजी
855.	थानवाला	नागपुर	डेगाना
856.	थीकरवास	राजसामन्द	भीम
857.	टीबो	श्रीगंगानगर	टोंही
858.	तिजारा	अलवर	तिजारा
859.	टिकावारा	अजमेर	किशनगढ़
860.	तिलोडा	जालौर	जालौर
861.	तिनवारी	जोधपुर	ओसियान
862.	टोडा भीमा	सवाई माधोपुर	टोडा भीम
863.	टोडारायसिंह	टोंक	टोडा रायसिंह
864.	टोडागढ़	अजमेर	बोआवार
865.	टोंक	टोंक	टोंक
866.	टोंगा	जयपुर	बास्सी
867.	उच्छंई	भरतपुर	रूपवास
868.	उदयपुर	उदयपुर	गिरवा
869.	उदयपुरवटी	झुंझनू	उदयपुरवटी
870.	उदरामसर	बीकानेर	बीकानेर
871.	उद्योगविहार	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
872.	उम्मेदाबाद	जालौर	जालौर
873.	उमराई	अलवर	अलवर
874.	उनपारा	टोंक	उनपारा
875.	बल्लभनगर	उदयपुर	बल्लभनगर
876.	विजयनगर	अजमेर	ब्योवर
877.	विराटनगर	जयपुर	विराटनगर
878.	वाना	उदयपुर	वल्लभनगर
879	वरोडा	सिरोही	सिरोही
880.	वास	उदयपुर	कोटरा

1	2	3	4
881.	वटिका	जयपुर	सागानेर
882.	वजीरपुर	सवाई माधोपुर	गंगापुर सिटी
883.	वेयर	भरतपुर	वेयर
884.	जनवारामगढ़	जयपुर	जनवा रामगढ़
885.	जीमराना	अलवर	बेहरोर
886.	दुलनिया	झुंझनू	पिलानी
887.	जिलिया	नागौर	नवा

[अनुवाद]

दिल्ली में वृद्ध दम्पत्तियों की हत्या

442. श्री गुरुदास कामत : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में जुलाई से अक्तूबर, 1991 तक की अवधि के दौरान कितने वृद्ध दम्पत्तियों की हत्या की गई;

(ख) इनमें से कितने मामलों को सुलझा लिया गया है;

(ग) वृद्ध व्यक्तियों की हत्या करने के पीछे क्या उद्देश्य थे;

(घ) क्या वृद्ध व्यक्तियों में कानून और व्यवस्था के पूर्णतया असफल होने के कारण असुनिश्चित सुरक्षा की भावना है; और

(ङ) इस संबंध में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बिहार में डाकघरों का दर्जा बढ़ाया जाना

443. श्री भोगेन्द्र झा : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के मधुबनी डिवीजन में बराह, सिमरी, परसोनी, कटया और दरभंगा डिवीजन में बिशफी के डाकघरों का दर्जा बढ़ाये जाने संबंधी प्रस्ताव पटना (मुजफ्फरपुर क्षेत्र) डाक महानिदेशक को प्राप्त हुआ है और लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इन डाकघरों का दर्जा कब तक बढ़ाया जायेगा;

(ग) मधुबनी डाक डिवीजन में बनकटा, उड़ेन, हपोली, झिटकी आदि में और दरभंगा डिवीजन के बेरियाही, चहुंटा, झाफड़पुर, खेड़ा गांवों में डाकघरों की शाखायें खोलने का भी कोई प्रस्ताव मिला है;

(घ) यदि हां, तो ये शाखायें कब तक खोली जायेंगी; और

(ङ) घोरबंकी, बेलहाबार, उत्तरा, हिसार, खिरहर झोंकी, परसोनी, मधुबनी डिवीजन में शाखा डाकघरों में टेलीफोन सुविधा कब तक उपलब्ध कराई जायेगी ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) बराह, सिमरी, पारसोनी, कटया और बिशफी का दर्जा बढ़ाने के प्रस्तावों की जांच की गई थी लेकिन दर्जा बढ़ान का औचित्य नहीं पाया गया ।

(ख) उपर्युक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) बनकटा उदेन में एक शाखा डाकघर खोलने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है । मकया और चहुंटा में डाकघर खोलने के प्रस्तावों की जांच की गई लेकिन उनका औचित्य नहीं पाया गया । मधुबनी डाक डिवीजन में हपोली, झिटकी में तथा दरभंगा में झाकड़पुर, खेड़ा और बेरियाही में डाकघर खोलने के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[अनुवाद]

विदेशी सहयोग प्राप्त करने के कारण स्वैच्छिक संगठनों के पंजीकरण का रद्द किया जाना

444. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे कौन से स्वैच्छिक संगठन हैं जिनके अवैध कार्यकलापों में लिप्त होने के कारण उनका विदेशी अंशदान प्राप्त करने का पंजीकरण 1990-91 के दौरान रद्द कर दिया गया है; और

(ख) ऐसे स्वैच्छिक संगठनों के विरुद्ध सरकार ने अन्य क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 में पंजीकरण रद्द करने का प्रयोजन नहीं है परन्तु अधिनियम की धारा 10 (क) के तहत केन्द्र सरकार के पास किसी संगठन या व्यक्ति को विदेशी अभिदाय प्राप्त करने से रोकने के अधिकार प्राप्त हैं । वर्ष 1990-91 के दौरान जनहित को ध्यान में रखते हुए केवल एक संगठन पर रोक लगाई गई है ।

अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को सहायता

445. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या कल्याण मंत्री 29 जुलाई, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 837 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन-जातियां (अत्याचार निवारक) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन पर कितनी राशि खर्च की है और इस प्रयोजनार्थ 1991-92 के लिए कितनी राशि आवंटित की है; और

(ख) इस कार्य के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा खर्च की गई और आवंटित राशि का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के क्रियान्वयन के लिए 1990-91 के दौरान 5 करोड़ रुपये के कुल आबंटन में से निम्नलिखित राशि व्यय की गई :—

(1) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	—	1.94 करोड़ रुपये
(2) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955	—	2.29 करोड़ रुपये

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के क्रियान्वयन के लिए 1991-92 के दौरान 5.50 करोड़ रुपए की कुल राशि आबंटित की गई है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

महाराष्ट्र में बायो-गैस संयंत्र

446. **श्री विजय नवल पाटिल** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1991 को महाराष्ट्र में बायो-गैस संयंत्रों की संख्या कितनी थी;

(ख) 1991-92 के दौरान महाराष्ट्र में कितने बायो-गैस संयंत्र लगाए जाने का विचार है;

(ग) क्या बायो-गैस संयंत्रों के विकास तथा शोध कार्य के लिए महाराष्ट्र सरकार को वित्तीय सहायता देने का कोई विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) महाराष्ट्र में 30-6-1991 तक राष्ट्रीय बायो-गैस विकास परियोजना के अन्तर्गत 4.24 लाख पारिवारिक आकार के बायो गैस संयंत्र तथा 130 सामुदायिक/संस्थागत बायो गैस संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं।

(ख) खादी ग्रामोद्योग आयोग के अलावा, जिन्हें राष्ट्रीय लक्ष्य सौंपा गया है और जो वर्ष के दौरान महाराष्ट्र राज्य में पर्याप्त संख्या में संयंत्र लगा रहे होंगे, महाराष्ट्र सरकार के लिए 1991-92 के लिए राष्ट्रीय बायो गैस विकास परियोजना के अन्तर्गत 25000 पारिवारिक आकार के बायो गैस संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। सामुदायिक तथा संस्थागत बायो गैस संयंत्रों की स्थापना के लिए कोई राज्यवार लक्ष्य नहीं रखा गया है। तथापि, यह अनुमान है कि लगभग 20 ऐसे संयंत्र राज्य में 1991-92 के दौरान काम करना शुरू कर देंगे।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय बायो गैस विकास परियोजना के तहत वित्तीय सहायता स्थापित संयंत्रों की वास्तविक संख्या के आधार पर राज्यों/कार्यान्वयन अभिकरणों को दी जाती है। औसतन आधार पर 25000 संयंत्रों के लक्ष्य के प्रति, 1991 92 के दौरान महाराष्ट्र सरकार को लगभग 7.0 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए जाने की आशा है।

बायो गैस में अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं के लिए अनुसंधान तथा विकास संस्थाओं और विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

साम्प्रदायिक दंगों के पीड़ितों को मुआवजा

447. **श्री पी० एम० सईद** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों के दौरान कितने साम्प्रदायिक दंगे हुए;

(ख) उनके प्रमुख कारण क्या हैं; और

(ग) मारे गये लोगों के परिवारों तथा घायल होने वाले व्यक्तियों को कितने मुआवजे का भुगतान किया गया ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के आधार पर पिछले तीन महीनों, अर्थात् 1 अगस्त, 1991 से 31 अक्तूबर, 1991 के दौरान देश में हुए प्रमुख साम्प्रदायिक दंगों का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

स्थान का नाम व तारीख	मुख्य कारण
1. आंध्र प्रदेश	
हैदराबाद (सितम्बर 22-28, 1991)	अन्य समुदाय के समाज विरोधी तत्वों द्वारा गणेश विसर्जन जुलूस पर पथराव करना।
2. बिहार	
चक्रधरपुर (जिला-सिंहभूम) (अगस्त 8, 1991)	एक मुसलमान द्वारा एक आदिवासी लड़की से बलात्कार करना।

लोक आदेश राज्य का विषय होने के कारण साम्प्रदायिक दंगों में शिकार हुए व्यक्तियों के निकटतम संबंधी को अनुग्रह राहत देने के बारे में निर्णय लेना राज्य सरकार का कार्य है। इस बारे में केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों में मृत्यु हो जाने पर 50,000 रुपए की अनुग्रह राहत देने का प्रस्ताव है।

बिहार सरकार ने सूचित किया है कि साम्प्रदायिक हिंसा में शिकार हुए व्यक्तियों के परिवारों को एक लाख रुपये प्रति परिवार की दर से अनुग्रह राहत देने की मुख्य मंत्री ने घोषणा की थी, जिसमें से 10,000 रुपए की राशि का प्रत्येक को भुगतान कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

भारत का 23वां अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

448. **श्री डी० माडे गोडा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1992 में बंगलौर में भारत का 23वां अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो उक्त समारोह पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है;

(ग) प्रस्तावित फिल्म समारोह में फिल्म जगत के कितने प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है; और

(घ) इसमें कितने देशों के भाग लेने की संभावना है; और

(ङ) उक्त समारोह के आयोजन पर हुए व्यय का कितना हिस्सा कर्नाटक सरकार वहन करेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार द्वारा 90 लाख रुपए खर्च किए जाने का अनुमान है।

(ग) करीब 115 विदेशी और भारतीय फिल्म निर्माताओं, कलाकारों, प्रोड्यूसरों आदि के समारोह में अतिथि के रूप में भाग लिए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा भारतीय फिल्म उद्योग और फिल्म संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले करीब 3,000 व्यक्ति और करीब 400 फिल्म पत्रकारों, फोटोग्राफरों आदि को समारोह के लिए प्राधिकृत किए जाने की आशा है।

(घ) जिन देशों के साथ भारत के राजनयिक संबंध हैं, उन्हें आमंत्रण पत्र भेज दिए गए हैं। उम्मीद है कि अधिकांश फिल्म निर्माता देश के इस समारोह में भाग लेंगे।

(ङ) समारोह आयोजित करने के लिए कुछ आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा खर्च वहन किया जायेगा।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति

449. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1991 से 31 अक्तूबर, 1991 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और अनेक अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ख) उपरोक्त अधिनियमों के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों में से भूतपूर्व और वर्तमान संसद सदस्यों एवं विधायकों की पृथक्-पृथक संख्या कितनी है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

उपग्रह के माध्यम से आस्ट्रेलिया के शारजाह कप का प्रसारण

450. **श्री गंगाधरा सानीपल्ली** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपग्रह के माध्यम से आस्ट्रेलिया के शारजाह कप का प्रसारण करने के लिए कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई;

(ख) देश में यह खेल देखने वालों का प्रतिशत क्या है;

(ग) मैचों को प्रायोजित कराके कितना राजस्व प्राप्त किया गया; और

(घ) मैचों के प्रसारण के दौरान दिए जाने वाले विभिन्न विज्ञापनों के माध्यम से कितना राजस्व अर्जित किया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) दूरदर्शन द्वारा शारजाह कप क्रिकेट मैचों की कवरेज पर कोई विदेशी मुद्रा खर्च नहीं की गई।

(ख) दूरदर्शन के अनुसार इन मैचों का प्रसारण देखने वालों की संख्या 16 प्रतिशत से 40 प्रतिशत के बीच रही।

(ग) और (घ) इस खेल प्रतियोगिता की कवरेज से दूरदर्शन को 52.55 लाख रुपए प्राप्त हुए।

[हिन्दी]

समाज के कमजोर वर्गों का उत्पीड़न

451. **श्री अरविन्द त्रिवेदी** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों का उत्पीड़न रोकने के लिए कोई समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति ने कमजोर वर्गों का उत्पीड़न रोकने के लिए कुछ सिफारिशें की हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और ये सिफारिशें कब तक कार्यान्वित की जाएंगी ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केरल में अल्लेप्पी में टेलीफोन एक्सचेंज का आधुनिकीकरण

452. **श्री टी० जे० अंजलोज** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल के अल्लेप्पी जिले में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार और आधुनिकीकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां।

(ख) विवरण इस प्रकार है :—

(i) कुल 38 टेलीफोन एक्सचेंजों में से चार को पहले ही उपयुक्त क्षमता के इलेक्ट्रोनिक

एक्सचेंजों में बदला जा चुका है। कम क्षमता वाले 4 इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों को वर्ष 1991-92 के दौरान विस्तार करने की योजना है।

(ii) 14 इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्सचेंजों को उपयुक्त क्षमता वाले इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों में बदलने की योजना है तथा ऐसे दो एक्सचेंजों का वर्ष 1991-92 के दौरान विस्तार करने की योजना है।

(iii) वर्ष 1991-92 के दौरान अल्लेप्पी में मौजूदा एक्सचेंज को बदलकर 3000 लाइनों की क्षमता वाले एक क्रास-बार एक्सचेंज की संस्थापना की योजना है।

(iv) 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शेष 15 इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्सचेंजों को आधुनिक इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों में उत्तरोत्तर बदलने का प्रस्ताव है।

उड़ीसा के विद्युतीकृत गांव

453. **श्री के० प्रधानी** : क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा राज्य के कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया;

(ख) अभी कितने और गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जाएगा ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में 6,324 गांवों का विद्युतीकरण किया गया।

(ख) 31-10-1991 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में 14,864 गांवों का विद्युतीकरण किया जाना शेष है।

(ग) चालू वर्ष के दौरान उड़ीसा में 1000 गांवों का विद्युतीकरण किए जाने का कार्यक्रम है।

ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि

454. **श्री बी० देवराजन** : क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऊर्जा का उत्पादन अब भी निर्धारित लक्ष्य से कम हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी निम्नानुसार है :—

(मिलियन यूनिट में)

उत्पादन का स्वरूप	कार्यक्रम 1991	अवधि अप्रैल-अक्तूबर वास्तविक 1991	वास्तविक 1990	कार्यक्रम की अपेक्षा प्रतिशतता	पिछले वर्ष का प्रतिशत 1991/1990
ताप	117571	114142	101691	97.1	112.2
न्यूक्लीय	3637	2939	3629	80.8	81.0
जल	40951	46152	43571	112.7	105.9
जोड़	162159	163233	148891	100.7	109.6

देश में इलेक्ट्रोनिक स्विच फैक्टरियां स्थापित करने की योजना

455. **श्री परसराम भारद्वाज :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में और अधिक इलेक्ट्रोनिक स्विच फैक्टरियां स्थापित करने की कोई योजना तैयार की है ताकि 2000 ईस्वी तक प्रत्येक गांव में सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूरा किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और कितने उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या सरकार सेल्लूअर अथवा कार टेलीफोनों का निर्माण करने के लिए प्रस्तावित परियोजना के साथ आगे बढ़ रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां।

(ख) अलग-अलग क्षमता वाले विभिन्न किस्मों के एक्सचेंजों को 24.8 लाख लाइनें प्रति वर्ष की कुल उत्पादन क्षमता वाली अनेक इलेक्ट्रानिक स्विचन फैक्टरियां स्थापित की गई हैं।

(ग) और (घ) भारत सरकार द्वारा घोषित नई औद्योगिक नीति के अनुसार, इन मदों के विनिर्माण के लिए किसी प्रकार की अनुज्ञप्ति/अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

बढ़ी हुई दर पर सम्पत्ति कर के बिल

456. **श्री मनोरंजन सुर :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने बढ़ी हुई दरों पर गृह कर के बिल भेजे हैं और यदि कोई शिकायत है, तो मालिकों से उसे दर्ज करने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो संपत्ति कर, विशेष रूप से अपने कब्जे वाली संपत्ति पर बढ़ी हुई दरों के बिल भेजने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम०

जैकब) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम में संशोधन किए जाने के परिणामस्वरूप, जहां कहीं इस प्रकार की संपत्तियों में पुनरीक्षण की आवश्यकता है, उनके संबंध में संशोधित बढ़े हुए कर योग्य मूल्य के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। कर-दाताओं/संपत्ति के स्वामियों से अपनी आपत्तियां दायर करने के लिए कहा गया है।

टेलीफोन अदालतें

457. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन अदालतों का आयोजन करने, उन पर विचार करने और मामले निपटाने के क्या नियम, विनियमन और प्रक्रिया हैं;

(ख) 11 जनवरी, 1990 से लेकर 31 अक्तूबर, 1991 तक गुजरात के विभिन्न जिलों, दिल्ली और देश के अन्य भागों में कितनी टेलीफोन अदालतें आयोजित की गईं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक अदालत में कितने मामले दर्ज किए गए और कितने मामले निपटाए गए;

(घ) इन अदालतों के कार्य पर सरकार, समाचारपत्रों और जनता की क्या प्रतिक्रियाएं हैं; और

(ङ) 1 दिसंबर, 1991 से 1992 तक गुजरात के जिलों में ऐसी कितनी अदालतें आयोजित किए जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) से (ङ) संबंधित यूनिटों में सदामित जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

कर्नाटक के हरिजनों और जनजातियों के लिए कल्याणकारी योजना

458. **श्रीमती बासवा राजेश्वरी** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु कुछ कल्याणकारी योजनाएं बनायी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये योजनाएं इस क्षेत्र के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजाति के लिए लाभकारी होंगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (घ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियो के कल्याण के लिए, कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में, केन्द्रीय सरकार की निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही हैं :--

(1) विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता।

(2) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति।

(3) कोचिंग तथा सम्बद्ध योजना।

(4) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए पुस्तक बैंक।

(5) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम तथा सफाई कर्मचारियों की मुक्ति ।

(6) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए बालिका छात्रावास ।

(7) आदिवासी उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता ।

(8) भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास परिसंघ लिमिटेड ।

(9) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लड़कों के लिए छात्रावास (नई योजना) ।

(10) आदिवासी क्षेत्रों में से बीजों तथा तेल मूल के वृक्ष का विकास ।

(11) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता ।

(12) अनुसंधान तथा प्रशिक्षण ।

(13) अस्वच्छ व्यावसायों में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृतियां ।

(14) संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परंतुक के अंतर्गत योजनाएं ।

(15) राज्य स्तर के अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम में समान भागीदारी ।

(16) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम ।

(17) भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास परिसंघ लिमिटेड को मूल्य समर्थन ।

(18) भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास परिसंघ लिमिटेड को सहायता अनुदान ।

(19) आदिवासी उप-योजना में आश्रम विद्यालय ।

[हिन्दी]

लारेंस रोड, नई दिल्ली में गृह कर का निर्धारण

459. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिहायसी कालोनी लारेंस रोड, नई दिल्ली में मनमाने ढंग से गृह कर के निर्धारण के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो एक समान मकानों के लिए भिन्न-भिन्न दरों पर गृह कर निर्धारित करने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नही हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची

460 **प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रत्येक श्रेणी में कुल कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(ख) प्रतीक्षा सूची के सभी व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन कब तक दिए जायेंगे?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) महाराष्ट्र में 31-10-1991 की स्थिति के अनुसार श्रेणीवार प्रतीक्षा सूची इस प्रकार है :—

ओवाईटी	43232
विशेष	13357
सामान्य	393631
जोड़	450220

(ख) आठवीं योजना के मसौदे में दिये गए प्रस्तावों के अनुसार आठवी योजना के अन्त तक निम्नलिखित कार्य निपटाने के उद्देश्य से विस्तार के कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं :

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवहारिक मांग पर टेलीफोन प्रदान करना; और

(ii) बड़ी प्रणालियों में प्रतीक्षा की अवधि को कम करके 2 वर्ष तक सीमित रखना।

तदनुसार उपर्युक्त प्रतीक्षा सूची आठवीं योजना अवधि के दौरान उत्तरोत्तर निपटा ली जायेगी।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षित कोटा भरने सम्बन्धी विधेयक

461. **श्री राम विलास पासवान** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का संसद के चालू सत्र के दौरान अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया पड़े कोटे को भरने के लिए कोई विधेयक लाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) इस मामले की जांच की जा रही है।

राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक में चर्चा किए गए विषय

462. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय एकता परिषद् का गत तीन वर्षों के दौरान कितनी बार पुनर्गठन किया गया;

(ख) राष्ट्रीय एकता परिषद् के गठन के लिए क्या मानदंड अपनाये गए हैं और इस परिषद् के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय एकता परिषद् की कितनी बैठकें आयोजित की गयी हैं और प्रत्येक बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इस परिषद् की बैठक में किन-किन मामलों पर चर्चा हुई और उनमें क्या-क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये; और

(ङ) सरकार ने राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक में लिए गये निर्णयों के अनुपालन के लिए क्या कदम उठाये हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (**श्री एम० एम० जैकब**) : (क) से (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय एकता परिषद् का गठन दो बार किया गया। राष्ट्रीय एकता परिषद के गठन के लिए कोई निश्चित मानदंड नहीं है। तथापि कुछ केन्द्रीय मंत्रियों, सभी राज्यों और विधान सभा वाले संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों और राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के नेताओं और क्षेत्रीय राजनैतिक दलों के नेताओं, जिन्हें चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है, और जिनका सदन के किसी एक सभा में कम से कम एक निर्वाचित सदस्य हो, जो राष्ट्रीय एकता परिषद् के पदेन सदस्य हों, के अलावा विभिन्न क्षेत्रों अर्थात व्यापार उद्योग, श्रमिक संघ, प्रचार माध्यम के कुछ अन्य प्रमुख व्यक्तियों को भी प्रधानमंत्री द्वारा, जो परिषद के पदेन अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद के सदस्यों के रूप में नामित किया जाता है।

2. पिछले तीन वर्षों के दौरान, राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक तीन बार हुई और कुछ विशेष आमंत्रितों सहित 111, 80 और 121 सदस्यों ने इन बैठकों में भाग लिया। 11-4-90 और 22-9-90 की बैठक में असम, पंजाब, कश्मीर राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद संबंधी मामले और देश में सामान्य साम्प्रदायिक स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया और उचित संकल्प पारित किए गए। हाल ही में 2-11-1990 को हुई बैठक में राम-जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद मामले के संदर्भ में साम्प्रदायिक सौहार्द पर विचार-विमर्श किया गया और संकल्प पारित किया गया।

3. 11-4-1990 को हुई बैठक में क्रमशः जाति और साम्प्रदायिक सौहार्द, शिक्षा और जन-संपर्क माध्यमों से संबंधित तीन समितियां गठित करने का निर्णय किया गया। 2-11-1991 को हुई हाल की बैठक में यह निर्णय किया गया कि एक स्थायी समिति का गठन किया जाय।

4. राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठकों में लिए गए निर्णयों को कार्यान्वियन के लिए राज्य सरकारों और सम्बन्धित मंत्रालयों को भेजा जाता है। राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद का मामला न्यायाधीन है।

[अनुवाद]

पाकिस्तानी घुसपैठिये

463. **श्री जीवन शर्मा** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में घाटी के सुदूर क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना के नियमित सैनिकों को सिविल वेषभूषा में गिरफ्तार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) इस बारे में अपुष्ट समाचार है कि घाटी के कुछ पाकिस्तानी सेना के कार्मिक चोरी-छुपे घुस आए हैं, परन्तु अभी तक कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। घुसपैठ की रोकथाम के लिए सरकार ने सीमा पर पहले ही चौकसी बढ़ा दी है। जम्मू व कश्मीर सरकार ने संवेदनशील स्थानों की पहचान करना तथा आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए गुटों को सक्रिय करना तेज कर दिया है, घात लगाकर नाकाबन्दी करना तथा प्रभावी/संवेदनशील स्थानों पर प्रभावकारी अर्ध-सैनिक बलों को तैनात करना, सामरिक क्षेत्रों में दिन और रात की गश्त लगाना, आतंकवादियों और धन ऐंठने वालों के छिपने के स्थानों पर छापे मारना बढ़ा दिया गया है। आसूचना को भी मजबूत किया गया है।

राजनीतिक नियुक्तियों पर नियुक्त व्यक्तियों के वेतन में कटौती

464. **श्री चेतन पी० एस० चौहान** :
कुमारी दीपिका चिखलिया :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1991 के दौरान आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में सभी राजनीतिक नियुक्तियों पर नियुक्त व्यक्तियों के वेतन में 10 प्रतिशत कटौती की सिफारिश की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष कितनी बचत होगी ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) नई दिल्ली में दिनांक 4-5 अक्तूबर, 1991 को हुई मुख्य मंत्रियों की बैठक में सरकार के अत्यधिक व्यय से संबंधित कार्यसूची के मद पर विचार-विमर्श करते हुए प्रधान मंत्री ने सभी मुख्य मंत्रियों से अपील की कि देश में सभी राजनीतिक पद-धारकों के वेतन में स्वेच्छा से कम से कम 10 प्रतिशत की कटौती होनी चाहिए। सम्मेलन ने प्रधान मंत्री की इस अपील का अनुमोदन किया। इसे आवश्यक कार्रवाई हेतु सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों पांडिचेरी के मुख्य मंत्रियों, राष्ट्रपति शासन के अधीन सभी राज्यों के राज्यपालों तथा अन्य संघ शासित क्षेत्रों के उप-राज्यपालों/प्रशासकों तथा सभी केन्द्रीय मंत्रियों के भी ध्यान में लाया गया है।

इस अपील के कार्यान्वयन के संबंध में स्वेच्छापूर्वक कटौती हेतु कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है तथा बचत की कोई गणना उपलब्ध नहीं है।

उड़ीसा में शाखा डाकघर

465. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या संचार मंत्री 18 जुलाई, 1991 के तारांकित प्रश्न संख्या 359 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान उड़ीसा में किन-किन स्थानों और जिलों में 88 शाखा डाकघर और 7 विभागीय उप-डाकघर खोले गए; और

(ख) क्या वर्ष 1991-92 में 100 शाखा डाकघर और 10 विभागीय उप शाखा डाकघर खोलने का निर्णय लिया गया है, और ये डाकघर कहां-कहां खोले जाएंगे, तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जानकारी संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

(ख) जी, हां। 1991-92 में 100 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों और 10 विभागीय उप-डाकघरों को खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शाखा डाकघरों से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है। जहां तक विभागीय उप-डाकघरों का संबंध है, प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं।

विवरण-1

उड़ीसा सर्किल में जिन स्थानों पर वर्ष 1990-91 के दौरान 88 शाखा डाकघर और 7 विभागीय उप-डाकघर खोले गए, उनका जिले-वार विवरण

क्रम सं० जिला बोलनगीर

अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का नाम

1. मुंडमेरहुल	2. अंकरियाबार
3. कंधानमूला	4. सिरागुर
5. श्रिगडाल	6. सिकल
7. चलकी	8. सलांडी

जिला कटक

1. लेमबो	2. कुसुम्बी
3. भागवानपुर	4. कांसो
5. दशरथीपुर	6. तेंतुलीगारी
7. बरूनई	8. बाबापोखरी
9. मसुलिया	10. पुदासाही

जिला गंजम

1. कोसुरू	2. जगनाथपुर
3. बाडपाली	

जिला बालासोर

1. बिटा	2. गोबिन्दपुर
3. बरसार	4. रूडसांग

जिला ढेनकनाल

1. जामुदुली	2. राइयाला
3. बांकुआल	4. खजूरिया
5. कान्हापुर	6. कुदागांव

जिला कालाहांडी

1. जोगसाईपटना	2. लाखबहल
3. पंडापडार	4. भालेश्वर
5. रिंजा	6. फाटकमल
7. बड़गन	8. गौडसुल्ला
9. तरलाखामल	10. कुडाबंडसा
11. बंगकारलाकसेमल	12. तुनंगभवा
13. गुडेलगुडा	14. इकतारा
15. कुदुलाझाड़	

जिला क्योंझर

1. धनुरजयपुर	2. बड़गोडा
3. कुसाकला	4. मुकपापुर
5. डिबरीमुंडा	6. कौरीकला
7. संगिरि	8. खजूरीबामी

जिला मयूरभंज

1. परमारा	2. पहालब

जिला पुरी

1. रामलेलका	2. ख्वासपुर
3. मोरदाबाड़ी	4. छामंडपल्ली

जिला सुन्दरगढ़

1. बावलकी

जिला कोरापुट

1. लक्ष्मीपुरगुमदा	2. तुबालगुडा
3. रालीगुडा	4. बरियाबेरा
5. बेनाकन	6. बोल्लीगुमा
7. पेस्टंगा	8. बाहपांकला

9. कैताम 10. दुबरनाली

11. भापलतुर 12. मुंडाकेटा

13. मेतालक

जिला फूलबनी

1. डालाकिया

जिला सम्बलपुर

1. जामझोरी 2. मालीबड़ा

3. भाइसबाड़ा 4. शारीकला

5. कालाबिलासपुर 6. रौतबा

7. सरगांबिही 8. गंडबहल

9. अइनलापाली 10. मसदियांगकुदार

11. माहुलपाली 12. नीलेश्वर

13. ताम्परगढ़

विभागीय उप-डाकघर

जिला बालासोर

1. उत्तरवासिनी

जिला कोरापुट

1. मारत्युदा 2. वारिणीपुट

3. नगसबासे सुनाबेड़ा

जिला सम्बलपुर

1. ओरियंट कोलियरी बृजराजनगर

जिला पुरी

1. चन्द्रशेखरपुर हाउसिंग बोर्ड कालोनी

जिला भुवनेश्वर

1. आई० आर० सी० विलेज, भुवनेश्वर

विवरण-2

वार्षिक योजना 1991-92 के दौरान उड़ीसा सर्किल में खोले जाने वाले प्रस्तावित डाकघरों का ब्यौरा बशर्ते कि उनका औचित्य हो

1. जिला कटक

1. दधिबामनूर 2. जसियारा

3. आला 4. गाराजंग
5. शंकरपुर 6. नखई
7. अन्नानकरू 8. दारकांडा
9. जसनियाली 10. नुसौ
11. नाधतुर 12. मंगलपुर
13. मेवुआकुल 14. पीथाटाडा
15. कलांगिरि 16. गोपीनाथपुर
17. उकुन्द्रा 18. झाड़काटा
19. बाजपुरा 20. खिरो
21. संसाइलो 22. कंटाग
23. तातरंगा 24. रेखपिवाझाड़
25. पातपुर 26. धांधगांव
27. जाअंग 28. तौंतारा
29. रामकृष्णपुर 30. पुरुनापानलामम

2. जिला पुरी

1. नौपाड़ा 2. नापथानपुर
3. ओला 4. माबिलसार
5. अंबतारा 6. दुधिनदुरा
7. भरतपुर 8. ओनंदवातना
9. अरखीपाली 10. भटबूटीपुर
11. तारसमपुर 12. गोडा

3. जिला बोलनगीर

1. धंटबाहली 2. आमबाली
3. बासनवसा 4. उड़ियाडाली

4. जिला फूलबनी

1. बुड़ थापपल्ली 2. बारापदार
3. बपबानेगांव 4. सुतियाया

5. जिला कालाहांडी

1. कांकुतुरू 2. कुंआर
3. रौरातजिवी 4. नागीगुड़ा

5. गंडामूर 6. बड़ापुजारीगढ़
7. अमंगुडा 8. कोइलगांव
9. अनिली 10. उवेसुरानवे

6. जिला बालासोर

1. कांडीनिथ

7. धेनकनाल

1. पाड़ा

8. जिला गंजम

1. जिलीगोडा 2. आगिलीगोडारा
3. पल्लीपडनाबतुर 4. देंगतावर

9. जिला कोरापुट

1 पेंडाकोंडा 2. पापुलोर
3. बामुगुडा 4. दामगरपौसी
5. ओम्बरांगी 6. त्रिबिल
7. देसेवुवुडा 8. पांचाली
9. पुजारीगुडा 10. पेंटा
11. भावसेउरी 12. जिल्यूंडा
13. सजारीडांगा 14. कोवरगुलुमा
15. नसवोन 16. पुजारीगुडा

10. जिला क्योंझर

1. तेंड्रा 2. सासंग

11. सुन्दरगढ़ जिला

1. कियाकाकसर 2. तेलानविसी
3. कलांवा

12. जिला मयूरभंज

1 पाइकबाड़ा 2. दोदरुमा
3. कसुंदाबल 4. बसाबिल
5. यशसविशा 6. जगनात्सपुर
7. बाइकरंजिया

13. जिला सम्बलपुर

1. घुलगुटी　　　　2. बिसीपल्ली

3. खतियापल्ली　　　　4. विचिंडा

5. सुहुंगा　　　　6. पिलइबुनी

जम्मू और कश्मीर के लिए योजना

466. श्री दिलीप सिंह भूरिया :

श्री चित्त बसु :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमा पार से पृथकतावादियों और घुसपैठियों के कारण जम्मू और कश्मीर में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने की चुनौती से निपटने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) सरकार ने, आतंकवाद और सीमा पार से घुसपैठ के विरुद्ध सक्त उपायों को अपनाकर, लोगों की वास्तविक कठिनाइयों पर ध्यान देकर और आतंकवादी हिंसा से निपटने में उनका सहयोग लेकर और अन्तराष्ट्रीय आतंकवाद का समर्थन करने और हमारे आन्तरिक मामलों में अत्याधिक दखल देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ दृढ़ जनमत तैयार करने जैसे उपायों को अपनाकर स्थिति से निपटने की योजना बनायी है।

समवर्ती सूची की पुनरीक्षा हेतु अन्तर्राज्यीय परिषद की उप-समिति की बैठक

467. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारिया आयोग की सिफारिश के आधार पर गठित अन्तर्राज्यीय परिषद् की उप-समिति की 25 सितम्बर, 1991 को आयोजित प्रथम बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ समवर्ती सूची की पुनरीक्षा एवं राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके एक केन्द्रीय विधेयक पेश किए जाने के संबंध में चर्चा हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) सरकारिया आयोग की सिफारिशों की जांच करने के लिए गठित अन्तर्राज्यीय परिषद की उप-समिति की 26 सितम्बर, 1991 को नई दिल्ली में हुई पहली बैठक में केन्द्र और राज्यों के बीच वैधानिक संबंधों से संबंधित सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की गई।

उप-समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ समवर्ती सूची के विषयों से संबंधित विधेयक से संबंधित सिफारिशों और समवर्ती सूची की पुनरीक्षा के मुद्दे पर चर्चा की।

अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा

468. श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा की देखभाल हेतु एक नये विभाग की स्थापना की है;

(ख) क्या विदेशी दूतावासों के राजनयिकों की सुरक्षा और राजनीतिक अपहरणों के मामलों की देखभाल इस विभाग द्वारा की जायेगी; और

(ग) क्या राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जो प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा देखते हैं, इस नये स्थापित विभाग के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) गृह मंत्रालय में अभी नए सृजित "सुरक्षा प्रभाग" द्वारा विदेशी मिशनों तथा राजदूतों की सुरक्षा की देखभाल की जाएगी ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

ईसाई धर्म अपनाने वाले हरिजन

469. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईसाई धर्म तथा अन्य धर्मों में परिवर्तित हरिजनों को अनुसूचित जातियों के लाभ प्राप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास ऐसे मामलों का पता लगाने तथा इन्हें रोकने हेतु एक प्रणाली विकसित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) जी नहीं ।

(घ) अब तक संशोधित संविधान (अनुसूचित जाति), आदेश 1950 के पैरा 3 के अनुसार—"कोई भी व्यक्ति जो हिन्दू या सिख अथवा बौद्ध धर्म से भिन्न किसी धर्म को अपनाता है तो उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा" ।

राज्यों में नक्सलवादी गतिविधियां

470. **श्री राम राय** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में नक्सलवादी गतिविधियों को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, क्या सरकार ने इस संबंध में सरकारी गतिविधियों के समन्वय के लिए हैदराबाद को मुख्यालय बनाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) हाल ही में गृह मंत्री द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और उड़ीसा के मुख्य मन्त्रियों ने भाग लिया था। इस बैठक में किए गए विचार-विमर्श के अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर सहमति हुई कि राज्य सरकारें एक्शन प्लान तैयार करेंगी, जिनमें कानून व व्यवस्था बनाए रखने तथा विकासोन्मुख उपायों को समाविष्ट किया जाएगा, जो समस्या को मूल रूप से समझने के लिए आवश्यक हैं। इस बैठक से जो एक आम सहमति हुई वह यह है कि इस संबंध में गृह मन्त्रालय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। गृह मन्त्री ने इस मामले में राज्य सरकारों को सभी प्रकार की मदद देने का आश्वासन दिया। अधिकारी (शासकीय) स्तर की एक अनुवर्ती बैठक दिनांक 31 अक्तूबर, 1991 को हैदराबाद में हुई, जिसमें विभिन्न प्रशासनिक व अन्य उपायों पर विचार किया गया।

मुस्लिमों और ईसाईयों के लिए पृथक रोजगार कोटे की मांग

471. श्री शरद दिघे :

श्री राम नाईक :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुसलमानों और ईसाईयों के इन समुदायों को शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता देने तथा उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनके लिए पृथक रोजगार कोटा प्रदान करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय लिया जाएगा ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मन्त्रालय (कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग) द्वारा जारी किए गए दिनांक 13 अगस्त, 1990 के का० ज्ञा० के तहत भारत सरकार के सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पदों/सिविल सेवाओं में 27% रिक्तियां सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित की गई हैं जिसमें सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े कुछ मुस्लिम तथा ईसाई वर्ग भी शामिल होंगे। भारत सरकार के अधीन सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पदों/सिविल सेवाओं में आर्थिक रूप से पिछड़े अन्य वर्गों के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था करने हेतु उक्त कार्यालय ज्ञापन में 23 सितम्बर, 1992 को संशोधन किया गया है। इसमें मुस्लिम और ईसाईयों के कुछ ऐसे वर्गों को भी शामिल किया जाएगा जो इस संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित आय के मानदण्डों को पूरा करते हों।

सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा नागरिकों के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का सम्पूर्ण प्रश्न उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष विचाराधीन है।

विश्व बैंक द्वारा विद्युत परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने से मना करना

472. श्री चित्त बसु : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने भारत में किसी भी विद्युत परियोजना हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए मना कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विश्व बैंक ने विद्युत स्थिति में सुधार के लिए कुछ सुधारात्मक उपाए सुझाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) विश्व बैंक ने नवम्बर, 1989 में "पांवर सैक्टर एफिसिएन्सी रिव्यू" नामक एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें विद्युत की स्थिति में सुधार हेतु अनेक सुझाव दिए गए थे। बैंक की मुख्य सिफारिशों में ये शामिल थे :—राज्य बिजली बोर्डों, क्षेत्रीय बिजली बोर्डों और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की पुनः संरचना करना, प्रणाली प्रचालन प्रक्रियाओं और कोयले की गुणवत्ता इत्यादि में सुधार करना। 1990 और 1991 में बैंक ने "विद्युत क्षेत्र में दीर्घावधि वाले मुद्दों" के सम्बन्ध में व्यापक अध्ययन किए थे। बैंक की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

बरेली में इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज

473. **श्री राजवीर सिंह** : क्या **संचार मंत्री** 19 अप्रैल, 1990 के तारांकित प्रश्न संख्या 522 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरेली में इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज चालू न करने के क्या कारण हैं; और

(ख) इस एक्सचेंज के कब तक चालू हो जाने की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) बरेली के लिए 1000 लाइन के डिजीटल ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज (ई-10 बी) सहित 4000 लाइन का एक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज (रिमोट लाइन यूनिट) अलाट किया गया है। इस इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज को 1993-94 के दौरान चालू किए जाने का प्रस्ताव है। चालू करने संबंधी कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यह इलेक्ट्रानिक एक्सचेंस 1990-91 के 50,000 लाइनों (वास्तव में 58170 कुल चालू की जाएंगी), नई लाइनें चालू करने के कार्यक्रम के अतिरिक्त हैं। 9-3-1991 से 1200 लाइनें चालू की गईं, जबकि इलेक्टो-मेकेनिकल एक्सचेंज की केवल 300 लाइनों के विस्तार की योजना थी।

[हिन्दी]

हल्द्वानी/बाजपुर में एस० टी० डी० सुविधा

474. **श्री बलराज पासी** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हल्द्वानी तथा बाजपुर में एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध करने के लिए मंजूरी दी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या तब से इन क्षेत्रों के निवासियों को यह सुविधा प्रदान की जा चुकी है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह सुविधा कब तक उपलब्ध कराये जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) हल्द्वानी एक्सचेंज के स्वचालीकरण न होने तथा बाजपुर के लिए संचारण माध्यम उपलब्ध न होने के कारण ऐसा नहीं किया जा सका।

(घ) मार्च, 1993 तक।

बिहार में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज

475. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में इलेक्ट्रानिक एक्सजेंजों की कुल संख्या क्या है और उन प्रणालियों के जिलावार नाम क्या हैं जिनसे यह एक्सचेंज संबद्ध हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान कितने टेलीफोन एक्सचेंजों की इलेक्ट्रानिक अथवा सी-डॉट एक्सचेंजों में परिवर्तित किया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे पुराने टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या क्या है जिनको आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों में परिवर्तित किये जाने की संभावना है और इस संबंध में बिहार के रांची जिले की क्या स्थिति है ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) बिहार में कुल 118 इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज हैं। स्विचिंग प्रणालियों का जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान 97 इलेक्ट्रोमकेनिकल/मैनुअल एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदला गया है। ब्यौरे संलग्न विवरण-2 में दिये हैं।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, रांची जिले के 7 एक्सचेंजों सहित 296 इलेक्ट्रोमकेनिकल/मैनुअल एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदले जाने की संभावना है।

विवरण-1

बिहार में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों का जिलावार ब्यौरा

क्रम सं०	जिलों का नाम	सी-डॉट	एच आई एल टी	ई एस ए एक्स	एन ई ए एक्स	आई एल टी	ई-10 बी	आर एल यू	पी आर एक्स
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	रोहतकरन	1	1	—	—	—	—	—	—
2.	भागलपुर	3	—	—	—	—	—	—	—
3.	साहिबगंज	—	—	1	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	छपरा	3	—	—	—	—	—	—	—
5.	गोपालगंज	—	—	—	1	—	—	—	—
6.	सीवान	1	—	—	—	—	—	—	—
7.	दरभंगा	1	1	—	—	—	—	—	—
8.	बेगूसराय	2	—	—	1	—	—	—	—
9.	खगड़िया	—	1	—	—	1	—	—	—
10.	मधुबनी	5	—	—	1	—	—	—	—
11.	समस्तीपुर	2	—	—	—	—	—	—	—
12.	देवगढ़	1	—	—	—	—	—	—	—
13.	दुमका	1	—	—	1	—	—	—	—
14.	गोड्डा	—	—	1	—	—	—	—	—
15.	धनबाद	2	—	—	—	—	—	—	—
16.	पालामऊ	1	—	—	—	—	—	—	—
17.	औरंगाबाद	—	1	—	1	—	—	—	—
18.	गया	1	1	—	—	—	—	—	1
19.	जाहानाबाद	—	—	1	—	—	—	—	—
20.	नवादा	—	—	—	1	—	—	—	—
21.	गिरीडीह	3	1	—	—	—	—	—	—
22.	हजारीबाग	5	1	—	1	—	—	—	—
23.	सिंहभूम (पूर्व)	1	—	—	—	—	—	—	—
	,, (पश्चिम)	4	—	—	—	—	—	—	—
24.	अररीया	1	—	—	—	1	—	—	—
25.	कटिहार	1	—	—	—	—	—	—	—
26.	पूर्णिया	2	—	—	1	—	—	—	—
27.	किशनगंज	1	—	—	—	—	—	—	—
28.	चम्पारन (पूर्व)	2	—	—	—	4	—	—	—
	,, (पश्चिम)	1	—	—	—	1	—	—	—
29.	मुजफ्फरपुर	2	1	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	सीतामढ़ी	?	—	—	1	—	—	—	—
31.	वैशाली	4	—	—	1	—	—	—	—
32.	नालन्दा	2	1	—	—	—	—	—	—
33.	पटना	6	1	—	—	—	1	4	—
34.	गुमला	—	—	1	—	—	—	—	—
35.	लोहारदगा	1	—	1	—	—	—	—	—
36.	रांची	1	—	—	—	—	1	—	—
37.	माधोपुरा	1	1	1	—	—	—	—	—
38.	सहरसा	6	—	—	1	—	—	—	—
		79	11	6	11	3	2	5	1

योग : 118

विवरण-2

इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदले गए इलेक्ट्रो-मकेनिकल/
मैनुअल एक्सचेंजों का ब्यौरा

1. स्ट्रोजर एम ए एक्स I	—	2
2. स्ट्रोजर एम ए एक्स II	—	3
3. स्ट्रोजर एम ए एक्स III	—	70
4. मैनुअल एक्सचेंज	—	22
	योग :	97

अयोध्या में विवादास्पद भूमि का अधिग्रहण

476. श्री हरि किशोर सिंह : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें मांग की गई हो कि वह अयोध्या में बाबरी मस्जिद-राम जन्म भूमि से संबंधित विवादास्पद भूमि के अधिग्रहण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाये गये कदमों को रद्द करने हेतु हस्तक्षेप करे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क, से (ग) अयोध्या में राज जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद परिसर में भूमि के अधिग्रहण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद केन्द्रीय सरकार को मामले में

हस्तक्षेप करने के लिए अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। मामले को राज्य सरकार के साथ उठाया गया है। बाद में 2 नवम्बर, 1991 को राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में भी इस पर विचार-विमर्श किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने स्पष्ट रूप से परिषद को आश्वासन दिया है कि मामले का सौहार्दपूर्ण हल ढूंढने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद ढांचे के संरक्षण के लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी लेगी और भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के बारे में न्यायालय के आदेशों का पूर्णतः पालन किया जाएगा।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार के भवनों में प्रवेश करने के लिए पासों को जारी करना

477. **श्री छीतूभाई गामीत** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने केन्द्रीय सरकार के भवनों में गैर-सरकारी कर्मचारियों, व्यापारियों/उद्योगपतियों आदि को स्थायी आधार पर प्रवेश पास जारी करने के लिए क्या दिशा-निर्देश जारी किये हैं;

(ख) क्या सरकार के दिशा-निर्देशों के बावजूद भी कुछ व्यापारियों को स्थायी पास जारी किए गये हैं;

(ग) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें पिछले एक वर्ष से ऐसे पास जारी किये गए हैं; और

(घ) इन व्यक्तियों को ऐसे प्रवेश पास जारी करने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) गैर-सरकारी कर्मचारियों को कोई भी स्थायी पास जारी नहीं किए जाते हैं। तथापि, गैर-सरकारी कर्मचारियों जैसे उच्च कोटि के उद्योगपति, महत्वपूर्ण फर्मों इत्यादि के मुख्य एग्ज्यूकेटिव जिन्हें अपने कार्य के संबंध में किसी एक खास मंत्रालय अथवा मंत्रालयों में बार-बार आना पड़ता है उन्हें कतिपय शर्तों के पूरा करने पर एक वर्ष के लिए वैध सीमित पास जारी किए गए थे। पिछले एक वर्ष में जारी इस प्रकार के प्रवेश पासों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

गैर-सरकारी कर्मचारियों की सूची जिन्हें गृह मंत्रालय द्वारा गैर-सरकारी कर्मचारी पास जारी किए गए हैं

1. सर्वश्री बी० एन० सक्सेना, मुख्य रेजीडेंट व पूर्व परामर्शदाता, बिरला ग्रुप आफ इंडस्ट्रीज, ग्वालियर।
2. सी० जे० पैरी, वरिष्ठ अर्थशास्त्री, विश्व बैंक।
3. मार्क डी० टामलिसन, अर्थशास्त्री, विश्व बैंक।
4. रमन, रास, पालोमरनिस, सिंचाई अर्थशास्त्री, विश्व बैंक।
5. कौशिक कोटडिया, समाज सेवक।

6. सर्वश्री मनी नारायण स्वामी, अध्यक्ष यू० बी० ग्रुप आफ इंडस्ट्रीज, नई दिल्ली।

7. एन० राजगोपालन, चेयरमेन, सोवर प्राइवेट लिमिटेड तथा गेसोरस लिमिटेड।

8. एडमिरल एम० एम० चोपड़ा, समाज सेवक } मदर टेरेसा से संबद्ध
9. श्रीमती रोमा चोपड़ा, समाज सेवक

10. सी० डी० लोस रायस, चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक, नेशले इंडिया लि०।

11. कोबिची मोरीजोन, मुख्य प्रतिनिधि, विश्व बैंक।

12. कोरू हयासी, वरिष्ठ प्रतिनिधि, विश्व बैंक।

13. अलोगोन्सो मेनिया, प्रधान वित्तीय विश्लेषक, विश्व बैंक।

14. लोकेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय लघु फार्मास्यूकिटल मैन्युफैक्चरईस एसोशियन, नई दिल्ली।

15. डा० नीलकंठ कल्याणी, चेयरमैन व प्रबंध निदेशक, भारत फोरज लि०।

16. राजेश भार्गव, पेपर लेमिनेटर, भारत स्ट्रा बोर्ड व पेपर मिल्स प्रा० लि०।

17. आर० पी० बिलीमोरिया, चेयरमैन व प्रबंध निदेशक, बिलीमोरिया कंसल्टेंट (प्रा० लि०)।

18. श्रीमती नीरा शास्त्री, अधिकारी (प्रशासन), टीस्को।

19. सुरेश वासुदेव, निदेशक, इंडिया पोलिफाइबरस लि०।

20. आर० पी० गोयंका, चेयरमैन, सीयट लि०।

21. एस० एम० वर्मा, सेवानिवृत्त सचिव, कल्याण मंत्रालय।

22. जे० आर० देसाई, चेयरमैन व प्रबध निदेशक, केल्वीनेटर इंडिया लि०।

23. बी० के० बैनर्जी, महासचिव, डाक विभाग (ट्रेड यूनियन नेता)।

24. जी० के० पदमनाभन, सचिव, डाक विभाग (ट्रेड यूनियन नेता)।

25. एस० के० प्रसाद, महासचिव, डाक विभाग (ट्रेड यूनियन नेता)।

26. डा० गौरी हरी सिंघानिया, चेयरमैन, जे० के० सिंथेटिक्स लि०।

27. बलजीत सिंह वालिया, प्रबंधक, शा वैलेस एंड कं० लि०।

28. श्रीनिवासन रमेश, प्रबंध निदेशक, आर० सी० एंड तकनीकी वित्तीय निगम लि०।

29. रूसी मोदी, चेयरमैन व प्रबंध निदेशक, टाटा आयरन एंड स्टील कं० लि०।

30. विजय मल्या, चेयरमैन, यू० बी० ग्रुप आफ इंडस्ट्रीज, नई दिल्ली।

31. तरुण दास, डी० जी० फेडरेशन आफ इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज।

32. श्री राम राजे, परामर्शदाता, इंडस्ट्रीयल, आक्सीजन एंड एम० एम० एस० उद्योग।

33. सर्वश्री के० सी० जौहरी, चेयरमैन, आर्थिक विकास ग्रुप, नई दिल्ली।

34. रवि वाही, प्रबंधक, नेस्ले इंडिया लि०।

35. एस० डी० भम्भरी, सामान्य प्रबंधक, द ट्रिब्यून ट्रस्ट।

36. सतीश गिनोत्रा, होल टाइम निदेशक, ओसवाल एग्रो मिल्स।

37. आनन्द वर्धान, परामर्शदाता, आब्जर्वर इंडिया लि०।

38. रघुपति सिंघानिया, एम० डी०, जे० के० इंडस्ट्रीज लि०।

39. जे० के० गुप्ता, उपाध्यक्ष, जे० के० इंडस्ट्रीज लि०।

40. एच० एस० सिंघानिया, अध्यक्ष, जे० के० इंडस्ट्रीज लि०।

41. राम० एल० बागड़ी, परामर्शदाता, बम्बई को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रीज आफ इस्टेट्स लि०।

42. राहूल बजाज, चेयरमैन व प्र० नि०, बजाज आटो लि०।

43. नुस्ली एन० वाडिया, चेयरमैन, बम्बई डाइंग व मैन्युफैक्चरिंग कं० लि०।

44. श्रीमती मंजली सक्सेना, महासचिव, इंडियन कमेटी आफ नान-गवर्नमेण्टल आफ यूनाइटेड नेशन्स।

45. डा० एस० एस० राधाकृष्णन नायर, जी० राम० रिस्क कैपिटल रैंक फाइनेंस लि०, नई दिल्ली।

46. जे० एस० कोचर, समाज सेवक, अध्यक्ष, अखिल भारतीय लघु फारमास्यूटिकल एसोसिएशन, नई दिल्ली।

47. शेखर दत्ता, एम० डी० व अध्यक्ष, ग्रिवज व काटन प्रा० लि०।

48. एस० एच० सैयद युसूफ, एम० डी० मैसर्स के० पी० बी० रोयर एंड कं०।

49. इन्द्र शर्मा, चेयरमैन, सीता वर्ल्ड ट्रेवल्स प्रा० लि०।

50. अरुण कुमार बागड़ी, राष्ट्रीय प्रबंधक, द ग्रामोफोन कं० आफ इंडिया।

51. के० आर० छबारिया, एम० डी० शा वैलेस एंड के० लि०।

52. जोन मिडीटन, सीनियर आपरेटिंग आफिसर, विश्व बैंक।

53. डा० चन्द्र गोदावितरने, सीनियर आपरेटिंग आफीसर, विश्व बैंक।

54. राम० आर० छबारिया, चेयरमैन, शा वैलेस एंड के० लि०।

55. सुजीत गुप्ता, निदेशक, टाटा आइरन व स्टील कं० लि०।

56. रतन टाटा, चेयरमैन मै० टाटा संस लि०।

57. राजीव दुबे, चीफ रेजीडेंट एग्जेकेटिव, द टाटा आइरन व स्टील कं० लि०।

58. सर्वश्री कृष्णनन वीरप्पन, कारपोरेट रेजीडेंट मैनेजर, मै० एम० आर० आफ० लि० ।

59. संजय मल्होत्रा, मार्केटिंग मैनेजर, सोवर प्रा० लि० ।

60. आर० पी० शर्मा, उपाध्यक्ष, भारत फोरज लि० ।

61. श्री नाथ, राम० डी०, नाथ ब्रादर्स, पजिम इन्टरनेशनल लि० ।

62. रामु एस० दओरा, अध्यक्ष, फेडरेशन आफ इंडियन युक्सपोर्ट आर्गनाइजेशन ।

63. आर० आर० किदवई, रेजीडेंट मैनेजर, स्पारटेक सेरेमिक्स इंडस्ट्रीज लि० ।

64. शशि भूषण, महासचिव, आल इंडिया फ्रीडम फाइटर्स आरगनाइजेशन व समाज सेवक (भूतपूर्व संसद सदस्य) ।

65. आकटे येनल, चीफ आफ मिशन, विश्व बैंक ।

देश में कार टेलीफोन प्रणाली

478. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में कार टेलीफोन प्रणाली शुरू करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दिशा में कोई प्रयोग किया गया है;

(ग) क्या किन्हीं प्रयोक्ताओं को तैयार ग्राहक के रूप में चुना गया है;

(घ) क्या यह सुविधा विदेशी मुद्रा के भुगतान पर प्रदान की जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) प्रस्ताव की जांच की जा रही है ।

(ख) जी हां । दिल्ली में कार टेलीफोन प्रदान करने के लिए 1985 में एक प्रयोग किया गया था और यही प्रणाली 1986 से काम कर रही है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) और (ङ) इसकी जांच की जा रही है ।

विशाखापत्तनम/आन्ध्र प्रदेश में टी० वी० के दूसरे चैनल का विस्तार

479. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम के साथ-साथ आन्ध्र प्रदेश में टी० वी० के दूसरे चैनल की सुविधा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के महानगरों में सर्वदेशीय जनता की विविध आवश्यकताएं पूरी करने के लिए मुख्यतया द्वितीय चैनल की टी० वी० सेवा आरम्भ की गई है। अन्य केन्द्रों में यह सुविधा शुरू करना इसके लिए साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

चण्डीगढ़ में दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण केन्द्र की स्थापना

480. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ समय पहले चण्डीगढ़ में एक दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण केन्द्र की स्थापना करने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यह केन्द्र कब तक स्थापित होकर कार्य करना शुरू कर देगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां।

(ख) चण्डीगढ़ में प्रस्तावित कार्यक्रम निर्माण सुविधा केन्द्र के लिए स्थल का कब्जा ले लिया गया है और मुख्य उपकरण प्राप्त कर लिया गया है।

(ग) वर्तमान संकेतों के अनुसार इस केन्द्र को 1994-95 के दौरान चालू किए जाने की उम्मीद है।

[हिन्दी]

धारावाहिकों की चयन प्रक्रिया

481. **श्री साईमन मरांडी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन द्वारा धारावाहिकों के चयन हेतु अपनाए जाने वाली प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है तथा जनवरी, 1991 से लेकर आज तक कितने मामलों में यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई और धारावाहिकों के चयन के कितने मामले सरकार के पास लम्बित पड़े हैं;

(ख) दूरदर्शन पर भ्रष्टाचार पर बनी फिल्म "आम आदमी और भ्रष्टाचार" न दिखाए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस फिल्म को कब तक दिखाए जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) संबंधित दूरदर्शन केन्द्र से टेलीकास्ट के लिए विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत टी० वी० धारावाहिकों के प्रस्ताव प्राप्त तथा अनुमोदित किए जाते हैं। इन प्रस्तावों की विभिन्न स्तरों पर जांच की जाती है और फाइनल तौर पर विधिवत गठित समिति द्वारा जांच की जाती है। अनुमोदित तथा टेलीकास्ट किए गए धारावाहिको की कोई केन्द्रीयकृत सूची नहीं रखी जाती।

(ख) और (ग) निर्माता द्वारा प्रस्तुत किए गए "आम आदमी और भ्रष्टाचार" नामक कार्यक्रम को टेलीकास्ट के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया। अतः इसको टेलीकास्ट करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

ताप विद्युत, जल विद्युत एकक

482. **श्री विलासराव नागनाथराव गुण्डेवार** : क्या **विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में ताप विद्युत एवं जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने और इनका वित्तपोषण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) महाराष्ट्र में इन विद्युत परियोजनाओं का वित्तपोषण करने हेतु केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय सहायता और गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा आबंटित की गई धनराशि का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस समय देश में उपलब्ध बिजली का ब्योरा क्या है और अनुमानित मांग की तुलना में इसकी कितनी कमी है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा दूरसंचार के सर्किल कार्यालय के लिए भवन

483. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** :
श्री अनादि चरण दास :

क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कि उड़ीसा दूरसंचार के सर्किल कार्यालय के पास अपना भवन नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो स्थानीय प्रशासन/आवासीय निकाय से भवन/भूखण्ड प्राप्त करने के लिए अब तक किए गए प्रयासों का ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) जी नहीं।

उड़ीसा दूरसंचार सर्किल का सर्किल कार्यालय अब एक विभागीय भवन में काम कर रहा है जो कि डाक और दूरसंचार सर्किल की संयुक्त संपत्ति है।

तथापि स्थान की अपर्याप्तता को देखते हुए उड़ीसा राज्य सरकार के प्राधिकारियों से मौजूदा सर्किल कार्यालय के निकट, सरकारी भूमि आबंटित करने का अनुरोध किया है ताकि भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था की जा सके। मामले को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया।

दूरदर्शन के कार्यक्रमों का कोंकण क्षेत्र में प्रसारण

484. **प्रो० राम कापसे** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि मुम्बई दूरदर्शन अथवा पणजी दूरदर्शन द्वारा प्रसारित कार्यक्रम कोंकण क्षेत्र के काफी बड़े भाग में रहने वाले लोग नहीं देख पाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां।

(ख) दूरदर्शन की वार्षिक योजना 1991-92 के भाग के रूप में सिंधुदुर्ग जिले के कांकौली में एक अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर लगाने का विचार है। कोंकण क्षेत्र में दूरदर्शन सेवा का और अधिक सुधार भविष्य में इस उद्देश्य के लिए साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

बिहार राज्य बिजली बोर्ड द्वारा विद्युत उत्पादन में वृद्धि करना

485. **श्री छेदी पासवान** : क्या **विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार राज्य बिजली बोर्ड को राज्य में विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने की स्वीकृति नहीं मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) इस प्रकार का अनुमोदन आवश्यक नहीं है। आशा है कि बिहार राज्य बिजली बोर्ड द्वारा अपने विद्युत केन्द्रों के उत्पादन को अधिकतम किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड की बैठकें

486. **प्रो० मालिनी भट्टाचार्य** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** 4 सितम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5620 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी क्षेत्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड के उनमें से उन 28 सदस्यों को पर्यवेक्षण के लिए कितनी बार आमन्त्रित किया गया जिन्होंने 20 से कम पर्यवेक्षणों में भाग लिया;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान क्षेत्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड की कितनी बैठकें आयोजित की गई; और

(ग) क्या सरकार का, सदस्यों द्वारा कम पर्यवेक्षण को ध्यान में रखते हुए पूर्वी क्षेत्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड के कार्यकरण की जांच करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) उपर्युक्त सूचना प्राप्त हो जाने पर ही दृष्टिकोण बनाया जाएगा।

[हिन्दी]

समाचार-पत्रों को अखबारी कागज के कोटे का आवंटन

487. **श्री पंकज चौधरी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचार-पत्रों को उनके प्रकाशन के एक वर्ष पश्चात् अखबारी कागज का कोटा आवंटित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा;

(ग) क्या कम संसाधन वाले लघु समाचार-पत्रों को समाचार-पत्रों के प्रकाशन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इन लघु समाचार-पत्रों की किस प्रकार सहायता करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां।

(ख) नये आवेदकों के प्रारंभिक अखबारी कागज कोटा की मांग को रोकने के लिए निर्णय लिया गया है और इसे अधिसूचना की तारीख अर्थात् 4-10-1991 से लागू किया गया है।

(ग) और (घ) अखबारी कागज आवंटन नीति का निर्धारण प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस का स्वस्थ विकास, विदेशी विनिमय की कठिनाइयों और अखबारी कागज के दुरुपयोग को रोके जाने को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यह व्यवस्था सभी श्रेणी के समाचार-पत्रों पर लागू होती है जिनमें छोटे समाचार-पत्र भी शामिल हैं।

[अनुवाद]

सैटेलाइट के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं में समाचारों का प्रसारण

488 **प्रा० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सैटेलाइट के माध्यम से दूरदर्शन पर एक पृथक चैनल पर सभी क्षेत्रीय भाषाओं में समाचारों का प्रसारण करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने संबंधी कार्यप्रणाली को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के डाक कर्मियों को विशेष ड्यूटी भत्ता

489. **श्री द्वारका नाथ दास** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के श्रेणी "ग" और श्रेणी "घ" डाक कर्मियों को विशेष ड्यूटी भत्ता नहीं दिया जाता है;

(ख) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूरसंचार विभाग श्रेणी "ग" और श्रेणी "घ" के कर्मियों को यह भत्ता स्वीकृत कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं और डाक कर्मियों को विशेष ड्यूटी भत्ते की अदायगी कब तक की जायेगी ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण गुवाहाटी के निर्णय के अनुसरण में, उन्हें "अनन्तिम" आधार पर अदायगी की जा रही है। माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, गुवाहाटी के समक्ष 1-11-91 को एक पुर्नविलोकन याचिका दायर की गई है जिसमें उनसे अपने आदेश का पुर्नविलोकन करने और पुर्नविलोकन याचिका पर निर्णय होने तक अपने आदेश को आस्थगित रखने का अनुरोध किया गया है।

(ग) डाक विभाग के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, गुवाहाटी न्यायपीठ के निर्णय पर रोक लगा दी है और केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण गुवाहाटी न्यायपीठ के समक्ष पुर्नविलोकन याचिका दायर करने की अनुमति दी है। यह याचिका 4-11-91 को दायर की गई है। अतः, इस तरह यह मामला न्यायाधीन है

[हिन्दी]

कल्याणकारी योजनाएं

490. **श्री काशीराम राणा** : क्या **कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा कौन-कौन-सी कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं;

(ख) पंचवर्षीय योजना के लिए जिले-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इस संबंध में जिले-वार उपलब्धि क्या रही; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार विभिन्न योजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) यह सूचना बजट दस्तावेजों में उपलब्ध है।

(ख) यह सूचना गुजरात सरकार के राज्य योजना दस्तावेजों में उपलब्ध होगी।

(ग) राज्य योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित की गई योजनाओं की सूचना राज्य सरकारों के पास उपलब्ध होगी।

उड़ीसा के कटक जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण

491. **श्री श्रीकान्त जेना** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के कटक जिले में कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है और कितने गांवों का अभी विद्युतीकरण किया जाना है;

(ख) इन जिलों के उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां "कुटीर ज्योति योजना" कार्यान्वित की गई है; और

(ग) इन जिलों में किन-किन गांवों में भविष्य में इस योजना को कार्यान्वित करने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 30 सितम्बर, 1991 की स्थिति के आधार पर उड़ीसा के कटक जिले में 5209 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका था तथा 818 गांवों का विद्युतीकरण किया जाना शेष था ।

(ख) और (ग) "कुटीर ज्योति स्कीम" के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड ने समग्र राज्य में 78905 सिंगल प्वाइंट लाईट कनैक्शन मुहैया कराए जाने की सूचना दी है । इस स्कीम के अधीन, जिसका 1988-89 और 1989-90 के दौरान केन्द्रीय अनुदान से वित्त पोषण किया गया था, लाभ प्राप्त करने वाले गांवों का पता लगाने का कार्य राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया था । 31-3-91 के पश्चात् यथोक्त स्कीम को जारी नहीं रखा गया है ।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग की सिफारिशें

492. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग ने दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका के संबंध में क्या सिफारिशें की हैं; और

(ख) उन पर की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

[हिन्दी]

ऊर्जा ग्राम योजना

493. **श्री राम लखन सिंह यादव :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा ऊर्जा ग्राम योजना कब आरम्भ की गई थी और इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) गत वर्ष ऊर्जा ग्राम योजना के राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और ये लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऊर्जा ग्राम योजना के अन्तर्गत बिहार के पटना, रोहतास तथा भोजपुर जिलों को शामिल किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क ऊर्जा गांव अथवा ऊर्जा ग्राम कार्यक्रम सातवीं योजना में शुरू किया गया था । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, प्रदर्शन ऊर्जा ग्राम परियोजनाएं, जो विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा युक्तियों तथा

प्रणालियों के संयोजन पर आधारित हैं, ऊर्जा सर्वेक्षणों के जरिए निर्धारित गांवों में शुरू की जाती हैं।

(ख) इस प्रदर्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। 1990-91 के दौरान, शुरू की जाने वाली प्रस्तावित 25 ऊर्जा ग्राम परियोजनाओं की तुलना में 33 परियोजनाएं विभिन्न राज्यों में वास्तव में पूरी कर ली गई थीं।

(ग) और (घ) हालांकि ऊर्जा ग्राम कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी जिलों के लिए परियोजनाओं पर विचार किया जा सकता है, फिर भी इन जिलों के लिए बिहार की नोडल एजेंसी से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा सप्लाई की जा रही विद्युत की दर

494. **श्री रमेश चन्द्र तोमर** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा राज्य बिजली बोर्डों को सप्लाई की जा रही विद्युत की वर्तमान दर क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान समय-समय पर सप्लाई की गई विद्युत की दर क्या थी;

(ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा संचालित प्रत्येक बिजली घर की "प्रति यूनिट" विद्युत उत्पादन लागत कितनी है; और

(घ) क्या राज्य बिजली बोर्डों को विद्युत सप्लाई हेतु शुल्क के संबंध में कोई विवाद है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों को सप्लाई की जा रही विद्युत की वर्तमान दर का ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया हैं।

(ख) विगत के तीन वर्षों के दौरान जिस दर से विद्युत सप्लाई की जाती रही है इसका ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है, उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों के मामलों में प्रचालन और अनुरक्षण संबंधी 0.5 पैसे/किलोवाट आवर की अभिवृद्धि तथा विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता में अभिवृद्धि के कारण पारेषण प्रभारों में बढ़ोतरी किए जाने संबंधी परिवर्तनों को छोड़कर कुल मिलाकर दर एक समान ही रही। दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में प्रचालन और अनुरक्षण प्रभारों में किसी प्रकार की अभिवृद्धि नहीं हुई है।

(ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के प्रचालन केन्द्रों में विद्युत उत्पादन की प्रति यूनिट की वर्तमान लागत संलग्न विवरण-3 में दी गई है।

(घ) राज्य बिजली बोर्डों और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के बीच मुख्य विवाद टैरिफ के निर्धारण के लिए विभिन्न मानदण्ड तथा मानक पैरामीटर के निर्धारण से संबंधित हैं। इस संबंध में श्री के० पी० राव, तत्कालीन सदस्य (ई० एंड सी०), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा जांच की गई है, सरकार द्वारा अब समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है, तथा टू-पार्ट-टैरिफ की अवधारणा को 1-4-91 से लागू किया गया है।

विवरण-1

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा राज्य बिजली बोर्डों को सप्लाई की जा रही विद्युत की दरें (अक्तूबर, 91 की स्थिति के अनुसार

क्र० सं०	क्षेत्र	मूल टैरिफ (पैसा/किलोवाट आवर)	पारेषण प्रभार तथा अन्य प्रभार
1	2	3	4
1.	उत्तरी क्षेत्र	37.00	7.43 पैसे/किलोवाट आवर +
क.	(ताप विद्युत)		सिंगरौली और विन्ध्याचल के बीच एच० वी० डी० सी० बैक-टू-बैक लिंक के लिए रु० 78.53 लाख/महीना +
ख.	उत्तरी क्षेत्र (गैस)	110.00 (तदर्थ आधार पर)	गैस केन्द्रों से सम्बद्ध लाइनों के लिए रु० 181.11 लाख/महीना।
2.	पश्चिमी क्षेत्र	34.50	कुल मिलाकर समग्र प्रभारों के आधार पर रु० 695.25 लाख प्रतिमाह + सिंगरौली और विन्ध्याचल के बीच एच० वी० डी० सी० बैंक-टू-बैक लिंक के लिए रुपये 78.53 लाख/महीना + रामागुण्डम-चन्द्रपुर 400 के० वी० लाइन के लिए रुपये 30.75 लाख/महीना
3.	दक्षिण क्षेत्र	43.00	कुल मिलाकर समग्र प्रभारों के आधार पर रुपये 684.67 लाख/महीना + रामागुण्डम-चन्द्रपुर 400 के० वी० लाइन के लिए रुपये 30.75 लाख/महीना

1	2	3	4
4.	पूर्वी क्षेत्र	53.98	3.22 पैसे/किलोवाट आवर + पुरुलिया में दूसरे ट्रांसफार्मर के लिए रुपये 8.75 लाख/महीना + पुरुलिया में बस रिएक्टर के लिए रुपये 3.22 लाख/महीना

टिप्पणी : इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों के लिए सहमति प्राप्त फार्मूले के अनुसार इंधन लागत में वास्तविक भिन्नता के आधार पर भी प्रभार वसूल किए जाते हैं।

विवरण-2

विगत के तीन वर्षों की राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की टैरिफ

क्र० सं०	क्षेत्र	मूल टैरिफ (पैसे/किलोवाट आवर)	पारेषण प्रभार	अन्य प्रभार
1	2	3	4	5
1.	उत्तरी क्षेत्र			
क.	(ताप विद्युत)		(पैसे/किलोवाट आवर)	
	1-4-89	36.00	7.43	इसके अलावा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा सिंगरौली तथा विन्ध्याचल के बीच एच० वी० डी० सी० बैक-टू-बैक लिंक के लिए 6-6-1989 से रुपये 78.53 लाख/महीना प्रभार के रूप में वसूल किए जा रहे हैं। + निम्नानुसार गैस केन्द्रों से सम्बद्ध लाइनों के लिए प्रभार : 1-4-89 रुपये 7.38 लाख/महीना 1-4-90 रुपये 146.96 लाख/महीना 1-4-91 रुपये 181.01 लाख/महीना
	1-4-90	36.50	7.43	
	1-4-91	37.00	7.43	

1	2	3	4	5
1. उत्तरी क्षेत्र				
ख. (गैस)				
	1-4-89	110 पैसे/किलोवाट आवर तदर्थ आधार पर :		चूंकि समझौते को अभी
	1-4-90	110 पैसे/किलोवाट आवर तदर्थ आधार पर :		अंतिम रूप दिया जाना
	1-4-91	110 पैसे/किलोवाट आवर तदर्थ आधार पर :		है।
2. पश्चिमी क्षेत्र			लाख/महीना	
	1-4-89	34.50	244.76 रु०	इसके अलावा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, सिंगरौली और विन्ध्याचल के बीच एच० वी० डी० सी० बैक-टू-बैंक लिंक के लिए 6-6-89 से 78.53 लाख रुपये/महीना तथा + रामागुण्डम चन्द्रपुर 400 के० वी० लाइन के लिए 23-11-90 से रुपये 30.75 लाख प्रतिमाह बिल बनाए जा रहे हैं।
	1-4-90	34.50	585.33 रु०	
	1-4-91	34.50	695.25 रु०	
3. दक्षिणी क्षेत्र			लाख/महीना	
	1-4-89	43.00	रु० 334.14	इसके अलावा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम रामागुण्डम—चन्द्रपुर 400 के० वी० लाइन के लिए 23-11-90 से रुपये 30.75 लाख प्रतिमाह प्रभार के रूप में वसूल कर रहा है।
	1-4-90	43.00	रु० 406.80	
	1-4-91	43.80	रु० 431.00	
4. पूर्वी क्षेत्र			पैसा/किलोवाट आवर	
	1-4-89	52.98	3.22	इसके अलावा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा पुरुलिया में दूसरे ट्रांसफार्मर के लिए 17-2-91 से रुपये 8.75 लाख/महीना तथा पुरुलिया मे बस रिएक्टर के लिए 3-5-91 से रुपये 3.22 लाख/महीना प्रभार के रूप में वसूल किए जा रहे हैं।
	1-4-90	53.48	3.22	
	1-4-91	53.98	3.22	

विवरण-3

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के विभिन्न केन्द्रों की विद्युत उत्पादन की लागत

केन्द्र	विद्युत उत्पादन पैसे/कि० वा० आ०	पारेषण पैसे/किलोवाट आवर
सिंगरौली एस० टी० पी० एस०	48.22	4.32
कोरबा एस० टी० पी० एस०	54.06	4.31
रामागुण्डम एस० टी० पी० एस०	60.79	5.70
फरक्का एस० टी० पी० एस०	82.01	5.30
विन्ध्याचल एस० टी० पी० एस०	81.16	10.87
रिहन्द एस० टी० पी० एस०	69.66	9.66
अन्ता जी० पी० एस०	105.73	8.36
औरैया जी० पी० एस०	108.22	9.79

टिप्पणी : आंकड़े अद्यतन लागतों पर आधारित है और संयंत्र के आधारभूत भार प्रचालन के आधार से संबधित हैं ।

महाराष्ट्र के राजापुर और रत्नगिरि जिलों के दूरदर्शन से प्रसारण

495. **श्री सुधीर सावन्त** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में रत्नगिरि जिले और सिंधुदुर्ग जिले के तालुकों सहित राजापुर निर्वाचन क्षेत्र के लिए दूरदर्शन से प्रसारण नहीं किया जाता;

(ख) पूरे क्षेत्रों के लिए प्रसारण हेतु कम शक्ति के कितने ट्रांसमीटरों की आवश्यकता है;

(ग) वर्ष 1991-92 और 1992-93 में कितने कम शक्ति के ट्रांसमीटर लगाने की योजना है;

(घ) क्या अतिरिक्त क्षेत्र के लिए प्रसारण हेतु रत्नगिरि में स्थित कम शक्ति के ट्रांसमीटर का स्थान बदला जायेगा; और

(ङ) यदि हां, तो कब ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी नहीं, सिंधुदुर्ग और रत्नगिरि के कुछ भागों सहित राजापुर निर्वाचन क्षेत्र के कुछ भागो को पणजी के उच्च शक्ति (10 कि० वा०) टी० वी ट्रांसमीटर और रत्नगिरि के अल्पशक्ति (100 वाट) टी० वी० ट्रांसमीटर से दूरदर्शन सेवा प्राप्त होती है ।

(ख) भू-भागीय स्थिति को देखते हुए राजापुर के समूचे संसदीय क्षेत्र को कवर करने के लिए विभिन्न शक्ति के कई ट्रांसमीटरों/ट्रांसपोजरों की आवश्यकता होगी ।

(ग) दूरदर्शन के वर्ष 1991-92 की वार्षिक योजना के अंग के रूप में महाराष्ट्र के सिंधु-दुर्ग जिले मे कनकोली में एक अल्प शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। वर्ष 1992-93 के लिए दूरदर्शन की वार्षिक योजना के अधीन ऐसे ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए स्थानों के चयन को अभी अंतिम रूप नही दिया गया है।

(घ) जी, नहीं : फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) यह सवाल पैदा नहीं होता।

[हिन्दी]

खगरिया, बिहार में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार

496. **श्री रामशरण यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार के खगरिया जिले में विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करने तथा वहां पर एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है।

विवरण

खगरिया जिले में टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार और एस० टी० डी० सुविधा की व्यवस्था संबंधी योजना के ब्यौरे :—

एक्सचेंज का नाम	एक्सचेंज विस्तार की योजना	एस० टी० डी० सुविधा योजना
खगरिया	1994-95	उपलब्ध
मानसी	1995-96	उपलब्ध
मुस्कीपुर	1991-92	1991-92
महेशखुंड	1993-94	1993-94
चोथन	1993-94	1993-94
परबत्ता	1993-94	1993-94

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा टेलीफोन उपकरणों का निर्माण

497. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के टेलीफोन उपकरणों के निर्माण की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) नई औद्योगिक

नीति के प्रस्ताव के अनुसार 51 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी वाले टेलीफोन उपकरणों के विनिर्माण के लिए भारत सरकार से औद्योगिक अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

दिल्ली के यमुनापार क्षेत्र के टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता

498. **श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम"** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यमुनापार क्षेत्र में कितने टेलीफोन एक्सचेंज हैं और उनकी क्षमता कितनी है तथा इस क्षमता का किस हद तक उपयोग किया जा रहा है; और

(ख) इन टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा प्रत्येक एक्सचेंज की क्षमता को कब तक तथा किस हद तक बढ़ाया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) दिल्ली के यमुनापार क्षेत्र में इस समय मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या, उनकी क्षमता और उस क्षमता के उपयोग का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) शाहदरा एक्सचेंज की क्षमता में दिसम्बर, 1991 के अंत तक 2000 लाइनें बढ़ाई जा रही हैं। जून, 1992 तक यमुना विहार के नाम से 4000 लाइनों का एक एक्सचेंज चालू किये जाने की संभावना है। यदि उपस्कर उपलब्ध हुआ तो 1992-95 की अवधि में इस क्षेत्र के एक्सचेंजों का करीब 46,000 लाइनों से विस्तार करने की योजना है।

विवरण

यमुनापार क्षेत्र में एक्सचेंजों तथा उनकी क्षमता के उपयोग का ब्यौरा।

क्र० सं०	एक्सचेंज का नाम	सज्जित क्षमता	कनेक्टेबल क्षमता	उपयोग में लाई जा रही क्षमता
1.	लक्ष्मी नगर (220/221/222/224)	38000	35840	35840
2.	शाहदरा (228/229)	13000	11050	11050
3.	मयूर विहार (225)	5000	4700	4700
4.	यमुना विहार (नया)	—	—	—

राज्यों की राजधानियों के आकाशवाणी केन्द्रों में स्टेशन डायरेक्टर को प्रभारी बनाना

499. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों की राजधानियों के सभी आकाशवाणी केन्द्रों में स्टेशन-डायरेक्टर को प्रभारी बनाये जाने संबंधी निर्देश जारी किए है;

(ख) क्या उक्त निर्देशों का जयपुर आकाशवाणी केन्द्र में पालन नहीं किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) आकाशवाणी महानिदेशालय द्वारा अपनायी गयी सामान्य कार्णप्रणाली के अनुसार राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों की राजधानियों में आकाशवाणी केन्द्रों के निदेशकों को कार्यालय प्रमुख घोषित किया जाता है। तथापि, प्रशासनिक कारणों से आकाशवाणी केन्द्र जयपुर में केन्द्र अभियन्ता को "कार्यालय प्रमुख" घोषित किया गया है।

वाराणसी, उत्तर प्रदेश में स्थित नवचेतना संस्थान

500. **श्री शिवशरण वर्मा** : क्या **कल्याण मन्त्री** उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित नवचेतना संस्थान के बारे में 26 अगस्त, 199 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4427 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार की ओर से जांच रिपोर्ट अब प्राप्त हो गयी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में माइक्रोवेव प्रणाली

501. **श्री भुवन चन्द्र खंडूरी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पौड़ी, चमोली और देहरादून जिलों में छोटे व बड़े टेलीफोन एक्सचेंज किन-किन जगहों पर कार्यरत हैं;

(ख) इनमें से कितने एक्सचेंज माइक्रोवेव प्रणाली से जोड़े गये हैं;

(ग) क्या सरकार ने कांसखेत सहित कुछ अन्य एक्सचेंज भी इस प्रणाली से जोड़े जाने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे प्रस्ताव कौन-कौन-से एक्सचेंजों के लिए प्राप्त किए गए हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कारंवाई किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) छः एक्सचेंजों को रेडियो प्रणाली से जोड़ा गया है।

(ग) और (घ) पिछले वर्ष रेडियो प्रणाली से जोड़ने के लिए निम्नलिखित स्थानों के प्रस्ताव प्राप्त हुए :

1. पौड़ी
2. लैंसडाउन
3. कोटद्वार
4. गोपेश्वर

इनमें से पौड़ी, लैंसडाउन और गोपेश्वर को पहले ही जोड़ा जा चुका है। कोटद्वार को इस वर्ष शामिल कर लिया जाएगा। कंसखेत को शामिल नहीं किया गया है।

विवरण

(क) **जिला पौड़ी**

अगरोड़ा

बुवाखल

दोगड्डा

कांसखेत

कोट

कोटद्वार

लैंसडाउन

नौगांवखल

पाबू

पौड़ी

चमोली

सतपुली

श्रीनगर

स्योंशी

(ख) **जिला चमोली**

अगस्त मुनी

बद्रीनाथ

चमोली

गैरीसैम

गौचर

घाट

गुप्तकाशी

जोशीमठ

करण प्रयाग

नंदप्रयाग

पीपल कोठ

पोखरी नाग नाथ

थराली

तिलवाड़ा

केदारनाथ

रुद्र प्रयाग, लखीमठ, नारायण बाजार

(ग) जिला देहरादून

चकरोता

क्लीमैन टाउन

डाक पत्थर

देहरादून

डोईवाला

गुजरात

हरबर्टपुर

कालसी

कोटी

लखवार

ललकापुर

मसूरी

नाथूवाला

प्रेम नगर

रायपुर

राईवाला

राजपुर

रानी पोखरी

ऋषिकेश

सहसपुर

सहया

सेतकुई

श्यामपुर

विकास नगर

हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) में आकाशवाणी केन्द्र

502. **प्रो० प्रेम धूमल** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) में निर्माणाधीन आकाशवाणी केन्द्र का उद्घाटन करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) उक्त आकाशवाणी केन्द्र के निर्माण में विलम्ब होने के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी हां।

(ख) हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर के रेडियो स्टेशन के 1992 के अंत तक तकनीकी रूप से तैयार हो जाने की उम्मीद है। तत्पश्चात् केन्द्र के परिचालन तथा अनुरक्षण के लिए न्यूनतम अपेक्षित स्टाफ की तैनाती के बाद ही केन्द्र को चालू किया जा सकेगा।

(ग) केन्द्र के निर्माण में विलंब राज्य सरकार से भूमि प्राप्त होने में लगने वाले समय, भूमि के मूल्य के निर्धारण, पहुंच सड़कों के निर्माण तथा ठेका देने में आने वाली समस्याओं के कारण हुआ है।

[अनुवाद]

उल्फा उग्रवादियों की गिरफ्तारी

504. **श्री लाईता उम्ब्रे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना द्वारा आपरेशन राईनो आरंभ किए जाने के पश्चात् कितने उल्फा उग्रवादी गिरफ्तार किए गए;

(ख) कितनी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया तथा इनका मूल्य कितना है;

(ग) पड़ोसी राज्यों से कितने उल्फा उग्रवादी गिरफ्तार किए गए;

(घ) क्या यह आरोप लगाया गया है कि इस आपरेशन के दौरान निर्दोष लोगों को भी परेशान किया गया; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) सेना द्वारा आपरेशन राइनो में 2533 उल्फा उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया।

(ख) 662 हथियार बरामद किए गए। इन हथियारों की कीमत का मूल्यांकन करना संभव नहीं है।

(ग) पड़ोसी राज्यों से सेना द्वारा अभी तक 35 उल्फा उग्रवादियों को पकड़ा गया है।

(घ) और (ङ) सेना द्वारा परेशान किए जाने के बारे में कुछ आरोप लगाए गए हैं। इनकी जांच की जा रही है। यह सुनिश्चित करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं कि निर्दोष लोगों को परेशान नहीं किया जाए।

[हिन्दी]

बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शन का आबंटन

505. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या संचार मंत्री 1-8-1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1304 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शन आवंटित करने के संबंध में सतर्कता शाखा द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट मिल गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) इस मामले में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) सतर्कता शाखा की रिपोर्ट के आधार पर मामला विस्तृत जांच-पड़ताल के लिए केन्द्रीय सतर्कता ब्यूरो को सौंप दिया गया है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण देना

506. **श्री अनादि चरण दास** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार (एक) राष्ट्रीय स्तर, (दो) राज्य स्तर, और (तीन) स्थानीय/कस्बे स्तर पर नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण सुविधाएं और आपदा राहत प्रबन्धन संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उड़ीसा में गत दो वर्षों के दौरान वर्षवार तथा जिलावार कितने लोगों को ऐसा प्रशिक्षण दिया गया;

(ग) क्या सरकार ने उड़ीसा जैसे आपदा/प्राकृतिक विपदा प्रवण राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा है/रखने का प्रस्ताव है और नागरिक सुरक्षा/आपदा राहत प्रबन्धन संबंधी प्रशिक्षण और अधिक लोगों को देने का विचार है; और

(घ) 31-7-1991 को उड़ीसा में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की जिलावार संख्या कितनी थी ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) सिविल डिफेंस प्रशिक्षण की सुविधाएं सरकार (i) राष्ट्रीय स्तर, (ii) राज्य स्तर, तथा (iii) सिविल डिफेंस कस्बा, स्तरों पर उपलब्ध कराती है। यद्यपि, सिविल डिफेंस अधिनियम, 1968 के क्षेत्राधिकार में विनाश राहत प्रबन्ध नहीं आता है, फिर भी, इस विषय पर प्राथमिक प्रशिक्षण राष्ट्रीय सिविल डिफेंस कालेज, नागपुर द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर दिया जा रहा है।

(ख) सिविल डिफेंस का प्रशिक्षण का जिलावार नहीं चलाया जाता है परन्तु केवल सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों को यह प्रशिक्षण श्रेणीगत सिविल डिफेंस कस्बों में दिया जाता है। उड़ीसा के 6 श्रेणीगत कस्बों में वर्ष 1989 के दौरान 3002 व्यक्तियों को और 1990 के दौरान 3942 व्यक्तियों को सिविल डिफेंस का प्रशिक्षण दिया गया।

(ग) सिविल डिफेंस अधिनियम, 1968 के अनुसार विनाश/प्राकृतिक विपदा सिविल डिफेंस

के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। शत्रु के खिलाफ वास्तविक युद्ध में की गई लड़ाई के अतिरिक्त "सिविल डिफेंस" में कोई भी उपाय शामिल हो सकता है।

(घ) जैसा कि ऊपर (ख) भाग में दिया गया है। सिविल डिफेंस उपाय केवल श्रेणीगत सिविल डिफेंस कस्बों में ही अपनाए जाते हैं। 30-6-1991 की स्थिति के अनुसार 6 श्रेणीगत कस्तों में सिविल डिफेंस की बढ़ी हुई संख्या 5456 है।

टीकमगढ़/छतरपुर में एस० टी० डी० सुविधाएं

507. **कुमारी उमा भारती** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का टीकमगढ़ और छत्तरपुर जिलों में विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार, आधुनिकीकरण और उनमें एस० टी० डी० सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध क्या कदम उठाये हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे इस प्रकार हैं :

जिला छत्तरपुर :

(i) 17 टेलीफोन एक्सचेंजों में से 9 एक्सचेंजों को पहले ही उपयुक्त क्षमता के इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज द्वारा बदला जा चुका है। शेष 8 एक्सचेंजों को 1991-92, और 1992-93 के दौरान आधुनिक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों द्वारा उत्तरोत्तर बदले जाने की योजना है।

(ii) छत्तरपुर जिला मुख्यालय से 1991-92 के दौरान तथा अन्य स्थानों पर आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तरोत्तर एस० टी० डी० सुविधा प्रदान किए जाने की योजना है।

जिला टीकमगढ़

(i) 14 टेलीफोन एक्सचेंजों में से 6 एक्सचेंजों को पहले ही उपयुक्त क्षमता के इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों द्वारा बदला जा चुका है। शेष 8 टेलीफोन एक्सचेंजों को 1991-92 1992-93 और 1993-94 के दौरान उत्तरोत्तर उपयुक्त क्षमता के इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों द्वारा बदले जाने की योजना है।

(ii) टीकमगढ़ जिला मुख्यालय से 1991-92 के दौरान तथा शेष अन्य स्थानों पर 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तरोत्तर एस० टी० डी० सुविधा प्रदान किए जाने की योजना है।

भारत में विद्युत परियोजनाएं

508. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विद्युत परियोजनाओं की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और 1989 तथा 1990 में अधिष्ठापित क्षमता (किलोवाट घण्टा) की प्रति किलोवाट कितनी विद्युत का उत्पादन किया गया;

(ख) इन वर्षों के दौरान प्रति व्यक्ति विद्युत की कितनी खपत थी;

(ग) उक्त अवधि के दौरान अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मन संघीय गणराज्य, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, जापान और सोवियत संघ की तुलना में प्रतिव्यक्ति खपत कितनी थी;

(घ) 1991 में कितने मिलियन किलोवाट घन्टा विद्युत उत्पादित की जाएगी और आठवीं योजना की परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित निवेश कितना है; और

(ङ) विद्यमान विद्युत क्षमता का पूरा उपयोग करने के यदि कोई प्रस्ताव हैं तो उनका ब्यौरा क्या है?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब के विस्थापितों द्वारा अपर्याप्त मुआवजे के संबंध में ज्ञापन

509. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब के विस्थापितों से उन्हें अपर्याप्त मुआवजे तथा राहत के संबंध में पिछले छ: महीने से दौरान कितने ज्ञापन प्राप्त हुए; और

(ख) उन्हें समुचित सुविधाएं प्रदान करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) प्रवासियों को दी जाने वाली राहत की वस्तुओं के अलावा उन्हें दी जाने वाली नकद सहायता में बढ़ोतरी करने के लिए प्रवासियों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। नवंबर, 1991 से सरकार ने जम्मू व कश्मीर के उन प्रवासियों, जो दिल्ली प्रशासन के शिविरों में नहीं रह रहे हैं, को मिलने वाली 200 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह की नकद सहायता, जिसकी अधिकतम सीमा 800 रु० प्रति माह प्रति परिवार है, को बढ़ाकर 250 रु० प्रति व्यक्ति प्रति माह कर दिया है बशर्ते कि यह सहायता 1000 रु० प्रति माह प्रति व्यक्ति से अधिक न हो।।

2. जम्मू व कश्मीर सरकार और दिल्ली प्रशासन ने सरकारी स्कूलों को निदेश जारी किये हैं कि उनके स्कूलों में पढ़ रहे प्रवासियों के बच्चों की शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाए। शिविरों में सफाई, चिकित्सा और अन्य सुविधाओं में सुधार करना शुरू किया गया है। जम्मू और दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारी, प्रवासियों की समस्याओं पर विचार-विमर्श करने और उन्हें हल करने के लिए नियमित रूप से प्रवासियों के प्रतिनिधियों, विशेष रूप से शिवरों में रहने वालों के प्रतिनिधियों से मिलते हैं। प्रवासियों को राहत देने के बारे में लिये गए निर्णयों के कार्यान्वयन को देखने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तथा अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों सहित सदस्यों के रूप एक शासकीय ग्रुप का गठन किया गया हैं। इसी प्रकार दिल्ली में उच्च स्तर पर राहत उपायों की नियमित समीक्षा की जाती है।

पिस्तौलों आदि के लिए निर्माण के लिए दिशा-निर्देश

510. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिस्तौलों, रिवाल्वरों और बंदूकों आदि के निर्माण के लिए फैक्टरियां खोलने हेतु कोई प्रक्रिया अथवा दिशा-निर्देश निर्धारित किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) पिस्तौलों, रिवाल्वरों और बन्दूकों तथा उनके गोला बारूद के निर्माण की निजी क्षेत्र में अनुमति नहीं है। भारत सरकार की औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 की घोषणा के समय विद्यमान निजी क्षेत्र में बन्दूकों का निर्माण करने वाली इकाइयों को एम० एल०/बी० एल० बन्दूक तथा उनके गोला-बारूद के निर्माण को जारी रखने की अनुमति है।

राजस्थान में बिजली की कमी

511. **श्री गुमान मल लोढ़ा** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने पश्चिमी राजस्थान में वर्ष 1991 से आगे बिजली की कमी को दूर करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) क्या राजस्थान के पाली जिले के विद्युतीकरण के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ग) ग्रामीण विद्युतीकरण का काम कब तक पूरा हो जाएगा; और

(घ) क्या पश्चिमी राजस्थान में वर्ष 1991 में सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन की कोई योजना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन० टी० पी० सी०) के उत्तरी क्षेत्र के विद्युत केन्द्रों यथा सिंगरौली (2000 मे० वा०), रिहन्द (1000 मे० वा०), अन्ता (413 मे० वा०) और औरैया (652 मे० वा०) से केन्द्रीय फार्मूले के अनुसार राजस्थान को कुल मिलाकर इसके हिस्से की 535 मे० वा० विद्युत आबंटित की गई है। भावी दादरी गैस विद्युत परियोजना (817 मे० वा०) से राजस्थान को 75 मे० वा० विद्युत आबंटित की जायेगी।

उत्तरी क्षेत्र में क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम से निम्नलिखित परियोजनाओं के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :

(1) रिहन्द चरण-दो (2 × 500 मे० वा०), उत्तर प्रदेश।

(2) यमुनानगर ताप विद्युत परियोजना (4 × 2'0 मे० वा०), हरियाणा।

(3) फरीदाबाद गैस विद्युत परियोजना-1 (800 मे० वा०), हरियाणा।

(4) अन्ता-दो (430 मे० वा०), राजस्थान।

(5) दादरी-दो (400 मे० वा०), दिल्ली।

केन्द्रीय क्षेत्र ताप विद्युत परियोजनाओं की विद्युत के आवंटन से संबधित केन्द्रीय फार्मूले के अनुसार इन परियोजनाओं से राजस्थान अपने हक की विद्युत आवंटन का हकदार है।

(ख) और (ग) राजस्थान के पाली जिले में 818 गांव हैं। 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार इन सभी गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है।

(घ) पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर के समीप गांव मथानिया में 30 मेगावाट की एक सौर ताप विद्युत परियोजना स्थापित किए जाने के लिए अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत किए जाने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

[हिन्दी]

प्रमुख विद्युत परियोजनाएं

512. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 1-1/2 वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए कौन-कौन-सी प्रमुख विद्युत परियोजनाएं भेजी गईं और उनका तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) विगत के 1-1/2 वर्ष में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को केवल एक मुख्य विद्युत परियोजना अर्थात् हिमाचल प्रदेश की धामवाड़ी सुधा जल विद्युत परियोजना (2 × 35 मेगावाट) प्राप्त हुई थी तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अक्तूबर, 1991 में इस परियोजना को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त पाया गया। पर्यावरण एवं वन (संरक्षण) अधिनियम की दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त हो जाने तथा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 29 का अनुपालन किए जाने के पश्चात् ही परियोजना के लिए औपचारिक रूप से स्वीकृति जारी की जाएगी। केन्द्रीय जल आयोग को भी अभी कुछ अन्वेषण संबंधी कार्य करने हैं जो कि व्यापक डिजाइन अवस्था के समय परियोजना प्राधिकारियों द्वारा किए जाने अपेक्षित हैं। ऐसी स्थिति में निधियां आबंटित किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

एल० टी० टी० ई० से हथियारों और निषिद्ध माल का पकड़ा जाना

513. **प्रो० के० वी० थामस : क्या गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में एल० टी० टी० ई० द्वारा ले जाये जा रहे हथियारों और निषिद्ध माल की तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान एल० टी० टी ई० से कितनी मात्रा में हथियार और विनिषिद्ध माल पकड़ा गया ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) इस दिशा में उठाए गए कदमों में, तटीय गश्त को सुदृढ़ करना, शस्त्रों तथा निषिद्ध माल की बरामदी के लिए तलाशियां लेना और माल जब्त करना तथा इन गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों को गिरफ्तार करना शामिल है।

(ख) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

रायबरेली में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री को बन्द किया जाना

514. **श्री राम सागर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायबरेली स्थित इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्री को बन्द करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन कर्मचारियों के लिए क्या योजना बनाई गई है जिनकी छंटनी की जानी है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

हरियाणा पुलिस को आधुनिक हथियारों की सप्लाई

515. **श्री नारायण सिंह चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए समय-समय पर हरियाणा सरकार की की गयी मांग के अनुरूप केन्द्रीय सरकार का हरियाणा पुलिस को आधुनिक हथियार देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) आधुनिक हथियारों की उपलब्धता और अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों तथा केन्द्रीय पुलिस/अर्ध सैनिक संगठनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हरियाणा पुलिस को आधुनिक हथियार उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

कश्मीरी हिन्दुओं का अन्यत्र चले जाना

516. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कश्मीर घाटी से अन्यत्र चले जाने वाले कश्मीरी हिन्दुओं की संख्या कितनी है तथा ये किन स्थानों को चले गए हैं;

(ख) उनके परिवारों को किन स्थानों पर पुनर्वास प्रदान किया गया हैं;

(ग) क्या राज्य प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि घाटी में कश्मीरी पंडितों के मकान सुरक्षित हैं कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(घ) कश्मीरी हिन्दुओं के कितने मकानों पर जंगजुओं ने बलपूर्वक कब्जा कर लिया है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) कश्मीरी प्रवासी, घाटी से ज्यादातर जम्मू और दिल्ली को चले गए हैं तथा कुछ प्रवासी हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र

स्थित अन्य स्थानों को चले गए हैं। 40,000 से ज्यादा प्रवासी परिवार जम्मू में तथा 18,000 परिवार दिल्ली में दर्ज किए जा चुके हैं।

2. घाटी के बाहर इन प्रवासियों को स्थायी पुनर्वास प्रदान करने के बारे में विचार नहीं किया गया है। सरकार प्रवासियों को नकद सहायता समेत अनेक प्रकार की सहायता प्रदान कर रही है। संबंधित राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में प्रवासियों की सहायता प्रदान करने के संबंध में अनुदेश जारी कर चुकी हैं।

3. जम्मू व कश्मीर सरकार उपलब्ध स्रोतों के अन्तर्गत घाटी में प्रवासियों के मकानों पर सामान्य निगरानी रख रही है। राज्य सरकार ने, जहां भी संभव हो सका, प्रवासियों की संपत्तियों को हुए नुकसान का भी मूल्यांकन किया है। यह पाया गया कि प्रवासियों द्वारा छोड़े गए कुछ मकानों पर छानबीन अभियान के दौरान जंगजुओं ने कब्जा कर लिया है।

दिल्ली दूरदर्शन पर कार्यक्रमों का प्रसारण

517. **श्री सूर्य नारायण यादव :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दूरदर्शन के चैनल 1 पर प्रसारित कार्यक्रम चैनल 2 पर प्रसारित कार्यक्रमों से अधिक स्पष्ट होते हैं; और

(ख) यदि हां, तो दोनों चैनलों पर एक साथ समाचार प्रसारण करने के क्या कारण हैं जबकि कुछ समय पूर्व यह प्रथा नहीं थी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं। दोनों चैनलों के कार्यक्रम स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं।

(ख) नए कार्यक्रम फार्मेटों की शुरूआत करने के उद्देश्य से दूरदर्शन ने कुछ समय के लिए चैनल II से राष्ट्रीय समाचार बुलेटिनों को रिले करना बन्द कर दिया था। तथापि, बाद में, दर्शकों की मांग को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था फिर से शुरू कर दी गयी।

[अनुवाद]

केरल में पनबिजली परियोजना

518. **श्री रमेश चेन्नितला :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल से नई पन-बिजली परियोजना का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए केरल की कितनी परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आदिरापल्ली जल विद्युत परियोजना (2 × 80 मेगावाट) की परियोजना

रिपोर्ट को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जून, 1989 में तकनीकी आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त पाया गया था। आदिरापल्ली प्रपात के सौंदर्य के रखरखाव के बारे में विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 29 के अधीन परियोजना प्राधिकारियों द्वारा प्राप्त हुए अभ्यावेदनों का निपटान किए जाने तथा पर्यावरण एवं वन संबंधी दृष्टि से परियोजना को स्वीकृत किए जाने के पश्चात् केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की औपचारिक स्वीकृति के लिए विचार किया जाएगा। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अक्तूबर, 1990 में पर्यावरण की दृष्टि से स्कीम को अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि परियोजना से पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका थी और आदिरापल्ली प्रपात के शुष्क हो जाने की आशंका थी। प्रपातों के लिए जल मुहैया कराया जाना सुनिश्चित किए जाने हेतु आदिरापल्ली प्रपात के अनुप्रवाह में एक अन्य विद्युत गृह (2 × 7.5 मेगावाट) का निर्माण किए जाने के लिए केरल राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त संशोधित प्रस्ताव के आधार पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण की दृष्टि से इसकी समीक्षा कर रहा है। कुट्टीआडी विस्तार जल विद्युत स्कीम (1 × 50 मेगावाट) को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अगस्त, 1991 के दौरान तकनीकी आर्थिक दृष्टि से अनुमोदित कर दिया गया था तथा विद्युत विभाग ने योजना आयोग से निवेश संबंधी अनुमोदन के लिए इस परियोजना की सिफारिश कर दी है।

कुल मिलाकर 273 मेगावाट की अधिष्ठापित क्षमता वाली केरल की निम्नलिखित छः जल विद्युत स्कीमों की इस समय केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग में जांच की जा रही है :—

(1) बूयाथानकेट्टु (3 × 10 = 30 मे० वा०)

(2) पल्लीवासल पुनर्वास स्कीम (3 × 20 = 60 मे० वा०)

(3) चेम्बूकड़ाव् चरण-2 (3 × 3 = 9 मे० वा०)

(4) आदिरापल्ली अपर पावर हाउस (2 × 7.5 = 15 मे० वा०)

(5) केरल भवानी (3 × 50 = 150 मे० वा०)

(6) बारापोली (2 × 3 + 2 × 1.5 = 9 मे० वा०)

इसके अतिरिक्त कुल मिलाकर 424 मे० वा० की अधिष्ठापित क्षमता की निम्नलिखित 5 जल विद्युत स्कीमें राज्य प्राधिकारियों को लौटा दी गई हैं, क्योंकि इनका व्यापक ब्यौरा नहीं दिया गया था :—

क्र० सं० स्कीम	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	स्कीम को लौटाने की तारीख
1. पंबियार पुन्नापूजा	2 × 35 = 70	अप्रैल, 84
2. कुट्टीयाड़ी विस्तार	—	जुलाई, 82
3. मनन्याथड़ी एम० पी० पी०	4 × 60 = 240	जुलाई, 80
4. पाम्बर	2 × 15 = 30	मार्च, 90
5. करप्पड़पारा कोयारकुट्टी एम० पी० पी०	2 × 12 + 3 × 20 = 84	मई, 91

केरल में टेलीफोन बूथों को नुकसान

519. **श्री पाला के० एम० मैथ्यू** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सार्वजनिक टेलीफोनों, कायन बाक्सों आदि के अत्याधिक दुरुपयोग और नुकसान की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इसके संबंध में क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगया नायडु) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता। पी० सी० ओ० उपस्कर को नुकसान के बारे में यथाशीघ्र जब भी सूचना प्राप्त होती है, आवश्यकतानुसार कार्रवाई की जाती है।

महानगरों में नई टेलीफोन डाइरेक्टरियां

520. **श्री अन्ना जोशी** :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्ष वर्षों से महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने महानगरों में टेलीफोन आबंटियों को टेलीफोन डाइरक्टरियां सप्लाई नहीं की हैं;

(ख) यदि हां, इसके क्या कारण हैं ?

(ग) नवीनतम डाइरेक्टरियां सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी नहीं, दिल्ली में, अगस्त, 1989 में पिछली मुख्य डायरेक्ट्री सप्लाई की गई थी और अगस्त, 1990 में अनुपूरक डाइरेक्ट्री सप्लाई की गई थी। बम्बई में, अगस्त, 1988 में पिछली मुख्य डाइरेक्ट्री सप्लाई की गई, इसके बाद अगस्त, 1988 में बदले गए गए नबंरों वाली अनुपूरक डाइरेक्ट्री सप्लाई की गई। इसके पश्चात्, 1-5-89 तक अद्यतन वर्णक्रमानुसार अनुपूरक डाइरक्ट्री नवम्बर, 1989 में जारी की गई, और बाद में मार्च, 1991 में, 10 दिसंबर, 1990 तक की अद्यतन वर्णक्रमानुसार अनुपूरक डाइरेक्ट्री जारी की गई।

(ख) ठेकेदार द्वारा डाइरेक्ट्रीरियों की सप्लाई में असफल रह जाने के कारण इनकी सप्लाई में देरी हुई। ठेकेदार के अनुसार कागज और अन्य सामग्री तथा मजदूरी की दरों में वृद्धि होने के कारण कम्पनी को भारी घाटा उठाना पड़ा है।

(ग) अगले छः महीनों के भीतर बम्बई और दिल्ली की टेलीफोन डाइरेक्ट्रीरियों को प्रकाशित करने के लिए फिर से ठेका दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

हजारीबाग में सीमा सुरक्षा बल केन्द्र के लिए भूमि का अधिग्रहण

521. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के हजारीबाग जिले में सीमा सुरक्षा बल केन्द्र, मेरू के लिए कितने एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है;

(ख) इस केन्द्र के विस्तार हेतु सरकार का कितनी अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण करने का विचार है; और

(ग) क्या अधिग्रहण की गयी भूमि का अब तक मुआवजा दे दिया गया है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ख) हजारीबाग में 61.72 एकड़ अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण करने के एक प्रस्ताव पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा विचार किया जा रहा है ।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है ।

विवरण

मेरू, जिला हजारीबाग (बिहार) में सीमा सुरक्षा बल द्वारा अधिकृत की गई भूमि के ब्यौरे

स्थान	अधिगृहित/उपलब्ध भूमि का क्षेत्रफल	भूमि का स्तर	भूमि का मूल्य/दिया गया मुआवजा
(क) मेरू	44.30 एकड़	राज्य सरकार के माध्यम से 1968 के दौरान अधिग्रहित की गई निजी भूमि।	53,682.00 रु०
	1014.99 एकड़	1967 के दौरान वन विभाग द्वारा सीमा सुरक्षा बल को स्थानान्तरित की गई वन भूमि।	निःशुल्क
	129.36 एकड़	जी० एम० खास भूमि जो पिछले 23 वर्षों से कब्जे में है परन्तु सीमा सुरक्षा बल को अभी स्थानांतरित की जानी है।	—
जोड़	1188.65 एकड़		
(ख) सिलवार-स्माल आर्मस फायरिंग रेंज	93.15 एकड़	वन विभाग द्वारा 1967 के दौरान सीमा सुरक्षा बल को स्थानांतरित।	निःशुल्क
	15.33 एकड़	1968-69 के दौरान अधिगृहित की गई निजी भूमि।	6,397.00 रु०
	6.36 एकड़	सीमा सुरक्षा बल द्वारा जी० एम० खास भूमि का अधिग्रहण किया गया।	निःशुल्क
(ग) सीमागढ़	668.29 एकड़	1968 के दौरान फील्ड फायरिंग के लिए वन भूमि स्थानांतरित की गई।	निःशुल्क

[अनुवाद]

महाराष्ट्र के अकोला जिले में वाशिम में दूरदर्शन केन्द्र

522. **श्री राम नाईक** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से महाराष्ट्र के अकोला जिले के वाशिम में दूरदर्शन केन्द्र शुरू करने का अनुरोध किया गया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र के अकोला जिले में वाशिम, रिसोद और मालेगांव तहसीलों में दूरदर्शन केन्द्र की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो अकोला जिले के वाशिम में दूरदर्शन केन्द्र कब से कार्य करने लगेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) इस समय अकोला में एक अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर कार्य कर रहा है। दूरदर्शन की 1990-91 की वार्षिक योजना के भाग के रूप मे अकोला जिले के अकोट में अन्य अल्प शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित किये जाने की परिकल्पना है। अकोला जिले में टी० वी० सेवा में और अधिक सुधार भविष्य में इस उद्देश्य के लिए साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

ओ० बी० का जारी किया जाना

523. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड मंत्री द्वारा स्वीकृति किए जाने के बावजूद ओ० बी० जारी करने में 2-3 महीने का समय ले लेता है जिसके कारण प्रयोक्ताओं को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ओ० बी० जारी करने के लिए कितने आवेदन-पत्र इस समय महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के पास लंबित पड़े हैं; और

(घ) प्रयोक्ताओं को ओ० बी० शीघ्र जारी करने के लिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा उठाए गए कदमों का ब्योरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) जी नहीं। नीचे दिए गए कारणों की वजह से कुछ मामलों को छोड़कर मंत्री महोदय की अनुमति प्राप्त होने पर ओ० बी० तत्काल जारी कर दी जाती हैं :

(i) मंत्री महोदय ने जिन आवेदनकर्ताओं को टेलीफोन मंजूर किए हैं उन्होंने अपनी पंजीकरण संख्या प्रस्तुत नहीं की।

(ii) जिस पते पर टेलीफोन लगाया जाना है वह मूल आवेदन पत्र में लिखे पते से भिन्न होता है।

(iii) जिस क्षेत्र में फोन लगाना है वह तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं होता है।

(ग) महानगर टेलीफोन निगम लि० दिल्ली यूनिट तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड बम्बई यूनिट में ओ० बी० जारी करने के क्रमश: 290 तथा 47 मामले लम्बित हैं।

(घ) उक्त लंबित मामलों के निपटान के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) उन पार्टियों को पत्र भेजे गए हैं जिन्हें टेलीफोन मंजूर किए गए तथा उनसे पंजीकरण संख्या तथा नए टेलीफोन के लिए पते का उल्लेख करने का अनुरोध किया गया है।

(2) रिमोट लाइन यूनिटों (आर० एल० यू०) का विस्तार करने या नई रिमोट लाइन यूनिट लगाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं।

(3) जहां कहीं केबिल पेयरों की कमी के कारण टेलीफोन लगाना तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं है वहां पेयर गेन प्रणाली प्रदान करना।

कर्नाटक में दूरदर्शन का प्रसारण क्षेत्र

524. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के सभी जिले दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्र में आ गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उन जिलों के नाम क्या है जो अभी तक दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्र में नहीं आए हैं;

(ग) क्या इन जिलों को माइक्रोवेव प्रणाली से जोड़े जाने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है; और

(घ) इन जिलों में दूरदर्शन कार्यक्रमों का प्रसारण कब तक शुरू हो जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जी, हां। इस समय कर्नाटक के सभी जिले पूर्णत: या अंशत: दूरदर्शन सेवा से कवर होते हैं।

(ग) कर्नाटक राज्य में क्षेत्रीय सेवा के कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए माइक्रोवेव लिंकेज प्रणाली के बजाय उपग्रह लिंकेज प्रणाली अपनाई गई है और इस समय राज्य के सभी दूरदर्शन ट्रांसमीटर इस प्रयोजन के लिए दूरदर्शन केन्द्र बंगलौर से जुड़े हुए हैं।

(घ) धारवाड़ और शिमोगा में उच्च शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटरों के चालू हो जाने पर भूभागीय स्थिति के अनुरूप धारवाड़, शिमोगा, बेलगांव, उत्तर कन्नड, चिकमंगलूर और चित्रदुर्ग जिलों में दूरदर्शन सेवा में और सुधार की आशा है। मंडया और गंगावटी में लगाये जा रहे दूरदर्शन ट्रांसमीटरों का काम पूरा हो जाने और साधनों की वास्तविक उपलब्धता के अनुरूप बागलकोट, पावगड़ा, रायचुर और मैसूर में परिकल्पित टी० वी० ट्रांसमीटरों के स्थापित हो जाने पर राज्य में दूरदर्शन सेवा में और सुधार हो जायेगा।

[अनुवाद]

पंजाब के आतंकवादियों द्वारा मारे गए पुलिसकर्मी

525. **श्री गुरुदास कामत** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिसकर्मी पंजाब के आतंकवादियों का नवीनतम लक्ष्य बन गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

(ग) सितंबर, 1991 में पंजाब में उग्रवादियों द्वारा गोली से उड़ाये गए पुलिसकर्मियों तथा उनके रिश्तेदारों की संख्या क्या है; और

(घ) पंजाब में पुलिसकर्मियों को क्या सुरक्षा प्रदान की गयी है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) सुरक्षा बलों को छोड़ने और उनके मनोबल को गिराने के उद्देश्य से आतंकवादी सुरक्षा बलों और उनके संबंधियों को निशाना बना रहे हैं।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, सितम्बर, 1991 और अक्तूबर, 1991 के दौरान 92 पुलिस कार्मिक तथा उनके 86 संबंधियों को मारा गया।

(घ) पुलिस कार्मिकों की जान और माल को रक्षा को सुनिश्चित करने और आतंकवादियों की धमकियों से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

आकाशवाणी प्रसारण केन्द्र मिथिला (दरभंगा)

526. श्री भोगेन्द्र झा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री 24 जुलाई, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 496 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिथिला (दरभंगा) में आकाशवाणी प्रसारण केन्द्र कब शुरू किया गया था;

(ख) तब से लेकर अब तक देश में कितने प्रसारण केन्द्र चालू किए गए हैं तथा उनका प्रभाव क्षेत्र कितना है और दरभंगा केन्द्र के प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या दरभंगा केन्द्र के कम प्रभाव क्षेत्र के कारण तराई क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश मैथिली भाषी लोग इस केन्द्र से कार्यक्रम नहीं सुन सकते हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने तथा दरभंगा केन्द्र के प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करने हेतु कदम उठाने और मैथिली भाषा में समाचार बुलेटिन प्रसारण शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, इन उद्देश्यों के कब तक पूरे हो जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) दरभंगा का मौजूदा 10 कि० वा० मी० वेव प्रसारण ट्रांसमीटर 2 फरवरी, 1976 को चालू हुआ था।

(ख) देश में 2 फरवरी, 1976 के बाद चालू किए गए ट्रांसमीटरों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इस समय दरभंगा का 10 कि० वा० मी० वेव ट्रांसमीटर लक्षित क्षेत्रों में संतोषजनक सेवा प्रदान कर रहा है।

(ग) बिहार के तराई क्षेत्र को दरभंगा तथा पटना के रेडियो स्टेशनों से अच्छी सेवा प्राप्त हो रही है।

(घ) फिलहाल, दरभंगा केन्द्र की क्षमता बढ़ाने अथवा मैथिली भाषा के समाचार बुलेटिन का प्रसारण शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

विवरण

जिन स्थानों पर 2-2-1976 के बाद एम० डब्ल्यू/एफ० एम० ट्रांसमीटर चालू किए गए, उनके नाम

क्र० सं०	केन्द्र का नाम	ट्रांसमीटर की क्षमता	अनुमानित कवर क्षेत्र (1000 वर्ग कि० मी०)	चालू करने की तारीख	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6
1	रोहतक	20 कि० वा० मी० वे०	45.2	8-5-1976	नया रेडियो स्टेशन
2	नागपुर	100 कि० वा० मी० वे०	211.5	6-6-1976	अपग्रेडेशन स्कीम
3	इंदौर	100 कि० वा० मी० वे०	222.8	6-6-1976	अपग्रेडेशन स्कीम
4	छतरपुर	20 कि० वा० मी० वे०	52.7	7-8-1976	नया रेडियो स्टेशन
5	विशाखापत्तनम	100 कि० वा० मी० वे०	30.2	29-8-1976	अपग्रेडेशन स्कीम
6	औरंगाबाद	1 कि० वा० मी० वे०	3.5	19-9-1976	नया रेडियो स्टेशन
7	बड़ोदा	1 कि० वा० मी० वे०	5.6	13-11-1976	नया रेडियो स्टेशन
8	बंगलोर/उडीपी	1 कि० वा० मी० वे०	0.8	1-12-1976	नया रेडियो स्टेशन
		200 कि० वा० मी० वे०	2.4	1-12-1976	नया रेडियो स्टेशन
9	अम्बिकापुर	20 कि० वा० मी० वे०	26.8	26-12-1976	नया रेडियो स्टेशन
10	जलगांव	20 कि० वा० मी० वे०	100.7	16-10-1976	नया रेडियो स्टेशन
11	रत्नागिरी	20 कि० वा० मी० वे०	2.6	30-1-1977	नया रेडियो स्टेशन
12	जबलपुर	20 कि० वा० मी० वे०	26.0	22-1-1977	नया रेडियो स्टेशन
13	रीवा	20 कि० वा० मी० वे०	43.0	2-10-1977	नया रेडियो स्टेशन

1	2	3	4	5	6
14	नजीबाबाद	100 कि० वा० मी० वे०	26.8	27-1-1977	नया रेडियो स्टेशन
15	आइजौल	20 कि० वा० मी० वे०	33.6	30-9-1979	अपग्रेडेशन स्कीम
16	सूरतगढ़	10 कि० वा० मी० वे०	57.4	22-2-1981	नया रेडियो स्टेशन
17	श्रीनगर	200 कि० वा० मी० वे०	32.7	6-10-1981	अपग्रेडेशन स्कीम
18	गंगटोक	10 कि० वा० मी० वे०	5.9	1-10-1982	नया रेडियो स्टेशन
19	दिल्ली (बी)	100 कि० वा० मी० वे०	16.0	15-6-1983	अपग्रेडेशन स्कीम
20	कुडप्पा	100 कि० वा० मी० वे०	67.9	10-10-1983	नया रेडियो स्टेशन
21	रायपुर	100 कि० वा० मी० वे०	92.7	17-12-1984	अपग्रेडेशन स्कीम
22	पुणे	100 कि० वा० मी० वे०	103.3	26-9-1984	अपग्रेडेशन स्कीम
23	नागर कोइल	1 कि० वा० मी० वे०	0.8	30-10-1984	नया रेडियो स्टेशन
24	तुरा	1 कि० वा० मी० वे०	0.9	23-11-1984	नया रेडियो स्टेशन
25	मद्रास	200 कि० वा० मी० वे०	100.3	31-3-1987	अपग्रेडेशन स्कीम
26	ईटानगर	1 कि० वा० मी० वे०	2.8	1-4-1986	नया रेडियो स्टेशन
27	शोलापुर	1 कि० वा० मी० वे०	3.5	4-4-1986	नया रेडियो स्टेशन
28	अलमोड़ा	1 कि० वा० मी० वे०	1.2	13-6-1986	नया रेडियो स्टेशन
29	सिलोंग	100 कि० वा० मी० वे०	22.2	25-6-1986	अपग्रेडेशन स्कीम
30	धारवाड़	200 कि० वा० मी० वे०	122.6	6-9-1986	अपग्रेडेशन स्कीम
31	सिलगुड़ी	200 कि० वा० मी० वे०	35.5	23-8-1987	अपग्रेडेशन स्कीम
32	आदिलाबाद	1 कि० वा० मी० वे०	3.5	12-10-1986	नया रेडियो स्टेशन

1	2	3	4	5	6
33	लखनऊ	300 कि० वा० मी० वे०	162.4	30-9-1986	अपग्रेडेशन स्कीम
34	कोटा	1 कि० वा० मी० वे०	3.5	4-1-1987	नया रेडियो स्टेशन
35	राजकोट	300 कि० वा० मी० वे०	195.6	1-47-1987	अपग्रेडेशन स्कीम
36	अजमेर	200 कि० वा० मी० वे०	162.3	31-3-1987	अपग्रेडेशन स्कीम
37	रांची	100 कि० वा० मी० वे०	133.8	15-8-1987	अपग्रेडेशन स्कीम
38	त्रिचुरापल्ली	100 कि० वा० मी० वे०	83.5	1-1-1988	अपग्रेडेशन स्कीम
39	डिब्रूगढ़	300 कि० वा० मी० वे०	57.7	7-3-1988	अपग्रेडेशन स्कीम
40	तुरा	20 कि० वा० मी० वे०	5.6	10-12-1988	अपग्रेडेशन स्कीम
41	नागपुर	1000 कि० वा० मी० वे०	16.63	18-5-1988	नेशनल चैनल
42	क्यूंझर	1 कि० वा० मी० वे०	1.0	29.11-1988	नया रेडियो स्टेशन
43	कलकत्ता	10 कि० वा० मी० वे०	17.9	28-11-1988	अपग्रेडेशन स्कीम
44	तेजू	10 कि० वा० मी० वे०	5.0	10-12-1988	अपग्रेडेशन स्कीम
45-	आगरा	10 कि० वा० मी० वे०	20.1	16-1-1989	नया रेडियो स्टेशन
46	बम्बई "ए"	100 कि० वा० मी० वे०	26.4	6-2-1989	अपग्रेडेशन स्कीम
67	बम्बई "बी"	100 कि० वा० मी० वे०	85.8	6-2-1989	अपग्रेडेशन स्कीम
48	तवांग	10 कि० वा० मी० वे०	3.0	17-2-1989	अपग्रेडेशन स्कीम
49	पटना	100 कि० वा० मी० वे०	135.5	19-4-1989	अपग्रेडेशन स्कीम
		6 कि० वा० [illegible]	[illegible]	24-3-1989	नया रेडियो स्टेशन

1	2	3	4	5	6
51	अहमदाबाद	200 कि० वा० मी० वे०	192.2	9-7-1989	अपग्रेडेशन स्कीम
52	कोचीन	6 कि० वा० एफ० एम०	11.7	1-10-1989	नया रेडियो स्टेशन
53	मुर्शीदाबाद	6 कि० वा० एफ० एम०	11.7	21-1-1990	नया रेडियो स्टेशन
54	वारंगल	10 कि० वा० एफ० एम०	13.8	17-2-1990	नया रेडियो स्टेशन
55	बंगलौर	200 कि० वा० मी० वे०	127.9	18-9-1990	अपग्रेडेशन स्कीम
56	पासीघाट	10 कि० वा० मी० वे०	3.2	29-4-1990	अपग्रेडेशन स्कीम
57	जमशेदपुर	1 कि० वा० मी० वे०	2.2	1-9-1990	नया रेडियो केन्द्र
58	निजामाबाद	6 कि० वा० एफ० एम०	11.7	9-9-1990	नया रेडियो केन्द्र
59	जालंधर	300 कि० वा० मी० वे०	108.1	24-8-1990	अपग्रेडेशन स्कीम
60	खंडवा	6 कि० वा० एफ० एम०	11.7	19-10-1990	नया रेडियो केन्द्र
61	बीड	6 कि० वा० एफ० एम०	11.7	10-11-1900	नया रेडियो केन्द्र
62	दिल्ली "ए"	200 कि० वा० मी० वे०	200.5	3-1.1991	अपग्रेडेशन स्कीम
63	अलवर	6 कि० वा० एफ० एम०	11.7	14-1-1991	नया रेडियो केन्द्र
64	तिरूपति	10 कि० वा० एफ० एम०	13.8	1-2-1991	नया रेडियो केन्द्र
65	बारीपाड़ा	6 कि० वा० एफ० एम०	11.7	25-2-1991	नया रेडियो केन्द्र
66	गोधरा	6 कि० वा० एफ० एम०	11.7	25-2-1991	नया रेडियो केन्द्र
67	सूरतगढ़	300 कि० वा० एफ० एम०	57.4	15-3-1990	अपग्रेडेशन स्कीम
68	जम्मू	300 कि० वा० मी० वे०	30.4	23-3-1990	अपग्रेडेशन स्कीम
69	वाराणसी	100 कि० वा० मी०वे०	72.8	27-10-1990	अपग्रेडेशन स्कीम
70	अहमदनगर	6 कि० वा० एफ० एम०	11.7	14-4-1991	नया रेडियो केन्द्र

1	2	3	4	5	6
71	भटिंडा	6 कि० वा० एफ० एम०	11.7	20-4-1991	नया रेडियो केन्द्र
72	कठुआ	6 कि० वा० एफ० एम०	11.7	29-4-1991	नया रेडियो केन्द्र
73	बेतुल	6 कि० वा० एफ०एम०	11.7	30-4-1991	नया रेडियो केन्द्र
74	बिलासपुर	6 कि० वा० एफ० एम०	11.7	1-5-1991	नया रेडियो केन्द्र
75	सासाराम	6 कि० वा० एफ० एम०	11.7	2-5-1991	नया रेडियो केन्द्र
76	चित्रदुर्ग	6 कि० वा० एफ० एम०	11.7	3-5-1991	नया रेडियो केन्द्र
77	हसन	6 कि० वा० एफ० एम०	11.7	4-5-1991	नया रेडियो केन्द्र
78	शिवपुरी	6 कि० वा० एफ० एम०	11.7	4-5-1991	नया रेडियो केन्द्र
79	कन्नानौर	6 कि० वा० एफ० एम०	11.7	4-5-1991	नया रेडियो केन्द्र
80	जोरहाट	10 कि० वा० एफ० एम०	13.8	20-5-1991	नया रेडियो केन्द्र
81	नांदेड़	6 कि० वा० एफ० एम०	11.7	29-5-1991	नया रेडियो केन्द्र
82	अनंतपुर	6 कि० वा० एफ० एम०	11.7	29-5-1991	नया रेडियो केन्द्र
83	कुरुक्षेत्र	6 कि० वा० एफ० एम०	11.7	24-6-1991	नया रेडियो केन्द्र
84	जबलपुर	200 कि० वा० मी० वे०	113.5	6-8-1991	अपग्रेडेशन स्कीम
85	हैदराबाद	6 कि० वा० एफ० एम०	11.7	1-5-1991	अपग्रेडेशन स्कीम
86	नागपुर	6 कि० वा० एफ० एम०	11.7	6-8-1991	अपग्रेडेशन स्कीम
87	इन्दौर	3 कि० वा० एफ० एम०	11.7	9-9-1991	अपग्रेडेशन स्कीम
88	नागपुर	6 कि० वा० एफ० एम०	11.7	4-10-1991	नया रेडियो केन्द्र
89	बांसवाड़ा	6 कि० वा० एफ० एम०	11.7	8-10-1991	नया रेडियो केन्द्र
90	पटना	6 कि० वा० एफ० एम०	11.7	20-10-1991	अपग्रेडेशन स्कीम

[अनुवाद]

"इल्लीगल कंस्ट्रक्शन इन चितरंजन पार्क—एस० एच० ओ० पुल्लड़ अप फार सपोर्टिंग बिल्डर्स" नामक शीर्षक से समाचार

527. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 सितम्बर, 1981 के इंडियन एक्सप्रैस में "इल्लीगल कंस्ट्रक्शन इन चितरंजन पार्क—एस० एच० ओ० पुल्लड़ अप फार सपोर्टिंग बिल्डर्स" नामक शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है, जिसमें यह कहा गया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के निवासियों तथा भवन निर्माताओं के बीच मध्यस्थता कराने की कोशिश करने के लिए चितरंजन पार्क, नई दिल्ली के एस०एच० ओ० की भर्त्सना की;

(ख) यदि हां, तो न्यायालय द्वारा संबंधित अधिकारी की भर्त्सना किए जाने के संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) समाचार रिपोर्ट में दी गई अन्य विशेष बातें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) पिछले बारह महीने के दौरान जिन पुलिस कांस्टेबलों के विरुद्ध दिल्ली में न्यायालय ने टिप्पणियां की हैं उनकी संख्या तथा ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक मामले के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

"एन० डी० एम० सी० नाट कीपिंग प्रोपर्टी फाइल्स : सी० ए० जी०" शीर्षक से समाचार

528. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 सितम्बर, 1991 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "एन० डी० एम० सी० नाट कीपिंग प्रोपर्टी फाइल्स : सी० ए० जी०" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा की गई आपत्तियों का समाधान करने के लिए की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान प्रभावी कानूनों के अनुसार सम्पत्ति संबंधी रजिस्टर न बनाये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) पालिका भवन, पालिका प्लेस में दुकानों का आवंटन न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) खाली पड़ी दुकानों का ब्यौरा क्या है और खाली दुकानों को बेरोजगार स्नातकों को आवंटित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

महाराष्ट्र में तारघरों का आधुनिकीकरण

529. **श्री प्रकाश वी० पाटिल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या सरकार नए तारघर खोलने और पहले से स्थापित तारघरों का आधुनिकीकरण करने का प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र में इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में महाराष्ट्र में कितने तारघर खोले जाएंगे; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना में राज्य के कितने तारघरों को आधुनिकीकरण के लिए चुना गया है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां।

(ख) (i) 7वीं योजना अवधि के दौरान 300 नए तारघर खोले गए और 22 तारघरों का दर्जा बढ़ाया गया।

(ii) आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित एक स्टोर तथा फारवर्ड संदेश स्विचल प्रणाली, दो संदेश कंसेंट्रेटर और एक फोनोग्राम कंसेंट्रेटर की संस्थापना की गई और इन्हें चालू किया गया। 12 तारघरों में ब्यूरोफैक्स सुविधा चालू की गई है।

(ग) आठवीं योजना में महाराष्ट्र में 200 तारघर खोलने का प्रस्ताव है।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना में आधुनिकीकरण के लिए 550 तारघरों का पता लगाया गया है। महाराष्ट्र में आठवीं योजना में किए जाने वाले आधुनिकीकरण के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

महाराष्ट्र में आठवीं योजना अवधि में किए जाने वाले आधुनिकीकरण

(क) नागपुर, पुणे, कोल्हापुर, शोलापुर तथा औरंगाबाद में माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित स्टोर एवं फारवर्ड तार संदेश स्विचन प्रणालियां संस्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) इलेक्ट्रानिक बी-बोर्ड तथा 27 इलेक्ट्रानिक की बोर्ड कंसेंट्रेटरों की संस्थापना के माध्यम से 650 तारघरों का आधुनिकीकरण किया जाएगा जिनका विवरण नीचे दिया गया है :

संदेश प्रणाली का नाम	तार नेटवर्क से जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित इलेक्ट्रानिक की-बोर्ड कंसेंट्रेटरों की सं०	आधुनिकीकरण किए जाने वाले तारघरों की संख्या (अनंतिम)
बंबई	15	135
नागपुर	16	144
पुणे	6	56
शोलापुर	15	117
कोल्हापुर	7	63
औरंगाबाद	15	135

(ग) 52 तारघरों में ब्यूरो फैक्स सेवा प्रदान की जाएगी।

(घ) पुणे, नागपुर और नासिक में 1989-90 और 1990-91 में संदेश तथा फोटोग्राम कंसेंट्रेटर पहले ही चालू किए जा चुके हैं।

आकाशवाणी केन्द्र, हजारीबाग

530. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हजारीबाग जिला मुख्यालय में आकाशवाणी के शुरू करने हेतु तैयार हो गया है परन्तु इसका उद्घाटन न किए जाने के कारण इसने कार्य करना शुरू नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस केन्द्र को कब चालू करेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) हजारीबाग में स्थानीय रेडियो स्टेशन चालू किए जाने के लिए तकनीकी रूप से तैयार है। रेडियो स्टेशन के प्रचालन एवं रख-रखाव के लिए आवश्यक अपेक्षित स्टाफ तैनात होते इसे सेवा के लिए चालू कर दिया जाएगा।

अल्पसंख्यकों की समस्या

531. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में अल्पसंख्यकों की समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) उनकी समस्याओं को हल करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) देश में अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ क्या कदम उठाए हैं तथा उठाने का विचार है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ 15 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। एक विवरण संलग्न है।

विवरण

अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु 15 सूत्री कार्यक्रम से संबंधित कारंवाई कार्यक्रम तथा की गई कारंवाई की स्थिति

15 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र	कारंवाई बिन्दु	वर्तमान स्थिति
1	2	3
सूत्र संख्या 1, 2 और 3		
साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में जिला अधिकारियों की तैनाती	राज्य सरकारों को संशोधित तथा व्यापक दिशा-निर्देश जारी करना।	साम्प्रदायिक सद्भाव के संवर्धन हेतु संशोधित दिशानिर्देश राज्य सरकारों को अप्रैल, 1990 में परिचालित किए गए।
अच्छे कार्य के लिए जिला व पुलिस अधि-को पुरस्कृत करना	—तदैव—	—तदैव—
साम्प्रदायिक तनाव भड़काने या हिंसा में भाग लेने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कारंवाई	—तदैव—	—तदैव—
सूत्र संख्या 4		
साम्प्रदायिक अपराधों के परीक्षण हेतु विशेष न्यायालय की स्थापना	उन स्थानों पर जहां साम्प्रदायिक हिंसा बड़े पैमाने पर भड़क चुकी है, अनन्य रूप से सामुदायिक अपराधों के परीक्षण हेतु विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाएगी।	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं, दिल्ली, मेरठ, भागलपुर, कोटा और जयपुर में विशेष न्यायालयों का पहले ही गठन किया जा चुका है।

1	2	3
सूत्र सं० 5		
दंगों के शिकार व्यक्तियों को अनुग्रह राशि	मृत्यु/स्थायी अपंगता के मामलों में अनुग्रह अनुदान राशि को संशोधित कर 20,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये करने तथा दंगों के शिकार कम आय वाले व्यक्तियों को विधवाओं को 500 रुपये प्रति मास पेंशन देने हेतु राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी करना।	राज्य सरकारों को अप्रैल, 1990 में जारी साम्प्रदायिक सद्भाव संवर्धन संबंधी संशोधित दिशा-निर्देशों में ये मदें भी शामिल हैं।
सूत्र सं० 6		
सांप्रदायिकता सद्भाव बनाए रखने में रेडियो/दूरदर्शन की भूमिका	दंगों के दौरान समुदायों के बीच परस्पर सहायता दर्शाने वाले विशेष फीचर, सांप्रदायिक सद्भाव की आवश्यकता पर सीरियल विभिन्न समुदायों की प्रतिभागिता वाले विशेष कार्यक्रम आदि प्रसारित टेलिकास्ट करना।	इन कार्यक्रमों को कवर करने वाले विशेष फीचर कमीशन किए जा रहे हैं।
सूत्र सं० 7		
आपत्तिजनक और भड़काने वाली सामग्री का प्रकाशन-संपादक आदि के विरुद्ध कार्रवाई	इस संबंध में विशिष्ट उपायो पर विचार करना।	समय-समय पर राज्य सरकारों को इस संबंध में सतर्क रहने की सलाह दी जाती है।
सूत्र सं० 8, 9 और 10		
राज्य पुलिस बलों में भर्ती	नमूना सर्वेक्षण के माध्यम से पुलिस बलों में भर्ती	राज्य सरकारों से अनुरोध किया

1	2	3
केन्द्रीय पुलिस संगठनों में भर्ती	अभियान कानून और व्यवस्था ड्यूटियो के लिए मिले जुले बटालियन खड़ा करना, सांप्रदायिक सद्भाव बनाये रखने हेतु पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण हेतु अनुस्थापन कार्यक्रम सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों/बैंकों में भर्ती बोर्डों की रचना मानीटरिंग	गया है कि ये राज्य पुलिस बलों में अल्पसंख्यकों के बेहतर प्रतिनिधित्व मिले जुले बटालियन खड़ा करने और पुलिस बलों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम सुनिश्चित करें।
सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों आदि में भर्ती	और सरकार/बैंकों सार्वजनिक क्षेत्र संगठनों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व का मानीटरिंग।	भर्ती और भर्ती बोर्डों/चयन समितियों/आयोगों आदि में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के संबंध में नमूना सर्वेक्षण के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया है।
सूत्र सं० 11-12		
तकनीकी शिक्षा और परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण	1. सामुदायिक पालिटैकनिकों के विस्तार केन्द्रों के माध्यम से अल्पसंख्यकों के लिए प्रासंगिक कौशलों और उपयुक्त टेक्नोलोजी में तकनीकी शिक्षा का प्रसार 2. अल्पसंख्यक संकेन्द्रण वाले जिलों में अल्पसंख्यक शिल्पियों और कारीगरों के लिए प्रासंगिक व्यावसायों को जोड़कर आई० टी० आई० में प्रशिक्षण का पुनर्अनुस्थापन/उन्नयन	अल्पसंख्यक संकेन्द्रण वाले सभी 41 जिलों को सामुदायिक पालिटेकनिकों की योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। 1990-91 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 9 अल्पसंख्यक संकेन्द्रण जिलों को शामिल किया गया। 1991-92 के दौरान 17 को शामिल किया जायेगा।

1	2	3
	3. उपयुक्त स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से विभिन्न भर्ती/प्रवेशन परीक्षाओं के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण ।	इस योजना के अंतर्गत 1990-91 में 36 परीक्षा-पूर्व कोचिंग/प्रशिक्षण केंद्र स्वीकृत किए गए थे ।
	4. अल्पसंख्यक कालेजों/विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षण की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजना का पुनर्गठन और विस्तार ।	20 विश्वविद्यालयों और 33 कालेजों में विश्वविद्यालय अनुदान योजना क्रियान्वयनाधीन है ।
सूत्र सं० 13 **लाभों का उचित और पर्याप्त हिस्सा**	**हस्तशिल्प** अल्पसंख्यक संकेन्द्रण जिलों/क्षेत्रों में हस्तशिल्प के लिए पैकेज कार्यक्रम ।	1990-91 के दौरान आगरा (संगमरमर जड़ाई/स्टोन वर्क), हैदराबाद (बिद्रीय कार्य) और हावड़ा (चिकन कार्य) में शिल्प विकास केन्द्र स्थापित किए । मुरादाबाद में धातु शिल्प प्रशिक्षण केन्द्र का संयंत्र कार्य कर रहा है । काष्ठ नक्काशी की डिजाइन विकास परियोजना सहारनपुर में शुरू की गई है ।
	हथकरघा अल्पसंख्यक संकेन्द्रण जिलों में हथकरघा विकास के लिए संघन कार्यक्रम शुरू किया जायेगा ।	कन्नूर, कालीकट जिलों और नाडिया के सोनितपुर को परि-

1	2	3
		योजना पैकेज में शामिल किया गया है।
		मुर्शिदाबाद को शामिल किया जाना है।
	भागलपुर और मेरठ में साम्प्रदायिक दंगों से प्रभावित क्षेत्रों मे हथकरघा बुनकरों के पुनर्वास के लिए विशेष कार्यक्रम।	एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है। भागलपुर में 852 हथकरघा बुनकरों को नये पिट करघा दिए गए हैं, 493 लाभग्राहियों को सीमान्त धन और ब्याज इमदाद के रूप में 22.54 लाख रु० वितरित किए गए और 473 व्यक्तियों को कार्य शेड-सह-गृहों के लिए 41.82 लाख रु० की वित्तीय सहायता दी गई।
	लघु उद्योग	
	(क) साझा सुविधा केन्द्रों/प्रारूप विकास केन्द्रों की स्थापना	अलीगढ़ और हावड़ा में ताले, चमड़े के सूटकेस और सुई बनाने के उद्योगों के लिए सार्वजनिक सुविधा केन्द्रों/प्रारूप विकास केन्द्रों को शुरू करने के लिए प्रभावी कदम उठाये गये।

1	2	3
	(ख) लघु उद्योगों के लिए प्रायोजी योजनाएं।	(ख) लघु उद्योगों के लिए प्रायोजित योजनाओं हेतु राज्य सरकारों द्वारा कार्य योजना तैयार की गई। शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए जिला उद्योग केन्द्र/स्वरोजगार योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम पर कार्रवाई शुरू की गई।
	(ग) कारीगरों/ई० डी० पी० प्रशिक्षण के लिए ट्राइसेम के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम।	(ग) कारीगरों के प्रशिक्षण के लिए ट्राइसेम के अंतर्गत लगभग सभी राज्यों द्वारा विशेष कार्यक्रम तैयार किये गये हैं। राज्यों की कार्य योजनाओं में, अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों के लिए उद्यमी संबंधी विकास कार्यक्रम भी शामिल हैं।
	खादी तथा ग्रामीण उद्योग ग्रामीण कारीगरों के लिए निधियों का विशेष आवंटन और विशेष कार्यक्रम	खादी और ग्रामीण उद्योग बोर्ड के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा कार्य योजना प्रस्तावित की गई। कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सभी राज्य खादी और ग्रामीण उद्योग बोर्डों को 13.17 करोड़ रुपये की निधियां प्रदान की गई

1	2	3
		और ग्रामीण उद्योग ने एक अल्पसंख्यक मूल्यांकन सैल स्थापित किया है।
	आई० आर० डी० पी०/ट्राईसेम	
	स्वरोजगार/प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम का बेहतर उपयोग	स्थानीय विशेष व्यवसायों/धंधों को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों के लिए राज्य सरकारों को जिला-वार योजना तैयार करनी हैं। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश द्वारा कार्य योजनाएं पहले ही तैयार की जा चुकी हैं।
	ऋण सहायता	
	अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में ऋण की उपलब्धता के लिए कार्यक्रम	मार्च, 1991 तक अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में 213 शाखाएं खोली गईं। 198 अतिरिक्त केन्द्रों का निर्धारण किया गया।
सूत्र सं० 14 और 15		
शिकायतों का समाधान, वक्फ आदि पर अधिक्रमण को हटाना।	वक्फ संपत्तियों/कब्रिस्तानों आदि पर अतिक्रमणों से संबंधित शिकायतों संबंधी समस्याओं से निपटने, शिकायतों को दूर करने के लिए शीघ्र और संतोषजनक आधार पर उपाय करना।	इस संबंध में राज्य सरकारों को समय-समय पर दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

सिनेमा में हिंसा

532. **श्री विजय नवल पाटील** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैन्सर बोर्ड सिनेमा से अश्लील दृश्यों को हटाने पर अधिक ध्यान देता है और सिनेमा में प्रदर्शित हिंसा का युवा पीढ़ी पर पड़ने वाले प्रभाव पर कम ध्यान देता है;

(ख) क्या इस संबंध में सरकार अथवा किसी एजेन्सी द्वारा कोई राय सर्वेक्षण कराया गया था;

(ग) यदि हां, तो निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार का सिनेमा में हिंसा के प्रदर्शन पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं। चलचित्र अधिनियम, 1952 के उपबंधों तथा उसके अधीन जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार सभी फिल्मों की जांच केन्द्रीय फिल्म प्रणाणन बोर्ड द्वारा की जाती है। इन मार्गनिर्देशों के अनुसार, प्रमाणन के लिए फिल्में जांचते समय बोर्ड द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि हिंसा जैसी समाज विरोधी गतिविधियों को न तो महिमा मण्डित किया गया हो अथवा न ही उन्हें उचित ठहराया गया हो और हिंसा अत्याचार और वीभत्सता के बेकार अथवा परिहार्य दृश्य न दिखाए गए हों। ऐसी फिल्में जो इन मापदण्डों पर खरी उतरती हों और जिन्हें अव्यस्कों को दिखाए जाने के लिए उपयुक्त न समझा जाता हो, उन्हें "ए" प्रमाणपत्र दिया जाता है।

(ख) और (ग) वर्ष 1970 में भारतीय जन संचार संस्थान द्वारा फिल्म सेंसरशिप और दर्शकों की प्रतिक्रिया के विषय पर एक सर्वेक्षण किया गया था जिसमें दर्शकों पर हिंसा के प्रभाव को भी शामिल किया गया था। हिंसा के प्रभाव के संबध में इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जैसा कि प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में बताया गया है, स्पष्ट हिंसा के दृश्यों को हटाए जाने के बारे में मार्गनिर्देश पहले से ही विद्यमान है। केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों के नाम हाल ही में अनुदेश जारी किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन मार्गनिर्देशों का कड़ाई के साथ पालन किया जा रहा है।

विवरण

फिल्म सेंसरशिप दर्शकों की प्रतिक्रिया के विषय पर भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली द्वारा किए गए अध्ययन की रिपोर्टों के निष्कर्षों का सारांश

क्रम सं०	विषय	निष्कर्षों का सारांश			
		दक्षिण क्षेत्र (तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल)	पश्चिमी क्षेत्र (गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा)	हिन्दी क्षेत्र (दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब और चण्डीगढ़)	पूर्वी क्षेत्र (पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर भारत)
1	2	3	4	5	6
(i)	अनावश्यक सैक्स और/अथवा हिंसा वाली फिल्में	दो तिहाई दर्शक इसे नहीं देखना चाहते।	सैक्स और हिंसा के दृश्य खराब फिल्मों के सबसे अधिक महत्व-पूर्ण लक्षण होते हैं। त्रासदिक/वीभत्स दृश्य इसके बाद आते हैं।	60 से 80 प्रतिशत दर्शक इन फिल्मों को खराब फिल्में मानते हैं। खराब फिल्मों के अन्य लक्षण हैं डरावनी/त्रासदिक, विषम कहानी	अधिकांश का यह मत था कि फिल्मों में अनावश्यक सैक्स को सैंसर किए जाने की आवश्यकता है। कुछ उत्तर देने वालों का यह विचार था कि पोशाक उतारने, स्नान के दृश्यों में महिलाओं के शरीर को दिखाने के अलावा बलात्कार के दृश्य अश्लील होते हैं।

1	2	3	4	5	6
(ii)	भारतीय फिल्मों में हिंसा	उत्तर देने वाले 48 से 60 प्रतिशत व्यक्तियों ने यह स्पष्ट रूप से बताया कि भारतीय फिल्मों में अत्याधिक हिंसा दिखाई जाती है। अधिकांश इस बात से सहमत थे कि फिल्मों में हिंसा के दृश्यों से लोगों को अपने वास्तविक जीवन में हिंसा करने की प्रेरणा मिलती है।	उत्तर देने वालों का बहुत अधिक प्रतिशत (78 से 92 प्रतिशत) का यह मत था कि भारतीय फिल्मों में आजकल बहुत हिंसा होती है। उनमें से अधिकांश का यह मत था कि फिल्मों में हिंसा दिखाने के बाद लोग वास्तविक जीवन में हिंसा पर उतारू हो जाते हैं।	पश्चिमी क्षेत्र की भांति	उत्तर देने वाले व्यक्तियों में से तीन चौथाई इस बात पर सहमत थे कि भारतीय फिल्मों में हिंसा पर अधिक जोर दिया जाता है।

पुलिस स्टेशनों में महिला प्रकोष्ठों की स्थापना

533. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं से संबंधित शिकायतों को निपटाने के लिए राज्य सरकारों से पुलिस स्टेशनों में महिला प्रकोष्ठों की स्थापना करने को कहा गया था; और

(ख) यदि हां, तो कितने राज्यों ने ऐसे प्रकोष्ठों की स्थापना की है और किस स्तर पर ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा महिला और बाल विकास विभाग द्वारा गठित कोर ग्रुप ने एक राष्ट्रीय महिला परिप्रेक्ष्य योजना (1988-2000 ए० डी०) तैयार की जिसमें यह सिफारिशें की गई कि महिला पुलिस थानो अथवा पुलिस थानों में महिला एककों का अधिक संख्या में गठन किया जाए और महिला कांस्टेबलों सहित, महिला पुलिस अधिकारियों की बड़ी संख्या में भर्ती की जाए।

चूंकि पुलिस का विषय भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में राज्य सूची में है, अत: उपरोक्त सिफारिश उचित कारंवाई के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को भेजी गई थी।

[हिन्दी]

स्वतंत्रता सेनानियों के लिए पेंशन का उपबंध

534. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का उसी आधार पर सभी स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने का विचार है जिस आधार पर राज्य सरकारें उन्हें पेंशन दे रही हैं;

(ख) यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) केन्द्रीय राजस्व से पेंशन प्रदान करने के लिए पात्रता के मानदंड, राज्य सरकार के मानदंडों से भिन्न हैं।

[अनुवाद]

विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार में आरक्षण

535. श्री मोरेश्वर सावे :
श्री सैयद शाहबुद्दीन :

क्या कल्याण मन्त्री 19 अगस्त, 1991 के तारांकित प्रश्न संख्या 457 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1991 की स्थिति के अनुसार देश में विकलांग व्यक्तियों की अनुमानित संख्या कितनी थी;

(ख) 1 अप्रैल, 1990 और 1 अप्रैल, 1991 की स्थिति के अनुसार विशेष रोजगार कार्यालयों, विशेष कक्षों और व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों में कुल कितने विकलांग व्यक्ति दर्ज थे;

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान कितने विकलांग व्यक्तियों को रोजगार मिला;

(घ) 1 अप्रैल, 1990 और 1 अप्रैल, 1991 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार में वर्ग "ग" और "घ" में पृथक-पृथक रूप से कितने पद आरक्षित थे; और

(ङ) 31 मार्च, 1990 और 1991 की स्थिति के अनुसार विकलांग व्यक्तियों द्वारा कितने पदों को भरा गया ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) 1-4-1991 की स्थिति के अनुसार देश में विकलांग व्यक्तियों की वास्तविक सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, 1981 के दौरान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने विकलांग व्यक्तियों का एक देशव्यापी नमूना सर्वेक्षण किया था। इस सर्वेक्षण के अनुसार यह अनुमान लगाया गया था कि एक करोड़ बीस लाख व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग हैं।

(ख) और (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार 31-12-1989 और 31-12-1990 को विकलांग व्यक्ति चालू रजिस्टर में थे और जिन्होंने विशेष रोजगार केन्द्रों, सामान्य रोजगार केन्द्रों में विशेष कक्षों सहित रोजगार केन्द्रों तथा व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों के माध्यम से लाभप्रद रोजगार प्राप्त किया था, वे इस प्रकार हैं :—

	वर्ष	चालू रजिस्टर में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या	रोजगार प्राप्त/स्वरोजगार व्यक्तियों की संख्या
1. शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्यिों हेतु विशेष रोजगार केन्द्र	1989	68,106	1,070
	1990	64,783	1,220
2. विशेष कक्षों सहित रोजगार केन्द्र	1989	2,90,459	3,949
	1990 (जनवरी से जून तक)	2,96,790	1,968
3. व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र	1989	19,344	5,879
	1990	22,669	6,432

यह सूचना एक अप्रैल, 1990 तक की है तथा एक अप्रैल, 1991 की उपलब्ध नहीं है।

(घ) भारत सरकार ने शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए समूह "ग" और "घ" के निर्धारित पदों में 3 प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित की हैं। इस योजना के अंतर्गत विकलांग

व्यक्तियों की जो श्रेणियां आती हैं, वे हैं—नेत्रहीन, बधिर तथा अस्थि विकलांग। प्रत्येक श्रेणी केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में 1 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त कर रही है।

(ङ) सूचना उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

राजस्थान के समाचारपत्रों का प्रकाशन

536. श्री बाऊ दयाल जोशी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान से कितने मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक समाचारपत्र प्रकाशित किए जा रहे हैं और इन समाचारपत्रों के नाम क्या हैं, इनका प्रकाशन कहां से होता है और इनकी कितनी प्रतियां बिकती हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन समाचारपत्रों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का ब्योरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) 31-12-90 की स्थिति के अनुसार राजस्थान से 257 मासिक, 589 पाक्षिक और 677 साप्ताहिक प्रकाशित किए जा रहे थे। उनके नाम, स्थान जहां से ये प्रकाशित होते हैं और प्रसार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) भारत के समाचार पत्रों के कार्यालय को 7 समाचार पत्रों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुईं और इन शिकायतों के आधार पर इनमें से 5 की प्रसार संख्या की जांच की गई।

विवरण

राजस्थान—मासिक

क्र० सं०	समाचारपत्र का नाम	प्रकाशन स्थान	प्रसार
1	2	3	4
	अंग्रेजी		
1.	आल इंडिया टेक्स ट्रिबुनल अजमेंट	अजमेर	—
2.	बाइबिल रिमाइंडर (वि)	कोटा	—
3.	बुलेटिन आफ दि एसोसियेशन आफ किंगटिस्ट्स आफ इंडिया जयपुर	जयपुर	—
4.	करंट राजस्थान टैक्शेसन मैनुअल	अजमेर	—
5.	करंट टैक्स रिपोर्टर	जोधपुर	—
6.	क्रिमिनल ला रिपोर्टर	जोधपुर	—
7.	डायरी दर्पण	जयपुर	—

1	2	3	4
	8. जी० एन० पी०	जयपुर	—
	9. पिंक सिटी इनवेस्टर्स बुलेटिन	जयपुर	—
	10. रिसालत	अजमेर	—
	11. सेल्स टैक्स लिटरेचर	जोधपुर	—
	12. अनरिपोर्टेड राजस्थान रेवन्यू केसिस	जयपुर	—
	13. राजस्थान क्रिमिनल केसिस	जयपुर	—
	14. मिनिरल एंड माइनिंग वर्ल्ड	जयपुर	—
	15. दि टैक्स रेफरेंसर	जोधपुर	—
	हिन्दी		
	16. आसंगीनी	बांसवाड़ा	—
	17. अग्रदूत	जयपुर	—
	18. आगरा प्रगति	उदयपुर	—
	19. आगरा जीवन	जयपुर	—
	20. आभेरा संतती	अजमेर	—
	21. अप्रांतिय राजपूत समाचार	उदयपुर	—
	22. अनुशासन टाइम्स	बीकानेर	—
	23. अग्रोधक	जयपुर	1925
	24. अनन्त मंगल	जयपुर	—
	25. अनिमा	जयपुर	—
	26. अन्तर्मन	जयपुर	—
	27. अनोपचारिका	जयपुर	—
	28. आपका परिवार	जयपुर	—
	29. अपना पत्र	उदयपुर	—
	30. अरिहंत	जोधपुर	—
	31. अर्थ सत्ता	जयपुर	—
	32. आर्थिक कृषि कार्यक्रम	अजमेर	—
	33. आत्मिक जागृति	अजमेर	—

1	2	3	4
34.	आत्म धर्म	जयपुर	—
35.	भारतीय राजपूत	जयपुर	—
36.	भृगु मित्र	जयपुर	—
37.	आयुर्वेद मार्तण्ड	श्रीगंगानगर	—
38.	बात तो चुभेगी	जयपुर	—
39.	बाहुबली सन्देश	नसिराबाद	—
40.	बज्र प्रहार	धोलपुर	—
41.	भारतीय समाज	लाडनूं	—
42.	भविष्य प्रकाश	अजमेर	—
43.	बोलते कागज	जयपुर	—
44.	बृज सुष्मा	भरतपुर	—
45.	छकियारी	बीकानेर	—
46.	चतन्य भारत	जयपुर	—
47.	चेतन प्रहरी	बाड़मेर	—
48.	चेतन प्रहरी	बाड़मेर	—
49.	चितंभ्र मासिक	कोटा	—
50.	दधिच दिवाकर	नागोर	450
51.	कार्मसियल टैक्सेज न्यूज	जोधपुर	—
52.	चित्तौड़ समाज	कोटा	—
53.	कॉमर्सियल टैक्सेज न्यू	बाड़मेर	—
54.	दलित कल्याण	बाड़मेर	—
55.	डायरी दर्पण	जयपुर	—
56.	डाक शेखावटी से	सिकर	—
57.	धरती धोरारी	अजमेर	—
58.	देहली से मास्को	जयपुर	—
59.	धौंस	कोटा	—
60.	फिल्मोदय	श्रीगंगानगर	—
61.	फुरकान	अजमेर	—

1	2	3	4
62.	गजंती आवाज	उदयपुर	—
63.	हरित ऋषि वाणी	जयपुर	—
64.	हैल्थ अडवाइजर	जयपुर	—
65.	ज्ञान विज्ञान दीपक	ब्रह्मपुरी	—
66.	ज्ञान कुटीर	जयपुर	—
67.	जगमगदीप ज्योति	अलवर	—
68.	गोकुल	जयपुर	—
69.	गर्जन	धौलपुर	—
70.	इतिथि	सीकर	—
71.	जय श्रृंग	कोटा	—
72.	जय भैरव	भरतपुर	—
73.	जयपुर प्रसारिका	जयपुर	—
74.	झरता करुण स्रोत	जयपुर	—
75.	कालदेव	कोटा	—
76.	जन सखा	श्रीगंगानगर	—
77.	जन स्वास्थ्य शिक्षक	जयपुर	—
78.	जया गुंजार	जोधपुर	—
79.	जीनवाणी	जयपुर	—
80.	कला श्रृंखला	उदयपुर	—
81.	कल्पना पुष्प	अलवर	—
82.	कर्म वीणा	जयपुर	—
83.	कर्मचारी दर्शन	बीकानेर	—
84.	कपाट सन्देश	ब्यावर	—
85.	कथाराज	चुरू	—
86.	कविमंच	जयपुर	—
87.	खादी श्रमिक	जयपुर	—
88.	खेल रोमा	हनुमानगढ़	—
89.	लखारा सन्देश	पाली	—

1	2	3	4
90.	खञ्जन	जोधपुर	—
91.	कुंडांचल	बीकानेर	—
92.	कृषि कल्पना	उदयपुर	—
93.	कृषिलोक	जोधपुर	8250
94.	लहर	अजमेर	—
95.	लोक विज्ञान	उदयपुर	—
96.	लोक जनवाद	जयपुर	—
97.	मकहूमति	उदयपुर	1265
98.	मधु प्रेम	उदयपुर	—
99.	माली बंधु	कोटा	—
100.	मंगल मार्ग	बीकानेर	—
101.	मानव मित्रा	बांसवाड़ा	—
102.	मानवोदय	चित्तौड़गढ़	—
103.	मेघवीर	बीकानेर	—
104.	मारुति	हनुमानगढ़	—
105.	माथुर वैश्य दर्पण	जयपुर	—
106.	मिलावटी	जयपुर	—
107.	मोगरा	अजमेर	—
108.	मूल प्रश्न	उदयपुर	—
109.	मंदवाना समाचार	जयपुर	—
110.	निरोग सुख	जयपुर	—
111.	पान संदेश	उदयपुर	—
112.	नारी मंगल	जयपुर	—
113.	निष्पक्ष चेतना	बीकानेर	—
114.	पालीवाल भास्कर	उदयपुर	—
115.	पारखीवार तिकोन	बीकानेर	—
116.	परोपकारी	अजमेर	1437
117.	पशुपालन नवचेतना	जालौर	—
118.	प्राचय ज्ञान दर्पण	चूरू	815

1	2	3	4
119.	पुष्करणेन्दु	बीकानेर	—
120.	प्यारा बुलबुल	जयपुर	—
121.	प्रतियोगिता सन्देश	जयपुर	—
122.	प्रेक्ष ध्यान	लाडनूं	3250
123.	परिणय सन्देश	श्रीगंगानगर	—
124.	पुनर्गठन	चुरू	—
125.	पुस्तक विज्ञान	बीकानेर	—
126.	राजस्थान दंडिक निर्णय पत्रिका	जयपुर	—
127.	राजस्थान ग्रामीण दर्पण	जयपुर	—
128.	राजस्थान गाइडेंस न्यूजलेटर	बीकानेर	—
129.	राजस्थान का सन्देश	जयपुर	—
130.	राजस्थान कृषि समाचार	जयपुर	—
131.	राजस्थान शिक्षक	जोधपुर	—
132.	राजस्थान प्रतियोगिता प्रदर्शक	बीकानेर	—
133.	राजस्थाम विधि पत्रिका	जयपुर	—
134.	राजस्थान विकास	जयपुर	—
135.	राजस्थान व्यापार उद्योग पत्रिका	जयपुर	—
136.	राजस्थान सुनहरी कहानियां	सरदारपुरा	—
137.	रायगढ़ प्रगतिशील पत्रिका	जयपुर	—
138.	रेलवे सेंटीनल	अजमेर	—
139.	राजपुरोहित ज्योति	पाली	—
140.	रोजगार लेख	सीकर	—
141.	रामश सन्देश	पुष्कर	—
142.	रंगायन	उदयपुर	—
143.	राष्ट्रभाषा चक्र	बीकानेर	—
144.	सैनिक और समाज	बीकानेर	—
145.	सैनी मित्रा संगम	अलवर	—
146.	सांस की आवाज	जयपुर	—
147.	संवाद वृत्ता समाचार	जयपुर	—

1	2	3	4
148.	सनातन सत्य	सूरतगढ़	—
149.	संस्थान	राजस्थान	—
150.	सरस्वत जगत	श्रीगंगानगर	7504
151.	सर्व भाष्य	जयपुर	—
152.	सतयुग की वापसी	अलवर	—
153.	सेक्स एजुकेशन	अजमेर	—
154.	सेवा संदीपन	उदयपुर	—
155.	शेखावटी मंगल	सीकर	—
156.	शक द्वीपीय ब्राह्मण बंधु	अजमेर	—
157.	शिक्षा टाइम्स	जयपुर	—
158.	शिक्षक दूत	उदयपुर	—
159.	शिवोरा पत्रिका	बीकानेर	—
160.	शंक द्वीपीय जागृति	बाड़मेर	—
161.	श्रम एकता	जयपुर	—
162.	श्रम शक्ति	जयपुर	—
163.	सिरत-ए-मुस्तकिम	उदयपुर	—
164.	श्री दीपा प्रकाश	जोधपुर	—
165.	सूचि	बीकानेर	—
166.	सिध्र मकर ध्वज	श्रीगंगानगर	—
167.	स्नेहिल सन्देश	श्रीगंगानगर	1500
168.	सुख्यात संगम	उदयपुर	—
169.	स्वर्ण प्रभा	जोधपुर	—
170.	स्वतंत्र जैन	अजमेर	1500
171.	स्वास्थ्य	अजमेर	—
172.	त्रिवेणी	जयपुर	—
173.	तरलानी	उदयपुर	—
174.	तरुन विश्वकर्मा	जयपुर	—
175.	तहसीलदार सेवा समाचार	बीकानेर	—

1	2	3	4
176.	टैक्स फिल्ड	कोटा	—
177.	उलझन	जयपुर	—
178.	उरमूल समाचार	बीकानेर	—
179.	वैद्य दूत	बुलन्दशहर	—
180.	वल्लभ सन्देश	जयपुर	—
181.	वनर	जयपुर	—
182.	वरुण प्रवाह	जयपुर	—
183.	वरदायी	अजमेर	—
184.	वेद सविता	अजमेर	—
185.	वातायन	बीकानेर	—
186.	वीर रावत	अजमेर	—
187.	वीर उपदेशिका	जोधपुर	—
188.	वीतराग विज्ञान	जयपुर	—
189.	विद्यार्थी जानकार	जयपुर	—
190.	वृष्ठावली	जयपुर	—
191.	विद्युत सन्देश	जयपुर	—
192.	विजय तेज	श्रीगंगानगर	—
193.	विकलांग की आवाज	जयपुर	—
194.	विश्व हितैषी सन्देश	जयपुर	—
195.	विश्वेश्वर महावीर	जोधपुर	—
196.	विवेक विकास	जयपुर	—
197.	यासीन	कोटा	—
198.	उद्दिक	झुंझुनु	—
199.	योगा ज्योति	जयपुर	—
200.	यातायात समाचार	जयपुर	—
201.	युग साधना	कोटा	—
202.	युवा दृष्टि	लाडनूं	—
	पंजाबी		
203.	अनिल	श्रीगंगानगर	—

1	2	3	4
	संस्कृत		
204.	भारती	जयपुर	—
	सिंधी		
205.	फूलनारी	अजमेर	—
	उर्दू		
206.	अफकारे जदीद	उदयपुर	—
207.	पयामी सलमाती	जयपुर	—
208.	रिसालत	अजमेर	—
	द्विभाषी		
209.	अहिंसा विहंगम	जोधपुर	—
210.	अमिती इंटरनेशनल	जयपुर	—
211.	औचित्य सन्देश	कोटा	—
212.	विजयी व्यावसाय	जयपुर	—
213.	बुक एडवाइस	जयपुर	—
214.	ब्रह्म खतरी सन्देश	जयपुर	—
215.	चरित्र और व्याम	अजमेर	—
216.	क्रिश्चियन रेल रोडेर	जयपुर	—
217.	गेम वर्ल्ड	जयपुर	—
218.	लेटेस्ट हैप्पी न्यूज	अलवर	—
219.	गो विकास	जयपुर	—
220.	होमोवो सेवक	जयपुर	—
221.	जीवनदान	जयपुर	—
222.	खादी वर्कर	जयपुर	—
223.	क्या न्यूज	कोटा	—
224.	कृषि विकास	जयपुर	—
225.	मेरे गरीब नवाब	अजमेर	—
226.	सेर्वाविंश	जयपुर	—
227.	मंगल कामना	जोधपुर	—

1	2	3	4
228.	मनेजमैंट बुक	कोटा	—
229.	पर्यमंडल सन्देश	जयपुर	—
230.	परिवहन संपदा	जयपुर	—
231.	प्रबुध अम्बेडकर	अजमेर	—
332.	संगठन की आवाज	जयपुर	—
233.	आर० एम० एस० सेंटीनल	अजमेर	—
234.	राजस्थान दिग्दर्शन	जयपुर	—
235.	राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार पत्रिका	जयपुर	—
236.	राजस्थान स्टेट करंट स्टेटस	जोधपुर	—
237.	सचिवालय सन्देश	जयपुर	—
238.	सर्वधर्म सतसंग	उदयपुर	—
239.	साक्षर्ता सन्देश	उदयपुर	1408
240.	शिक्षा मे क्रांति	जोधपुर	—
241.	शिक्षा टाइम्स	जयपुर	—
242.	सिमको पत्रिका	झुंझुनु	—
243.	विद्युत कर्मचारी एकता	जयपुर	—
बहुभाषी			
244.	आत्म दर्शन	अजमेर	—
245.	गुलशन-ए-विश्व	अजमेर	—
246.	आयुर्वेद प्रहरी	जयपुर	—
247.	ब्रह्म सनबंध	नथद्वारा	—
248.	होली सेंट ऑफ इंडिया (दि)	अजमेर	—
249.	जोना प्रतिभा	जोधपुर	—
250.	ख्वाजगन	अजमेर	—
251.	महरन	जयपुर	—
252.	समयक दृष्टि	अजमेर	1985
253.	सुल्तान-उल-हिन्द	अजमेर	—

1	2	3	4
254.	आयरिया ख्वाजा	अजमेर	—
	अन्य भाषाएं		
255.	जगती जोत	बीकानेर	—
256.	मानक	जोधपुर	40,622
257.	ऑयमन	रत्नगढ़	—

राजस्थान—पाक्षिक

क्रम सं०	समाचारपत्रों के नाम	प्रकाशन स्थान	प्रसार 1990
1	2	3	4
	अंग्रेजी/पाक्षिक		
1.	कम्पलिट कंपेनियन न्यूज व्यूज	जयपुर	—
2.	हॉट डॉट	उदयपुर	—
3.	आई० आई० बी० (इंडस्ट्रियल इनफोरमेशन ब्यूरो)	जयपुर	—
4.	इंडियन लाइफ स्टाइल	जयपुर	—
5.	मंडे मेल	जयपुर	—
6.	राजस्थान बैलाड	गंगानगर	—
7.	टाइम्स एक्सप्रेस	जयपुर	—
8.	अनरिपोर्टेड जजमेंट्स	जोधपुर	—
	हिन्दी		
9.	आर्थिक समाचार	जोधपुर	—
10.	आज का दहेज	जयपुर	—
11.	आधुनिक संवाद	जयपुर	—
12.	अगवानी	बीकानेर	1481
13.	आज का भारत	बीकानेर	—
14.	अभीदेव	जयपुर	—
15.	ऐजन्ट राजस्थान	जयपुर	2495
16.	आगरा प्रेरणा	जयपुर	—
17.	अक्षर ज्योति	श्रीगंगानगर	—

1	2	3	4
18.	अखबारे-ए-मसूम	जयपुर	—
19.	आकाश द्वीप	जयपुर	—
20.	अक्षर की आंच	कोटा	2050
21.	अलवर सम्राट	अलवर	—
22.	अमर भूमि	जयपुर	—
23.	अमर इंडिया	माधोपुर	—
24.	अमर टाइम्स	जयपुर	—
25.	अनंग दूत	कोटा	1634
26.	अन्न दाता किसान	जयपुर	--
27.	आंतरिक्ष एक्सप्रेस	उदयपुर	—
28.	एकशान	बीकानेर	—
29.	अदीम लोक	बेरवाड़ा	—
30.	अखण्ड राष्ट्र ज्योति	बीलवाडा	—
31.	आखिरी रास्ता	उदयपुर	—
32.	आंदोलन के गर्भ से	सवाई माधोपुर	—
33.	अंकीत टाइम्स	जयपुर	2000
34.	अर्जुन सर्जन	प्रतापनगर	—
35.	अंत्योदय योजना	गंगानगर	—
36.	अलवर टाइम्स	अलवर	—
37.	अनुपम ज्ञान विज्ञान	श्रीगंगानगर	—
38.	अरावली चेतना	अलवर	—
39.	अरू भरू	बीकानेर	—
40.	आर्य जय गोष	सादुलपुर	—
41.	आर्य मतंग्ब	जयपुर	—
42.	आर्य पुनर्गठन	अजमेर	—
43.	आर्य संगठन	चूरू	—
44.	अरुण प्रवाह	जयपुर	—
45.	असंक	अलवर	1100

1	2	3	4
46.	असबाब	पाली	—
47.	अविनाश ज्योति	बीकानेर	—
48.	आयुर्वेद संवाद	जयपुर	—
49.	अतिक्रमण	जोधपुर	1745
50.	उद्योगिक कृषि	कोटा	1740
51	अवसान दर्पण	जयपुर	1200
52.	बदलती दुनिया	उदयपुर	—
53.	बढ़ते चरण	जोधपुर	—
54.	बफल एक्सप्रेस	जोधपुर	—
55.	बाज एक्सप्रेस	बीकानेर	—
56.	बबेरवाल केसरी	अजमेर	1902
57.	बाल हंस	जयपुर	51854
58.	बाल की आवाज	अलवर	1750
59.	बाल साथी	जयपुर	—
60.	बनास प्रहरी	टोंक	—
61.	बैंक कर्मचारी ललकार	जयपुर	—
62.	बनास की लहरें	मेवाड़	—
63.	बेधड़क कलाम	जयपुर	—
64.	बेनट	जयपुर	—
65.	भावक	अजमेर	2500
66.	भ्रष्टाचार से सावधान	अजमेर	—
67.	बुद्ध भीम संदेश	धौलपुर	—
68.	भारत के बढ़ते कदम	जयपुर	—
69.	भवानी एक्सप्रेस	जयपुर	—
70.	बीकानेर संवाद	बीकानेर	1537
71.	भारत भाल	उदयपुर	—
72.	बीगुल संदेश	बीकानेर	—
73.	बीकानेर केसरी	बीकानेर	—

1	2	3	4
74.	बीकानेर मंच	बीकानेर	—
75.	बीकानेर जन-जन	बीकानेर	—
76.	बृज सीमा	भरतपुर	—
77.	बुंदी संदेश	बुंदी	2500
78.	बोध सोरभ	जयपुर	2350
79.	बाला मोरा	बीकानेर	—
80.	चम्बल संदेश	कोटा	—
81.	चंबल सेतु	कोटा	1400
82.	चरम अनुबती	कोटा	—
83.	चेतक संदेश	जयपुर	—
84.	चौपाल वर्त	बीकानेर	—
85.	चित्तौड़ संग्राम	गंगाशहर	—
86.	चुरू एक्सप्रेस	चुरू	—
87.	चुरू चर्चा	चुरू	—
88.	चुरू चेतना	चुरू	—
89.	चुरू समाचार	चुरू	—
90.	दलित हिमायती	बीकानेर	—
91.	दधिच वर्त	जयपुर	—
92.	सीने सत्र	अजमेर	—
93.	कन्स्टरीबुशन	सूरतगढ़	—
94.	करन्ट ज्योति	पलोदी	—
95.	दलित बोध	चुरू	—
96.	दलित के वहाड़	टोंक	—
97.	दलित वर्ग संदेश	बीकानेर	—
98.	दर्पण ज्योति	श्रीगंगानगर	—
99.	देहाती रखवाला	श्रीगंगानगर	—
100.	दलित ज्योति	झुंझुनु	—
101.	दर्द की आवाज	जयपुर	—

1	2	3	4
102.	दावानल	कोटा	—
103.	विधान मोहन	अजमेर	—
104.	देहात केसरी	गोलुवाला	—
105.	देहात भारती	अलवर	—
106.	देश विदेश दुत	जयपुर	—
107.	देविन्द्र सीरेन	बीकानेर	—
108.	धुनधाड की आवाज	धांसा	2000
109.	देवली टाइम्स	देवली	—
110.	देसाटन	अलवर	—
111.	धर्मचर्चा	श्रीगंगानगर	—
112.	दृष्टिकोण	उदयपुर	—
113.	डिक्टेटर	देवाड़	—
114.	दिशा बोध	भरतपुर	—
115.	दिशा कलप	बीकानेर	2000
116.	दो राइफल	भरतपुर	—
117.	दोस्ती का संदेश	अजमेर	2181
118.	दुगामी दर्पण	जयपुर	—
119.	दत्त बन्धु	भरतपुर	—
120.	इकनोमिक ब्यूटी	उदयपुर	—
121.	फौलादी एकता	सवाई माधोपुर	—
122.	फतेहपुर की आवाज	फतेहपुर	—
123.	गलता की गुंज	जयपुर	2500
124.	गलता की घाटी	जयपुर	2345
125.	गांव की खपरल	फतेहनगर	—
126.	गांव की सभा	जयपुर	2300
127.	गौतम ज्योति	बीकानेर	—
128.	गंगानगर और देश	श्रीगंगानगर	1782
129.	गोल्डन सीटी दूत	जैसलमेर	—

1	2	3	4
130	गंगौर	जयपुर	—
131.	गंगानगर पत्रिका	श्रीगंगानगर	--
132.	दर्पण	सवाई माधोपुर	—
133.	गायत्री आशीश	जयपुर	1900
134.	घर बैठे संदेश	जसनपुर	2000
135.	ग्राम गदर	जयपुर	—
136.	ग्रामीणजन चेतना	जोधपुर	—
137.	ग्रामीण संगठन	जयपुर	2988
138.	गोलुवाला केसरी	श्रीगंगानगर	—
139.	ग्रामीण दूत	जयपुर	—
140.	ग्रामीण फूलवाडी	कोटपुतली	—
141.	गौतम दूत	नागौर	1993
142.	ग्रामीण दल	उदयपुर	—
143.	ग्रामीण	कोटा	6450
144.	ग्रेटेस्ट इंडिया	बीकानेर	—
145.	गुलाबी आवाज	जयपुर	—
146.	गुलाबी जगत समाचार	जयपुर	1750
147.	ग्रेट राजस्थान	जयपुर	--
148.	गुजारिश	कोटा	1310
149.	गुले राजस्थान	जयपुर	—
150.	गुप्त दूत	जयपुर	2500
151.	ज्ञान पिपासू	केकडी	—
152.	हेकारा	पाली	—
153.	हालचाल	जयपुर	—
154.	हमीर चेतना	सवाई माधोपुर	—
155.	हमारी ताकत	जयपुर	—
156.	हकदार	बीकानेर	1913
157.	हरा भरा राजस्थान	श्रीगंगानगर	—

1 2	3	4
158. हरीत क्रान्ति	जयपुर	2500
159. हरोती का दीपक	कोटा	—
160. हरोती एक्सप्रेस	कोटा	—
161. हरोती की धरती	कोटा	—
162. हरोती जाग उठी	कोटा	—
163. हरोती केसरी	धौलपुर	—
164. हरोती सैनिक	कोटा	—
165. दैनिक न्यूज	श्रीगंगानगर	—
166. हैलो सुनो किसान रो	अजमेर	—
167. हिन्द सलाम	जयपुर	—
168. हैडेक	होनडन सीटी	—
169. हैलो टाइम्स	जयपुर	—
170. हिन्द दीप	ताली	—
171. हिन्डौन कैपीटल सीटी डिगदृश्न	हिन्डोन सीटी	—
172. हुआ सवेरा	जयपुर	—
173. इन्द्र सवरूप	भरतपुर	—
174. जयपुर काउन	जयपुर	—
175. इन्ड्रा बुलैटिन	जयपुर	—
176. इनटरव्यु	जोधपुर	—
177. जांबाज	बीकानेर	—
178. जन्मदाता	बाड़मेर	1105
179. जनतंत्र की कलम	बेवाड़	—
180. जहानपारी की आवाज	बीकानेर	1800
181. जयपुर सम्राट	जयपुर	—
182. जयपुर चकक्षु	जयपुर	—
183. जयपुर डायरी	जयपुर	1852
184. झालवाड़ टाइम्स	झालवाड़	—
185. जागृति के आंचल से	हिन्डौन सीटी	—

1	2	3	4
186.	जगत वल्लभ	उदयपुर	—
187.	जयपुर कांग्रेस पत्रिका	जयपुर	—
188.	जयपुर केसरी जयपुर	जयपुर	—
189.	जनपथ प्रवर्तक	जयपुर	—
190.	जांच और खोज	जयपुर	—
191.	जन क्रान्ति	जयपुर	—
192.	जंगजू	चित्तौड़गढ़	1700
193.	जन जन	बीकानेर	—
194.	जसल वाणी	जैसलमेर	—
195.	जन पतवार	बीकानेर	—
196.	जनपथ	कोटा	—
197.	जयपुर किकाना	बीकानेर	—
198.	जनसूत्र	जोधपुर	3500
199.	जनसखा	श्रीगंगानगर	—
200.	झुंझुनु की धरती	जयपुर	—
201.	जय ज्वाला	चुरू	—
202.	जैन भिठलकर	बाड़मेर	10292
203.	जालोर की धरती	जयपुर	—
204.	जयन्ती जनता	अजमेर	1650
205.	युगलबन्दी	सीकर	—
206.	जैनेन्दु	जयपुर	—
207.	जुगल कृपा	जयपुर	1992
208.	जोधपुर समाचार	जोधपुर	1700
209.	ज्योतिष प्रदीप	जयपुर	—
210.	जयमंगलम संवाद	जयपुर	—
211.	ज्वाला संदेश	सिंगपुर	—
212.	ज्योति कुंज	जयपुर	—
213.	जोशीली आवाज	जयपुर	—

1	2	3	4
214.	कस्बा सच	बीकानेर	—
215.	कामधेनु	बीकानेर	1905
216.	कलम मास्टर	जयपुर	—
217.	कैसे-कैसे लोग	जयपुर	—
218.	कागज	श्रीगंगानगर	—
219.	कर्म ज्योति	जयपुर	2800
220.	कर्मचारी साथी	जयपुर	—
221.	कर्म चिंतन	जयपुर	—
222.	करनी युद्ध	बीकानेर	—
223.	करौली टाइम्स	करौली	—
224.	केसरिया बाना	बूंदी	—
225.	केसरी कुंज	जयपुर	—
226.	खादी आराधना	जयपुर	—
227.	खींचतान	टोंक	—
228.	खूनी कलम	सवाई माधोपुर	—
229.	किरन कोस	अजमेर	—
230.	किरायादार की पुकार	जयपुर	—
231.	कीर्ति समाचार	अलवर	—
232.	किसान धाम	अजमेर	1749
233.	खुशहाल भारत	जोधपुर	—
234.	किंग	भरतपुर	—
235.	किशनगढ़ टाइम्स	अलवर	—
236.	किसान रक्षक	नोहर	—
237.	किसान पथ	श्रीगंगानगर	6613
238.	कोमल टाइम्स	जयपुर	—
239.	कोहिनुर	बीकानेर	2000
240.	कोटा ओबजरवर	कोटा	1355
241.	करमसा	जोधपुर	—

1	2	3	4
242.	क्रांति धर्मी	जयपुर	—
243.	क्रांति रत्न	डूंगरपुर	—
244.	कृषक संदेश	श्रीगंगानगर	7160
245.	क्षेत्रीय विकास पत्रिका	श्रीगंगानगर	—
246.	कृषि विपणन कर्मचारी साथी	जयपुर	1541
247.	कुमारसंभव	जयपुर	—
248.	ला डूनललकार	लाडनूं	1980
249.	लेबर मुवमेन्ट	अजमेर	—
250.	कयामत	जोधपुर	—
251.	लालसोट समाचार	जयपुर	1550
252.	कुतुबनुमा	अलवर	—
253.	लाडनूं समाचार	डीदवाड़ा	--
254.	लामलोट	अलवर	—
255.	लार्केंक	चित्तौड़गढ़	—
256.	लक्ष्मण सीता पत्रिका	लक्ष्मणगढ़	—
257.	लीचल	जयपुर	—
258.	लोक जनक	उदयपुर	—
259.	लोक शक्ति	जयपुर	—
260.	मादक पदार्थ विरोध	जयपुर	—
261.	महक दूत	जोधपुर	1830
262.	लोक मसीहा	जयपुर	-
263.	लोक निर्माता	चुरू	—
264.	लोक मंच समाचार	चुरू	—
265.	लोक शिक्षक	जयपुर	—
266.	लुक बिल	जयपुर	—
267.	महेश ज्योति	नागौर	—
268.	मदन टाइम्स	जयपुर	—
269.	मानसरोवर संदेश	जयपुर	—

1	2	3	4
270.	मंगलीब्यास टाइम्स	अजमेर	1961
271.	मरूनायक	बीकानेर	—
272.	मरूचर्क	जोधपुर	24091
273.	माघ संदेश	जालौर	—
274.	महिला टूडे	अलवर	1500
275.	मागरा	बीकानेर	—
276.	मरूधर ज्योति	नागौर	—
277.	मैं क्या कहूं	अलवर	—
278.	मीरा दूत	नागौर	—
279.	माल पानी पत्रिका	जयपुर	—
280.	मरुडे एक्सप्रेस	जयपुर	—
281.	मानदर्शी	जोधपुर	—
282.	मंडी चेतना	जयपुर	—
283.	मंडी एक्सप्रेस	जयपुर	—
284.	मानव परिवार	सीकर	—
285.	मंगल ध्वनि	झुंझुनु	—
286.	माओजेर 86	कोटा	—
287.	मारू महिमा	जैसलमेर	—
288.	मरूधर सेखर	अजमेर	—
289.	मानव और न्याय	भद्रा	—
290.	मनोहर टाइम्स	जयपुर	—
291.	मरू गुंजार	लाडनूं	—
292.	मारवाडी डाइजेट	पदीहारा	—
293.	मारवान	जयपुर	—
294.	मार्मिक धारा	जयपुर	1816
295.	मत्स्य दूत	अलवर	—
296.	मेवाड़ हलचल	बेगन	1500
297.	मेवाड़ मालवा किरन	चित्तौड़गढ़	—

1	2	3	4
298.	मरूधर दर्शन	जैसलमेर	—
299.	मत संमत्	अलवर	—
300.	मजदूर ड्राईवर	मारवाड़	—
301.	महाज्ञानी	बीकानेर	—
302.	मेरा शहर	जयपुर	—
303.	मेवाड़ संदेश	उदयपुर	—
304.	मुंचकुंद	धौलपुर	—
305.	मेवाड़ समाचार	अलवर	—
306.	मुलजिम	पाली	—
307.	मुक्ति संदर्भ	जयपुर	—
308.	नदवाई बुलेट	नदबाई	—
309.	नागबाज	जयपुर	—
310.	नागरिक प्रहरी	झुंझनु	—
311.	नया अमन खिलता चमन	जयपुर	—
312.	नया युग पुरुष	अजमेर	2193
313.	नेता जी की मसाल	अजमेर	1605
314.	नारी प्रतिवेदना	जयपुर	1870
315.	नरेन्द्र की पुकार	अजमेर	1250
316.	नव सूर्य	जयपुर	—
317.	नव युवक टाइम्स	कोटा	—
318.	न्यूज किंग	जयपुर	—
319.	नीराला अलवर	अलवर	1800
320.	नीराला समाज	जयपुर	—
321.	नीराली विजय	जयपुर	1640
322.	निर्माण संदेश	सूरतगढ़	—
323.	निर्माण शक्ति	उदयपुर	—
324.	निर्विवाद	कोटा	—
325.	निवाई सेवा	निवाई	—

1	2	3	4
326.	निर्विरोध	श्रीगंगानगर	—
327.	निवाई टाइम्स	निवाई	1624
328.	नूतन आलोक	अलवर	1500
329.	नरसिंह नया	जयपुर	—
330.	नूतन प्रकाश	अलवर	—
331.	नया यंत्रतर	रतनगढ़	3200
332.	पंच तंत्र संदेश	करौली	—
333.	परिवहन	जयपुर	—
334.	पयाम-ए-शान्ति	जयपुर	—
335.	पंचायत प्रभात	नागौर	2755
336.	पाईरोल	जयपुर	—
337.	पाली समाचार	पाली	—
338.	पसीना	भीलवाड़ा	—
339.	पसाण युग	करौली	—
340.	पीछोला	उदयपुर	—
341.	पिछड़ा राजस्थान	अलवर	—
342.	पिछड़ा पक्ष	जयपुर	—
343.	परवाना संदेश जयपुर	जयपुर	—
344.	परदे के पार	बीकानेर	1500
345.	पिंक सीटी वार्ता	जयपुर	—
346.	प्रदूषण समाचार	कोटा	1654
347.	पिलानी की जनता	पिलानी	—
348.	पिंक न्यूज	जयपुर	2100
349.	पुलिस एक्सप्रेस	टोंक	—
350.	प्रभुसत्ता	भरतपुर	—
351.	प्रभद आवाहन	नाथवाड़ा	—
352.	प्रगवत	भीलवाड़ा	—
353.	प्रजा बन्धु एक्सप्रेस	जयपुर	—

1	2	3	4
354.	प्रखर ज्वाला	जयपुर	—
355.	प्रज्ञात भारती	जयपुर	3000
356.	प्रकाश स्तंभ	जयपुर	—
357.	प्रमाणिक	अलवर	1500
358.	प्रजा पालक	सीकर	—
359.	परापाली	बीकानेर	—
360.	परीसकराबर	जयपुर	—
361.	पुष्कर केसरी	अजमेर	—
362.	प्रेस जगत	जयपुर	—
363.	प्रौढ़शाला	भरतपुर	—
364.	पुखराज	भीलवाड़ा	—
365.	पुर्वार्थी ज्योति	जयपुर	—
366.	राज से स्वराज	अजमेर	1522
367.	राजधानी करोनि	जयपुर	—
368.	राजस्थान दृष्टि	अजमेर	1944
369.	रेलवे वर्क	बीकानेर	—
370.	राज लीडर	पाली	—
371.	राजस्थान कायम रिसाला	चूरू	—
372.	राजस्थान भूमि	जयपुर	—
373.	राजस्थान छात्र संदेश	जयपुर	—
374.	राजस्थान चेतना	जयपुर	—
375.	राजस्थान मरु विकास	जयपुर	2425
376.	राजस्थान प्रकाश की आवाज	जयपुर	—
377.	राजस्थान मित्र	जयपुर	2269
378.	राजस्थान पालिका दर्पण	जयपुर	—
379.	राजस्थान साहित्यकार	भीलवाड़ा	—
380.	राजस्थान किसान समाचार	जयपुर	—
381.	राजस्थान सहकार टाइम्स	बीकानेर	—

1	2	3	4
382.	राजनीति के रूप	जयपुर	—
383.	राजस्थान समाचार दर्पण	जयपुर	1850
384.	राजस्थानी धरती	जयपुर	—
385.	राजस्थान सुझाव	जयपुर	—
386.	राजगाड़ी पत्रिका	सादुलपुर	—
387.	राजस्थान युवा समाचार	जयपुर	—
388.	राजस्थान स्टण्डर्ड	बीकानेर	1749
389.	रक्षक ही भक्षक	जयपुर	—
390.	राष्ट्र प्रेम लता	जयपुर	—
391.	रतनगढ़ केसरी	चुरू	—
392.	रंगीले फूल	बीकानेर	1577
393.	रंग ज्योति	बीकानेर	—
394.	रंग छवी	जयपुर	—
395.	रण तिलक	बीकानेर	—
396.	राजस्व कर्मचारी संदेश	जयपुर	—
397.	रणकपुर सन्देश	पाली	—
398.	राष्ट्र पूंजी	रतनगढ़	—
399.	रेगिस्तान वार्ता	जयपुर	—
400.	रेगिस्तान केसरी	बीकानेर,	—
401.	राजस्थान कच्ची बस्ती	जयपुर	—
402.	रावतसर केसरी	श्रीगंगानगर	—
403.	रीएक्सनरी	जयपुर	—
404.	रेगिस्तान ग्रामीण पत्रिका	जयपुर	1080
405.	राजस्थान सयाचार	जयपुर	2945
406.	रीयल्टी	बीकानेर	—
407.	रेतीला राजस्थान	सूरतगढ़	—
408.	रूप टाइम्स	सोजात	—
409.	रिश्यतो का खजाना	जयपुर	—

1	2	3	4
410.	रोडवेज टाइम्स	कोटा	—
411.	रोजगार की आवाज	जयपुर	—
412.	रोशन किरदार	जयपुर	—
413.	रमेटी और आजादी	भरतपुर	—
414.	सच्चा भारत	पाली	—
415.	समाचार समूह	चूरू	—
416.	समाचार सम्राट	श्रीगंगानगर	2993
417.	समाज फिलटर	जयपुर	—
418.	सचमुच दूत	जयपुर	—
419.	सहकार चेतना	जयपुर	2500
420.	सहकार विकास	जयपुर	—
421.	साक्ष्य	टोंक	—
422.	समाज दूत	जयपुर	—
423.	समाजवाद प्रहारी	जयपुर	3533
424.	समय कौन	जयपुर	2999
425.	समाजवादी संकेत	श्रीगंगानगर	—
426.	समाजवाद की आवाज	चूरू	—
427.	समन्वय की भावना	जयपुर	—
428.	समन्वय वाणी	जयपुर	1978
429.	समता मंच	चूरू	—
430.	सहीमा टाइम्स	जयपुर	—
431.	समाचार सम्राट	जयपुर	1609
432.	समयक वाणी	जयपुर	
433.	सजक सिपाही	कोटा	1250
434.	सजक शक्ति	चूरू	—
435.	सविप सागर	बीकानेर	—
436.	संध्या की समंक	जयपुर	—
437.	संचार समाचार दर्पण	सीकर	—

1	2	3	4
438.	सन्देश एक पक्षी का	जयपुर	—
439.	संसार चक्र	भीलवाड़ा	—
440.	समल्प दीप	कुछमान सिटी	—
441.	सेनी दाउद	जयपुर	2200
442.	संयुक्त संघर्ष	श्री डूंगरपुर	--
443.	सरदार शहर चेतना	चुरू	—
444.	सरदार समाचार	सरदार शहर	—
445.	सरदार शहर प्रभात	सरदार शहर	—
446.	सरेराह	अजमेर	3169
447.	सशक्त पुकार	जोधपुर	—
448.	सरस्वती प्रेम	अजमेर	—
449.	सीधा जवाब	ब्यावर	—
450.	सीधा रास्ता	जयपुर	—
451	शहीदों की याद	भरतपुर	—
452.	सिंचाई श्रमिक पत्रिका	जयपुर	—
453.	शहजादा	श्रीगंगानगर	—
454.	शक्ति ध्वज	जयपुर	—
455.	शाही राज महल	अलवर	—
456.	शक्ति सागर	बीकानेर	—
457.	शेखावती संसार टाइम्स	झुंझुनु	—
458.	शिव केसरी	सूरतगढ़	1860
459.	शिल्पकार सन्देश	बीकानेर	1946
460.	शेष विशेष सन्देश	जयपुर	—
461.	शिव समाधि	जयपुर	1800
462.	श्रम शीलता	भीलवाड़ा	2948
463.	शेखावटी दरबार	पिलानी	—
464.	शिक्षा जगत की आवाज	अलवर	—
465.	शेखावटी गंध	नरलगढ़	—

1	2	3	4
466.	शेखावटी जन प्रवाह	शेखावटी	—
467.	श्रमिक राजस्थान	जयपुर	—
468.	श्रमिक सन्देश	बीकानेर	—
469.	श्री नवाल ज्योति सन्देश	जयपुर	—
470.	श्याम ग्राम सन्देश	सीकर	—
471.	सीमान्त कर्मचारी	श्रीगंगानगर	—
472.	श्रमिक विकास	जयपुर	—
473.	शिक्षक ज्वाला	जयपुर	—
474.	श्री विजय नगर पत्रिका	श्रीगंगानगर	—
475.	शोषित समाज	श्रीगंगानगर	—
476.	श्रमिक आन्दोलन	जयपुर	—
477.	श्री जम्मेश्वर पत्रिका	मलारमपुरम	—
478.	श्याम अनुग्रह	सीकर	1750
479.	सिरोनवा की लहर	सिरोही	—
480.	स्पष्ट मत	जोधपुर	—
481.	स्पोर्टीरा सन्देश	सवाईमाधोपुर	—
482.	सुमन	पाली	—
483.	सुमन स्टान	बीकानेर	—
484.	सुधीरकरण	जोधपुर	—
485.	सुजान ग्रह एक्सप्रेस	चुरू	—
486.	सूरतगढ़ टाइम्स	श्रीगंगानगर	—
487.	सुर विहार	जयपुर	1700
488.	सुजिया एक्सप्रेस	चुरू	—
489.	स्वभिमानी राजस्थान	जयपुर	—
490.	स्वायत दर्पण	जयपुर	—
491.	स्वातिक वेतास	जयपुर	2058
492.	स्वतन्त्र युग की पुकार	जयपुर	--

1	2	3	4
493.	तकनीकी दर्पण	जयपुर	—
494.	तर्क संगत सन्देश	जयपुर	1950
495.	टेक्सटाइल सन्देश	भीलवाड़ा	—
496.	तमरा श्रमिक वेदना	झुंझुनु	1325
497.	तायहृति के आंचल से	सवाई माधोपुर	2845
498.	तपती रेत	बीकानेर	—
499.	थार दीप	बीकानेर	—
500	थार की खेती	हनुमानगढ़	—
501.	थार सन्देश	जयपुर	—
502.	तूफानी कलम	जयपुर	—
503.	त्रिवेणी वार्ता	जयपुर	—
504.	धुंध	श्रीगंगानगर	—
505.	तोबा तोबा	जयपुर	2000
506.	टोंक प्रहरी	टोंक	—
507.	टोंक टाइम्स	टोंक	—
508.	तोरावटी समाचार	जयपुर	2600
509.	टूटी हुई जंजीर	बीकानेर	—
510.	उल्टा पुल्टा	उदयपुर	1950
511.	उड़ता तीर	टोंक	—
512.	उपभोक्ता हितैषी	टोंक	—
513.	टाइकार्ड मंजरी	कोटा	—
514.	उजस	सूरतगढ़	—
515.	उपेरमल सन्देश	मंडलगढ़	—
516.	उषा गुलाबी नगर में	जयपुर	—
517	उठती हुई जनपु कार	सवाई माधोपुर	2316
518.	उठो किसानो जागो मजदूरो	चुरू	—
519.	वैज्ञानिक क्रान्ति	कोटा	—

1	2	3	4
520.	वैशाली पुकार	डूंगरपुर	—
521.	वाम धर्मी	बीकानेर	—
522.	वाणी	कोटा	—
523.	वरियता	जयपुर	—
524.	ब्यावर राज	जयपुर	2500
525.	वीर प्रभु	चूरू	—
526.	वीर वाणी	जयपुर	—
527.	वेदनाविहीन	अजमेर	1450
528.	विजयगढ़ सन्देश	भरतपुर	—
529.	विमल धर्म अखियायक	जयपुर	—
530.	विकलांग चेतना	जयपुर	—
531.	विजय की आवाज	नोहर	—
532.	विकासशील राजस्थान	जयपुर	—
533.	विकलांग मंच	जयपुर	1274
534.	विनायक सन्देश	श्रीगंगानगर	1499
535.	विवेक भव	जयपुर	1650
536.	विश्व ललित	सीकर	—
537.	विश्व वाणिज्य	जयपुर	1892
538.	वोल्टेज	श्रीगंगानगर	—
539.	यशवर्धन टाइम्स	जयपुर	1800
540.	विवेक केसरी	करौली	—
541.	विश्व विजय	अलवर	—
542.	विश्व नीति	जयपुर	—
543.	वृन्द ज्योति	मेरता सिटी	—
544.	यमदूत	जयपुर	1900
545.	योग्य	कोटा	1860
546.	युग दर्पण	कोटा	...

1	2	3	4
547.	युवक चूरू	चूरू	—
548.	युग की मांग	उदयपुर	—
549.	युवा संध्या	जयपुर	—
सिन्धी			
550.	आशा रानी	अजमेर	—
551.	जय झुलेलाल	जोधपुर	1350
552.	सहयोग	अजमेर	1528
उर्दू			
553.	बशरत	जयपुर	—
554.	हमारी ताकत	जयपुर	2100
555.	नदीम	टोंक	—
द्विभाषी			
556.	अधिकारम	जयपुर	—
557.	अमर विजय	अजमेर	—
558.	बांको बायस	जयपुर	—
559.	भरत लॉटरी	जयपुर	—
560.	भ्रष्टाचार दूर करो	अजमेर	—
561	चरित्र और व्यायाम	अजमेर	—
562.	चील	जोधपुर	—
563.	धरती और इंसान	कालना	—
564.	जय अमरियल	जोधपुर	1400
565.	गंइच्छा	जयपुर	—
566.	हुल्ला गुल्ला	अलवर	
567.	जमाने की आवाज	बीकानेर	—
568.	जोशी टाइम्स	जोधपुर	1800
569.	कानून सर्विस	जोधपुर	—
570.	न्याय की पुकार	अजमेर	—
571.	परिवहन द्योतक	जयपुर	—

1	2	3	4
572.	पयाम-ए-सुकुन	उदयपुर	—
573.	पोस्टमार्टम	उदयपुर	—
574.	प्रतिज्ञा सन्देश	जयपुर	—
575.	राजस्थान चेम्बर सन्देश	जयपुर	—
576.	राजस्थान स्टील एक्सप्रेस	जयपुर	—
577.	राजस्थान सांख्यिकी	जयपुर	1037
578.	राष्ट्रीय एकता	ब्यावर	—
579.	सांस्कृतिक चेतना	जयपुर	2500
580.	शहीदों के सपने	हिन्डोन सिटी	—
581.	शिक्षक सन्देश	उदयपुर	—
582.	शकील	बीकानेर	—
583.	श्री निम्बार्क	सलेमाबाद	—
584.	श्रमिक न्याय	जयपुर	—
585.	स्थितप्राज्ञ	चित्तौड़गढ़	—
586.	यंग एज	जयपुर	—
बहुभाषी			
587.	हिन्द मेडिको	उदयपुर	—
अन्य भाषाएं			
588.	बगत्री बात	अजमेर	—
589.	हड़ौती हूंकार	कोटा	—

राजस्थान—साप्ताहिक

क्रमांक	समाचार पत्रों का नाम	प्रकाशन स्थान	प्रसार
1	2	3	4
अंग्रेजी			
1.	इंडियन ज्यूडिशियल रिपोर्टर्स	जोधपुर	—
2.	राजस्थान क्रोनिकल	जयपुर	—
3.	राजस्थान इको	जयपुर	—

1 2	3	4
4. युग की आवाज	जयपुर	—
हिन्दी		
5. आम ख्याल	जयपुर	5150
6. आज का अलवर	अलवर	—
7. आप की अदालत	जयपुर	—
8. अभय दूत	जोधपुर	6296
9. अभय घोष	अजमेर	—
10. अभियाचिका	धौलपुर	—
11. अभयुवया	जयपुर	—
12. आदिवासी जागृति	अजमेर	3800
13. आधुनिक भारत का समाचार	अजमेर	—
14. अडवाला	उदयपुर	—
15. अग्नि परीक्षा	जयपुर	2000
16. आइने के सामने	जयपुर	1800
17. अग्रीकल्चर लीडर	जयपुर	—
18. अजयमेरू	अजमेर	—
19. अजमेर केसरी	अजमेर	1500
20. अजमेर दूत	अजमेर	1601
21. अजयपाल	अजमेर	—
22. अजमेर वृष्टि	अजमेर	—
23. आंधी	झालवाड़	—
24. अलवर क्राउन	अलवर	—
25. अलवर करेन्ट	अलवर	—
26. अलवर की आंखें	अलवर	—
27. अलवर पत्रिका	अलवर	1660
28. अंगत	बूंदी	—
29. अमनदीप	दौसा	—

1	2	3	4
30.	अमर ज्योति	जयपुर	3466
31.	अमर लाल	अजमेर	—
32.	अमर नाद	अलवर	—
33	अमर वाणी	पाली	—
34.	अनामिका ज्योति	बीकानेर	—
35.	अंतेश चेतना	जयपुर	6000
36.	अमृत टाइम्स	जयपुर	3499
37.	अनिद्रा	जयपुर	—
38.	अनोखा सवेरा	भीलवाड़ा	—
39.	अंतर आवाज	जयपुर	—
40.	अंतरिक्ष	श्रीगंगानगर	—
41.	अंतोदया किरण साप्ताहिक	जयपुर	—
42.	अनुबंध	टोंक	—
43.	अनुपम ज्योति	जयपुर	—
44.	अनुशासित वाणी	बीकानेर	—
45.	अनुशासित समाज	श्रीगंगानगर	—
46.	अनुचिंतक	बीकानेर	—
47.	अपोलो	टोंक	—
48.	अरोली दर्पण	बाड़ीकुर	1900
49.	अरोली प्रभा	अलवर	1700
50.	अरोली	उदयपुर	—
51.	अर्तनाद	जयपुर	—
52.	अरोली की गूंज	अलवर	—
53.	अशांत केसरी	श्रीगंगानगर	—
54.	आश्वासन	उदयपुर	—
55.	एशियन स्टैंडर्ड	जयपुर	—
56.	अविनाश ज्योति	बीकानेर	—
57.	असली न्याय	श्रीगंगानगर	—

1	2	3	4
	58. असली राजस्थान	सादुल शहर	3662
	59. आत्म लोचन	बंटवारा	—
	60. अगस्त क्रांति	जयपुर	—
	61. आजाद	अजमेर	10329
	62. आजाद निशान	जयपुर	—
	63. बलोत्रा संदेश	बाड़मेर	—
	64. आजाद संदेश	जयपुर	36000
	65. बदलता हिन्दुस्तान	जयपुर	—
	66. बदलता जमाना	जयपुर	—
	67. बदलता राजस्थान	उदयपुर	—
	68. बढ़ते कदम	अजमेर	—
	69. बजरंग बान	जयपुर	—
	70. बाड़मेर एक्सप्रेस	बाड़मेर	—
	71. बनवासी पत्रिका	श्रीगंगानगर	—
	72. बधन तोग दो	उदयपुर	—
	73. बंसवारा एक्सप्रेस	बंसवारा	—
	74. बेसहारा किसान	जयपुर	—
	75. बेसहारक आवाज	जयपुर	13194
	76. बाबूनगर	भीलवाड़ा	—
	77. बेनकाब	जयपुर	—
	78. भारतीय प्रतिक्रिया	जयपुर	—
	79. भारतपुर क्राउन	भरतपुर	—
	80. बेसहारक प्रहार	जयपुर	2658
	81. भारत दिनेश	भरतपुर	4800
	82. भारत मननायक	श्रीगंगानगर	—
	83. भरतपुर लीडर	भरतपुर	—
	84. भारत रक्षक	श्रीगंगानगर	—
	85. भरतपुर रिपार्टर	भरतपुर	—

1	2	3	4
86.	भारतजन	सूरतगढ़	11603
87.	भीलवाड़ा लीडर	भीलवाड़ा	—
88.	भारत में राजनैतिक पार्टियों का बिखराव	सरदारशहर	—
89.	भीलवाड़ा समाचार	भीलवाड़ा	—
90.	भीलवाड़ा सम्राट	भीलवाड़ा	—
91.	भीलवाड़ा संदेश	भीलवाड़ा	—
92.	बीकानेर की आवाज	बीकानेर	—
93.	भीलवाड़ा संग्राम	भीलवाड़ा	—
94.	भीनमल टाइम्स	जालौर	—
95.	भ्रष्टाचार के स्तंभ	जयपुर	—
96.	बीकानेर ज्योति	बीकानेर	—
97.	बीकानेर एक्सप्रेस	बीकानेर	4000
98.	बीकानेर संदेश	बीकानेर	19000
99.	ब्लास्ट दर्शन	जोधपुर	—
100.	बूंदी एक्सप्रेस	बूंदी	—
101.	कारट्रीब्स	जयपुर	1925
102.	बनास टाइम्स	टोंक	—
103.	बीकानेर समाचार	बीकानेर	—
104.	ब्रिज टाइम्स	भरतपुर	—
105.	चम्बल वाहन	माधवपुर	—
106.	चम्बल केसरी	धौलपुर	—
107.	चम्बल	कोटा	1800
108.	चारोदिशा	अलवर	1800
109.	चाणक्य धुरी	उदयपुर	3531
110.	चमचमाते हुए मेरी आवाज सुनो	जयपुर	—
111.	चटपटे समाचार	अजमेर	—
112.	चहक	जयपुर	2852
113.	चात्रा सैनिक	हिंडन	—

1 2	3	4
114. चेतन धारा	जोधपुर	—
115. चिकित्सा जगत	जयपुर	—
116. चित्तौर एक्सप्रेस	चित्तौड़गढ़	3175
117. चित्ती	नवलगढ़	—
118. चित्तौड़ समाचार	चित्तौड़गढ़	—
119. चित्तौड़ संदेश	चित्तौड़गढ़	—
120. चुरू एक्सप्रेस	चुरू	—
121. चुरू केसरी	चुरू	2999
122. साइन लीडर	श्रीगंगानगर	—
123. कन्ट्रोरल	जोधपुर	2400
124. करेंट राजस्थान	श्रीगंगानगर	—
125. दास	श्रीगंगानगर	—
126. दखल	बूंदी	—
127. दलित पुकार	अजमेर	—
128. दरबार	अजमेर	3642
129. धौलपुर चित्रण	धौलपुर	2000
130. धौलपुर लीडर	धौलपुर	—
131. देहात दिग दर्शन	जयपुर	—
132. देवली एक्सप्रेस	देवली	—
133. देर मत कर	ब्यावर	6156
134. दाकर समाचार	जयपुर	2300
135. धेनुरधर	बंसवारा	—
137. डाक	कोटा	—
138. धोरा धरती	बाड़मेर	—
139. डायरेक्टर	अजमेर	—
140. दीवाना	उदयपुर	—
141. दोरा	चित्तौड़गढ़	—
142. डबलजोदी संदेश	चूरू	—

1	2	3	4
143.	विश्व प्रासू	जयपुर	—
144.	विश्व परीमाता	अजमेर	—
145.	डूंगरपुर एक्सप्रेस	डूंगरपुर	—
146.	दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती	जयपुर	1791
147.	दुर्गम सोच	जयपुर	—
148.	दूरियां	सीकर	—
149.	फल्गुस	जयपुर	1950
150.	एकात्म	कोटा	—
151.	एक तारा बोला	जयपुर	—
152.	पलवरविका	फलोदी	—
153.	फास्टर (वी)	जयपुर	—
154.	फिल्म बाला	जयपुर	—
155.	फितरत	उदयपुर	—
156.	फारवर्ड टाइम्स	जोधपुर	—
157.	गणराज्य	बीकानेर	—
158.	गंगानगर गजट	श्रीगंगानगर	—
159.	गंगानगर केसरी	श्रीगंगानगर	—
160.	गंगानगर टाइम्स	श्रीगंगानगर	—
161.	गंधर्व दूत	बीकानेर	—
162.	गनीमत	भरतपुर	—
163.	गरीब साथी	जोधपुर	1600
164.	गाती के साथ	जोधपुर	—
165.	गोर केसरी	सादुलशहर	—
166.	गौरंवित	जयपुर	—
167.	घटी टाप	बूंदी	—
168.	ग्रामीण पत्रकार	श्रीगंगानगर	—
169.	चुम्माकर	जयपुर	1375
170.	गोडवड संदेश	जोधपुर	—

1	2	3	4
171.	घूमता आइना	जयपुर	—
172.	गांधार टाइम्स	फलना	—
173.	गरम संदेश	जयपुर	—
174.	गरम समाज	भीलवाड़ा	—
175.	ग्रेटस्ट कार्ड	बीकानेर	—
176.	गुलाबी करेंट	जयपुर	—
177.	गुलाबी नगर	जयपुर	—
178.	हलधर की ललकार	जयपुर	—
179.	हलदी घाटी	ब्यावर	—
180.	हड़ौती मान	कोटा	—
181.	हड़ौती रिपोर्ट	कोटा	—
182.	हमारा हिन्दुस्तान	उदयपुर	—
183.	हमारा वतन	जयपुर	—
184.	हमारा सूत्र	जयपुर	—
185.	हमारी मातृभूमि	उदयपुर	2596
186.	हमारी जिन्दगी	जयपुर	1800
187.	हिन्द जयते	जयपुर	—
188.	हिन्दुस्तान समाचार	जयपुर	—
189.	हम	अजमेर	—
190.	हानू हुनकर	धौलपुर	—
191.	हवामहल एक्सप्रेस	जयपुर	—
192.	हिन्द ज्योति	सूरतगढ़	—
193.	हिन्दी मेल	जयपुर	—
194.	हिन्दु सन्देश	धौलपुर	23000
195.	हिन्दुस्तानी कर्मचारी	जयपुर	—
196.	हृदय देश	बलोत्रा	1700
197.	हम सब हिन्दुस्तानी	जयपुर	—
198.	हण्टर	भरतपुर	—
199.	इंडियन उद्भूत	जोधपुर	—

1	2	3	4
200.	आयरन क्रोस	सूरतगढ़	—
201.	इण्डस्ट्रियल इनफोरमेशन ब्योरो	जयपुर	—
202.	आयरन एण्ड स्टील	जयपुर	—
203.	इतवारी पत्रिका	जयपुर	24365
204.	इकबाल	भरतपुर	—
205.	जे० एस० एम० पत्रिका	जयपुर	—
206.	जाग उठा मरुधर	सरदार शहर	—
207.	जागरण पथ	बीकानेर	—
208.	जागृति एक्सप्रेस	श्रीगंगानगर	—
209.	जय अमर लाल	जयपुर	—
210.	जय कंथाल	प्रतापगढ़	—
211.	जयपुर की गलियां	जयपुर	—
212.	जलती आग	अलवर	—
213.	जालिम	अजमेर	—
214.	जयपुर एक्सप्रेस	कोटा	—
215.	जनसाध्य	जयपुर	—
216.	जनता का खबर	कोटा	—
217.	जयपुर क्रोनिकल	जयपुर	—
218.	जयपुर समाजवादी	चांदपोल	—
219.	जयसाल टाइम्स	जैसलमेर	—
220.	जयसाल दीप	जैसलमेर	—
221.	जालौर की आवाज	जालौर	—
222.	जालौर की ममता	जालौर	—
223.	जलती जोत की लपटें	अलवर	—
224.	जंग के खिलाफ जंग	जयपुर	—
225.	जन हीरा	जयपुर	—
226.	जन धारणा	कोटा	1500
227.	जांबाज पत्रिका	कोटा	—
228.	जन सिकवा	जयपुर	—

1	2	3	4
229.	जन बल	जयपुर	—
230.	जन प्रहरी वीकली	जोधपुर	—
231.	जन उत्कर्ष	जयपुर	—
232.	जन मंगल	उदयपुर	2150
233.	जनपद	जयपुर	—
234.	जनता और देश	श्रीगंगानगर	—
235.	जनता की आंख	घंटाघर	—
236.	जनता गजेट	अलवर	—
237.	जनता की क्रांति	जोधपुर	—
238.	जनता की मांग	जयपुर	—
239.	जबाव तलब	अजमेर	—
240.	जयसामनाथ	जालौर	—
241.	झंनावट	भीलवाड़ा	2126
242.	जोधना रपट	जोधपुर	—
243.	जोधपुर केसरी	जोधपुर	—
244.	जुल्म का विरोध	जोधपुर	—
245.	झुनझुनु की जनता	झुनझुनु	—
246.	झुनझुनु समाचार	झुनझुनु	—
247.	जोधपुर टाइम्स	जोधपुर	—
248.	जोड़ीवार	जयपुर	—
249.	जोशीला वतन	जयपुर	—
250.	ज्वाला	जयपुर	—
251.	कला त्रिवेनी टाइम्स	जयपुर	—
252.	कंटीले फूल	श्रीगंगानगर	1620
253.	कलपताश	ब्यावर	—
254.	काल धर्मा	जयपुर	—
255.	कमर तोड़	अलवर	—
256.	कापी ध्वज	नागपुर	—

1	2	3	4
257.	कार्यकर्ता	चुरू	—
258.	केसर किरण	टोंक	4964
259.	कसर	कोटा	—
260.	खबरनवीस	जयपुर	—
261.	करतार सन्देश	बाड़मेर	—
262.	कयाम खानी जंग	सीकर	—
263.	कौमी एकता	झालवाड़	—
264.	केसरिया संवाद	जयपुर	—
265.	खामोश	टोंक	—
266.	खोज दूत	सीकर	—
267.	खून और पसीना	उदयपुर	—
268.	खरोश	जयपुर	—
269.	खूबी	सीकर	—
270.	खुला राज	जयपुर	—
271.	खुली आवाज	जयपुर	1950
272.	किरण जगत	हनुमानगढ़	—
273.	किसान की धारा	टोंक	—
274.	किसान परिवार	गंगापुर सिटी	—
275.	किसान संघर्ष	रायसिंह नगर	—
276.	कोटा टाइगर	कोटा	—
277.	किसानगढ़ एक्सप्रेस	किशनगढ़	—
278.	किसान संदेश	कोटा	1800
279.	कोलाहल	उदयपुर	—
280.	कोलायत एक्सप्रेस	बीकानेर	—
281.	कोटा युद्ध	जयपुर	—
282.	कोटा समाचार	कोटा	—
283.	क्रांति बिगुल	बीकानेर	2703
284.	क्रांति मार्च	भीलवाड़ा	—

1	2	3	4
285.	क्रांतिशील	जयपुर	2437
286.	कृषि विकास	जयपुर	—
287.	कृषि व्यवस्था	जयपुर	—
288.	क्रोंच	जयपुर	—
289.	कुचमान भारत	कुचमान सिटी	—
290.	कुचकरा	धौलपुर	—
291.	लकीर	जोधपुर	—
292.	लेबर न्यूज	जयपुर	—
293.	लाल अंगारा	अजमेर	—
294.	लाल क्यूलम	अजमेर	2100
295.	लहरों की बरखा	अजमेर	—
296.	लाल क्रांति	अजमेर	—
297.	लेक सिटी एक्सप्रेस	उदयपुर	—
298.	लाल रिसगनी	अजमेर	1785
299.	लाल पुकार	भरतपुर	—
300.	ललकार	जोधपुर	1987
301.	लालकार	चित्तौड़गढ़	1987
302.	लेखानी एक्सप्रेस	श्रीगंगानगर	—
303.	लोहागढ़ का सूरजमल	भरतपुर	1800
304.	कलीक्ष	जयपुर	—
305.	लैंस	भरतपुर	—
306.	लोह दुर्ग	भरतपुर	—
307.	लोहागढ़ की आवाज	भरतपुर	—
308.	लोहा व्यापार उद्योग	जयपुर	2947
309.	लोह युग	जयपुर	—
310.	लोक फ्रंट	जयपुर	—
311.	लोक जीवन	जोधपुर	2300
312.	लोक चेतना	जयपुर	—

1	2	3	4
313.	लोक राज का नया मोर्चा	कोटा	1550
314.	लोक जीवन	भीलवाड़ा	—
315.	लोक ज्योतिषी	जोधपुर	—
316.	लोक मत	बीकानेर	12000
317.	मध्य सप्ताह	जयपुर	—
318.	मानी बजाज	बांसवारा	—
319.	लोकमत लोकप्रभात	अलवर	—
320.	लोक संकल्प	जयपुर	—
321.	मधुर सन्देश	जयपुर	—
322.	महा विजय	भरतपुर	—
323.	मलानी टाइम्स	बाड़मेर	—
324.	मानसरोवर रिपोर्टर	जयपुर	—
325.	मन मोहन पत्रिका	जयपुर	—
326.	मार्शल	उदयपुर	—
327.	मरु दीप	बीकानेर	—
328.	मरु धारप	सीकर	—
329.	मरु धर की सरस्वती	नागौर	—
330.	रूम सेनानी	जयपुर	—
331.	मरु राजस्थान	जयपुर	—
332.	मारवाड़ ज्योति	पाली	—
333.	मरु गंगा	श्रीगंगानगर	—
334.	मरु वेदना	झुंझुनु	—
335.	मरु विकास	जोधपुर	—
336.	मारवाड़ एक्सप्रेस	पाली	—
337.	मतराम सन्देश	जयपुर	—
338.	मातृ छाया	जयपुर	—
339.	मारवाड़ जागृति	बाड़मेर	—
340.	मारू प्रहार	अजमेर	2079

1	2	3	4
341.	माफ सूचना	अजमेर	1450
342.	मजदूर का शंखनाद	कोटा	—
343.	मयूर टाइम्स	जयपुर	—
344.	मजदूर चेतना	कोटा	2900
345.	मजदूर ललकार	नागपुर	1995
346.	मायाविश	बीकानेर	—
347.	मातृ दूत	कोटा	—
348.	मामायुर	अजमेर	—
349.	मीना क्षेत्रीय किसान पत्रिका	उदयपुर	—
350.	मीनमेक	जोधपुर	—
351.	मेवाड़ मर्यादा	उदयपुर	—
352.	मीरा एक्सप्रेस	नागौर	—
353.	मेघधारा	जयपुर	—
354.	मेनल	भीलवाड़ा	—
355.	मेरे घोर	जयपुर	—
356.	मेरी धरती	जंगशन	—
357.	मेरुदंड	झालवाड़	—
358.	मेवाड़ प्रहरी	चित्तौड़गढ़	—
359.	मेवात विकास	भरतपुर	—
360.	मुक्त कलम	जयपुर	—
361.	मेवाड़ की आंचल	दौसा	—
362.	मेवाड़ मित्रा	उदयपुर	—
363.	मेवाड़ जंग	उदयपुर	—
364.	मेवाड़ सभा मंच	भरतपुर	—
365.	मोनोटोन	जयपुर	—
366.	मनचंगा	बूंदी	—
367.	मूनी घोष	सादरी	—
368.	मुस्कराते फूल	उदयपुर	—

1	2	3	4
369.	मुकन्दरा	कोटा	—
370.	नागौर एक्सप्रेस	नागौर	—
371.	नाग आवाज	जयपुर	—
372.	नागौर प्रहरी	जयपुर	—
373.	नमम बुलेटिन	जयपुर	—
374.	नारायण संवाद	जयपुर	—
395.	नव सूर्या	जयपुर	—
376.	नमाही	जयपुर	—
377.	नारी की प्रतिभा	जयपुर	1800
378.	नव यातना	जयपुर	3050
379.	नवयुग संदेश	भरतपुर	2300
380.	नया राजस्थान	जयपुर	2499
381.	न्याय और अदालत	श्रीगंगानगर	—
382.	नील एक्सप्रैस	जयपुर	—
383.	नया समाज	भरतपुर	—
384.	नेता	उदयपुर	—
385.	नागार्जुन टाइम्स	जयपुर	—
386.	नीति परायण	जयपुर	—
387.	न्यू टाइम्स	बीवार	—
388.	निधि लीग	जोधपुर	—
389.	निविदा दूत	जयपुर	—
390.	निर्भय प्रहार	जयपुर	—
391.	नियोजन भारती	जयपुर	—
392.	नितर	बीबार	—
393.	निःस्वर	जयपुर	—
394.	नव वाणिज्य दूत	जयपुर	—
395.	निराला राजस्थान	जयपुर	12036
396.	न्यू पिंक सिटी	जयपुर	—

1	2	3	4
397.	हंस गगन भेदी समाचार	जयपुर	—
398.	निर्माण मजदूर	जयपुर	—
399.	निरूपण	प्रतापगढ़	—
400.	न्याय की तुला	उदयपुर	—
401.	नोहार केसरी	श्रीगंगानगर	—
402.	नूतन दुनिया	भीलवाड़ा	3200
403.	आब्जेक्ट	सरदार शहर	1440
404.	प्रभु गजट	टोंक	4555
405.	पहला राजस्थान	जयपुर	—
406.	पक्षी का संदेश	जयपुर	2000
407.	प्रताप भूमि	भीलवाड़ा	—
408.	पश्चिमी समाचार	जोधपुर	—
409.	पशुपत	जयपुर	—
410.	पसीना	जयपुर	—
411.	सूर्याब्रह्म समाज	जयपुर	—
412.	पीलीबांगा केसरी	श्रीगंगानगर	—
413.	पुलिस एक्सप्रेस	टोंक	—
414.	प्यासा भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	—
415.	पायस्विनी	टोंक	—
416.	फिलोस्फर	जयपुर	—
417.	पिंक्स वीकली	जयपुर	—
418.	परती बरस मुका	श्रीगंगानगर	—
419.	पोस्ट स्टेंडर्ड	जयपुर	—
420.	प्रजा संदेश	जयपुर	—
421.	परक्सयाज्ञान दर्पण	रतनगढ़	—
422.	प्रभु राष्ट्र	बीकानेर	—
423.	प्रगति	उदयपुर	2500
424.	प्रगतिशील संदेश	नोहार	—

1	2	3	4
425.	प्रगति एक्सपैंश	श्रीगंगानगर	—
426.	प्रणाम देशरी	श्रीगंगानगर	—
427.	प्रताप भूमि	भीलवाड़ा	9037
428.	प्रजीवम	जोधपुर	—
429.	प्रजा सेवक	गंगापुर सिटी	6425
430.	प्रजा युग	जयपुर	—
431.	प्रनील भारत	जोधपुर	—
432.	प्रन्त दूत	बीकानेर	—
433.	प्रताप की शान	श्रीगंगानगर	1811
434.	प्रेम केसरी	श्रीगंगानगर	—
435.	प्रेम का प्रकाश	पाली	—
436.	पुकार सच्चाई	उदयपुर	—
437.	प्रोग्रेसिव वुमन	जयपुर	—
438.	प्रलय दीप	जोधपुर	—
439.	प्रताप केसरी	श्रीगंगानगर	—
440.	प्रेम गुलाम	कोटा	—
441.	प्रेस जगत	नागौर	—
442.	पुण्य सलिल	बूंदी	2466
443.	पुरावत	भीलवाड़ा	—
444.	पुष्करन परवायन	बीकानेर	—
445.	पुष्प वर्षा	श्रीगंगानगर	—
446.	पूर्वाविद	जयपुर	2756
447.	पुष्कर तीर्थ	पुष्कर	1795
448.	राही ललकार	नागौर	—
449.	पुकार	उदयपुर	—
450.	रफतार-ए-जमाना	बांसवाड़ा	451
451.	रेलवेमैन	अजमेर	—
452.	राजस्थान दीप	नागौर	—

1	2	3	4
453.	राजस्थान जगत केसरी	जयपुर	—
454.	रेलवे वारंट	जयपुर	—
455.	राजस्थान	चित्तौड़गढ़	—
456.	राजस्थानी पुकार	बारमेड़	—
457.	राजस्थानी केसरी	जयपुर	2350
458.	राजस्थान चक्षु	जयपुर	3550
459.	राजस्थानी कमल	नसीराबाद	—
460.	राजस्थान किरण	चित्तौड़गढ़	—
461.	राजस्थान प्रकार संदेश	जयपुर	—
462.	राजस्थान का फरिश्ता	जयपुर	—
463.	राजस्थान न्यूज	जयपुर	—
464.	राजस्थान रिफोर्मर	जयपुर	—
465.	राजस्थान रिपोर्टर	जयपुर	—
466.	राजस्थान सम्राट	जयपुर	—
467.	राजस्थान स्टेटमेंट	जयपुर	15839
468.	राज गगा	जयपुर	—
469.	राज की पुकार	जयपुर	—
470.	राज मंथन	जयपुर	—
471.	राजनीतिक मंथन	जयपुर	3959
472.	राजस्थान वार्ता	जयपुर	1900
473.	राजलोक	जयपुर	—
474.	राज मन्दिर	अलवर	—
475.	राजमार्ग	बूंदी	—
476.	राज न्यूज	जयपुर	—
477.	राजमालव किरण	चित्तौड़गढ़	—
478.	राकेश दूत	जयपुर	1615
479.	राजपूताना एक्सप्रेस	अलवर	—
480.	राज्य देश	अजमेर	—

1	2	3	4
481.	राम रहीम अकबर	अजमेर	1559
482.	राष्ट्र दूत	बीकानेर	35671
483.	राष्ट्र दूत	जयपुर	30444
484.	राष्ट्र दूत	कोटा	33035
485.	राष्ट्र प्रेमी	जयपुर	—
486.	राष्ट्र पताका	जोधपुर	—
487.	राष्ट्रपत प्रदर्शक	जयपुर	—
488.	राष्ट्र रवि	जयपुर	—
489.	राष्ट्र वाणी	अजमेर	—
490.	राष्ट्र चेतना	जयपुर	3033
491.	राष्ट्रीय मांग	कोटा	—
492.	रवि सांध्य	जयपुर	—
493.	रेड सीक्रेट	जयपुर	—
494.	रतन कला	जयपुर	1900
495.	रोपना टाइम्स	श्रीगंगानगर	1446
496.	रतनगढ़ समाचार	चुरू	—
497.	रविश	अजमेर	—
498.	रीमझीम	अजमेर	2016
499.	रोम-ए-सन्देश	जालोर	—
500.	रोजगार सम्राट	जयपुर	—
501.	सबल जगदूत	जयपुर	1200
502.	सबल राष्ट्र	भरतपुर	503
503.	एस के समाचार	माधापुर	—
504.	सांची कमल	जयपुर	6250
505.	सदूल केसरी	सादुल शहर	1858
506.	सांचा न्याय	पाली	—
507.	सादुलपुर टाइम्स	सादुल शहर	—
508.	सहकार दशक	जयपुर	—

1	2	3	4
509.	सही दिशा	कोली	600
510.	सम्राट पृथ्वीराज	अजमेर	1989
511.	शीमत	जालौर	—
512.	सजग प्रतिनिधि	जयपुर	—
513.	सालीबार संदेश	सालीबार	—
514.	समाज रक्षक	श्रीगंगानगर	—
515.	सजय	भरतपुर सिटी	—
516.	सजय स्मृति	भरतपुर	—
517.	सप्रम दूत	श्रीगंगानगर	—
518.	सजय बुलेटिन	अजमेर	—
519.	संचार समाचार दर्पण	जयपुर	—
520.	सार शोभ राजस्थानी	जयपुर	—
521.	सरदार शहर एक्सप्रेस	सरदार शहर	—
522.	सप्ताहांत	बीकानेर	—
523.	साप्ताहिक आनन्द भारत पत्रिका	जयपुर	—
524.	साप्ताहिक अन्तर्जातीय परिवार	जयपुर	—
525.	साप्ताहिक ट्रांसपोर्ट एक्सप्रेस	अजमेर	—
526.	सरल संदेश	श्रीगंगानगर	—
527.	सरविया	छोटी सादारी	—
528.	सर्वहारा समाचार	जयपुर	—
529.	सत्तारूढ़	जयपुर	—
530.	सरोजिनी टाइम्स	जयपुर	—
531.	सत्यपुर टाइम्स	जालौर	—
532.	सरदार शाह टाइम्स	चुरू	—
533.	सरहादी आवाज	जौलमेर	—
534.	सरदी जवान	बरमेर	—
535.	सर्व सम्मत	अलवर	1800
536.	स्कापियन	श्रीगंगानगर	—

1	2	3	4
537.	साप्ताहिक दूरी	बीकानेर	4082
538.	सत्य शक्ति	बीकानेर	1545
539.	सीमा की ललकार	श्रीगंगानगर	1600
540.	सीवाकती विनमान	सीकर	—
541.	सीधी अक्कर	पाली	—
542.	सीमा सूत	जोधपुर	—
543.	सीमात वज्राइम्स	बालोत्रा	1103
544.	सेनानी	बीकानेर	5000
545.	सेवन स्टार	सीकर	—
546.	शीकावटी एक्सप्रेस	चीरावा	—
547.	शहीदों की याद	भरतपुर	—
548.	शांति दूत	जयपुर	—
549.	शेखवाटी प्रवासी	जयपुर	—
550.	शक्तिशाली आवाज	अलवर	—
551.	शाश्वत सत्य	श्रीगंगानगर	—
552.	शेर-ए-मेवाड	उदयपुर	—
553.	श्रम आराधना	जयपुर	—
554.	शीवा	जयपुर	—
555.	शिमला केसरी	श्रीगंगानगर	—
556.	सीमा विकास	श्रीगंगानगर	—
557.	शीशा-ए-राजस्थान	जयपुर	—
558.	श्रृखस	किशनगढ़	4233
559.	सीरोही एक्ऐक्स	सिरोरी	56
560.	श्याम की आवाज	श्रीगंगानगर	—
561.	सीकरी संदेश	सीकर	—
562.	सिंधी प्रकाशक	पाली	—
563.	सीरोही वाणी	जालौर	—
564.	सीरोही दूत	जयपुर	—

1	2	3	4
565.	सन आफ इंडिया	मादीपुर	—
566.	सफी सन्देश	जयपुर	—
567.	सुलभ समाचार	टोंक	—
568.	स्पेशल रिपोर्ट	जयपुर	—
569.	सोनाग भूमि	जालौर	—
570.	सूखे चिराग	सीकर	—
571.	सूमती	जयपुर	—
572.	सूमती	चुरू	—
573.	सूर्य बाला पत्रिका	श्रीगगानगर	—
574.	सूरत सबद जागीर	सूरतगढ़	—
575.	सूरतगढ़ केसरी	सूरतगढ़	—
576.	सूर्यमुखी	जोधपुर	—
577.	स्वेतनाद	माधोपुर	—
578.	सवाई माधोपुर केसरी	सवाई माधोपुर	—
579.	स्वतंत्र टाइम्स	जयपुर	—
580.	स्वरांकर समाचार	जयपुर	—
581.	स्वायत्त संदेश	जयपुर	—
582.	ताज भारती	टोंक	—
583.	ताल जगत	झुंझुनु	—
584.	तकनीकी समाचार	कोटा	—
585.	तपोस्थली	जयपुर	3550
586.	तरुण प्रदीप	जयपुर	—
587.	तस्करों का सफाया	जयपुर	3000
588.	तीखा तीर	जयपुर	2455
589.	तेज वीकली	झुनझुनु	—
590.	टाइम आफ टाडा	डूंगरपुर	1987
591.	टाइम्स एक्सप्रेस	जयपुर	—
592.	टाइम्स आफ राजस्थान	बीकानेर	2000

1	2	3	4
593.	टाइम्स आफ आरावली	आरावली	—
594.	टोंक सन्देश	टोंक	—
595.	तूफान मेल	पाली	—
596.	तुलु-ए-सुबह	जोधपुर	—
597.	तूफान दौर	श्रीगंगानगर	—
598.	त्रास	श्रीगंगानगर	—
599.	उबलता राजस्थान	जयपुर	—
600.	उचित दिशा	श्रीगंगानगर	—
601.	उदयपुर साप्ताहिक	उदयपुर	—
602.	उड़ता तीर	श्रीगंगानगर	3000
603.	उपभोक्ता दर्शन	भरतपुर	—
604.	वगर सता	डूंगरपुर	—
605.	उजाले की ओर	चितौड़गढ़	—
606.	उलाहना	जयपुर	—
607.	वगर चेतना	सागवाड़ा	—
608.	वगर दूत	डूंगरपुर	—
609.	वगार विकास	डूंगरपुर	—
610.	वालगे	चुरू	—
611.	वीर रेवमल	बीकानेर	—
612.	वज्रपात	हिंडन सिटी	—
613.	वर्तमान	बीकानेर	2000
614.	वर्ग चेतना के आधार पर जाग्रत और संगठित किसान	जयपुर	—
615.	वीरों की पुकार	जयपुर	2700
616.	वीर भूमि चितौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	—
617.	वीर राजस्थान	अजमेर	—
618.	वीर शैतान	जयपुर	—
619.	विजय पूर्व	श्रीगंगानगर	—

1 2	3	4
620. विजय संदेश	गंगानगर सिटी	—
621. विकासशील राजस्थान	जोधपुर	—
622. विकसित राजस्थान	बीकानेर	—
623. विरात-ए-बोल	श्रीगंगानगर	—
624. विश्व शेरनी	अजमेर	1862
625. विकास टूटे	जयपुर	5950
626 विश्वमान	जयपुर	4800
627. विराट राजस्थान	कोटा	—
628. विविधता में एकता	चितौड़गढ़	—
629. व्यापार हीरा	जयपुर	—
630. वक्त	टोंक	—
631. वक्त इण्डिया	जयपुर	—
632. यादगार	जयपुर	3100
633. यातायात चक्र	चांदपुर	2000
634 यातायात संदेश	जयपुर	—
635. यागदूत	जयपुर	—
636. यातायात दूत	जयपुर	2500
637. याग पावार	उदयपुर	—
638. याग टाइम्स	टोंक	—
639. युग प्रधान	चुरू	—
640. युग समाचार	भरतपुर	—
641. युग युध	बीकानेर	3579
642. युत राजस्थान	जयपुर	—
643. युवा प्रेरणा	जयपुर	—
644. युवा शक्ति	श्रीगंगानगर	—
645. युवा तूफान	उदयपुर	—
646. युवक	चुरू	1994
647. युवकों का स्तंभ	जयपुर	—

1	2	3	4
	सिंधी साप्ताहिक		
648.	भारत देश महान	अजमेर	—
649.	हिंद भूमि	अजमेर	1705
650.	जय हिन्द	अजमेर	1800
651.	सन्त साधु वासवानी	अजमेर	—
652.	सन्त कंवर राम	अजमेर	9648
653.	सन्त छवोराम	अजमेर	—
654.	वीर विजय	अजमेर	1410
	उर्दू साप्ताहिक		
655.	नीध-ए- अजमेर	अजमेर	—
656.	रौशन किरदार	जयपुर	—
657.	राजस्थान लीडर	जयपुर	—
658.	युग की आवाज	जयपुर	—
	द्विभाषी साप्ताहिक		
659.	बेखौफ	जोधपुर	—
660.	बाई फाम	जयपुर	—
661.	इकोनोमिक फन	जयपुर	—
662.	बारमेर टाइम्स	बारमेर	1300
663.	गंगानगर ज्योति	जयपुर	—
664.	जनगण	जोधपुर	—
665.	कानून साप्ताहिक	अजमेर	—
666.	कीरदार	जयपुर	—
667.	नीसराबाद टाइम्स	नीसराबाद	—
668.	राजस्थाम स्वात शासन	जयपुर	—
669.	सच्चा दूत	भरतपुर	—
670.	शंसेषित संदेश	अजमेर	—
671.	उदयपुर टाइम्स	उदयपुर	—
672.	विगत वार	पाली	—

1	2	3	4
673.	युग युध	जयपुर	—
	बहुभाषी साप्ताहिक		
674.	अता-ए-रसूल	अजमेर	—
675.	ख्वाजा अजमेरी	अजमेर	—
	अन्य भाषा		
676.	आवाश पत्रिका	जयपुर	—
677.	आगी वाह	जोधपुर	—

[अनुवाद]

राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों का भारतीय पुलिस सेवा के लिए मनोनयन

537. **श्री मोहन सिंह** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न राज्य पुलिस सेवाओं के कितने प्रतिशत अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा के संवर्ग में पदोन्नत किया गया है;

(ख) क्या पदोन्नतियों का उपर्युक्त प्रतिशत प्रतिवर्ष ठीक समय पर पूरा किया जाता है; और

(ग) क्या विभिन्न राज्य पुलिस सेवाओं के संवर्ग में आन वाले अधिकारियों ने इस प्रतिशत को बढ़ाने के लिए कोई अभ्यावेदन दिया है और यदि हां, तो इस प्रतिशत को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) भारतीय पुलिस सेवा में राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति का निश्चित कोटा, वरिष्ठ ड्यूटी पदों और केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व की उनके संबंधित संवर्गों में प्राधिकृत संख्या का 33.33 प्रतिशत है, जिसमें जम्मू और कश्मीर शामिल नहीं है, जिसका पदोन्नति का कोटा इस समय 50 प्रतिशत है जो कि 30-4-1992 तक लागू है ।

(ख) आमतौर पर पदोन्नति का पूरे कोटे का प्रयोग किया जाता है ।

(ग) केन्द्र सरकार को अभी तक इस प्रतिशत को बढ़ाने के बारे में किसी राज्य पुलिस सेवा के सदस्य से कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

भारत तथा अन्य देशों के मध्य दूर-संचार सुविधाएं

538. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा अन्य देशों के मध्य विद्यमान दूर-संचार सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) जी हां। पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत और अन्य देशों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय दूर-संचार सुविधाओं में सुधार करने के लिए कई उपाय किए गए हैं जो इस प्रकार हैं :—

(1) 1990-91 और 1991-92 के दौरान 4 डिजिटल इलेक्ट्रानिक गेटवे एक्सचेंज संस्थापित किए गए हैं —बंबई, दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता में प्रत्येक एक-एक एक्सचेंज संस्थापित किया गया।

(2) बंबई और कलकत्ता में नये उपग्रह भू-केन्द्र (एफ-2 टाइप) संस्थापित किए गए हैं।

(3) अर्वी (पुणे के समीप तथा देहरादून स्थित पुराने उपग्रह भू-केन्द्रों की क्षमताओं का विस्तार किया गया है।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय डाटा सेवा प्रदान करने के लिए बंबई में गेटवे पैकट स्विच लगाया गया है।

(5) (i) इलेक्ट्रानिक डाक (ii) स्टोर एंड फारवर्ड फैक्स (iii) स्वदेश के लिए सीधी सेवा जैसी अनेक नई सेवाएं शुरू की गई हैं।

इस समय भारत में 1200 से अधिक शहरों से विदेशों में 210 स्थानों पर आई० एस० डी० अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग सेवा उपलब्ध है। देश मे सभी टेलेक्स उपभोक्ताओं को 214 देशों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय टेलेक्स सुविधा भी उपलब्ध है।

दूर-संचार सेवाओं में निरंतर सुधार किया जा रहा है। 8वीं योजना के दौरान डिजिटल गेटवे एक्सचेंजों की क्षमता में और उपयुक्त वृद्धि करने तथा परियात की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सर्किटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

गृह कर को समाप्त करना

539. **श्री फूलचंद वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का न्यू पैटर्न स्कीम, 1979 के अंतर्गत आवंटित जनता फ्लैटों पर गृह कर समाप्त करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) 1,000 रु० तक की कर योग्य मूल्य को आवासीय सम्पत्तियों को सम्पत्ति कर के भुगतान से छूट दी गई है। इस समय 1,000 रु० से अधिक मूल्य के कर योग्य मूल्यों वाले जनता फ्लैटों से सम्पत्ति कर समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

"जनपथ समाचार" के सम्पादक का अपहरण

540. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिलिगुड़ी के हिन्दी दैनिक जनपथ समाचार के संपादक का हाल ही में अपहरण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी हां, रिपोर्ट मिली है कि हाल में हिन्दी दैनिक जनपथ समाचार के संपादक को सिलिगुड़ी में गिरफ्तार किया गया है।

(ख) भारतीय प्रेस परिषद् ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है क्योंकि प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 14(3) के अनुसार भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा ऐसे किसी मामले की जांच नहीं की जा सकती जिसके संबंध में न्यायालय में कोई कार्यवाही चल रही हो। भारतीय प्रेस परिषद् ने नोट किया है कि मामला सर्वोच्च न्यायालय के पास है।

जाति आधारित आरक्षण नीति

541. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संघ के भूतपूर्व प्रेसीडेंट, डा० एस० एस० राठी के नेतृत्व में अध्यापकों के एक शिष्टमंडल ने 9 अक्तूबर, 1991 को उनसे मुलाकात की थी तथा यह अनुरोध किया था कि जाति-आधारित आरक्षण नीति से दूर रहा जाए और एक राष्ट्रीय वाद-विवाद द्वारा सामाजिक न्याय के संबंध में एक सर्वसम्मत नीति तैयार करने के लिए कदम उठाए जाएं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) ऐसी किसी बैठक का रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।

(ख) सरकार का विश्वास है कि सामाजिक न्याय को सामाजिक सद्‌भाव और शांति के वातावरण में बढ़ावा देना होगा। केन्द्र में राजनीतिक दलों के साथ परामर्श करने के बाद 13-8-1990 के कार्यालय ज्ञापन में संशोधन करते हुए, 25-9-1991 को कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों में से अधिक कमजोर वर्गों को तरजीह प्रदान करने और आर्थिक रूप से पिछड़े अन्य वर्गों के उन लोगों के लिए जो आरक्षण की विद्यमान किसी योजना में नहीं आते हैं, भारत सरकार के अधीन पदों तथा सिविल सेवाओं में 10 प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 25-9-1991 के कार्यालय ज्ञापन में संदर्भित आर्थिक मानदंड निर्धारित करने के प्रश्न पर सर्वसम्मति तैयार करने के लिए, यदि संभव हुआ तो, राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों और राजनीतिक दलों से आगे विचार किया जाएगा।

राजस्थान में बाधू विद्युत केन्द्र

542. **श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में बाधू विद्युत केन्द्र की स्थापना का कार्य कब से चल रहा है और यह केन्द्र कहां स्थापित किया जा रहा है;

(ख) मूल योजना के अनुसार इस केन्द्र में विद्युत उत्पादन शुरू होने के लिए क्या समय निर्धारित किया गया था और इसमें कब तक विद्युत उत्पादन शुरू होने की संभावना है तथा इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस विद्युत केन्द्र पर प्रस्तावित खर्च तथा सम्भावित खर्च का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

अखबारी कागज का आयात

543. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने 29,000 मीट्रिक टन चमकदार अखबारी कागज का आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विगत में आयात किए गए अखबारी कागज की तुलना में इस समय आयात किए गए अखबारी कागज की दर सस्ती है;

(घ) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस मामले में सरकार ने क्या एहतियाती उपाय किए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार उन्होंने वर्ष 1991-92 के लिए 29,000 मीट्रिक टन ग्लेज्ड अखबारी कागज के लिए अनुबंध किया है, जिसमें से 10,000 मीट्रिक टन का अनुबंध निरस्त कर दिया गया है ।

(ग) जी हां ।

(घ) और (ङ) विदेशी मुद्रा की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए ग्लेज्ड अखबारी कागज की आवश्यकता पूरी की जाती है ।

भारत-पाक सीमा पर तथा भारत-बंगलादेश सीमा पर बाड़ लगाना

544. **श्री मोहन सिंह : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब से गुजरात तक भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस कार्य को पूरा करने में कौन-सी बाधाएं सामने आ रही हैं तथा इन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या भारत-बंगलादेश की संपूर्ण सीमा पर बाड़ लगाने की कोई व्यापक योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना के कब तक पूरी होने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य आरम्भ में पंजाब और राजस्थान के कुछ पहले से ही चुने हुए संवेदनशील स्थानों पर शुरू किया गया था। पूरी सीमा पर बाड़ लगाने के बारे में इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। इस पर बिना कोई रुकावट के कार्य चल रहा है।

(ग) और (घ) इस समय केवल संवेदनशील स्थानों पर ही बाड़ लगाने का कार्य शुरू किया जा रहा है।

[हिन्दी]

कमजोर वर्गों के लोगों को विकास के लाभ

545. **श्री अरविन्द त्रिवेदी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकास के लाभ कमजोर वर्गों के लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे ठोस उपाय करने का है जिससे विकास के लाभ कमजोर वर्गों के लोगों तक पहुंच सकें; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) भारत सरकार की केन्द्रीय और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं तथा राज्य योजना स्कीमों के अंतर्गत कमजोर वर्गों को विकास के लाभ उपलब्ध कराए जाते हैं।

आयातित अखबारी कागज के कोटे में कमी

546. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विभिन्न समाचारपत्रों के लिए आयातित अखबारी कागज के कोटे में कमी करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा घरेलू मांग को पूरा करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(ग) वर्ष 1991-92 के लिए कुल कितने अखबारी कागज का आयात किया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) राज्य व्यापार निगम ने सूचित किया है कि उन्होंने इस वर्ष 1 61 लाख मीट्रिक टन अखबारी कागज के लिए अनुबंध किया है। इसके अतिरिक्त 0.62 लाख मीट्रिक टन के अनुबंध को आगे लाया गया है।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में विद्युतीकृत गांव

547. श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर :
श्रीमती सुमित्रा महाजन :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) शेष गांवों का विद्युतीकरण कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किए जाने वाले सम्भावित आबंटन का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश में सितम्बर, 1991 के अंत तक 71352 गांवों में से 63405 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

(ख) और (ग) शेष गांवों के विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्य का पूरा किया जाना योजना आयोग द्वारा वर्ष-प्रतिवर्ष के योजना आबंटन पर निर्भर करेगा। आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आबंटनों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

दिल्ली में टेलीफोन केबलों की चोरी

548. श्री ताराचन्द खण्डेलवाल :
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में गत एक वर्ष से टेलीफोन केबल की चोरी के कार्यों मे एक संगठित गिरोह सक्रिय है;

(ख) यदि हां, तो जनवरी से अक्तूबर, 1991 के बीच टेलीफोन केबल की चोरी के पकड़े गये मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां। राजधानी में पिछले एक वर्ष के दौरान केबल चोरी की अनेक घटनाएं घटी हैं। टेलीफोन केबल की चोरी में किसी संगठित गिरोह का हाथ होने की जानकारी दिल्ली पुलिस प्राधिकारियों से मंगाई जा रही है जो प्राप्त होते ही प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(ख) और (ग) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) दिल्ली पुलिस के साथ जो अपराधियों को पकड़ने की कार्रवाई कर रही है निकटतम समन्वय बनाए रखने के अलावा महानगर टेलीफोन निगम लि० ने डक्ट मार्गों के मेन होलों पर दो-दो ताले लगाने, खुली पुलियों पर कंकरीट के अन्दर केबल बिछाने, पी० सी० एम० रिपीटर केबिनेटों के लिए बाहरी चेन और ताले की व्यवस्था जैसे उपाय किये हैं।

विवरण

दिल्ली टेलीफोन नेटवर्क में केबल की चोरी, फलस्वरूप प्रभावित टेलीफोनों की कुल संख्या और इससे हुए नुकसान का ब्योरा

महीना	केबल	प्रभावित टेलीफोनों की कुल संख्या	सामग्री की लागत के आधार पर अनुमानित हानि (रुपयों में)
जनवरी, 1991	15	5104	56322
फरवरी, 1991	17	4756	72276
मार्च, 1991	12	4484	51702
अप्रैल, 1991	12	7618	84882
मई, 1991	8	2697	23889
जून, 1991	11	1273	24372
जुलाई, 1991	8	532	31080
अगस्त, 1991	11	7500	32160
सितम्बर, 1991	5	3014	38472
अक्तूबर, 1991	11	1770	38400
नवम्बर, 1991 (20-11-1991 तक)	2	880	48000

केरल में विद्युत परियोजनाएं

549. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान के बाद अब तक स्वीकृत की गई केरल की विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केरल सरकार ने राज्य में त्रिकारीपुर में ताप बिजली संयंत्र स्थापित करने और उसके लिए इंधन की व्यवस्था करने हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय किया है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) :

(क) विगत के पांच वर्षों के दौरान योजना आयोग द्वारा केरल की निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया :—

क्र० सं०	स्कीम का नाम	अनुमोदन की तारीख
1.	मलंकरा (6 मेगावाट)	8/86
2.	चिमोनी (2.5 मेगावाट)	8/86
3.	पेप्पारा (3 मेगावाट)	8/86
4.	पुयानकुट्टी चरण-1 (2 × 120 मेगावाट)	8/86 वन सम्बन्धी स्वीकृति के अधीन।
5.	पोरिंगलकुथू (बायां तट विस्तार) (16 मेगावाट)	5/89
6.	कुट्टियाडी टेलरेस (2.5 मेगावाट)	5/89
7.	वजिक्कादावू व्यपवर्तन-विस्तार	5/89
8.	अन्नाकयाम जल विद्युत परियोजना (8 मेगावाट)	2/91

(ख) और (ग) उत्तरी मालाबार क्षेत्र में 2×210 मेगावाट क्षमता के थिकारीपुर ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना के बारे में एक परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट केरल राज्य बिजली बोर्ड से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में नवम्बर, 1987 को प्राप्त हुई थी। यथा प्रस्तावित स्थान इजमिला में स्थित नेवल अकादमी परियोजना के समीप स्थित होने के कारण केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने मई, 1988 में केरल राज्य बिजली बोर्ड को किसी अन्य स्थल का पता लगाने एवं संशोधित व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने की सलाह दी थी। सदर्न नेवल कमाण्ड, कोचीन की स्वीकृति प्राप्त किए बिना राज्य बिजली बोर्ड ने सितम्बर, 1989 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को संशोधित व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तदनुसार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने केरल बिजली बोर्ड को यह सलाह दी थी कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति के लिए स्कीम पर कार्यवाही किए जाने से पूर्व सदर्न नेवल कमाण्ड, कोचीन की स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए। अभी यह स्कीम तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन किए जाने की स्थिति में नहीं है। सुसंगत स्थल की व्यवहार्यता सुनिश्चित किए जाने के पश्चात् ईंधन लिंकेज से संबंधित प्रश्न के बारे में योजना आयोग/कोयला विभाग के साथ संपर्क स्थापित किया जा सकेगा।

केरल में जल विद्युत परियोजनाएं

550. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में प्रस्तावित "अनाकायम" तथा "अथिरापल्ली" जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी;

(ग) क्या राज्य में पर्यावरणविदों द्वारा इन परियोजनाओं के विरुद्ध किसी प्रकार का जन चेतना अभियान चलाया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) अन्नाकायम लघु जल विद्युत परियोजना (2 × 4 मे० वा०) को योजना आयोग द्वारा 26 फरवरी, 1991 को स्वीकृत कर दिया गया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से परियोजना को अगस्त, 1990 में स्वीकृत किया गया। परियोजना इस समय क्रियान्वयानाधीन है और वर्ष 1997-1998 के दौरान इसको चालू किए जाने की आशा है।

आदिरापल्ली जल विद्युत परियोजना (2 × 80 मे० वाट०) से संबंधित परियोजना रिपोर्ट पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया था और जून, 1989 के दौरान इसकी तकनीकी आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त पाया गया था। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा परियोजना रिपोर्ट की जांच करते समय केरल राज्य बिजली बोर्ड ने यह सूचित किया कि विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 29 (2) के अधीन राज्य गजट और स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित अधिसूचना के संबंध में स्थानीय लोगों तथा संगठनों ने अभ्यावेदन किए हैं कि आदिरापल्ली परियोजना के क्रियान्वयन से आदिरापल्ली प्रपातों का सौंदर्य विलुप्त नहीं होना चाहिए। उपरोक्त संबंधित अभ्यावेदनों के निपटान किए जाने तथा पर्यावरण एवं वन संबंधी दृष्टि से परियोजना को स्वीकृत किए जाने के पश्चात् ही केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इस परियोजना के लिए औपचारिक रूप से स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जा सकेगा।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अक्तूबर, 1990 में पर्यावरण की दृष्टि से स्कीम को अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि परियोजना से पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका थी और प्राकृतिक आदिरापल्ली प्रपात के शुष्क हो जाने की आशंका थी। प्रपातों के लिए जल मुहैया कराया जाना सुनिश्चित किए जाने हेतु एक अन्य विद्युत गृह अर्थात् आदिरापल्ली प्रपात के अनुप्रवाह में आदिरापल्ली पावर हाउस (2 × 7.5 मे० वा०) का निर्माण किए जाने के लिए केरल राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त संशोधित प्रस्ताव के आधार पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण की दृष्टि से इस पर पुनः विचार कर रहा है।

केरल में कयामकुलम में ताप विद्युत संयंत्र

551. श्री पी० सी० थामस :
प्रो० के० वी० थामस :
श्री टी० जे० अंजलोस :
श्री रमेश चेन्नितला :
श्री पलाई के० एम० मैथ्यू :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कयामकुलम में ताप विद्युत संयंत्र कब तक स्थापित और चालू कर दिया जाएगा;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनको इस संयंत्र से विद्युत मिलने की संभावना है;

(ग) क्या सोवियत संघ से मिलने वाली वित्तीय सहायता प्राप्त हो चुकी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का विचार इस परियोजना के लिए किन स्रोतों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) केरल में कायमकुलम में 2 × 210 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव के सम्बन्ध में विशेष रूप से उड़न राख समुपयोजन, पुनर्वास योजना एवं राख निपटान योजना जैसे प्रमुख मुद्दों के संदर्भ में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरण एवं वन सम्बन्धी स्वीकृति प्राप्त की जानी अपेक्षित है ।

(ख) इस परियोजना से दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों अर्थात् केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पांडिचेरी और गोवा राज्य को केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों से विद्युत के आबंटन संबंधी केन्द्रीय फार्मूले के अनुसार विद्युत का आबंटन किया जाएगा ।

(ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा सितम्बर, 1989 में सोवियत संघ के साथ 600 मिलियन रूबल का एक क्रेडिट करार किया गया है जिसके अंतर्गत एन० टी० पी० सी० की कायमकुलम एवं मंगलौर परियोजनाओं और दामोदर घाटी निगम की मैथोन विद्युत परियोजना के लिए यू० एस० एस० आर० से सप्लाई एवं सेवाओं और स्थानीय लागतों हेतु 170 मिलियन रूबल की व्यवस्था है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज

552. **श्री पी० सी० थामस :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में (1) कंजीरापल्ली, (2) पलाई, (3) मुवत्तुपुजा, (4) कोठामंगलम, (5) अलुवा और (6) पेरूमबावुर उपखंडों में इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंजों के विकास की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन एक्सचेंजों के लिए इमारतें उपलब्ध हैं;

(ग) इन एक्सचेंजों में एम० टी० डी० और ग्रुप डायलिंग जैसी सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा दी जायेंगी;

(घ) उपरोक्त उपखंडों में विद्यमान एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है और इनकी स्थापना कब की गयी थी तथा उनके विकास की कितनी गुंजाइश है; और

(ङ) इन एक्सचेंजों में कितने व्यक्ति नए कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) से (ग) इन उप-मंडलीय मुख्यालयों के बारे में ब्यौरा संलग्न विवरण में प्रस्तुत किया गया है ।

(घ) और (ङ) इन उप-मंडलों में स्थित अन्य टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा ।

विवरण

केरल के अधोलिखित छः उप-मंडलीय मुख्यालयों के टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा

क्र० सं०	उप-मंडलीय का नाम	मौजूदा एक्सचेंज	मौजूदा स्थिति क्षमता	मौजूदा स्थिति कार्यरत लाइनें	30-9-1991 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची	जिस वर्ष में एक्सचेंज संस्थापित किया गया	एनएसडी/आईएसडी/ग्रुप डायलिंग उपलब्ध है अथवा नहीं	विकास योजना	नए भवन की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	कांजीरापल्ली	एमएएक्स-II	700	698	602	1976	उपलब्ध है	1993-94 के दौरान 1.5 के लाइनों के सी-डॉट की योजना बनाई गई।	नए भवन का प्रस्ताव है।
2.	पलाई	एमएएक्स-II	1000	992	893	1973	उपलब्ध है	1992-93 के लिए 2 हजार लाइनों के आई० सी० पी० की योजना है।	नया भवन निर्माणाधीन है।
3.	मुवातुपुझा	एमएएक्स-I	3000	2825	807	1988	उपलब्ध है	7 हजार लाइनों वाला ई 10-बी लगाने का प्रस्ताव है।	नए भवन का प्रस्ताव है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	कोठामंगलम	एमएएक्स-II	1000	980	672	1973	उपलब्ध है	1993-94 के लिए 1.5 हजार लाइनों का सी-डॉट लगाने का प्रस्ताव है।	नया भवन निर्माणाधीन है।
5.	अलुवा	एमएएक्स-I	4800	4197	1170	1979	उपलब्ध है	1992-93 में 4 हजार लाइनों का ई 10 बी लगाने का प्रस्ताव है।	नए भवन का प्रस्ताव है।
6.	पेरुम्बवूर	एमएएक्स-I	1800	1716	979	1987	उपलब्ध है	1993-94 के लिए 3.5 के लाइनों वाला सी-डॉट लगाने की योजना है।	नया भवन निर्माणाधीन है।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1990

553. श्री शंकर सिंह बघेला :
डा० ए० के० पटेल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1991 जम्मू तथा कश्मीर राज्य पर भी लागू होता है; और

(ख) यदि हां, तो निवारक नजरबन्दी के लिए तथा कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जम्मू तथा कश्मीर में कौन से सांविधिक उपबंध लागू हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता है।

(ख) जम्मू और कश्मीर राज्य में जम्मू और कश्मीर लोक सुरक्षा अधिनियम,1978 और आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 के संबद्ध निवारक नजरबंद नियम लागू हैं। राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय दण्ड संहिता से संबंधित जम्मू और कश्मीर रनबीर दंड संहिता और जम्मू और कश्मीर आपराधिक नियम (संशोधन) अधिनियम, 1983 जैसे अन्य राज्य नियम लागू हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज

554. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गाजीपुर, जौनपुर, भदोही और मिर्जापुर जिलों में कुल कितने टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं;

(ख) उक्त जिलों में से प्रत्येक में कुल कितने टेलीफोन कनेक्शन जारी किए गए हैं; और

(ग) जौनपुर में टेलीफोन डिवीजन की स्थापना और गाजीपुर तथा जौनपुर में टेलीफोन सेवाओं में सुधार न किए जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) गाजीपुर, जौनपुर, भदोही और मिर्जापुर जिलों में 31-3-91 को टेलीफोन एक्सचेंजों और चालू टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या इस प्रकार है :

जिला/एक्सचेंज का नाम	एक्सचेंजों की संख्या	चालू कनेक्शनों की संख्या
1. गाजीपुर जिला	22	120
2. जौनपुर जिला	23	1656
3. मिर्जापुर जिला	16	1895
4. भदोही एक्सचेंज	1	722

(ग) विभाग के नियमों के अनुसार जौनपुर राजस्व जिला टेलीफोन डिवीजन का सृजन

करने की दृष्टि से शर्तें पूरी नहीं करता। गाजीपुर की इस समय दूरसंचार जिला इजीनियर, बलिया द्वारा देख-रेख की जा रही है।

उत्तर प्रदेश तथा गुजरात में आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए योजनाएं

555. **श्री अर्जुन सिंह यादव :**
श्री काशीराम राणा :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और गुजरात में आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए योजनाएं बनाने हेतु सातवीं पंचवर्षीय योजना में किए गए आवंटनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ये योजनाएं किन-किन क्षेत्रों के लिए तैयार की गई थीं;

(ग) इस समय ये योजनाएं किस चरण में हैं; और

(घ) उन योजनाओं के अंतर्गत उत्तर प्रदेश और गुजरात सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश और गुजरात में आकाशवाणी और दूरदर्शन की सातवीं योजना स्कीमों का ब्यौरा और उनका वित्तीय परिव्यय एवं वर्तमान स्थिति विवरण-1 और विवरण-2 में दी गई है।

(घ) यद्यपि, राज्य सरकारों से उनके संबंधित राज्यों में रेडियो/टी० वी० कवरेज के विस्तार के लिए समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं तथापि, आकाशवाणी/दूरदर्शन की पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने हेतु राज्य सरकारों से कोई विस्तृत प्रस्ताव नहीं मांगे जाते।

विवरण-1

(क) **उत्तर प्रदेश**

क्र० सं०	स्कीम	परिव्यय (लाखों में)	स्थिति
1	2	3	4
1.	बहुउद्देशीय स्टूडियो तथा स्टाफ क्वार्टरों में 1 कि० वा० मी० वे० ट्रांसमीटर सहित नया रेडियो स्टेशन		
	(1) चमोली	185.46	कार्यान्वयनाधीन
	(2) पौड़ी/श्रीनगर	185.00	कार्यान्वयनाधीन
	(3) पिथौरागढ़	189.15	कार्यान्वयनाधीन

1	2	3	4
	(4) उत्तर काशी	89.13	कार्यान्वयनाधीन
2.	बहुउद्देशीय स्टूडियो तथा स्टाफ क्वार्टरों में 6 कि० वा० एफ० एम० ट्रांसमीटर सहित नया रेडियो स्टेशन		
	(1) बरेली	297.60	कार्यान्वयन की स्थिति में है।
	(2) फैजाबाद	312.40	कार्यान्वयन की स्थिति में है।
	(3) झांसी	313.45	कार्यान्वयन की स्थिति में है।
	(4) ओबरा	308.95	कार्यान्वयन की स्थिति में है।
3.	अलीगढ़ में 6 कि० वा० एफ० एम० ट्रांसमीटर सहित रिले केन्द्र	328.08	कार्यान्वयनाधीन
4.	मसूरी में 10 कि० वा० एफ० एम० ट्रांसमीटर सहित रिले केन्द्र	210.55	कार्यान्वयन की स्थिति में है।
5.	लखनऊ में 1 कि० वा० मी० वे० ट्रांसमीटर का दर्जा बढ़ाकर 10 कि० वा० करना।	128.85	कार्यान्वयन की स्थिति में है।
6.	लखनऊ में 10 कि० शा० वे० ट्रांसमीटर का दर्जा बढ़ाकर 50 कि० वा० शा० वे० करना।	444.55	कार्यान्वयन की स्थिति में है।
7.	इलाहाबाद में 1 कि० वा० मी० वे० ट्रांसमीटर का दर्जा बढ़ाकर 20 कि० वा० शा० वे० करना।	173.33	कार्यान्वयनाधीन
8.	वाराणसी में 10 कि० वा० मी० वे० ट्रांसमीटर का दर्जा बढ़ाकर 100 कि० वा० मी० वे० करना।	214.70	दर्जा बढ़ा दिया गया है। ट्रांसमीटर कार्य कर रहा है।
9.	गोरखपुर में 50 कि० वा० शा० वे० ट्रांसमीटर की व्यवस्था करना।	522.92	स्कीम पूरी हो गई है। ट्रांसमीटर कार्य कर रहा है।

1	2	3	4
	(ख) गुजरात		
	1. अहवा में बहुउद्देशीय स्टूडियो तथा स्टाफ क्वार्टरों में 1 कि० वा० मी० वे० ट्रांसमीटर सहित नया रेडियो स्टेशन ।	185.77	कार्यान्वयन की स्थिति में है।
	2. बहुउद्देशीय स्टूडियो तथा स्टाफ क्वार्टरों में 2×3 कि० वा० एफ० एम० ट्रासमीटर सहित स्थानीय रेडियो स्टेशन		
	(i) सूरत	337.92	कार्यान्वयन की स्थिति में है।
	(ii) गोधरा	227.20	स्कीम पूरी हो गई है। स्टेशन कार्य कर रहा है।
	3. इलाहाबाद में 50 कि० वा० मी० वे० ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाकर 200 कि० वा० मी० वे० करना।	314.60	स्कीम पूरी हो गई है। ट्रांसमीटर कार्य कर रहा है।

विवरण-2

(क) उत्तर प्रदेश

क्र० सं०	स्कीम	परिव्यय (लाखों में)	स्थिति
1	2	3	4
1.	स्टूडियो, इलाहाबाद	—	स्कीम अनुमोदित की जानी है
2.	बरेली में कार्यक्रम निर्माण सुविधा सहित उच्च शक्ति ट्रांसमीटर।	630.24	कार्यान्वयनाधीन
3.	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, हरिद्वार	64.60	पहले ही चालू कर दिया गया
4.	अ० श० ट्रां०, बांदा	22.15	-वही-
5.	अ० श० ट्रां०, बलिया	22.15	-वही-
6.	अ० श० ट्रां०, लखीमपुर	22.15	-वही-
7.	अ० श० ट्रां०, उरई	35.60	-वही-
8.	अ० श० ट्रां०, ललितपुर	22.15	-वही-

1	2	3	4
9.	अ० श० ट्रां०, टनकपुर	22.15	पहले ही चालू कर दिया गया।
10.	अ० श० ट्रां०, पूरनपुर	36.52	-वही-
11.	अ० श० ट्रां०, सीतापुर	64.65	-वही-
12.	अ० श० ट्रां०, गौरीगंज	56.58	-वही-
13.	अ० श० ट्रां०, हरदोई	35.60	-वही-
14.	अ० श० ट्रां०, आजमगढ़	60.90	-वही-
15.	अ० श० ट्रां०, बदायूं	44.54	-वही-
16.	अ० श० ट्रां०, गोंडा	44.54	-वही-
17.	अ० श० ट्रां०, जगदीशपुर	44.54	-वही-
18.	अ० श० ट्रां०, काशीपुर	44.54	-वही-
19.	अ० श० ट्रां०, मथुरा	60.90	-वही-
20.	अ० श० ट्रां०, ओबरा	54.00	-वही-
21.	अ० श० ट्रां०, तिरवा	44.54	-वही-
22.	अ० श० ट्रां०, मऊ	60.90	-वही-
23.	अ० श० ट्रां०, फतेहपुर	60.90	-वही-
24.	अ० श० ट्रां०, बस्ती	60.90	-वही-
25.	अ० श० ट्रां०, बलरामपुर	44.54	-वही-
26.	अ० श० ट्रां०, गालगंज	44.54	-वही-
27.	अ० श० ट्रां०, अकबरपुर	44.54	-वही-
28.	अ० श० ट्रां०, पीलीभीत	60.90	-वही-
29.	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, रानीखेत	19.95	-वही-
30.	अ० अ० श० ट्रां०, अल्मोड़ा	19.95	-वही-
31.	अ० अ० श० ट्रां०, धारचूला	41.90	-वही-
32.	अ० अ० श० ट्रां०, गोपेश्वर	19.95	-वही-
33.	अ० अ० श० ट्रां०, हल्द्वानी	19.95	-वही-
34.	अ० अ० श० ट्रां०, कौसानी	19.95	-वही-
35.	अ० अ० श० ट्रां०, उत्तरकाशी	19.95	-वही-
36.	अ० अ० श० ट्रां०, भटियारी	19.95	-वही-

1	2	3	4
37.	अ० अ० श० ट्रां०, मुंसियारी	54.00	पहले ही चालू कर दिया गया।
38.	ट्रांसपोजर, मंसूरी	30.85	कार्यान्वियनाधीन
39.	ट्रांसपोजर, श्रीनगर	30.85	पहले ही चालू कर दिया गया।
40.	ट्रांसपोजर, नया टिहुरी	30.85	-वही-
41.	ट्रांसपोजर, चुर्क	30.85	-वही-
42.	कार्यरत स्टूडियो, लखनऊ	561.75	-वही-
43.	दूरदर्शन केन्द्र में ओ० बी० वैन, लखनऊ	224.00	-वही-
44.	दूरदर्शन केन्द्र में ई० एफ० सी० वैन, लखनऊ	130.40	-वही-
45.	दूरदर्शन केन्द्र लखनऊ में निर्माणेत्तर सुविधाएं	176.60	कार्यान्वियनाधीन
46.	स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ	1813.70	एक केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान की बजाय चार क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की परिकल्पना है।
	(ख) गुजरात		
1.	स्टूडियो, राजकोट	1513.18	कार्यान्वियनाधीन
2.	उ० श० ट्रां०, भुज	331.60	कार्यान्वियनाधीन
3.	अल्प श० ट्रां०, अहुवा	23.79	पहले ही चालू कर दिया गया।
4.	अ० श० ट्रां०, अमरौली	23.79	-वही-
5.	अ० श० ट्रां०, गोधरा	27.52	-वही-
6.	अ० श० ट्रां०, जामनगर	63.90	-वही-
7.	अ० श० ट्रां०, जूनागढ़	36.52	-वही-
8.	अ० श० ट्रां०, पालनपुर	25.02	-वही-
9.	अ० श० ट्रां०, पोरबन्दर	30.35	-वही-
10.	अ० श० ट्रां०, सुरेन्दर नगर	22.05	-वही-
11.	अ० श० ट्रां०, वलसाड	36.52	-वही-
12.	अ० श० ट्रां०, वीरावल	23.79	-वही-
13.	अ० श० ट्रां०, धोराजी	44.54	-वही-

1	2	3	4
14.	अ० श० ट्रां०, दोहाद	44.54	पहले ही चालू कर दिया गया।
15.	अ० श० ट्रां०, मेहसाना	44.54	-वही-
16.	अ० श० ट्रां०, सोनगढ़	44.54	-वही-
17.	अ० श० ट्रां०, भाबर	44.54	-वही-
18.	अ० श० ट्रां०, अम्बाजी	44.54	-वही-
19.	अ० श० ट्रां०, थाण	44.54	-वही-
20.	अ० श० ट्रां०, बेदिरपाड़ा	44.54	-वही-
21.	अ० श० ट्रां०, छोटा उदयपुर	44.54	-वही-
22.	अ० श० ट्रां०, कोसम्बा	46.25	-वही-
23.	अ० अ० श० ट्रां, काकरापाड़	41.50	-वही-
24.	अर्थ स्टेशन, अहमदाबाद	219.70	कार्यान्वयनाधीन
25.	अहमदाबाद में निर्माणेत्तर सुविधाएं	80.20	पहले ही चालू कर दिया गया।
26.	दूरदर्शन अहमदाबाद में ओ० बी० वैन	224.00	कार्यान्वयनाधीन

[अनुवाद]

बक्रेश्वर ताप विद्युत परियोजना

556. **श्री हन्नान मोल्लाह :**
श्री सनत कुमार मण्डल :
श्री अमर राय प्रधान :
श्री चित्त बसु :

क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बक्रेश्वर ताप-विद्युत परियोजना को वित्तीय सहायता देने के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार से कुछ नए प्रस्ताव प्राप्त किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बक्रेश्वर ताप विद्युत परियोजना को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर बक्रेश्वर ताप विद्युत परियोजना (3 × 210 मेगावाट) के लिए सोवियत सहायता सुविधा प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव किया गया था। हाल ही में पश्चिमबंगाल सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि यू० एस० एस० आर० की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए इस परियोजना को सोवियत सहायता के साथ न जोड़ा जाए तथा बक्रेश्वर परियोजना के

क्रियान्वयन के लिए ओ० ई० सी० एफ० सहायता प्राप्त की जाए। विद्युत क्षेत्र के लिए द्विपक्षीय सहायता प्राप्त करने में जो कठिनाइयां महसूस की जा रही हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए सरकार बक्रेश्वर परियोजना के लिए सोवियत सहायता का समुपयोजन किए जाने की इच्छुक है, जैसाकि अन्य विद्युत परियोजनाओं के मामलों में किया जा रहा है, जिनके लिए सोवियत सहायता का आश्वासन दिया गया है।

[हिन्दी]

हीरा व्यापारियों का अपहरण

557. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार :**
श्री जीवन शर्मा :
श्री हरि किशोर सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुंबई के चार हीरा व्यापारियों का दिल्ली में अपहरण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन व्यापारियों ने फिरौती के रूप में भारी धनराशि का भुगतान किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) बम्बई के कुछ हीरा व्यापारियों का हाल ही में दिल्ली में अपहरण किया गया था।

(ख) छह लापता व्यक्तियों में से एक व्यक्ति 14-9-1991 से और पांच 15-9-1991 से लापता थे। इन सभी व्यक्तियों को 3 अक्तूबर, 1991 को 151, सुखदेव विहार, नई दिल्ली में पाया गया।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने, जिसे मामले की जांच-पड़ताल का कार्य सौंपा गया है, सूचित किया है कि मामला निर्णायक स्थिति में है और ब्यौरों को बताने से जांच-पड़ताल के कार्य में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

[अनुवाद]

सीमावर्ती क्षेत्रों में दूरदर्शन और आकाशवाणी का विस्तार

558. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास सीमावर्ती क्षेत्रों में दूरदर्शन और आकाशवाणी का विस्तार करने के लिए विशेष रूप से ध्यान देने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और विभिन्न सीमाओं में दूरदर्शन और आकाशवाणी की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) राजस्थान और अन्य राज्यों में सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन के विस्तार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जी हां, देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन सेवाओं के विस्तार को उच्च प्राथमिकता दी गई है। आकाशवाणी के मामले में छठी योजना से ही सीमावर्ती क्षेत्रों में रेडियो कवरेज को शक्तिशाली बनाने के लिए जोर दिया जाता रहा है। सीमावर्ती कवरेज स्कीम के तहत 20 रेडियो ट्रांसमीटर और 96 दूरदर्शन ट्रांसमीटर कार्यरत हैं।

(ग) और (घ) आकाशवाणी तथा दूरदर्शन की कार्यान्वयनाधीन विभिन्न स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(क) आकाशवाणी,

क्र० सं० परियोजना का स्थान

1. धुब्री (असम)
2. किन्नौर (हिमाचल प्रदेश)
3. कारगिल (जम्मू कश्मीर)
4. पुंछ (जम्मू और कश्मीर)
5. चुराचांदपुर (मणिपुर)
6. बाड़मेर (राजस्थान)
7. जैसलमेर (राजस्थान)
8. तूतीकोरिन (तमिलनाडु)
9. कैलाशहर (त्रिपुरा)
10. बेलोनिया (त्रिपुरा)
11. चमोली (उत्तर प्रदेश)
12. पौड़ी/श्रीनगर (उत्तर प्रदेश)
13. पिथौरागढ़ (उत्तर प्रदेश)
14. उत्तरकाशी (उत्तर प्रदेश)
15. लुंगलेह (मिजोरम)
16. शिमला (हिमाचल प्रदेश)
17. इम्फाल (मणिपुर)
18. कोहिमा (नागालैंड)

क्र० सं० परियोजना का स्थान

19. जयपुर (राजस्थान)

20. बीकानेर (राजस्थान)

21. गंगटोक (सिक्किम)

22. लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

23. कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)

24. कुर्सियांग (पश्चिम बंगाल)

25. ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश) (50 कि० वा० श० वे०)

26. ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश) (100 कि० वा० मी० वे०)

(ख) दूरदर्शन

क्र० सं० परियोजना का स्थान

1. बाड़मेर (राजस्थान)

2. जैसलमेर (राजस्थान)

3. भुज (गुजरात)

4. फाजिलका (पंजाब)

5. चुराचांदपुर (मणिपुर)

6. लुंगले (मिजोरम)

7. लेह (जम्मू कश्मीर)

8. सांकू (जम्मू कश्मीर)

9. द्रास (जम्मू कश्मीर)

10. टिमसोगम (जम्मू कश्मीर)

11. नग्रोता (जम्मू कश्मीर)

12. गंगटोक (सिक्किम)

13. रामेश्वरम (तमिलनाडु)

14. फेक (नागालैंड)

15. बोगाईगांव (असम)

राजस्थान में पंचायत मुख्यालयों को टेलीफोन

559. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का राजस्थान में सभी मुख्यालयों को सार्वजनिक टेलीफोन देने के लिए कोई कृतक बल गठित करने का प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो यह कृतक बल कब गठित किया गया था;

(ग) सभी पंचायतों को सार्वजनिक टेलीफोन देने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) उक्त लक्ष्य की प्राप्ति में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां।

(ख) टास्क फोर्स सितम्बर, 1991 में गठित की गई थी।

(ग) मार्च, 1995 तक।

(घ) 30-10-1991 तक कुल 7353 ग्राम पंचायतों में से 2592 को टेलीफोन सुविधा प्रदान की जा चुकी है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जल-विद्युत परियोजनाएं

560. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जल-विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन को उच्च प्राथमिकता देने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों ने कितनी जल विद्युत परियोजनाओं के प्रस्तावों को आठवीं योजना में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है;

(ग) आठवीं योजनावधि के दौरान कितनी परियोजनाओं के क्रियान्वित होने की आशा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) आठवीं योजना (1990-95) के सन्दर्भ में विद्युत संबंधी कार्यदल ने अपनी दिसम्बर, 1989 की रिपोर्ट में सिफारिश की है कि भावी योजनाओं में जल-विद्युत के विकास पर अधिक बल दिया जाए। आठवीं योजना अवधि (1992-97) के लिए अनन्तिम कार्यक्रम के अनुसार 36645 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़े जाने का प्रस्ताव है। इसमें से 9396.9 मेगावाट जल-विद्युत, 26073.8 मेगावाट ताप-विद्युत और 1175 मेगावाट न्यूक्लीय विद्युत होगी। आठवीं योजना के दौरान जोड़ी जाने वाली कुल क्षमता में जल-विद्युत क्षमता का हिस्सा लगभग 25.6 प्रतिशत होगा।

(ख) से (घ) अनन्तिम कार्यक्रम के अनुसार, आठवीं योजना में 79 जल विद्युत स्कीमों को शामिल किए जाने की सम्भावना है। इनसे 9396 मेगावाट अतिरिक्त जल-विद्युत क्षमता प्राप्त होगी। उक्त क्षमता संवर्धन का क्षेत्रवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्षेत्र	स्वीकृत एवं निर्माणाधीन स्कीमें		के० वि० प्रा० द्वारा स्वीकृति स्कीमें		कुल	
	सं०	मे० वा०	सं०	मे० वा०	सं०	मे० वा०
1. उत्तरी	17	3786.75	5	108	22	3994.75
2. पश्चिमी	15	2590	1	20	16	2610*
3. दक्षिणी	18	1131	3	155	21	1286
4. पूर्वी	12	891.1	1	120	13	1011.1
5. उत्तर पूर्वी	9	495	1	100	7	595
	68	8893.85	11	503	79	9396.85

* इसमें राजघाट परियोजना जोकि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, की 45 मे० वा० विद्युत शामिल है। इस परियोजना के विद्युत उत्पादन में दोनों राज्यों का बराबर हिस्सा है।

दूरसंचार प्रणाली को आधुनिक बनाना

561. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का देश की दूरसंचार प्रणाली को आधुनिक बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक आधुनिक बना दिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) :(क) जी हां।

(ख) दूरसंचार विभाग की आठवीं योजना के मसौदा के अनुसार, निम्नलिखित के माध्यम से देश में दूरसंचार नेटवर्क को आधुनिक बनाने एवं उन्नयन का कार्य किया जाएगा :

—मार्च, 94 तक नेटवर्क को पूर्णरूपेण आटोमेटिक बनाना।

—जिन एक्सचेंजों का कार्यकाल समाप्त हो गया है और पुराने उपस्करों को बदलना/ उन्नयन करना।

—भूमिगत केबिलों के लिए 3000 रूट कि० मी० तथा अतिरिक्त व्यवस्था करना।

—आठवीं योजना अवधि के दौरान शामिल की जाने वाली प्रस्तावित सभी उपस्कर व्यवहार्यतः डिजिटल टाइप के होंगे।

—दूरसंचार सेवाओं जैसे डाइरेक्टरी पूछताछ, बिलिंग, मैनुअल ट्रंक सेवा आदि का आगे और कंप्यूटरीकरण करना।

—विकसित कम्प्यूटरीकृत नेकवर्क प्रबंध तकनीकी का प्रयोग।

(ग) उत्तरोत्तर रूप से आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक।

टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

562. श्री मोरेश्वर सावे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में रिहायसी और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए कितने-कितने आवेदनकर्ता प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों से कितने आवेदनकर्ता सूची में हैं; और

(ग) प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) आवासीय और व्यावसायिक मांगों के लिए टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूचियों का अलग-अलग रिकार्ड नहीं रखा जाता। औरंगाबाद राजस्व जिले में 31-10-1991 की प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की कुल संख्या 10928 है।

(ख) उपर्युक्त जिले में तीन वर्षों से लंबित प्रतीक्षा सूची में कुल आवेदकों की संख्या 5734 है।

(ग) आठवीं योजना के प्रस्तावों के अनुसार 8वीं योजना के अन्त तक निम्नलिखित विस्तार कार्यक्रमों को पूरा करने की योजना है :

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में मांग होने पर व्यावहारिक रूप से टेलीफोन प्रदान करना।

(ii) बड़ी प्रणालियों में दो वर्ष के भीतर प्रतीक्षा अवधि को कम करना।

तदनुसार आठवीं योजना अवधि के दौरान उपर्युक्त प्रतीक्षा सूचियों को उत्तरोत्तर निपटा दिया जाएगा।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में विद्युत परियोजनाएं

563. श्री फूल चन्द वर्मा : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड द्वारा कुल कितनी बिजली पैदा की गई;

(ख) मध्य प्रदेश में चल रही विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन उसकी मांग की तुलना में कम होता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने की दृष्टि से एक नई परियोजना स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :

(क) 1990-91 तथा 1991-92 (अप्रैल-अक्तूबर, 1991) के दौरान मध्य प्रदेश में कुल ऊर्जा का उत्पादन क्रमश: 13526 मिलियन यूनिट और 7140 मिलियन यूनिट था।

(ख) मध्य प्रदेश में विभिन्न विद्युत परियोजनाओं की विद्युत उत्पादन क्षमता 6582.5 मेगावाट है (इसमें केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत केन्द्रों की 3390 मेगावाट क्षमता भी शामिल है)।

(ग) अप्रैल, 1991 से अक्तूबर, 1991 की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में 11050 मिलियन यूनिट ऊर्जा की आवश्यकता थी, इसकी अपेक्षा लगभग 10637 मिलियन यूनिट ऊर्जा उपलब्ध थी।

(घ) और (ङ) 1991-92 के दौरान मध्य प्रदेश में 125 मेगावाट क्षमता की अभिवृद्धि किए जाने का कार्यक्रम है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी क्षेत्र में स्थापित किए जा रहे केन्द्रीय क्षेत्र केन्द्रों से भी राज्य को इसके समुचित हिस्से की विद्युत प्राप्त होगी।

उत्तर प्रदेश में बिजली का उत्पादन

564. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में बिजली के उत्पादन में वृद्धि करने के विभिन्न उपायों पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या बिजली उत्पादन में वृद्धि करने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र की सहायता लेने का कोई प्रस्ताव है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश में 182 मेगावाट क्षमता की अभिवृद्धि किए जाने का कार्यक्रम है। इसके अतिरिक्त उत्तरी क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र केन्द्र जोकि अधिष्ठापित किए जा रहे हैं इनसे भी इस राज्य को इसके समुचित हिस्से की विद्युत प्राप्त होगी। देश में तथा उत्तर प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन में सुधार किए जाने हेतु किए गए अन्य विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं—पुराने यूनिटों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण संबंधी कार्य करना, संयंत्र सुधार कार्यक्रम हाथ में लेने के लिए राज्य बिजली बोर्डों की सहायता करना, अपेक्षित गुणवत्ता तथा पर्याप्त मात्रा में कोयला सप्लाई करना, कार्मिकों को प्रशिक्षण देना और पारेषण नेटवर्क में सुधार करना।

(ग) जी हां।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलना

565 **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर और बाहा स्थित टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक आरंभ किये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(i) ललितपुर, जालौन और हमीरपुर टेलीफोन एक्सचेंजों को पहले ही इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों में बदला जा चुका है।

(ii) झांसी को 31-3-1992 तक इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज में बदले जाने की संभावना है।

(iii) वाहा नाम का कोई टेलीफोन एक्सचेंज नहीं है।

[अनुवाद]

साम्प्रदायिक झगड़े

566. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन स्थानों पर साम्प्रदायिक झगड़े हुए थे; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों को कौन से उपचारात्मक उपाय करने की सलाह दी है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के आधार पर एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भाग (क) उस स्थान का नाम जहां प्रमुख साम्प्रदायिक झगड़े हुए।

1988

(1 नवंबर से 31 दिसंबर, 1988 तक) शून्य

1989

बिहार	1. हजारीबाग
	2. सासाराम
	3. सतबारवा (जिला पलामू)
	4. सीतामढ़ी
	5. भागलपुर
	6. मुंगेर
गुजरात	1. गोधरा (जिला पंचमहल)
मध्य प्रदेश	1. खरगोन
	2. इंदौर
राजस्थान	1. कोटा
	2. जयपुर
	3. लाडनू

	उत्तर प्रदेश	1. बदायूं
		2. वाराणसी
1990		
	आंध्र प्रदेश	1. हैदराबाद शहर
		2. रंगारेड्डी
	असम	1. हैलकन्डी
	बिहार	1. बड़ी गुलानी (जिला नवादा)
		2. जमशेदपुर
		3. पटना
	गुजरात	1. पाटन (जिला महसाना)
		2. आनन्द
		3. अहमदाबाद
		4. बड़ौदा
	कर्नाटक	1. रामनगरम
		2. चेन्नापट्टनम्
		3. कोलर
	महाराष्ट्र	1. बम्बई
	राजस्थान	1. जयपुर
		2. जोधपुर
	तमिलनाडु	1. वेनकानीकोट्टई (जला धर्मपुरी)
	उत्तर प्रदेश	1. कानपुर
		2. बिजनौर
		3. कर्नलगंज (जिला गौंडा)
		4. एटा
		5. अलीगढ़
		6. मेरठ
		7. जहांगीरपुर (जिला बुलन्दशहर)
		8. खुर्जा (जिला बुलन्दशहर)
31 अक्तूबर, 1991 तक		
	आंध्र प्रदेश	1. हैदराबाद

बिहार	1. गोलमुरी (जिला जमशेदपुर)
	2. चक्रधरपुर (जिला सिंघभूम)
गुजरात	1. अहमदाबाद
	2. अनक्लेश्वर (जिला बड़ौच)
	3. बड़ौच
	4. बड़ौदा
	5. जम्बूसर (जिला बड़ौच)
	6. सूरत
मध्य प्रदेश	1. गोगावन (जिला खरगोन)
महाराष्ट्र	1. जोगेश्वरी (बम्बई)
उड़ीसा	1. भदरक (जिला बालासोर)
	2. सोरो टाऊन (जिला बलासोर)
उत्तर प्रदेश	1. लखनऊ शहर
	2. गजियाबाद
	3. खुर्जा
	4. सहारनपुर
	5. वाराणसी
	6. कानपुर
	7. मेरठ
	8. सिकन्दराबाद (जिला बुलन्दशहर)
पश्चिम बंगाल	1. ग्राम जिटकीपोटा (नादिया जिला)
	2. आसनसोल

भाग (ख)—लोक व्यवस्था राज्य का विषय है इसलिए समस्याओं को सुलझाना तथा उपचारात्मक उपाय करना राज्य सरकारों का काम है। राज्य सरकारों द्वारा अनुरोध किए जाने पर केन्द्र सरकार अतिरिक्त बल उपलब्ध कराके उनकी सहायता करती है। हमने राज्यों को कुछ सुझाव भी दिए हैं कि वे ऐसे साम्प्रदायिक झगड़ों को नियंत्रित करें जिनमें देश का साम्प्रदायिक माहौल बिगड़ता है।

2. साम्प्रदायिक सौहार्द को प्रोत्साहित करने और देश में साम्प्रदायिक दंगों की पुनरावृत्ति को रोकने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, इस संबंध में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को दिशा-निर्देश जारी किये गये। देश के साम्प्रदायिक माहौल को बिगाड़ने के लिए जिम्मेवार उत्तेजनात्मक भावनाओं, लेखों इत्यादि पर अंकुश लगाने के लिए अगस्त, 1990 में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को कुछ सुझाव भी भेजे गये हैं।

3. गृह मंत्रालय भी अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु पन्द्रह सूत्री कार्यक्रम के कुछ पहलुओं का प्रबोधन कर रहा है। इनमें विशेष न्यायालयों का गठन तथा दंगा पीड़ितों के लिए राहत शामिल है।

विदेशों से अंशदान प्राप्त करने वाले संगठन

567. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों, संगठनों और संस्थाओं के नाम पते क्या हैं, जिन्होंने वर्ष 1988 अथवा 1989 और 1990 के दौरान एक लाख रुपये से अधिक का विदेशी अंशदान प्राप्त किया; और

(ख) धनराशि प्राप्तकर्ताओं द्वारा उपरोक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि प्राप्त की गयी और यह किन-किन कार्यकलापों में खर्च की गयी ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) लगभग 15838 एसोसिएशनों ने वर्ष 1988, 1989 और 1990 के दौरान एक लाख और इससे अधिक का विदेशी अभिदाय प्राप्त करने की सूचना दी है। नियमों के अंतर्गत 23 ऐसे उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं जिन पर, प्राप्त धन को खर्च किया जाता है। सूचना विशाल होने के कारण ब्यौरे देना व्यवहारिक नहीं है। यदि किसी विशेष एसोसिएशन या एसोसिएशनों के बारे में सूचना देना अपेक्षित है तो उसे प्रस्तुत किया जा सकता है।

क्षतिग्रस्त मस्जिदों और दरगाहों की मरम्मत

568. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा जारी किए गए केन्द्रीय सरकार के मार्गनिदेशों के अनुरूप कर्नाटक सरकार ने सरकारी खर्चे पर उन 127 मस्जिदों और दरगाहों की मरम्मत कर दी है जो अक्तूबर-दिसम्बर, 1990 के दंगों के दौरान क्षतिगस्त हो गई थीं;

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान राज्य-वार और स्थान-वार दंगों में धार्मिक महत्व के कितने स्थल नष्ट हुए/क्षतिग्रस्त हुए; और

(ग) क्षतिग्रस्त और नष्ट हुए ऐसे कितने धार्मिक स्थलों की राज्य सरकारों द्वारा नवीकरण/मरम्मत कर दी गई है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पंजाब के लिए नीति

569. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** :
श्री पवन कुमार बंसल :
श्री अमर रायप्रधान :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब में आतंकवादियों और अलगाववादियों द्वारा कानून एव व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने हेतु कोई नीति तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस नीति के फलस्वरूप क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) सरकार आतंकवाद से सख्ती से निपटती रहेगी । इस प्रयोजन के लिए अनेक उपाय किए गए हैं । आतंकवादियों से निपटने में लोगों का बढ़ता हुआ सहयोग और उनका निश्चय स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है ।

सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत नौकरियों में आरक्षण संबंधी पैकेज फार्मूला

570\. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :**
श्री धर्मण्णा मोण्डय्या सादुल :
श्री शरद दिघे :

क्या **कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए क्रमशः 27 प्रतिशत और 22.5 प्रतिशत कोटे के अतिरिक्त अगड़े वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण के बारे में सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत पैकेज फार्मूले का ब्यौरा क्या है;

(ख) अगड़े वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को परिभाषित करने के लिए क्या मानदंड तय किए गए हैं; और

(ग) ऐसे वर्गों को परिभाषित करने के लिए क्या तंत्र बनाने का विचार है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) भारत सरकार के अधीन सिविल पदों/सेवाओं में सीधी भर्ती के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों में सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने संबंधी दिनांक 13 अगस्त, 1990 का का० ज्ञा० 25 सितम्बर, 1991 को संशोधित किया गया था । इस संशोधी आदेश की प्रति विवरण के रूप में संलग्न है ।

(ख) और (ग) सरकार आरक्षण की किसी विद्यमान योजना के अंतर्गत न आने वाले सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से अन्य पिछड़े वर्गों में से अधिक निर्धन वर्गों के निर्धारण के लिए परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से मानदंड बनाना चाहती है जिसके लिए कदम उठाए जा चुके हैं ।

विवरण

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मन्त्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 25 सितंबर, 1991

कार्यालय ज्ञापन

विषय :—दूसरे पिछड़ी जाति आयोग (मंडल रिपोर्ट) की सिफारिशें —भारत सरकार के अधीन सेवाओं में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण ।

मुझे, उपर्युक्त विषय पर 13 अगस्त, 1990 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन की ओर ध्यान आकर्षित करने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के गरीबों को आरक्षण का प्राथमिकता के आधार पर लाभ पहुंचाने तथा आरक्षण का लाभ आर्थिक रूप से पिछड़े उन अन्य वर्गों तक जो किसी भी विद्यमान आरक्षण योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, पहुंचाने के लिए उक्त ज्ञापन को तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय लिया है :--

2. (1) भारत सरकार के अधीन सिविल पदों तथा सेवाओं में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित 27 प्रतिशत रिक्तियों में उन वर्गों के गरीब उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि ऐसे उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होंगे तो उन रिक्तियों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के अन्य उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा।

(2) भारत सरकार के अधीन सिविल पदों तथा सेवाओं में 10 प्रतिशत रिक्तियां आर्थिक रूप से पिछड़े उन वर्गों के लिए आरक्षित होंगी जिन्हें किसी भी विद्यमान आरक्षण योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।

(3) सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों में आर्थिक रूप से पिछड़े तथा आर्थिक रूप से पिछड़े उन अन्य वर्गों की, जिन्हें किसी भी विद्यमान आरक्षण योजना के अंतर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं है, पहचान के लिए मानदण्ड पृथक रूप से जारी किए जा रहे हैं।

3. दिनांक 13 अगस्त, 1990 के समसंख्य कार्यालय ज्ञापन को ऊपर निर्दिष्ट किए गए अनुसार संशोधित माना जाएगा।

ह०/

(अ० कु० हारीत)

उप-सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक

571. श्री दिलीप सिंह भूरिया :

श्री सैयद शाहबुद्दीन :

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय एकता परिषद की हाल ही में हुई बैठक में कौन से विषयों पर चर्चा हुई थी; और

(ख) इस बैठक में क्या निर्णय लिए गए विशेष तौर पर राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के मामले में ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) सांप्रदायिक सद्भावना: राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विषय।

(ख) विवरण के रूप में संलग्न संकल्प पारित किया गया था। यह भी तय किया गया कि राष्ट्रीय एकता परिषद की एक स्थायी समिति का गठन किया जाएगा।

विवरण

नई दिल्ली में 2 नवम्बर, 1991 को हुई अपनी बैठक में राष्ट्रीय एकता परिषद द्वारा पारित किया गया संकल्प

राष्ट्रीय एकता परिषद ने पिछले दो वर्षों के दौरान देश में बिगड़ती हुई सांप्रदायिक स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। इस अवधि के दौरान सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की गंभीर घटनाओं में वृद्धि हुई, जिसके कारण जान और माल का भारी नुकसान हुआ है। देश में कुछ भागों में आतंकवादी और उग्रवादी गतिविधियों के जारी रहने के साथ-साथ साम्प्रदायिक वैर भावना भी विद्यमान है, जिनका राष्ट्रीय एकता पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। परिषद जनता के इस संकल्प का जोरदार समर्थन करती है कि देश की एकता और अखंडता तथा इसके धर्म-निरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्यतंत्र के खिलाफ उठने वाली किसी भी चुनौती का एकजुट होकर सामना करेगी।

परिषद ने यह बात नोट की है कि जिन विवादों के कारण सांप्रदायिक तनाव में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद उनमें से एक है। अयोध्या में हाल में घटी घटनाओं पर परिषद ने चिंता व्यक्त की है तथा आशा व्यक्त की कि ऐसी स्थिति फिर से नहीं आएगी।

राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद मुद्दे का संतोषजनक हल नहीं निकल पा रहा है। परिषद सभी संबंधित दलों और संगठनों से यह अपील करती है कि सद्भावना और आपसी सूझबूझ से समस्या का सौहार्दपूर्ण और बातचीत द्वारा समाधान खोजने का प्रयत्न करें।

परिषद ने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा दिए गए निम्नलिखित आश्वासनों को नोट किया है :—

(i) मुद्दे का सौहार्दपूर्ण हल खोजने के लिए सभी संभव उपाय किए जाएंगे;

(ii) अंतिम हल निकलने तक, राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद ढांचे की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी ;

(iii) भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई के मामले में न्यायालय के आदेशों को पूरी तरह लागू किया जाएगा; और

(iv) इलाहाबाद उच्च न्यायालय मे लंबित पड़े मामलों के निर्णय का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने परिषद को किसी भी अनुकूल तिथि को अयोध्या आने का निमंत्रण दिया। परिषद ने मुख्य मंत्री के इस निमंत्रण का स्वागत किया।

राजनीतिक दलों, धार्मिक नेताओं, संचार माध्यमों तथा अन्य संगठनों सहित सभी संबंधितों

से राष्ट्रीय एकता परिषद अपील करती है कि वह संयम बरतते हुए इस ढंग से कार्य करें, जिससे कि सभी समुदायों के बीच सौहार्दता तथा सद्भावना बढ़े। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे कार्य अथवा शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे सांप्रदायिक भावनाएं भड़कें अथवा विध्वंसकारी बलों को प्रोत्साहन मिले। भारतीय समाज परम्परागत रूप से सहनशक्ति की भावना से ओत-प्रोत है तथा एक-दूसरे के धर्म का आदर करता है। इसी भावना के अनुसार हमें सोचना, विचारना तथा कार्य करना चाहिए। परिषद सभी लोगों से शांति और सद्भावना बनाए रखने तथा राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद मुद्दे का संतोषजनक समाधान खोजने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की अपील करती है।

अप्रवासी भारतीय को दोहरी नागरिकता प्रदान करना

572. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निकट भविष्य में देश के आर्थिक विकास हेतु अप्रवासी भारतीयों के पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए उन्हें दोहरी नागरिकता प्रदान करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत में निजी क्षेत्र की भागीदारी

573. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** :
श्री विजय नवल पाटील :
श्री विश्वनाथ शास्त्री :
श्री सोमजीभाई डामोर :

क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्रों की भागीदारी के लिए किसी उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) विद्युत उत्पादन में शामिल होने के लिए निजी क्षेत्रों को किन नियमों का पालन करना पड़ेगा; और

(घ) आगामी दो वर्षों में सरकारी और निजी क्षेत्रों में विद्युत के वास्तविक उत्पादन के संबंध में सरकार ने क्या मूल्यांकन किया है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) निजी क्षेत्र द्वारा विद्युत के उत्पादन, सप्लाई एवं वितरण में भागीदारी हेतु अपनाए जाने वाले मानकों और उच्चाधिकार प्राप्त बोर्ड के संबंध में विवरण को 22 अक्तूबर,

1991 को राजपत्र में प्रकाशित संकल्प के माध्यम से अधिसूचित कर दिया गया है जिसकी प्रतियां संलग्न हैं। [**ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 799/91**]

(घ) विद्युत उत्पादन के सम्बन्ध में आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

नये आसूचना व सतर्कता संगठन की स्थापना

574. **श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार क्षेत्र में मौजूदा सतर्कता व आंतरिक आसूचना व्यवस्था अपर्याप्त है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या मंत्रालय का विचार दूरसंचार विभाग में व्याप्त भ्रष्ट कार्यकलापों पर रोक लगाने के लिए एक नये आसूचना व सतर्कता संगठन की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) विभाग के लिए एक व्यापक सतर्कता संगठन की स्थापना का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

नए टेलीफोन कनेक्शन के लिए जमा की गई धनराशि पर ब्याज का भुगतान

575. **श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार आयोग ने नए टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए जनता से प्राप्त की गई धनराशि पर ब्याज का भुगतान करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में अब तक कितने व्यक्तियों को ब्याज का भुगतान किया गया है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) से (ग) मौजूदा अनुदेशों के अनुसार टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्धारित जमा राशि देनी होती है। इस रकम पर जमा करने की तारीख से टेलीफोन कनेक्शन लगने तक की तारीख तक, बैंक द्वारा समय-समय पर प्रचलित दर पर ब्याज दिया जाता है। अपनी मांग दर्ज करने वाले सभी आवेदकों को ब्याज का भुगतान किया जा रहा है।

हैदराबाद में विदेशियों का निर्धारित अवधि से अधिक समय तक ठहरना

576. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निर्धारित अवधि से अधिक समय तक ठहरने वाले विदेशियों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या अकेले हैदराबाद में लगभग 25.000 विदेशी निर्धारित अवधि से अधिक समय तक ठहरे हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे विदेशियों को निर्वासित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) उपलब्ध सूचना के आधार पर एक विवरण संलग्न है ।

(ख) आंकड़ों के प्रमाण के बारे में ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि जब भी किसी विदेशी राष्ट्रिक का भारत में निर्धारित अवधि से अधिक समय तक ठहरने का पता चलता है तो विदेशी अधिनियम, 1946 के अधीन उसे वापस भेजने के लिए कार्रवाई की जाए ।

विवरण

भारत में निर्धारित अवधि से अधिक समय तक ठहरे हुए विदेशियों के बारे में राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना का राज्यवार ब्योरा

क्रम सं०	राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन	भारत में निर्धारित अवधि से अधिक समय तक ठहरे हुए विदेशियों की संख्या
1	2	3
1.	असम	2
2.	आंध्र प्रदेश	45
3.	बिहार	130
4.	दिल्ली	161
5.	गुजरात	1104
6.	हरियाणा	98
7.	जम्मू और कश्मीर	110
8.	कर्नाटक	317
9.	केरल	545
10.	मध्य प्रदेश	1227
11.	महाराष्ट्र	2366
12.	उड़ीसा	51
13.	पंजाब	228
14.	राजस्थान	2710

1	2	3
15.	तमिलनाडु	1141
16	उत्तर प्रदेश	1347
17.	पश्चिम बंगाल	617
18.	चण्डीगढ़	42
19.	पांडिचेरी	68

1. शेष राज्यों के बारे में सूचना शून्य है।

2. बंगलादेशी राष्ट्रिकों के बारे में कोई प्रमाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है। इसलिए उक्त आंकड़ों में, बंगलादेशी राष्ट्रिकों के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

पूर्वी भारत के मुख्य मंत्रियों के क्षेत्रीय सम्मेलन में लिए गए निर्णय

577. **श्री रवि राय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में भुवनेश्वर में पूर्वी भारत के मुख्य मंत्रियों का क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्मेलन में क्या निर्णय लिए गए ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की पिछली बैठक (18वीं) 21 सितम्बर, 1991 को भुवनेश्वर में हुई थी। इसमें अन्तर्राज्य से संबद्ध अनेक मामलों पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक की कार्यवाही को, संबंधित राज्यों से उस पर टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद, उसे अंतिम रूप देने पर माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ संसद की लाइब्रेरी में रखा जाएगा।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग

578. **श्री शरद दिघे** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के संवैधानिक दर्जे को स्वीकार करने वाले 65 वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1990 को लागू किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग के सदस्यों के लिए कोई योग्यता निर्धारित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत कोई नियम बनाए गए हैं तथा इन सदस्यों के चयन हेतु कोई प्रक्रिया निर्धारित की गई है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

फिल्मों में हिंसा और कामुकता

579. **श्री शरद दिघे** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का फिल्मों में दिखाई जाने वाली हिंसा और कामुकता से अधिक प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए नये दिशा निर्देश जारी करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां।

(ख) विस्तृत ब्योरा तैयार किया जा रहा है।

उग्रवादियों द्वारा वी० एच० एफ० (अति उच्च क्षमता वाले) वायरलैस स्टेशनों की स्थापना

580. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन रिपोर्टों की ओर दिलाया गया है कि जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब में उग्रवादियों को पाकिस्तान की सहायता से अति उच्च क्षमता वाले वायरलैस स्टेशन स्थापित कर लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की सही जानकारी क्या है; और

(ग) ऐसे स्टेशनों की पहचान कर उन्हें बन्द करने के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) घाटी में आतंकवादियों से शस्त्र और गोला-बारूद और उपकरणों की बरामदगी से आतंकवादियों के पास संचार उपकरणों की उपलब्धता का पता चला है। सरकार ने इस प्रकार के ट्रांसमिशनों का पता लगाने और इनसे निपटने के लिए कदम उठाए हैं।

नई अखबारी कागज नीति

581. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई अखबारी कागज नीति की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो नई नीति का ब्योरा क्या है और पूर्व नीति से इस नीति में क्या अन्तर है अथवा इसमें क्या संशोधन किए गए हैं; और

(ग) इस बारे में समाचार उद्योग की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां। 1991-92 के लिए अखबारी कागज आवंटन नीति की घोषणा 4-10-1991 को कर ली गयी है।

(ख) नयी नीति की मुख्य बातें और पूर्व नीति को तुलना में किए गए कुछ परिवर्तनों का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) समाचार पत्र उद्योग की प्रतिक्रिया मिली जुली रही है।

विवरण

गत वर्ष की नीति की तुलना में 1991-92 के लिए अखबारी कागज आवंटन नीति में किए गए परिवर्तन/संशोधन

1. समाचार पत्रों को भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के पास कराये गये पंजीकरण के बाद और नियमित रूप से कम से कम एक वर्ष तक प्रकाशित होने के बाद ही अखबारी कागज आवंटित किया जायेगा। इससे पहले, समाचार-पत्र भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के पास पंजीकरण कराये जाने के पूर्व ही अखबारी कागज का पात्र हो जाते थे।

2. सप्ताह में दो बार और सप्ताह में तीन बार प्रकाशित होने वाले पत्र ग्लेज्ड अखबारी कागज के पात्र नहीं होंगे। उनके लिए दैनिक समाचार पत्रों की भांति न्यूनतम नियमितता मानक अब 90 प्रतिशत रखा गया है। नियमितता मापदण्ड पत्रिकाओं के समान था।

3. पूर्व प्रचलित व्यवस्था के विपरीत समाचार पत्रों द्वारा भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के आवंटन के अतिरिक्त इस्तेमाल किये गये छपाई के सफेद कागज या अन्य कागज को वर्ष 1991-92 के लिए समाचार पत्र की अखबारी कागज आवंटन की पात्रता का निर्धारण करने के लिए हिसाब में नहीं लिया जायेगा।

4. दिनांक 1-4-1991 से सभी समाचार पत्र प्रतिष्ठानों को उनकी रुचि के किसी भी अनुसूचित मिल (मिलों) से देशी अखबारी कागज का कोटा उठाने की अनुमति दे दी गयी है।

5. दो सौ मीट्रिक टन वार्षिक से अधिक की पात्रता वाले समाचार पत्रों को देशी अखबारी कागज छमाही आधार पर आवंटित किया जायेगा जबकि आयातित अखबारी कागज तिमाही आधार पर जारी किया जायेगा। इससे पूर्व इस श्रेणी के समाचार पत्रों को देशी अखबारी कागज भी तिमाही आधार पर आवंटित किया जाता था।

जम्मू व कश्मीर और सिख आतंकवादियों को प्रशिक्षण

582. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**
श्री पवन कुमार बंसल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान के प्रशिक्षण शिविरों में अब तक प्रशिक्षित कश्मीरी और सिख आतंकवादियों की संख्या कितनी है;

(ख) अब तक उसमें से कितने आतंकवादी भारत लौट आये हैं और कितने अभी भी पाकिस्तान अथवा पाक-अधिकृत कश्मीर में हैं; और

(ग) क्या भारत के विदेश सचिव की हाल की इस्लामाबाद यात्रा के दौरान कश्मीर में आतंकवादियों के प्रशिक्षण संबंधी मामले पर चर्चा हुई थी, यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पाकिस्तान द्वारा 20,000 से अधिक कश्मीरी सिख आतंकवादियों को प्रशिक्षित किया गया है, हालांकि उनमें से सारे सक्रिय नहीं हैं।

अनुमान है कि 4,000 से अधिक आतंकवादी अभी भी पाकिस्तान से सीमा पार करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

(ग) जी हां, श्रीमान्। पर्याप्त सबूतों के बावजूद पाकिस्तान सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि वह पंजाब और जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद और विघटनकारी शक्तियों को समर्थन नहीं दे रही है।

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विकास निगम

583. श्री चित्त बसु : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक विकास निगम स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) भारत सरकार ने पंजीकृत होने वाले 200 करोड़ रु० की प्राधिकृत पूंजी से एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम स्थापित करने का निर्णय लिया है जिसे कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कम्पनी के रूप में पंजीकृत किया जाना है।

(ख) इसके उद्देश्य नीचे दोहराए जाते हैं :—

(1) पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए आर्थिक तथा विकासात्मक कार्यकलापों को प्रोत्साहन देना;

(2) पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह को सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित ऐसी आय और/या आर्थिक मानदंड के अध्यधीन ऋणों और अग्रिमों के रूप में आर्थिक तथा वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य योजनाओं और परियोजनाओं के लिए सहायता करना;

(3) पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए स्व-रोजगार तथा अन्य उद्योगों को प्रोत्साहन देना;

(4) देश में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों को चुनिंदा मामलों में, राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर सरकार/मंत्रालयों/विभागों के सहयोग से, उस सीमा तक रियायती वित्त प्रदान करना जिस सीमा तक भारत सरकार द्वारा कम्पनी को बजट सहायता मंजूर की गई है।

(5) स्नातक तथा उच्चतर स्तरों पर सामान्य/व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा या प्रशिक्षण हेतु ऋण प्रदान करना;

(6) उत्पादन एककों के उचित तथा कुशल प्रबंध के लिए, पिछड़े वर्गों की तकनीकी तथा उद्यमी निपुणता के उन्नयन में सहायता करना;

(7) पिछड़े वर्गों के विकास संबंधी कार्य से निपटने हेतु, वित्तीय सहायता प्रदान करके तथा पुनर्वित्त द्वारा वाणिज्यिक निधियां प्राप्त करने में राज्य स्तरीय संगठनों को सहायता करना;

(8) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-

जाति, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के लिए गठित सभी निगमों/बोर्डों, जहां तक ये पिछड़े वर्गों के आर्थिक विकास से संबंधित हैं, के कार्य के समन्वय तथा मानीटरिंग के लिए एक शीर्षस्थ संस्थान के रूप में कार्य करना;

(9) पिछड़े वर्गों के विकास हेतु सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को बढ़ाने में सहायता करना।

जाली पासपोर्ट

584. श्री राजवीर सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1989-90 और 1990-91 के दौरान जाली पासपोर्टों के माध्यम से लोगों को विदेश भेजने के संबंध में कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया है;

(ख) उनसे कितनी और किस प्रकार की वस्तुएं/माल बरामद की गयी; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) से (ग) अपराधों को दर्ज करना, उनकी जांच-पड़ताल करना, उनका पता लगाना और उनकी रोकथाम करना राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेवारी है। पासपोर्ट प्राप्त करते समय व्यक्तिगत रूप से किए गए अपराधों से संबंधित कानूनों को लागू करना भी उन्हीं की जिम्मेवारी है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियां

585. श्री राजवीर सिंह :
श्री सन्तोष कुमार गंगवार :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई आतंकवादी गतिविधियों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में आतंकवाद ग्रस्त जिलों के रूप में पहचाने गये जिलों की संख्या कितनी है; और

(ग) आतंकवादी गतिविधियां का सामना करने तथा क्षेत्र में शांति स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार आतंकवादी हिंसा से राज्य के 9 जिले प्रभावित हैं। राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए अनेक उपाय किए हैं, जैसे आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करना, आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों में केन्द्रीय बल/पी० ए० सी० तैनात करना, संचार प्रणाली में सुधार करना, अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराना, बम निष्पादन दस्ता, इत्यादि का गठन करना। केन्द्र सरकार राज्य सरकार से सतत सम्पर्क बनाए हुए हैं और जब कभी आवश्यकता होती है राज्य सरकार को सभी संभव सहायता उपलब्ध करा रही है।

दिल्ली में यमुना विहार में टेलीफोन एक्सचेंज

586. **श्री राजवीर सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में यमुना विहार में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं;

(ख) क्या यह कार्यवाही केवल कागजों पर ही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है तथा यह टेलीफोन एक्सचेंज कब से कार्य करने लगेगा ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) परियोजना अंतिम चरण में है और टेलीफोन एक्सचेंज के लिए भू-खंड का कब्जा दिल्ली विकास प्राधिकरण से 2 अगस्त, 1991 को लिया जा चुका है। तदुपरांत, टेलीफोन एक्सचेंज भवन के निर्माण के लिए टेंडर आमन्त्रित किए गए हैं और एक्सचेंज जून, 1992 तक चालू हो जाने की उम्मीद है।

दिल्ली में आतंकवादी गतिविधियां

587. **श्री राजवीर सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान दिल्ली में आतंकवादियों द्वारा अपहरण, आगजनी और अन्य कितने गंभीर अपराध किए गए;

(ख) सरकार द्वारा इन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया; और

(ग) इन गतिविधियों के फलस्वरूप घायल हुए व्यक्तियों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में नए डाकघर

588. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में ग्रामीण डाक नेटवर्क का विस्तार करने के लिए वर्ष 1991-92 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में नए डाकघर खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश में कितने डाकघर खोले जाने की सभावना है तथा वे कहां-कहां खोले जाएंगे; और

(ग) डाक वितरण की प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश में खोले जाने वाले संभावित डाकघरों की संख्या 56 है बशर्ते कि उनको खोलने का औचित्य बनता हो। यह डाकघर जिन-जिन स्थानों पर खोलने का प्रस्ताव है, उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) शहरी डाकघरों में डाक वितरण प्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से इसका पुनर्गठन किया गया है। फलस्वरूप, ऐसी डाक-मदों जिनका हिसाब-किताब रखा जाता है, जैसे रजिस्टर्ड पत्रों, पार्सलों, मनीआर्डरों का वितरण एक बार के स्थान पर दो बार तथा साधारण डाक का वितरण दो बार के स्थान पर तीन बार कर दिया गया है। विभाग यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि डाकघरों में जिस दिन डाक प्राप्त हो, उसे अधिक से अधिक मात्रा में उसी दिन वितरण के लिए दे दिया जाए।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश में 1991-92 के दौरान जिन-जिन स्थानों पर संभावित 56 डाकघर खोले जाने की संभावना है, उनके नाम—बशर्ते कि इनको खोलने का औचित्य बनता हो।

क्र० सं०	स्थान का नाम
1	येरावरम—25
2	डोनकाडा
3	पेड्डाकोतुरू
4	येरासामतवलास
5	अरनाडा
6	अंदरांगी
7	चेवुवडा
8	लक्ष्मी नरसापुरम
9	कोमारलतादा
10	बुदुरू
11	मधुगरीपल्ली
12	रायलसीमा
13	काकाविदु
14	कुनमाराजूपालेम
15	नर्लसिंगायगरीपालेम
16	अकुथोटापल्ली
17	लिंगगदारलापल्ली
18	चिन्नगोलापल्ली

क्र० सं०	स्थान का नाम
19	ऑलविन नगर
20	पी० जी० सेंटर
21	मादीरेड्डीगरीपल्ली
22	बी० पोलीमेरमल्ली
23	रासिमला
24	गुरजाला
25	वेंकटपुर
26	मोरीगुड्म
27	गांधी नगर
28	सेरीपुरम
29	कालंकोंडा
30	तिम्मापुर
31	नाकलपेट्टा
32	एस० आर० आर० व गवर्नमेंट पोलिटेकनिल कालेज
33	गंडालपल्ली
34	कोतुलांदुमा
35	पेड्डागुड्डम
36	तिमैयापल्ली
37	इतिकेपल्ली
38	चितूर खम्माम
39	त्रिपुरारम
40	बी० एल० एल० भानूर
41	के० समुद्रपुगातू
42	वीरभद्रपुरम
43	कम्भावरीपालेम
44	इलूंपुरू
45	उत्तमनेल्लोर
46	लिंगुवेन
47	बाल्लीकुरवा

क्र० सं०	स्थान का नाम
48	पथवरम
49	पथकेथारायपल्ली
50	इरुकुपल्ली
51	रावूरू
52	सज्जापुरम
53	इमूरीवरियाप्लाम
54	पुलयगुडेम
55	पर्थाडिडीपालेम
56	अदावी

कश्मीर में उग्रवादियों की घुसपैठ

589. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर के तीसरे सप्ताह में यह सूचना दी गई कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद 300 उग्रवादी पाक-अधिकृत सीमा में हथियारों का प्रशिक्षण प्राप्त करके कश्मीर की घाटी में घुस गए;

(ख) यदि हां, सुरक्षा बलों द्वारा उनकी घुसपैठ न रोक पाने का क्या कारण है;

(ग) घाटी में सक्रिय पाकिस्तानी घुसपैठियों की अब तक की कुल संख्या क्या है; और

(घ) राज्य में उनकी घुसपैठ रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) सीमा पार के कुछ प्रशिक्षित आतंकवादियों के घाटी में चुपचाप छिपकर घुसने की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। सतर्कता तेज करने और अतिरिक्त बलों को तैनात करने के बावजूद सीमा को पूर्णत: सील करना और इसे पूरी तरह से अपारगम्य बनाना कठिन है क्योंकि यहां पर बहुत विस्तृत क्षेत्र, अनेक रास्ते तथा ऊबड़-खाबड़ भूमि है।

तथापि, सुरक्षा बलों द्वारा उठाए गए अनेक कड़े उपायों, जिनमें सीमावर्ती क्षेत्रों में शाम से सबेरे तक का कर्फ्यू लगाना, सतर्कता और आसूचना कार्यों को तेज करना, और गहन रूप से घुसपैठ की जांच करने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती करना शामिल है, से आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में और उनके अन्दर आने/बाहर जाने को रोकने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है, इससे आतंकवादी कार्रवाई में पर्याप्त कमी आई है।

अनुमान है कि घाटी में लगभग 10,000 प्रशिक्षित आतंकवादी हैं, उनमें से सभी सक्रिय नहीं हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में टनकपुर विद्युत परियोजना

590. **श्री बलराज पासी :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टनकपुर विद्युत परियोजना के कब तक पूरा होने की सम्भावना है तथा इसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी और इस परियोजना से उत्तर प्रदेश को कितनी बिजली की सप्लाई होगी;

(ख) क्या इस परियोजना से पर्वतीय क्षेत्र के लोग लाभान्वित होंगे क्योंकि यह परियोजना पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) टनकपुर जल विद्युत परियोजना (3 × 40 मे० वा०) के मार्च, 1992 तक पूरी हो जाने की सम्भावना है। इसकी वार्षिक ऊर्जा उत्पादन क्षमता 460 मिलियन यूनिट है।

उत्तर प्रदेश को सप्लाई की जाने वाली विद्युत की मात्रा :

समग्र उत्पादित ऊर्जा में से 12 प्रतिशत ऊर्जा उत्तर प्रदेश को निःशुल्क सप्लाई की जाएगी, 15 प्रतिशत ऊर्जा विवेकपूर्ण आबंटन के लिए केन्द्र द्वारा आरक्षित रखी जाती है। शेष ऊर्जा उत्तरी क्षेत्र के राज्यों के बीच वितरित की जाती है। उत्तर प्रदेश इस ऊर्जा की मात्रा में से केन्द्रीय योजना सहायता और विगत के पांच वर्षों में उपभोग की गई ऊर्जा के आधार पर अपना हिस्सा प्राप्त करेगा।

(ख) और (ग) उपर्युक्त फार्मूले के आधार पर उत्तर प्रदेश द्वारा टनकपुर विद्युत केन्द्र से प्राप्त की गई विद्युत को राज्य के विभिन्न भागों को राज्य सरकार द्वारा अनुमानित आवश्यकता के अनुसार सप्लाई किया जाएगा।

रुद्रपुर बम विस्फोट पीड़ितों के लिए योजना

591. **श्री बलराज पासी :**
श्री मोहन सिंह :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा रुद्रपुर बम विस्फोट पीड़ितों के लिए कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) चूंकि "लोक-व्यवस्था" राज्य का विषय है, इसलिए कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए विभिन्न उपाय करने और ठोस कदम उठाने और जब कभी आवश्यक

है, राहत देने और कानून और व्यवस्था से प्रभावित व्यक्तियों के लिए अन्य पुनर्वास के उपाय करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। केन्द्र सरकार, जब कभी आवश्यकता होती है, इस संबंध में राज्य सरकारों को सभी संभव सहायता देती है।

आतंकवादियों को रोकने हेतु राज्यों को सहायता

592. **श्री बलराज पासी : क्या गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आतंकवादी गतिविधियों को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) केन्द्र सरकार ने इन गतिविधियों को रोकने हेतु राज्य सरकारों को कितने हथियार दिए, कितनी वित्तीय सहायता आदि दी है; और

(ग) यदि ऐसी कोई सहायता नहीं दी गई तो इसके कारण क्या हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) देश के कुछ भागों में आतंकवादी तत्वों द्वारा उत्पन्न की गई स्थिति की सरकार को पूरी जानकारी है तथा सरकार इस बात के लिए दृढ़ संकल्प है कि पूरे देश में शान्ति, स्थिरता और प्रगति का स्थायी वातावरण बने। इस बारे में सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। प्रभाविन राज्यों को अतिरिक्त अर्ध-सैनिक बल, राज्य पुलिस बलों को प्रशिक्षण सुविधाएं, बेहतर संचार सुविधाएं, इत्यादि उपलब्ध करवा कर केन्द्र सरकार सभी संभव सहायता दे रही है।

रांची में विद्युतीकरण किए गए गांव

593. **श्री रामटहल चौधरी : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के रांची जिले में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया तथा अभी कितने गांवों का विद्युतीकरण होना बाकी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त गांवों के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई तथा उसमें कितनी वृद्धि की गई; और

(ग) उन चालू योजनाओं के नाम क्या हैं जिनके अन्तर्गत गांवों में विद्युतीकरण सुविधाए प्रदान की जा रही हैं ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान रांची जिले में क्रमश: 87, 97 और 26 गांवों का विद्युतीकरण किया गया तथा 1 अप्रैल, 1991 की स्थिति के अनुसार 644 गांवों का विद्युतीकरण किया जाना शेष था।

(ख) से (ग) जिलेवार प्राथमिकताओं तथा आबंटनों का निर्धारण वार्षिक आधार पर, राज्य के समग्र लक्ष्यों तथा योजना आयोग द्वारा निर्धारित आबंटनों पर निर्भर करते हुए, राज्य प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है।

[अनुवाद]

दूरदर्शन केन्द्र, रांची (बिहार)

594. **श्री रामटहल चौधरी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में रांची दूरदर्शन केन्द्र एक गैरेज से कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो दूरदर्शन के लिए नए भवन का निर्माण करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) मौजूदा दूरदर्शन कार्यालय का क्षेत्रफल कितना है तथा इसमें कितने कमरे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी हां। यह कामचलाऊ व्यवस्था है।

(ख) चूंकि रांची में स्टूडियो केन्द्र की स्थापना के लिए परियोजना के आकार को कम करने का अनन्तिम रूप से निर्णय लिया गया है अतः अच्छी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए अन्तरिम व्यवस्था को उसी परिसर में नजदीकी स्थान पर स्थानांतरित करने का कार्यक्रम है।

(ग) दूरदर्शन की मौजूदा कामचलाऊ स्टूडियो व्यवस्था 50 वर्ग मीटर क्षेत्र में है अन्य 50 वर्ग मीटर फ्लोर क्षेत्र प्रोडक्शन स्टाफ के लिए है जिसे उपयुक्त रूप से विभाजित किया गया है।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय पर किया गया व्यय

595. **श्री रामटहल चौधरी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय प्रसार निदेशालय में गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार, कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) क्षेत्रीय प्रसार निदेशालय के लिए बिहार हेतु क्या उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) अभी तक इन उद्देश्यों की कितनी प्राप्ति हुई है;

(घ) क्या सरकार का विचार बिहार में और क्षेत्रीय प्रसार निदेशालयों की स्थापना करने का है; और

(ङ) इस संगठन द्वारा बिहार के बारे में परिचालित की गई सूचना के प्रति बिहार के लोगों की प्रतिक्रिया क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (प्रादेशिक प्रचार निदेशालय नहीं) द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान खर्च की गई क्षेत्रवार राशि को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण में दिया गया है। कुछ क्षेत्र एक से अधिक राज्य/संघ राज्य को कवर करते हैं।

(ख) और (ग) क्षेत्रीय प्रसार निदेशालय के पास बिहार या किसी अन्य राज्य के लिए कोई विशिष्ट उद्देश्य या कार्यक्रम नहीं हैं। निदेशालय के कार्यक्रम प्रादेशिक विषयों की बजाय राष्ट्रीय विषयों पर होते हैं यद्यपि कभी-कभी क्षेत्र या विषय विशेष की आवश्यकताओं के संबंध में अभियान चलाए जाते हैं। बिहार में "काला आजार", "डायरिया", "प्रतिरक्षण" और "प्रौढ़ शिक्षा" पर पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे अभियान चलाए गए हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) अन्य क्षेत्रों की तरह क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के कार्यक्रमों पर बिहार के लोगों की प्रतिक्रिया कार्यक्रमों की किस्म, विषय-वस्तु और प्रचार फार्मेट पर निर्भर करते हुए, अलग-अलग तरह की हैं।

विवरण

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय द्वारा व्यय की गई राशि

(रुपए हजारों में)

क्र० सं० क्षेत्र	1988-89	1989-90	1990-91
1. आंध्र प्रदेश	2317	2725	2900
2. अरुणाचल प्रदेश	2335	2544	3271
3. बिहार (पटना)	2263	2573	2888
4. बिहार (रांची)	1647	1937	1918
5. गुजरात	2085	2270	2493
6. जम्मू कश्मीर	2578	2588	2922
7. कर्नाटक	2125	2526	2535
8. केरल	2261	2328	2747
9. महाराष्ट्र	2492	2857	3011
10. मध्य प्रदेश (भोपाल)	1748	2039	2157
11. मध्य प्रदेश (रायपुर)	1751	2007	2167
12. नागालैंड	2148	2340	2554
13. पूर्वोत्तर शिलांग	2073	2308	2460
14. पूर्वोत्तर गुवाहाटी	2304	2635	3155
15. पूरब-पश्चिम चंडीगढ़	3311	3515	3515
16. उड़ीसा	2070	2539	2663
17. राजस्थान	2478	2757	2896
18. तमिलनाडु	2133	2635	2652
19. उत्तर प्रदेश (लखनऊ)	3037	3061	3301
20. उत्तर प्रदेश (देहरादून)	2392	2707	3089
21. पश्चिम बंगाल (कलकत्ता)	2296	2496	2623
22. पश्चिम बंगाल (सिलीगुड़ी)	1544	1785	1836
	49388	55382	59753

उत्तर प्रदेश में देवरिया/बलिया में टेलीफोन प्रणाली का आधुनिकीकरण

596. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के देवरिया और बलिया जिलों में टेलीफोन प्रणाली का विस्तार करने तथा इसका आधुनिकीकरण करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा इस प्रकार है :

जिला बलिया

सभी 20 टेलीफोन एक्सचेंजों के उपयुक्त क्षमता के आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों द्वारा बदला जा चुका है।

जिला देवरिया

कुल 26 एक्सचेंजों में से 7 एक्सचेंजों को आधुनिक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों द्वारा बदला जा चुका है। 16 टेलीफोन एक्सचेंजों को 1992-93 के दौरान और शेष 3 को 1993-94 के दौरान आधुनिक बनाने और उनका विस्तार करने की योजना है।

[अनुवाद]

विदेशी इलेक्ट्रानिक प्रचार माध्यमों द्वारा भारतीय नभ-मंडल का अतिक्रमण

598. **श्री हरिकिशोर सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ समय से अनेक देशों के इलेक्ट्रानिक प्रचार माध्यम भारतीय नभ-मंडल का अतिक्रमण कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस चुनौती का सामना करने हेतु दूरदर्शन को सक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार का कब तक ठोस कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) उपग्रह के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में विदेशी टी० वी० कार्यक्रम देखे जाते हैं।

(ख) और (ग) दूरदर्शन के कार्यक्रम फार्मेट में गुणात्मक सुधार करने के बारे में सतत प्रयास किए जा रहे हैं ताकि दर्शकों की रुचि कायम रखी जा सके। डिश एंटीना के माध्यम से पड़ोसी देशों में दूरदर्शन कार्यक्रम दिखाए जाने की व्यवस्था की गई है। भारतीय कार्यक्रमों के प्रसारण क्षेत्र में और अधिक विस्तार करने के बारे में विचार-विमर्श और अध्ययन किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में उग्रवादियों द्वारा मारे गए व्यक्ति

599. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में जून से अक्तूबर, 1991 तक की अवधि के दौरान उग्रवादियों द्वारा मारे गए व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पुलिस कार्रवाई में मारे गए उग्रवादियों की संख्या क्या है; और

(ग) सरकार ने उग्रवादियों द्वारा मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजे के रूप में कुल कितनी धनराशि दी है?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

बंगलौर में टेलीफोन कनेक्शन

600. **श्री के० एच० मुनियप्पा :**

श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर में जनवरी और फरवरी, 1991 के दौरान कितने टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किए गए;

(ख) क्या टेलीफोन कनेक्शन दे दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) टेलीफोन कनेक्शन कब तक दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) बेंगलूर में जनवरी और फरवरी, 1991 की अवधि के दौरान 1908 टेलीफोन कनेक्शनों की मंजूरी प्रदान की गई।

(ख) और (ग) मंजूर किए गए 1908 टेलीफोन कनेक्शनों में से 1882 टेलीफोन कनेक्शन लगाए जा चुके हैं।

(घ) लंबित पड़े 26 टेलीफोन कनेक्शनों में से 15 कनेक्शन तकनीकी रूप से व्यवहार्य न होने के कारण लंबित पड़े हैं और 11 टेलीफोन कनेक्शन पार्टी उपलब्ध न होने या पार्टी द्वारा पते आदि में परिवर्तन चाहने के कारण लंबित पड़े हैं।

(ङ) तकनीकी रूप से अव्यवहार्य 15 कनेक्शनों को लगभग 3 महीने की अवधि में प्रदान कर दिए जाने की संभावना है। तथापि, उपभोक्ताओं के निजी कारणों की वजह से लंबित पड़े मामलों में लगने वाला समय, उन उपभोक्ताओं द्वारा औपचारिकताएं पूरी कर देने पर निर्भर करेगा।

एक प्रकाशन से दूसरे प्रकाशन को अख बारी कागज का हस्तांतरण

601. **श्री छीतूभाई गामीत**

श्री दिग्विजय सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों का कोई ग्रुप आवंटित अखबारी कागज को एक प्रकाशन से दूसरे प्रकाशन को हस्तांतरित कर सकता है;

(ख) यदि नहीं, तो यह किस नियम का उल्लंघन है;

(ग) क्या सरकार को अखबारी कागज के हस्तांतरण के बारे में गत तीन वर्षों के दौरान कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जी, नहीं, 1962 के संबंधित अखबारी कागज नियंत्रण आदेश के अनुसार ऐसा किया जा सकता है बशर्ते कि ऐसा ऋण आधार पर किया जाए जिसकी अवधि 3 माह से अधिक न हो और स्थानांतरणकर्ता एवं जिन्हें स्थानांतरित किया गया है वे 30 दिन के अंदर नियंत्रक को इसकी सूचना दें ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) और (ङ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

देश में विविध भारती वाणिज्यिक प्रसारण केन्द्र

602. श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, राज्य-वार "विविध भारती" वाणिज्यिक प्रसारण केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन केन्द्रों की स्थापना करने के संबंध में सरकार की कोई नीति है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान "विशाखापत्तनम बी०" केन्द्र में वाणिज्यिक प्रसारण केन्द्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) देश में इस समय विविध भारती —सह-वाणिज्यिक प्रसारण केन्द्रों की संख्या 30 है । ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) और (ग) विविध भारती केन्द्र स्थापित करने के लिए स्थानों का चयन प्रस्तावित केन्द्र के कवरेज क्षेत्र में संभावित श्रोताओं की संख्या और विज्ञापन राजस्व प्राप्ति के लिए केन्द्र के बाजार की संभावनाओं के आधार पर किया जाता है । यह समुचित वित्तीय साधनों और संबद्ध प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है ।

(घ) और (ङ) फिलहाल विशाखापत्तनम बी० केन्द्र पर वाणिज्यिक रिले केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विवरण

विविध भारती—सह-वाणिज्यिक केन्द्र

क्र० सं०	राज्य/संघशासित क्षेत्र	संख्या
1.	जम्मू एवं कश्मीर	1
2.	पंजाब	1
3.	राजस्थान	2
4.	उत्तर प्रदेश	3
5.	बिहार	2
6.	उड़ीसा	1
7.	पश्चिम बंगाल	1
8.	गोवा	1
9.	गुजरात	3
10.	मध्य प्रदेश	2
11.	महाराष्ट्र	3
12.	आंध्र प्रदेश	2
13.	कर्नाटक	2
14.	केरल	2
15.	तमिलनाडु	2
16.	दिल्ली	1
17.	चंडीगढ़	1
		कुल 30

आंध्र प्रदेश में नये टेलीफोन एक्सचेंज

603. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1991 में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम जिलों में नये टेलीफोन एक्सचेंज खोलने तथा मौजूदा एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाने है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त जिलों में वर्ष 1991-92 में खोले जाने वाले नये टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम जिलों में 1991-92 के दौरान खोले जाने वाले नए टेलीफोन एक्सचेंजों तथा जिन मैनुअल और इलेक्ट्रोमेकेनिकल एक्सचेंजों के स्थान पर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाए जाने हैं, उनके ब्यौरे :—

मद	विशाखापत्तनम जिला	विजयनगरम जिला	श्रीकाकुलम जिला
क. नए एक्सचेंज	डाबा गार्डेन 2000 आर० एल० यू०	—	पिनविनपेटा 25-64 लाइनें
ख. जिन मैनुअल एक्सचेंजों को आटोमेटिक एक्सचेंजों द्वारा बदला जाना है	—	श्रृंगवेरपुकता	इच्छापुरम × पालसा टेक्काली, सोमपेटा
ग. जिन इलेक्ट्रोमेकेनिकल एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज द्वारा बदला जाना है	आरक यादवविराम × देबरपल्लाई × इत्तिकोप्पकका × मोद्दगुला × नक्कापल्ली × के० जे० पुरम × सब्बावरम × तल्लापालम × आनंदपुरम चिन्तापल्ली गुडिपखाडा माधुखाडा मुगप्पका पाखदा एस० रायवरम	भागापुरम राजपति नगरम जानी मक्कुवा सीतानगरम	हीरामंडलम × पोन्दुरु × पटीपत्तनम × फेकाली × बुर्जा × राणास्थालम × बी० एस० पुरम नाउपाडा

× कार्य पूरा कर लिया गया है।

चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

604. श्री पवन कुमार बंसल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के अतिरिक्त पंजाब और हरियाणा राज्य भी स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देते हैं; और

(ख) यदि हां, तो चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा उन स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन क्यों नहीं दी जाती जो इस संघ राज्य क्षेत्र में रहते हैं और पंजाब तथा हरियाणा से पेंशन नहीं लेते हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) दिल्ली प्रशासन की पद्धति पर स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन प्रदान करने के लिए चण्डीगढ़ प्रशासन से प्राप्त प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचाराधीन हैं ।

बिजली की कमी

605. **श्री विजय नवल पाटिल :**
श्री के० प्रधानी :

क्या **विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा बिजली की कमी वाले किन-किन राज्यों की पहचान की गई है;

(ख) राज्यवार इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा बिजली की सप्लाई को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) अप्रैल, 91 --अक्तूबर, 91 के दौरान राज्यवार विद्युत सप्लाई की स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) देश में विद्युत की कमी का मुख्य कारण विद्युत की उपलब्धता की अपेक्षा इसकी मांग का अधिक होना है ।

(ग) विद्युत की उपलब्धता में सुधार किए जाने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं; नई विद्युत उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करना, लघु अवधि में निर्माण की जाने वाली परियोजनाओं को क्रियान्वित करना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्य- निष्पादन मे सुधार करना, पारेषण और वितरण सम्बन्धी हानियों की मात्रा में कटौती करना, मांग प्रबंध तथा ऊर्जा संरक्षण सम्बन्धी उपायों को क्रियान्वित करना तथा अधिशेष ऊर्जा वाले क्षेत्रों से ऊर्जा की कमी वाले क्षेत्रों को ऊर्जा का अन्तरण करना ।

विवरण

अक्तूबर, 1991 के लिए विद्युत सप्लाई की वास्तविक स्थिति तथा अप्रैल, 1991—अक्तूबर, 1991 के लिए संचयी विद्युत सप्लाई की स्थिति (आंकड़े मिलियन यूनिट निबल)

क्षेत्र/राज्य/प्रणाली	अक्तूबर, 1991				अप्रैल, 1991—अक्तूबर, 1991			
	मांग	उपलब्धता	कमी	(%)	मांग	उपलब्धता	कमी	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तरी क्षेत्र								
चंडीगढ़	49	49	0	0.0%	400	400	0	0.0%
दिल्ली	730	729	1	0.1%	5622	5558	64	1.1%
हरियाणा	960	944	16	1.7%	6216	6090	126	2.0%
हिमाचल प्रदेश	117	117	0	0.0%	843	838	5	0.6%
जम्मू एवं कश्मीर	265	247	18	6.8%	1765	1702	63	3.6%
एन० एफ० एफ० सहित	1350	1294	56	4.1%	11533	10629	904	7.8%
पंजाब								
राजस्थान	1140	1136	4	0.4%	6985	6941	44	0.6%
उत्तर प्रदेश	2730	2495	235	8.6%	18175	16325	1850	10.2%
जोड़ (उत्तरी क्षेत्र)	7341	7011	330	4.5%	51539	18483	3056	5.9%
पश्चिमी बंगाल								
गुजरात	2280	2161	119	5.2%	14175	13672	503	3.5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मध्य प्रदेश	1900	1795	105	5.5%	11050	10637	413	3.7%
महाराष्ट्र	3900	3684	216	5.5%	23815	22800	1015	4.3%
गोवा	59	59	0	0.0%	374	374	0	0.0%
जोड़ (प० क्षे०)	8139	7699	440	5 4%	49414	47483	1931	3 9%
दक्षिणी क्षेत्र								
आंध्र प्रदेश	2140	2101	39	1.8%	13545	12494	1051	7.8%
कर्नाटक	1650	1236	414	25.1%	11145	8317	2828	25.4%
केरल	635	626	9	1.4%	4230	4079	151	3.6%
तमिलनाडु	1900	1792	108	5.7%	13465	12658	807	6.0%
जोड़ (द० क्षे०)	6325	5755	570	9.0%	42385	37548	4837	11.4%
पूर्वी क्षेत्र								
बिहार	700	494	206	29.4%	4240	2893	1347	31.8%
डी० वी० मी०	635	514	121	19.1%	4370	3555	815	18.6%
उड़ीसा	665	634	31	4.7%	4735	4317	418	8.8%
पं० बंगाल	1000	904	36	9.6%	6725	6086	639	9.5%
जोड़ (पू० क्षे०)	3000	2546	454	15.1%	20070	16851	3219	16.0%
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	287	272	15	5.2%	1881	1766	115	6.1%
अखिल भारत	25092	23283	1809	7.2%	165289	152131	13158	8.0%

प्रसार भारती अधिनियम के कार्यान्वयन में विलंब

606. श्री विश्वनाथ शास्त्री :
श्री राम विलास पासवान :
श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसार भारती अधिनियम, 1990 के कार्यान्वयन में काफी विलम्ब हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इसे कार्यान्वित करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) प्रसार भारती की स्थापना करने से पहले कई आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने और अनेक कदम उठाने की आवश्यकता है। यह मुद्दा मंत्रालय के ध्यान में है और सरकार इसके लिए वचनबद्ध है।

[हिन्दी]

आयातित कागज की मूल्य वृद्धि को वापस लेने की मांग

607. श्री साइमन मराण्डी :
श्री प्रकाश बापू वसंत राव पाटिल :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न समाचार पत्र संगठनों के प्रतिनिधियों ने आयातित और स्वदेशी अखबारी कागज के मूल्यों में की गई वृद्धि को वापस लेने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने आयातित और स्वदेशी अखबारी कागज की मूल्य वृद्धि को वापस लेने के बारे में अभी तक क्या कार्यवाही की है;

(ग) समाचार पत्र उद्योगों को अखबारी कागज की सप्लाई करने हेतु क्या मानदंड रखे गए हैं; और

(घ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां पर इन मानदंडों का जनवरी, 1991 से अभी तक पालन किया जा रहा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी हां।

(ख) जहां तक राज्य व्यापार निगम द्वारा ऋणों को आगे ले जाए जाने और अवमूल्यन के कारण आयातित अखबारी कागज की कीमत में वृद्धि का संबंध है, इस समस्या का समाधान हो चुका है और इस संबंध में लिये गए निर्णय की घोषणा 20-8-91 को लोक सभा में कर दी गयी थी। इस समय देशी अखबारी कागज की कीमतों पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है और इसका निर्धारण वाणिज्यिक बाजार की प्रवृत्तियों के आधार पर किया जाता है जबकि आयातित अखबारी कागज की कीमतें राज्य व्यापार निगम द्वारा अनुबंधित प्राप्ति की कीमत पर निर्भर करती हैं।

(ग) समाचार पत्रों को अखबारी कागज का आबंटन सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित अखबारी कागज आबंटन नीति के अनुसार भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा किया जाता है। तत्पश्चात् अखबारी कागज की आपूर्ति देशी अखबारी मिलों और राज्य व्यापार निगम द्वारा की जाती है।

(घ) अखबारी कागज आबंटन नीति देश में प्रकाशित सभी समाचार पत्रों पर लागू होती है चाहे वे किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के हों।

असम में सेना तैनात करना

608. **श्री साइमन मरान्डी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यूनाइटेड लिबरेशन फ्रन्ट आफ असम की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए असम के कई जिलों में सेना तैनात कर दी है;

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन से जिले हैं और यहां सेना कब से तैनात की गई है;

(ग) इस पर अब तक हुए महावार खर्च का ब्यौरा क्या है;

(घ) उल्फा समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इनका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) 1 जुलाई, 1991 से उल्फा आतंकवादियों द्वारा मारे गए, गंभीर रूप से घायल किए गए तथा अपहरण किए गए व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) संपूर्ण असम राज्य को, "सशक्त बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958" के अन्तर्गत "विक्षुब्ध क्षेत्र" घोषित किया गया है। राज्य सरकार के अनुरोध पर, असम में नागरिक प्राधिकारियों की मदद के लिए सेना तैनात की गई है।

(ग) असम में सेना की तैनाती पर होने वाला मासिक व्यय 6.3 करोड़ रु० है।

(घ) राज्य सरकार ने अनेक बार, उल्फा से हिंसा त्यागने, भारत के संविधान को स्वीकार करने, बंधकों को रिहा करने और समझौता वार्ता के लिए आगे आने के लिए कहा है। सद्भावपूर्ण वातावरण उत्पन्न करने के लिए राज्य सरकार ने लगभग 500 उल्फा बंदियों को भी रिहा किया है।

(ङ) 1 जुलाई, 1991 से, उल्फा 142 हिंसक घटनाओं के लिए जिम्मेवार हैं जिसमें 53 व्यक्तियों की जानें गईं और 41 अन्य जख्मी हुए। इनमें अपहरण की 65 घटनाएं भी सम्मिलित हैं, जिनमें 81 व्यक्तियों का अपहरण किया गया और 17 व्यक्ति मारे गए।

महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश के मुख्यालयों में एस० टी० डी० सुविधा

609. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों को एस० टी० डी० सुविधा से जोड़ दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो सभी जिलों को एस० टी० डी० से कब तक जोड़े जाने की सम्भावना है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी नहीं ।

(ख) मार्च, 1992 तक ।

[अनुवाद]

गुजरात के स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन

610. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन के लिए गुजरात के जाम नगर तथा अन्य जिलों से 1 जनवरी, 1989 से 31 अक्तूबर, 1991 तक प्राप्त कुछ आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसके कारण क्या हैं; और

(ग) जामनगर जिले के ऐसे स्वतन्त्रता सेनानियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें पेंशन मिल रही है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) इस अवधि के दौरान जामनगर जिले सहित गुजरात राज्य से प्राप्त आवेदन पत्रों में से केवल 9 आवेदन पत्रों को रद्द किया गया ।

(ख) ये, केन्द्रीय पेंशन योजना के अन्तर्गत निर्धारित मानदण्ड पूरा नहीं करते थे ।

(ग) इस अवधि के दौरान जामनगर जिले के स्वतन्त्रता सेनानी से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए उन्हें पेंशन स्वीकार करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

[हिन्दी]

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन

611. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के रोहिणी, राजा गार्डन, जनकपुरी, शाहदरा तथा लक्ष्मी नगर टेलीफोन एक्सचेंजों में ओ० बी० के जारी किए जाने के बाद भी जनता को कई महीनों तक टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिए जाने की शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कारंवाई की है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां ।

(ख) रोहिणी एक्सचेंज में इस समय कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं है और राजौरी गार्डन, जनकपुरी, शाहदरा और लक्ष्मी नगर एक्सचेंज क्षेत्रों में केबिल पेयर्स उपलब्ध न होने के कारण इनके कुछ पॉकिट तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं हैं ।

(ग) रोहिणी के सैक्टर IX में एक नया टेलीफोन एक्सचेंज लगाया जा रहा है और

दिसंबर, 1991 के अन्त तक इसके चालू हो जाने की संभावना है। जहां तक राजौरी गार्डन, जनकपुरी, शाहदरा और लक्ष्मीनगर एक्सचेंज क्षेत्रों का संबंध है वहां नए केबिल बिछाकर और पेयर गेन प्रणालियों की मदद से केबिल नेटवर्क का विस्तार करने की कार्रवाई की जा चुकी है। 31-3-92 तक इन सभी लंबित पड़े हुए मामलों को निपटा दिए जाने की आशा है।

पत्रकारों को टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए नियम

612. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राथमिकता के आधार पर पत्रकारों को टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए कोई नियम निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) मान्यता-प्राप्त पत्रकार टेलीफोन कनेक्शन के आबंटन के लिए गैर ओ० आई० टी० विशेष श्रेणी के अंतर्गत अपना नाम दर्ज करा सकते हैं, जो एक अग्रता प्राप्त श्रेणी है।

पत्रकारों के टेलीफोनों में खराबियां

613. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली टेलीफोन निगम ने पत्रकारों को टेलीफोन संबंधी खराबियों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए कोई विशेष व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो समय से टेलीफोन खराबियों को ठीक न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां। प्रत्यायित पत्रकारों के लिए ऐसी व्यवस्था है।

(ख) जब प्रत्यायित पत्रकारों के टेलीफोन खराब होने की जानकारी मिलती है तो उन्हें तत्काल ठीक कर दिया जाता है। तथापि, जो भूमिगत केबिल खराब होने के कारण दोषपूर्ण हो गए हैं या जिनकी चोरी हो गई है, ऐसे मामलों में कुछ अधिक समय लगता है।

(ग) जैसे ही जानकारी प्राप्त होती है, दोष को ठीक करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाती है। इन शिकायतों को संबंधित अधिकारी की देख-रेख में ध्यानपूर्वक निपटाया जाता है और इन्हें क्षेत्रीय प्रबंधक/क्षेत्रीय महाप्रबंधक के स्तर पर मानीटर किया जाता है।

[अनुवाद]

राजनयिक मिशनों की सुरक्षा

614. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** :
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल में रोमानिया के राजनयिक के अपहरण की घटना को देखते

हुए सरकार का विचार नई दिल्ली में राजनयिक मिशनों को अतिरिक्त सुरक्षा उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो नई दिल्ली में स्थित उन राजनयिक मिशनों का ब्यौरा क्या है, जिन्होंने अतिरिक्त सुरक्षा की मांग है; और

(ग) नई दिल्ली राजनयिक मिशनों को दोषरहित सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार का अन्य क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) नई दिल्ली में रोमानिया के राजनयिक के अपहरण होने के बाद दिल्ली स्थित राजनयिक मिशनों की सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की जा रही है और जहां कहीं आवश्यकता समझी गई उसे सुदृढ़ किया गया।

(ख) संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, लिबनान, रोमानिया, यू० एस० एस० आर०, मिश्र, तुनेसिया, नीदरलैंड, यूगोस्लाविया, सउदी अरबिया, स्पेन, कुवैत, डेनमार्क तथा थाईलैंड के राजनयिक मिशनों ने अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की है।

(ग) राजनयिक मिशनों की सुरक्षा व्यवस्थाओं की सावधिक रूप से समीक्षा की जाती है और आवश्यकता महसूस होने पर उसे सुदृढ़ किया जाता है।

रूमानिया के राजनयिक का अपहरण

615. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** :
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :
डा० सी० सिलवेरा :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लिबरेशन टाइगर फोर्स आफ खालिस्तान ने हाल ही में नई दिल्ली में रूमानिया के प्रभारी राजदूत के अपहरण की जिम्मेवारी ली है;

(ख) क्या सरकार रूमानिया के प्रभारी राजदूत को उग्रवादियों के चंगुल से मुक्त कराने में असफल रही है;

(ग) क्या उग्रवादी अपहृत राजनयिक के बदले में अनेक दुर्दान्त उग्रवादियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है तथा रूमानिया के राजदूत की सुरक्षित रिहाई के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) नई दिल्ली में रोमानिया के दूतावास के प्रभारी राजदूत का 9 अक्तूबर, 1991 को अपहरण किया गया था। अपहृत राजनयिक को तलाश करने के लिए गहन अभियान चलाए गए।

विभिन्न उग्रवादी संगठनों ने इस अपहरण की जिम्मेदारी लेने के बारे में प्रेस मे बयान

जारी किए हैं तथा लिबरेशन टाइगर फोर्स आफ खालिस्तान उनमें से एक है। बदले में कई कट्टर आतंकवादियों की रिहाई की मांग भी की गई हैं।

सरकार द्वारा राजनयिक का पता लगाने और सुरक्षित रूप से वापस लाने तथा अभियुक्तों का पता लगाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

अपराधों में वृद्धि

616. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री पंकज चौधरी :
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :
डा० सी० सिलवेरा :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 अक्तूबर, 1991 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "स्टीप राइज इन क्राइम ग्राफ" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में दिल्ली पुलिस बल के कार्यों की समीक्षा की है;

(ग) क्या सरकार का बढ़ते हुए अपराधों को देखते हुए दिल्ली पुलिस बल के गठन को चुस्त बनाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) जी हां, श्रीमान्। हिन्दुस्तान टाइम्स के 30 अक्तूबर, 1991 के अंक में "स्टीप राईज इन क्राइम ग्राफ" नामक एक समाचार प्रकाशित हुआ है।

(ख) से (घ) दिल्ली पुलिस के सम्पूर्ण कार्य की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। हाल ही में राज्य मन्त्री और गृह मन्त्री के स्तर पर समीक्षा-बैठकें की गयीं। दिल्ली पुलिस के कार्यकरण और दक्षता में सुधार करने के लिए कुछ उपाय शुरू किए गए हैं।

डाक से भेजी जाने वाली वस्तुओं के द्वार पर वितरण को रोकने के लिए मुम्बई में सम्मेलन

617. **श्री राम नाईक** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि 21 अक्तूबर, 1991 को मुम्बई में बहुमंजिला इमारतों में डाक से भेजी जाने वाली गैर-पंजीकृत वस्तुओं की डोर-डिलीवरी को रोकने के लिए डाक-विभाग के निर्णय के विरुद्ध एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में भाग लेने वाले विभागीय अधिकारियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सम्मेलन द्वारा कोई प्रस्ताव पारित किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां। डाक वित-

रण आदेश, 1991 के खिलाफ विरोध प्रकट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बम्बई में 21 अक्तूबर, 1991 को एक सम्मेलन किया था।

(ख) इस सम्मेलन में बम्बई क्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल, बम्बई क्षेत्र के निदेशक डाक सेवा तथा बम्बई (सिटी) क्षेत्र के निदेशक डाक सेवा ने भाग लिया था।

(ग) जी हां।

(घ) सोमवार, 21 अक्तूबर, 1991 को पेश किए गए संकल्प का सारांश विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

सारांश

श्री चन्द्रशेखर की केयर टेकर सरकार ने बहुमंजिले भवनों में, ग्राउंड फ्लोर को छोड़कर, अन्य मंजिलों में डोर-टू डोर डिलीवरी रोकने के बारे के 29 मई, 1992 को एक वैधानिक आदेश जारी किया। इस बारे में विस्तार से आदेश 18 जुलाई, 1991 को किए गए। महाराष्ट्र के पोस्ट-मास्टर जनरल ने इन आदेशों को बम्बई में लागू किया। सम्मेलन ने इस सरकारी आदेश को 1 नवंबर, 1991 से लागू करने के निर्णय की निन्दा की है। संकल्प में यह उल्लेख किया गया है कि बम्बई के कुछ पुराने भवनों में ग्राउंड फ्लोर पर संभवतः इतनी जगह नहीं है। संकल्प में यह भी कहा गया है कि इस आदेश को वापस लिया जाना चाहिए। संकल्प में आह्वान किया गया है कि उपभोक्ता इस आदेश के खिलाफ संगठित हों।

ठाणे जिले के डाक कर्मचारियों को भत्ता

618. **प्रो० राम कापसे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भायन्देर, मीरा और उत्तन (जिला ठाणे, महाराष्ट्र) के डाक कर्मचारियों को मुम्बई शहर के डाक कर्मचारियों के बराबर मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिकरात्मक भत्ता नहीं दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस असमानता के क्या कारण हैं; और

(ग) इस असमानता को दूर करने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि भायन्देर, मीर और उत्तान (सही नाम) अपने आपमें नगर निगम क्षेत्र हैं अतः इन क्षेत्रों में काम कर रहे डाक कर्मचारी वित्त मंत्रालय के मौजूदा आदेशों के अनुसार मुम्बई शहर की दरों पर मकान किराया भत्ता पाने के पात्र नही हैं। इसके अलावा वे नगर प्रतिपूर्ति भत्ता पाने के भी पात्र नहीं हैं।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिजली घरों पर खर्च हुई धनराशि

619. **श्री छेदी पासवान :**

श्री श्रीकान्त जेना :

क्या **विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिजली घरों के संचालन, पारेषण तथा वितरण पर होने वाले घाटों के कारण सरकार का राज्य-वार कुल कितनी धन खर्च हुआ;

(ख) इस संबंध में सरकार ने बिहार तथा उड़ीसा में पिछले तीन वर्षों के दौरान क्या कदम उठाए; और

(ग) प्रतिवर्ष किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

नई दिल्ली नगर पालिका में भ्रष्टाचार और गबन को रोकने के लिए कदम

620. **श्री छेदी पासवान** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान नई दिल्ली नगर पालिका में सरकार द्वारा भ्रष्टाचार और गबन के कितने मामले पकड़े गए;

(ख) इन मामलों में कुल कितने कर्मचारी और अधिकारी दोषी पाए गए; और

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय द्वारा बिहार से संबद्ध कार्यक्रम दिखाना

621. **श्री छेदी पासवान** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय द्वारा बिहार से संबद्ध कार्यक्रमों को दिखाने के संबंध में गत तीन वर्षों के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन लक्ष्यों की कितनी प्राप्ति की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के कार्यक्रम सामान्यत: किसी राज्य के लिए लक्षित नहीं होते किंतु फिल्म प्रदर्शनों, जीवन्त कार्यक्रमों, फोटो प्रदर्शनियां इत्यादि के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय एकता, सामुदायिक सद्भाव, परिवार कल्याण, प्रौढ़ शिक्षा इत्यादि की भावना उत्पन्न करने का लक्ष्य रखता है । बिहार में गत तीन वर्षों के दौरान प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय द्वारा निष्पादित बिहार से संबद्ध कार्यक्रम

क्रम सं०	वर्ष	फिल्म शो	फोटो प्रदर्शनी	गीत और नाटक कार्यक्रम	सेमिनार/संगोष्ठियां इत्यादि	वाद/विवाद/वाक प्रति-योगिता	सामूहिक चर्चा	जन प्रति-क्रिया
1.	1988	5535	3561	236	33	109	5670	470
2.	1989	5012	3552	194	61	158	5071	334
3.	1990	3913	2761	230	30	—	3747	129

[अनुवाद]

भारत-पाक सीमा से होकर हथियारों की तस्करी

622. श्री छेदी पासवान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगानगर जिले के साथ लगने वाली भारत-पाक सीमा पर पाकिस्तान से भारत में भारी मात्रा में हथियार और गोली-बारूद की तस्करी की जा रही है;

(ख) यदि हां तो पिछले तीन महीनों के दौरान कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए तथा उनसे कितनी मात्रा में हथियार बरामद किए गए; और

(ग) भविष्य में इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) यह सच है कि गंगानगर जिले से लगी भारत-पाक सीमा से पाकिस्तान से भारत में हथियारों और गोला-बारूद की तस्करी करने के प्रयास किए गए हैं।

(ख) गत तीन के महीनों दौरान गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या और उनसे बरामद किए गए हथियारों की मात्रा नीचे दी गई है :—

गिरफ्तार किए गए : 101

बरामद किए गए हथियारों की मात्रा :

(i) ए० के० 56 राइफल्स	34 नं०
(ii) मैगज़ीन एमोर्टेड	142 नं०
(iii) पिस्तौल	06 नं०
(iv) ग्रेनेड लांचर	01 नं०

(ग) तस्करी को रोकने के लिए सीमा बलों को उनकी संख्या बढ़ाकर तथा उपकरणों व हथियारों दोनों से सुदृढ़ किया गया है। विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में सीमा पर बाड़ तथा तेज रोशनी लगायी

जा रही है। सीमा बलों के आसूचना तंत्र को भी सक्रिय किया गया है और सीमा पर अधिक निगरानी रखने के लिए उसे और सुदृढ़ किया गया है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में पिछड़े जिलों की पंचायतों को टेलीफोन

623. **श्री पंकज चौधरी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराजगंज, गोरखपुर आदि जैसे अत्यन्त पिछड़े जिलों को ग्राम पंचायतों की उच्च प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ये सेवायें उपलब्ध कराई जायेंगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां।

(ख) ब्योरा इस प्रकार हैं :—

31-10-1991 की स्थिति :

	गोरखपुर जिला	महाराजगंज जिला
31-3-1991 को कार्यरत टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या	15	11
1991-92 के दौरान जिन ग्राम पंचायतों में टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई उसकी संख्या	74	63

शेष ग्राम पंचायतों में 31-3-1995 तक टेलीफोन सुविधा प्रदान किए जाने की योजना है।

देश की पंचायतों में डाकघर

624. **श्री पंकज चौधरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की विभिन्न पंचायतों में डाकघर खोलने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सरकार का पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों अर्थात महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, गोंडा आदि को प्राथमिकता देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो ये डाकघर कब तक खोले जायेंगे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर, वित्त संबंधी दूरी और जनसंख्या संबंधी निर्धारित मानदंडों को ध्यान में रखकर खोले जाते हैं। डाकघर खोलने के लिए पंचायतों के मुख्यालयों को वरीयता दी जाती है, बशर्ते कि वह इन मानदंडों को पूरा करते हों।

(ख) और (ग) हालांकि, डाकघर खोलने के मामले में पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों को कोई

प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, फिर भी, इस वर्ष, अर्थात् 1991-92 में महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया और गोंडा में निम्नलिखित संख्या में डाकघर खोलने का प्रस्ताव है :

महाराजगंज	6
गोरखपुर	9
देवरिया	20
गोंडा	14

उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियां

625. **श्री मोहन सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों को रोकने हेतु केन्द्र से केन्द्रीय सुरक्षा बलों की मांग की थी;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने सुरक्षा बलों की मांग की गई थी और इनकी मांग कब की गई थी;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा अर्ध सैनिक बलों के कितने दल भेजे गये थे; और

(घ) क्या राज्य सरकार ने बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों को रोकने हेतु कोई अन्य योजना केन्द्र को भेजी है और यदि हां, तो उक्त योजना को स्वीकृति प्रदान करने में केन्द्र सरकार को क्या कठिनाइयां पेश आ रही हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश सरकार से कानून और व्यवस्था की ड्यूटी करने के लिए अर्ध-सैनिक बलों की 76 कम्पनियां भेजने के बारे में अक्तूबर, 1991 में अनुरोध प्राप्त हुआ था। विभिन्न पहलुओं, जैसे बलों की उपलब्धता, इत्यादि, को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार को जितनी अधिक से अधिक संभव हो सकती थी, अतिरिक्त कम्पनियां उपलब्ध कराई गई थीं।

(घ) जी नहीं, श्रीमान् ।

देश में ग्रामीण क्षेत्रों और न्याय पंचायतों में डाकघर

626. **श्री मोहन सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सभी ग्रामीण क्षेत्रों और न्याय पंचायतों में डाकघर खोलने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो क्या पांच हजार से अधिक की जनसंख्या वाले सभी गांवों में डाकघर खोले जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी नहीं।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर वित्त संबंधी, दूरी और जनसंख्या संबंधी निर्धारित मानदंडों को ध्यान में रखकर खोले जाते हैं। डाकघर खोलने के लिए पंचायतों के मुख्यालयों को वरीयता

दी जाती है बशर्ते कि वे इन मानदंडों को पूरा करते हों। ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलने के मानदंडों नीचे दिए गए हैं :—

1. जनसंख्या :—

(क) सामान्य क्षेत्रों में :—3000, गांवों के एक ग्रुप की जनसंख्या (पी० पी० ओ० ग्राम सहित)

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में :—किसी एक गांव की जनसंख्या 500 अथवा गांवों के एक ग्रुप की जनसंख्या 1000

2. दूरी :—

(क) सामान्य क्षेत्रों में : नजदीकी डाकघर से न्यूनतम दूरी 3 किलोमीटर हो।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में : पहाड़ी इलाकों के मामले को छोड़कर, दूरी की सीमा वही होगी जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। उन मामलों में जहां विशेष परिस्थितियों में ऐसी छूट देने का औचित्य होगा, निदेशालय द्वारा छूट दी जा सकती है लेकिन इन विशेष परिस्थितियों का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

3. अनुमानित आय :—

(क) सामान्य क्षेत्रों में :—न्यूनतम अनुमानित आय लागत का 33-1/3 प्रतिशत होगी।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में :—न्यूनतम अनुमानित आय लागत का 15 प्रतिशत होगी।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में मंगलागिरि में प्रसारण शक्तिवर्धक यन्त्र लगाना

627. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में छठी बटालियन और इसके आस-पास के मंगलागिरि के क्षेत्रों में, जो पहाड़ियों के निकट हैं, लगे हुए टेलीविजनों पर कोंडापल्ली दूरदर्शन केन्द्र से रिले कार्यक्रम दिखाई नहीं देते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मंगलागिरि शहर के टेलीविजन प्रयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए मंगलागिरि में प्रसारण शक्तिवर्धक यन्त्र लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) मंगलागिरि सहित गुंटूर जिला, विजयवाड़ा (कोंडापल्ली हिल्स) में कार्यरत उच्च शक्ति 10 कि० वा० टी० वी० ट्रांसमीटर के कवरेज क्षेत्र में आता है। तथापि, मंगलागिरि के आस-पास की भू-भागीय

परिस्थितियों के कारण कुछ शेडो क्षेत्र बन जाता है। इन शेडो क्षेत्रों को टी० वी० सेवा प्रदान करना, इस प्रयोजन के लिए साधनों की भावी उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

त्वरित डाक सेवा के लिए अलग विमान सेवाएं

628. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग त्वरित डाक सेवा के लिए अलग विमान सेवाएं आरम्भ करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अलग विमान सेवाएं आरम्भ करने पर कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(ग) इन सेवाओं के प्रथम चरण में किन-किन शहरों को जोड़ा जायेगा ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र में कुरिअर सेवा

629. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न महत्वपूर्ण शहरों और कस्बों के बीच कुरिअर सेवा के नाम से एक अलग डाक सेवा विद्यमान है;

(ख) क्या इस सेवा का संचालन गैर-सरकारी क्षेत्र से हो रहा है अथवा सरकारी क्षेत्र से;

(ग) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में इस सेवा का संचालन सरकार की अनुमति से किया जा रहा है और क्या सरकार इस सेवा द्वारा भेजी गई सभी वस्तुओं की सुरक्षा की जिम्मेवार है; और

(घ) क्या सरकार का विचार डाक सेवा को निजी क्षेत्र में सौंपने का है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) जी हां। देश में, निजी क्षेत्र में, बड़ी संख्या में कुरियर सेवाएं चल रही हैं।

(ग) जी नहीं। इनमें से किसी को भी डाक विभाग ने कोई अनुमति नहीं दी है। इनके माध्यम से भेजी गई वस्तुओं की सुरक्षा के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं है।

(घ) जी नहीं।

[हिन्दी]

बिहार में हजारीबाग में सुपर ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना

630. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के हजारीबाग जिले में एक सुपर ताप विद्युत स्टेशन स्थापित करने का है;

(ख) क्या उक्त विद्युत स्टेशन की स्थापना के बाद बिहार में विद्युत संकट दूर हो जाने

की संभावना है तथा इस क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले नए उद्योगों को भी पर्याप्त बिजली उपलब्ध होगी; और

(ग) क्या सरकार का विचार बिहार में विद्युत संकट की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सुपर ताप विद्युत स्टेशन पर निर्माण कार्य शुरू कर इसे पूरा करने का है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम से हजारीबाग जिले में उत्तरी करणपुरा सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-1 (2 × 500 मेगावाट) की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने प्रस्ताव को पर्यावरणीय स्वीकृति, जल की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने सहित कुछ शर्तों के तहत तकनीकी आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत कर दिया है। इन मुद्दों के समाधानोपरांत परियोजना के लिए निवेश सम्बन्धी अनुमोदन अपेक्षित होगा। बिहार, केन्द्रीय ताप विद्युत केन्द्रों से विद्युत के आबंटन हेतु केन्द्रीय फार्मूले के अनुसार इन परियोजनाओं से विद्युत के आबंटन का हकदार है।

[अनुवाद]

पंजाब के साथ लगने वाली चंडीगढ़ की सीमा का पुन:निर्धारण

631. **श्री गुरुदास कामत :**
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के साथ लगने वाली चंडीगढ़ की सीमा का पुन:निर्धारण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसके कारण क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

मध्य प्रदेश में विदेशी मिशनरी

632. **श्री गुरुदास कामत :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में कार्यरत विदेशी मिशनरियों को देश छोड़ने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ये मिशनरी कब से देश में कार्यरत हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान्। तीन को देश छोड़ने के नोटिस जारी किए गए है।

(ख) उन्होंने विदेशी राष्ट्रिकों से संबंधित नियमों का उल्लंघन किया था।

(ग) वे तीस वर्ष से अधिक समय से देश में कार्य कर रहे थे।

संसद सदस्यों के लिए एस० टी० डी० की सुविधाएं

633. श्री गुरुदास कामत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संसद सदस्यों के लिए संसद भवन में एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सुविधा भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए भी होगी;

(ग) क्या इसका व्यय सरकार वहन करेगी; और

(घ) यदि हां, तो इस सुविधा पर प्रतिवर्ष कितना अनुमानित व्यय होगा ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) :(क) जी हां।

(ख) जी नहीं। यह सुविधा केवल वर्तमान संसद सदस्यों के लिए राज्य सभा और लोक सभा की "इनर लोबी" में प्रदान की गई है।

(ग) और (घ) इस पर होने वाले व्यय को वहन करने का प्रश्न संचार मंत्रालय के विचाराधीन है जो इस संबंध में संसदीय कार्य मंत्रालय से परामर्श कर रहे हैं।

[हिन्दी]

बिहार और गुजरात के विद्युत स्टेशन

634. श्री काशीराम राणा : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गुजरात और बिहार में विद्युत स्टेशनों के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्माण कार्य योजनाबद्ध रूप से चल रहा है अथवा नहीं;

(ख) कितनी परियोजनाओं में निर्माण कार्य योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सूरत/बड़ोदरा के टेलीफोन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण

635. श्री काशीराम राणा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में सूरत और बड़ोदरा के टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार एवं आधुनिकीकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां।

(ख) 1991-92 में सूरत टेक्सटाइल मार्केट में 10,000 लाइनों का एक ई-10 बी टाइप इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज चालू किए जाने की योजना है जिसमें से 4,000 लाइनें पहले ही चालू की जा

चुकी हैं। 1991-92 में राणदेरपोल (माजुरा) में 1,000 लाइनों का एक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज भी चालू किए जाने की योजना है।

1991-92 में बड़ोदरा में 14,000 लाइनों का एक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज संस्थापित किए जाने की योजना है जिसके ब्यौरे इस प्रकार हैं :

क्रम सं० नाम	क्षमता
1. सिटी एक्सचेंज	5000 लाइनें
2. अल्कापुरी	5000 लाइनें
3. मकरपुरा	2000 लाइनें 18,000 लाइनों का एम० ए० एक्स-II एक्सचेंज के स्थान पर
4. कोयाली	2000 लाइनें 1400 लाइनों का एम० ए० एक्स-II एक्सचेंज के स्थान पर

गुजरात में गांवों का विद्युतीकरण

636. श्री काशीराम राणा : क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, गुजरात में, जिलावार, कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन गांवों के लिए कितनी धन-राशि नियत की गई तथा इस संबंध में कितनी धन-राशि खर्च भी की गई; और

(ग) इन गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा कौन-सी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) गुजरात राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान लगभग 45 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर 30 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है। उक्त विद्युतीकृत गांवों का जिलेवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

जिला	1988-89	1989-90	1990-91
कच्छ	5	—	—
जूनागढ़	15	—	—
डांग	5	—	—
पंचमहल	—	5	—

गुजरात राज्य बिजली बोर्ड ने उपर्युक्त गांवों के विद्युतीकरण के बाद कुछ असंभाव्य गांवों को छोड़कर समूचे राज्य के शत-प्रतिशत विद्युतीकरण की घोषणा की है।

उड़ीसा में डाकघर, तारघर और टेलीफोन एक्सचेंज

637. **श्री श्रीकांत जेना** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उड़ीसा में डाकघरों, तारघरों और टेलीफोन एक्सचेंजों का, जिला-वार, ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इनकी संख्या वर्तमान जनसंख्या को देखते हुए उचित अनुपात में है;

(ग) यदि हां, तो इनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इनकी संख्या बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) **डाकघर** :—डाकघर, जनसंख्या, दूरी और आय संबंधी निर्धारित मानदंडों को ध्यान में रखकर खोले जाते हैं। तथापि, किसी स्थान विशेष में, इस तथ्य के बावजूद कि वहां डाकघर है या नहीं, मूलभूत डाक सुविधाएं उपलब्ध हैं। उड़ीसा के बोलनगीर जिले को छोड़कर अन्य जिलों में प्रत्येक डाकघर द्वारा जितनी औसत जनसंख्या को सेवा प्रदान की जाती है, वह प्रति डाकघर द्वारा सेवा प्रदान की जाने वाली अखिल भारतीय औसत जनसंख्या के बराबर है। 31-3-1991 की स्थिति के अनुसार यह औसत प्रति डाकघर 4607 है।

तारघर :—प्रति लाख जनसंख्या के पीछे 4.8 तारघरों के राष्ट्रीय औसत की तुलना में उड़ीसा में प्रति लाख जनसंख्या के पीछे 6.7 तारघर हैं और यह औसत राष्ट्रीय स्तर से काफी अधिक है।

(ग) **टेलीफोन एक्सचेंज** :—

(ख), (ग) और (घ) पिछले दो वर्षों (1989-90, 1990-91) के दौरान राज्य में टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार किया गया गया। फलस्वरूप कुल स्विचलन क्षमता में 20949 लाइनों की वृद्धि तथा 17461 नए टेलीफोन कनेक्शनों का इजाफा हुआ। दूरसंचार विभाग के 8वीं पंचवर्षीय योजना मसौदे के अनुसार, हमारा उद्देश्य :—

—ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में मांग पर व्यावहारिक रूप से टेलीफोन प्रदान करना; और

—बड़ी प्रणालियों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची की अवधि को दो वर्ष से अधिक नहीं होने देना है।

डाकघर :—

(ग) और (घ) वर्ष 1990 और 1991 के दौरान उड़ीसा में 166 शाखा डाकघर खोले गए। इसके अलावा, 1991-92 के दौरान 100 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 10 विभागीय उप-डाकघर खोलने का और प्रस्ताव है बशर्ते कि उनको खोलने का औचित्य हो।

तारघर :—

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान उड़ीसा में 442 तारघर खोले गए।

(घ) 1991-92 के दौरान 200 नए तारघर खोलने का प्रस्ताव है।

विवरण

उड़ीसा में डाकघरों, तारघरों और टेलीफोन एक्सचेंजों का जिला-वार ब्योरा

जिला	डाकघर	तारघर	टेलीफोन एक्सचेंज
1. कटक	1147	264	86
2. पुरी	775	166	55
3. गंजम	816	160	57
4. फूलबनी	369	95	15
5. बोलनगीर	343	145	26
6. कोरापुर	665	265	34
7. कालाहांडी	387	135	17
8. सम्बलपुर	606	222	48
9. सुन्दरगढ़	393	127	31
10. क्योंझर	421	170	24
11. मयूरभंज	686	149	23
12. बालासोर	807	165	32
13. धेनकनाल	455	174	31

उड़ीसा में स्पीड पोस्ट सुविधाएं

638. **श्री श्रीकांत जेना** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कितने शहरों में स्पीड पोस्ट सुविधाएं उपलब्ध हैं और ऐसे कितने शहर हैं जहां ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं,

(ख) जिन शहरों में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं उनके अतिरिक्त ऐसे कितने शहर हैं जिनमें यह सुविधा आने वाले वर्षों मे उपलब्ध करा दिया जाने की संभावना है; और

(ग) अन्य शहरों में स्पीड पोस्ट शुरू न किए जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) उड़ीसा में निम्नलिखित शहरों/कस्बों में स्पीड पोस्ट सेवा उपलब्ध है :—

स्पीड पोस्ट राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ-साथ प्वाइंट-टू-प्वाइंट स्पीड पोस्ट सेवा के अंतर्गत

(i) भुवनेश्वर (ii) कटक

प्वाइंट-टू-प्वाइंट स्पीड पोस्ट सेवा के अंतर्गत

(i) राउरकेला (ii) बारीपाड़ा

(iii) बालासोर (iv) पुरी

(v) बहरामपुर (vi) बोलनगीर

(vii) सम्बलपुर (viii) परादीप

उड़ीसा के अन्य शहरों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(ख) उड़ीसा के किसी अन्य शहर/कस्बे में फिलहाल स्पीड पोस्ट सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) अन्य शहरों में स्पीड पोस्ट सेवा शुरू न करने की वजह उपयुक्त ट्रांसमीशन नेटवर्क की अनुपलब्धता तथा परियात की दृष्टि से व्यवहार्य न होना है।

कटक में टेलीफोन नेटवर्क

639. श्री श्रीकांत जेना : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के कटक जिले में टेलीफोन नेटवर्क ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो वहां इस समय कार्य कर रहे टेलीफोन एक्सचेंजों की कितनी क्षमता का उपयोग हो रहा है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इस टेलीफोन नेटवर्क के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) सरकार ने उक्त जिले में टेलीफोनों के समुचित कार्यकरण को सुनिश्चित करने हेतु क्या प्रयास किए हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) कटक में टेलीफोन नेटवर्क ठीक ढंग से काम कर रहा है। टेलीफोन एक्सचेंज की 84 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया जा रहा है।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान 1327 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(घ) कटक जिले के टेलीफोन नेटवर्क के कार्यकरण को ठीक ढंग से चलाने के लिए सर्किल मुख्यालय द्वारा लगातार निगरानी और दूरसंचार जिला प्रमुखों/उप-मंडल प्रमुखों द्वारा समय-समय पर इसके कार्य की समीक्षा की जा रही है। नेटवर्क का मौजूदा निष्पादन संतोषजनक है।

[अनुवाद]

दिल्ली में अपराध का ग्राफ

640. श्री मदन लाल खुराना : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दहेज मौतों, दुल्हन को जलाने, अपहरण इत्यादि के मामलों में वृद्धि सहित हाल ही में दिल्ली में अपराध ग्राफ में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) जुलाई से अक्तूबर, 1991 की अवधि के दौरान दिल्ली पुलिस ने ऐसे कितने मामले दर्ज किए और पिछले दो वर्षों में इसी अवधि के दौरान दर्ज किए गए मामलों की तुलना में ये मामले कितने अधिक अथवा कम हैं;

(घ) दर्ज किए गए मामलों में से कितने मामले लंबित हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में हो रही वृद्धि को रोकने तथा दिल्ली पुलिस के कार्य-करण को चुस्त बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में चुनाव स्थगित करने सम्बन्धी अधिसूचना

641. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली महानगर परिषद तथा नगर निगम के चुनाव पिछली बार कब किये गये थे और दोनों का कार्यकाल क्या था;

(ख) इन निकायों के चुनाव स्थगित करने के लिये सरकार ने कितनी बार अधिसूचना जारी की;

(ग) दिल्ली के स्थानीय निकायों के चुनाव बार-बार स्थगित करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन निकायों के चुनाव कब तक कराए जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) महानगर परिषद के लिए पिछले चुनाव 5-2-1983 को हुए थे। परिषद का कार्यक्रम दिनांक 16-3-1988 को समाप्त हुआ। 24-12-1987 को परिषद का कार्यकाल इस आधार पर एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया कि दिल्ली के ढांचे का पुनर्गठन करना विचाराधीन है। इसी आधार पर दिनांक 9-1-1989 को इस अवधि को एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। दिल्ली के प्रशासक की एक रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति ने दिनांक 13-1-1990 से चार महीने की अवधि के लिए दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 के कुछ उपबंधों के प्रचालन को निलंबित कर दिया था तथा दिल्ली महानगर परिषद को भंग कर दिया। दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 के उपबंधों के प्रचालन के निलंबन की अवधि को पांच बार बढ़ाया गया तथा बढ़ाई गई अवधि 12-12-1991 को समाप्त होनी है।

दिल्ली नगर निगम के लिए पिछले चुनाव फरवरी, 1983 में हुए थे। दिल्ली नगर निगम की चार वर्ष की अवधि 7-2-1987 को समाप्त होनी थी। 2-1-1987 को दिल्ली नगर निगम की इस अवधि को इस आधार पर एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था कि दिल्ली महानगर परिषद और दिल्ली नगर निगम के लिए चुनाव एक साथ किए जाएंगे 24-12-1987

को इस अवधि को एक बार और 7-2-1989 तक के लिए बढ़ा दिया गया। 9-1-1989 को इस समय अवधि को एक वर्ष के लिए इस आधार पर बढ़ाया गया कि दिल्ली के ढांचे का पुनर्गठन करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। दिनांक 6-1-1990 को दिल्ली नगर निगम का 4 महीने की अवधि के लिए इस आधार पर अतिक्रमण किया गया कि वह दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के अधीन सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करने में लगातार गलतियां करती आ रही हैं। अतिक्रमण की अवधि को पांच बार बढ़ाया गया है और यह अवधि 5-12-1991 को समाप्त होनी है।

इन दोनों निकायों के लिए चुनाव कराने के बारे मे अभी कोई निर्णय नही लिया गया है।

[हिन्दी]

अक्तूबर-नवम्बर, 1991 के दौरान बम विस्फोट की घटनायें

642. श्री मदन लाल खुराना : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर से नवम्बर, 1991 के बीच रामलीला, दशहरा और दीवाली के उत्सवों के मौसम में देश के विभिन्न भागों में बम विस्फोट की कितनी घटनाएं हुई;

(ख) ऐसी घटनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) जिला-वार ऐसी कितनी घटनाओं में आतंकवादियों का हाथ होने का संदेह है;

(घ) ऐसी घटनाओं में मारे गये तथा घायल हुए लोगों की संख्या क्या है; और

(ङ) इन घटनाओं के संबंध में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) से (ङ) राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से सूचना प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सरकारिया आयोग की सिफारिशें

643. श्री मदन लाल खुराना :
श्री दिग्विजय सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के भावी प्रशासनिक ढांचे के बारे में सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए "सरकारिया आयोग" का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी और इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं तथा सरकार ने किन सिफारिशों को स्वीकार किया है;

(ग) दिल्ली के भावी ढांचे के बारे में सरकार का दृष्टिकोण क्या है; और

(घ) दिल्ली में नया प्रशासनिक ढांचा कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) से (घ) न्यायमूर्ति आर० एस० सरकारिया की अध्यक्षता में 24-12-1987 को दिल्ली

के पुनर्गठन पर एक समिति का गठन किया गया था । समिति ने अपनी रिपोर्ट 14 दिसम्बर, 1989 को प्रस्तुत कर दी थी समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के उपरांत, 31- -1990 को लोक सभा में संविधान (72वां संशोधन) विधेयक, 1990 पेश किया गया था । विधेयक के अनुसार संघ शासित क्षेत्र दिल्ली को एक राज्य "दिल्ली राज्य राजधानी" में परिवर्तित किया जाना था । 6-9-90 को विधेयक को विचारार्थ पेश किया गया । लोक सभा भंग हो जाने के साथ ही विधेयक रह गया । विधेयक को तुरंत प्रस्तुत किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

[हिन्दी]

गीत और नाटक प्रभाग में बिहार की पंजीकृत मण्डलियां

644 **श्री राम लखन सिंह यादव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के गीत और नाटक प्रभाग में बिहार की कौन-कौन-सी मंडलियां पंजीकृत हैं; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान इन मंडलियों द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) गीत और नाटक प्रभाग में पंजीकृत बिहार की मंडलियों के नामों की सूची संलग्न विवरण में दी गयी है । यह उल्लेखनीय है कि गीत और नाटक प्रभाग मंत्रालय का एक पृथक संगठन है और यह आकाशवाणी का हिस्सा नहीं है ।

(ख) गत दो वर्षों (1989 और 1990) में बिहार में 23 और 37 पंजीकृत मंडलिया थीं जिन्होंने क्रमशः गत दो वर्षों के दौरान 1010 और 2177 कार्यक्रम प्रस्तुत किये । ये कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रस्तुत किये गये और इनमें मेलों और उत्सवों को कवर किया गया तथा लोकनाटक, कठपुतली शो, ड्रामा, नृत्य, नाटक हरिकथा और ध्वनि तथा प्रकाश कार्यक्रमों के माध्यम से अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया गया ।

विवरण

गीत और नाटक प्रभाग के अन्तर्गत बिहार के पंजीकृत मण्डलियों के नामों की सूची

1. मैसर्स सप्तकला निकेतन, दरभंगा
2. मैसर्स जमघट संस्कृति संस्था, मधुबनी
3. मैसर्स स्वरसंगम, दरभंगा
4. मैसर्स लोककला कुंज, चम्पारन
5. मैसर्स स्वरसंगम, मुजफ्फरपुर
6. मैसर्स बजरंग सांस्कृतिक दल, दरभंगा
7. मैसर्स कृष्णालोक संगीत पार्टी, मधुबनी
8. मैसर्स आम्रपाली कलासंगम, हाजीपुर

9. मैसर्स इस्माइल एण्ड पार्टी, भोजपुर

10. मैसर्स संथाली सांस्कृतिक मंडली, डुमके

11. मैसर्स नूर मोहम्मद एण्ड पार्टी, वैशाली

12. मैसर्स पुष्पांजलि, पटना

13. मैसर्स भारती कव्वाल एण्ड पार्टी, भागलपुर

14. मैसर्स वैशाली कला केन्द्र, वैशाली (हाजीपुर)

15. मैसर्स सुरांगण आर्टिस्ट, पटना

16. मैसर्स नाटि श्री, पटना

17. मैसर्स प्रायस कल्चरलट्रूप, पटना

18. मैसर्स मिस बन्धु सांस्कृतिक दल, मधुबनी

19. मैसर्स श्रीराम नन्दन मिस्र, मधुबनी (भागवतकला ज्ञान)

20 मैसर्स नृत्य कला संगम, हाजीपुर

21. मैसर्स शत संगीत पार्टी, दरभंगा

22. मैसर्स वर्षी ब्रदर्स कव्वाल पार्टी, मुजफ्फरपुर

23. मैसर्स सूर्य नारायन ठाकुर, भजनोपासक, बहेरा, दरभंगा

24. मैसर्स जागृति, जमशेदपुर

25. मैसर्स मासुक अहमद सोज कव्वाल एण्ड पार्टी, मधुबनी

26. मैसर्स राधा माधव मण्डली, जगतपुर, मधुबनी

27. मैसर्स हिन्दुस्तान मित्र मण्डल नाट्य समिति, जमशेदपुर

28. मैसर्स कनप्पा लाल यादव एण्ड पार्टी, हजारीबाग

29. मैसर्स सरस्वती संगीत मण्डली, मुंगेर

30 मैसर्स प्रायस ड्रामा ट्रूप, पटना

31. मैसर्स राधा मोहन सांस्कृतिक दल, मधुबनी

32. मैसर्स मुंडा संस्कृति विकास समिति, रांची

33. मैसर्स संथाली कविगण मंडली, डुमका, बिहार

34. मैसर्स आदिवासी लोकनृत्य मंडली, लम्बाई, बिहार

35. मैसर्स ओराव सांस्कृतिक संघ, रांची

36 मैसर्स आदिवासी कला केन्द्र, हटिया, बिहार

37. मैसर्स कुमरानंद नट पार्टी, बस्तर, बिहार

आकाशवाणी और दूरदर्शन में हिन्दी समाचार तैयार करने वाले सम्वाददाता

645 **श्री राम लखन सिंह यादव** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्र में हिन्दी समाचार एकत्रित करने और तैयार करने वाले पूर्णकालिक कितने सम्वाददाता हैं;

(ख) प्रत्येक आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्र में कितने पूर्णकालिक सम्वाददाता हैं और वे किस भाषा का प्रयोग करते हैं; और

(ग) हिन्दी में सूचनाओं को एकत्रित करने और तैयार करने वाले सम्वाददाताओं की संख्या में वृद्धि करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) दूरदर्शन और आकशवाणी में फिलहाल 151 पूर्णकालिक संवाददाता हैं। इन संवाददाताओं की भर्ती किसी खास भाषा विशेष के लिए नहीं की गई थी। इस समय आकाशवाणी के 28 संवाददाता अपनी रिपोर्ट हिन्दी में भेज रहे हैं। फिलहाल आकाशवाणी/दूरदर्शन द्वारा और सवाददाता रखे जाने की कोई योजना नहीं है।

प्रेस सूचना ब्यूरो में हिन्दी प्रकाशनी तैयार करने वाला सूचना अधिकारी

646. **श्री राम लखन सिंह यादव** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस सूचना ब्यूरो में हिन्दी प्रकाशनी तैयार करने हेतु कोई सूचना अधिकारी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा हिन्दी प्रेस प्रकाशनी जारी करने हेतु कोई सूचना अधिकारी की नियुक्ति हेतु क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान जारी की गई प्रकाशनियों में से हिन्दी प्रेस प्रकाशनियों की संख्या कितनी है; और

(घ) क्या हिन्दी प्रेस प्रकाशनियों को अनुवाद कराये जाने के बाद ही जारी किया जाता है?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) पत्र सूचना कार्यालय में एक सुस्थापित हिंदी एकक है जिसमें सूचना अधिकारी एवं सहायक सूचना अधिकारी काम करते हैं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) समस्त प्रकाशनियों को लगभग 72% अर्थात् करीब 2500।

(घ) अधिकांश प्रकाशनियों का हिन्दी अनुवाद मूल रूप से अंग्रेजी में जारी प्रकाशनियों से किया जाता है। किंतु हिन्दी एकक भी मूल रूप से हिन्दी में प्रकाशनियों और विशेष लेख जारी करता है।

दूरदर्शन पर कार्यक्रमों को मंजूरी देने के लिए निर्धारित मानदंड

647. श्री राम लखन सिंह यादव :

प्रो॰ अशोक आनन्दराव देशमुख :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन पर प्रायोजित कार्यक्रमों के अन्तर्गत कार्यक्रम मंजूर करने के क्या मानदंड हैं;

(ख) सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान प्रायोजित कार्यक्रमों के अन्तर्गत मंजूरी प्रदान किये जाने के लिए कितने दूरदर्शन धारावाहिक प्राप्त किये हैं; और

(ग) इन कार्यक्रमों को स्वीकृत/अस्वीकृत करने में विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) दूरदर्शन ऐसे कार्यक्रमों का अनुमोदन करने का प्रयास करता है, जिनमे उच्च सामाजिक मूल्यों और स्वस्थ मनोरंजन को बढ़ावा मिलता हो। विशेष रूप से उन कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाती है जिनसे --

(1) अच्छे सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा मिलता हो;

(2) दर्शकों के मन में विभिन्न धर्मों, भाषाओं, विचारों, संस्कृतियों इत्यादि के प्रति समान आदर की भावना उत्पन्न होती हो, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता हो और भारत के संविधान में निहित मूल्यों को समर्थन प्राप्त होता हो;

(3) देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता स्पष्टतः प्रतिबिम्बित होती हो;

(4) समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण को बढ़ावा मिलता हो और जो भारत के ग्रामीण जनजीवन को प्रदर्शित करते हों;

(5) हमारे समाज में नारी के स्थान के प्रति सम्मान की स्वस्थ भावना को बढ़ावा देते हों और युवाओं की आकांक्षाओं तथा समस्याओं को दर्शाते हों; तथा

(6) दर्शकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करते हों।

(ख) दूरदर्शन के अनुसार उन्हें उनके 1990 के प्रस्ताव आमंत्रण के संदर्भ में प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए कुल 3545 प्रस्ताव प्राप्त हुए।

(ग) काफी संख्या में प्रस्तावों के प्राप्त होने, व्यापक और उचित तरीके से उनका मूल्यांकन करने की वजह से देरी हुई है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज

648. श्री सुधीर सावन्त : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के सिन्धु दुर्ग और रतनागिरि जिले में एस० टी० डी० तथा इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज स्थापित करने की योजना और योजना के अनुसार जारी किए गए उपकरणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों के साथ "वेरी हाई फ्रीक्वेंसी" सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) एस० टी० डी० सुविधा अभी कुडाल (सिन्धु दुर्ग का जिला मुख्यालय) और रतनागिरि (महाराष्ट्र के रतनागिरि जिले का जिला मुख्यालय) से उपलब्ध है। सिन्धु दुर्ग जिले और रतनागिरी जिले के अन्य एक्सचेंजों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य के एक भाग के तौर पर सभी इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों को एस० टी० डी० सुविधा प्रदान की जाएगी तथा इस प्रयोजन के लिए आवश्यक उपस्कर उपलब्ध कराए जाएंगे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इसके लिए अति उच्च आवृति उपस्कर उपयुक्त नहीं हैं।

विवरण

सिन्धुदुर्ग जिला

इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में पहले ही परिवर्तित की जा चुकी एक्सचेंजे	वर्ष 1991-92 के दौरान इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों मे बदले जाने के लिए प्रस्तावित एक्सचेंजें	8वी पंचवर्षीय योजना के दौरान इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदली के के लिए प्रस्तावित एक्सचेंजें
1	2	3
1. पोन्डाघाट	1. देवगढ़	1. मिठबाव
2. मानगांव	2. विजयदुर्ग	2. मोन्द
3. मेंडसी	3. करकावली	3. शिरगांव
4. तलवाड़ा	4. अधारा	4. तालेबाजार
5. वाडा	5. मालवान	5. कासारडा
6. मापेन	6. बान्दा	6. खारेपाल
7. कहा	7. सावंतवाड़ी	7. नन्दगांव
8. रेडी	8. शिरोडा	8. सम्बावे
	9. वेननुरला	6. कवबाल
		10. कामल
		11. कुवाल
		12. पासला

1	2	3
		13. मासुरे
		14. अनसोली
		15. अरोन्धा
		16. अरोस
		17. दोवामार्ग
		18. कानलवीर
		19. सतारवा
		20. वैमववाडी

रत्नागिरि जिला

इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों मे पहले ही बदली जा चुकी एक्सचेंजें	वर्ष 1991-92 के दौरान इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों मे बदली जाने के लिए प्रस्तावित एक्सचेंजें	8वी पंचवर्षीय योजन के दौरान इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदली जाने के लिए प्रस्तावित एक्सचेंजें
1	2	3
1. जाने खाड़ पाली	1. अलोर	1. छिपलुन
2. वामोल	2. मालडोली	2. मारगतम्होन
3. पाचल	3. सवारडा	3. बुरान्दी
4. मुट्टबाके	4. दापोली	4. दामिल
5. जाकादेवी	5. गुहागार	5. हरनाई
	6. शरूगर ताली	6. जामगे
	7. फुरूस	7. आबलोली
	8. खेड	8. हेदवी
	9. खोपी	9. पालशेर
	10. लोटे	10. तालावाली
	11. लागा	11. लावेल
	12. मदनगढ़	12. पोसारे
	13. रागापुर	13. सावनास
	14. मालगुन्द	14. मम्बेड

1	2	3
	15. पाली	15. सतौली
	16. पावस	16. बनकोट
	17. देवरुख	17. लतवान
	18. संगमेश्वर	18. महापारेल
		19. पन्देरी
		20. अविबारे
		21. जैतापुर
		22. नाटा
		23. ओनी
		24. सगोब
		25. बसानी
		26. हरचेरी
		27. हतखम्बा
		28. जमगढ़
		29. कारनगरी
		30. खण्डाला
		31. नेवारे
		32. पूरनगढ़
		33. रतनागिरी
		34. सैतवाड़ा
		35. आम्बेब
		36. कावबी
		37. मसजान
		38. नयारी
		39. साखरपा

राजापुर निर्वाचन क्षेत्र में गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत परियोजनाएं

649. श्री सुधीर सावंत : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के राजापुर निर्वाचन क्षेत्र (सिन्धुरी जिला तथा रतनागिरि जिले की तीन

तहसीलें) में गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों का विकास करने के लिए मौजूदा परियोजनाओं के नाम क्या हैं तथा कितनी परियोजनाओं की योजना बनाई जा रही है; और

(ख) विजयदुर्ग में पवन-ऊर्जा परियोजना में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) राजापुर चुनाव क्षेत्र सहित महाराष्ट्र राज्य मे क्रियान्वित किए जा रहे अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग के कार्यक्रमों में, मोटे तौर पर, बायोगैस संयंत्रों तथा उन्नत चूल्हों की स्थापना, सौर तापीय, प्रकाशवोल्टीय और वायु-ऊर्जा का उपयोग तथा ऊर्जा ग्रामों की स्थापना शामिल है।

इस संबंध में राजापुर चुनाव क्षेत्र में क्रियान्वयनाधीन अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग की निम्नलिखित परियोजनाएं/कार्यक्रम उल्लेखनीय हैं :

सौर तापीय

(i) इस चुनाव क्षेत्र में 390 सौर कुकरों का वितरण किया गया है। इस चुनाव क्षेत्र में कुल 1100 लिटर प्रतिदिन क्षमता वाली सौर जल तापन प्रणालियां स्थापित की गई हैं।

सौर प्रकाशवोल्टीय

(ii) उक्त चुनाव क्षेत्र के विभिन्न तालुकों में 18 सौर लालटेनों का वितरण किया गया है। 10 सौर स्ट्रीट लाइटें, 2 प्रकाशवोल्टीय पम्प, 2 पांच-अश्वशक्ति के गैसीफायर पम्प भी इस चुनाव क्षेत्र में लगाए गए हैं।

बायोगैस

(iii) वेंगुरला तालुका में 940 पारिवारिक आकार के बायोगैस-संयंत्रों की स्थापना का कार्य पूरा हो गया है। विष्ठा पर आधारित एक बायोगैस के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

उन्नत चूल्हा

(iv) आई० आर० ई० पी० ब्लाकों में 300 स्थिर उन्नत चूल्हे लगाए गए हैं और 500 वनज्योति सिगड़ियों और 500 गृह लक्ष्मी चूल्हों के वितरण का कार्य प्रगति पर है।

ऊर्जा ग्राम इत्यादि

(v) ऊर्जा युक्तियों के प्रदर्शन के लिए रानी जानकी बाई प्रसूति गृह और नर्सिंग कालेज में एक ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया है।

(vi) जारए, कारुल और ओवलिए में तीन ऊर्जा ग्राम परियोजनाए पूरी हो गई हैं।

पवन

(vii) देवगढ में 1.1 मे०वा० की पवन फार्म परियोजना स्थापित की गई है। 1.5 मे० वा० की एक अन्य परियोजना विजयदुर्ग के लिए मंजूर की गई है।

(ख) विजयदुर्ग पवन फार्म परियोजना जून, 1992 तक पूरी की जानी है। राज्य के नोडल अभिकरण महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण के अनुसार, परियोजना के कार्यान्वयन में कोई विलम्ब नहीं है।

[हिन्दी]

बिहार में खगड़िया में सभी दृष्टियों से पूर्ण दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

650. **श्री राम शरण यादव** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में खगड़िया जिले में सभी दृष्टियों से पूर्ण दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक कोई कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) यद्यपि, खगड़िया में एक अल्प शक्ति ट्रांसमीटर कार्य कर रहा है । फिलहाल वहां पर कार्यक्रम निर्माण सुविधा स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) खगड़िया में कार्यक्रम निर्माण सुविधा की स्थापना भविष्य में इस उद्देश्य के लिए साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

फिल्मों का अन्य भाषाओं में साथ-साथ डब किया जाना

651. **श्री राम शरण यादव** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय भाषाओं में बनी फिल्मों को अन्य भाषाओं के साथ-साथ डब करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

बिहार में संचार सुविधा का विस्तार

652. **श्री राम शरण यादव** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में संचार सुविधाओं का विस्तार किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर इस समय एस० टी० डी० सुविधा प्रदान की गई है;

(घ) क्या यह सुविधा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों के कुछ और क्षेत्रों में उपलब्ध कराए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) जी हां ।

बिहार में 1991-92 के दौरान स्विचिंग की सकल क्षमता में लगभग 48000 लाइनें चालू करने और 22000 टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(ग) सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) बिहार में इस वर्ष जिन केन्द्रों को एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है उनके नाम नीचे दिए हैं :

1. बाघा	2. बेदमो
3. कहलगांव	4. लक्खीसराय
5. पाकुर	6. रामगढ़ (हजारीबाग) और
7. सुपौल	

वर्ष 1991-92 के दौरान, देश के विभिन्न राज्यों के 385 केन्द्रों में एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है।

विवरण

18-11-1991 की स्थिति के अनुसार बिहार के दूरसंचार सर्किल में एस० टी० डी० केन्द्रों की सूची

क्र०सं०	एक्सचेंज	क्र० सं०	एक्सचेंज
1.	अरारिया	17.	बार
2.	आरा	18.	बोधगया
3.	औरंगाबाद	19.	चाईबासा
4.	बांका	20.	छपरा
5.	बनगांव	21.	चास
6.	बनमंखी	22.	चिरकुन्डा
7.	बेगूसराय	23.	चानपतिया
8.	बरौनी	24.	चाकंड
9.	बनीपट्टी	25.	डालमियानगर
10.	बेतिया	26.	डालटेनगंज
11.	भागलपुर	27.	दरभंगा
12.	बिहार शरीफ	28.	देवगढ़
13.	बिहात (बेगूसराय)	29.	धनबाद
14.	बोकारो	30.	दुमका
15.	भगवानपुर	31.	ढाका
16.	बरियारपुर	32	धोली

क्र० सं०	एक्सचेंज	क्र० सं०	एक्सचेंज
33.	फटटा	64.	लोहारडगा
34.	फोरबेसगंज	65.	मधेपुरा
35.	गरखा	66.	मधुबनी
36.	गया	67.	महुआ
37.	गिरीडीह	68.	मढौडा
38.	गोड्डा	69.	मोतीहारी
39.	गोपालगंज	70.	मुयेर
40.	घोघरडिहा	71.	मुजफ्फरपुर
41.	गोमिया	72.	मांसी
42.	गुमला	73.	मुरलीगंज
43.	गुरुबाजार	74.	नवादा
44.	हाजीपुर	75.	नलांदा
45.	हतपुरियाणी	76.	निरमाली
46.	हजारीबाग	77.	परसाडीह
47.	हाथीदाह	78.	पटना
48.	जमहोर	79.	पंचगछिया
49.	जमशेदपुर	80.	पणीया
50.	जनकपुर रोड	81.	महराजगंज
51.	जसिडीह	82.	पुसा
52.	जहांनाबाद	83.	पिरपेन्टी
53.	झानझरपुर	84.	राजगिर (सहाबाद)
54.	झुमरूतलईया	85.	रामगढ़
55.	जोगबानी	86.	रांची
56.	कमतौल	87.	राजधनवार
57.	कांके	88.	रोसेरा
58.	कटिहार	89.	राजनगर
59.	खगरिया	90.	रक्सौल
60.	किशनगंज	91.	रोनीसीढपुर
61.	कोडमा	92.	सहरसा
62.	कांटी	93.	साहेबगंज
63.	कासबा	94.	साकेरी (मधुबन

क्र० सं०	एक्सचेंज	क्र० सं०	एक्सचेंज
95.	समस्तीपुर	105.	सिमरीबकतीरपुर
96.	सासाराम	106.	तनतीसिलवाई
97.	सौरबाजार	107.	ठाकुरगंज
98.	सिम्बरी	108.	बरो ा तेलशोधक
99.	सिगेश्वरथान	109.	जमत रा
100.	सीतामढ़ी	110.	मोक ा
101.	सिवान	111.	ओब ा
102.	सोनपुर (हाजीपुर)	112.	मनेर
103.	सराय	113.	बिहटा
104.	सोनबरसाराज		

[अनुवाद]

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूहों में दूरसंचार का ्रम

653. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या संचार मंत्री यह बताने की ृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वीप समूह विकास प्राधिकरण के निर्णय और सिफ रिशों के अनुसार अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्यक्षेत्र के लिए केन्द्रीय सरकार एक ्यापक दूर-संचार कार्यक्रम पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम में हुई वर्तमान प्रगति तथा ्षित तिथियों सहित भावी कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां।

(ख) **वर्तमान प्रगति :**

(क) निम्नलिखित स्थानों पर स्थानीय टेलीफोन एक्सचेंज चालू किए गए हैं :

1. गोरचरमा
2. विबरीगंज
3. ननकोरी
4. विचगंज
5. मायाबंदर
6. कैंपबेलकी खाड़ी
7. डिगलीपुर
8. लपाती

(ख) निम्नलिखित स्थानों पर लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए गए हैं :

पोर्ट ब्लेयर बेस स्टेशन के रूप में :

1. बंबूफलैट	2. चोल्दरी
3. कालीकट	4. नामूनघर
5. शिप्पीघाट	6. तुशनाबाद
7. बतूबस्ती	

मायाबंदर एक बेस स्टेशन के रूप में :

1. चंपिन

2. कटचल

(ग) निम्नलिखित स्थानों पर लंबी दूरी के ट्रंक सेवाएं प्रदान करने के लिए।

उपग्रह भू-केन्द्र प्रचालन में है :

1. पोर्ट ब्लेयर
2. कार निकोबार
3. मायाबंदर
4. डिगलीपुर
5. कैंपबेल की खाड़ी

लक्ष्य तारीख सहित आगामी कार्यक्रम :

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान निम्नलिखित एक्सचेंजों को चालू करने की योजना है :

1. लपाती
2. हुतबे
3. रानघाट
4. कटचल
5. फेर्रारगंज

(ख) 1991-92 के अंतिम चरण में कमोरटा भू-केन्द्र से सर्किटों को चालू कर दिया जाएगा। 1992-93 के दौरान रानघाट और हुतबे सर्किटों को चालू कर दिया जाएगा।

(ग) पोर्ट ब्लेयर में 1991-92 के दौरान 40 लाइनों वाले इलेक्ट्रानिक टेलेक्स एक्सचेंज को चालू कर दिए जाने की संभावना है।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में आवास स्थलों के आवंटन पर प्रीमियम

654. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रदेश परिषद ने एकमत के आवास स्थलों के

आबंटन पर प्रीमियम में संशोधन की सिफारिश की है तथा इसके ऊंचे दर तय किए हैं जिसे केन्द्र सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो पुरानी और संशोधित दरों का ब्यौरा क्या हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या नई दरें भूतलक्षी प्रभाव से लागू होंगी और क्या इसे लागू कर दिया गया है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) हाल ही में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के मूल्यों में लगातार वृद्धि की प्रवृति पर विचार करते हुए द्वीप समूहों में भूमि की कमी और साथ ही साथ जनसंख्या में असामान्य वृद्धि होने के कारण भूमि की ज्यादा मांग होने और आवासीय क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं प्रदान करने पर होने वाले व्यय मे वृद्धि के कारण, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह प्रशासन ने, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भूमि राजस्व व भूमि सुधार नियम, 1968 के अन्तर्गत प्रशासन को उपलब्ध शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 19 अगस्त, 1991 की अधिसूचना द्वारा गरीबों को छोड़कर अन्य लोगों के लिए मकानों के लिए भूमि की प्रीमियम की दरें संशोधित की हैं। दरों के संशोधन के बारे में संघ शासित क्षेत्र प्रशासन को सलाह देते हुए, भारत सरकार ने संघ शासित क्षेत्र प्रशासन को यह भी स्पष्ट किया गया था कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत मकान स्थल के लिए गरीब आबंटियों के संबंध में कोई भी लाइसेंस फीस न ली जाए।

प्रीमियम की नई दरों की अधिसूचना जारी करने की तिथि अर्थात 19-8-1991 से ही प्रभावी बनाया गया है।

प्रीमियम की पुरानी तथा नई दरें इस प्रकार हैं :

क्षेत्र	पुरानी दरें	संशोधित दरें
(क) पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल क्षेत्र	5/-रुपये प्रति वर्ग मीटर	100/-रुपये प्रति वर्ग मीटर
(ख) अर्ध शहरी क्षेत्र	5/-रुपये प्रति वर्ग मीटर	50/-रुपये प्रति वर्ग मीटर
(ग) ग्रामीण क्षेत्र	1.20 पैसे प्रति वर्ग मीटर	25/- रुपये प्रति वर्ग मीटर

[हिन्दी]

"चाणक्य" दूरदर्शन धारावाहिक में जातिवाद का प्रोत्साहन

655. **श्री राम विलास पासवान** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "चाणक्य" दूरदर्शन धारावाहिक में चाणक्य के चरित्र के माध्यम से जातिवाद को प्रोत्साहन दिया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार जातिसूचक शब्दो को धारावाहिक से हटाने पर विचार करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

बौद्धों को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित करना

656 **श्री राम विलास पासवान** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बौद्धों को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित करने संबंधी कानून को संसद द्वारा स्वीकृति मिलने के बावजूद लागू नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990 का 4 जून, 1990 से लागू किया गया।

भोपाल में दूरदर्शन का क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव

657. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल में दूरदर्शन का क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस केन्द्र द्वारा कब से कार्य शुरू कर दिये जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) भोपाल में पूर्ण विकसित टी० वी० स्टूडियो केन्द्र तकनीकी रूप से तैयार है और इसे अपेक्षित जनशक्ति उपलब्ध होते ही चालू कर दिया जाएगा।

दिल्ली के यमुनापार क्षेत्रों में टेलीफोन के कनेक्शन

658. **श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम"** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के यमुनापार क्षेत्र में टेलीफोन कनेक्शन पाने के लिए पंजीकृत व्यक्तियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है तथा वे कब से पंजीकृत हैं; और

(ख) इन व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन कब तक मिल जाएंगे ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण मे दिए गए हैं।

(ख) यमुनापार क्षेत्र में आज तक दर्ज अधिकांश आवेदकों को 31 मार्च, 1995 तक टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने की आशा है।

विवरण

1-11-1991 को स्थिति के अनुसार दिल्ली के यमुना पार क्षेत्र में प्रतीक्षा सूची का ब्योरा

लेवल	एक्सचेंज	ओवाईटी	सामान्य	ओवाईटी एस		एसएस		विशेष		सामान्य		जोड़
		तारीख जब तक कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं	प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या	तारीख जब तक कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं	प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या	तारीख जब तक कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं	प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या	तारीख जब तक कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं	प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या	तारीख जब तक कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं	प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
220, 221, 222, 224	लक्ष्मी नगर	30-6-91	419	30-6-91	29	30-6-91	46	30-6-91	107	8-4-85	35342	35943
227, 228 229	यमुना बिहार शाहदरा	20-3-87 30-6-91	542 230	24-2-88 30-6-91	39 12	31-1-89 30-6-91	4 2	17-3-82 30-6-91	333 68	26-12-79 16-10-84	7515 9875	8433 10107
225	मयूर विहार	30-6-91	70	30-6-91	16	30-6-91	—	26-10-88	29	8-4-85	4122	4237

[अनुवाद]

टेलीफोन उपभोक्ताओं के लिए परिधि सीमा समाप्त करना

659. **श्री धर्म भिक्षम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गांवों से जुड़े महानगरों और अन्य नगरों को टेलीफोन सुविधा प्रदान करने हेतु टेलीफोन उपभोक्ताओं के लिए 20 से 25 किमी० परिधि की सीमा को समाप्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब से और इस कार्यवाही से राज्यों में किन-किन एक्सचेंजों पर प्रभाव पड़ेगा ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) जी नहीं।

इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अपहृत व्यक्तियों के बदले नजरबन्द आतंकवादियों को छोड़ने की नीति

660. **कुमारी विमला वर्मा** :
श्री वी० देवराजन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आतंकवादियों द्वारा अपने साथियों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए अक्सर अपहरणों का सहारा लेने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने हेतु अपहृत व्यक्तियों के बदले नजरबन्द आतंकवादियों को छोड़ना बन्द करने के लिए कोई राष्ट्रीय नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी विस्तृत रूप-रेखा क्या है; और

(ग) इसे लागू करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) आतंकवादी ग्रुपों द्वारा धन ऐंठने या गिरफ्तार किए गए साथियों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए अपहरण की घटनाओं में हाल में वृद्धि हुई है जो चिन्ता का विषय है। यह प्रवृति, देश में अनेक आतंकवादियों की गतिविधियों को देखते हुए ध्यान देने योग्य है। अत: यह आवश्यक समझा गया कि इस समस्या से निपटने के लिए एक विस्तृत नीति तैयार की जाए। मामला विचाराधीन है।

12.00 मध्याह्न

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष जी, वास्तविक शब्दों में जिसको मृत्यु का ताण्डव नृत्य कहा जा सकता है, ऐसी घटना मेरे निर्वाचन क्षेत्र के नजदीक मनोर में थाणे जिले में मुम्बई अहमदाबाद हाइवे पर 22 नवम्बर को हुई। उसमें 71 आदिवासी लोग मर गये और 55 आदि-

बासी अभी मृत्यु के साथ संघर्ष कर रहे हैं। इसमें केन्द्र सरकार का बड़ा संबंध है, बड़ा हिस्सा है है इसलिए मैं यह बात यहां कर रहा हूं।

ऐसा है कि इसमें जो नैचुरल गैस लिक्विड था, वह भारत सरकार के भारत पैट्रोलियम का था इसलिए गैस लिक्विड एक जगह से वहन करते समय जो ख्याल उन्हें करना चाहिए था, वह नहीं किया गया। जब हाइली इंफ्लेमेबल लिक्विड उसमें है तो उसके प्रोटैक्शन के बारे में जो कानून है, उसका अमल नहीं किया गया है, भारत पैट्रोलियम द्वारा, यह एक बात है। दूसरा इंटर-नेशनल सोसायटी फार कैमीकल एण्ड पैट्रोलियम···(व्यवधान)···ने जो स्टैण्डर्ड बनाये हैं, उसके अनुसार भी यह काम नहीं हुआ है।

अन्त में मुझे यही कहना है कि इसमें क्रिमिनल नैग्लीजैंस है। जहां यह एक्सीडैंट हुआ है, वहां लगातार एक्सीडैंट्स होते हैं। केन्द्रीय सरकार ने यह मान लिया है कि मुम्बई से मनोर तक 4 लेन का हाइवे करेंगे लेकिन वह नहीं किया है। अब तक वह नहीं हो रहा है, इसकी वजह से वहां बार-बार एक्सीडैंट्स हो रहे हैं। इसमें आदिवासी लोग मर गए हैं और इसका कारण यह है कि लोगों को लगा कि कैरोसीन वाकई वहां है, अब चूंकि आदिवासी क्षेत्रों में तेल नहीं मिल रहा है, इसलिए वह लोग वहां गये और इसलिए यह ट्रेजेडी वहां हुई···(व्यवधान)·· इसलिए मैं इसमें केन्द्र सरकार से, प्रधान मंत्री से बयान चाहूंगा, वक्तव्य चाहूंगा कि सरकार इसके बारे में क्या कर रही है और इन लोगों को मुआवजा देने का काम केन्द्र सरकार करे, ऐसी इसके बारे में, अध्यक्ष जी, मेरी मांग है।

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी सभा का ध्यान उसी घटना की ओर दिलाना चाहूंगा जिसका उल्लेख श्री राम नाईक ने किया है। इस ट्रक के उतरने से 61 लोग मारे गये। मैं केन्द्रीय सरकार से इस संबंध में अनुरोध करूंगा कि वह मोटर वाहन अधि-नियम पर पुन: विचार करें और इसमें इस प्रकार का संशोधन करें कि ट्रक के ऐसे मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा सके जो अशिक्षित चालकों को ट्रक चलाने देते हैं और जिन्हें उन बातों की जानकारी नहीं है या जिन्हें ऐसे ज्वलनशील द्रव्यों को ढोने की विशेषज्ञता हासिल नहीं है।

अत: यह जरूरी है कि मोटर वाहन अधिनियम पर तत्काल ध्यान दिया जाए और आवश्यक संशोधन किए जाएं ताकि इस मामले में कड़ी कार्यवाही की जा सके।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मैं सभा तथा सरकार का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि देश के बड़े ट्रेड यूनियनों ने 29 नवम्बर, 1991 को अखिल भारतीय हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। सभी सरकारी उपक्रमों, एअरलाइंस उपक्रमों, बीमा कम्पनियों तथा सभी बड़े ट्रेड यूनियनों ने 29 नवम्बर को अखिल भारतीय हड़ताल घोषित करने के लिए एकजुट होने का निर्णय लिया है। यह पूरे उद्योग को पंगु बना देगा और देश को इससे काफी हानि होगी, क्योंकि ऐसी उनकी भावना है कि सरकार की आर्थिक नीतियां और सरकारी उपक्रमों के प्रति उनका दृष्टिकोण जनविरोधी और मजदूर वर्ग विरोधी है।

मैं इस सभा तथा सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि इस स्थिति से बचने के लिए सरकार को प्रमुख मजदूर संघों से बातचीत शुरू करनी चाहिए। सरकार को मजदूर संघों के

साथ परामर्श करके कुछ उपचारात्मक उपाय भी करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि ऐसी स्थिति पैदा न हो।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस गंभीर स्थिति को ध्यान में रख रही है या नहीं।

प्रधान मंत्री ने सभा में पहले ही कहा है कि वह नहीं चाहेंगे कि देश में ऐसी गलत धारणा फैले कि सरकार सरकारी क्षेत्र विरोधी प्रवृत्ति अपना रही है। प्रधान मंत्री ने स्वयं ही कहा है कि वह चाहते हैं कि इस सभा में इस संबंध में पूरी चर्चा हो।यदि मजदूर संघों से परामर्श नहीं किया जाता और यदि कुछ ठोस कदम नहीं उठाए जाते तो सभा पटल पर ऐसे सामान्य वक्तव्य देना ही काफी नहीं है।

मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस स्थिति पर नजर रख रही है और वह उस पर कोई पहल करने जा रही है या नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह देश के भविष्य तथा इसके औद्योगिक और आर्थिक नीतियों से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमने पाया है कि संसद के समक्ष आये बिना तथा संसद एवं लोगों को विश्वास में लिए बिना ही हमारी औद्योगिक एवं आर्थिक नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के प्रति राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को अलविदा कह दिया गया है।

अब हम समझते है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लिया गया है। फिर भी इसकी शर्तों के बारे में हमें आज तक कुछ नहीं पता चला है। हमें अभी भी इनकी शर्तों में किए गए परिवर्तन का सम्बन्ध का पता करना है।

जहां तक आर्थिक नीति का सवाल है इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं तथा इसके ऊपर जो भी वाद-विवाद हुआ है वह उस घटना के बाद हुआ है। नीति-गत परिवर्तन किए गए हैं और इसके लिए सिर्फ विचार-विमर्श ही काफी नहीं है। सरकार को अभी तुरन्त घोषणा करनी चाहिए कि वे उन राष्ट्र विरोधी तथा जन-विरोधी नीतियों को जिनसे सारा देश अनजान है, को अब और आगे जारी नहीं रखेंगे क्योंकि ऐसा करना बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, विश्व बैंक और अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के हाथों देश के आर्थिक हितों को बेचने तथा उनके आगे आत्मसमर्पण करने जैसा होगा। मुझे पक्का विश्वास है कि सत्ता पक्ष के कुछ लोग भी इस बारे में क्षुब्ध हैं। ट्रेड यूनियनें क्या कर सकती हैं ? नीति-संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते है तथा कई ऐसे परिवर्तन कर दिए जाते हैं जिनसे कि हजारों-हजार मजदूर प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं और इसके प्रभाव उन पर पहले ही पड़ चुके हैं। निर्णय लेने के पहले उन्हें विश्वास में नहीं लिया जाता है। अतः यह आवश्यक है कि सरकार इन नीतिगत परिवर्तनों को समाप्त करे तथा सच्चे अर्थों में एक अर्थपूर्ण वाद-विवाद शुरू करे। प्रधान मंत्री द्वारा सभा में 3 घंटे के विचार-विमर्श की पेशकश ही काफी नहीं है। यही कारण है कि अपने विरोध को प्रकट करने के लिए यूनियनें और मजदूर आज हड़ताल करेंगे। हड़ताल तो निस्संदेह होगी और सफल भी होगी। इंटक एवं बी० एम० एम० मिल गये हैं।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर गंभीरता से विचार करे। इसे इज्जत का सवाल नहीं बनाया जाना चाहिए। कृपा करके सरकार यह घोषणा करे कि इसे रोका जायेगा

तथा आगे कोई कारंवाई नहीं की जायेगी। तभी स्थिति बदल सकती है और इस पर उचित रूप से विचार हो सकता है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सभा के नेता उपस्थित हैं। उन्हें जवाब देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला (गोधरा) : अध्यक्ष महोदय, एक महीना होने को आया है, गांधार तेल क्षेत्र में एक बहुत बड़ी आग लगी है। स्वाभाविक है, जहां तेल और नेचुरल गैस है, वहां आग को लगना है। जब आग लगती है, तब कुंआ खोदने की जो कहावत है, वही कहावत ओ० एन० जी० सी० डिपार्टमेंट पर लागू होती है। इतने दिनों तक आग पर काबू करने में सफलता नहीं मिली है। आज तालाब बनाने के लिए पूरी मशीनरी काम में लगी है। ओ० एन० जी० सी० के पास अपने आग बुझाने के साधन नहीं थे। आर्मी को बुलाया गया और आर्मी के टैंक की मदद से उसका जो वाल्व था, वह उड़ाया गया। इसके बाद भी आग काबू में नहीं आई। आज भी लग रही है।

अध्यक्ष जी, यह आग बार-बार लगती है और चोरी करने से आग लगती है, पहले भी चोरी से आग लगी थी। ओ० एन० जी० सी० के आफिसरों में आपस की मिलीभगत होती है, देश का प्रोडक्शन कम हो इसके लिए उनका आपस में कम्पीटिशन होता है और 7-8 बड़े-बड़े आपरेशन (operation) जनरल मैनेजर ओ० एन० जी० सी० की पोस्ट छोड़ कर मसकट में चले जाते हैं और जो छोटे-छोटे अधिकारी आपरेटर रहते हैं उनके भरोसे काम को छोड़ जाते हैं, आग को बुझाने के लिए ठीक तेल नहीं रहता। हमारे माननीय मंत्री श्री शंकरानन्द जी भी मुझे मिले थे वे वहां पर होकर आए हैं, उन्होंने जो अभ्यास किया है वह पूरे हाऊस को बताया जाए। अगर इस प्रकार की आग लगती है तो इसके लिए, आग बुझाने के लिए आधुनिकतम साधन हों जिससे कि जितनी जल्दी हो सके आग को काबू में लाया जा सके। आज एक महीना होने को आया लेकिन आग काबू में नहीं हो पाई, इससे देश और लोगों को बहुत नुकसान होता है। मंत्री जी अपना वक्तव्य दें और भविष्य में ऐसी आग न लगे एवं जो आग लगी है उसको काबू में करने की कोशिश करें।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस विषय में पूरा ध्यान दें क्योंकि वह देख कर आए हैं। मैंने अपनी पार्टी के तीन विधायकों को वहां पर भेजा था और उन्होंने बताया है कि वहां पर एक कांस्टेबल इसकी जांच कर रहा है जबकि रिपोर्ट यह भी है, इसके पीछे सेबोटेज हो सकता है, कह नहीं सकते कि एक्सीडेंट था या सेबोटेज था। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी सदन को विश्वास में लें और आग को रोकने के लिए ओ० एन० जी० सी० के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसकी जानकारी दें।

श्री रबि राय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष जी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने उठाना चाहता हूं। (**व्यवधान**) मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि सत्र के पहले ही दिन आपने उत्तर-काशी के लोगों के लिए संवेदना व्यक्त की है। मैं बहुत दुःख के साथ कहना चाहता हूं कि अतीत में जैसे 1934 में बिहार भूकम्प के सिलसिले में महात्मा गांधी और राजेन्द्र प्रसाद जैसे लोग ये सारा काम कर रहे थे, हमको ऐसा लगता है कि उत्तर-काशी और गढ़वाल जिले में जो भूकम्प आया है उसके सिलसिले में जिस तरीके से सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए वैसे नही ले रही है। अध्यक्ष महोदय, एक टीम आफ साइंटिस्ट्स आफ इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट वहां गई थी,

उनकी जो रपट अखबार में निकली है मैं उसकी तरफ आपका और सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं। इसलिए अर्जुन सिंह जी यहां मौजूद हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने वहां जाकर के देखकर, आने के बाद जो रिपोर्ट दी है वह है :--

[अनुवाद]

"कृषि मंत्रालय को दी गई अपने रिपोर्ट में इन दलों ने बताया है कि इन क्षेत्रों के किसानों के अपने खेतों (खलिहानों) तथा पानी की नहरों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय तथा सामग्रियों की मदद की अविलम्ब जरूरत है। अगले मौसम में अनाज उपजाने के लिए उन्हें बीजों तथा अन्य निविष्टियों की भी जरूरत है। रबी की फसल का समय तो पहले ही बीत चुका है।"

"उत्तरकाशी का क्षेत्र प्राकृतिक जल नहरों से भरा पड़ा है। इस जल का उपयोग शाखा नहरों द्वारा खेतों तक ले जाकर फसलों की सिंचाई में किया जाता है। भूचाल ने इन अधिकांश नहरों को गड़बड़ कर दिया है।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, ये दो रिकोमेंडेशन हैं, वहां साइंटिस्ट लोग जोकि भारत सरकार के इंडियन एग्रीकल्चरल के रिसर्च साइंटिस्ट थे, जो वहां गए हैं उन्होंने ये रिपोर्ट दी हैं। इसलिए मैं सारे सदन का ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूं वहां एक विशेष तरह का मकान बनता है और मेरा ठोस सुझाव है कि सरकार इस लारी बेकर के नाम से, जो एक मात्र विशेषज्ञ हैं वे वहां ठहरे थे और जिनको पहाड़ी इलाके में मकान बनाने का एक्सपरटीज हासिल है। मैं आपके जरिए सरकार से कहना चाहता हूं कि लारी बेकर आजकल त्रिवेन्द्रम में रहते हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि खेती के काम में जिस तरीके से दिक्कत हो रही है सरकार इस पर ध्यान दे और वहां मकान बनाने के लिए खास तरीके से लारी बेकर का भी एक्सपरटीज का इस्तेमाल करे। मैं अर्जुन सिंह जी से कहना चाहता हूं कि आज इस काम को करने के लिए सदन को आश्वासन दें क्योंकि यह सार्वजनिक महत्व का सवाल है।

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : माननीय अध्यक्ष जी, अभी हम लोगों के यहां बिहार में गेहूं की बुवाई चल रही है और गेहूं की बुवाई में खाद और बीज की अत्यन्त आवश्यकता होती है। बिना खाद और बीज के गेहूं की खेती हो ही नहीं सकती है। अभी किसानों को प्रमाणित बीज मुक्त रूप से नहीं मिल रहा है और खाद की तो इतनी भारी कमी है कि लगता है कि इस बार बिहार में गेहूं की खेती हो ही नहीं पाएगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि बिहार में पर्याप्त मात्रा में खाद और बीज की आपूर्ति की जाए।

[अनुवाद]

श्री पी० जी० नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक अध्यादेश को रद्द कर दिया है तथा न्यायाधिकरण के अंतरिम निर्णय को सही माना है। न्यायालय का फैसला बिलकुल स्पष्ट एवं जाहिर है। फिर भी कर्नाटक सरकार ने एक पुनरीक्षण याचिका दायर करने का फैसला किया है जो कि एक संघीय ढांचे के अन्दर राज्यों के बीच सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व के सिद्धांत के खिलाफ है। हमारी मुख्य मंत्री कर्नाटक के साथ सौहार्द्रपूर्ण संबंध बनाये रखना चाहती

हैं। जब कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु सरकार से चन्दन तस्कर श्री वीरप्पन का पीछा करने में मदद मांगी थी, तो वीरप्पन द्वारा कर्नाटक के डी० एफ० ओ० के मारे जाने के बाद भी हमने उनकी हर संभव सहायता की थी। हमने कर्नाटक सरकार की मदद के लिए वन, पुलिस तथा अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा था। हम अपनी ओर से कर्नाटक के साथ सौहाद्रपूर्ण संबंध चाहते हैं। पर कर्नाटक सरकार केन्द्र एवं उच्चतम न्यायालय की अनसुनी कर देती है। संविधान के संघीय ढांचे तथा राज्यों के बीच के सौहाद्रपूर्ण व्यवहार को बनाये रखने के लिए पुनरीक्षण याचिका के निपटाये जाने की प्रतीक्षा किए बिना ही केन्द्र सरकार को अंतरिम आदेश को अधिसूचित करना चाहिए। तमिलनाडु की मुख्य मंत्री पुराची थलैवई जयललिता भी एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ दिल्ली आ रही हैं ताकि प्रधानमंत्री के विदेश यात्रा से वापस आने के बाद वे उनसे अंतरिम आदेश को अविलंब अधिसूचित करने के लिए अनुरोध कर सकें।

श्री बी० अकबर पाशा (वेल्लोर) : अध्यक्ष महोदय, मैं कावेरी जल-विवाद के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। हालांकि माननीय मंत्री इस बारे में वक्तव्य देने जा रहे हैं, फिर भी मैं एक मुद्दा उठाना चाहता हूं। पानी एक आवश्यक चीज है और तमिलनाडु के लोग पेय जल के बिना तड़प रहे हैं। सिर्फ भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर कर्नाटक सरकार तमिलनाडु को पर्याप्त जल नहीं दे रही है और वहां लोग बिना पीने के पानी के बिना परेशान हो रहे हैं।

जब चुनाव प्रचार के दौरान मैं वहां था तो मैंने देखा कि हर नल के पास सौ-सौ बर्तन पानी के लिए रखे थे। वे सिर्फ पेय-जल चाहते थे। उन्हें उद्योगों की स्थापना, कालेज खुलवाना तथा वैसी अन्य चीजों की इच्छा नहीं है। वे सिर्फ पीने के पानी की सुविधा चाहते हैं। कर्नाटक सरकार द्वारा पानी देने से इनकार करना बहुत ही क्रूर है। अब उच्चतम न्यायालय ने इसकी अनुमति दे दी है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सरकार अविलंब कार्रवाई करे और तमिलनाडु के साथ न्याय करे।

श्रीमती बासव राजेश्वरी (बेल्लारी) : अध्यक्ष महोदय, मैं कावेरी जल-विवाद से संबंधित उच्चतम न्यायालय के निर्णय से संबंधित एक अत्यन्त गंभीर मामला उठाना चाहती हूं।

आप जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय का फैसला दोनों राज्यों के बीच तनाव और टकराव पैदा कर सकता है तथा ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जो कि दोनों में से किसी राज्य की जनता के लिए ठीक नहीं होगी। अतः वर्तमान हालात को देखते हुए मैं केन्द्र सरकार खासकर के प्रधान मंत्री महोदय से अपील करती हूं कि वे दोनों मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलायें तथा उनसे इसके शांतिपूर्ण समाधान के लिए अनुरोध करें।

तब तक के लिए मैं केन्द्र सरकार से जोरदार अनुरोध करती हूं कि वह अंतिम निर्णय आने तक न्यायाधिकरण के अंतरिम आदेश को अधिसूचित न करें।

अन्त में, मैं दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों से एक बार और विनम्र अनुरोध करती हूं कि संबंधित राज्यों की खातिर तथा देश के संघीय ढांचे को बनाये रखने के लिए वे इसका कोई शांति-पूर्ण हल निकालें। **(व्यवधान)**

श्री जी० माडे गौडा (माण्डया) : मैं भी बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

श्री जी० माडे गौडा : क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : आप मुझसे इसका कारण नहीं पूछ सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलौर) : कावेरी जल-विवाद के बारे में उच्चतम न्यायालय की सलाह हमारे सामने है । वस्तुतः मैं कहना चाहता हूं यह खुशी की बात है कि संबंधित मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल इस बारे में भोजन के बाद के सत्र में सभा में एक वक्तव्य देंगे । अब गेंद केन्द्रीय सरकार के पाले में है । जैसा कि पहले ही कहा गया है इस समस्या के दो या तीन पहलू हैं । कर्नाटक सरकार ने न्यायाधिकरण के समक्ष पहले ही एक पुनरीक्षण याचिका दायर करने का फैसला कर लिया है तथा यह उच्चतम न्यायालय के निर्णय का विरोध करेगी । दूसरी बात यह है कि न्यायाधिकरण के अन्तरिम आदेश के अनुसार पानी के बंटवारे के लिए मानदण्ड निर्धारित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को एक आयोग का गठन करना होगा, वह आयोग जो मानदण्ड निर्धारित करेगा उसे संसद की दोनों सभाओं के समक्ष रखना होगा तथा उस पर चर्चा करनी होगी । इस बात की पूरी संभावना है कि संसद की दोनों सभायें अन्ततः आयोग द्वारा दिये गये पानी के बंटवारे से संबंधित मानदण्डों को अस्वीकार कर दे । अतः इस समय केन्द्रीय सरकार को कम से कम एक केन्द्रीय जल नीति बनानी होगी । अतः मन्त्री महोदय द्वारा दिये जाने वाले किसी वक्तव्य से पहले मेरा विनम्र निवेदन यह है कि भारत सरकार इस विवाद को हमेशा के लिए हल करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा करे ।

मेरे मित्र ने पहले ही कहा है कि तमिलनाडु सरकार आपसी समझौते के लिए तैयार है । यह एक स्वागत योग्य कदम है । कर्नाटक सरकार भी आपसी समझौते के लिए तैयार है । अब केन्द्रीय सरकार को पहल करनी होगी तथा दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों को बुलाना होगा तथा प्रधानमंत्री को दोनों मुख्य मंत्रियों से बातचीत करनी होगी तथा इस विवाद को हमेशा के लिए बात-चीत द्वारा हल करना होगा । यदि मामला किसी न्यायाधिकरण अथवा उच्चतम न्यायालय में लंबित भी पड़ा है तो भी केन्द्रीय सरकार को किसी हल पर पहुंचने से नहीं रोका जा सकता है । मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि सरकार मामले में हस्तक्षेप करे तथा यह सुनिश्चित करे कि बातचीत द्वारा कोई हल निकल आये ।

यदि सरकार अन्तरिम आदेश को ज्यों का त्यों लागू करती है तो कर्नाटक के लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा । अतः मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि वह मामले में हस्तक्षेप करे तथा विवाद को बातचीत द्वारा हल करे ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे बताया गया है कि मंत्री महोदय इस पर वक्तव्य देंगे ।

श्री जी० माडे गौडा (माण्डया) : महोदय, एक मिनट के लिए अनुमति दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : आपने पहले ही उस बात का अनुमोदन कर दिया है जो महोदया ने कहा था । यह तथ्य कि आप खड़े हुए हैं यह दर्शाता है कि आप इस समस्या के बारे में चिन्तित हैं । आप मुझसे बाद में कक्ष में मिलें तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है ।

श्री० ई० अहमद (मंजेरी) : महोदय, मैं आपके माध्यम से केरल में मालाबार क्षेत्र के लोगों की एक गम्भीर चिंता का मामला विदेश मंत्री महोदय की जानकारी में लाता हूं । पासपोर्ट जारी

किये जाने के लिए मालाबार का संपूर्ण क्षेत्र क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय कालीकट पर आश्रित है। दुर्भाग्यवश कर्मचारियों की कमी के कारण एक लाख से अधिक आवेदन लंबित पड़े होने के बावजूद विदेश मंत्रालय ने वहां पर पासपोर्ट अधिकारियों की सहायता के लिए कुछ नहीं किया है। तमाम लोग पासपोर्ट के लिए बेताबी से इंतजार कर रहे हैं तथा प्रतिदिन कम से कम 5,000 लोग अपने पासपोर्ट की स्वीकृति के लिए पासपोर्ट कार्यालय जाते हैं। बहुत से लोग अपने रोजगार वीसा तथा रोजगार प्राप्त करने की प्रतीक्षा में हैं पर उन्हें पासपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। यहां तक कि अर्मी भी एक दिन में केवल 100 पासपोर्ट जारी किए जा रहे हैं परन्तु एक लाख से अधिक आवेदन उनके समक्ष लम्बित पड़े रहते हैं। यह बहुत ही गंभीर स्थिति है तथा मैं सरकार से विशेषकर सभा के नेता से निवेदन करता हूं कि वह इस मामले को अन्य संबंधित मंत्रियों के साथ उठायें तथा स्थिति को ठीक करें तथा मालाबार क्षेत्र के लोगों की कठिनाइयों को दूर करें।

[हिन्दी]

श्री वृशिण पटेल (सीवान) : अध्यक्ष महोदय, बिहार के सीवान जिले में पिछले वर्ष महाराजगंज और मेरवां के लिए एस० टी० डी० सेवा चालू करने का कार्यक्रम शुरू किया गया था। महाराजगंज में एस० टी० डी० सेवा शुरू हो गयी है, लेकिन मेरवां में एस० टी० डी० सेवा चालू नहीं हुई है। कृपया इसे अविलम्ब शुरू कराने की कृपा करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

(व्यवधान)

---

12 24-1/2 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

केरल में साप्ताहिकों, पाक्षिकों और दैनिक समाचार पत्रों के प्रकाशन के बारे में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3686 के दिनांक 21 अगस्त, 1991 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : मैं केरल में साप्ताहिकों, पाक्षिकों और दैनिक समाचार पत्रों के प्रकाशन के बारे में श्री कोडीकुनील सुरेश द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 3686 के दिनांक 21 अगस्त, 1991 को दिये गए उत्तर में शुद्धि करने और (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 757/91]

12.25 म० प०

[अनुवाद]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

सर्विस डाक्टरों की हड़ताल

श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करता हूं तथा निवेदन करता हूं कि वह इस पर वक्तव्य दें :---

> "सम्पूर्ण देश में सर्विस डाक्टरों की हड़ताल के कारण उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये गए कदम ।"

12.29 म० प०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : सर्विस डाक्टरों के एक वर्ग द्वारा 11-12 नवंबर, 1991 की मध्यरात्रि से की गई अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण देश भर में रोगियों को हुई असुविधा के संबंध में सदन के साथ-साथ सरकार भी पूर्ण रूप से चिंतित है ।

यह हड़ताल सेवारत डाक्टर संगठनों की संयुक्त कार्य परिषद के आह्वान पर की गई है । सरकार ने 21-8-1989 को सेवारत डाक्टरों की इस तारीख तक की सभी मांगों के पूर्ण और अन्तिम निपटान के लि ए सेवारत डाक्टर संगठनों की संयुक्त कार्य परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे । इस समझौता ज्ञापन का एक खंड केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के ढांचे के विभिन्न पहलुओं, डाक्टरों के कैरियर विकास और संबद्ध मामलों की जांच करने के लिए एक उच्चाधिकार समिति की नियुक्ति करने के बारे में था । इस करार के अनुसरण में सरकार ने 3 मई, 1990 को मन्त्रिमण्डल सचिवालय में सचिव (समन्वय), श्री आर० के० टिक्कू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया । इस समिति ने 1-11-1990 को अपनी रिपोर्ट दी । सेवारत डाक्टर संगठनों की संयुक्त कार्य परिषद इस समिति की सिफारिशों को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए सरकार पर दबाव डालती रही है । उन्होंने इसी प्रयोजन के लिए उच्चतम न्यायालय में एक याचिका भी दायर की थी । उच्चतम न्यायालय ने 3 सितंबर, 1991 को सरकार को इस समिति की सिफारिशों पर निर्णय लेने के लिए 2 महीने का समय दिया । इसके शीघ्र बाद 16-9-1991 को सेवारत डाक्टर संगठनों की संयुक्त कार्यपरिषद ने इस आशय का एक नोटिस दिया कि यदि सरकार द्वारा टिक्कू समिति की सिफारिशें पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं की गईं तो वे 11-12 नवंबर, 1991 की मध्य रात्रि से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर देंगे । लेकिन 7-10-1991 को सेवारत डाक्टर संगठनों की संयुक्त कार्य-परिषद ने सरकार को सूचित किया कि यदि सरकार ने किसी भी प्रकार से टिक्कू समिति की सिफारिशों में फेरबदल या संशोधन किया तो 72 घंटों के भीतर तत्काल हड़ताल पर चले जाएंगे । जब यह मामला 11 नवंबर, 1991 को उच्चतम न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आया तो न्यायालय को सूचित किया गया कि टिक्कू समिति की सभी सिफारिशों पर विधिवत् रूप से विचार किया गया है और सरकार द्वारा उपयुक्त निर्णय

ले लिया गया है । तथापि, न्यायालय से यह अनुरोध किया गया कि उन्हें इन निर्णयों की घोषणा को रोकने की अनुमति दी जाए क्योंकि सरकार हड़ताल की धमकी के अन्तर्गत कोई भी रियायतें नहीं देगी । उच्चतम न्यायालय ने सेवारत डाक्टर संगठनों की संयुक्त कार्यपरिषद के आचरण को अननुमोदित करते हुए सरकार को निर्देश दिया कि वे टिक्कू समिति की रिपोर्ट पर लिए गए निर्णयों को सुनवाई की अगली तारीख 18-11-1991 के पहले न्यायालय के समक्ष रखें । न्यायालय ने इस निर्देश के अनुपालन में सरकार ने 14-11-1991 को अपने निर्णयों की घोषणा कर दी जो उक्त तारीख को जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन मे दिए गए हैं, जिसकी एक प्रति संलग्न है । *(उपाबन्ध)*

न्यायालय की टिप्पणियों के बावजूद सेवारत डाक्टर संगठनों की संयुक्त कार्य-परिषद ने 11-12 नवंबर, 1991 की मध्य रात्रि से अनिश्चितकालीन हड़ताल के अपने आह्वान को कार्यान्वित कर दिया । हालांकि सेवारत डाक्टरों के संगठन की संयुक्त कार्य-परिषद डाक्टरों के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है, तथापि विशेषज्ञों, मेडिकल कालेजों के अध्यापकों और रेजीडेंट डाक्टरों ने हड़ताल में भाग नहीं लिया । लेकिन काफी बड़ी संख्या में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के और दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका, कर्मचारी राज्य बीमा निगम और रेलवे के सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों ने इस हड़ताल में भाग लिया है । केन्द्रीय सरकार/दिल्ली प्रशासन की प्रमुख संस्थाओं अर्थात सफदरजंग अस्पताल, डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और सम्बद्ध अस्पताल, मौलाना आजाद मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध अस्पताल, यूनिवर्सिटी कालेज ऑफ मेडिकल साइंसेज तथा गुरुतेग बहादुर अस्पताल और जवाहर लाल नेहरू आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी पर वस्तुतः इस हड़ताल का प्रभाव नहीं पड़ा है और वे सामान्य तौर पर अपना कार्य कर रहे हैं । लेकिन, दिल्ली प्रशासन के के कुछ अस्पतालों जैसे हिन्दूराव अस्पताल और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, जिनमें काफी बड़ी संख्या में सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी हैं, आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं । इस हड़ताल का मुख्य असर केवल केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों पर ही नहीं अपितु, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका के औषधालयों पर भी हुआ है । रेलवे और कर्मचारी राज्य बीमा निगम की चिकित्सा संस्थाओं पर भी हड़ताल का असर पड़ा है । जहां तक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का संबंध है, दिल्ली में औषधियों को कम से कम एक शिफ्ट में चलाने के लिए प्रबंध किए गए हैं और दवाएं जारी करने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं ताकि, लाभार्थियों को कम से कम असुविधा हो । इस प्रकरण में यह एक अत्यधिक संतोष का विषय है कि चिकित्सा अध्यापक, विशेषज्ञ, रेजीडेंट डाक्टर, परम्परागत चिकित्सा पद्धतियों के फिजीशियन और वे सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी, जो इस हड़ताल में शामिल नहीं हुए हैं, पीड़ित मानवजाति को अपनी अमूल्य सेवा प्रदान करके इस अवसर पर खुशी से अतिरिक्त कार्य के बोझ को निपटा रहे हैं और इस प्रकार उन्होंने इस उत्तम व्यवस्था की उच्च परम्पराओं के अनुरूप अपनी ड्यूटी के प्रति आदर्श कार्यनिष्ठा दिखाई है ।

हड़ताली डाक्टरों की मुख्य मांग टिक्कू समिति की सिफारिशों को पूर्ण रूप से स्वीकार करने की है । माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे कि सरकार प्रत्येक सिफारिश की जांच करने और उपयुक्त निर्णय देने के अपने अधिकार का त्याग नहीं कर सकती भले ही, इसके द्वारा नियुक्त समिति की प्रकृति और स्तर कुछ भी हो । पूर्ण रूप से सभी सिफारिशों को स्वीकार करना स्पष्ट

कारणों की वजह से संभव भी नहीं है । प्रथमत: विभिन्न डाक्टरों के बीच इस रिपोर्ट के कुछ पहलुओं के बारे में उनकी धारणाओं में काफी अन्तर है । दूसरे, डाक्टरों की सेवा-शर्तों में सुधार करने पर विचार करते हुए सरकार रोगी परिचर्या की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं कर सकती । और अन्ततः, सरकार को अन्तिम निर्णय लेने से पहले इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने से होने वाली कठिनाइयों और अन्य सेवाओं पर उनकी प्रतिक्रियाओं पर भी ध्यान देना होगा । चिकित्सा संस्थाओं के कार्य में बाधा पैदा करने वाला कोई भी प्रयास कभी भी औचित्यपूर्ण नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त मौजूदा मामले में यह हड़ताल अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण और अनुचित है क्योंकि यह प्रयास उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों की कुल मिलाकर अवहेलना करने के लिए किया गया था, यहां तक कि सरकार ने इससे पूर्व टिक्कू समिति की सिफारिशों पर अपने निर्णयों की घोषणा भी कर दी थी ।

यह हड़ताल एक पृथक दृष्टांत नहीं है । हमारे समाज में भिन्न-भिन्न वर्गों की मांग को पूरा करने के लिए चिकित्सा संस्थाओं के कार्यचालन में रुकावट डालने हेतु प्रयासों के सिलसिले ने दुर्भाग्यवश एक महामारी का रूप धारण कर लिया है । ऐसी बाधाओं के फलस्वरूप मानव को जो कष्ट पहुंचते हैं उनका हिसाब नहीं लगाया जा सकता है और कोई भी जिम्मेदार सरकार कर्मचारियों के एक वर्ग के लिए, जो अपने संकीर्ण स्वार्थों के लिए समस्त समुदाय को निष्क्रिय कर दे, एक मूक-दर्शक नहीं रह सकती । जहां हम अपने कर्मचारियों की सभी तर्कसंगत मांगों पर विचार करने के लिए तैयार हैं, वहां हम लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को अनदेखा नहीं कर सकते, जो किसी भी प्रजातान्त्रिक सरकार का पहला कार्य होना चाहिए ।

जहां तक हड़ताली डाक्टरों की मांगों का संबंध है, हमने निर्णयों की पहले ही घोषणा कर दी है जिन्हें हम ठीक और न्यायोचित समझते हैं । उच्चतम न्यायालय को पहले ही इस मामले की जानकारी है और माननीय न्यायालय ने उनकी शिकायतों की गुणावगुण आधार पर और कानून के अनुसार जांच करने का वचन दिया है । यदि एक बार हड़ताल समाप्त कर दी जाए तो मैं स्वयं खुले दिमाग से उनकी सभी न्यायोचित आकांक्षाओं पर विचार करने का इच्छुक है । मुझे उम्मीद है कि हड़ताली डाक्टर समुदाय के व्यापक हित में काम पर वापस आने के लिए इस देश के उच्चतम न्यायालय के आह्वान पर ध्यान देंगे और लोगों को होने वाली अनावश्यक असुविधा को दूर करेंगे ।

मैं पूरे सदन में अपील करता हूं कि वे दलगत दायरों को छोड़कर आगे आएं और लोगों तक इस आशय का एक सुस्पष्ट संदेश पहुंचाएं कि शिकायतें चाहे किसी भी किस्म की हों, चिकित्सा सेवाओं के कार्यकरण में बाधा डालने का प्रयास पूर्ण रूप से अवांछनीय हैं । यह सदन राष्ट्र की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है और यह जो भी संदेश देगा उसकी हमारे समाज के किसी भी वर्ग द्वारा उपेक्षा नहीं की जा सकती । मुझे विश्वास है कि यह माननीय सदन मुझसे सहमत होगा कि मानव कष्टों के साथ समझौता करना संभव नहीं है ।

उपाबन्ध

संख्या ए० 45013/13/90 सी० एच०एस० V
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय

नई दिल्ली, 14 नवंबर 1991

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सेवारत डाक्टरों के संबंध में उच्चाधिकार प्राप्त समिति (टिक्कू समिति) की सिफारिशें—उन पर लिए गए निर्णय ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों के भविष्य में उन्नति के अवसरों के सभी पहलुओं और संवर्ग पुनःसंरचना की जांच करने के लिए भारत सरकार के मन्त्रिमंडल सचिवालय में सचिव (समन्वय) श्री आर० के० टिक्कू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी । इस समिति ने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर भारत सरकार ने सावधानीपूर्वक विचार किया है और निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं :

(1) मौजूदा सामान्य वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (5900-6700 रुपये) के दो पदों का दर्जा बढ़ाकर अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा के अपर महानिदेशकों (7300-7600 रुपये) के दो अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाएगा । अपर महानिदेशकों के इन अतिरिक्त पदों पर नियुक्ति अपर महानिदेशकों के मौजूदा पदों के अनुरूप ही की जाएगी ।

(2) 5900-6700 रुपये के सुपर टाइम वेतनमान में चार पदों का दर्जा बढ़ाकर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियम, 1982 के नियम 4 (9) के अन्तर्गत 7300-7600 रुपये के वेतनमान में चार अतिरिक्त पदों के लिए कार्रवाई की जाएगी ।

(3) अस्थायी आधार पर प्रोफेसरों (4500-5700 रुपये) के पदों के बराबर की संख्या के पदों का दर्जा बढ़ाकर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में निदेशक-प्रोफेसर (5900-6700 रुपये) के 34 अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाएगा ।

(4) अस्थायी आधार पर विशेषज्ञ ग्रेड-I (4500-5700 रुपये) के पदों के बराबर की संख्या के पदों का दर्जा बढ़ाकर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के गैर-शिक्षण विशेषज्ञ के उप-संवर्ग में परामर्शदाता (5900-6700 रुपये) के 35 रिक्त पदों का सृजन किया जाएगा ।

(5) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में कार्यात्मक चयन ग्रेड (4500-5700 रुपये) और कार्यात्मक ग्रेड (4500-5700 रुपये) के बीच के अन्तर को दूर किया जाएगा । गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड (4500-5700 रुपये) के सभी सह-प्रोफेसरों को 1-12-1991 से प्रोफेसरों के रूप में पदनामित किया जाएगा । गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड (4500-5700 रुपये) के सभी विशेषज्ञ ग्रेड-II के अधिकारियों (गैर-शिक्षण और जन-स्वास्थ्य उप-संवर्ग) को 1-12-1991 से विशेषज्ञ ग्रेड-I के रूप में पदनामित किया जाएगा ।

(6) सभी प्रोफेसर (4500-5700 रुपये) और विशेषज्ञ ग्रेड-I अधिकारी (गैर-शिक्षण और जन स्वास्थ्य उप-संवर्ग) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर के पदों (5900-6700 रुपये) पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे बशर्ते कि रिक्तियां उपलब्ध हों और 4500-5700 रुपये के वेतनमान में उन्होंने कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो चाहे उक्त सेवा कार्यात्मक ग्रेड अथवा 4500-

5700 रुपये के गैर-कार्यात्मक ग्रेड में की गई हो। सह-प्रोफेसर और विशेषज्ञ ग्रेड II अधिकारी जो इस समय गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड में हैं और जिन्हें 1-12-91 से क्रमशः प्रोफेसर और विशेषज्ञ ग्रेड-I अधिकारी के रूप में पदनामित किया जाना है को वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर के पदों (5900-6700 रुपये) पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्रता सूचियां तैयार करने के उद्देश्य से क्रमशः मौजूदा प्रोफेसरों और विशेषज्ञ ग्रेड-I के अधिकारियों के नीचे सामूहिक रूप से रखा जाएगा।

(7) जैसा कि शिक्षण उप-संवर्ग के मामले में किया गया है उसी प्रकार गैर-शिक्षण विशेषज्ञ और जन-स्वास्थ्य शिक्षण विशेषज्ञ के उप-संवर्गों में भी विशेषज्ञ ग्रेड-II के अधिकारियों (3000-5000 रुपये) के रूप में भर्ती के लिए अन्य बातों के साथ-साथ न्यूनतम अनिवार्य अर्हता स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् तीन वर्ष के अनुभव सहित स्नातकोत्तर डिग्री अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात् पांच वर्ष के अनुभव सहित स्नातकोत्तर डिप्लोमा होगी। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि संशोधित भर्ती नियमों के अनुसार भर्ती किए गए सभी विशेषज्ञ ग्रेड-II के अधिकारियों को 3000-5000 रुपये के वेतनमान में दो वर्षों की सेवा पूरी करने पर 3700-5000 रुपये के वेतनमान में प्रोन्नत किया जाएगा बशर्ते कि वे वरिष्ठता, सह-योग्यता में पूरे उतरें।

(8) सुपर स्पेशियलिटी से संबंधित पदों की भर्ती जिसके लिए अन्य बातों के साथ-साथ न्यूनतम अनिवार्य अर्हता डी० एम० अथवा एम० सी० एच० अथवा समतुल्य है, को शिक्षण और गैर-शिक्षण विशेषज्ञता उप-संवर्गों में (3700-5000 रुपये) के वेतनमान में की जाएगी।

(9) तीनों उप-संवर्गों (शिक्षण, गैर-शिक्षण और जन स्वास्थ्य) में 3700-5000 रुपये के वेतनमान में छः वर्ष की सेवा वाले अधिकारी अथवा 3000-5000 रुपये और 3700-5000 रुपये के वेतनमानों में कुल आठ वर्ष की सेवा वाले अधिकारियों को मौजूदा दिशा-निर्देशों (जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कुल मिलाकर अच्छे कार्य निष्पादन और पिछले पांच वर्षों के दौरान कम से कम दो "बहुत अच्छे" मूल्यांकन के लिए व्यवस्था है) के अनुसार 4500-5700 रुपये के वेतनमान में रखा जाएगा। इस प्रकार से 4500-7300 रुपये के वेतनमान में रखे जाने पर सह-प्रोफेसरों को प्रोफेसर के रूप में और विशेषज्ञ ग्रेड-II के अधिकारियों (गैर-शिक्षण और जन स्वास्थ्य) को विशेषज्ञ ग्रेड-I अधिकारियों के रूप में पदनामित हुआ समझा जाएगा।

(10) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों (3000-4500 रुपये) को वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के रूप में छः वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर अथवा चिकित्सा अधिकारियों और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के रूप में 10 वर्षों की संयुक्त नियमित सेवा पूरी करने पर, जिसमें कम से कम दो वर्षों की सेवा वरिष्ठता सह-योग्यता के आधार पर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रूप में होगी, को मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (3700-5000 रुपये) के वेतनमान में पदोन्नत

किया जाएगा बशर्ते कि उनको रिक्तियों से बिना किसी संबंध के "अच्छे" की श्रेणी में क्लीयर कर दिया गया हो। चयन का कोई क्षेत्र नहीं होगा। यह पदोन्नतियां पदोन्नत किए गए अधिकारियों के लिए स्वस्थाने और व्यक्तिगत आधार पर होंगी। प्रसंगवश यह बात जनरल ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों को एक और समयबद्ध पदोन्नति प्रदान करेगी। जैसा कि वरिष्ठता सह-योग्यता के आधार पर चार वर्ष की सेवा पूरी करने पर चिकित्सा अधिकारियों (2200-4000 रुपये) के स्तर से वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों (3000-4500 रुपये) के स्तर पर पहली समयबद्ध प्रोन्नति को पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है। जैसा कि इस समय मौजूदा दिशा-निर्देशों (पिछले पांच वर्षों के दौरान कम से कम दो "बहुत अच्छा" मूल्यांकन सहित कुल मिलाकर अच्छा कार्य निष्पादन) के आधार पर सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उप-संवर्ग के सभी वरिष्ठ ड्यूटी पदों की पन्द्रह प्रतिशत सीमा तक 4500-5700 रुपये के ग्रेड में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को रखा जाना जारी रहेगा। 4500-5700 रुपये के वेतनमान में तीन वर्षों की सेवा सहित मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा कुल सत्रह वर्षों की ग्रुप "ए" की सेवा वाले व्यक्ति वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर के पदों (5900-6700 रुपये) पर पदोन्नति के लिए पात्र होते रहेंगे बशर्ते कि रिक्तियां उपलब्ध हों।

(11) विभिन्न अस्पतालों और शिक्षण तथा अन्य संस्थानों में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उप-संवर्ग के चिकित्सा अधिकारियों/वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों/मुख्य चिकित्सा अधिकारियों/सुपर टाइम ग्रेड अधिकारियों द्वारा धारित सभी पदों, जहां किए जाने वाले कार्य प्रमुखतः विशिष्टीकृत प्रकृति के होते हैं और सामान्यतया जिन्हें विशेषज्ञता प्राप्त डाक्टरों द्वारा किया जाना आवश्यक होता है, को विशेषज्ञ पदों में बदल दिया जाएगा और जिन्हें विशेषज्ञों के भर्ती नियमों में मौजूदा उपबन्धों के अनुसार भरा जाएगा। सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उप-संवर्ग से चिकित्सा अधिकारियों/वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों/मुख्य चिकित्सा अधिकारियों/सुपर टाइम ग्रेड अधिकारियों के पदों की संख्या के बराबर पदों को समाप्त कर दिया जाएगा। अस्पतालों और शिक्षण तथा अन्य संस्थानों में सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उप-संवर्ग के ऐसे पदों को विशेषज्ञ पदों में बदलने की बात खुली प्रतियोगिता के माध्यम से विशेषज्ञ उप-संवर्गों में प्रवेश करने के लिए सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उप-संवर्ग से संबंधित अर्हता प्राप्त अधिकारियों के लिए अवसर उन्नत करेगी।

(12) 4500-5700 रुपये के साथ-साथ 3700-5000 रुपये के स्तर पर सीधी भर्ती की जा सकती है, जो पदों के पता लगाने की बात पर निर्भर होगी।

(13) केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अंतर्गत उपलब्ध सेवा में वृद्धि किए गए वर्षों के लाभ केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध होंगे।

(14) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के संवर्ग व्यवस्था से संबंधित कार्य के किसी भाग को स्वास्थ्य

सेवा महानिदेशालय को स्थानांतरित करने की व्यवहार्यता और केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सदस्य को और अधिक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के मामले की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा जांच की जाएगी।

(15) रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और अन्य संगठन पृथक रूप से संवर्ग की पुनर्संरचना के प्रस्तावों और सरकार द्वारा केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा संवर्ग पर लिए गए निर्णयों की बात को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति के और अधिक अवसर प्रदान करने के लिए कार्रवाई करेंगे।

(16) डाक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के मुद्दे को उसकी विवक्षा और प्रतिक्रियाओं के बारे में और अधिक विस्तृत जांच के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा स्थगित रखा गया है।

(17) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (अखिल भारतीय सेवा प्रभांग) यथा समय राज्य सरकारों से परामर्श लेते हुए एक अखिल भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा बनाने के प्रश्न की जांच करेगा।

2. सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् सरकार ने उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अन्य सिफारिशों को स्वीकार करना संभव नहीं पाया है।

3. उपर्युक्त निर्णयों के फलस्वरूप केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियम 1982 में संशोधन जहां भी आवश्यक होंगे, यथासमय जारी किए जाएंगे।

हस्ताक्षर/-
(एस० हरिहरण)
उप-सचिव, भारत सरकार
(दूरभाष सं० 3014495)

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : माननीय सभापति जी, हम आपको धन्यवाद देंगे कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर ध्यानाकर्षण स्वीकार किया लेकिन मैं एक बात आपके ध्यान में ला दूं कि माननीय मंत्री जी जब अपना वक्तव्य समाप्त कर रहे थे और एक पेज बाकी रह गया था तो मुझे उसकी हिन्दी कापी दी गयी। यह बड़े दुख की बात है। पता नहीं, मंत्री जी को यह मालूम है कि नहीं। इसलिए हम निवेदन करेंगे कि इस हाउस में इस बात का ध्यान रखा जाए और समय से पूर्व ही उसकी हिन्दी कापी दी जाए क्योंकि मैं हिन्दी में भाषण दूंगा।

मान्यवर, 12 नवम्बर से देश के केन्द्रीय सेवा में कार्यरत डाक्टरों की हड़ताल चल रही है और बिना रुके चल रही है। यह मामला निरंतर रोज-ब-रोज बहुत गंभीर होता जा रहा है। सरकारी स्वास्थ्य सेवा में लगे दस हजार डाक्टरों में से करीब नौ हजार डाक्टर्स या इससे भी अधिक हड़ताल पर जा चुके हैं। इसका परिणाम यह रहा कि 250 सरकारी डिस्पेंसरीज बंद हो गयी हैं, एक हजार मैडिकल सैण्टर बंद हो गए। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि कम-से-कम 300 से अधिक ऐसे व्यक्ति अकारण काल-कलवित मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। इस प्रकार सफदरजंग अस्पताल, डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, गुरु तेग बहादुर

अस्पताल, दिल्ली के रेलवे अस्पताल, नगर निगम के अस्पताल और बाड़ा हिन्दूराव अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं ठप्प हो गयीं। इसके अलावा हैदराबाद, बंगलौर और देश के विभिन्न भागों में इस हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवाएं पूर्णतया ठप्प हो चुकी हैं। मरीज आज दवा के अभाव में परेशान हैं, उसके परिवार के लोग परेशान हैं। अकारण ही मौतें हो रही हैं। यों तो सारे देश में न केवल डाक्टर्स की बल्कि वैज्ञानिक, कलाकार, शिक्षाविद् सभी का बुरा हाल है लेकिन यदि इन डाक्टर्स की हड़ताल को देखेंगे तो मालूम होगा कि सारा माहौल देश में खराब हो गया है और देश की जनता बड़ी चिन्तित है।

श्रीमन्, अस्पतालों में उपकरणों का अभाव हैं, लाल फीताशाही के जरिए सारे उपकरण जंग खा रहे हैं, दवाओं का अभाव है, नकली दवाओं का बोलबाला है, डाक्टरों की लापरवाही भी है लेकिन आज जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है, वह है डाक्टरों की हड़ताल। आज समाज में स्वास्थ्य के रखवाले डाक्टर्स प्रश्न उठा रहे हैं—ये हड़ताल पर क्यों हैं? क्या इनके दिल में बीमारों के प्रति मानवीय संवेदना की कमी है? लेकिन इनके स्टेटमेंट से देखा जा रहा है कि इनके आचरण को देखा जा रहा है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे इस देश के नागरिक हैं, उनके अन्दर भी मानवीय संवेदनाएं हैं लेकिन मानवीय संवेदना भूखों रहकर तो नहीं की जा सकती है। यदि देश का डाक्टर, वैज्ञानिक, अच्छा कलाकार अच्छी हालत में हो तो देश को एक नयी दिशा देगा।

मान्यवर, डाक्टरों की शिकायत है और वे बार-बार यह कह रहे हैं और जैसा कि वक्तव्य में आया है कि टिक्कू समिति की रिपोर्ट लागू की जाए। मैं इस रिपोर्ट पर बाद में बात करूंगा, उसके पहले माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह टिक्कू समिति की जो रिपोर्ट है या हड़ताल जो चल रही है, इस हड़ताल के मद्देनजर सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में इसका हल नहीं किया जा सकता था? मामला इतना क्यों बढ़ता गया? हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने डाक्टरों के हड़ताल पर जाने से पूर्व इसका समाधान करने के लिए कोई कार्यवाही की?

आपने जो वक्तव्य दिया है इस वक्तव्य से कुछ कार्यवाही की झलक तो मिलती है, लेकिन यदि इसको गौर से देखा जाए तो यह केवल वक्तव्य मात्र है। डाक्टरों ने हड़ताल का नोटिस दिया था। अनेक बार वे आपसे मिले भी थे और अन्य लोगों से भी मिले थे, लेकिन इस पर आपने क्या कार्रवाई की, यह हम जानना चाहते हैं।

मान्यवर, डाक्टरों की काफी पुरानी शिकायत है कि अन्य केन्द्रीय सेवाओं की तुलना में स्वास्थ्य सेवाओं को दूसरे दर्जे का बना दिया गया है। यह स्थिति उनकी सेवा शर्तों में भी है, वेतनमानों में भी है, पदोन्नति के अवसरों में भी है और अनेक उपलब्धियों पर भी यह है। 1982 में एक और गड़बड़ी हुई थी जब स्वास्थ्य सेवाओं को चार शाखाओं में बांट दिया गया था। पहला सामान्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में एक वर्ग किया गया था, दूसरा शिक्षक विशेषज्ञ के रूप में, तीसरा गैर-शिक्षक विशेषज्ञ के रूप में और चौथा जन-स्वास्थ्य विशेषज्ञ के रूप में। इससे समयबद्ध पदोन्नति के अवसर कम हो गए।

1986 में चौथे वेतन आयोग ने सरकारी सेवारत डाक्टरों के कैडर तथा वेतनमानों में बढ़ोतरी की सिफारिश की, लेकिन मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या 1986 के चौथे वेतन आयोग की सिफारिशें उनके ध्यान में आई थीं या नहीं, क्या उन्होंने इस पर ध्यान दिया था या नहीं? यदि इस पर ध्यान दिया गया था तो इस पर क्यों नहीं कोई कार्रवाई हुई?

मान्यवर, 1987 में फिर हड़ताल हुई। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री, जो आज हमारे प्रधान मंत्री हैं, इन्होंने उस हड़ताल के बाद डाक्टरों को आकर्षक पैकेज देने की व्यवस्था की। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, चूंकि वे बड़े विद्वान हैं और इन्होंने काफी दिलचस्पी भी ली है··· **(व्यवधान)**

श्री हरि किशोर सिंह : यह कब से मालूम हुआ आपको ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह वक्तव्य देखकर के, और वैसे मैं उनको बहुत पहले से जानता हूं।

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों का क्या हुआ ? उनके दिमाग मे यह बात आई थी या नहीं ? हम यह जानना चाहते हैं कि क्यों सरकार का इसमें अपेक्षात्मक रवैया नहीं रहा है ? इसे अपेक्षात्मक तो नहीं कहा जा सकता। यदि इस पर ध्यान दिया गया होता तो टिक्कू समिति की रिपोर्ट की जरूरत न होती या ऐसे ही और बातों की जरूरत न होती और हड़ताल की नौबत न आती।

मान्यवर, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि पूरे देश में डाक्टरों का व्यवसाय एक है। वेतन-मान और सुविधाएं जो डाक्टरों के लिए हैं, ये अलग-अलग कोटि की हैं, इनमें भारी अंतर है। ऐसा क्यों है ? क्या एक समान राष्ट्रीय वेतन नीति बनाने पर भी सरकार ध्यान दे रही है ? आपने अभी कहा कि टिक्कू आयोग की बहुत-सी बातें स्वीकार नहीं की जा सकतीं। तो मेरा यह प्रश्न है कि क्या समान कार्य करने वाले को समान वेतन देने के लिए आप कोई कारंवाई कर रहे हैं ?

मान्यवर, इन्होंने कहा कि "जोइंट एक्शन कांउसिल ऑफ सर्विस डाक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन" और तत्कालीन प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के बीच एक समझौता हुआ और इस समझौते में टिक्कू आयोग का गठन हुआ। इसमें श्री आर० के० टिक्कू इसके अध्यक्ष बनाए गए। अक्तूबर, 1990 में यह रिपोर्ट दी। सरकारी डाक्टरों के सभी संगठनों के प्रतिनिधियों से, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री से, दोनों से ही सुझाव लिया गया और जब यह रिपोर्ट आई तो इसका बहुमत से स्वागत हुआ। डाक्टर वर्ग भी इससे प्रसन्न था। डाक्टर वर्ग की दूसरी कोटि के लोग भी प्रसन्न थे और जो चार वर्ग इसके बनाए गए थे, वे भी इससे प्रसन्न थे लेकिन ये रिपोर्ट क्यों नहीं लागू की जा रही है ?

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि यदि यह रिपोर्ट लागू हो गई होती तो डाक्टरों का सामाजिक स्तर ऊंचा होता, केन्द्रीय सेवाओं के वेतनमानों में समानता होती, समयबद्ध पदोन्नति के नए अवसर मिलते लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर यह रिपोर्ट लागू हो गई होती तो चिकित्सा सेवाओं के संचालन के लिए 7300-8000 के वेतनमान वाला पांच सदस्यीय बोर्ड भी गठित होता। लेकिन सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया। मान्यवर, हमने एक रिपोर्ट देखी है जिसमें कहा गया है कि इससे ढाई करोड़ रुपए की क्षति होगी। यदि टिक्कू आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दिया जाए तो इससे सरकार का ढाई करोड़ रुपए व्यय-भार बढ़ जाएगा। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि डाक्टरों की हड़ताल से अब तक सरकार का जो नुकसान हुआ है, वह कितने करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मैं समझता हूं कि वह नुकसान 250 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो चुका है। यदि अब भी उस रिपोर्ट को नहीं माना गया और डाक्टरों की हड़ताल ऐसे ही देश में चलती रही तो जहां एक वर्ष में 250 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया गया है, अनेक

वर्षों में, न मालूम सरकार का कितने करोड़ रुपए का नुकसान होगा। मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि टिक्कू आयोग की रिपोर्ट को लागू करने में आपको क्या परेशानी है, वे कौन से ऐसे कारण हैं, जिनकी वजह से आप इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यदि आपने इस रिपोर्ट को स्वीकार ही नहीं करना था, तो मैं जानना चाहता हूं कि टिक्कू आयोग का गठन ही क्यों किया गया था। जब आपने आयोग गठित किया था तो उसकी रिपोर्ट आपको स्वीकार करनी चाहिए।

सभापति जी, अभी हमने एक जगह पर पढ़ा है कि इस आयोग ने कुल मिलाकर 33 सुझाव सरकार को दिए हैं, 33 सिफारिशें की हैं। इन 33 सिफारिशों में से 17 सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली हैं और शेष सिफारिशों को अभी तक स्वीकार नहीं किया है। मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं कि शेष सिफारिशें आपने स्वीकार क्यों नहीं कीं और उन्हें स्वीकार करने में सरकार को क्या कठिनाई है। कहीं ऐसा तो नहीं हैं कि जैसे देश में कुछ आई० ए० एस० अधिकारियों की लॉबी काम कर रही है, वे आई० ए० एस० अधिकारी आपको हमेशा से गुमराह करते रहे हैं, देश को उन्होंने गुमराह किया है और उनकी वजह से आज देश को इतना बड़ा नुकसान सहन करना पड़ रहा है, बेमौत की मौतें हो रही हैं, अनेकों लोग बेमौत मर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मंत्री जी सदन को बतायें कि कहीं उस आई० ए० एस० लॉबी या आई० ए० एस० अधिकारियों की घृणा और जलन का ही यह परिणाम तो नहीं है। क्या डाक्टर्स उनका मुकाबला करने में सक्षम हैं।

सभापति जी, चूंकि आप लगातार घंटी बजा रहे हैं, इसलिए अब अन्तिम बात कह कर समाप्त करता हूं। डाक्टरों ने अदालती लड़ाई लड़ी। उच्चतम न्यायालय तक वे गये। प्रत्येक संसद् सदस्य से मिले। मंत्री जी से भी वे मिले और अपनी परेशानी बतायी। धरना दिया, प्रदर्शन किया, प्रधान मंत्री आवास तक रैली निकाली, कलमबंद हड़ताल की, काली पट्टी बांधी और एक लम्बे अंतराल से यह सब चला आ रहा है। परन्तु इसका अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला। यदि स्वास्थ्य मंत्रालय ने ध्यान दिया होता, अभी जैसा मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी के विषय में कहा कि वे बड़ी सूझ-बूझ वाले आदमी हैं, लेकिन आज ऐसा लगता है कि उनकी वह सूझ-बूझ कहीं चली गयी है। नहीं तो, वे अवश्य इस पर ध्यान देकर, कोई हल निकाल लेते। मान्यवर, एक रिपोर्ट मैंने अभी पढ़ी है, जिसमें यह लिखा है, सूचना दी गई है कि देश में कुल 30,859 डाक्टर्स बेकार है। केवल दिल्ली में ही 3977 डाक्टर बेकार हैं, महाराष्ट्र में 3794, तमिलनाडु में 3729, पश्चिम बंगाल में 3743, आंध्र प्रदेश में 2537, केरल में 2179, उड़ीसा में 14 0, बिहार में 1314, उत्तर प्रदेश में 1348 और हरियाणा में 874 डाक्टर्स बेकार हैं। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि डाक्टर्स की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए, जो बेकार हैं, सरकार उनको रोजगार दिलाए जाने की दिशा में क्या कदम उठा रही है। मैं पुनः आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हाउस को स्पष्ट तौर पर बताएं कि देश में जिस तरह से डाक्टरों की हड़ताल चल रही है, बोट क्लब पर उनकी भूख हड़ताल का डेरा लगा हुआ है, उसके परिणामस्वरूप चारों तरफ जो गड़बड़ी हुई है, लोगों की अकाल मौत हो रही है, उसके संबंध में, सरकार के पास क्या उत्तर है, सरकार डाक्टरों की हड़ताल को समाप्त कराने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है।

[अनुवाद]

श्री भुवन चन्द्र खंडूरी (गढ़वाल) : महोदय, मैं डाक्टरों की हड़ताल से लोगों को निरंतर

हो रही चिन्ता व्यक्त करता हूं। मंत्री महोदय ने सरकार की स्थिति को बहुत ही कुशलता तथा विश्वासोत्पादकता के साथ बताया है। परन्तु मैं सुझाव देना चाहूंगा कि दूसरे पक्ष को भी अपनी बात कहने दी जानी चाहिए तथा उसकी बात न सुनने का सरकार का दृष्टिकोण वांछनीय नहीं है। यद्यपि मैं पूरी तरह मंत्री महोदय से सहमत हूं कि सरकार की किसी भी तरह की धमकी के आगे झुकना नहीं चाहिए। यह सही सिद्धांत है परन्तु साथ ही साथ मुझे आशा है कि इस प्रकार का सिद्धांत अन्य मामलों में भी लागू होगा तथापि, दबाव के आगे झुकना तथा शक्ति की बात पर बातचीत करने में फर्क है। चूंकि सरकार महसूस करती है कि यह सुदृढ़ मामला है, मैं नहीं समझता हूं सरकार द्वारा इन लोगों के शिष्टमंडल से मिलने तथा कोई हल निकालने में कोई नुकसान है। मैं महसूस करता हूं कि इस सरकार का जिद्दीपन तथा जो दृष्टिकोण सरकार द्वारा अपनाया गया है कि वे डाक्टरों अथवा उनके शिष्टमंडल से नहीं मिलेंगे जब तक उनकी हड़ताल समाप्त नहीं हो जाती है, अपेक्षित नही है। यह वांछनीय नहीं है। केवल उनसे मिलने अथवा बातचीत करने से आप उन्हें कुछ दे नहीं रहे हैं। यदि आपके मिलने से डाक्टरों के लिए समझौता करने या बातचीत करने या उनके द्वारा हड़ताल वापिस लिए जाने का कोई अवसर हो सकता है तो उसे बंद नहीं करना चाहिए। अतः मैं सरकार से दृढ़तापूर्वक अनुरोध करता हूं कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि जनता को कोई परेशानी न हो, उन्हें डाक्टरों को बुलाना चाहिए तथा बिना किसी शर्त के उनसे बातचीत करना स्वीकार करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : सभापति महोदय, डाक्टरों की हड़ताल के सम्बन्ध में मंत्री जी ने अभी जो उत्तर दिया है, उसके सम्बन्ध में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। डाक्टरों की जैसी कि मांग है कि सरकार ने जो टिक्कू कमेटी बनाई थी, उसकी रिपोर्ट को लागू होना चाहिए, लेकिन सरकार ने लागू नहीं किया। इस सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जब सरकार ने टिक्कू कमेटी बनाई थी, तो यह सोचकर ही बनाई होगी कि जो रिपोर्ट वह देगी, उसको लागू करेंगे और टिक्कू साहब भी कोई दूसरे नहीं हैं, वे भी सरकार के सचिव हैं और सरकार के ही एक अंग के रूप में हैं, तो फिर उस रिपोर्ट को क्यों लागू नही किया गया और क्यों डाक्टरों को हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा ?

सभापति महोदय, सारी रिपोर्ट सरकार के पास थी कि क्या-क्या प्रमोशन होने चाहिए, फिर इस पर विचार करने में इतना समय क्यों लगा यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। छब्बीस-छब्बीस साल तक डाक्टरों को प्रमोशन न मिले और वे एक ही पोस्ट पर कार्य करते रहें, यह कैसे चलेगा। जब आप कहते हैं कि हमारा देश डिवेलप कर रहा है, विकास की बातें आप करते हैं, कंट्री को फास्ट रन करने की बातें करते हैं, तो क्यों नहीं उनको नये-नये आधुनिक औजार उपलब्ध करवाए जाते। हमारे देश के लोग आपरेशन के लिए बाहर जाते हैं। क्यों नहीं आप अपने देश में ही डाक्टरों को अच्छे-अच्छे औजार देते हैं, ताकि ये ऑपरेशन यहीं हो सकें। इनको अच्छे-अच्छे इंस्ट्रूमेंटस दीजिए। हमारे वी० आई० पी० लोग बाहर जाते है, वे न जाएं, ऐसी व्यवस्था हमारे देश में ही ऑपरेशनों की कर दें। वे बाहर जाने में इतना पैसा खर्च करते हैं, यदि ये सुविधाएं यहीं मिल जाएं, तो यह पैसा हमारा बाहर खर्च नहीं होगा।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस कमेटी की रिपोर्ट को

लागू करने पर इतना समय क्यों लगा और क्यों डाक्टरों को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा ? अगर डाक्टरों के साथ बैठकर इस पर विचार-विमर्श किया जाता, तो यह हड़ताल की नौबत ही नहीं आती। जब आपने दूसरे कैटेगरी में प्रमोशन के लिए स्लैब और समय फिक्स किया है, तो क्यों नहीं डाक्टरों के लिए भी ऐसा किया जाता है ? जब आई० ए० एस० और दूसरे अधिकारियों को प्रमोशन के लिए स्लैब बनाए हैं, तो इनके लिए क्यों नहीं बनाए और जो प्रमोशन की काम्परेटिव फीगर्स हैं, वे इस समय मेरे हाथ में हैं यदि आप चाहें तो मैं पूरी पढ़ सकता हूं कि अन्य क्षेत्रों में प्रमोशन कितने समय के बाद दी जाती हैं और डाक्टों को 26-26 साल तक एक ही पोस्ट पर कार्य करते रहना पड़ता है, और उनकी प्रमोशन नहीं की जाती है। इस प्रकार से हमें भी लगता है कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा हैं। आपका महानिदेशक बनता है, लेकिन आप बताइये कि कितने डाक्टर महानिदेशक बने हैं और कितने वर्षों के बाद ? इनसे लम्बे समय तक डाक्टरों को कोई प्रमोशन न दिया जाए, यह बहुत गलत बात है। मंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए और डाक्टरों के साथ बैठकर विचार करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए।

सभापति महोदय, यह सिर्फ दिल्ली ही की बात नहीं है, अभी मैं रतलाम में से आ रहा हूं। वहां पर भी रेलवे के डाक्टरों ने हड़ताल कर रखी है। मेरा निवेदन है कि आप इस कमेटी की रिपोर्ट को लागू कीजिए और जैसा एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि इसको लागू करने से आपकी ढाई करोड़ रुपए की कास्ट आएगी, तो यह तो आप अपने यहां ऑपरेशनों की व्यवस्था करके और फीस लेकर ही पूरी कर सकते हैं। इस प्रकार जो पैसा लगेगा वह आप वसूल कर लेंगे। ये ही दो-तीन पाइंट मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाते हुए पुनः अनुरोध करता हूं कि डाक्टरों की हड़ताल समाप्त करवाइए।

[अनुवाद]

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी (वारंगल) : सभापति महोदय, लगभग 90 प्रतिशत डाक्टर हड़ताल पर हैं। आज हड़ताल का तेरहवां दिन है। इसका लगभग 250 अस्पतालों और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के 1000 से अधिक औषधालयों पर असर पड़ा है। एक माननीय सदस्य ने अभी बताया था कि 300 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। यह इस देश के लिये अच्छा नहीं है। हम यह हड़ताल सहन नहीं कर सकते।

मन्त्री महोदय ने एक विस्तृत वक्तव्य दिया है जिसमें उन्होंने सरकार के रुख के बारे में बताया है। मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वह इसे अपनी इज्जत का मामला न बनायें। आप डाक्टरों को बुलाइये। आखिर वे हमारे ही लोग हैं। वे हमारे ही हैं। आप उन्हें बताइये कि आप खुले दिमाग से उनसे चर्चा करने और मुद्दे को हल करने के इच्छुक हैं।

टिक्कू समिति 3 मई को गठित की गई थी। उसने 1 नवम्बर को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। सरकार ने 17 मदों को स्वीकार कर लिया था और छः मदें स्वीकार नहीं की गई थीं। किसी रिपोर्ट की प्रस्तुत कर दिये जाने के बाद उसकी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये एक समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए, अन्यथा इसे विशेष रूप से आवश्यक सेवाओं के लिए गठित किसी न्यायाधिकरण को सौंप दीजिए। मन्त्री महोदय को मेरा यह सुझाव है कि इस पर चर्चा की जानी चाहिए और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा आदि जैसी अखिल भारतीय सेवा गठित करने पर विचार किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ ही मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : सभापति महोदय, स्वास्थ्य मन्त्री ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके अन्तिम पैरा में है :

[अनुवाद]

"यह सभा राष्ट्र की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है और इसके सम्प्रेषित संदेश को हमारे समाज का कोई भी वर्ग, और तो और सरकार भी अनसुना नहीं कर सकती।"

[हिन्दी]

मेरा निवेदन है कि इसमें पांच लोगों में से दो गवर्नमेंट के और तीन ओपोजीशन के हैं। पांचों ने आपसे यह अपील की है कि आप डाक्टरों की मांगों को मानने के लिए प्रेसटिज से हटकर उनसे बातचीत कीजिए।...(व्यवधान)...मेरा इस बारे में कहना है कि यह वक्तव्य निराशाजनक, डाक्टरों के जख्मों पर नमक छिड़कने वाला और स्थिति को और पेचीदा बनाने वाला है। आपने अपने पहले पैराग्राफ में खुद माना है कि :

[अनुवाद]

सरकार ने 21-8-1989 को सेवारत सभी डाक्टरों की मांगों के पूर्ण और अन्तिम निपटारे के रूप में जे० ए० सी० एस० डी० ओ० के साथ एक समझौता ज्ञापन पर 21-8-1989 को हस्ताक्षर किए थे।

[हिन्दी]

आपने खुद माना है इन-टोटो मांगों को मानेंगे। जो न्यायोचित मांगें हैं विचार करके, कमेटी की कार्यवाही करने के लिए कहेंगे। आज फिर कह रहे हैं कि हम उनकी न्यायोचित मांगों की बहस के लिए तैयार हैं। उसके लिए तो पहले ही टिक्कू कमेटी बैठ गई फिर किस तरह की न्यायोचित मांगों की बात करते हैं। न्यायोचित मांगों के बारे में जो फैसला टिक्कू कमेटी का किया गया है वह आपको मान लेना चाहिए।...(व्यवधान) डाक्टर हड़ताल नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि हम मजबूर होकर हड़ताल कर रहे हैं। आप शर्तें लगा रहे हैं। पंजाब के आतंकवादियों से तो बिना शर्त बात करने के लिए तैयार हैं लेकिन डाक्टरों से बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। यह बड़े खेद की बात है। अभी आपने कहा कि हमने एक घोषणा कर दी है। आपको मालूम है कि आपने दस हजार डाक्टरों में से केवल एक हजार को सुविधा दी है।

1.00 म० प०

आप डिवीजन करना चाहते हैं। 90 परसेंट डाक्टरों को आपने इसमें कोई सुविधा नहीं दी है इसलिए वह न्याय का दरवाजा खटखटा रहे हैं। आप जो यह कह रहे हैं कि हमने 4-5 मांगें मान ली हैं, मैं आपके ध्यान में ला दूं।

[अनुवाद]

"टिक्कू समिति की बत्तीस सिफारिशें दो विचारार्थ विषयों पर आधारित हैं।"

[हिन्दी]

अगर इसमें से एक भी नहीं मानते हैं तो बेसिक टर्म्स आफ रैफ़ेंस से आप पीछे हट रहे हैं। इसलिए 32 रिकमंडेशन्स को मानना चाहिए तभी टर्म्स आफ रैफ़ेंस ठीक आयेगा व जिस दृष्टि से टिक्कू कमेटी बैठी थी उसकी भी पूर्ति होगी। टिक्कू कमेटी 1989 के समझौते का एक परिणाम है। फार्मर हैल्थ मिनिस्टर चाहे राम निवास मिर्धा जी हों, रफीक आलम हों या शकीलुर्रहमान हों, उनका भी यह कहना था और समझौते के दौरान उन्होंने डाक्टरों को आश्वासन दिया था कि टिक्कू कमेटी की रिपोर्ट को इन टोटो लागू किया जायेगा। उनकी जो चिट्ठियां हैं और जो उन्होंने मुझे भेजी हैं वे भी मेरे पास हैं।

आपने स्टेटमेंट दिया है कि यह गवर्नमेंट का राइट है कि वह ऐनी रिपोर्ट को रिव्यू करें। लेकिन यह टिक्कू कमेटी की रिपोर्ट ऐनी रिपोर्ट नहीं है, जो उनके न्यायोचित मामले हैं, उन्हें दिलाने के लिए टिक्कू कमेटी का गठन किया गया था, इसलिये इसे ऐनी रिपोर्ट नहीं कहा जा सकता है।

[अनुवाद]

"समिति का गठन ऐसा था कि वह अन्तिम निर्णय लेगी।"

[हिन्दी]

फिर फाइनल डिसीजन दिया है।

अभी सुप्रीम कोर्ट की बात कही गई। आपने स्टेटमेंट में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया है डाक्टरों को कि वे अपनी हड़ताल को वापिस लें। उन्होंने आर्डर नहीं किया है बल्कि पब्लिक इंटरस्ट में डिजायर किया है। हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं और डाक्टर स्वयं चाहते हैं कि वे हड़ताल न करें लेकिन आपने उनके सामने रास्ता नहीं छोड़ा। आपने उनकी डिजायर को यह कह दिया कि उन्होंने आर्डर दिया। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आपके खिलाफ बार बार स्ट्रिक्चर पास किए और दो बार फाइन किया क्योंकि आपने ठीक समय पर रिप्लाई नहीं किया। जो उन्होंने 500-500 रुपए का फाइन किया था उसका भी आपने पेमेंट नहीं किया। कोर्ट ने अपने आर्डर में कहा है :

[अनुवाद]

"डाक्टरों और सरकार के बीच बातचीत होनी चाहिए, किन्तु सरकार की ओर से कोई उत्तर नही मिला।"

[हिन्दी]

मेरा आपसे निवेदन है कि आप झूठी प्रतिष्ठा को छोड़ कर उनकी मांगें मान लें। आपने अपने बयान में खुद यह कहा है कि यह हाउस की विल है। कांग्रेस और अपोजिशन के हमारे मित्र अब आपसे यह कह रहे हैं कि आप झूठी प्रतिष्ठा को छोड़ कर डाक्टरों से तुरन्त बात करें और टिक्कू कमेटी की रिपोर्ट को तुरन्त लागू करें। इतना ही मेरा आपसे निवेदन है।

[अनुवाद]

श्री एम० एल० फोतेदार : मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद

में अभी भाग लिया है। श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री ने जो कहा है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि मामले सर्वोच्च न्यायालय में निर्णयाधीन हैं और मेरी ओर से कोई वायदा किए जाने से न्यायालय के निर्णय पर अनावश्यक रूप से पूर्वाग्रहपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : सभापति जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी मंत्री जी ने कहा कि इस संबंध में केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। स्पीकर साहब ने सदन की भावना को ध्यान में रखते हुए यह कालिंग अटेंशन एलाऊ किया। मुझको यह शंका है कि सारी चीज जब इनके खिलाफ जायेगी तो सरकार सुप्रीम कोर्ट के नाम से इसको दबायेगी। सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग कुछ नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को हिदायत दिया है कि कोई डायलग मत करो, कोई फैसला मत करो ? अब अगर सरकार सुप्रीम कोट की आड़ लेकर बचने का काम करेगी तो यह न्यायोचित नहीं होगा।...(व्यवधान)...

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यदि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन था तो यहां यह डिस्कशन एक्सेप्ट होने की जरूरत ही कहां रह गई ? जब यह डिस्कशन एक्सेप्ट हो गया तो इसको स्वीकार करना ही है और तब इस पर बहस होनी चाहिए और आपको उसका उत्तर देना चाहिए इसलिए सुप्रीम कोर्ट का हवाला देना इसमें ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

श्री एम० एल० फोतेदार : मैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस महीने की 22 तारीख को जारी किए गए आदेश के भी संगत अंश पढ़ूंगा। मैं संगत अंश पढ़ूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित पड़ा है, जहां डाक्टर टिक्कू समिति की रिपोर्ट को कार्यान्वित कराने के लिए गए हैं। क्या ऐसे में, जबकि अदालती कार्यवाही लम्बित पड़ी हो, इस देश के उच्चतम मंच पर पहले ही इस पर चर्चा की जा सकती है ? और मंत्री महोदय यह कैसे कह सकते हैं कि "मैं टिक्कू समिति की रिपोर्ट और उसके कार्यान्वयन के बारे में कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि यह लंबित है" ? यह सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध नहीं है। मान लो वे आज मान लेते हैं और यदि वह कहते हैं कि वह सिफारिशों को स्वीकार करते हैं, तो इसका कार्यवाहियों पर असर नहीं पड़ेगा। तो हानि क्या है ? यह हो सकता है। यह सही नहीं होगा। यदि कोई न्यायालय में जाता है और मुकदमा दायर कर देता है, तो संसद मूकदर्शक नहीं बनी रह सकती।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : सर्वोच्च न्यायालय पहले ही सरकार को यह निर्देश दे चुका है कि टिक्कू समिति की सिफारिशों को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाए। स्वयं मंत्री महोदय ने यहां कतिपय बातों की घोषणा की है। सर्वोच्च न्यायालय में मामले के लंबित होने के बावजूद, मंत्री महोदय ने यहां कतिपय बातों की घोषणायें की हैं कि वह इन बातों को स्वीकार कर सकते हैं और सदस्य पहले ही इस मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त कर चुके हैं। इसलिए यदि उन्हें कोई आपत्ति है, तो यह निर्णय शुरू में ही ले लिया जाना चाहिए था कि इस विषय पर सभा में चर्चा नहीं की जा सकती। इन सब बातों पर चर्चा कर चुकने के बाद अब वे यह तर्क नहीं दे सकते।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : यदि मंत्री महोदय ने दो टिप्पणियां की होतीं, तो हमारे मित्रों द्वारा ये टिप्पणियां और ये हस्तक्षेप नहीं किए जाते। अपनी प्रारंभिक टिप्पणियों में उन्होंने कहा कि वह श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री द्वारा उठाए गए मुद्दों पर नहीं बोलेंगे क्योंकि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित पड़ा है। यह उनका पहला वक्तव्य था और दूसरा वक्तव्य यह था कि "सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है, मैं उसे पढ़कर आपको सुनाऊंगा।" हमें कुछ भी सुनने में आपत्ति नहीं है। किन्तु मेरे विचार से चर्चा संगत होनी चाहिए और इसकी संगतता के लिए हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि डाक्टर टिक्कू समिति की रिपोर्ट को कार्यान्वित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में गए हैं। यह अलग बात है कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करना चाहता है, या नहीं। किन्तु कोई भी बात सरकार को निर्णय लेने से नहीं रोकती, कोई भी बात सरकार को डाक्टरों से बातचीत करने से और इस विषय में वाद-विवाद के लिए उपयुक्त इन सब बातों को कहने से नहीं रोकती कि क्या सरकार टिक्कू समिति की रिपोर्ट पर निर्णय लेने की इच्छुक है और क्या सरकार डाक्टरों के साथ बातचीत करने की इच्छुक है। ये दो संगत मुद्दे हैं और हमारी आपत्तियों का उत्तर देने के लिए केवल बहाने की तौर पर सर्वोच्च न्यायालय को उद्धृत करना ठीक नहीं है।

श्री एम० एल० फोतेदार : मैं विपक्ष के विद्वान् और आदरणीय नेता के सुझावों का सम्मान करता हूं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि हम सभा को किसी मुद्दे पर चर्चा करने अथवा निर्णय का कोई अधिकार नहीं है। किन्तु मामला इस अवस्था में है कि मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। मुझे यह अवश्य स्वीकार करना चाहिए और मुझे विश्वास है कि इस समस्या के प्रति मेरा दृष्टिकोण बहुत ही मानवीय है। इस विषय में मेरे विचार सुविदित हैं और बहुत प्रगतिवादी हैं। जरा मेरी बात सुनिए।

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : आप डाक्टरों से बातचीत करने के इच्छुक हैं।

श्री एम० एल० फोतेदार : किसी ने कहा है कि संभवत: मुझमें कुछ अहं है अथवा चूंकि मुझमें कुछ आत्मसम्मान है, इसलिए मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूं। ऐसे मामलों में मैं सदैव व्यावहारिक रहा हूं। इस बारे में कोई संदेह नहीं है। इस सभा में मैं जो कहना चाहता हूं, वह यह है कि डाक्टरों को रोगियों की कष्टों की ओर देखना चाहिए और मैं निश्चय ही डाक्टरों की समस्याओं को देखूंगा। मैं कभी भी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करूंगा। किन्तु कोई भी सरकार कोई भी सभ्य और जिम्मेदार सरकार दबाव अथवा धमकी में आकर काम नहीं करेगी और न उसे करना चाहिए।

यह मामला है··· (व्यवधान)

एक प्रश्न जो इस सभा में उठाया गया है वह यह है कि विलम्ब क्यों किया गया है। मैं नहीं समझता कि इसलिए मुझे दोषी ठहराया जाना चाहिए। टिक्कू समिति ने 1 नवंबर, 1990 को अपनी रिपोर्ट दी थी जब यह सरकार जाने वाली थी। 7 नवंबर, 1990 को वह सरकार गिर गई थी। सरकार कुछ कार्य नहीं कर सकी थी। फिर फरवरी माह में दूसरी सरकार बनी। वह सरकार केवल तीन महीने के लिए रही। और उस सरकार के प्रभारी मंत्री को इस सभा के विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा अयोग्य घोषित किया गया था। वह कोई निर्णय नहीं ले सके। उसके बाद इस सरकार ने 21 जून को कार्यभार सम्भाला था। अत: मैं केवल 21 जून से लेकर आज तक के दिन

के लिए जिम्मेदार हूं। इस मंत्रालय का कार्यभार सम्भालने के बाद मैंने मामले की जांच की थी। मैंने डाक्टरों से बात की थी। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो अफसरशाही से प्रेरित हो। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो अधिकारी वर्ग से केवल सलाह ले सकता है। मेरे मन में डाक्टरों के लिए अधिक सहानुभूति है। मैं चाहता हूं कि जो कुछ भी उनकी वास्तविक मांगें हैं, मैं उनके लिए संघर्ष करूं। परन्तु उन्हें अवश्य ही पीड़ित मानवता के लिए लड़ाई करनी चाहिए। केवल यही प्रश्न है···(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : बिल-अफ-दि हाउस यह है कि आप शाम को उनको बात करने के लिए बुलाइए।···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : पिता और पुत्र एक ही वेतनमान में हैं। उनका एक ही प्रश्न पदोन्नति का है। पिता 1? वर्ष की अवधि में सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं···(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि यदि पहले आप मंत्री जी की बात सुनें तो कुछ लाभ-दायक चर्चा की जा सकेगी और उसका कुछ परिणाम निकलेगा।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : आपने अभी कहा है कि आप वास्तविक मांगों पर विचार करेंगे। आपकी राय में वास्तविक मांगें क्या हैं? और टिक्कू समिति की रिपोर्ट के बारे में आपके क्या विचार हैं?···(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। संपूर्ण मामले की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की गई है। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। क्या इसका यह अर्थ है कि जब कभी कोई समिति नियुक्त की जाती है तो उसकी सिफारिशें पूर्ण रूप से स्वीकार की जानी चाहिए? किस नियम के अधीन? क्या ऐसा कोई पूर्वोदाहरण है? मैं अध्यक्षपीठ का निर्णय जानना चाहता हूं।

सभापति महोदय : इस समय कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

श्री बूटा सिंह (जालोर) : क्या मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध कर सकता हूं? अब तक माननीय स्वास्थ्य मंत्री सभा की भावनाओं से अवगत हो गए होंगे जोकि लगभग एकमत है। चूंकि सभा को माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की सहानुभूति की जानकारी प्राप्त है जो कि पूर्ण रूप से डाक्टरों की सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और तैयार हैं, उन्हें इस पर एक ही समय में कार्य-वाही करने दें। वे उच्चतम न्यायालय से कागजात वापस लें और स्वास्थ्य मंत्री में विश्वास रखें। इन दोनों बातों को एक साथ चलने दें। कोई शर्त नहीं है। यह अनुरोध पीड़ित लोगों के हित में किया गया है। सरकार को अवश्य ही समिति की सिफारिशें स्वीकार कर लेनी चाहिए··· (व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को उत्तर देना है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की भावनाओं की कद्र करते हैं।

उन्होंने कहा है कि उनका मानवीय दृष्टिकोण है और वह मैत्रीपूर्ण समझौता करना चाहते हैं। एक बात यह है कि यह वक्तव्य कुछ उत्तेजक है। इसमें कहा गया कि वह देश को निष्क्रिय बना रहे हैं। सरकार कभी भी गलत नहीं हो सकती। आप ऐसा रवैया नहीं अपना सकते है। इसका क्या समाधान है ? प्रत्येक व्यक्ति प्रतिष्ठा को आधार बनाने के स्थान पर समाधान करने के लिए सुझाव दे रहा है। सही उपाय यह होगा कि उन्हें बुलाया जाए, वह हड़ताल समाप्त कर देंगे और सरकार द्वारा उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया जाए। यही सर्वोत्तम होगा। इसमें क्या कठिनाई हैं ? हम इस मुद्दे को और अधिक जटिल नहीं बनाना चाहते। हम यहां श्री फोतेदार से लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं है, हम उनकी सहायता भी करना चाहते हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : श्री बूटा सिंह ने कुछ सुझाव दिए है। वह हू-ब-हू वही है कि सरकार आज इस बात पर जोर दे रही है कि वह बातचीत करने के लिए तैयार है परन्तु केवल तभी, जबकि हड़ताल वापिस ले ली जाती है। मैं इस बात से सहमत हूं सिवाए इस बात के कि मैं इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 14 नवम्बर को जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन ने स्थिति को जटिल बना दिया है। यदि 14 नवम्बर का कार्यालय ज्ञापन जारी नहीं किया गया होता तो शायद श्री बूटा सिंह ने जो कुछ कहा है, डाक्टरों ने आसानी से उसे स्वीकार कर लिया होता। परन्तु 14 नवम्बर का ज्ञापन जारी करने तथा न्यायालय को देने के बाद, यह टिक्कू समिति की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा लिया गया निर्णय बन गया जिसने सभी संभावनाओं को समाप्त कर दिया तथा स्थिति को पहले से भी अधिक गम्भीर बना दिया। अतः मुझे विश्वास है कि सरकार द्वारा अन्ततः 14 नवम्बर का कार्यालय ज्ञापन वापस लिए जाने के बाद ही डाक्टरों द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाएगा। उसके बाद खुले दिमाग से बातचीत की जा सकेगी। अन्यथा कोई बातचीत नहीं की जा सकती। यह बातचीत केवल एक ढोंग होगी तथा केवल यह देखने के लिए होगी कि हड़ताल समाप्त हो जाए। मैं नही समझता कि हम इस संबंध में डाक्टरों को सलाह देने में समर्थ होंगे। हम उन्हें सलाह देने में समर्थ होंगे बशर्ते कि 14 नवम्बर का कार्यालय ज्ञापन वापिस ले लिया जाए।

श्री बूटा सिंह : चर्चा का मूल विषय, जिस पर आज चर्चा की गई है, पर ही ध्यान दिया जाना चाहिए और उससे पहले की सब बातें व्यर्थ हैं। सभी कार्य एक साथ ही किए जाने चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी, आडवाणी साहब ने जो कहा है, लीडर आफ दी अपोजिशन ने कि सरकार ने सारे मामले को बिगाड़ने का काम किया है। 14 तारीख को यदि ये आफिस मेमोरेंडम नहीं निकालते तो स्थिति इतनी वर्स नहीं होती। सीधा-सा है कि यदि आप कोई बात करेंगे तो आपने जो एक डिसीजन लिया है, वह डिसीजन ऐसा है कि जिसको टिक्कू कमेटी से कोई मतलब है ही नहीं। आपने टिक्कू कमेटी को कभी उसमें टच ही नहीं किया है और आपने डिसीजन लिया है डाक्टरों के खिलाफ। (व्यवधान) ये बार-बार कहते हैं "वन सैक्शन आफ डाक्टर", एक हजार डाक्टर जो काम कर रहे हैं, पहले से जो वेनिफिशरी थे उनको इन्होंने लाभ पहुंचाया है और नौ हजार डाक्टर आज आउट आफ जाब हैं। तो उस परिस्थिति में सरकार प्रैसटीज का मामला न बनावे, सरकार ने जो मेमोरेंडम इशु किया है उसको विदड्रा कर लिया जाए

और विदड़ा करने के बाद डाक्टरों के साथ बैठ कर बात करें, फिर नेगोसिएशन हो जाएगा। हम लोग आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि पूरा सदन आपके साथ रहेगा। (व्यवधान) और हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने डाक्टर हड़ताल पर हैं, वे हड़ताल को बन्द कर देंगे।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, हमें देखना है कि क्या श्री फोतेदार इस अवसर पर बोलने के लिए उठते हैं। अब उनकी बारी है।

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, मेरा एक सुझाव है। मैं समझता हूं कि मंत्री जी कुछ उपाय खोजने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि वह इसे प्रतिष्ठा का मामला नहीं बना रहे हैं।

क्या ऐसा साथ-साथ हो सकता है कि डाक्टर अपनी हड़ताल समाप्त कर दें और मंत्री महोदय खुले दिमाग से उनसे बातचीत करें ?

श्री हरि किशोर सिंह : जी नहीं। हम स्पष्ट आश्वासन चाहते हैं कि सरकार ज्ञापन वापिस लेने जा रही है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : बस, इतनी ही बात है। मंत्री महोदय क्या आप कुछ और कहना चाहते हैं अथवा आपने अपनी बात समाप्त कर दी है। (व्यवधान)

श्री **चन्द्रजीत यादव** : 14 नवंबर के सामान्य आदेश को सरकार के निर्णय के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।··· (व्यवधान) जब वह खुले दिमाग से जाते हैं तो निश्चय ही तभी वे उस पर पुनः विचार कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि यह उनका अन्तिम निर्णय है··· (व्यवधान)

श्री एम० एल० फोतेदार : महोदय, मैं सरदार बूटा सिंह और श्री चन्द्रजीत यादव द्वारा दिए गए सुझावों और प्रस्तावों की प्रशंसा करता हूं। जैसा कि मैंने कहा है, मैं स्पष्ट वक्ता हूं और मेरा दृष्टिकोण है···(व्यवधान)। कृपया सुनें। सरकार ने अपनी समझ-बूझ से उच्चतम न्यायालय के निर्देशन में कि 14 नवंबर के वह आदेश जारी किए हैं ··(व्यवधान) आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं। मुझे बोलने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अधीन सरकार ने अपनी सूझ-बूझ से रिपोर्ट पर विचार किया था और आदेश जारी किया था। हो सकता है, वह अन्तिम न हो। लेकिन सरकार के वर्तमान कदम के अनुसार, यह अन्तिम है। यह सरकार का विचार है। लेकिन मैं वही कह रहा हूं जो सरदार बूटासिंह जी और चन्द्रजीत यादव जी ने कहा था। वे सभा के वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं सभा के नेता, जो कि बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं, की भावनाओं की प्रशंसा करता हूं कि यह कार्य साथ-साथ होना चाहिए। उन्हें हड़ताल वापस ले लेनी चाहिए और रोगियों को देखना चाहिए और मैं उनकी समस्याओं को देखूंगा। यह मुद्दा है···(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : आप 14 नवंबर वाला आदेश वापस ले लीजिए, उसके बाद बातचीत करिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब समाप्त हुआ···

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : हम इस मामले में समर्थन देने वाले हैं। पहले उन्हें सामान्य आदेश वापिस लेने दीजिए ··· **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अब समाप्त हुआ क्योंकि सभी सदस्यों ने अपने प्रश्न पूछ लिए हैं और मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया है ···

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : नहीं, नहीं। हम सरकार के रवैये के विरोध में बाहर जा रहे हैं ···

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हम सरकार के रवैये के विरोध में बाहर जा रहे हैं।

(इस अवसर पर श्री लाल कृष्ण आडवाणी और कुछ माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गए।)

सभापति महोदय : सभा सायं 2.20 म० प० पर पुन: समवेत होने के लिए मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होती है।

1.24 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.20 म० प० तक के स्थगित हुई।

2.23 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2.23 म० प० पर पुन: समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : अब, श्री विद्याचरण शुक्ल द्वारा वक्तव्य दिया जाएगा।

2.24 म० प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

कावेरी जल विवाद के बारे में

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : सरकार द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार कावेरी जल विवाद अधिकरण के 25 जून, 1991 के अंतरिम आदेश और 25 जुलाई, 1991 को कर्नाटक सरकार द्वारा जारी किए गए अध्यादेश (अब अधिनियम) के संबंध में विधिक प्रश्नों पर अपनी राय देने के लिए राष्ट्रपति की ओर से 28 जुलाई, 1991 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 की धारा (1) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया था। निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करने और उन पर राय देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया था :

(1) क्या यह अध्यादेश और उसके अंतर्गत दिए गए प्रावधान संविधान के प्रावधानों के अनुरूप हैं ?

(2) (i) क्या अधिकरण के आदेश को उस अधिनियम की धारा 5 (2) के अनुसार रिपोर्ट और निर्णय की मान्यता दी जा सकती है ?

(ii) क्या उक्त आदेश को प्रभावी बनाने के लिए इसे केन्द्र सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाना अपेक्षित है और

(iii) क्या इस अधिनियम के अंतर्गत गठित जल विवाद अधिकरण विवाद से संबंधित पक्षों को कोई अन्तरिम राहत प्रदान करने के लिए सक्षम है ?

सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने 21 अगस्त से 27 सितम्बर, 1991 तक इस संबंध में पक्षकार राज्यों की सुनवाई की और 22 नवम्बर, 1991 को निम्न प्रकार से अपनी राय दी :

(1) कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा 25 जुलाई, 1991 को जारी किया गया कर्नाटक कावेरी बेसिन सिंचाई संरक्षा अध्यादेश 1991 (अब अधिनियम) राज्य को वैधानिक क्षमता से परे है, अतः संविधान के अधिकार के बाहर (अल्ट्रावायर) है।

(2) (i) अधिकरण का 25 जून, 1991 का आदेश अन्तर्राज्य जल विवाद अधिनियम 1956 की धारा 5 (2) के अनुसार रिपोर्ट और निर्णय माना जाएगा;

(ii) अतः उक्त आदेश को प्रभावी बनाने के लिए इसे अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत सरकारी राजपत्र में केन्द्र सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाना अपेक्षित है।

(3) (i) केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे राहत के लिए अनुरोध किए जाने पर इस अधिनियम के तहत गठित जल विवाद अधिकरण विवाद से संबंधित पक्षों को अंतरिम राहत देने में सक्षम है;

(ii) केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे राहत के लिए अनुरोध नहीं किए जाने पर अधिकरण अंतरिम राहत देने में सक्षम है या नहीं, यह प्रश्न वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में, जिसमें यह मुद्दा उठाया गया है, आवश्यक नहीं है। अतः हम इसका उत्तर देना आवश्यक नहीं समझते।

सरकार ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय की राय को स्वीकार करने और यथावश्यक कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलौर) : महोदय, एक बात ···(व्यवधान)। केवल एक स्पष्टीकरण···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : एक मिनट। यह वक्तव्य नियम 372 के अधीन दिया गया है। जब कभी कोई मंत्री वक्तव्य देता है तो न तो कोई स्पष्टीकरण और ही कोई अनुपूरक प्रश्न पूछा जाता है। यह नियम है। इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे।

श्री वी० धनंजय कुमार : जिस समय भी केन्द्रीय सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कार्यान्वित करने का निर्णय लेगी कर्नाटक में खलबली मच जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय को आप किसी भी रूप में ला सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं। कोई प्रतिबंध नहीं है।

श्री वी० धनंजय कुमार : मेरा निवेदन है कि कर्नाटक सरकार ने न्यायाधिकरण के सम्मुख पुनरीक्षण याचिका दर्ज करने का निर्णय लिया है और मामला न्यायालय के निर्णयाधीन है। और जब मामला न्यायालय के निर्णयाधीन है, मैं जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करने जा रही है।

श्री डी० के० नायकर (धारवाड़ उत्तर) : यदि माननीय मंत्री महोदय इस पर वक्तव्य देने के इच्छुक होंगे तो वह उनके पहले वक्तव्य का भाग माना जायेगा। (व्यवधान)

श्री वी० धनंजय कुमार : कर्नाटक सरकार ने पहले ही न्यायाधिकरण के सम्मुख पुनरीक्षण

याचिका दर्ज कर दी है। ऐसी स्थिति में जबकि मामला न्यायालय के निर्णयाधीन है, मेरा प्रश्न है, कि क्या केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करने जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मेरा अनुरोध है। यहां नियम और प्रथाएं हैं। हमें नियमों का पालन करना चाहिए। सम्पूर्ण सभा के लिए नियम बनाए गए हैं, जब कभी नियम 372 के अंतर्गत माननीय मंत्री महोदय कोई वक्तव्य स्वतः देते हैं, मंत्री महोदय द्वारा दिए गए वक्तव्य के बारे में कोई स्पष्टीकरण और अन्य जानकारी मांगने की गुंजाइश नहीं होती। इसलिए, यदि आप उत्तेजित हैं, यदि आप इस मामले को लाना चाहते हैं और चर्चा करना चाहते हैं तो आप इसे किसी अन्य रूप में ला सकते हैं, नियम 372 के अन्तर्गत नहीं। यह नियम सीमाएं हम पर लागू होती हैं।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : महोदय, आप मंत्री महोदय के वक्तव्य पर चर्चा की अनुमति दे दीजिये। आपने अभी सभा को आश्वासन दिया था कि मंत्री महोदय के वक्तव्य पर चर्चा होगी। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम विलास पासवान जी···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप मेरी बात सुनें। श्री देव गौड़ा, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब भी मंत्री महोदय द्वारा स्वतः कोई वक्तव्य दिया जाता है, तो स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति नहीं दी जाती।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक स्पष्टीकरण मांगने का संबंध है, नियमों के अनुसार सिर्फ दूसरी सभा में ही स्पष्टीकरण मांगने की व्यवस्था है। यहां कभी-कभार ही किसी विशेष मामले में ही जबकि, अध्यक्ष को अग्रिम रूप से सूचित कर दिये जाने पर ही एक या अधिक से अधिक दो सदस्यों को स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दी जाती है। अतः स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति देना अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम विलास पासवान के अनुरोध पर मंत्री महोदय ने वक्तव्य दे चुकने पर और जब श्री पासवान ने स्पष्टीकरण मांगा तो यह व्यवस्था दी गयी थी कि उन्हें स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार नहीं है। जब श्री मदन लाल खुराना ने भी किसी दूसरे मामले में स्पष्टीकरण मांगना चाहा तो उन्हें भी अनुमति नहीं दी गयी थी।

(व्यवधान)

श्री एच० डी० देव गौड़ा (हसन) : महोदय, मैं आपकी सलाह के अनुसार काम करूंगा। मैं इस सभा द्वारा बनाये गये प्रक्रियाओं या नियमों को तोड़ना नहीं चाहता हूं। पर दुर्भाग्यवश भारत

सरकार ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार आगे कार्रवाई की जायेगी। मान लें कि आज अधिसूचना जारी हो जाती है तो कल हम किस प्रकार की चर्चा करेंगे।

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलौर) : महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है और कर्नाटक सरकार न्यायाधिकरण के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर करने जा रही है। अतः चूंकि मामला न्यायाधीन है, अतः मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार अधिसूचना जारी करने जा रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : हालांकि मसला गंभीर और संगीन है फिर भी हम नियमों से बंधे हैं और स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं दी जाती।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : हमने मिनिस्टर के स्टेटमेंट के बारे में 193 के तहत नोटिस दिया है। आप उसको डिसकशन के लिए अलाऊ करें और बी० ए० सी० में रख दें। हम उस पर विचार करेंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय ने वक्तव्य दे दिया है। मान लें कि पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं तथा कुछ अन्य स्पष्टीकरण भी मांगे जाते हैं तो यह पूर्व दृष्टांतों के विरुद्ध होगा।

श्री जी० देवराय नायक (कनारा) : महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है और इसलिए आपको एक-दो सदस्यों को स्पष्टीकरण मांगने की आज्ञा तो देनी ही चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नायक, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं। यह मामला अति अविलम्बनीय और गंभीर है, फिर भी इन सारे औचित्यों के बावजूद स्पष्टीकरण मांगने की कोई व्यवस्था नहीं है। आज सत्र का अन्तिम दिन तो है नहीं और आपके पास काफी मौका है। किसी-न-किसी रूप में आप इस मुद्दे को उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : विधि मंत्रालय के राज्य मंत्री कहते हैं कि पीठासीन पदाधिकारी अपने विवेक से एक या दो को इसकी अनुमति दे सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे माफ करें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मैं पहले से बने नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता हूं। आप इस मुद्दे को किसी भी अन्य रूप में उठा सकते हैं। सभा काफी लम्बे समय तक चलेगी और आप मौका प्राप्त कर सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अगला कार्य, अर्थात् नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा शुरू करवाना चाहता हूं।

श्री आसकार फेरनान्डेस (उदीपी) : तब मंत्री महोदय यह कहें कि सभा में विचार-विमर्श होने के पहले कुछ भी नहीं किया जायेगा।

श्री ए० अशोक राज : ऐसा वायदा तो नहीं किया जा सकता है । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब भी नियम 372 के अधीन वक्तव्य दिए जाते हैं तो नियमों के प्रावधान काफी स्पष्ट होते हैं । आप न तो पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, न ही स्पष्टीकरण मांग सकते हैं ।

दूसरे, आज अन्तिम दिन तो है नहीं । हमें लम्बे समय तक बैठना होगा । नियमों के अनुसार आप दूसरे रूप से इस मामले को उठा सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : यह तो बहुत स्पष्ट है कि स्पष्टीकरणों का कोई सेट तैयार कर पाना और उसके जरिये इस विषय पर पूरी चर्चा कर पाना संभव नहीं है ।

अक्सर यह किया जाता है कि हम इस पर कार्य मंत्रणा समिति में विचार करते हैं । श्री पासवान ने यह आपत्ति उठाई है और आपके सामने यह बात रखी है । हम कार्य-मंत्रणा समिति में इस पर अवश्य विचार करेंगे । फिर कार्य-मंत्रणा समिति के निर्णय के अनुसार हम इस पर चर्चा करेंगे ।

श्री एच० डी० देवगौड़ा : मैं जल संसाधन मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहता हूं कि इस मामले पर सभा में चर्चा पूरी होने के पहले इस सम्बन्ध में कोई कारंवाई नहीं की जायेगी । यदि वह ऐसा आश्वासन दें, तो हम इसके लिए सहमत हो जायेंगे, नहीं तो, हमारे लिए ऐसा करना कठिन है ।

श्री ए० अशोक राज : आप उच्चतम न्यायालय के फैसले के विरुद्ध कैसे जा सकते हैं ? (व्यवधान)

श्री एच० डी० देवगौड़ा : मैं उच्चतम न्यायालय या कि अन्य व्यक्ति पर उनका कोई इरादा होने का आरोप नहीं लगाना चाहता हूं । मैं सिर्फ स्पष्टीकरण मांग रहा हूं । जिस किसी नियम के अधीन हो, किंतु सभा में इस पर समुचित चर्चा अवश्य होनी चाहिए । किंतु तब तक के लिए उन्हें यह आश्वासन अवश्य देना चाहिए कि इस मामले में कोई कारंवाई नहीं की जायेगी । (व्यवधान)

मैं किसी पर कोई आरोप लगाना नहीं चाहता ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी अपना भाषण देने के लिए खड़े हैं ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि सभा में इस विषय पर चर्चा के लिए जल्दी ही तारीख निर्धारित की जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले को राजपत्र में अधिसूचित नहीं किया जाना चाहिए । उन्हें इसी बात का डर है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : आपको कृपया उसी अनुरूप कार्य करना चाहिए जिसकी नियमों के अधीन अनुमति प्रदान की गई हो और यदि इस पर शीघ्र चर्चा की अनुमति प्रदान की जाती है तो मेरे विचार से यह अच्छा होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस संवेदनशील मामले पर सहयोग देने के लिए मैं आपको धन्यवाद

देता हूं। माननीय मंत्री जी इस बात से सहमत हो गए हैं कि एक तिथि निर्धारित की जानी चाहिए। यह मामला कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष उठाया जाएगा तथा कावेरी जल के बारे में चर्चा के लिए तिथि निर्धारित की जाएगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री के० एच० मुनियप्पा, कृपया अपने स्थान पर बैठें।

अब हम नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करेंगे।

2.41 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) देश में तेल के उत्पादन में आई गिरावट के कारणों का पता लगाने और इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए उपचारी उपाय करने की आवश्यकता

श्री गोपीनाथ गजपति (बरहामपुर) : कार्य दल द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार गुजरात और मुम्बई में समुद्र तट से दूर 700 से भी अधिक तेल के कुएं रुग्ण हो गए हैं। कई तेल के कुओं में उत्पादन में कमी भण्डारों की त्रुटियो, त्रुटिपूर्ण संचलनात्मक प्रक्रिया और अपर्याप्त भूमितल सुविधाओं के कारण आई है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने इन समुद्रतट तेल कुओं में अत्यधिक खर्च किया है। जब तक बचाव के रास्ते अपनाने के लिए तत्काल कदम नहीं उठाए जाएंगे और वर्तमान प्रबन्ध व्यवस्था को पुन: सुधारा नहीं जाएगा तो कुछ और कुएं भी रुग्ण हो जाएंगे। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अपने उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ नहीं होगा।

मुम्बई हाई और गुजरात तेल क्षेत्रों की सभी समस्याओं का पता लगाया जाना चाहिए और इन समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। योजनाएं तैयार करने के तरीकों को अधिक वैज्ञानिक बनाया जाना चाहिए और तेल के अपव्यय को रोकने के लिए भी अन्तर्निहित व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रत्येक परियोजना और क्षेत्र के लिए नीचे के कर्मचारियों के साथ योजना और निरीक्षण कक्ष स्थापित किए जाने चाहिए और उत्पादन योजना का भण्डार और उत्पादन की उपलब्धता के अनुसार पुनरीक्षण किया जाना चाहिए और उसे अद्यतन बनाया जाना चाहिए।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह गिरते हुए तेल उत्पादन के कारणों का पता लगाए और उनका मूल्यांकन करे तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए उपचारात्मक उपाय करे।

(दो) 2500 रुपए और उससे अधिक राशि के ब्याज के स्रोत पर ही आय-कर काटने के सरकार के निर्णय की समीक्षा करने की आवश्यकता

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : 2500 रुपए और उससे अधिक ब्याज पर स्रोत पर आय कर काटने के वित्त मंत्रालय के हाल के निर्णय ने निम्नलिखित को देखते हुए बैंकिंग क्षेत्र और मध्यम वर्ग के लोगों दोनों के लिए वास्तव में मुश्किल पैदा कर दी है :—

(1) राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा राशि का बहुत-सा भाग इनसे वापिस निकाल लिया गया है।

(2) इससे बैंकों पर अतिरिक्त कार्य-बोझ पड़ा है और बैंक कर्मचारी बढ़े हुए कार्य को पूरा करने में असमर्थ हैं जिसका उनके कार्य-निष्पादन पर प्रभाव पड़ा है।

(3) बहुत से मामलों में, मध्यम वर्ग के छोटे निश्चित जमा खातों, विशेषतः सेवानिवृत्त लोगों के खातों, जो कि उनकी जीविका के एक मात्र स्रोत हैं, पर भी धक्का लगा है। इसलिए मेरा यह अनुरोध है कि इस पर पुनः विचार किया जाए और यथा-स्थिति को बनाए रखा जाए।

[अनुवाद]

(तीन) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में खाना पकाने की गैस की समय पर पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री बलराम पासी (नैनीताल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन सूचना देता हूं कि सम्पूर्ण कुमाऊं क्षेत्र में 40 हजार से अधिक गैस कनेक्शन प्रतीक्षा सूची में हैं। पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से गैस कनैक्शनों पर सम्पूर्ण कुमाऊं क्षेत्र में प्रतिबंध लगा हुआ है। इस कारण करोड़ों रुपये की वन-संपदा को नुकसान पहुंच रहा है तथा पर्वतीय क्षेत्र में धुएं से होने वाले प्रदूषण से महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। महिलाएं तपेदिक, दमा आदि का शिकार हो रही हैं। बहुत ही कम स्थानों पर गैस के डिपो बनाए गए हैं और जो बनाए भी गए हैं, वे अव्यवहारिक हैं क्योंकि वे जनता की पहुंच से बहुत दूर हैं। वर्षों से अनेक डिपो प्रतीक्षा सूची में पड़े हुए हैं।

अतः मेरा पैट्रोलियम मंत्री जी से आग्रह है कि पर्वतीय क्षेत्र को देखते हुए नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ आदि में गैस वितरण की प्रभावी व्यवस्था की जाये।

[अनुवाद]

(चार) गुजरात के कैरा जिले में वतरक और शेढी नदियों के कारण आने वाली बाढ़ से बचने के लिए इन नदियों के तलकर्षण की आवश्यकता

डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी (खेड़ा) : महोदय, वतरक और शेढी नदियां व्यवहारिक रूप से प्रतिवर्ष गुजरात राज्य के कैरा जिले में बाढ़ की स्थिति पैदा कर रही हैं। मिट्टी के जमा हो जाने के कारण शेढी नदी विशेषतः डाकोर और उमरेठ शहरों के बीच बहुत उथली हो गई है। यहां तक कि अक्सर 10 से 15 से० मी० तक वर्षा के कारण यह ऊपर बहने लगती है और सड़कें बंद हो जाती हैं और कृषि को भी भारी क्षति होती है। यह अपने मार्ग के अन्य भागों में भी उथली हो गई है। मिट्टी के जमा हो जाने के कारण यह प्रति वर्ष अपना मार्ग बदल लेती है, जिससे नदी के किनारे स्थित अनेक गांवों को नुकसान होता है।

वतरक नदी खेड़ा शहर के पास बहुत ही उथली हो गई है और मिट्टी के जमा हो जाने के

कारण प्रत्येक दो वर्षों के बाद अपना मार्ग बदल लेती है। इसने खेड़ा शहर के राबारीबाड़ और भोईवाड़ की सुरक्षा के लिए बनाई गई सुरक्षा दीवार को ढहा दिया है।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इन दोनों नदियों के तलकर्षण का कार्य शुरू करे जो कि अभी तक नहीं किया गया है और नदियों के प्रवाह को बदलने के लिए कुछ चुने हुए स्थलों पर बांध बनाए।

(पांच) इलाहाबाद में यमुना नदी पर प्रस्तावित पुल के शीघ्र निर्माण करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे (इलाहाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अधीन मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के एक अति महत्वपूर्ण एवं व्यस्त यमुना पुल की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। इलाहाबाद नगर गंगा और यमुना नदी के मध्य बसा हुआ है तथा राजनैनिक, सामाजिक और साहित्य की दृष्टि से हमेशा देश का एक प्रमुख नगर रहा है।

इलाहाबाद में स्थित यमुना नदी पर ब्रिटिश काल का बना हुआ एक पुल है, जो उत्तर प्रदेश को मध्य प्रदेश, बिहार व पश्चिमी बंगाल से जोड़ता है। अत्यधिक पुराना होने के कारण यह पुल जीर्णशीर्ण अवस्था में है और अपनी समयावधि भी समाप्त कर चुका है।

आजादी के बाद से ही, यमुना नदी पार, नैनी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ है। नैनी में अनेक उद्योग धंधे चल रहे हैं तथा अनेक नये उद्योग धंधे लगाए जाने की योजनाएं भी हैं, परन्तु संकीर्ण और पुराने पुल पर अक्सर मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण लोग नये उद्योग प्रारम्भ करने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण हजारों की संख्या में कर्मचारी और मजदूर पहले से ही नैनी क्षेत्र (यमुना पार) में काम करते हैं और ये सभी इसी जीर्णशीर्ण पुल से ही जाया करते हैं। संकीर्ण पुल की टूटी और ऊबड़-खाबड़ सड़क पर दिन में कई-कई बार मार्ग अवरुद्ध हो जाया करता है। फलस्वरूप थके हुए कर्मचारियों, महिला कर्मचारियों, मजदूरों किसानों व छात्र-छात्राओं को अपने घर तक पहुंचने के लिए दिन में घंटों इंतजार करना पड़ता है। गंभीर रोग से पीड़ित मरीज अस्पताल पहुंचने के इंतजार में तथा प्रसव वेदना से छटपटाती महिलाएं उपचार के अभाव में दम तोड़ देती हैं।

जनता की परेशानियों को ध्यान रखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 1990 मे यमुना नदी पर नये पुल के निर्माण के लिए शिलान्यास किया था, लेकिन आज तक उस पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।

अत मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहती हूं कि जनहित व औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए यमुना नदी पर प्रस्तावित पुल का अविलम्ब निर्माण कराया जाए ताकि यमुना पार क्षेत्र में नये उद्योग स्थापित किए जा सकें और बेरोजगारों को रोजगार मिल सके।

(छः) कोआपरेटिव कन्ज्यूमर्स सोसायटी लिमिटेड, जलपाईगुड़ी को खाना पकाने की गैस की डीलरशिप देने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री जितेन्द्र नाथ दास (जलपाईगुड़ी) : महोदय, मैं सभा का ध्यान पश्चिम बंगाल के मंडल

शहर जलपाईगुड़ी में एल० पी० जी० कनेक्शनों की भारी कमी की ओर दिलाना चाहूंगा। शहर में सिर्फ एक ही एल० पी० जी० का डीलर है, जो जनता की मांग पूरी करने में असमर्थ है, जहां कनेक्शन के लिए 6000 आवेदन लंबित पड़े हैं। इस बात पर विचार करते हुए आयल सलेक्शन बोर्ड (उत्तर-पूर्व) ने सिलीगुड़ी दार्जिलिंग में 12-6-1990 को एक साक्षात्कार लिया था। एक पेनल भी तैयार किया गया था, जिसमें थोक सहकारी उपभोक्ता समिति लि० जलपाईगुड़ी सबसे ऊपर है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह आवश्यक कदम उठाए ताकि उपभोक्ता सहकारी समिति को अविलम्ब डीलरशिप मिल जाए।

(सात) मुम्बई में ऊंचे भवनों में केवल भूमि तल पर स्थित डाक-पेटियों में ही पत्र डालने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : यह संदेहजनक बात है कि माननीय संचार मंत्री ने अक्तूबर, 1991 के अंतिम सप्ताह में मुम्बई में ऊंची इमारतों में सिर्फ भूमि तल पर स्थित पत्र पेटियों में पत्रों को डालने के प्रस्तावित प्रणाली के क्रियान्वयन को दो महीनों के लिए स्थगित कर दिया है। फिर भी क्रियान्वयन को स्थगित करना ही काफी नहीं है। एक संसदीय समिति गठित कर प्रस्ताव की संभाव्यता या अन्य पहलुओं की तत्काल गहराई से जांच की जानी चाहिए और इस दरम्यान क्रियान्वयन पर रोक लगानी चाहिए। प्रस्ताव अव्यवहार्य हैं और यह मुम्बई के नागरिकों को परेशानी में डाल देगा।

(आठ) तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत देने की आवश्यकता

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव (मछलीपटनम): इस महीने की 14, 15 और 16 तारीख को आई बाढ़ के कारण तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश राज्यों में एक गंभीर स्थिति विद्यमान है। तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में चित्तूर, नेल्लोर, कुडप्पा, गुन्टूर, प्रकासम, कृष्णा जिलों में लाखों एकड़ जमीन में खड़ी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है। हजारों मकान गिर गए हैं। अनेक दुधारू पशु मर गए हैं और पूरी संचार प्रणाली बिखर गई है।

मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हू कि वह इन क्षेत्रों को प्राकृतिक विपदाओं से प्रभावित क्षेत्र घोषित करे तथा सामान्य स्थिति बहाल होने तक तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश में राहत सामग्री भेजे और इन क्षेत्रों में पुनर्वास कार्यक्रम शुरू करे।

2.53 म० प०

अनुदानों की मांगें (पंजाब), 1991-92

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब पंजाब के संबंध में 1991-92 के लिए अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा और मतदान करेगी।

श्री हरि किशोर सिंह अपना भाषण जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : उपाध्यक्ष जी, पिछले दिनों जब चर्चा चल रही थी, तो

मैंने कहा था कि यह अफसोस की बात है कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं कि जिनके कारण डा० मनमोहन सिंह जी जैसे विद्वान और अर्थशास्त्री का वक्त जाया किया जा रहा है, आज मुझे इसकी चर्चा विशेष रूप से करनी है क्योंकि आज इस देश के प्रधान मन्त्री जी—15 की बैठक में भाग लेने के लिए कराकस गए हैं और कराकस में ही पिछले वर्ष साउथ कमीशन की रपट को विश्व के सम्मुख पेश किया गया था और मैं "दि चेंजेज टू दि साउथ" से थोड़ा-सा उद्धृत करना चाहता हूं।

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : क्या यह पंजाब बजट है, क्या आप पंजाब पर बोल रहे हैं ?

श्री हरि किशोर सिंह : मैं पंजाब बजट के लिए ही बोल रहा हूं। यह पुस्तक डा० मन-मोहन सिंह जी की लिखी हुई है। मैं किसी दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं। जिसने साउथ कमीशन का नाम सुना है, जिसने इस पुस्तक का नाम सुना है, उन्हें पता होगा कि इस साउथ कमीशन के अध्यक्ष जूलियस न्येरेरे थे, जिनको शांति पुरस्कार मिला, जिनको इन्दिरा गांधी पुरस्कार मिला और डा० मनमोहन सिंह इस कमीशन के सैक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने ही यह पुस्तक लिखी है। इसलिए इसमें मैं कोई ऐसी बात करने नहीं जा रहा हूं जो आप लोग पहले से ही इतना डर गए हैं। इसमें लिखा है—

[अनुवाद]

"**विभाजित विश्व**" साढ़े तीन अरब लोग, सारी मानवता का तिहाई भाग विकासशील देशों में रहता है। वर्ष 2000 तक, यह अनुपात चौथे, पांचवें भाग तक हो जाएगा। विकासशील देशों जोकि पूरी पृथ्वी के दो-तिहाई भाग से अधिक पर है, उन्हें तीसरे विश्व के नाम से जाना जाता है।

हम उन्हें दक्षिणी देश कहते हैं। अधिकांशत: उनमें खुशहाली और उन्नति के लाभों से दूर हैं, वे उत्तर के विकासशील देशों की परिधि में स्थित हैं। उत्तर के अधिकांश लोग समृद्ध हैं, जबकि दक्षिण के अधिकांश लोग गरीब हैं। सामान्यत: उत्तर की अर्थव्यवस्थाएं मजबूत और समुत्थानशील हैं, जबकि दक्षिणी अर्थव्यवस्थाएं अधिकांशत: कमजोर हैं और निस्सहाय हैं। उत्तर के देश अपने भाग्य के नियामक हैं, जबकि दक्षिण के देश बाह्य तत्वों से असुरक्षित हैं और कार्यात्मक दृष्टि से प्रभुत्वविहीन हैं।

[हिन्दी]

आखिर में मैं उद्धृत करना चाहता हूं :

[अनुवाद]

> "वह आधारभूत बंधन जो दक्षिण के देशों और उनकी जनता को जोड़ता है, वह है उनकी अपने नागरिकों को गरीबी और अल्पविकास की अवस्था से बाहर निकलने और उनके जीवन बेहतर बनाने की इच्छा। यह सांझी अभिलाषा ही उनके भाईचारे की नींव है, जोकि ग्रुप 77—जिसके चीन को छोड़कर सभी दक्षिणी देश सदस्य हैं—और गुट निरपेक्ष आन्दोलन—जिसके दक्षिण के अधिकांश देश सदस्य हैं और जिसकी सदस्य संख्या बढ़ती जा रही है—जैसे संगठनों के माध्यम से अभिव्यक्त हुई है।"

[हिन्दी]

मैं इसलिए इसकी चर्चा करना चाहता हूं कि आज ग्रुप ऑफ जी-15 की मीटिंग के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री यहां से गए हैं। उनके साथ भारत सरकार के कई अफसर भी गए हैं, विदेश मंत्री भी गए हैं, जाना चाहिए। पिछले वर्ष जब ग्रुप-15 की प्रथम बैठक क्वालालाम्पुर में हुई थी तो इस देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह और तत्कालीन विदेश मंत्री श्री आई० के० गुजराल भी गए थे। लेकिन यह दुख की बात है कि जो इस देश में सर्वाधिक विद्वान हैं, वे आज वहां नहीं रहे। मेरा मतलब माननीय श्री मनमोहन सिंह से है, जो विश्व के पैमाने पर इस समस्या के दक्षिण यानि विकासशील देशों की समस्या की बुनियादी चीजों को समझते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पंजाब जैसी समस्या में बजट में उलझा देना और आज विश्व मंच पर विकासशील देशों की समस्या की आर्थिक उलझनों की चर्चा होगी तो उसमें मनमोहन सिंह जी नहीं रहेंगे। इसी संदर्भ में दूसरा दुख है कि हमारे वर्तमान विदेश सचिव हैं, दुनिया के स्तर पर चाहे वह "अंकटाड" हो, चाहे संयुक्त राष्ट्र की अन्य एजेंसियां हों, श्री मुचकुन दूबे इसके जाने-माने अधिकारी समझे जाते हैं और विकासशील देश के बहुत से ऐसे लोग हैं, जो उनसे थोड़ा घबराते हैं। आज डैलीगेशन में वे प्रधानमंत्री के साथ नहीं गए हैं इसका मुझे अफसोस है।

उपाध्यक्ष जी, पंजाब में चुनाव नहीं हुए हैं। चुनाव क्यों नहीं हुए, यह सारा सदन और सारी दुनिया जानती है। पंजाब में चुनाव कब तक होगा यह हम लोग जानना चाहते हैं। सरकार से स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि जब चुनाव की घोषणा कर दी गई थी, उसकी तिथि तय कर दी गई थी, चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां जिस तरह से जाती हैं, उसी तरह से उपाध्यक्ष जी आप भी चुनाव लड़े हैं, हम लोग भी छोटे-मोटे चुनाव लड़ते हैं और चुनकर आते हैं। लगभग सौ आदमियों ने चुनाव में आने की हिम्मत दिखाई थी, पंजाब की परिस्थिति में उनकी हत्या हुई थी।

3.00 म० प०

मैं जानना चाहता हूं, यह सदन जानना चाहता है, यह देश जानना चाहता है कि चुनाव आखिरी क्षण में क्यों रोक दिए गए। उस समय के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी कि क्यों चुनाव रोक दिया गया। आदरणीय चन्द्रशेखर जी को मालूम नहीं था कि चुनाव रोका जा रहा है। अजीब स्थिति है। देश की सर्वोच्च शासन को मालूम नहीं था कि चुनाव रोके जा रहे हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि कब पंजाब की स्थिति सामान्य होगी? वह सामान्य परिस्थिति किसकी दृष्टि से सन्तोषजनक होगी? क्या इस सदन की दृष्टि से सन्तोषजनक होगी, या देश के प्रधानमंत्री की नजर से सन्तोषजनक होगी या फिर इस देश के मुख्य चुनाव अधिकारी की नजर से सन्तोषजनक होगी?

उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग जनता दल के संसद सदस्य हैं। हम संसद सदस्य जो बिहार से चुनकर आए हैं, उनके दिल में मुख्य चुनाव अधिकारी के नाम से दहशत पैदा हो जाती है। हो सकता है उनका नाम सुनते ही किसी का हार्ट अटैक हो जाए। इसलिए डाक्टर की व्यवस्था भी आपको करनी होगी।

अभी कुछ दिनों पहले कुछ जगहों में उपचुनाव हुए हैं। उसमें क्या-क्या धांधलियां हुई हैं? हम लोगों ने भी इस सदन में उस मुद्दे को उठाया था। 18 तारीख को मैं, पूर्व वित्त मंत्री प्रो०

मधु दण्डवते जी और पूर्व गृह मंत्री श्री मुफ्ती मोहम्मद साहब निर्वाचन आयोग के महाप्रभु से मुलाकात करने के लिए गए, लेकिन वह संभव नहीं हो पाई। पता नहीं वह कैसे देव पुरुष हैं, क्या उनकी दिव्य दृष्टि है, किसको वह दर्शन देंगे, मालूम नहीं। हम पहले भी निर्वाचन भवन में जाते थे। जब देश के पूर्व गृह मंत्री और पूर्व वित्त मंत्री ने उनको सर्च करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की तो सौभाग्य से एक सिपाही जो कि मुफ्ती मोहम्मद साहब को पहचानता था, उसने बग्गा साहब से उनकी मुलाकात करवा दी। साढ़े तीन बजे हमको कहा गया कि गया में चुनाव होने जा रहे हैं और उसके 61 बूथों पर रिपोलिंग होने जा रहा है। सवा चार बजे नोटिफिकेशन आ गया कि गया के चुनाव को रद्द कर दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, आप हमारे देश की जनतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमें इस बात का दुख है कि आज ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : लालू प्रसाद जी करेंगे।

श्री हरि किशोर सिंह : लालू का भूत आपको बहुत दिनों तक तंग करेगा। आप घबराइए मत। आप लालू से क्यों घबराए हुए हैं। लालू ने तो कहा था कि मिलिट्री को भेजकर चुनाव करा लें, लेकिन चुनाव स्थगित न करें। मुझे इस बात का दुख है कि जब इस सदन के द्वारा इस देश के नागरिकों को सुरक्षा नहीं मिलेगी, जनतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा नहीं होगी तो दिल में वेदना होने पर नपुंसक की तरह आंसू बहेंगे। मेरा कहना है कि दिल में वेदना होने पर वाणी भी कड़वी हो सकती है और बहुत मजबूर होने पर तलवार भी उठ सकती है और ए-के-47 भी उठ सकती है। मुझे इस बात का दुख है कि मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। संसद हो या नेशनल इंटिग्रेशन कौंसिल हो, उसमें पंजाब के एक माननीय सदस्य जो कि उसके लिए चुने गए थे, वहां लंबी तलवार ले जाने के कारण अन्दर दाखिल नहीं हो सके और न ही संसद की शपथ ग्रहण कर सके। जो सिख पंथ में हैं, उनसे मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि सिख पंथ में तलवार की परिकल्पना को सार्थक रूप गुरु गोविन्द जी ने दिया था। और उनका जन्म पटना में हुआ था, अगर आपको मालूम नहीं है तो सुन लें, उनका जन्म पटना में हुआ था इसलिए थोड़ा वह भी कहने का है। पटनासाहिब में जिस गुरु गोविन्द सिंह जी जैसे महापुरुष, महासंत का जन्म हुआ, जिन्होंने इस देश की संस्कृति और सभ्यता की रक्षा के लिए काफी बलिदान दिए, कुर्बानी दी, उनकी भावनाओं का सहारा लेकर सदन में, इस देश की जनतांत्रिक प्रक्रिया में सम्मिलित न होना एक अलग बात है। मैं उनसे अपील करूंगा कि तलवार की लंबाई इस देश का फैसला नहीं करेगी और सिख धर्म भी किसी को यह इजाजत नहीं देता है कि वह इन छोटे-छोटे मुद्दों पर यह काम करें।

नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की आप क्या कहिएगा। भारत की नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल जो बनी है, वह बहुत जल्दी में बनी है इसलिए हो सकता है कि थोड़ी जल्दी में बनने की वजह से कुछ नाम उसमें छूट गए हों लेकिन जिस नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में भारत के रक्षा मंत्री का कोई स्थान नहीं है तो किसको क्या कहेंगे? पहले तो, वित्त राज्य मंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जरा नेशनल इंटीग्रेशन को आप ठीक कीजिए और महाराष्ट्र के छोटे-छोटे झगड़ों को आप दिल्ली में मत लाइए, यह मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। आज तक ऐसा नहीं हुआ था, जब से नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की परिकल्पना की गई थी: देश का रक्षा मंत्री उसका सदस्य रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ है? मैं आपसे पूछता हूं, बताइए? क्या उनमें कोई योग्यता नहीं है, अगर योग्यता नहीं है, अगर वह इस लायक नहीं हैं कि देश के रक्षा मंत्री नेशनल इंटीग्रेशन

काउंसिल के सदस्य बन सकें तो देश की रक्षा वह क्या करेंगे। मुझे हमारे साथी लोग माफ करेंगे लेकिन इलेक्शन में प्रचार इस बात का हुआ था कि इनकी क्या हैसियत है, यह तो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के मेम्बर तक भी नहीं हैं, यह अखबारों में छपा था, इसीलिए मैं यह कह रहा हूं।···(व्यवधान)···पंजाब से इसका इसलिए ताल्लुक है कि आपकी संकुचित मानसिकता के कारण ही पंजाब की समस्या उत्पन्न हुई है और ये सकुचित मानसिकता जब तक रहेगी, पंजाब की समस्या का समाधान नहीं होगा।··· (व्यवधान)-- हमारी जब सरकार थी, उस बात को आप मत खुलवाइए, छेड़िएगा तो मैं कह दूंगा, आप लोग बराबर दबाव दे रहे थे कि पंजाब में चुनाव मत कराओ, यह मैं देश को बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं है तो आप इंकार कर दीजिए। आप ऐसा इसलिए नहीं कर रहे थे कि आप डरपोक थे बल्कि आप चाहते थे कि सरकार कुछ दिन और रह जाए। आप सत्ता के लिए नहीं, इस देश की आवश्यकता के लिए सरकार में रहना चाहते थे। यह सरकार को बनाने की जरूरत नहीं है, देश की आवश्यकता है इसलिए जरा दिमाग खोलकर काम लीजिए। मैं इस सदन से स्पष्ट रूप से चाहूंगा यह आश्वासन कि पंजाब में चुनाव कब होंगे ?

हम लोगों का बजट प्रपोजल्स पर कोई विरोध नहीं है, जैसा मैंने उस दिन कहा था, बजट का हम विरोध नहीं करना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि जल्दी से बजट पास हो जाए लेकिन जो संकीर्ण मानसिकता है, उसका क्या इलाज होगा ? कब जनतांत्रिक प्रक्रिया पंजाब में शुरू होगी ? क्या पंजाब का संचालन उसी तरह से होगा, जैसा गृह मंत्रालय पहले कर रहा था ? उसका एक नमूना अभी हमारे सामने आया है। आपने पुन: उन्हीं को पंजाब में भेज दिया है, जो पांच साल पहले वहां थे, क्या उनकी कोई ऐसी उपलब्धि थी कि वह दिल्ली में आकर बहुत बड़ी संस्था सी० आर० पी० एफ० के डायरेक्टर जनरल बनाकर बैठा दिए गए थे ? अब ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि उनको फिर आपने वहां भेज दिया. मैं इसलिए यह दर्द के साथ कह रहा हूं कि उनका व्यवहार सामान्य लोगों के साथ क्या है। जनता की बात तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि वहां के नागरिकों को जिन्दा नागरिक कहें या मुर्दा नागरिक कहें, उसमें कोई अन्तर नहीं है, उन्होंने अपने कलीग के साथ, वरिष्ठ अफसरों के साथ क्या व्यवहार किया था। आप और ज्यादा सुनना चाहते है तो और भी बताऊंगा लेकिन क्या उनको अपने सहयोगियों के साथ, वरिष्ठ अफसरों के साथ किए गए व्यवहार के लिए पुरष्कृत कर रहे हैं। आपने उदाहरण दिया है और उनको पंजाब में क्यों भेजा है, आप इस बात का जबाव दीजिए। अकाल तख्त और सिखों की पॉलिटिक्स में आप मत जाइये।

इन्दिरा जी की शहादत हुई, गलत हुआ, बहुत ही गलत हुआ और यह कलंक की बात है। देश के प्रधान मंत्री की रक्षा इस देश की सरकार नहीं कर सकी। कम से कम उस समय के रक्षा मंत्री को नहीं तो गृह मंत्री को तो इस्तीफा देना ही चाहिए था। आप खुद सोच सकते हैं कि उस समय के कौन गृह मंत्री थे। उसके बाद भी घटनाएं हुईं और जो भी घटनायें हुईं, वे गलत हुईं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2300 आदमियों को मारा गया और बहुत से लोगों को जिन्दा जला दिया गया। आयोग बैठाया गया, लेकिन क्या कार्यवाही हुई ? उसमें से कुछ लोगों को मंत्री बना दिया। कांग्रेस की राजनीति के लिए पंजाब को आपने आग की ज्वाला में झोंक दिया। बाद में फिर आपने सिखों की मंशा के विरुद्ध पंजाब में अकाल तख्त बनवाया और आठ से ग्यारह सौ करोड़ का ठेका भारत सरकार ने दिया, लेकिन बाद में उसको ढा दिया गया। पंजाब के सिलसिले

में मुझे स्वर्गीय दरबारा सिंह जी ने कहा था-- हरिकिशोर, पंजाब को ये दिल्ली वाले चलने नहीं देंगे और उन्होंने कई लोगों का जिक्र किया था और कहा था कि कभी चलने नहीं देंगे। दरबारा सिंह जी ने यह बात मुझसे ही नहीं कही, बहुत से लोगों से कही थी। उस समय की प्रधान मंत्री, आदरणीया इन्दिरा गांधी जी को भी कहा था और हम लोग एक डैलीगेशन लेकर उनसे मिले थे। मैं कहना चाहता हूं, पंजाब में सबसे प्रथम आवश्यकता है कि वहां चुनाव हों। जिस आफिसर को पंजाब में जनरल डायर का दर्जा दिया जाता है, उनको वहां से वापिस कीजिए। पंजाब की जनता को आश्वस्त कीजिए कि राजनीतिक प्रक्रिया शुरू होगी, कौन पार्टी आती है, कौन पार्टी नहीं आती है, उसमें कोई फर्क नहीं करना चाहिए। बहुत से राज्यों में आपकी सरकार नहीं है। हरियाणा में चुनाव हों और पंजाब के चुनाव को आप ताक पर रख दें, यह क्या न्याय की बात है। मेरा निवेदन है, इस तरह की संकीर्ण मनोवृत्ति से काम न लेकर, आप राष्ट्रीय हित में आगे आइए, इस सदन को आश्वस्त कीजिए कि पंजाब में हम इस तारीख को चुनाव कराने जा रहे हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे (मुंबई उत्तर मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं 1991-92 के लिए पंजाब के लिए अनुदान की मांगो का समर्थन करता हू। किंतु मुझे यह कहते हुए खेद है कि यदि औचित्य की दृष्टि से सही देखा जाए तो जहा तक इन मांगो का संबध है, सभा के सम्मुख पर्याप्त सामग्री नहीं रखी गई है। मुझे केवल एक पृष्ठ मिला है जिसके कुछ आंकड़े और विभाग बताए गए हैं। और इसके साथ हमें सीधे पंजाब विनियोग विधेयक की प्रति भेजी गई। मैं महसूस करता हूं कि ऐसे में जब पंजाब में कोई जनप्रिय सरकार नही है और जब इस सभा मे पंजाब का कोई प्रतिनिधि नहीं है, सरकार का यह कर्तव्य है कि वह हमारे सम्मुख बचे हुए महीनों के लिए कार्यों, विभिन्न योजनाओं, विभिन्न नीतियों और प्रस्तावित कार्यों का विवरण प्रस्तुत करें। केवल कुछ आंकड़े और विभागों के नाम बता देने से पंजाब की वास्तविक वित्तीय स्थिति की कोई जानकारी नहीं मिल जाती। वित्तीय दृष्टि से यह वाद-विवाद सार्थक नहीं है। इसलिए, यह मानते हुए कि बटुए की डोर इस सभा के हाथ में हैं, हम इस मौके पर पंजाब की वित्तीय और राजनीतिक स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। इसलिए वस्तुतः संपूर्ण वाद-विवाद गृह मंत्रालय को सम्बोधित करते हुए हुआ है और वित्त मन्त्रालय को बिल्कुल भी सम्बोधित नहीं किया गया है। मैं नहीं समझता कि हम जो मुद्दे उठायेंगे और हमने जो भी मुद्दे उठाए हैं, उनका वित्त मन्त्रालय द्वारा उपयुक्त उत्तर दिया गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इस बजट के वित्तीय पहलू बिल्कुल भी सभा के सम्मुख नही रखे गए हैं।

किंतु, पंजाब में राजनैतिक स्थिति के बारे में, मैं कहूंगा कि अब पंजाब में चुनाव आवश्यक हो गए हैं। यह नोट करते हुए प्रसन्नता होती है कि गृह मंत्री महोदय ने पिछले सत्र के दौरान ही पंजाब में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के लिए प्रस्ताव रखते समय यह आश्वासन दिया था कि पंजाब में अगले वर्ष फरवरी मे चुनाव होंगे और वे बार-बार यह कहते आये हैं कि किसी भी स्थिति में पंजाब में 15 फरवरी तक चुनाव हो जाएंगे। मैं इस वक्तव्य का स्वागत करता हूं क्योंकि जहां तक पंजाब समस्या का संबध है बिना चुनावों के उसका कोई हल नहीं निकल सकता। आज, पंजाब अनकही व्यथाओं की कहानी बना हुआ है और इस अंधेरी सुरंग के छोर पर कोई रोशनी नहीं है। प्रतिदिन हो रही अंधाधुंध हत्यायें, पूरे के पूरे परिवारों का अमानवीय ढंग से सफाया कर डालना,

लूटपाट, फिरौती के लिए अपहरण आदि से बचने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। अब यह स्थिति पंजाब की तीन सीमान्त जिलों तक ही सीमित नहीं रही है बल्कि यह पंजाब के सभी क्षेत्रों और पंजाब से बाहर के क्षेत्रों जैसे उत्तर प्रदेश के तराई इलाके, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी फैल गया है। यह सब महाराष्ट्र में भी होने लगा है। कुछ दिन पहले ही मुंबई के पास कल्याण में अर्धशहरी ट्रेन में बम्ब विस्फोट हुआ था। इस प्रकार, आतंकवादियों की गतिविधियां महाराष्ट्र जैसे राज्य तक भी होने लगी हैं। इसलिए, जैसा कि मैं कह रहा था यह समस्या शीघ्रातिशीघ्र सुलझानी चाहिए और क्योंकि वहां किसी से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, इसलिए जहां तक समस्या का संबंध है, चुनाव ही इसका एक मात्र रास्ता है। मैंने कहीं यह रिपोर्ट पढ़ी थी कि गृह मंत्री महोदय ने भी कहा है कि कोई समझौता नहीं हो सकता है क्योंकि वहां पंजाब में लगभग 37 गुट हैं। और हम इनमें से किसी गुट से कोई सार्थक बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि वहां आज अनेक गुट विद्यमान हैं। इसलिए, अन्ततः लोगों को ही निर्णय लेना होगा कि किसे पंजाब का प्रतिनिधित्व करना है और किसे केन्द्र से बातचीत करनी चाहिए। इसलिए 15 फरवरी तारीख का सरकार को कड़ाई से पालन करना चाहिए। अब, किसी भी कारण पंजाब चुनाव को स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। इसका इस सरकार की विश्वसनीयता पर प्रभाव पड़ेगा और जहां तक पंजाब समस्या का संबंध है, इसमें पूरी तरह गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस घोषित समय सीमा का कड़ाई से पालन करे और किसी भी स्थिति में पंजाब में चुनाव होने चाहिए।

मुझे यह नोट करते हुए प्रसन्नता है कि विघटनकारी तत्वों को चुनाव से बाहर करने के प्रस्ताव को छोड़ दिया गया है। इससे इन लोगों में और अधिक अलगाववाद की भावना पनपेगी। अतः जहां तक इस राज्य का संबंध है, अलग चुनाव संबंधी कानून नहीं होना चाहिए। हमें खतरा मोल लेकर अपने लक्ष्य को पकड़ना चाहिए। चाहे जितनी भी सेना तैनात की जाए या जिस तरह के भी निर्वाचन तंत्र का उपयोग किया जाए, हमें पंजाब में चुनाव कराने चाहिए। अतः मुझे आशा है कि यह समाचार कि उग्रवादियों को वंचित करने वाला विधेयक लाने का विचार छोड़ दिया गया है सही है और मुझे खुशी है कि अब यह लोगों पर छोड़ दिया गया है कि वे अपने पसन्द के प्रतिनिधियों को चुनें जो उनके राज्य पंजाब का प्रतिनिधित्व करें।

आगे मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह पंजाब में उग्रवादी गतिविधियों को रोकने के लिए सभी प्रकार के कूटनीतिक तरीकों का इस्तेमाल करे। जहां तक परमाणु कार्यक्रम का सवाल है, ये प्रयास किए जा रहे हैं कि भारत एन० पी० टी० संधि पर हस्ताक्षर करे और दक्षिण एशिया को परमाणु शस्त्र मुक्त क्षेत्र बनाया जाए। इस संबंध में बारथोलोमियु तथा बिलिक्स जैसे लोग भारत आ रहे हैं तथा हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस अवसर का लाभ उठाया जाए तथा इस समय यह देखा जाए कि पाकिस्तान में प्रशिक्षण केन्द्रों को नष्ट किया जा रहा है तथा उग्रवादियों को सीमापार बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। शायद जहां तक पंजाब समस्या का सवाल है इस घटना के बाद इस पर प्रकाश डाला जाना चाहिए। चुनाव शान्तिपूर्ण तरीके से होंगे तथा शीघ्र-अतिशीघ्र पंजाब में शांति एवं व्यवस्था पुनः स्थापित होगी। जब यह राज्य राष्ट्र की मुख्य धारा में फिर से शामिल हो जायेगा तो न केवल पंजाब में खुशी का दौर आयेगा बल्कि सारे देश में खुशियां आ जायेंगी।

पंजाब के वर्तमान राज्यपाल द्वारा कुछ उपाय किए गए हैं और मैं इनका स्वागत करता

हूं। पंजाब राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर राज्यपाल ने कुछ लाभकारी उपायों की घोषणा की है जैसे कि संपूर्ण पंजाब राज्य में पंजाबी भाषा का विकास सुनिश्चित करना, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्य में पंजाबी भाषा को दूसरी भाषा बनाना, एक हजार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, पंजाबी विरासत को बचाये रखने तथा उसको बढ़ावा देने के लिए लोक विकास संस्थान की स्थापना करना, एक हजार गांवों को बेहतर सैनिटिरी व्यवस्था प्रदान करने के लिए कार्य करना तथा उन्हें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, ये सभी उपाय न केवल अनुकूल वातावरण ही तैयार करेंगे बल्कि पंजाब की समस्या को सुलझाने तथा वहां चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराने में सहायक होंगे।

उन युवाओं को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाये जाएंगे जो राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं। कुछ पत्रों की जांच-पड़ताल से पता चलता है कि वे लोग उग्रवादी गतिविधियां करते करते परेशान हो गए हैं और वे एक सामान्य नागरिक की भांति शांतिपूर्ण जीवन बिताने के लिए तैयार हैं। ऐसे युवाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए जो सामान्य राजनैतिक और सामाजिक जीवन में शामिल होना चाहते हैं और पंजाब में उग्रवादी गतिविधियों को छोड़ना चाहते हैं।

यदि ये सब उपाय किये गए तो मुझे विश्वास है कि पंजाब में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न होंगे तथा उसकी समस्या भी सुलझ जायेगी तथा भविष्य में पंजाब के लिए बजट इस सभा में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री दिघे की अनिश्चितता से संबंधित चिन्ता से सहमत हूं कि क्या इस मामले से संबंधित राजनीतिक पहलुओं, जिन पर चर्चा की जा रही है, पर वित्त मंत्री महोदय द्वारा ध्यान दिया जायेगा या नहीं। वास्तव में यह निर्णय करना उनका काम है परन्तु निश्चित रूप से यह मामला ऐसा है, जिसे गृह मंत्रालय द्वारा देखना है, जिसका कोई भी प्रतिनिधि इस समय यहां उपस्थित नहीं है, क्योंकि पंजाब बजट, जिस पर यहां चर्चा हो रही है, का प्रश्न ऐसा है जिसको पंजाब में राष्ट्रपति शासन के भविष्य पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। मुझे पता नहीं कि मंत्री महोदय इस स्थिति में हैं कि वह विश्वासपूर्वक यह घोषित कर सकें कि यह अन्तिम अवसर है जबकि पंजाब बजट संसद द्वारा पारित किया जाएगा। यदि वह यह वक्तव्य विश्वासपूर्वक देते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी।

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शांताराम पोतदुखे) : मन्त्री महोदय, पहले ही कह चुके हैं कि·····

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कृपया दोबारा कहें कि मन्त्री महोदया ने विश्वासपूर्वक क्या कहा है।

बहुत लम्बे समय की बात नहीं है। मैं समझता हूं कि शायद पिछले सत्र की बात होगी, सभा की सर्वसम्मत राय यह थी कि सभी प्रकार के खतरों तथा अनिश्चितताओं के बावजूद हमें जल्दी से जल्दी पंजाब में चुनाव कराने चाहिए। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। प्रधानमन्त्री ने स्वयं सभा में आश्वासन दिया था कि चुनाव निश्चित रूप से 15 फरवरी से पहले हो जायेंगे। यह नवम्बर का महीना समाप्त हो रहा है। प्रधान मन्त्री द्वारा बताई गई समयावधि के अनुसार हमारे पास ढाई महीने का समय बाकी है। अत: यह हम पर निर्भर करता है कि क्या अब चुनाव होने हैं या नहीं, क्या निर्वाचित विधान-मंडल बनती है और यदि बनती है तो शायद हमें

पंजाब राज्य के लिए बार-बार चर्चा करने और बजट पारित करने का अवांछित कार्य नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यह राज्य काफी लंबे समय से राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत है।

श्री दिघे की तरह मुझे भी इस तथ्य से असंतुष्टि है कि हमें किसी भी प्रकार की पिछली जानकारी नहीं दी गई है हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वहां क्या हो रहा है नहीं तो पंजाब की स्थिति का आकलन करना बहुत मुश्किल होगा जिसके साथ यह सम्पूर्ण प्रश्न गहनता से जुड़ा हुआ है। समाचार पत्र सूचना के एकमात्र स्रोत है और हम उनमें बहुत विशिष्ट शीर्षक के अन्तर्गत यह पढ़ रहे हैं कि रक्षक-दो नामक एक कार्य (आपरेशन) किया जाना है। रक्षक-एक पहले ही समाप्त हो चुका है और रक्षक-दो शुरू कर दिया गया है जिसमें हजारों सैनिक टुकड़ियां, अर्द्ध सैनिक बल तथा पंजाब पुलिस सबको मिलाकर हजारों लोगों को तैनात किया गया है और उनकी तैनाती राज्य सरकार की इच्छा पर छोड़ दी गई है कि वे उनका जिस तरह भी उपयोग करें। मुझे उसके विरुद्ध कुछ नहीं कहना है लेकिन अब ऐसी स्थिति क्यों आवश्यक हो गई है। यदि सरकार हमें कुछ नहीं बताती है तो हमारे पास अनुमान लगाने और अटकल लगाने के सिवा कुछ नहीं है। क्या इसका मतलब है कि स्थिति और बिगड़ गई है ? अब तक पंजाब के 12 जिलों में से 9 जिलों को विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम के अंतर्गत अशांत क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। केवल तीन जिले बाकी बचे हैं। अब मुझे पता चला है कि वे शेष तीन जिले भी अशांत क्षेत्र अधिनियम के अन्तर्गत लाए गए हैं। इसका निश्चित रूप से यह मतलब नहीं है कि स्थिति सुधर रही है। ऐसा लगता है कि सरकार के आकलन के अनुसार स्थिति बिगड़ी है, यह ठीक या गलत हो सकता है, इसलिए सारे राज्य को अशांत क्षेत्र अधिनियम के अन्तर्गत लाने की आवश्यकता हुई है तथा राज्य में रक्षक-दो आपरेशन आरम्भ किया गया है। अतः हमें कुछ भी नहीं बताया गया है। देश की इस प्रभुता सम्पन्न सभा, जिसे दूसरे राज्य के बजट पर चर्चा के लिए बुलाया गया है, को वहां की स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है कि हम क्या करने जा रहे हैं। क्या हमसे यह आशा की जाती है कि हमारे अन्दर इतना विश्वास है कि जी, हां, 'ढाई महीने' के समय में सरकार इस स्थिति म होगी कि वह प्रधान मन्त्री द्वारा दिए गए आश्वासन को लागू कर सकेगी ? उस समय मुझे आशंका थी। महोदय, जब वे उस समय यह आश्वासन दे रहे थे तो मैंने इस सभा में कहा था कि हमारे लिए अस्थिर सरकार से एक निश्चित तारीख की आशा करना बहुत मुश्किल होगा। अन्ततः एक निश्चित तारीख दी गई। हमें बताया गया कि वे उस पर अडिग रहेंगे। महोदय, क्या आप संवैधानिक मजबूरियों को जानते है ? यदि किसी कारण वे इस पर अडिग नहीं रह पाते, यानि कि, यदि किसी कारण से चुनाव 15 फरवरी को नहीं होते हैं तो एक नया संवैधानिक संशोधन करना होगा। मैं नहीं जानता कि क्या वर्तमान सरकार यह जोखिम उठाने की स्थिति में है या नहीं कि संवैधानिक संशोधन दोनों सदनो में पारित करवा सके।

अतः यह एक बहुत गंभीर मामला है। मैं कहूंगा कि सरकार वास्तव में आगे कुंआ पीछे खाई वाली स्थिति में है। यह फैसला सरकार को लेना है। लेकिन मुझे जिसका दुःख है वह यह है कि वहां कानून और व्यवस्था की कोई बात नहीं की गई है, पहला प्रश्न कानून और व्यवस्था का है। दूसरा प्रश्न सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती का है। हम यह सब कुछ समझते हैं। कार्य योजना का दूसरा पहलू जिसका हमे आश्वासन दिया गया था, वह यह था कि वहां पर विकास कार्य तेज किए जाएगे। विकास कार्य पर अधिक विश्वास किया जाना चाहिए। आपको उग्रवादियो को अलग-थलग करना होगा। आपको लोगों के मनो में विश्वास पैदा करना होगा। आपको युवकों को

आकर्षित करने के लिए उनकी मदद करनी होगी और अधिक नौकरियों का सृजन करना होगा, अधिक रोजगार अवसर प्रदान करने होंगे। लेकिन आप क्या करते रहे हैं? आपने क्यों कुछ नहीं बताया? सभा को इन सभी मामलों में अंधेरे में क्यों रखा गया? कृपया हमें बताएं। इस वर्ष के प्रारंभ से अब तक वे कौन-सी विकास परियोजनाएं हैं जिनको आप प्रारंभ करने में समर्थ हो सके हैं और आपने कितने नए कार्यों का सृजन किया है? मैं जानता हूं कि पंजाब के राज्यपाल ने सार्वजनिक रूप से कुछ अच्छे इरादों के साथ घोषणा की है, कि वे क्या करना चाहते हैं? इसका जिक्र अभी-अभी श्री दिघे ने किया है। लेकिन जिन कार्यक्रमों के बारे में हमें बताया गया था कि वे शुरू किए जाने वाले हैं वह केन्द्र की सहायता से नहीं किए जाने हैं। आप लोगों की मनोदशा को कैसे बदलने जा रहे हैं?

अब हमें बताया गया था कि लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए रक्षक-दो आवश्यक है। आपको यह किसने बताया? मैं नहीं जानता। मैं नहीं समझता कि सरकार का इन विकासशील कार्यों और योजनाओं में कोई विश्वास है जिनके बारे में वह इतना कुछ कह रही है। यह केवल बन्दूक पर निर्भर करना है न कि किसी और पर। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको वह नहीं करना है। आप सुरक्षा व्यवस्था करें। स्पष्ट तौर पर आपको सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी। लेकिन कार्ययोजना के दूसरे पहलू का क्या होगा? जो लोग कई वर्षों से एक तरफ तो आतंकवादियों की हिंसा और दूसरी तरफ पुलिस की ज्यादती का शिकार होते रहे हैं, इनमें अब विश्वास पैदा करना आसान नहीं है। यह बहुत कठिन कार्य है, जिसके लिए हमने सोचा है कि सरकार द्वारा पूरे देश और सभी राजनैतिक दलों को पंजाब के लोगों के समीप लाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं किया गया है। न ही इस प्रकार का कुछ किया जा रहा है। हमने सभी को उनके मनचाहे ढंग से सब कुछ करने को छोड़ दिया है।

अतः पिछली बार, जब प्रधानमंत्री ने कहा था, मेरा आशय था कि चुनाव होने तक पंजाब के लोगों में झगड़े की बजाय समझौते और विश्वास प्रक्रिया का एक माहौल बनाया जाना चाहिए। यदि मैं गलत था तो मुझे सुरक्षा की अनुमति दी जाए। योजना का लक्ष्य उग्रवादियों को अलग-थलग करना था। यह बात तो वहां पहले से ही है। मैं इससे सहमत हूं। हमारी रिपोर्टें भी इसी प्रकार की हैं। अधिकतर लोग अब ऊब चुके हैं। वे वहां हो रही हत्याओं, लूटपाट, मारकाट और लूट-खसोट से तंग आ चुके हैं। वे यह भी चाहेंगे कि वहां की स्थिति सामान्य हो ताकि वे सामान्य जीवन जी सकें।

तत्पश्चात् बातचीत का प्रश्न भी पैदा होता है। यह सरकार का कर्तव्य है; वह सरकार चाहे चंडीगढ़ स्थित राज्यपाल में निहित हो या केन्द्र में अथवा संयुक्त रूप से हो, सरकार को यह सोचना होगा कि पंजाब में वे कौन से दल हैं या वे कौन-सी शक्तियां हैं या वे कौन से शिष्ट सामाजिक तत्व हैं और धर्म निरपेक्ष तत्व हैं। चुनाव का आधार बनाने के लिए जिनके साथ किसी भी प्रकार की औपचारिक/अनौपचारिक बात की जा सकती है। हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है।

कुछ दिनों पहले समाचार पत्र में यह समाचार पढ़कर मुझे अत्यधिक दुःख हुआ कि हमारे यहां सीमा पर हम लोगों द्वारा जो बाड़ लगाई जा रही है, उसका सामान घटिया किस्म का है। इस पर कई बार चर्चा की गई है और यह चर्चा काफी लम्बे समय से चली आ रही है। यह

आश्वासन दिया गया था कि पूरे सीमा क्षेत्र में बाड़ लगाई जाएगी; इसका एक बड़ा हिस्सा पूरा हो गया है और थोड़ा-सा हिस्सा शेष रह गया है। समाचार पत्रों में दिए गए समाचार से यह पता चलता है कि इस कांटेदार तार की बाड़ में बहुत घटिया किस्म का सामान इस्तेमाल किया गया है। मैं नहीं जानता कि यह कार्य किसे दिया गया था वह कौन-सा ठेकेदार है अथवा कौन-सा व्यक्ति। लेकिन भारतीय ठेकेदारों की परंपरा के अनुरूप शायद अब यह कहा गया है कि इस बाड़ का कुछ हिस्सा घटिया किस्म का है, वह तार किसी भी प्रकार का दबाव नहीं सहन कर सकेगा और यदि आप उन्हें खींचेंगे या मरोड़ेंगे तो वह टूट कर आपके हाथ में आ जाएगा। हमारी सुरक्षा की देखभाल इस प्रकार की जा रही है। मैं वित्त मंत्रालय से इन प्रश्नों के उत्तरों की अपेक्षा नहीं कर सकता; यह नामुमकिन है, जबकि सब कुछ असंतोषजनक है। मेरा आग्रह है कि जब हम सभा में पंजाब पर चर्चा करें, गृह मंत्री को यहां अवश्य उपस्थित होना चाहिए, नहीं तो इससे सारी स्थिति को समझने में गंभीरता का अभाव दिखाई देगा। हमें पंजाब के सारे मामलों में पाकिस्तान की भूमिका के बारे में न्यूनतम स्थिति के बारे में क्यों नहीं बताया जाता है। क्या वे अभी भी इस आराम से शस्त्रों की सप्लाई कर रहे हैं क्योंकि यह उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन क्या यह सच है कि सीमा पार शस्त्रों को अभी भी बिना रोक-टोक भेजा जा रहा है। हम उन्हें रोकने या उन पर अंकुश लगाने में असमर्थ हैं और इस बारे में कुछ नहीं किया गया है। हमें इसके बारे में क्यों नहीं बताया जाता है ?

सीमा-पार पाकिस्तान में स्थित प्रशिक्षण शिविरों के बारे में काफी कुछ कहा गया है। हाल ही में मेरे कुछ मित्र सार्वजनिक तौर पर मांग करते रहे हैं कि यदि आवश्यक हो, हमें उन शिविरों को खत्म करने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए। ठीक है, यह उच्च स्तर नीति का मामला है जोकि मेरे निर्धारण से बाहर है, लेकिन मेरे विचार में यदि ये प्रशिक्षण शिविर न भी चलें तो भी पंजाब में ये उग्रवादी कई वर्षों तक कार्य करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित और अनुभव प्राप्त हैं बशर्ते कि उनके पास अपेक्षित शस्त्र, गोले, विस्फोटक पदार्थ हैं तथा वे सभी वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। खानों और सुरंगों का इस्तेमाल करके विध्वंसक तरीके से कर रहे हैं। क्या इसका मतलब यह है कि वास्तव में सीमा पार से आ रही हथियारों और शस्त्र संसाधनों की सप्लाई हमारे सभी प्रयासों के बावजूद बन्द नहीं हुई है।

आप धन खर्च करते जा रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि आपको बहुत अधिक धन-राशि खर्च करने की स्वीकृति दी जाए। उसके एक ही पहलू अर्थात् सुरक्षा व्यवस्था को भी उचित ढंग से देखना होगा। लेकिन हम किसी बात पर चर्चा और वाद-विवाद कैसे कर सकते हैं, जबकि हमें किसी भी प्रकार की तथ्यात्मक जानकारी नहीं दी गई है। अतः मेरे विचार से सरकार इस मामले के बारे में गंभीर नहीं है। तथापि, फिलहाल इस पर बहस का कोई औचित्य नहीं है। मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे सभा को दोबारा आश्वासन देने के लिए तैयार हैं कि जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है, 15 फरवरी, जोकि चुनावों की तारीख है, से पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है, और दूसरा क्या अब से लेकर 15 फरवरी तक निर्भरता पूर्ण तौर पर रक्षक हिलाय या किसी तृतीय रक्षक पर रहेगी, बाद की मैं नहीं जानता ? इसका मतलब हुआ कि सम्पूर्ण राज्य को विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम के अंतर्गत रखना और अधिक-से-अधिक टुकड़ियां और सैन्य बल भेजना विकास कार्यों के लिए लोगों को आकर्षित करने, उन्हें विश्वास दिलाने, युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आपने क्या नीति बनाई है ? उसके बारे में कुछ नहीं किया गया है। कुछ भी हो, मैं इसके

बारे में बहुत विचलित और चिन्तित हूं और आशा करता हूं कि कम-से-कम वित्त मंत्री इन प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करेंगे; वे जो भी जवाब दे सकते हैं दें या जिनका वे जवाब नहीं देना चाहते, वे उन्हें कृपया सरकार को भेज दें और हमें बताया जाए कि स्थिति क्या है ?

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृशनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, व्यथित और अप्रसन्न मन से मैं पंजाब के संबंध में वर्ष 1991-92 के अनुदानों की मांगों पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, पंजाब के लोग, जो भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में अग्रणी थे, जिनकी देशभक्ति, बहादुरी, बलिदान और देश-प्रेम हमारे इतिहास में सुनहरी शब्दों में लिखा गया है और जिन्होंने आजादी के बाद आर्थिक विकास के लिए काफी सहयोग दिया, अब असहाय और अलगाववादियों के शिकार बने हुए हैं। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए उनकी दृढ़ प्रतिज्ञा को उग्रवादियों की बन्दूकों से दबाया जा रहा है। वास्तव में भारतीय सभ्यता, संस्कृति और आदर्श के मूल्य, जोकि हमारे पूर्वजों के अथक प्रयासों के परिणाम हैं, वे सब आज भगत सिंह और असंख्य अन्य शहीदों की पवित्र भूमि पर जल रहे हैं। यह सारे देश के लिए शर्म की बात है।

हर कोई जानता है कि केन्द्र में कांग्रेस (इ) सरकार ही इस संकटपूर्ण स्थिति के निर्माण की जिम्मेदार है, जिसने कि वर्तमान विनाश को जन्म दिया है। लेकिन पंजाब और सारे देश के शांति-प्रिय लोग अभी भी इस आशा में है कि कम-से-कम इस बार कांग्रेस (इ) सरकार पिछले दस वर्षों की घटनाओं से सबक लेकर, अलगाववादी ताकतों की चुनौती से निपटने के लिए आगे आएगी और सही दिशा में कारगर कदम उठाएगी। लेकिन दुर्भाग्यवश, वह उम्मीद भी पूर्ण तौर पर झूठी साबित हुई है। नरसिंह राव की पांच महीने पुरानी सरकार के शासन के दौरान स्थिति और तेजी से बिगड़ी है और अब एक भयंकर अवस्था उत्पन्न हो गई है। तकरीबन सारे राज्य में विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम लागू किया जाना इस बात को सिद्ध करता है। असुरक्षा और हतोत्साहित होने की भावना ने सारे राज्य को जकड़ लिया है। मैं कुछ प्रत्यक्ष तथ्यों का उदाहरण देना चाहूंगा।

न केवल विभिन्न आयु वर्ग के साधारण लोग प्रतिदिन मारे जा रहे हैं या अपहरण, बलात्कार, लूट-खसोट, डराने-धमकाने आदि की घटनाएं पहले की तरह लगातार हो रही हैं, बल्कि हत्याओं की संख्या तेजी से बढ़ रही हैं। अक्तूबर और नवंबर के पहले सप्ताह के दौरान इस संबंध में एक रिकार्ड स्थापित हुआ है। 4 नवंबर को हमारे एक शीर्षस्थ साहसी नेता की उनके पांच साथियों के साथ दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। राष्ट्रीयकृत बैंकों की 31 शाखाओं को एक दिन में जलाया गया। पिछले अक्तूबर से बहुत-से पुलिस अधिकारियों की उनके परिवारों के साथ हत्या की गई और मशीनगनों सहित हथियारों को लूट लिया गया।

इसके अतिरिक्त, खालिस्तान के पक्ष में माहौल पैदा करने की दृष्टि से, ये उग्रवादी अल्प-संख्यक समुदाय के लोगों को राज्य से भगाने की अपनी योजना के साथ बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं कि अन्य राज्यों से सिखों के पलायन की स्थिति बन जाए। लघु उद्योग क्षेत्र के केन्द्र लुधियाना को उन्होंने अपनी पूरी योजना लागू करने का केन्द्र बनाया है। अब तक सभी प्रमुख उद्योगपति अपने उद्योगों को दिल्ली तथा पड़ोसी राज्यों में स्थानांतरित कर चुके हैं। लुधि-याना के अल्पसंख्यक समुदाय, बहुत-से दुकानदार राज्य से पलायन कर चुके हैं। पंजाब का प्रसिद्ध होजरी उद्योग अब विनाश के कगार पर है। इस उद्योग से संबंधित तीन लाख लोगों के भाग्य का अंदाजा लगाया जा सकता है।

सरकार के न्यूनतम रोकटोक के अलगाववादी अपनी योजनाओं को कार्यान्वित कर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार भी इन खतरनाक खेलों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। परन्तु क्या यह सही नहीं है कि बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का पलायन होने से न केवल राज्य को ही अत्यधिक नुकसान होगा, बल्कि इसके राज्य के बाहर भी गंभीर परिणाम आएंगे। परन्तु इन प्रश्नों का उत्तर कौन देगा ? केवल वित्त राज्य मंत्री ही यहां उपस्थित हैं। गृह विभाग का कोई मंत्री यहां नहीं है। वस्तुत: पंजाब में न कोई प्रशासन है और न ही भारत सरकार की पंजाब के बारे में कोई नीति है। यह स्थिति चल रही है।

व्यावहारिक रूप से पंजाब का शासन इस समय आतंकवादियों के आदेशों पर चल रहा है। सरकारी प्रशासन और सरकारी क्षेत्र के सभी उद्योगों में भर्ती आतंकवादियों द्वारा दी गई सूची के अनुसार की जा रही है। इसमें कोई गोपनीयता नहीं है। आतंकवादियों के आशीर्वाद से प्रशासन का एक वर्ग लोगों को परेशान कर रहा है और उनसे पूरी तरह धन ऐंठ रहा है, उनसे पैसे ठग रहे हैं। आतंकवादियों, अनेक नौकरशाहों और पुलिस कार्मिकों के बीच नापाक गठजोड़ सर्वविदित है।

परंतु केन्द्रीय सरकार क्या कर रही है ? विपक्ष के नेता के रूप में स्व० श्री राजीव गांधी और कांग्रेस (इ) के अन्य वरिष्ठ नेता अक्सर वी० पी० सिंह की सरकार पर यह आरोप लगाते थे कि पंजाब राज्य के बारे में उनकी कोई नीति नहीं है। परन्तु उस सरकार ने आधे मन से सही, वहां राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने के लिए कुछ कदम तो उठाये ही थे। वास्तव में उनको आगे नहीं बढ़ाया गया था। अब क्या मैं केन्द्रीय सरकार से पूछ सकता हूं कि वह पंजाब के बारे में क्या नीति अपना रही है। विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ चर्चा करने की बात छोड़िये, वह इस सभा को भी विश्वास में नहीं ले रही है। जो कुछ भी कहा गया हो, किंतु वास्तविकता यह है कि पंजाब समस्या को कश्मीर समस्या तथा बाद में असम समस्या की भांति कानून एवं व्यवस्था की समस्या समझा गया। परन्तु समस्या कहीं अधिक बड़ी है। यह देश की एकता तथा अखण्डता की समस्या है जिस पर भारत का भविष्य टिका हुआ है।

सरकार ने 15 फरवरी, 1992 तक पंजाब में चुनाव कराने का वचन दिया है। परंतु यदि वर्तमान स्थिति जारी रही और शांति बहाल नहीं हुई तो सरकार के पास चुनाव स्थगित करने और संविधान संशोधन विधेयक के साथ इस सभा के पास फिर से आने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा, जोकि आतंकवादियों की और अधिक बढ़ावा देगा और उन लोगों को हतोत्साहित करेगा जिन्होंने राष्ट्रविरोधी ताकतों का मुकाबला किया है। इसमें कोई शक नहीं है। केवल वक्तव्य जारी करने तथा पाक दुआओं से कुछ नहीं होगा। वर्तमान सरकार की निष्क्रियता सभी सीमायें पार कर चुकी है। राजनीतिक कार्रवाई की बात तो छोड़िये, यहां तक कि प्रचार माध्यमों, विशेषकर इलेक्ट्रोनिक प्रचार माध्यमों का उचित रूप में उपयोग नहीं किया जा रहा है। यह घोर चिन्ता का विषय है कि पंजाब में श्रमिक, जो अपने जीवन और रोजी-रोटी के लिए संघर्षरत होने के साथ-साथ लगातार आतंकवादियों की गतिविधियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन्हें कड़े पुलिस दमन का शिकार बनाया जा रहा है और उन पर बारम्बार गोली चलाई जा रही है। कुछ ही दिन पहले भारतीय खाद्य निगम के ठेका श्रमिक पंजाब में संगरूर में बेहतर सेवा शर्तों तथा सेवाओं को नियमित किए जाने के लिए अपनी लम्बे समय से चली आ रही मांगों के समर्थन में आन्दोलन कर रहे थे परंतु भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों ने श्रमिक संघ के साथ बातचीत द्वारा हल निकालने से मना कर दिया। इसके विपरीत उन्होंने ठेकेदार को बदलने का एकतरफा निर्णय ले लिया। इसके बाद

पुलिस को बुलाया गया और गोलियां चलाई गई और उनसे 40 श्रमिक घायल हो गए। श्रमिकों की झुग्गियों की तलाशी ली गई और सी० आई० टी० यू० के अनेक नेताओं और संचालकों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ दिन पहले पंजाब में अबोहर में पुलिस की गोलियों से 8 श्रमिकों की मृत्यु हो गयी थी। क्या राजनीतिक प्रक्रिया तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया शुरू करने का सही तरीका है ?

पंजाब में विद्यमान स्थिति में जहां सबसे महत्वपूर्ण बात लोकतान्त्रिक प्रक्रिया को शुरू करने की है, यह बात कल्पना से बाहर है कि श्रमिकों के लोकतान्त्रिक आन्दोलन को इस प्रकार दबा दिया जायेगा। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह यह स्पष्ट रूप से बताये कि वह पंजाब समस्या को किस प्रकार सुलझाना चाहती है।

इसका परिणाम यही होगा कि लोग और अधिक निस्सहाय हो जायेंगे और बहुत जल्दी ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आतंकवादी पंजाब में कश्मीर जैसी स्थिति उत्पन्न कर देंगे। इस स्थिति में पाकिस्तान तथा अन्य विदेशी ताकतों को, जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं, और अधिक बल मिलेगा।

इस संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि कश्मीर की स्थिति तथा पंजाब की स्थिति में बहुत फर्क है। पंजाब में बहुमत में लोग खालिस्तान के विरुद्ध हैं। वे आतंकवादियों और उनकी गतिविधियों के विरुद्ध हैंतथा वे राष्ट्रीय एकता के पक्षधर हैं। वे धर्मनिरपेक्ष हैं। इस बात का यह सबूत है कि अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद आतंकवादी पंजाब में स्थिति को साम्प्रदायिक रूप नहीं दे पाये हैं। वे राज्य के साम्प्रदायिक सौहार्द्र को भंग नहीं कर पाए हैं। इस अवधि के दौरान पंजाब में एक भी साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि सरकार को इस स्थिति को समझना चाहिए और आतंकवादियों के विरुद्ध राजनीतिक तथा प्रशासनिक दोनों प्रकार के उपाय करके उन्हें दबाना चाहिए। इसके साथ हीं पंजाब के लोगों की जायज आकांक्षाओं का सम्मान करना चाहिए और उन्हें पूरा करना चाहिए। इसमें और अधिक टालमटोल नहीं करना चाहिए। सरकार स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रही है। उनकी कार्यवाही से ऐसी कोई झलक नहीं मिल रही है। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह स्थिति की गंभीरता को समझे और सबसे पहले प्रशासन को चुस्त बनाए तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने और लोगों के जान-माल की रक्षा करने के लिए लोगों का समर्थन तथा सहयोग लेते हुए कड़े कदम उठाए।

दूसरी बात यह है कि राजीव-लोंगोवाल समझौते को लागू करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करना चाहिए और इसके साथ ही चण्डीगढ़ पंजाब को सौंपकर हरियाणा को पूरा मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसे एक समय-सीमा में पूरा किया जाना चाहिए। जल विवाद के मामले को तुरंत उच्चतम न्यायालय को सौंप दिया जाना चाहिए। 1984 के दिल्ली दंगों के अभियुक्तों को तुरंत सजा दी जानी चाहिए। पंजाबी भाषा को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा पंजाब सहित अन्य राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने के उद्देश्य से केन्द्र-राज्य संबंधों को नया रूप दिया जाना चाहिए।

4.00 म० प०

तीसरी बात यह है कि मैं कांग्रेस (इ) सहित प्रमुख राजनीतिक दलों तथा अन्य सभी राजनीतिक दलों से निवेदन करता हूं कि वे पक्के इरादे के साथ राज्य में राजनीतिक प्रक्रिया को शुरू करें। अन्त में मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह पंजाब के संबंध में अपनी नीति

बताये। उसे तुरंत आम राय बनाने के उद्देश्य से देश के सभी धर्म निरपेक्ष राजनीतिक दलों के साथ बातचीत करनी चाहिए। मुझे विश्वास है यदि हम सभी ताकतों को एकजुट करके पंजाब समस्या को सुलझा लेते हैं तो इससे कश्मीर समस्या से निपटने के रास्ते भी खुले जायेंगे। देश भर के आतंकवादी और विदेशों में उनके आका हतोत्साहित हो जायेंगे।

यदि सरकार और देशभक्त राजनीतिक दल स्थिति के आह्वान का प्रत्युत्तर देने में असफल हो जायेंगे और इन दुष्ट शक्तियों की चुनौती का मुकाबला करने के लिए उठ खड़े नहीं होंगे, तो इतिहास हमें माफ नहीं कर पायेगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझसे पूर्व बहुत से वक्ताओं ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया। केन्द्र सरकार न तो पंजाब समस्या के प्रति गंभीर है और न पंजाब के बजट के प्रति। अब जबकि सारे देश में और विभिन्न राज्यों में अगले वर्ष के बजट की तैयारी हो रही है तो हम उस वर्ष का बजट पेश कर रहे हैं जिसको आठ महीने बीत चुके हैं।

04.03 म० प०

(श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पीठासीन हुई)

लघु उद्योग ने बेकारी को कम करने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए और वहां की अर्थव्यवस्था को सम्बल देने के लिए बड़ा योगदान दिया है। इन मुश्किल हालातों के बावजूद पंजाब का छोटा उद्योग महत्वपूर्ण काम कर रहा है। मैं कल भी पंजाब में था, बहुत से लोगों को मिला, मजदूर साथियों को भी मिला। वहां पर कई छोटी-छोटी भट्टियां जहां छोटे मजदूर काम करते हैं, कोयले, कापर आदि की कमी है। छोटे उद्योग जो रा-मैटीरियल प्रयोग करते हैं उसकी शार्टेज है। मुझसे पूर्व सीनियर नेता श्री इन्द्रजीत गुप्ता ने ध्यान दिलाया कि एक छोटा-सा कागज हमें बजट के बारे में दिया गया है। इसमें भी मैं देख रहा था उद्योगों के लिए सरकार बार-बार प्रचारित कर रही है कि पंजाब में उद्योग और कृषि बहुत आगे बढ़ रही है, उसका वही पहला स्थान बना हुआ है। अगर आप मद 13 में देखें जो इडस्ट्रीज के लिए है तो मात्र दस करोड़ इक्यावन लाख अड़तीस हजार उद्योगों के लिए पंजाब में रखा गया है। इस धन से सरकार वहां पर उद्योगों में क्या प्रगति करवा पाएगी। सबसे पहली बात जिससे केन्द्र सरकार भी जुड़ी हुई है वह यह है कि वहां पर कच्चे माल की सप्लाई की जाए ताकि छोटे उद्योगों में लगे हुए लोग रोजगार भी दे सकें, अपनी रोटी भी कमा सकें और इससे वे टैरोरिज्म की समस्या को भी कुछ हद तक कंट्रोल कर रहे हैं।

दूसरी समस्या जो बजट के साथ जुड़ी हुई है, जिसके साथ केन्द्रीय सरकार का सीधा संबंध है, वह है बैंकिंग की सुविधायें। पंजाब में छोटे उद्योगपति थोड़ी-सी पूंजी लगा कर मेहनत करके स्वयं अपने लिए रोजगार और अपने कुछ साथियों के लिए रोजगार पैदा करते हैं। परन्तु पंजाब में वही इकोनमिक स्ट्रिक्नेंस आपने लागू की है। रुपये का अवमूल्यन किया उससे बैंकिंग लिमिट 30 से 40 परसेंट कम हो गई। इसलिए आटोमैटिकली जो लिमिट छोटे उद्योगपतियों के लिए बैंकों में बनायी है उसको 30 से 40 परसेंट बढ़ाना चाहिए। सरकार को अपनी तरफ से यह करना पड़ेगा

अन्यथा धन के अभाव में, कच्चे माल के अभाव में वहां छोटा उद्योग अगर बंद हुआ तो बेरोजगारी और बढ़ेगी और उसके साथ आपकी समस्या और बढ़ जाएगी।

वहां छोटे-छोटे यूनिट्स अच्छा उत्पादन कर रहे हैं। मैं इसलिए अपेक्षा करता हूं कि केन्द्र सरकार अपनी जिम्मेदारी वहां समझेगी। वह डायरेक्टली उसके प्रशासन से जुड़ी है। इसलिए छोटे उद्योगपतियों की समस्याओं को हल करेगी।

तीसरा सुझाव छोटे उद्योगों के बारे में है। वहां पर कच्चे माल की कमी तो है ही लेकिन वह बहुत महंगा भी है। आप नये वर्ष का बजट तैयार करेंगे। मैंने एक बार सुझाव दिया था कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो केन्द्र सरकार लगाती है, उसकी जो लिमिट पुरानी है, उसको आप रिवाइज करिए। पंजाब में लघु उद्योग बहुत हैं। वह आपकी सेंट्रल एक्साइज की मार ज्यादा देर तक नहीं सहन कर पाएंगे। बायर्राफकेट करते-करते लोग थक गए हैं। वहां छोटे-छोटे यूनिट्स बहुत हैं। रुपये के अवमूल्यन के कारण और लिमिट वही रखने के कारण पूरा प्रोडक्शन बंद होने जा रहा है जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी।

सेना और अर्द्ध सैनिक बलों में राज्यों की जनसंख्या के आधार पर भर्ती होती है। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर छोटे प्रदेश हैं। यहां की आबादी कम है लेकिन पिछला इतिहास आप उठा कर देखें तो यहां के अधिकतर लोग सेना में या सैनिक बलों में रह कर देश की रक्षा करते रहे हैं। आपका कानून बदलने के कारण वहां बेरोजगारी बढ़ी है। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के नोजवानों को सेना में भर्ती होने का कम चांस मिल रहा है। परिणाम आपके सामने है। पंजाब का नौजवान हथियार से प्यार करता है। अगर आप उसे हथियार नहीं देंगे, आप उसको सेना या अर्द्ध सैनिक बलों में भर्ती नही करेंगे तो उनको भर्ती करने वाली शक्तियां अब आपके सामने आई है। वे उन्हे हथियार दे रही हैं। जो नौजवान देश की रक्षा करते थे, आज वे प्रहार कर रहे हैं। इसके लिए आपको निश्चित तौर पर एक नीति अपनानी होगी और सेना और अर्द्ध सैनिक बलों में वहां पर भर्ती की संख्या बढ़ानी होगी।

सभापति महोदया, पंजाब के साथ जो भेदभाव केन्द्रीय सरकार करती है उसका एक उदाहरण देना चाहूंगा। राज्य सभा में पिछले सत्र में क्वश्चन नम्बर 60 में पूछा गया था कि उग्रवादियों की हिंसा के कारण जो लोग मरते है उनको आप कितनी अनुग्रह राशि देते हैं? इसके उत्तर में मंत्री महोदय ने राज्य सभा में बताया कि जम्मू कश्मीर में मरने वालों के परिवार वालों को एक लाख रुपये, असम में जो उग्रवादियों की हिंसा से मरते है उनको एक लाख रुपये देते हैं। क्या पंजाब का आदमी सस्ता हो गया है? वहां आप 50 हजार देते हैं। क्या पंजाब के आदमी की कीमत कम है, उसकी जिन्दगी सस्ती हो गई है।

हमारे माननीय प्रधान मन्त्री जिन्होंने घोषणा कर रखी है और मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि 15 फरवरी को या उसके पहले वहां चुनाव निश्चित तौर पर करा देंगे। उन्हें पंजाब जाने का समय नही मिला। भारतवर्ष के गृह मंत्री अभी पंजाब नही जा सके, राज्य गृह मन्त्री पंजाब नहीं जा सके। हां, आपने सेना जरूर भेजी है, जैसा इन्द्रजीत गुप्त जी ने कहा कि स्थिति सुधर रही है। आपकी बात पर भी आ रहा हूं। तो स्थिति यह सुधरी है कि आपने पहले 9 डिस्टर्ब्ड डिस्ट्रिक्ट्स डिक्लेयर किए थे, जो बाकी तीन बचे थे वे भी अब डिस्टर्ब्ड डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। मुझे शुक्रवार को पंजाब के कुछ भूतपूर्व सांसद मिले, वह कह रहे थे कि बी० जे० पी० वाले

अब चुनाव का समर्थन नहीं कर रहे। हमने कहा कि हम चुनाव का समर्थन तो हमेशा ही करते थे, हमने सदा ही कहा है कि परिस्थितियां ऐसी बनाइये कि लोग निर्भर होकर, फीयरलैसली वोट दे सकें, वह परिस्थितियां अगर तैयार हैं तो चुनाव आप चाहे कल करवा लीजिए। हमारे साथ दूसरा प्रश्न होता है कि बी० जे० पी० वाले तो पिछला चुनाव लड़ रहे थे, मैं फिर वही प्रार्थना करना चाहूंगा कि कृपया ऐसी राष्ट्रीय समस्याओं पर पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सोचिए। पिछली बार का चुनाव अवश्य हो गया होता, अगर कांग्रेस ने गलती से उसका बायकाट का निर्णय नहीं किया होता। आप निर्णय कर बैठे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर आप पर दबाव पड़ा कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो पंजाब की राजनीति से बाहर हो जायेंगे। फिर कुछ मित्रों ने नोमिनेशन पेपर भरकर उन्होंने विदड्रा करने की बात की। हमने तब भी कहा था, परिस्थितियां ठीक नहीं हैं लेकिन उसमें बिल्कुल सीधी स्पष्ट बात थी, सरकार चुनाव की घोषणा कर रही है और अगर राजनीतिक दल चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या पंजाब को आप मिलीटैंट्स के हवाले करने को तैयार हैं? उस समय कुछ पार्टियों ने साहस किया, सी० पी० आई० के मित्रों ने चुनाव लड़ने की बात की, चाहे केंद्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर कुछ गलतफहमी इनको जरूर पैदा हुई लेकिन फिर भी ये डटे रहे। वहां सैकड़ों तो नहीं लेकिन लगभग 38 उम्मीदवार, जो चुनाव में खड़े थे, मारे गए और इन्द्रजीत गुप्त जी ने जिस बात का जिक्र किया कि दुर्भाग्यवश मिलीटैंट्स के पास ऐसे लेटेस्ट हथियार आ गए हैं, जिस रिमोट कंट्रोल के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डा० बलदेव प्रकाश पर हमला किया गया, उसके बारे में जो रिपोर्ट्स मिली हैं, उसमें कहा गया है कि वह हथियार और रिमोट कंट्रोल से ब्लास्ट करने वाले आर्म्स बम हिन्दुस्तान में भी, इस देश में भी बना सकते हैं, वह टैक्नीक उनके पास आ गयी है इसलिए इस बात से भी आपको सतर्क रहना होगा।

मैं आना तो नहीं चाहता था, उस प्रश्न पर, मैं व्यक्तिगत आलोचना भी नहीं करना चाहता था लेकिन माननीय हरि किशोर सिंह जी ने बार-बार हमारी पार्टी का जिक्र किया और बीच में थोड़े बहुत यह नोट्स भी देना चाहते हैं कि क्या हुआ। इनको एक आपत्ति है। विरोधी पक्ष के नेता, हमारी पार्टी के नेता माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने किस संदर्भ में कही कि लाल बहादुर शास्त्री के बाद पहली बार ऐसा प्रधान मन्त्री है, जिसका सम्मान करने को मन करता है। यह बात इनको अच्छी नहीं लगी, कहने लगे मोरारजी भाई को भी याद कर लेते, किसी और को भी याद कर लेते। कई बार ऐसा जिक्र होता है कि आप अपने बाप या दादा की बात करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने लक्कड़दादा को भूल गए हैं या हर किसी का लिस्ट में नाम लिया जाए। किस संदर्भ में क्या बात हो रही थी, कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में एक व्यक्ति विशेष के बारे में अगर कोई व्यक्ति कहता है तो हरि किशोर सिंह जी कहते हैं कि यह तो अच्छाई का सार्टिफिकेट दे दिया। इनको इस सार्टिफिकेट की तो बड़ी दुविधा है, भारतवर्ष के प्रधान मन्त्री के बारे में विरोधी पक्ष के नेता कोई पोजीटिव बात करते हैं लेकिन इस बात का इनको दुख नहीं कि इनकी पार्टी का सांसद, जिस सिमरन जीत सिंह मान का जिक्र इन्होंने अपने भाषण में किया कि वह तीन तीन फीट की तलवार लेकर आना चाहते थे, न पार्लियामैंट में आये और न एन० आई० सी० की बैठक में आए, उनके पास कहने को कोई शब्द नहीं था कि जब उस व्यक्ति ने किसी और के साथ तलवार उठाकर इकट्ठे हाथ मिलाया, तब मेरे मित्र चुप रहे।

श्री हरि किशोर सिंह : सभापति महोदया, मैंने कहा है कि यह गलत है। धर्म की अहमियत तलवार की लम्बाई से नहीं आंकी जानी चाहिए। मैंने यह भी कहा है—जो उन्होंने कहा

है गलत कहा है। जहां तक सर्टिफिकेट की बात है, मैंने कहा है कम-से-कम उनको याद कर लीजिए। आपने कहा कि लक्कड़ दादा। मैंने कहा है —कम-से-कम उनको तो जरूर याद कर लेते, जिनके लिए आडवाणी जी आदरणीय सदस्य थे।

प्रो० प्रेम धूमल : आपके स्पष्टीकरण के बाद, महोदय, इनकी बात आपको फिर लगी होगी। इन्होंने अभी भी पार्टी के अपने सांसद, जो धर्म के बारे में बात करते हैं, उनके साथ तलवार उठाने पर इकट्ठा फोटो खिचवाने पर कोई आपत्ति नहीं है और न उन्होंने खुलासा किया है··· (व्यवधान) भोगेन्द्र झा जी, जो उन्होंने कहा है, आपने भी कहा है। इन्होंने कहा उनका तलवार लेकर अन्दर आना गलत था, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि उन सैयद शाहबुद्दीन के साथ, तलवार उठाना गलत था। ··(व्यवधान)···

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : आपके कहने के बाद उन्होंने कहा है, जिसने किया गलत किया।···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

सभापति महोदया (श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य) : बीच में कोई बात नहीं होनी चाहिए। श्री धूमाल ने अभी समाप्त नहीं किया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल : नो, मैडम। इसके अतिरिक्त एक बात उन्होंने बार-बार कही कि हम तो चुनाव करवाना चाहते थे, लेकिन बी० जे० पी० को आपत्ति थी। 1989 को पार्लियामेंट का चुनाव पंजाब में हुआ तो उस समय केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी। लुधियाना, जालंधर और अमृतसर में म्यूनिसिपल कारपोरेशन के चुनाव हुए तो उस समय केन्द्र में श्री चन्द्रशेखर जी की सरकार थी। आप पर प्रैशर हमारा केवल पंजाब के चुनाव के बारे में था। इसके अलावा आपने और बहुत-सी बातें कहीं, जिनके लिए आप उत्तरदायी हैं, यानि कि मीठा-मीठा गप और कड़वा-कड़वा थू-थू। जो तुम नहीं कर सके, तो वह बी० जे० पी० के कारण नहीं कर पाए। कल को आपके घर में ऐसी कोई समस्या हो गई तो कहोगे बी० जे० पी० का प्रैशर था, इसलिए उसको हल नहीं कर पाए। पंजाबी में एत कहावत है-·'नंगा पुत, चोंरा विच खेले।" जेडी का यानि जनता दल का वहां स्टेक नहीं है। जिन पार्टियों का है, वे समझ रहे हैं कि पंजाब में क्या-क्या त्रासदी चल रही है। केवल मात्र के० पी० एस० गिल का नाम लेकर (व्यवधान)···

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : पार्टी का नहीं, राष्ट्र का स्टेक है।

प्रो प्रेम धूमल : राष्ट्र का स्टेक मैं मानता हूं। पार्टी के आधार पर बात है, इसलिए मैं कहता हूं, जिन के० पी० एस० गिल, डायरेक्टर जनरल की बात आप कह रहे हैं, आप इतिहास पढ़िए, जब आपकी सरकार थी, तो वही डायरेक्टर जनरल वहां थे। अब कांग्रेस ने बैठा दिया तो जनरल-डायर से भी बुरा बैठा दिया। जब तुम्हारे टाइम में था, तो अच्छा था, अब खराब हो गया। इसलिए मैं चाहूंगा कि राजनीतिक आधार पर आप इस बात को कृपया मत उछालिए। पंजाब की हकीकत को जानने के लिए आप पंजाब जाइए और वहां की स्थिति को स्टडी करिए। जो मित्र वहां से आते हैं, जिन्हें वहां से होकर आना पड़ता है, उम्मीद है, वे शायद बोलेंगे। वे आपको

बताएंगे कि वहां की हकीकत क्या है । मात्र यहां से गरमन करना, फरमान देना कि ऐसा नहीं वैसा कर दीजिए, इससे समस्या हल नहीं होगी । आप सरकार में रहे, आप हल नहीं कर पाए । इसलिए नहीं कर पाए, जब-जब किसी पार्टी के राजनीतिक आधार पर अपने हित की बात सोची है, चाहे 1978 में कांग्रेस ने दल-खालसा की सपोर्ट करके किया समस्या खड़ी हुई । उसके बाद आपने कोई बात और कह करके इनको कंडैम करना शुरू कर दिया । पंजाब के लिए आप आब्जैक्टिवली सोचिए, जिस राष्ट्रहित की बात आप करते हो, उस राष्ट्रहित की बात करके सोचिए कि वहां की स्थिति ठीक है, तो चुनाव कराइए और उस चुनाव में कोई भी जीत सकता है । अब तो जमाना आ गया है कि कोई किसी को ज्यादा देर सहता नहीं हैं । अब कोई गलत सरकार चलाएगा तो लोग अपने आप उसको पलट देंगे । इसलिए मैं आप मित्रों से अपील करना चाहूंगा कि जब पंजाब का बजट आता है तो भाषण राजनीतिक होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए और कारण उसके कुछ भी हो सकते हैं । हर व्यक्ति एक फरमान-सा करता है, लेकिन मैं केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि गृह मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी समय निकालें, पंजाब में जाएं, जिससे पंजाब के लोगों को लगे कि देश की सरकार हमारे सुख और दुःख में हमारा साथ देने को तैयार है । जिस बात की ओर मुझसे पूर्व वक्ता, सी० पी० एम० के साथी ने शुरू की, वही सही रास्ता है, प्रकाश की किरण अगर कोई है तो पंजाब में इस सारे झगड़े के बावजूद उसका कम्युनल रंग नहीं हुआ है । वहां हिन्दू और सिक्ख दोनों एक हैं और दोनों ही मिलिटेंटस की बात से दुखी हैं । अगर सरकार इस दिशा में सही कदम उठाए तो उनका साथ देने को तैयार हैं, तो इस अवसर का लाभ उठा कर पंजाब की समस्या को ईमानदारी से हल करने का प्रयत्न कीजिए । चुनाव हों और अगर परिस्थितियां ठीक हों तो लोग निर्भय होकर वोट दे सकते हैं, तो आप वोट दिलवाइए, चुनाव करवाइए, उसमें चाहे कोई भी जीते, कोई भी आए । उसमें जिसकी भी सरकार होगी, अगर वह ठीक से काम करेगा तो उसको समर्थन प्राप्त होगा और अगर वह ठीक से काम नहीं करेगी तो लोग उसे बदल देंगे ।

अंत में, मैं एक ओर केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि अपनी-अपनी समझ के अनुसार अपने-अपने सबके अहम मुद्दे हैं, लेकिन कृपया पंजाब और कश्मीर के मुद्दे को भी महत्व-पूर्ण समझिए, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग आप तब कर पाएंगे, इसमें अधिक-से-अधिक पंजाब के लोगों को इनवाल्व करिए और जो नेता अखबार पढ़ कर यहां भाषण करते हैं, उसकी बजाए जो लोग पंजाब में जी रहे हैं, यह सब सह रहे हैं, उनको मालूम है कि पंजाब में क्या हो रहा है । अभी मेरे मित्र श्री हरि किशोर सिंह ने कहा कि पहले तो लम्बी यात्रा के लिए या दूर जाते समय श्राद्ध पहले कर दिया जाता था कि पता नहीं वह वापस आए या न आए और आज स्थिति यह हो गई है कि बहुत से मेरे भाई बिहार, उत्तर प्रदेश से आकर वहां मेहनत करते हैं । आज पंजाब में कोई भी व्यक्ति जब घर से बाहर निकलता है तो शाम तक जब तक वह सही-सलामत घर वापस न आ जाए तब तक चिन्ता रहती है कि वह ठीक वापस आएगा या नहीं । इसलिए ऐसे हालात में जो राष्ट्रवादी शक्तियां वहां हैं, किसी भी पार्टी के लेवल के बगैर जो भी लोग पंजाब की समस्या को समझते हैं, उनके साथ बैठ कर बात करें ।

समय बहुत कम है और इसमें बड़ी तेजी के साथ आपको बढ़ना होगा, कदम उठाने पड़ेंगे । मैं एक बार फिर आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि कृपया एक-दूसरे पर दोषारोपण करने की बजाए अगर किसी के पास ठोस सुझाव है, तो पंजाब के विषय पर रखें और मैं आशा करता हूं कि अगली बार कम-से-कम ऐसा मौका भगवान न लाए कि आठ महीने बीतने के बाद फिर से पंजाब का

बजट इस पार्लियामेंट को पास करना पड़े। समय पर अगर आप ठीक कदम उठाएंगे तो मुझे पूर्ण आशा है कि ठीक से चुनाव हो सकेंगे, क्योंकि पंजाब का आम आदमी शांति चाहता है और पंजाब में हालात सुखद हो सकते हैं, अगर ईमानदारी से प्रयत्न किया जाए।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : सभापति महोदया, मैं पंजाब के बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं मैडम, जब से लोगों ने पंजाब संबंध में विचार रखे तो बजट के बारे में बहुत कम बात कही गई और उसके लिए सभी ने स्पष्टीकरण भी दिया कि बजट के बारे में इस-लिए ज्यादा नहीं कहा जा सकता क्योंकि बजट पेपर्स में कोई ज्यादा डिटेल्स नहीं दी गई हैं, खाली डिपार्टमेंट के नाम और उसके सामने जो उस पर खर्च जितना होना है वह दिया गया है।

मैडम, मैं एक चीज कहना चाहता हूं क्योंकि मेरी स्टेट हरियाणा है और अब से 25 साल पहले हरियाणा और पंजाब एक स्टेट होते थे और ये झगड़ा शुरू कैसे हुआ, क्योंकि हम उस बीमारी को दूर नहीं कर सकते, जब तक हम उस बीमारी की जड़ तक न पहुंचे। मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बातें कीं, मैं ताईद करता हूं कि उन्होंने दो-तीन बहुत अच्छी बातें कहीं, एक तो इस मसले को राजनीतिकरण न किया जाए और ठीक ढंग से सुझाव दिए जाएं। मैं समझता हूं कि यह जो पंजाब की समस्या है इस समस्या की जिम्मेवारी हिन्दुस्तान की राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक नेताओं की ज्यादा है। पंजाब के इतिहास को आप शुरू से देखना शुरू करें, प्री-पार्टीशन पंजाब के अंदर पहले खिजर हयात खां साहब प्रीमियर होते थे। 1946 तक सर सिकन्दर हयात खां वहां के प्रीमियर रहे। 1946 में कांग्रेस सरकार बनी और गोपीचन्द भार्गव मुख्य मंत्री बने। कहने का मतलब यह है कि पंजाब में नान-सिक्ख चीफ मिनिस्टर बनते रहे हैं। गोपीचन्द भार्गव पहले चीफ मिनिस्टर बने। उसके बाद भीमसेन सच्चर मुख्य मंत्री बने और ज्वाइंट पंजाब के पहले और आखिरी सिक्ख चीफ मिनिस्टर प्रताप सिंह कैरो बने। प्रिपार्टीशन पंजाब में मोहम्मडन चीफ मिनिस्टर बनते रहे और ज्वाइंट पंजाब में जो 4 चीफ मिनिस्टर बने, उनमें से एक प्रताप सिंह कैरो सिक्ख चीफ मिनिस्टर बने। प्रताप सिंह कैरो के बाद कामरेड रामकिशन 1965 में चीफ मिनिस्टर बने और पहली नवंबर 1966 तक, जिस दिन हरियाणा बना, उस दिन तक वे चीफ मिनिस्टर रहे। राजनीतिक नेताओं ने कुर्सी के लिए स्टेट के टुकड़े करवाने की बात सोची। उन्होंने सोचा कि यहां पर सिक्ख चीफ मिनिस्टर कैसे हो सकता है और यहां पर हिन्दू चीफ मिनिस्टर कैसे हो सकता है। ये लोग कुर्सी के लालच में अपने वोटों का हिसाब-किताब लगाते रहे और लोगों का शोषण करते रहे, लोगों को एक्सप्लाइट करते रहे। लोगों को इस हालत के अंदर डाल दिया कि उनकी बुद्धि ठीक लाइन पर नहीं रहने दी गई। जिस दिन हरियाणा-पंजाब बने, इसका आधार सिर्फ कम्युनल था, सिक्ख और नान-सिक्ख के अलावा मेरे ख्याल से इसका कोई और आधार नहीं था।

सभापति महोदय, जिस तरह से दो भाइयों के बंटवारे में कुछ चीजें रह जाती हैं, इसी तरह से हरियाणा और पंजाब के बंटवारे के समय भी कुछ डिस्प्यूट थे, चंडीगढ़ के बारे में, अबोहर फाजिल्का के बारे में और एस० वाई० एल० केनाल के पानी के बारे में डिस्प्यूट थे। कितना पानी पंजाब को मिले, कितना पानी हरियाणा और राजस्थान को मिले, इस बात पर झगड़ा होता रहा और आज यह समस्या अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गई है। यह सारा झगड़ा सिर्फ राज-नीतिक लोगों द्वारा फैलाया हुआ झगड़ा है। इन डिस्प्यूट्स को निपटाने के लिए शाह-कमीशन

मुकरर किया गया। शाह-कमीशन ने अवार्ड दिया कि चंडीगढ़ हरियाणा को दिया जाएगा, एस० वाई० एल० का 4.8 एम० ए० एफ० पानी हरियाणा को दिया जाएगा और अबोहर तथा फाजिल्का हरियाणा को दिए जाएंगे। चौ० देवीलाल उस समय विरोधी दल के नेता होते थे। उन्होंने इस बात का विरोध किया कि इस कमीशन का फैसला हम नहीं मानते, क्योंकि यह कमीशन श्रीमती इंदिरा गांधी ने मुकरर किया था। उसके बाद झगड़ा चलता रहा। फिर 1971 में इंदिरा गांधी जी ने अवार्ड दिया, जिसको इंदिरा गांधी अवार्ड 1971 के नाम से जाना जाता है। इन लोगों ने इंदिरा गांधी अवार्ड का भी विरोध किया और कहा कि शाह-कमीशन अवार्ड ही लागू किया जाए। 1971 अवार्ड में शाह-कमीशन द्वारा दी गई चीजों में से कुछ कम कर दी गई। चंडीगढ़ दिया गया, लेकिन पानी हमारा घटा दिया गया और अबोहर-फाजिल्का के कुछ गांव घटा दिए गए। उसके बाद फिर झगड़ा शुरू कर दिया। 1971 में एजीटेशन शुरू हुआ और रिवाड़ी में बहुत से स्टूडेंट्स गोलियों से मारे गए। इंदिरा गांधी अवार्ड के विरोध में बहुत सारे लोग जेलों में गए, चौ० देवीलाल और कई लोग जेलों में गए और उस अवार्ड को मानने से इंकार करना शुरू कर दिया गया।

उसके बाद 1982 में इंदिरा जी ने इस नहर की खुदाई शुरू करवा दी। इंदिरा जी की हत्या के बाद 1985 के अंदर राजीव-लौंगोवाल समझौता हुआ, राजीव जी ने इस बात के लिए पहल की और उस समझौते के तहत चंडीगढ़ हमसे ले लिया गया और हमें कुछ गांव दे दिए गए। अबोहर फाजिल्का भी हमसे ले लिया गया और इराडी कमीशन के तहत पानी भी हमारा कम कर दिया गया। अब विरोधी लोग कहते हैं, चौ० देवीलाल कहते हैं, अभी 5 दिन पहले उन्होंने कहा है कि हम इन बातों को तब मानेंगे जब 1971 के इंदिरा गांधी अवार्ड को लागू कर दिया जाए। अगले अवार्ड को छोड़ देते हैं और पिछले अवार्ड की बात करना शुरू करते हैं। मैं यह बात इसलिए बताना चाहता हूं कि झगड़ा किस बात पर हुआ। हमने, हरियाणा के नेताओं ने अपनी कुर्सी के लिए, अपना चुनाव जीतने के लिए हरियाणा के लोगों की भावनाओं का शोषण किया, हमने उनकी भावनाओं को एक्सप्लाइट किया और पंजाब के नेता अपना चुनाव जीतने के लिए, अपनी कुर्सी के लिए उनका एक्सप्लाइटेशन करते हैं। असलियत में मैं यह मानता हूं कि हर पार्टी की इसमें कोई न कोई कमी रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी 10 परसेंट जिम्मेदार है तो विरोधी पार्टियां 90 परसेंट जिम्मेदार हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ज्यादा पावर में रही है। कोई भी पार्टी जब पावर में होती है, ताकत में होती है तो वह कभी नहीं चाहती कि उसकी गवर्नमेंट डीस्टेबेलाइज हो जाए, उसकी सरकार के अंदर अशांति हो। लेकिन विरोधी पक्ष के लोग अपनी रोटी सेंकने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक्सप्लाइटेशन की बात करते हैं। मैं यह समझता हूं, आज इस सदन के अंदर पंजाब का कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा। हम करते हैं पंजाब का प्रतिनिधित्व, इसमें हमें क्या आपत्ति है। अच्छी बात होगी कि सिखों की बात हिन्दू करें और हिन्दुओं की वकालत सिख करें। मुसलमानों की बात हिन्दू करें और हिन्दुओं की वकालत मुसलमान करें। अगर हम इस लाइन पर नहीं सोचते हैं तो मैं महसूस करता हूं कि हम हालात को बिगाड़ते हैं। मैं अगर अपनी वकालत खुद करता हूं तो इसके कोई मायने नहीं हैं।

मैं इस संबंध में सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि यदि हम इस मसले को अराजनीतिक दृष्टि से सोचना शुरू कर दें तो यह दो मिनट का मसला नहीं है। इसके लिए हम सभी

लोग जब लैक्चर देते हैं तो अपने लैक्चर के अंदर जवाब भी दे देते हैं। खुद कहते हैं कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है तथा यह सरकार इस मसले को हल नहीं कर पा रही है और थोड़ी देर में कहते हैं कि बाहर से हथियार आते हैं, पाकिस्तान में लोगों को ट्रेनिंग मिलती है। क्या कांग्रेस पार्टी कहती है कि पाकिस्तान में जाकर ट्रेनिंग लो? यह मसला हल हो, हर एक आदमी चाहता है। मसला हल हो जाए, लेकिन मेरी रोटी साथ में सिक जाए तो अच्छी बात है, कुर्सी सुरक्षित रह जाए तो अच्छी बात है, इसको गहराई से नहीं लिया जाता।

मैं इसके बारे में दो-तीन चीजें कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरी स्टेट का बहुत चीजों के बारे में उनके साथ डिसप्यूट है। इसका संबंध बजट से भी है। अगले बजट के अंदर जब तक इन चीजों का प्रावधान नहीं होगा उस समय तक हमें कुछ मिल नहीं सकता। जो सबसे बड़ा मेजर डिसप्यूट है, जिसके बारे में 10 दिन पहले बात आई थी कि वहां जो नहर, भाखड़ा डैम जिस पर बना है, जो पंजाब से गुजर कर आती है, हरियाणा में जिसका पानी आता है, बम-विस्फोट करके उसको तोड़ दिया। यह झगड़ा है। कुछ शरारती लोग वहां इस प्रकार की हालत पैदा करना चाहते हैं, ताकि शांति न बने और उन आदमियों को हवा देते हैं राजनीतिक लोग, राजनीतिक पार्टियां, अपने मतलब के लिए। तो मैं जो बात कहना चाहता था, इस बजट के संबंध मे कि इसमें माइनर इरीगेशन या इरीगेशन एण्ड पॉवर के लिए प्रावधान हो कुछ पैसे का, लेकिन यह कहीं जिक्र नहीं है। स्पेशयली हम एस० वाई० एल० कैनाल की खुदाई के लिए धन का प्रावधान करें। वह पैसा सैंटर में जाता है, बजट में उसका कोई जिक्र नहीं है। जब तक इस पैसे का जिक्र नहीं होगा और पैसा नहीं लगेगा तो जो हजारों करोड़ रुपया इस एस० वाई० एल० कैनाल की खुदाई के लिए हरियाणा में लग चुका है और हजारों करोड़ रुपया पंजाब के हिस्से में लग चुका है एस० वाई० एल० कैनाल के लिए, 93 परसेंट काम कम्पलीट हो चुका है, सिर्फ 7 प्रतिशत काम बाकी है, जिसमें ब्रिजिज और लाइनिंग आदि का काम है, यह सात परसेंट काम बाकी है, उस सात परसेंट काम के लिए, हजारों करोड़ रुपया लगकर जो 1966 में पानी हमें मिलना चाहिए था, वह 25 साल के बाद आज तक नहीं मिली। आज उसका पानी हरियाणा को मिलता है या राजस्थान को मिलता है, तो जो हरियाणा की प्रोडक्शन है, वह एकदम डेढ़ गुनी हो जाएगी। आज यदि किसान को 100 रुपये की बचत होती है, तो एस० वाई० एल० का पानी मिलने से 150 रुपये हो जाएगी। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस बजट के एस० वाई० एल० कैनाल की खुदाई के लिए, इसकी कम्पलीशन के लिए रुपये का प्रावधान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वह पानी पंजाब को मिलता हो। वह पानी पाकिस्तान में जाता है। जिस पानी से हमारे राजस्थान और हरियाणा की धरती की हरियाली होती है, वह पानी पाकिस्तान मे जाता है। उस पानी को भारत सरकार ने 1955 में इंडो-पाक वाटर ट्रीटी एक्ट के तहत 110 करोड़ रुपये में खरीद लिया था। लेकिन वह पानी हमको नहीं मिला है। वहां पर एक थीन डैम प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़ा है। उसका कोई जिक्र किसी बजट में नहीं आता। इस प्रोजेक्ट के न होने से जो रावी न का पानी ब्यास में जाना था, वह नहीं जा पा रहा है। ब्यास में जब जाएगा तो वह पानी सतलुज के अंदर आएगा। रावी, सतलुज और ब्यास का पानी आज पाकिस्तान में जाता है। लेकिन उसका कोई प्रावधान बजट में नहीं किया। वह करना चाहिए था। मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। कुछ लोगों का वहां पर ख्याल है कि रोजी-रोटी का झगड़ा है। कुछ नौजवान भाई बेरोजगार हैं, वे शायद आतंकवाद की घटनाएं करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम एक तरफ यह कहते हैं कि हिंदुस्तान

में पर-केपिटा इन्कम में पंजाब एक नंबर पर है। दूसरी तरफ अखबारी खबरों को पढ़कर कह देते हैं। बहुत से लोग वहां के हालात को नहीं जानते। बहुत से लोगों ने अमृतसर भी नहीं देखा। लंबे-चौड़े भाषण दे करके तो किताब भी लिखा जा सकती है, किसी की जिंदगी नहीं बनाई जा सकती है। आतंकवाद सिर्फ गरीबी और बेरोजगारी की वजह से आता है तो बिहार और उत्तर प्रदेश में आता। वहां के नौजवान बहकाए हुए हैं और रोजी-रोटी का झगड़ा नहीं है। उनकी रोजी-रोटी का नाम ले करके राजनीतिक लोग अपनी रोजी-रोटी पक्की करते हैं। वहां के लिए सुझाव आता है कि कोई राजनीतिक बातचीत शुरू करके इसका हल निकालना चाहिए। श्री वी० पी० सिंह, सरकार में आने के बाद वहां गए और उन लोगों से भेंट की। उनको सरोपा भेंट किया गया। उनका ख्याल था कि कांग्रेस पार्टी के लोग ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि, वे भी कांग्रेस पार्टी में थे और कभी सरोपा नहीं लिया। लेकिन, एकदम से वहां गए और उसके बाद कोई बात टस-मस नहीं हुई। वह बात खत्म हो गई। वाटर डिस्प्युट को लेकर झगड़ते हैं। उनसे पूछो कि झगड़ा किस बात का है। यह नहीं बता पाएंगे कि पंजाब में आतंकवाद क्यों है। कोई भी राजनीतिक नेता उन आतंकवादियों का समर्थन नहीं करता। यह नहीं कहते कि हम खालिस्तान के हिमायती हैं और हम खालिस्तान चाहते हैं। लेकिन, अखबारें खबरों को लगाते रहते हैं। जितनी घटनाएं पंजाब के अंदर होती हैं तो उनसे कई गुना घटनाएं बिहार में होती हैं। लेकिन बिहार में व्यक्तिगत दुश्मनी कहा जाता है। लेकिन पंजाब में व्यक्तिगत दुश्मनी को भी आतंकवाद की घटना बता दिया जाता है। पंजाब और बिहार को इस बारे में रेशो निकालकर देख लें। कुछ लोग झगड़े के नाम पर दुश्मनी निकालते हैं और लोगों को लूटते हैं, लेकिन उसका आतंकवाद से कोई लंबा-चौड़ा सरोकार नहीं है। जब तक उस बीमारी की जड़ को खत्म नहीं किया जाएगा तो जो राजनीतिक लोग हैं, उन आतंकवादियों को भाषण देकर बरगलाते हैं, एस० वाई० एल० का नाम लेते हैं। वे नाम लेते हैं कि हम चंडीगढ़ हैंडओवर नहीं करने देंगे, चंडीगढ़ के लिए पंजाब का बच्चा-बच्चा कटकर मर जाएगा, एस० वाई० एल० के अंदर पानी नही चलने देंगे, हम सब बर्बाद हो जाएंगे, वे लोग यह बहाना तलाश करते हैं, लेकिन उसके पीछे मंशा दूसरी है। मेरी गुजारिश है कि एस० वाई० एल० का जो सात प्रतिशत काम बाकी है, वह पूरा कराया जाए। वहां बहुत बार मजदूरों को मार दिया, चीफ इंजीनियर को मार दिया। जितना पैसा सेंटर की तरफ से लोकेट किया जाता है, वह सारा एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे पर ही खर्च हो जाता है। वहां के अफसर गाड़ियों में घूमते हैं और इसी पैसे से उनके बंगलों की सफाई होती है और कोई काम नहीं होता है। मशीनरीज सड़ती जा रही हैं, उनमें जंग लगी हुई है, कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मेरी गुजारिश है कि बाकी के सात प्रतिशत काम के लिए बोर्डर रोड्स आर्गेनाइजेशन को जिम्मा दे दिया जाए, जो सेमी-मिलिट्री का एक विभाग है, वह उसको पूरा कर सकता है। जिस दिन यह पूरी हो जाएगी, पचास प्रतिशत बात उसी दिन खत्म हो जाएगी।

बाकी सवाल चण्डीगढ़, अबोहर, फाजिल्का का है। इस संबंध में जितने भी एवार्ड हुए हैं, किसी भी एवार्ड को लागू कर दीजिए, चार बार एवार्ड हो चुका है, वही लोगों को संतुष्ट कर देगा। चण्डीगढ़ से लोगों का लेना देना नहीं है। एस० वाई० एल० के पानी से लेना-देना हो सकता है, क्योंकि पानी किसान के खेत में जाएगा, हमारी केपिटल रोहतक, चण्डीगढ़ या दिल्ली रहे, इससे आम लोगों को कोई मतलब नहीं है। यह सब तो नेताओं की नेतागिरी चमकाने का काम है। इसलिए मेरा कहना है कि आप इसको फौरन हल कीजिए।

आज वहां पर हालात काफी बिगड़ रहे हैं। अभी हमारे संसद के जो चुनाव हुए थे उनके साथ ही 20 या 22 जून को वहां भी चुनाव होना था, उसको पता नहीं पोस्टपोन कर दिया या कैंसिल कर दिया, उसमें बहुत सारे उम्मीदवारों को मार दिया गया था। वे भी समझते हैं कि किसी न किसी तरह से इस कानून-व्यवस्था को खराब किया जाए और वहां जो लीगल प्रोसेस है उसको किसी ने किसी तरह से फ्रस्ट्रेट किया जाए। वहां बहुत सारे नान सीरियस कैंडीडेट्स खड़े हो जाते हैं। हमारे रिप्रजेंटेशन आफ पीपल्स एक्ट की धारायें ही ऐसी हैं कि कोई आदमी इस एज का हो, सिटीजन हो तो वह खड़ा हो सकता है। बहुत सारे जानबूझकर कि 250 रुपये की बात है, 90 साल के बूढ़े को नामिनेशन फाइल करवा देते हैं। वह मर जायेगा तो चुनाव स्थगित हो जाएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि जन-प्रतिनिधि कानून के अन्दर संशोधन करके नान-सीरियस कंडीडेट को कम करने के लिए, उनको रोकने के लिए कोई न कोई प्रावधान करना चाहिए।

वहां पर पहचान-पत्र की बात की जाती है, बोर्डर पर फैंसिंग करने की बात की जाती है। पहचान-पत्र अगर बड़ी मात्रा में तैयार किए जाएं तो पांच-सात रुपये प्रति पत्र से ज्यादा का खर्च नहीं आएगा। अगर वहां के टोटल नागरिकों को वे दे दिए जायें, कम से कम 18 साल से बड़ी उम्र वालों को ही दे दिए जाएं तो वहां आदमी प्रोपर ढंग से वोटिंग कर सकता है। उसके पहचान पत्र पर वहां के प्रिजाइडिंग आफिसर के दस्तखत हों। इसलिए वहां पर इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन्स लगाई जाएं। वहां पर अगर चुनाव हो जायें तो विधान सभा हो सकती है और यहां हमें वहां के बजट को पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1989 के चुनाव में भी इन मशीन्स की बात आई थी, इन पर काफी रुपया खर्च हो चुका है। आपने कहा था कि 150 निर्वाचन क्षेत्रों में ये लगाई जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि इस समस्या को राजनीतिक ढंग से देखने की कोशिश न करें। हर भाई इस बात को महसूस करे कि पंजाब का दर्द मेरा अपना दर्द है, यह किसी राजनैतिक पार्टी का सवाल नहीं है तब हम इस समस्या को हल कर सकते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए इस बजट का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसात) : सभापति महोदया, मैं चाहता हूं कि सरकार पंजाब की स्थिति के आकलन तथा पंजाब समस्या को हल करने के लिए अपनी प्रस्तावित कार्य योजना के बारे में एक वक्तव्य दे। महोदया, मैं समझता हूं कि आप इस बात से सहमत होंगी कि न तो समस्या का कोई जायजा लिया गया है न ही पंजाब की स्थिति का सामना करने के लिए किसी कार्य-योजना की ओर इशारा किया गया है।

स्थिति के बारे में मेरा आकलन यह है कि निकट भविष्य में पंजाब में उग्रवाद में कमी आने की कोई संभावना नहीं है। इसके उल्टे पंजाब में स्थिति में और गिरावट आयी है और विद्रोह की घटनाएं बढ़ गयी हैं। ऐसा जून के चुनाव के बाद कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद हुआ है।

जिन दिनों कांग्रेस इस सभा में विपक्ष में थी उन दिनों श्री चिदम्बरम् तथा कुछ अन्य लोग जो आज सत्ता पक्ष को सुशोभित कर रहे हैं, हमेशा यह कहते रहते थे कि पंजाब समस्या के बारे में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार का न तो कोई अपना दृष्टिकोण है न ही पंजाब के बारे में उनकी कोई

नीति है। उन्हे इस सभा में ऐसा करते आपने भी देखा होगा। महोदया, पंजाब के बारे में उनकी नीति को मैं उनके चुनाव घोषणा पत्र में भी देखने को उत्सुक था। सौभाग्यवश, मैंने उसे देखा भी। पिछले मास मई में चुनाव घोषणा पत्र में पंजाब समस्या के बारे में कांग्रेस का जो रवैया था उसे जानना सभा के लिए भी उपयोगी होगा। मैं कुछ पंक्तियों के उद्धृत कर रहा हूं। इसमें कहा गया है :

"राज्य के अधिकतर हिस्सों में कांग्रेस का प्रभाव समाप्त हो गया है।"

मई के चुनाव घोषणा पत्र में यही बात कही गयी है। पंजाब की यह स्थिति संतुष्टीकरण और मजाक के सिवाय पंजाब पर और किसी नीति के न होने का ही सीधा अवश्यंभावी नतीजा है। क्या आजकल पंजाब के हर हिस्से में सरकार का प्रभाव है? क्या वहां सरकार का अस्तित्व है? वहां पिछले मास मई में सरकार नहीं थी क्योंकि उस समय आपके सहयोगी चंद्रशेखर की सरकार थी। पर क्या पंजाब में आज भी कोई सरकार है? देश को इसका उत्तर चाहिए।

मुझे सरकारी स्रोतों से भी आंकड़े मिले हैं जो यह बताते हैं कि वहां क्या-क्या हुआ है। 1990 में कुल 3,787 हत्यायें हुई थीं। इन सूत्रों के अनुसार 1991 में अब तक 1,667 नागरिकों, 374 सुरक्षा कर्मियों और 1,641 आतंकवादियों की जानें गयी हैं।

घटनाएं भी बढ़ी हैं और उनकी संख्या भी। सिर्फ संख्या ही नहीं बढ़ी है। उनमें एक काबिले-गौर गुणात्मक परिवर्तन भी आया है। अब आक्रमणों का ज्यादा जोर सुरक्षाकर्मियों पर आक्रमण करना है। मैं महसूस करता हूं कि यह पाकिस्तानी रणनीति का ही एक हिस्सा है। वे हमारे सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ना चाहते हैं। यही कारण है कि सिर्फ सुरक्षा कर्मियों पर ही नहीं बल्कि अनेक संबंधियों पर भी आक्रमण किया जा रहा है ताकि सुरक्षाकर्मी हालात का मुकाबला पूरे जोश और ताकत से न कर सकें। यह बाहरी रणनीति है। और, भीतर में आपका कोई असर ही नहीं है। राजनैतिक रूप से 'मान' बड़े ही बड़बोले रहे हैं। वह पहले भी कुछ न कुछ बोलते रहे हैं पर खालिस्तान के बारे में इतने साफ शब्दों में इससे पहले उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। मैं उन्हें उद्धृत करना चाहता हूं। वह कहते हैं कि, यह उनका अनुभव है :

"अब एक बात तो बिल्कुल साफ है कि एक संप्रभु सिख-राष्ट्र से किसी कम स्थिति से सिख संतुष्ट नहीं होंगे।"

यह समस्या के राजनैतिक पक्ष से संबंधित गतिविधि है। राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार के समय किसी भी खालिस्तानी ने ऐसा वक्तव्य नहीं दिया था, न ही इस तरह का वक्तव्य देने का उनका साहस था। आपका आकलन कुछ भी हो पर आज वह इस तरह से स्पष्ट वक्तव्य देने की स्थिति में क्यों हैं? हाल की अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के कारण एक संप्रभु सिख राष्ट्र की रचना हो सकती है क्योंकि उन्हें बाहरी ताकतों से प्रोत्साहन मिल रहा है।

अब मैं आपका ध्यान दूसरी तरह के तोड़-फोड़ की गतिविधि की ओर खींचना चाहता हूं। मेरे पास कुछ समय पहले 'द टेलीग्राफ' में प्रकाशित एक समाचार है जिसमें कहा गया है कि :

" 'एशिया वाच' ने कहा है कि पंजाब-नीति दमनकारी है।"

ऐसा 'एशिया वाच' ने कहा है। मेरी समझ न नहीं आ रहा है कि वे क्या कहना चाह रहे हैं। न्यूयार्क में स्थित इस संस्था ने एक बड़ी रिपोर्ट तैयार की है। पंजाब समस्या का राजनैतिक रूप

और ज्यादा गंभीर हो गया है तथा न सिर्फ घरेलू स्थिति के आधार पर वरन् अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के कारण भी पंजाब समस्या बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच गयी है। यह बताने के लिए मैं इसके कुछ अनुच्छेदों का जिक्र करना चाहता हूं। उस पर स्थिति यह है कि सरकार के पास समस्या का कोई आकलन नहीं है तथा सरकार के पास कोई कार्य योजना भी नहीं है। सरकार पंजाब जैसी समस्या के मामले में अभी भी भेड़ चाल एवं टालम-टोल की नीति पर चल रही है। 138 पृष्ठों की इस रिपोर्ट में बड़ा आरोप लगाया गया है :

> "यह दावा करता है कि पंजाब पुलिस, अर्धसैनिक दस्ते और सीमा सुरक्षा बल नागरिकों और संदेहास्पद अतिवादियों को बड़े पैमाने पर संक्षिप्त कार्यवाही करके फांसी दे रहे हैं। इनमें से अधिकतर लोग वे हैं जिन्हें पहले पुलिस हिरासत में लिया गया था तथा बाद में उनके बारे में यह कहा गया कि वे सुरक्षा बल के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं।
>
> ये हत्यायें असामान्य नहीं हैं। ये जानबूझकर अपनायी गयी उस नीति का फल है जिसका पता उच्च स्तरीय सुरक्षा कर्मियों और नागरिक प्रशासकों तथा नई दिल्ली को है।"

मेरे विचार में और ज्यादा उद्धृत करने की आवश्यकता नहीं है। इनका रवैया बिल्कुल स्पष्ट है और ये बाहरी एजेंसियां भारत और पंजाब में अस्थिरता की स्थिति पैदा करने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रही हैं। इन हालत में मुझे सचमुच बहुत आश्चर्य हुआ है तथा धक्का भी लगा है कि सरकार के पास न तो कोई नीति है न ही देश में व्याप्त स्थिति से निपटने के लिए कोई सुविचारित और समेकित योजना है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार ने समस्या के राजनैतिक हल को नकारते हुए इसके सैनिक हल की नीति को अपना लिया है। ऐसा मैं क्यों कहता हूं क्योंकि संपूर्ण पंजाब को गड़बड़ी वाला क्षेत्र घोषित किया गया है। इसका मतलब यह है कि आप सेना तथा सशस्त्र बलों को तैनात करके स्थिति से निपटना चाहते हैं। मूलतः समस्या सैन्य नहीं है; समस्या राजनीतिक है तथा इसका राजनीतिक समाधान निकालना चाहिए तथा सैनिक समाधान नहीं निकालना चाहिए। मैं महसूस करता हूं कि यह ऐसी बात है जिस पर केन्द्रीय सरकार को किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि क्या उन्होंने इस समस्या के सैनिक समाधान का निर्णय लिया है। हमारे मित्र बहुत ही स्पष्टवादी हैं, और उन्होंने कहा है कि "वे सभी शिविर नष्ट कर दें जो पाकिस्तान में बनाए गए हैं। समस्या का सैनिक समाधान के बजाय अन्य समाधान भी निकाला जा सकता है।" जहां तक आपके वक्तव्यों का सवाल है आप यह नहीं चाहते हैं। आप जो कर रहे हैं वह यह है कि आप ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं जिससे अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से घुसपैठिए, आतंकवादी, खालिस्तानी तथा अलगाववादी को बढ़ावा मिल रहा है तथा देशभक्त लोग चाहे वे हिन्दू हों, या सिख हों अलग-थलग पड़ रहे हैं। अतः राजनीतिक समाधान के अन्तर्गत यह सुझाव दिया जाता है कि राजनीतिक गतिविधियां बढ़नी चाहिए ताकि आतंकवादियों को देशभक्त, लोकतान्त्रिक तथा धर्मनिरपेक्ष ताकतों से अलग किया जा सके? मुझे ऐसा लगता है कि आज के घटनाक्रम को देखते हुए आप स्थिति से राजनीतिक रूप से निपटने के लिए तैयार नहीं हैं तथा आप अंधेरे में भटक रहे हैं तथा स्थिति का सैनिक समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इससे वांछित परिणाम नहीं निकल पाएगा।

चुनाव होने चाहिए। चुनाव राजनीतिक प्रक्रिया है। यह माना जाता है कि चुनाव

राजनीतिक प्रक्रिया है। किसी विशिष्ट दिन चुनाव कराना राजनीतिक प्रक्रिया नहीं मानी गयी है। प्रक्रिया के अन्त में चुनाव कराना तथा प्रचार अभियान के अन्त में चुनाव कराना तो और भी एक राजनीतिक प्रक्रिया है। आपने यह प्रक्रिया शुरू नहीं की है। आपने प्रचार अभियान शुरू नहीं किया है तथा आपने कोई राजनीतिक प्रचार अभियान शुरू नहीं किया है जिससे आतंकवादियों तथा घुसपैठियों को आम लोगों से अलग किया जा सके। जब तक आम लोगों को शामिल नहीं किया जाता है तो स्वतन्त्र एवं निष्पत्र चुनाव कैसे ही सकते हैं? आपके पास लोगों को इसमें शामिल करने की कोई योजना नहीं है। दूसरी ओर, जैसा कि ठीक ही कहा गया है, सरकार के आश्वासन के अनुसार चुनाव 15 फरवरी से पहले होने हैं। राजनीतिक प्रचार अभियान अभी तक शुरू नहीं हुआ है। राजनीतिक दलों ने अभी तक रजनीतिक प्रचार शुरू नहीं किया है तथा सैनिक कार्यवाही बढ़ रही है जिससे आतंकवादियों तथा घुसपैठियों को बढ़ावा मिल रहा है।

अतः मैं सरकार से पूछता हूं कि क्या सरकार 15 फरवरी से पहले चुनाव कराना चाहती है अथवा नहीं। यदि वह गंभीर है तो राजनीतिक प्रक्रिया तुरन्त शुरू की जानी चाहिए। कुछ बातों का पहले ही जिक्र किया गया है कि राजीव-लौंगोवाल समझौता पंजाब समस्या के लोकतांत्रिक तथा राजनीतिक समाधान के लिए किया गया था। वास्तव में स्थिति बदल गयी है। नई घटनाएं भी घटित हुई हैं। स्थिति कितनी भी बदली हो परन्तु इस समस्या के समाधान के लिए राजनीतिक, लोकतांत्रिक तथा धर्म निरपेक्ष ढांचे की व्यवस्था है। परन्तु उन्होंने अभी तक कोई कार्यक्रम शुरू नहीं किया है। वे नहीं चाहते हैं कि राजीव-लौंगोवाल समझौता लागू किया जाए। जब तक यह राजनीतिक ढांचा तैयार नहीं किया जाता है तथा इसमें कोई सुधार नहीं किया जाता है मैं समझता हूं कि इस समस्या के समाधान की कोई संभावना नहीं है। अतः मैं कहता हूं कि हमें हिंसा के रास्ते पर विश्वास नहीं करना चाहिए।

5.00 म० प०

पूरी तरह लोकतान्त्रिक तथा धर्म निरपेक्षता के पथ पर ही विश्वास करना चाहिये जिससे राजनीतिक ताकतों को अपनी वांछित भूमिका अदा करने का मौका मिले तथा स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार की जा सकें जिससे पंजाब समस्या का हल पंजाब के देशभक्त, लोकतांत्रिक तथा धर्मनिरपेक्ष लोगों के शामिल होते हुए किया जा सके तथा यह भी सारे देश के देशभक्त तथा लोगों की सहायता तथा सहयोग से किया जाना चाहिए।

राजनीतिक रूप से दो प्रमुख खेमे होने चाहिए। जो लोग देश की एकता और अखण्डता के पक्ष में हैं, उन्हें एक खेमे में रखना चाहिए तथा जो लोग देश की एकता और अखण्डता के पक्ष में नहीं हैं उन्हें दूसरे खेमे में रखना चाहिए। यदि दृष्टिकोण को विस्तृत नहीं किया जाता है, यदि कांग्रेस पार्टी तथा सरकार ने अपना राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं बदला तथा यदि उन्होंने अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों को नहीं छोड़ा तो पंजाब को नहीं बचाया जा सकता है। इसको केवल विशाल दृष्टिकोण बनाकर तथा केवल इसी रास्ते पर चलकर ही बचाया जा सकता है तथा पंजाब के लोग आतंकवादियों तथा घुसपैठियों के आक्रमणों का प्रभावी रूप से मुकाबला कर पायेंगे तथा देश की एकता, अखण्डता तथा संप्रभुता की रक्षा कर पायेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : माननीय सभापति महोदया, मैं केवल दो बिन्दुओं पर

अपने विचार रखना चाहता हूं । उसमें पहला यह है कि सारे बजट में बिजिलेंस पर आपने जो प्राविजन किया है, वह केवल 59 लाख का है । कितना बड़ा पंजाब है, उसकी कितनी समस्याएं हैं और कितने प्रकार के अलग-अलग सवाल हैं, कठिनाइयां हैं । इन सबको देखते हुए यह प्राविजन लगभग नहीं के बराबर है, ऐसा मुझे लगता है । मैं जानना चाहता हूं कि आखिर आप बिजिलेंस में क्या करने वाले हैं ?

दूसरी बात यह है कि कुल मिलाकर पंजाब में मिलिटेंट्स की एक्टिविटीज बहुत तेज चल रही हैं । आप जानते हैं कि वे अब लोगों को मारने के साथ-साथ बैंक डैकोइटी करने, लोगों से रैंडसमय पैसा प्राप्त करने आदि की बातें बड़े पैमाने पर कर रहे हैं । इसके विरोध में आप क्या करने जा रहे हैं ?

इसके साथ-साथ मैं यह सुझाव भी देना चाहता हूं कि स्माल स्केल यूनिट्स की आर्थिक मर्यादा का पंजाब में अपवर्ड रिवीजन करिए । एक समय ऐसा था कि पंजाब स्माल स्केल यूनिट्स और इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छा था, लेकिन आज पंजाब बहुत पीछे जा रहा है और यदि पीछे जा रहा है, तो इसमें पंजाब के लोगों का दोष तो नहीं है । वहां तो आज राजनीतिक परिस्थिति ऐसी बन गई है, इसलिए ऐसा हो रहा है, तो इसमें पंजाब के लोगों का दोष नहीं है । इसलिए मैं चाहूंगा कि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए जो लिमिट रखी है वह आज की स्थिति को देखते हुए 40 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, अगर आप अपवर्ड रिवीजन करेंगे, तो छोटे-छोटे उद्योग लगाने की हिम्मत कर रहे हैं, इस लिमिटेड के रिवीजन करने से उनको लाभ हो सकता है ।

एक अन्तिम बात यह कहना चाहता हूं कि आज के इंडियन एक्सप्रेस में यह आया है, बूटा सिंह साहब का एक पत्र छपा है और उन्होंने लिखा है यूनियन होम मिनिस्टर साहब श्री शंकरराव चव्हाण जी को कि उनके किसी रिश्तेदार को एबडक्ट किया गया है और जिन्होंने एबडक्ट किया है, वे फिरौती के रूप में उनको मांग रहे हैं जो राजस्थान में पकड़कर "टाडा" में बन्द किए गए हैं, उनको छुड़ाने का प्रयास भारत सरकार करे । इसके उत्तर में भारत के गृह मंत्री महोदय ने राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय को पत्र लिखा है कि इनको छोड़ने पर विचार करिए । अब होम मिनिस्टर साहब राजस्थान के चीफ मिनिस्टर साहब को इस प्रकार का पत्र लिखें और पंजाब में इस प्रकार की स्थिति है और एक माननीय नेता के रिश्तेदार हैं जिनको पकड़ लिया गया है और उनके बदले वे जिनको छुड़ाना चाहते हैं, वे राजस्थान में बन्द हैं और राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय गृह मंत्री इस प्रकार पत्र लिख रहे हैं कि उनको छोड़ने पर विचार किया जो लोग वहां पर दुष्कृत्य करते हुए पकड़े गए हैं और उनको राजस्थान में "टाडा" में बन्द किया गया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप वास्तव में पंजाब की प्राब्लम के बारे में सीरियस हैं ? जब जनता दल की सरकार थी आप याद कीजिए उस समय श्री मुफ्ती मोहम्मद, जो जनता दल के गृह मंत्री थे, की लड़की को छोड़ने के बारे में जो सेटलमैंट किया गया, कम्प्रोमाईज किया गया उस संबंध में आपकी पार्टी के क्या विचार थे और आज आप कहां हैं । आप जो उनको ब्लेम कर रहे प्रैक्टिकली यू आर डूइंग दी सेम थिंग । मैं जानना चाहूंगा सरकार किस प्रकार का काम करना चाहती है । सरकार इस बात की जवाबदेह है । बजट का उत्तर देते समय मिलीटैंट्स की ऐक्टीविटीज के बारे में आप क्या करना चाहते है ।

जो मामला आया है कि बूटा सिंह जी ने गृह मंत्री को पत्र लिखा । हिन्दुस्तान के गृह मंत्री राजस्थान के मुख्य मंत्री को पत्र लिखते हैं कि उनको छुड़वा दीजिए । क्या ऐसे ही देश चलेगा ?

इस प्रकार से आप आतंकवादियों से संघर्ष करेंगे और इसके लिए हम पैसा मंजूर करें। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में क्या कर रही है। साथ-साथ मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि इस प्रकार से करने से आप आतंकवादियों से संघर्ष नहीं कर सकते, देश की एकता बनाकर नहीं रख सकते हैं। इस बात का जवाब आपको देना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, जैसा मैंने कहा कि मैं 3-4 मिनट में अपनी बात करूंगा, मैंने अपनी बात पूरी कर दी है।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदया, मैं पंजाब बजट का समर्थन करता हूं। यह हमारे देश के सर्वाधिक सम्पन्न राज्य का बजट है। यह विडम्बना है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतन्त्र के सबसे सम्पन्न राज्य का बजट संसद में लोक सभा द्वारा पारित किया जाना है। यह पहला मौका नहीं है, जब हम पंजाब का बजट संसद में पारित कर रहे हैं, हमने पहले भी पंजाब बजट पारित किया है। मैं चाहता हूं कि इस बात की दृढ़ घोषणा के साथ कि पंजाब राज्य विधान सभा के चुनाव फरवरी में होंगे, यह आखिरी बजट होगा, जो पंजाब के लिए संसद द्वारा पारित किया जाएगा।

महोदया, आरंभ में मैं पंजाब के लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि उन्होंने स्वतंत्रता-संग्राम के दौरान तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हरित क्रांति के दौरान बहुत ही बहादुरी का कार्य किया है। मैं पंजाब के आम लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जो इस संकट के समय में बहादुरी का कार्य कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि पंजाब के लोगों में बहादुरी भरी पड़ी है और वे बहादुर लोग हैं। आज भी इतनी गड़बड़ी के बावजूद पंजाब एक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था का लाभ उठा रहा है। हमारे विपक्ष के मित्रों ने यह आलोचना की है कि पंजाब की अर्थव्यवस्था अस्तव्यस्त हो रही है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। यदि पंजाब में सामान्य स्थिति रही होती तो और अधिक उन्नति हुई होती, परन्तु इतनी गड़बड़ी के बावजूद पंजाब की अर्थव्यवस्था काफी अच्छी है। महोदया, पिछले वर्ष यहां कृषि उत्पादन लक्ष्य से अधिक हुआ है। खाद्यान्नों के लिए लक्ष्य 192 लाख टन था, जो पिछले वर्ष के उत्पादन की अपेक्षा 5 लाख टन अधिक था।

पंजाब कृषि के क्षेत्र में पुरोगामी राज्य बन गया है। इसीलिए ऐसी अशान्तिपूर्ण स्थिति होने पर भी पंजाब में ओसवाल एग्रो ग्रुप आफ कम्पनीज थापर ग्रुप आफ कम्पनीज, जे० सी० टी० मिल, पेप्सी कोला आदि द्वारा उद्योगों की स्थापना की गई है।

अतः चालू वर्ष में उद्योग और कृषि के क्षेत्र में, जिसके लिए हम यहां बजट पारित कर रहे हैं, पंजाब आगे बढ़ रहा है।

ऐसा नहीं है कि सरकार को स्थिति की जानकारी नहीं है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पंजाब की समस्या किसी दल-विशेष अथवा केवल सरकार की ही समस्या नहीं है। यह मानना ही होगा कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है। यह राष्ट्रीय संकट है। इस बात को कौन स्वीकार करता है कि पंजाब की समस्या राष्ट्रीय नहीं है ? जब यह राष्ट्रीय संकट है, तो इसका सुखान्त समाधान खोजने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए। स्वाभाविक रूप से इस विषय पर राजनीतिक पार्टियों में एक आम राय कायम की जानी चाहिए।

मैं जनता दल के कुछ सदस्यों द्वारा की जा रही आलोचना को सुनकर दुखी हो रहा था। वे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वी० पी० सिंह की अमृतसर स्वर्ण मंदिर की यात्रा को एक ऐतिहासिक यात्रा बता रहे थे। मैं दावे से कह सकता हूं कि श्री वी० पी० सिंह न केवल भारत के ही अपितु विश्व के महानतम राजनैतिक अभिनेताओं में से एक हैं। केवल राजनैतिक लाभ प्राप्त करने के लिए ही उन्होंने मुद्दों को नाटकीय रूप दिया।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि जो व्यक्ति सभा में उपस्थित नहीं है, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल : सभापति महोदया, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है कि बाहर सी० सी० टी० वी० में मुकुल वासनिक का नाम आ रहा है। आप इसमें सुधार करवा दीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : ठीक है।

[हिन्दी]

यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

5.14 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैं जानता हूं कि व्यवस्था के प्रश्न में कोई बल नहीं है।

सभापति महोदया, चूंकि यह एक राजनैतिक समस्या है और यह एक राष्ट्रीय संकट है, इसलिए किसी भी राजनैतिक दल को इस मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। मैं वैयक्तिक रूप से किसी नेता का कोई उल्लेख नहीं करना चाहता, इससे केवल स्थिति की गंभीरता कम होती है। इसका समाधान कैसे करना चाहिए? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बजट में कुछ स्वागतयोग्य विशेषताएं हैं। इस बजट में पंजाब राज्य के लिए 1010 करोड़ रुपये का योजना परिव्यय निर्धारित किया गया है। केन्द्र द्वारा प्रदान की गई 207 करोड़ रुपये की सामान्य केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त, केन्द्र सरकार द्वारा इस बजट में 600 करोड़ रुपये की विशेष सहायता प्रदान की गई है। स्वाभाविक रूप से, भारत सरकार को पंजाब की आर्थिक आवश्यकताओं की जानकारी है और इसलिए पंजाब को इतनी अधिक मात्रा में केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के सभी प्रयास किए गए हैं। इस प्रकार भी क्षतिपूर्ति की गई है।

इसमें से 284 करोड़ रुपये योजना के विकेन्द्रीकरण के उद्देश्य को देखते हुए जिला आयोजना बोर्डों को दिए गए हैं अथवा दिए जा रहे हैं। पंजाब में योजना प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण किया गया है और स्वाभाविक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने

के लिए 284 करोड़ की इतनी अधिक धनराशि जिला आयोजना बोर्डों द्वारा खर्च किए जाने के लिए ही रखी गई है।

इस बजट में अनेक स्वागतयोग्य विशेषताएं हैं। परन्तु, इसके साथ ही साथ, पंजाब में आतंकवाद की समस्या निरन्तर स्थायी बन गई है। यह सबके लिए स्वाभाविक रूप से चिंता का विषय हैं। इस समस्या के समाधान के लिए इस राजनैतिक प्रक्रिया पर सर्वसम्मति प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। निश्चय ही लंबे अरसे से जारी राष्ट्रपति शासन से निहित स्वार्थ पैदा होते हैं। पंजाब में भी इससे ऐसा ही हुआ है, और राष्ट्रपति शासन को जितना शीघ्र समाप्त कर दिया जाए, राष्ट्र और पंजाब राज्य दोनों के लिए उतना ही बेहतर होगा। इसके साथ ही साथ, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हमेशा ही यह आलोचना की जाती रही है कि कांग्रेस सरकार चुनाव कराने का वादा करके उससे मुकर गई; सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी ने चुनाव कराने के लिए समर्थन नहीं दिया। परन्तु वे यह भूल रहे हैं कि कुछ अन्य राजनीतिक दल भी इस निर्णय से सम्बद्ध हैं, वामपंथी दल भी इससे सम्बद्ध हैं। निश्चय ही वहां चुनाव कराने को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और यह अत्यधिक आवश्यक है। किंतु उसके साथ यह भी आवश्यक है कि जो चुनाव हों वह निष्पक्ष होने चाहिए। उस समय पंजाब में जो स्थिति विद्यमान थी, उसमें निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते थे। क्या कोई अपनी छाती पर हाथ रख कर यह कह सकता है कि उस समय निष्पक्ष चुनाव हो सकते थे? कितने ही उम्मीदवारों को गोली से उड़ा दिया गया था? यहां तक कि उम्मीदवारों को पुलिस स्टेशनों में शरण लेनी पड़ी थी। क्या यह सच नहीं है? इसलिए, आज हमें सब दलों को मिलकर ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए, जिससे निष्पक्ष चुनाव हो सकें। सरकार को इस दिशा में, इस मामले में, शुरूआत करनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह नोट करने का अनुरोध करूंगा। यह सही है कि प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी है। सरकार को यह पहल करनी होगी कि सभी राजनैतिक दल पूरी इच्छा के साथ इसमें शामिल हों, ताकि निष्पक्ष चुनावों के लिए वातावरण बनाया जा सके। यह लोगों के बीच विश्वास का प्रश्न है। इस प्रकार के वातावरण के बिना, इस प्रकार के अनुकूल वातावरण के बिना, यदि चुनाव होते हैं तो कौन मतदान केन्द्रों पर जाएगा? केवल कुछ सीमित आतंकवादी ही जाएंगे। परिणाम क्या होगा? इस प्रकार की स्थिति में चुनाव कराने से जो हम चाहते हैं, उससे बदत्तर स्थिति हो जाएगी। हमारी आशाओं पर पानी पड़ जाएगा और मैं बताना चाहता हूं कि राज्यों और राष्ट्र की अपूर्ण क्षति होगी।

पिछले दिनों क्या हुआ था? इस समय प्रत्येक व्यक्ति के समक्ष, राष्ट्र के समक्ष और सभी राजनैतिक दलों के समक्ष महत्वपूर्ण कार्य यह है कि सब लोग एकमत हों और मिलकर इस समस्या का सामना करें और ऐसी स्थिति उत्पन्न करें, जो निष्पक्ष चुनाव कराने में समर्थ हों। जहां अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए आम मतदाता अधिक संख्या में पहुंच सकें।

इसलिए, मैं राज्यपाल को प्रभार देने के लिए भारत सरकार को बधाई देता हूं। इस बीच नए राज्यपाल ने इस दिशा में कुछ कदम उठाए हैं। वह स्थान-स्थान पर जाते रहे हैं और लोगों का दरबार लगा रहे हैं और लोगों की शिकायतों को सुन रहे हैं। इसके अतिरिक्त, वहां विभिन्न स्तरों पर, जिला स्तरों पर, नीचे के स्तर पर, खंड स्तर पर और पंचायत स्तरों पर लोगों की समितियां बनाई जानी चाहिए। अन्य राजनैतिक दलों के साथ, विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर मुख्य राजनैतिक दलों को, जो जिम्मेदारी से बचना नहीं चाहते हैं और

जो स्थिति का सामना करने के लिए सामने आना चाहते हैं, के साथ मिलकर बैठकें होनी चाहिए। अनेक देशभक्त राजनैतिक कार्यकर्त्ता आगे आ रहे हैं, जो इस प्रक्रिया में अपने जीवन का बलिदान कर रहे हैं। हम उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस प्रकार, इन लोगों के साथ मिलकर समितियां बनाई जानी चाहिए और राजनैतिक नेताओं को पंजाब और राज्य के विभिन्न भागों में जाना चाहिए और बैठकें करनी चाहिए।

तत्पश्चात, राजीव-लौंगोवाल समझौते को कार्यान्वित किया जाना चाहिए। इस वाद-विवाद में भाग लेने वाले बंगाल के हमारे कुछ माननीय सदस्य भारत सरकार की भूमिका की आलोचना कर रहे थे और कह रहे थे कि वहां सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि कुछ वर्ष पहले दार्जिलिंग के पहाड़ियों पर क्या हो रहा था? उस समस्या को कैसे सुलझाया गया? किसने पहल की थी, क्या इसे केन्द्र ने नहीं सुलझाया था? पहल दिल्ली से भारत सरकार द्वारा की गई थी, न कि राज्यों द्वारा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): राज्य सरकार ने पहल की थी और समस्या को सुलझाया गया था।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही: भारत सरकार ने पहल की थी। अधिकांश श्रेय राजीव जी को जाता है। राजीव-लौंगोवाल समझौता, असम समझौता, दार्जिलिंग समझौता कांग्रेस द्वारा किए गए पहल के नतीजे हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में जबकि समस्या की गहराई के बारे में हमें मालूम है, आलोचना करने का कोई लाभ नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य: इन सभी समझौतों से केवल कलह पैदा हुई है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही: यह समस्या किसी एक दल द्वारा नहीं सुलझाई जा सकती है। चूंकि यह एक मुख्य राष्ट्रीय संकट है जिसके कारण देश की एकता को खतरा बन रहा है, इस समस्या को सुलझाने के लिए संयुक्त प्रयास किए जाने चाहिए। यदि लोग आतंकवादियों के साथ होते तो स्थिति कुछ और होती। मेरा हृदय आम आदमी के प्रति उसके साहस के लिए कृतज्ञता से भरा हुआ है। आतंकवादियों ने देश को खण्डित करने, साम्प्रदायिक झगड़े और तनाव फैलाने की कोशिश की है। वहां असफल रहने पर वे अब उत्तर प्रदेश और अन्य क्षेत्रों में चले गए है। वे वहां कठिनाइयां पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस प्रकार, सभी राजनैतिक दलों और भारत सरकार को लोगों तक पहुंचना चाहिए। इसलिए, मैं कहूंगा कि राजीव-लौंगोवाल समझौते को पूर्ण रूप से कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

पुन: सीमा समस्या और जल विवाद जैसे मामले सुलझाए जाने चाहिए। एक और प्रश्न केन्द्र और राज्यों के संबंध से संबंधित है जो कि विभिन्न राजनैतिक दलों और उन लोगों को उत्तेजित कर रहा है जो राज्यों में पतवार का कार्य कर रहे हैं।

सरकारिया आयोग की सिफारिशें हैं। वास्तव में एक मंत्रिमंडल उप-समिति भी है जो इस पर कार्य कर रही है। जो इसकी जांच कर रही है। परन्तु इसके लिए भी समय है कि भारत की बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर फिर से चर्चा या राष्ट्रीय चर्चा की जाए। इन दिनों विदेशों में स्थिति में परिवर्तन आ रहा है। हमें देखना चाहिए कि स्थिति में किस प्रकार परिवर्तन हुए है। तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। अतः व्याप्त पंजाब समस्या के परिप्रेक्ष्य

में केन्द्र-राज्य संबंधों पर चर्चा होनी चाहिए। मैं सुझाव दूंगा कि केवल पंजाब और कश्मीर पर चर्चा करने के लिए सभी दलों की बैठक या राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक बुलाई जानी चाहिए। इसमें उल्फा के बारे में भी चर्चा की जा सकती है। जब सारे देश में चुनाव हुए थे तो पंजाब और कश्मीर को अलग रखने की मांग की गयी थी, केवल कश्मीर को अलग किया गया था, परन्तु पंजाब को अलग नहीं किया गया था। अब वह मामला नहीं उठाया जाता है। परन्तु विभिन्न राजनीतिक दल केन्द्र पर यह आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के कहने पर पंजाब के चुनाव स्थगित किए गए थे। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहता परन्तु प्रथम और प्राथमिक कार्य यह है कि ऐसी स्थिति बनायी जाए जिससे चुनाव कराना संभव हो। स्वाभाविक रूप से यह हमारे लोकतन्त्र, जोकि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, पर एक धब्बा है कि एक राज्य को अनिश्चित काल से राष्ट्रपति शासन के अधीन रखा गया है और वह भी उस राज्य को जो सबसे ज्यादा सम्पन्न राज्य है तथा जिसका बहादुरी के क्षेत्र में अपना एक कीर्तिमान है, अपना एक स्थान है तथा जैसा कि मैंने कहा था, यह वह राज्य है जिसने भारत-पाकिस्तान संघर्ष में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। हमेशा जब भी देश में कोई परेशानी होती है या कोई युद्ध होता है तो पंजाब के बहादुर लोग एक चट्टान की तरह सामने खड़े हो जाते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं। मैं यह भी कहता हूं कि किसी राजनीतिक दल या किसी नेता के लिए यह समय नहीं है कि वह किसी पर आरोप लगाए या किसी पर ऊंगली उठाए कि वह जिम्मेदार हैं या इसी प्रकार की अन्य और बातें करें। यह समय हैं कि संयुक्त रूप से स्थिति का जायजा लिया जाए तथा इस स्थिति से राजनीतिक लाभ न उठाया जाए। यह हमारा राष्ट्रीय कर्त्तव्य है, यह हमारी देशभक्ति का कर्त्तव्य है कि हम एक साथ बैठकर इस समस्या को सुलझायें। जब एक उद्देश्य होगा, उद्देश्य प्राप्ति के प्रति निष्ठा होगी तथा इस दिशा में निष्ठापूर्वक प्रयास किए जाऐंगे तो मुझे विश्वास है कि इसके स्पष्ट परिणाम सामने आयेंगे तथा ये प्रयास निष्फल नहीं होंगे।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत दुख के साथ आज पुनः राज्य सरकार पंजाब के बजट पर लोक सभा में, हम लोग बहस कर रहे हैं। मुझे भी पंजाब के बजट पर 4-5 बार बोलने का मौका मिला है। सरकारें जो भी हों, हर बार यह बात सामने आई है कि पंजाब के चुनाव हम कराएंगे लेकिन अभी तक पंजाब के चुनाव पर कोई ठोस कार्य नहीं हो पाया।

अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कि पंजाब के विषय पर सर्वदलीय ढंग से हम लोग राय करें, यह तो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है और हमारे बहुत सारे मित्रों को यह अनुभव रहा होगा कि जब भी यह बजट आया है तब-तब ये सारी बातें आती हैं और फिर बजट समाप्त हो जाने के बाद यह बात पता नहीं वहीं धरी की धरी रह जाया करती हैं।

मान्यवर, पंजाब का इशु अब कोई राज्य या देश का इशु नहीं रह गया है। आप अगर देखेंगे तो पंजाब को हर इंटरनेशनल प्लेस पर इस बात को लाया जाता है, यह क्या है? अगर शांति वार्ता की बातचीत हो, इस देश में, तो कृपाण लेकर जाते हैं और नहीं जाने दिया जाता है तो

इंटरनेशनल न्यूज बनाया जाता है यह क्या है, मानसिकता कहां है? इस पर हम लोगों को गंभीरता से सोचना चाहिए और राय भी करनी चाहिए।

मान्यवर, आप जानना चाहेंगे कि जब-जब पंजाब से हमारे माननीय सांसद श्री मान जी थे, वह जब पंजाब के विषय पर अपनी बात बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि खालिस्तान की मांग मैं क्यों कर रहा हूं और उन्होंने इसका विस्तृत जिक्र किया था। अभी गृह मंत्री जी हैं, क्या उनके वक्तव्य को आपने उठाकर देखा, क्या उनके वक्तव्य में कोई ऐसा तत्व है जिस पर हमको विचार करना चाहिए था। आपने क्या विचार किया? मैं समझता हूं कि उनके वक्तव्य पर आपने अभी तक कोई राय नहीं किया होगा, ऐसा मानकर मैं चलता हूं। आप इस बहस को यह समझते हैं कि यह बहस हुई और उसके वक्तव्य में कोई दम हो या न हो, उसको देखने की आवश्यकता नहीं है क्या? इन लोगों का स्टेंडर्ड इतना घट रहा है। इतनी सर्वोच्च संस्था, जो लोकतंत्र का सर्वोच्च घर है, मैं समझता हूं कि इन चीजों से समाधान नहीं हो सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, कोई इस बात को माने या न माने, लेकिन यह बात सही है कि जितना प्रावधान पंजाब के बजट में पहले किया जाता था और जितनी उन्नति पंजाब की हो रही थी, उतनी आज नहीं हो रही है। मैंने पंजाब में देखा है। जिस किसान के पास 4-4 ट्रैक्टर थे, पंपसैट और मशीनें थीं, आज उसको ट्रैक्टर और अपने खेत बेचने तक की नौबत आ रही है। आज सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वहां पर जाकर स्थिति की सही तरह से समीक्षा की जाए।

अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि अगर बेरोजगारी और गरीबी की वजह से पंजाब में उग्रवाद है तो सबसे ज्यादा उग्रवाद बिहार और उत्तर प्रदेश में होना चाहिए, जहां के मजदूर पंजाब में काम करने के लिए जाते हैं। अभी तक आप इस भ्रम में घूम रहे हैं। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, जिसने साफ तौर पर कहा है कि मैं उग्रवादियों की मदद करूंगा। आप इन बातों को छिपाने का काम कर रहे हैं। आपको इस बारे में पाकिस्तान से ठोस रूप से बात करनी चाहिए। मैंने 3 महीने पहले इसी लोक सभा में कहा था कि यदि युद्ध की नौबत भी आए तो हमको इससे हिचकना नहीं चाहिए। आज इतने आदमी मारे जा रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, राजीव जी जैसे नेता की हत्या की जाती है और आपने इस समस्या का मजाक बनाया हुआ है, आप इसको साधारण बात समझते हो। यह बात नहीं हो सकती, आज नहीं तो कल आपको युद्ध करना ही होगा। इस बारे में राष्ट्रसंघ में बात उठाने की जरूरत हो तो यह भी करना चाहिए और हमको साफ तौर पर अपनी बात रखनी चाहिए। आज पाकिस्तान सीमा पर बमबारी करता है, आपको बार-बार वार्निंग देता है, उसने साफ कहा है कि वह उग्रवादियों की मदद करेगा, फिर किस बात की आपको हिचकिचाहट है। आज हम आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। आप देश की आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन क्या आप इस तरह से देश की आर्थिक स्थिति मजबूत कर पाएंगे। इसलिए मेरा कहना यह है कि पंजाब में आप जितना भी पैसा दें, वह कम है, सेना पर इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, लेकिन बार्डर सील नहीं है और उग्रवादी आसानी से हमारे यहां आ जाते हैं। जब नेशनल फ्रंट की सरकार थी, तब बार्डर सील करने का काम शुरू हुआ था। आप कहते हैं कि बार्डर सील किए गए हैं, यदि किए गए हैं तो फिर उग्रवादी कहां से आ जाते हैं। क्या आपकी सेना जो बार्डर पर है, वह कमजोर है? नेशनल फ्रंट की सरकार के समय भी यह उद्देश्य रखा गया था, जिसका मैंने विरोध किया था। आपको ठोस रूप से सारा काम करना होगा। आज हमको पंजाब के किसान मजदूर और छोटे उद्योग धंधों की मदद करनी

होगी। जिनका नुकसान उग्रवादियों की वजह से या और किसी वजह से हुआ है, उनकी मदद करनी होगी। उद्योग-धंधों को संरक्षण प्रदान करना होगा, उनकी मदद करके उनका डेवलपमेंट करना होगा, तभी हम पंजाब का ज्यादा से ज्यादा हित कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, जैसा कि सरकार ने पिछले बजट सत्र में वादा किया था कि मार्च, 1992 तक पंजाब में चुनाव करवाए जाएंगे और अभी कल ही पेपरों में आया है कि फरवरी, 1992 तक पंजाब में चुनाव करवा दिए जाएंगे, इन बातों पर कायम रहने की आवश्यकता है। मेरा कहना है कि हर हालत में, जिस परिस्थिति में भी हो, पंजाब के चुनाव को आप कराएं। वहां चुनाव होना चाहिए, वहां के लोगों की आवाज लोक सभा और वहां की विधान सभा में गूंजनी चाहिए। इस चुनाव को आप टालने का काम न करें।

दूसरा, पंजाब के संबंध में आप चाहते हैं कि स्थिति सुधरे, पंजाब के संबंध में आप सर्वदलीय राय लें, साथियों की राय लें। यह अवश्य करें। लेकिन जो राय लेते हैं उसे आप सख्ती से लागू करें, इसमें ढिलाई करने की आवश्यकता नहीं है। मैं यह मान कर चलता हूं कि देश के हित में कोई भी दल, कोई भी पार्टी आपको निश्चित रूप से हर इश्यू पर मदद करने को तैयार है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, हम ऐसा कोई संकेत नहीं देख रहे हैं कि पंजाब में चुनाव निकट भविष्य में हो पाएंगे। जब इस सभा में पिछले सत्र में पंजाब में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने संबंधी संकल्प पर चर्चा हो रही थी, जब लोक सभा की बैठक एक दिन के लिए बढ़ा दी गई थी, तो हमें प्रधानमंत्री द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि पंजाब में चुनाव अगले वर्ष फरवरी तक कराए जाएंगे परन्तु कोई निश्चित तारीख नहीं बताई गई थी। प्रधानमंत्री द्वारा जब यह घोषणा की गई थी, तब से दो महीने बीत चुके हैं परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा पंजाब में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। लगभग सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव करवाने की मांग की है। हम चाहते हैं कि चुनाव करवाए जाएं क्योंकि हम चाहते हैं कोई राजनीतिक प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। पर इन दो महीनों के दौरान इस सरकार ने क्या किया है? उन्होंने केवल राज्यपाल को बदला है तथा नये सलाहकारों की नियुक्ति की है। उन्होंने यही दो कदम उठाये हैं।

उस चर्चा के दौरान सदस्यों द्वारा अनेक सुझाव दिए गये थे यथा जिला स्तरीय तथा तालुका स्तरीय समिति का गठन किया जाए परन्तु इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। अक्तूबर, 1991 से स्थिति और खराब हो गई है, जबकि बैंकों की ग्रामीण शाखाओं को आतंकवादियों द्वारा जला दिया गया था। हमारी पार्टी के एक प्रमुख नेता हमारी किसान सभा के सचिव कामरेड चीमा को उनके परिवार के सदस्यों सहित मार दिया गया था। इन वर्षों के दौरान हमारी पार्टी के सैकड़ों सदस्य आतंकवादियों द्वारा मार दिए गए क्योंकि उन्होंने इन विध्वंसक तथा आतंकवादी शक्तियों का मुकाबला किया था। अब स्थिति और भी अधिक बिगड़ गई है। सरकार इन पांच महीने की अवधि में कोई स्पष्ट नीति को घोषित नहीं कर पाई है। मैं जानना चाहता हूं कि वे किस प्रकार चुनाव करवाएंगे। चुनाव करवाने के लिए स्थिति तैयार

करनी होगी। कुछ कदम, जैसे पंजाब समझौते को लागू करना, उठाने होंगे जिससे अनुकूल स्थिति तैयार हो सके, जिससे कि पंजाब के लोगों की भावनाओं को ठीक किया जा सके। सरकार इस संबंध में चुप क्यों है ?

हरियाणा में उनकी पार्टी की सरकार है। पंजाब में राष्ट्रपति शासन है। मैं समझता हूं कि पंजाब समझौते को लागू करने में कोई कठिनाई नहीं है। पंजाब के लोगों की कुछ महत्वपूर्ण मांगों को मानने में क्या कठिनाई है। क्रम से पंजाब के लोगों की कुछ प्रमुख मांगों को मानने में क्या कठिनाई है। जैसे चंडीगढ़ पंजाब को देना, नदी जल-विवाद को उच्चतम न्यायालय को सौंपना, कुछ क्षेत्रों को हरियाणा को देना, 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए दंगों के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा देना ? सरकार इस संबंध में कोई कदम क्यों नहीं उठा पा रही है ? ये सभी उपाय पंजाब के लोगों की भावनाओं को शांत कर सकते थे। इन सभी कदमों से पंजाब में चुनाव कराने के लिए अनुकूल स्थिति पैदा हो सकती थी। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता कि सरकार वहां उग्रवादियों की मदद से तो चुनाव कराना चाहती है या इसके लिए सरकार आतंकवादी तथा विध्वंसकारी गतिविधि अधिनियम या अन्य काले अधिनियमों को लागू करेगी।

मेरे साथी श्री अजय मुखोपाध्याय ने पंजाब के मजदूरों से संबंधित एक अन्य पहलू का जिक्र किया है। 1986 में जब मैं एक-दो दिन की यात्रा पर पंजाब गया था तो मैं चंडीगढ़ भी गया था।

ऐसी स्थिति में 1986 में भी वे खालिस्तानी और उग्रवादी ताकतों के खिलाफ एक पदयात्रा आयोजित कर सकते थे। पर अब पंजाब की सरकार उन मजदूरों के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। भारतीय खाद्य निगम के हजारों कामगार, ठेका मजदूर और सामान लाने ले जाने वाले मजदूर हड़ताल पर हैं। वे सिर्फ पंजाब में ही काम करते हैं। मैं नहीं जानता कि पंजाब में ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है जबकि पड़ोसी राज्य हरियाणा में इस ठेका प्रणाली को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है। पंजाब में ही यह प्रणाली अभी भी क्यों चल रही है ? इस प्रथा तथा इस शोषण खिलाफ पंजाब में भारतीय खाद्य निगम के मजदूर संघर्ष कर रहे हैं। संगरूर के गोदाम में वे हड़ताल पर हैं। जब ठेकेदार बदल गया और जब नए ठेकेदार की नियुक्ति हुई तो उसने वहां वर्षों से काम कर रहे मजदूरों को हटा दिया। उन लोगों ने प्रदर्शन किया और उन पर पुलिस ने गोली चला दी। श्री जगदेव सिंह नामक एक मजदूर मर गया तथा कई अन्य घायल हो गए। अक्तूबर महीने में सैकड़ों मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा अबोहर में पुलिस द्वारा गोली चलाने से 8 मजदूर मर गए। जब पंजाब के कामगार खास करके मजदूर वर्ग खालिस्तानी और उग्रवादी विघटनकारी ताकतों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, जब वे देश की एकता और अखंडता के लिए, संघर्ष कर रहे हैं, तब सरकार क्या कर रही है ? वे इन मजदूरों के साथ क्या कर रहे हैं ? इन मजदूरों को पुलिस द्वारा मारा जा रहा है। अतः मेरा सुझाव है कि यदि प्रधानमंत्री द्वारा सभा में दिए गए आश्वासन के अनुसार सरकार पंजाब में 15 फरवरी, 1992 तक चुनाव कराने के लिए सचमुच निष्ठावान् है, तो वहां शांतिपूर्ण स्थिति बहाल करनी होगी और शांतिपूर्ण स्थिति को बहाल करने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। अतः मंत्री महोदय को आज सभा में यह बताना चाहिए कि पंजाब में शांतिपूर्ण स्थिति बहाल करने के लिए सरकार के पास कौन-कौन-से कदम उठाने का प्रस्ताव है। अब लोगों ने वहां से दूसरी जगहों में जाना शुरू कर दिया है। उद्योगपति अपनी औद्योगिक इकाइयों को पंजाब से दूसरे प्रांतों में ले जा रहे हैं। अतः

यदि लोगों का, औद्योगिक इकाइयों का बाहर जाना जारी रहा, तो कुछ वर्षों के बाद पंजाब का क्या होगा ? अतः मंत्री महोदय को सभा को यह बताना चाहिए कि पंजाब में 15 फरवरी, 1992 तक चुनाव कराने के लिए अनुकूल स्थिति पैदा करने के लिए सरकार का कौन-कौन से ठोस कदमों को उठाने का प्रस्ताव है।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलढाना) : उपाध्यक्ष महोदय, हम एक बार फिर से पंजाब के बजट पर विचार कर रहे हैं तथा एक बार फिर सभी वक्ताओं ने बजट के उपबंधों पर अपने विचार व्यक्त करने की बजाए वहां के मौजूदा हालात के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है।

महोदय, पिछले कई वर्षों से इस सभा में पंजाब बजट पर विचार होता रहा है। सभा समस्या समस्या पर विचार करती रही है । ऐसा महसूस किया है कि पंजाब के हालात से निपटने के लिए एक ठोस नीति की जरूरत है। सरकार ने भी समय-समय पर घोषणा की है कि पंजाब की हालात को सामान्य बनाने के लिए वे शीघ्र ही एक नीति की घोषणा करेंगे। यह सब कुछ इतनी बार हो चुका है कि अब तो ऐसा लगता है कि जिस गंभीर समस्या के प्रति सारा देश चिंतित है उस समस्या को हम गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। सरकार ने घोषणा की है कि यह 15 फरवरी, 1992 के पहले पंजाब में चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जो चुनाव पिछले वर्ष जुलाई में होना था, उसे स्थगित कर दिया गया है। चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा कि विधान सभा चुनाव के लिए 22 उम्मीदवारों को और लोक सभा चुनाव के लिए 2 प्रत्याशियों को मार दिया गया था। हम पंजाब में चुनाव चाहते हैं परन्तु पंजाब के लोगों की कीमत पर नहीं।

[अनुवाद]

हम चाहते हैं कि पंजाब में हालात दोबारा सामान्य बनाए जाएं, पंजाब में लोकतांत्रिक सरकार हो और हम यह भी चाहते हैं कि पंजाब, जोकि एक सम्पन्न राज्य रहा है, सम्पन्नता बनाए रखे।

महोदय, जब कभी भारत की एकता और अखंडता पर हमला हुआ, जब कभी भारत की सीमा पर पाकिस्तान द्वारा धमकी दी गई, पंजाब के लोग बहादुरी से लड़े, उन्होंने देश की एकता के लिए अपना खून बहाया, उन्होंने इस देश को संगठित और अखंड रखने के लिए परिश्रम किया और आज यह देखना राष्ट्र की जिम्मेवारी है कि यह संयुक्त रूप से पंजाब समस्या के समाधान के लिए एक नीति तैयार करे। जैसा कि माननीय सदस्य श्री धर्मपाल सिंह मलिक कह रहे थे, हम पंजाब पर एक लंबे समय से बात कर रहे हैं लेकिन पंजाब समस्या का मूल कारण क्या है ? हम इतने लंबे समय से क्यों असफल हो रहे हैं ? प्रायः हम घोषणा करते रहे हैं कि सरकार पंजाब समस्या के समाधान के लिए वचनबद्ध है, परन्तु प्रतिदिन समाचार पत्रों में इस शीर्षक से समाचार प्रकाशित हो रहे हैं कि पंजाब में 25, 30, 40 या 50 लोग मारे गए हैं। आजकल ऐसा लगता है कि यदि हम यह खबर पढ़ते हैं कि पंजाब में 25 लोग मारे गए हैं तो हम में से बहुत से मात्र पृष्ठ पलट लेते हैं। इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता जब तक कि 50 या 100 लोग नहीं मारे गए होते। पंजाब में 25 या 30 लोगों का मारा जाना कोई खास बात नहीं है। पंजाब में ऐसी स्थिति है। पिछले बजट सत्र में हमने घोषणा की थी कि 15 फरवरी तक चुनाव हो जाएंगे लेकिन इस

संबंध में हमने अब तक क्या किया है ? सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि पंजाब में स्वतंत्र और निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव हो सकें और बड़ी संख्या में मतदाता भाग ले सकें । यही सही मायने में प्रजातंत्र होगा । हम केवल चुनावों की खातिर चुनाव नहीं चाहते ।

पंजाब में हुए पिछले चुनावों में बरनाला सरकार ने सत्ता संभाली । लेकिन अन्ततः बरनाला सरकार विफल हो गई । उस समय केन्द्र सरकार ने बरनाला सरकार को सभी प्रकार का संभव समर्थन दिया लेकिन क्योंकि बरनाला सरकार कोई राजनैतिक नीति नहीं बना सकी इसलिए वह असफल हो गई । इसलिए तब से आपातकालीन स्थिति लागू है ।

जब से माननीय गृह मंत्री ने पिछले सत्र में घोषणा की थी कि चुनाव स्थगित किए गए हैं लेकिन हमेशा के लिए स्थगित नहीं किए गए हैं तो लोगों ने राहत की सांस ली । उन्होंने सोचा कि चुनाव किसी भी समय जल्दी ही हो सकते हैं । सरकार ने सेना तैनात कर दी । उन्होंने पुलिस महानिदेशक को बदल दिया और श्री गिल को वापिस लाए । लेकिन जब भी हम पुलिस कर्मियों को दोबारा लाये और जब भी हमने पंजाब में सेना तैनात की, उग्रवादियों ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दीं । हत्याएं बढ़ी हैं । मुझे दो दिन पहले ही बताया गया कि बंगाल में पंजाब के चार आतंकवादी पकड़े गए । ऐसी स्थिति है कि पंजाब के आतंकवादी देश के विभिन्न भागों में फैल रहे हैं । कभी वे महाराष्ट्र में पकड़े जाते हैं, कभी मध्य प्रदेश में । वे समय-समय पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में हमला करते हैं । ये वारदातें बढ़ती जा रही हैं ।

हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान अपने प्रशिक्षण शिवरों, हथियारों, धन और सभी संभव राजनैतिक समर्थन के जरिए पंजाब के उग्रवादियों को लगातार समर्थन करता आ रहा है । पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उग्रवादियों को प्रचार अभियान समेत सभी प्रकार से समर्थन कर रहा है । लेकिन महोदय, पिछले कुछ महीनों के दौरान माननीय प्रधान मंत्री की नवाज शरीफ के साथ एक बैठक और दोनों देशों के विदेश सचिवों के बीच बैठक के सिवाय और पाकिस्तान को यह बताने के लिए कि वे पंजाब के मामलों में दखलअंदाजी बन्द करे नहीं तो अच्छा नहीं होगा तथा बातचीत के लिए कोई मुख्य कदम नहीं उठाए गए हैं । कब तक हम पाकिस्तान को बर्दाश्त करते रहेंगे ? हमें पाकिस्तान के साथ बातचीत के प्रयासों को तेज करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि कभी न कभी पंजाब में उनके कृत्यों को जारी रखने से रोकने के लिए हमें कुछ करना होगा ।

हाल ही में अपहरण के मामलों में भी वृद्धि हुई है । यह हाल की प्रवृत्ति है और यह तब आरम्भ हुई थी जब तत्कालीक गृह मंत्री श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी का कश्मीर में अपहरण किया गया था । यह मांग की गई थी कि सईद की बेटी के बदले कुछ खूंखार आतंकवादी छोड़े जाएं । कुछ खूंखार आतंकवादी छोड़े गए और उससे आतंकवादियों के हौसले बुलन्द हो गए । तब से लेकर, असम, पंजाब और कश्मीर में हर जगह सैकड़ों लोगों का अपहरण किया गया ।

केवल पंजाब में ही पंजाब सरकार द्वारा ये आंकड़े दिए गए हैं ।

6.00 म० प०

वर्ष 1989 में अपहरण किए गए लोगों की संख्या 59 थी ।

वर्ष 1990 में अपहरण किए गए लोगों की संख्या 411 थी।

वर्ष 1990-91 में अक्तूबर तक 304 लोगों का अपहरण किया गया था और उनमें से 107 लोग मारे गए हैं।

मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए एक दृढ़ और संगठित नीति तैयार करे।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया चर्चा समाप्त करें।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : क्या आप सभा को स्थगित कर रहे हैं ?

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : वे अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : मैं अपना भाषण कल जारी रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल मंगलवार, 26 नवम्बर को 11 म० पू० पर पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.01 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार, 26 नवम्बर, 1991/5 अग्रहायण, 1913 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, श्रीराम मार्ग, साउथ मौजपुर, दिल्ली-53

पी० एन० एस०—48/6/3/91 (एन०)
225

©1991 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और प्रबंधक चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, श्रीराम मार्ग, दक्षिणी मौजपुर, दिल्ली-53 द्वारा मुद्रित ।